पुर्दश माला, खंड 11, अंक 9

गुरुवार, 4 अगस्त, 2005
13 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)



(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. F-225
Shastri Bhawan
Acc. No. 58
Dated 9/6/06

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 9, गुरुवार, 4 अगस्त, 2005/13 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 164	1–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 165 से 180	32–51
अतारांकित प्रश्न संख्या 1674 से 1728 और 1730 से 1893	51
सभा पटल पर रखे गए पत्र	330–333
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
तीसरा प्रतिवेदन	333–334
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
बाईसवां प्रतिवेदन	334
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
छठा और सातवां प्रतिवेदन	334
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
176वां प्रतिवेदन	334–335
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
(एक) नौवें से ग्यारहवां प्रतिवेदन	335
(दो) साक्ष्य	335
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति	
श्री एस. जयपाल रेड्डी	335–336
(दो) सभा में सदस्य का आचरण	
श्री गुलाम नबी आजाद	390–391

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
मणिपुर में चल रहे आर्थिक अवरोध के परिणामस्वरूप दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं से उत्पन्न स्थिति	340–363
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	340, 343–346
श्री शिवराज वि. पाटील	340–343, 358–362
श्री अजय चक्रवर्ती	347–348
श्री थावर चन्द गेहलोत	348–352
श्री रामजीलाल सुमन	352–354
श्री रूपचन्द पाल	354–355
डा. टोकचोम मैन्या	355–356
श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक	356–357
नियम 377 के अधीन मामले	373–383
(एक) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मधु गौड यास्खी	373
(दो) दार्जिलिंग में आर्गेनिक माडल फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने तथा इस क्षेत्र को केन्द्र प्रायोजित स्कीम में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. नरबुला	373–374
(तीन) शिमला एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में आउटवार्ड गुड्स शेड के बंद रेलवे गेट को खोले जाने की आवश्यकता	
श्रीमती प्रतिभा सिंह	374
(चार) ऐसे भारतीय नागरिकों, जो रोजगार प्राप्त करने के बाद विदेश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक वहां रहते हैं, को हो रही परेशानी को रोकने के लिए आप्रवास विधि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पेटल	374–375
(पांच) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में रिहायशी भवनों में आवास योग्य स्थान की अनुमति देने वाले भवन उपनियमों में वास्तविक संशोधन शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री पवन कुमार बंसल	375
(छह) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड को ऐसे लोगों, जिनकी भूमि को नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिगृहीत किया गया है, रोजगार उपलब्ध कराने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	376

विषय		कॉलम
(सात)	देश में बंजारा समुदाय के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरिभाऊ राठौड़	376–377
(आठ)	हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में पी.जी.आई. अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुरेश चन्देल	377
(नौ)	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	योगी आदित्यनाथ	377–378
(दस)	फारबिसगंज, बिहार में विद्युत सब-स्टेशन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुखदेव पासवान	378
(ग्यारह)	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संरक्षण-प्रदत्त विभिन्न संस्थाओं से व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	378
(बारह)	खाड़ी देशों में आने वाले यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से खाड़ी मार्ग पर एयर इंडिया की और अधिक उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वरकला राधाकृष्णन	378–379
(तेरह)	चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या को सुलझाने की दृष्टि से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर नहर परियोजनाएं क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री शैलेन्द्र कुमार	379
(चौदह)	लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में किशनपुर, वन्यजीव अभ्यारण्य में शारदा नदी से हुए भूक्षरण को रोकने के उपाय किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	379–380
(पन्द्रह)	बिहार के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोयले के गैर-कानूनी उत्खनन को रोकने तथा साथ ही इस क्षेत्र में बंद खदानों को पुनः खोलने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता	
	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल	380
(सोलह)	उत्तर प्रदेश के खीरी जिले को इसके चहुंमुखी विकास के लिए सम विकास योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री इलियास आजमी	380–381
(सत्रह)	महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भौंद्या विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुबोध मोहिते	381

विषय		कॉलम
(अठारह)	बिहार के सिवान जिले में स्थित महाराजगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	381–382
(उन्नीस)	कर्नाटक में बिजली की कमी से निपटने के लिए राज्य में चालू विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. शिवन्ना	382–383
(बीस)	विट्ठल रकुमई मंदिर, पंढरपुर, महाराष्ट्र में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास आठवले	383
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी		393–394
नियम 193 के अधीन चर्चा		
अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर पर हमले सहित देश में आतंकवाद		400–495
	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	400–412
	डा. राजेश मिश्रा	412–417
	श्री सुनील खां	417–420
	श्री रामजीलाल सुमन	421–427
	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	427–432
	श्री मित्रसेन यादव	433–437
	प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन	438–443
	योगी आदित्यनाथ	443–453
	चौधरी विजेन्द्र सिंह	453–459
	श्री अनंत गुढ़े	459–462
	डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	462–466
	श्री सी.के. चन्द्रप्पन	466–468
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	468–471
	श्री प्रभुनाथ सिंह	471–476
	श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल	477–479
	श्री किन्जरपु येरननायडु	479–481

विषय		कॉलम
	श्री रामकृपाल यादव	481–484
	श्री अविनाश राय खन्ना	484–486
	श्री असादुद्दीन ओवेसी	486–490
	श्री शैलेन्द्र कुमार	490–492
	श्री मदन लाल शर्मा	492–495
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	503
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	504–510
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	511–512
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	511–512

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 4 अगस्त, 2005/13 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पवन कुमार बंसल, प्रश्न सं. 16

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र जारी करना

***161. श्री पवन कुमार बंसल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चण्डीगढ़ तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीटीडी) सहित विभिन्न संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अन्य राज्यों से आए लोगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं करते, चाहे वे उस जाति/जनजाति से संबंध रखते हों जो कि उस संघ राज्य क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य हो;

(ख) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन पंजाब तथा हरियाणा राज्यों से चण्डीगढ़ आने वाले लोगों को भी यह अधिकार देने से इंकार करता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस अन्याय को समाप्त करने के लिए निरंतर मांग की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) चंडीगढ़ प्रशासन और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो अपने मूल राज्य द्वारा आवेदक के पिता को दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर अन्य राज्यों से आये हैं। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में भी ऐसे जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

2. तथापि, पंजाब और हरियाणा के ऐसे प्रवासियों को जाति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में मांग की गई है जो 1.11.1996 के बाद चंडीगढ़ में बस गए हैं और जिनका समुदाय चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट है। दूसरी ओर, उन लोगों के लिए जो 1966 से पहले बसे हैं, आवास प्रमाण आवश्यक है और जो आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हैं वे मामले को उठा रहे हैं।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि वे अन्य राज्यों से आये लोगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिनांक 27.7.2005 के अपने परिपत्र संख्या एफ. 87(10)/डीसी/सीसीएस/04/4386-4402 के द्वारा उन प्रवासियों को अनुसूचित जति प्रमाण-पत्र देने की अनुमति दी है जिनकी जाति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की अनुसूचित जाति की निर्धारित सूची में दिल्ली के मूल निवासी के रूप में सूचीबद्ध है बशर्ते वे निम्नलिखित तीन शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करते हों:

(क) आवेदक का जन्म दिल्ली में होना चाहिए जिसके लिए उसे साक्ष्य के रूप में जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अथवा

(ख) उसने दिल्ली में अध्ययन किया हो जिसके लिए उसके प्रमाण के रूप में मैट्रिक प्रमाण-पत्र/मार्कशीट प्रस्तुत करना होगा, अथवा

(ग) वह पिछले पांच वर्षों से दिल्ली में रह रहा/रही हो, जिसके लिए उसे अधिवास प्रमाण-पत्र अथवा दिल्ली में आवास का कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: माननीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मेरा प्रश्न विशेष रूप से संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और दिल्ली से

संबंधित है फिर भी वैसी ही स्थिति कहीं भी हो सकती है और पांडिचेरी के मामले की भी सूचना मिली है। वर्ष 2001 की नवीनतम जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 17.5 प्रतिशत है अर्थात् 10 लाख की जनसंख्या में लगभग 1,75,000 लोग अनुसूचित जाति के हैं। वर्ष 1996 तक सभी व्यक्तियों को इस बात का विचार किये बिना कि वे कहां से आये थे, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे क्योंकि चंडीगढ़ एक नया शहर होने के नाते प्रवासियों का शहर है। मैं भी चंडीगढ़ शहर में प्रवासी हूं। प्रत्येक व्यक्ति जो अब चंडीगढ़ में रहता है कहीं न कहीं से आया था। वर्ष 1996 के पश्चात् अचानक ही उन्होंने अनुसूचित जाति के सदस्यों को जो 1 नवम्बर, 1966 के पश्चात् शहर में आये थे, यह कहते हुये प्रमाण-पत्र जारी करना बंद कर दिया कि यह गणना संबंधी तिथि है। कोई भी व्यक्ति जो उस तिथि के पश्चात् चंडीगढ़ में आया था प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का पात्र नहीं है यदि वह संगत संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश में वर्णित 36 अनुसूचित जातियों में से एक जाति से संबंधित है। यह बहुत अन्याय है जो अब वास्तव में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों का भाग्य बन गया है।

इसके अतिरिक्त, एक अन्य अनियमितता सामने आ गई है। जो व्यक्ति 35 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहा है और जो किसी अन्य राज्य जहां पर उसकी कोई संपत्ति अथवा अन्य कुछ भी नहीं था से चंडीगढ़ आया था तथा सभी उद्देश्यों हेतु वह चंडीगढ़ का स्थायी निवासी है और यदि आपको उस व्यक्ति से उसने मूल स्थान से प्रमाण-पत्र लाने हेतु जोर देना था और केवल उसके बाद ही चंडीगढ़ में उसे प्रमाण-पत्र देना था तो वह कहीं का नहीं रहेगा। चंडीगढ़ उसे प्रमाण-पत्र नहीं देगा और मूल राज्य के पास उसका रिकार्ड नहीं है क्योंकि वह एक गरीब व्यक्ति था और उसके पास उपयोग करने के लिये कोई संपत्ति नहीं थी जिसका वह कोई प्रमाण दे सके। इस समस्या ने चंडीगढ़ में अनेक लोगों का भाग्य अंधकारमय बना दिया जो अन्यथा नियुक्ति हेतु पात्र है। अनुसूचित जाति से संबंधित होने के बावजूद केवल उन्हें प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था इसलिये वे मुश्किल में हैं। माननीय मंत्री उनकी समस्याओं को दूर करने हेतु क्या करेंगे?

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, मैं चंडीगढ़ और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में भी अनुसूचित जाति की दशा हेतु माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूं।

जहां तक चंडीगढ़ का संबंध है यह बहुत ही विशेष मामला है क्योंकि यह दो राज्यों की राजधानी है। इसे पंजाब से बनाया गया था और उसके बाद हरियाणा बनाया गया था। इसलिये, पंजाब और हरियाणा की अनुसूचित जातियां चंडीगढ़ आई हैं। सरकारी कर्मचारियों को चंडीगढ़ में नियुक्त किया गया है क्योंकि यह एक राजधानी शहर है। चूंकि यह एक राजधानी है इसलिये पंजाब और हरियाणा से अनेक व्यक्ति 1 नवम्बर, 1966 की अंतिम तिथि के पश्चात् चंडीगढ़ में बस गये हैं।

यह बहुत ही विशेष मामला है। हमारा इसके प्रति सकारात्मक रुख है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और हम चंडीगढ़ हेतु विशेष मामले के रूप में उन बच्चों, जिनके अभिभावकों के पास पहले से ही प्रमाण-पत्र है, को अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र देंगे। हम उन व्यक्तियों को भी प्रमाणपत्र जारी करेंगे जिनके भाई और बहनों के पास पहले से ही अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र है क्योंकि हमारे पास एक आधार है।

जहां तक उनके प्रश्न के अन्य भाग का संबंध है जो व्यक्ति निर्माण कार्य संबंधी श्रमिकों अथवा किसी अन्य रूप में वहां पर 36 वर्ष पहले आये हैं उनका उनके मूल राज्यों में उनकी जाति संबंधी कोई रिकार्ड नहीं है। यहां पर चंडीगढ़ में उनको यह प्रमाण-पत्र नहीं मिला अथवा उन्होंने अपने प्रमाण-पत्र लेने के बारे में नहीं सोचा। इस प्रकार के मामलों में मेरे विचार से माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि हम उन लोगों की मदद करना चाहते हैं परन्तु हम किसी प्रकार के आधार के बिना अथवा किसी प्रमाण के बिना कि व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है प्रमाण-पत्र नहीं दे सकते हैं। अन्ततोगत्वा, प्रमाण देने का दायित्व उस व्यक्ति का होगा।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, माननीय मंत्री की अच्छी नीयत होने के बावजूद जिसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं तथा जिसका उत्तर वास्तव में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करेगा और वहां पर लोगों को न्याय भी नहीं देगा। मैं यह कह रहा था कि लोगों ने लगभग 40 वर्ष पहले अर्थात् 1 नवम्बर, 1966 से यहां आकर चंडीगढ़ को अपना घर बना लिया है। जिन लोगों को झूठे प्रमाण-पत्र मिले हैं मैं उनके हितों की बिल्कुल भी वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र हेतु नहीं कह सकता हूं। परन्तु ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है कई अन्य स्थानों से आये हैं। चंडीगढ़ एक संघ राज्य क्षेत्र है जहां पर लोग बड़ी संख्या में सारे देश से आये है और उन्होंने महत्वपूर्ण ढंग से चंडीगढ़ के विकास में योगदान दिया है। उन व्यक्तियों के लिये समस्या है। जो व्यक्ति अब 40 वर्षों से चंडीगढ़ में रह रहा है वह अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत नौकरी हेतु आवेदन नहीं कर सकता है जबकि वह व्यक्ति जो मुम्बई में रह रहा है वह उस नौकरी हेतु आवेदन कर सकता है जिसका विज्ञापन चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिया गया है, क्योंकि उसके पास मुम्बई से प्रमाण-पत्र है। इसलिये इन लोगों के साथ घोर अन्याय हुआ है।

यहां पर मुझे दिल्ली का उदाहरण देने हेतु कहा गया है। दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है यह कहते हुए कि वे सभी व्यक्तियों को दिल्ली के मूल निवासी और अनुसूचित जाति के रूप में मानेंगे बशर्ते कि वे तीन शर्तें पूरी करें जो इस प्रकार हैं कि व्यक्ति का जन्म दिल्ली में हुआ हो अथवा उसने दिल्ली में अध्ययन किया हो अथवा वह पांच वर्षों से दिल्ली का निवासी रहा हो। प्रत्येक मामले में प्रमाण की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप प्रमाण की शर्तें हटा दें।

अध्यक्ष महोदय: अत: आप वैसा ही प्रावधान चाहते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: भारत सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वैसा ही प्रावधान बनाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक विशिष्ट सुझाव दिया है।

श्रीमती मीरा कुमार: महोदय, मैंने पहले ही माननीय सदस्य को आश्वस्त कर दिया है कि चंडीगढ़ में, क्योंकि यह बहुत ही विशेष मामला हैं, हम इस पर बड़े ही सकारात्मक ढंग से विचार कर रहे है। हमें इस मामले की जानकारी है और हम अवश्य ही प्रमाणपत्र देंगे यदि उनके अभिभावकों और भाई-बहनों के पास प्रमाण-पत्र है।

जहां तक उन व्यक्तियों, जो तीन दशक अथवा उससे अधिक समय पहले यहां पर आये हैं और यहां पर बस गये हैं और उनके पास कोई प्रमाण-पत्र नहीं है, का संबंध है अब उन व्यक्तियों को सिद्ध करना होगा। यदि माननीय सदस्य मुझे यह बताते हैं कि इसे किस प्रकार से किया जाना चाहिये तो हम इसके बारे में सोचेंगे। दिल्ली सरकार का आदेश हाल ही में जारी किया गया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें सही अनुसूचित जाति के लोगों को जाति प्रमाण-पत्र देते हुए बहुत ही प्रसन्नता होगी। उसी समय हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रावधान का दुरूपयोग न हो। इसलिये, दोनों को संतुलित करते हुए जो कुछ भी किया जाना चाहिये उसे करके हमें प्रसन्नता होगी।

श्री पवन कुमार बंसल: यदि कोई व्यक्ति प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करता है और यह जानता है कि वह अनुसूचित जाति का नहीं है, तो आप उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कीजिये। मैं उनके मामले की वकालत नहीं कर रहा हूं। मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहा हूं जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं उनके लिये उत्तर नहीं दे सकता हूं। एक सहानुभूति दर्शाने वाले मंत्री को परेशान मत कीजिये। यह प्रश्न विशेष रूप से चंडीगढ़ और दिल्ली से संबंधित है। यह पूरे भारत से संबंधित नहीं है। इसलिये, मैं अन्य व्यक्तियों को अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप पश्चिम बंगाल के बारे में पूछेंगे और आप कर्नाटक के बारे में पूछेंगे। मुझे खेद है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

एक रैंक एक पेंशन

*162. + **डा. के.एस. मनोज:**
श्री सुरेश कुरूप:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "एक रैंक एक पेंशन" मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो मंत्रियों के समूह (जीओएम) द्वारा अपनी रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, 'एक पद एक पेंशन' भूतपूर्व सैनिकों की एक न्यायसंगत तथा चिरलंबित मांग है। सेवानिवृत्ति की तिथि पर विचार किए बिना समान सेवा अवधि पर सेवानिवृत्त हो रहे सशस्त्र बलों के कर्मियों को बराबर पेंशन मिलनी चाहिए लेकिन अब उन्हें यह नहीं मिल रही है। न केवल वह, परन्तु जीवन-निर्वाह सूचकांक के मद्देनजर, पेंशन ढांचे में किये गये सुधार ने समान पद पर पेंशन लाभों के मध्य विषमता को बढ़ा दिया है। वे पेंशनधारक जो पहले सेवानिवृत्त हो गए थे अब सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आपका मुख्य प्रश्न मंत्री समूह के प्रतिवेदन के संबंध में है।

डा. के.एस. मनोज: पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें तथा अंतर-मंत्रालयी समूह के प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव में

असैनिक कर्मचारियों तथा रक्षा कर्मियों को समान समझा गया है जिसे रक्षा कर्मियों द्वारा प्रदान की गई नि:स्वार्थ सेवा के प्रति एक अनादर स्वरूप ही देखा जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका क्या प्रश्न है?

डा. के.एस. मनोज: राष्ट्र, मातृभूमि के रक्षकों के प्रति कृतज्ञ है। हम रक्षा कर्मियों द्वारा दी जा रही सेवाओं को सिविलयन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के समतुल्य नहीं मान सकते हैं। इसलिए, मातृभूमि के रक्षकों को न्याय देने के लिए सभी वित्तीय, कानूनी तथा अन्य रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न, मंत्री समूह से संबंधित होना चाहिए। कृपया अपने प्रश्न पर आएं।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय रक्षा मंत्री जो इस मामले की जांच के लिए गठित मंत्री समूह के सभापति भी हैं—वे रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों, जिसमें एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के बारे में सुझाव दिया है, के मद्देनजर एक उच्च स्तरीय समिति के गठन पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपने प्रश्न में पूछा था कि क्या कोई प्रतिवेदन दिया गया है तथा माननीय मंत्री ने कहा था 'नहीं'।

श्री प्रणब मुखर्जी: इस मुद्दे पर विचार करने हेतु कई समितियों का गठन किया गया था। वर्ष 1984 में के.पी. सिंह देव समिति का गठन किया गया था, तत्पश्चात् एक अधिकारिक समिति का गठन किया गया था। श्री शरद पवार के सभापतित्व में एक अन्य समिति का भी गठन किया गया था। रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने भी कुछ सिफारिशें दी हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा हमारे दल के घोषणा-पत्र में इस संबंध में हमारी वचन बद्धता है कि हम भूतपूर्व सैनिकों की 'एक पद एक पेंशन' की चिरलंबित मांग को लागू करने का प्रयास करेंगे।

लेकिन उसी समय हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें वित्तीय उलझने हैं। मेरी अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के परामर्श से मंत्री समूह की बैठक 29 अप्रैल को हुई, माननीय वित्त मंत्री भी इस मंत्री समूह के सदस्य हैं, हम विभिन्न औपचारिकताओं/पद्धतियों पर विचार कर रहे हैं तथा अब निकट भविष्य में किसी स्वीकार्य समाधान पर पहुंचने की संभावना है।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न भूतपूर्व सैनिकों को 50 प्रतिशत पेंशन के लिए 33 वर्ष की सेवा शर्त पूरी करने के संबंध में है। असैनिक कर्मचारियों तथा सशस्त्र बलों के कर्मियों को पेंशन हेतु समान शर्तों का होना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि रक्षा कर्मियों के बहुत कम प्रतिशत कर्मचारी 33 वर्ष की सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन अधिकांश सिविलियन कर्मचारियों को 33 वर्ष की सेवा की इस शर्त को पूरा करना होता है। इसलिए रक्षा कर्मियों के मामले में इस शर्त को समाप्त कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री समूह के लिए ये आपके सुझाव हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इन सुझावों पर विचार करेंगे।

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक असैनिक कर्मचारियों का संबंध है, वे एकदम अलग श्रेणी हैं। समस्या सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ नहीं है बल्कि समस्या पीबीओआर अधिकारी स्तर से निचले स्तर के व्यक्तियों से अधिक जुड़ी हुई है। हम ऐसे आधिकारिक महत्व पर विचार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ दिया जा सकेगा तथा इसके मद्देनजर, मंत्री समूह, सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है।

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, दिए गए उत्तर में सरकार का कठोर तथा उपेक्षापूर्ण रवैया सुस्पष्ट है। 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन में विसंगति को ठीक करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों की यह एक चिरलंबित मांग है। वी.पी. सिंह जी की सरकार जिन्होंने इसे ठीक किया जाना सुनिश्चित किया पांचवें वेतन आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि इस विसंगति को ठीक किया जाना चाहिए। इसलिए मैं इस कदम का स्वागत करता हूं कि सरकार ने एक मंत्रालयी समिति का गठन किया है। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस पर शीघ्र कार्यवाही करेगी तथा समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहेगी तथा इसे तुरंत कार्यान्वित करेगी क्योंकि संख्या निरंतर कम हो रही है। वर्ष 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए लोगों की संख्या में कमी हो रही है।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रतिवेदन को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा तथा क्या सरकार उनके चिरकाल लंबित शिकायत के प्रति सकारात्मक रुख अपनाएगी।

अध्यक्ष महोदय: यह उपयुक्त अनुपूरक प्रश्न है।

श्री प्रणब मुखर्जी: जहां तक मंत्री समूह की सिफारिशों का प्रश्न है हम इस पर शीघ्र कार्यवाही करेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय सदस्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि 23 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं तथा प्रत्येक वर्ष 55,000 व्यक्ति इसमें जुड़ जाते हैं। महोदय वार्षिक पेंशन बिल 12,000 करोड़ रुपये है। हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि माननीय सदस्य रक्षा बजट को 83,000 करोड़ रुपये से 1,03,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने में अपना सहयोग दें

और मैं इसे तुरंत स्वीकृति दे दूंगा। इन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ...*(व्यवधान)* महोदय, मैं भाषण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं आश्वस्त करता हूं कि कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रणब मुखर्जी: पेंशन एक पहलू है तथा मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल सम्मेलन में मैंने राज्यपालों का ध्यान, भूतपूर्व सैनिकों के कई पुन: विस्थापन कार्यक्रमों की ओर आकर्षित किया था। उन्हें भूमि देना, नौकरी में आरक्षण देना, पेट्रोल पम्प तथा कुछ श्रेणियों की नौकरियों में वरीयता देना, सरकार की नीतियों में शामिल है। दुर्भाग्यवश मैं राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता हूं—कई राज्य इसे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों की कल्याण योजनाओं का एक पहलू पेंशन भी है। लेकिन अन्य योजनाएं भी हैं। सरकार पूर्ण रूप से अवगत है तथा इसके प्रति संवेदनहीन नहीं है। वास्तव में, हमने हाल ही में व्यापक स्वास्थ्य योजना को स्वीकृति दी है तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के अलावा, मैंने विकलांग व्यक्तियों को भी इसका प्रीमियम देने से मुद्दा रका है ताकि वे भी भूतपूर्व सैनिकों के चिकित्सा उपचार के लिए हमारे द्वारा स्थापित की जाने वाले पालीक्लिनिकों से अपना उपचार करवा सकें।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: अध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ताओं ने "वन रैंक, वन पैंशन एंड वन लाइन रिप्लाई" की बात कही है। इसके बारे में आपका जवाब निराशाजनक है और निरूत्साहित करने वाला है। आप इसके बारे में कुछ स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। यदि अपने जवाब में थोड़ा और लिख देते तो हमें उत्साह मिलता। आपने "वन रैंक वन पैंशन" के बारे में कहा। मुझे इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी हैं कि कई समस्याएं हैं लेकिन यह सवाल बार-बार उठ रहा है। आपने कहा कि अनेकों कमेटियां बन चुकी हैं लेकिन कमेटियों का सिलसिला कहीं न कहीं खत्म होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि इस पर जो भी निर्णय हो और जितना भी हो सकता है, उसे जल्दी किया जाए। आपकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है जिसमें वित्त मंत्री भी हैं। इस कारण उस स्टैप पर निर्णय लेने में मुश्किल नहीं होगी। मेरा इस विषय में आग्रह है कि जितनी जल्दी से जल्दी इसे करेंगे, अच्छा होगा और वन्स फार आल इस समस्या को समाप्त करें क्योंकि मेरे जैसे लोगों को इससे बहुत कठिनाई होती है।

माननीय रक्षा मंत्री जी, इसके अलावा दो और केसिज पैंडिंग पड़े हैं—एक पर्सन बिलो आफिसर रैंक, 1996 जिस में "वन रैंक वन पैंशन" एक पहलू है। यह वह श्रेणी है जिसे 1991 से अभी तक एक पैसे का फायदा नहीं हुआ है। आपने जितनी विसंगतियां हटायीं, इसमें यह बड़ी समस्या है। इसका एक प्रस्ताव मिनिस्ट्री में पड़ा है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या और कब निर्णय होने वाला है? सिपाही, एनसीओज, जेसीओज हैं। इन अधिकारियों को जो मिलना था, मिल रहा है लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला है जिससे इनमें बहुत ज्यादा असंतोष है। इसलिए आपके पास जो सिफारिश पड़ी है, उसे कृपया जल्दी निकालें। आप उसे कब तक निकलांगे?

तीसरा, इसी से संबंधित प्रश्न है हालांकि, यह मेरे अपने रैंक से संबंधित है, पर इस मुद्दे को मैं उठा नहीं रहा हूं लेकिन इसके पीछे का तर्क सही नहीं है। इस चेंज के मुताबिक शुरू में मेजर जनरल को ब्रिगेडियर से कम पैंशन मिल रही थी। उसके बाद लड़ाई-झगड़ा करके जो डिसीजन लिया तो वह ब्रिगेडियर के बराबर कर दिया गया। अभी मेजर जनरल के नीचे वाले जो रैंक हैं, उनका कहना है कि सैक्रेट्री को एडीशनल सैक्रेट्री से कम पेंशन मिल रही है। यह केस भी आपके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन दोनों केसिस को आप कितनी जल्दी निबटाएंगे, कृपया इसके बारे में बताएं?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, जहां तक कोई अन्य समिति न गठित करने और मुद्दे को सुलझाने के संबंध में माननीय सदस्य ने सुझाव का प्रश्न है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कोई और समिति नहीं बनाई जायेगी। हम इन मामलों को हल कर रहे हैं इस संबंध में कई विसगंतियां हैं, जिससे माननीय सदस्य पूरी तरह अवगत हैं। कई स्तर मौजूद हैं। कई वेतन आयोग आये। उन्होंने कुछ सिफारिशें की। मैंने के.पी. सिंह देव समिति का उल्लेख किया। के.पी. सिंह देव समिति की सिफारिशें चौथे वेतन आयोग के पास भेजी गई। दुर्भाग्यवश, चौथे वेतन आयोग ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसके कुछ अन्य निहितार्थ होते। हमें सदैव ध्यान में रखना पड़ता है कि सरकार के किसी एक वर्ग के लिये यदि आप कुछ करते हैं तो अन्य वर्गों पर इसका असर होता है। हम विशेष रूप से सिपाही, नायक और हवलदारों के बारे में चिंतित हैं। इसी कारण पीबीओआर की सहायता के लिये समूची कार्यवाही की गई। कई प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। हम उनकी जांच कर रहे हैं और जल्द ही हम एक निर्णय पर पहुंच सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से पूर्व सैनिक संतुष्ट होंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने संकेत किया है कई अन्य खामियां भी हैं जैसे कि मेजर जनरल की पेंशन, ब्रिगेडियर से कम होना।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उन विसंगतियों पर ध्यान दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वजीरेदफा का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जवाब दिया। मैं भी एक साबका फौजी हूं तो मैं अपने आपको एसोसिएट करूंगा। मैं एक ही जवाब इनसे मांगूंगा, एक ही बात मैं पूछना चाहता हूं कि साबका फौजी वह तबका है जिसने अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा मुल्क की खातिर दिया और यह वह तबका है, जिसने तपते हुए रेगिस्तान, बर्फानी चोटियां, सतरह, समंदर और सय्यारों की निगाहबानी की है। वक्त-वक्त की सरकारों ने उनको काफी शाबाशी दी है। मैं समझता हूं कि अगर साबका सरकार ने इस तबके की तरफ ध्यान नहीं दिया और वर्ष 1991 में हमारी कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस तबके के लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो इम्तियाज बरता जा रहा है, उस पर कार्रवाई करेंगे, उसे दूर करने के लिए हम पहल करेंगे। मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि अगर कामन मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि इसमें यह शामिल है, अगर कांग्रेस पार्टी के चुनाव मंशूर में यह शामिल है, अगर हम बरसरे इख्तियार हैं तो मैं आनरेबल वजीरेदफा से यह जानना चाहता हूं कि कब से रिपोर्ट को लागू करेंगे और जो ज्यादतियां पिछले वक्त की सरकारों ने इस तबके के साथ की हैं, उन्हें दूर करेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं की सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: निश्चित तौर पर हम माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं से सहमत हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: वस्तुत: सुनामी से लेकर महाराष्ट्र विशेषकर मुम्बई में पिछले दिनों आये बाढ़ संकट में सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना-ने लोगों के बचाव और उन्हें सहायता मुहैया कराने में अपना योगदान दिया है। हम इससे पूरी तरह अवगत है। मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि जहां तक इस सरकार का प्रश्न है, हम इन मुद्दों पर बहुत संवेदनशील हैं। इसीलिए पूर्व सैनिकों के कल्याण हेतु हमने रक्षा मंत्रालय के अधीन एक विभाग स्थापित किया है। कई योजनायें शुरू की जा चुकी हैं। उनमें से कुछ पुरानी योजनाओं का हिस्सा थीं जैसे उनके उपचार के लिए 227 पालिक्लिनिकों की स्थापना और नौकरियों में आरक्षण। हम इसका विस्तार कर रहे है। बहुत शीघ्र मंत्रियों का समूह अपने विचारों को प्रस्तुत करेगा और मंत्रिमंडल की मंजूरी से उन्हें लागू किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कमेटी की बात कही और जनरल खंडूरी ने भी पूछा था। पांच साल के बाद सरकार बदल जाती है और जब दूसरी सरकार आता ही तो उस कमेटी को कोई पूछता नहीं है, अगली कोई और कमेटी बन जाती है। तेरहवीं लोक सभा में श्री मदन लाल खुराना जी की अध्यक्षता में आल पार्टी कमेटी बनी थी, उसकी कुछ रिकमेंडेशन्स थीं जिसमें वन मैन वन पेंशन की बात बी थी। क्या उस कमेटी की रिपोर्ट को खत्म कर दिया गया है, वह विचाराधीन है या उस पर ग्रुप आफ मिनिस्टर कोई एक्शन लेने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह खुराना समिति का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी: मंत्रियों के समूह ने के.पी. सिंह देव समिति से लेकर शरद पवार समिति अधिकारियों की समिति और स्थाई समिति तक की पूर्व समितियों की सिफारिशों पर विचार किया है। पूरा उद्देश्य अधिकारियों और पीओबीआर को पेंशन लाभ देना है। 'एक रैंक एक पेंशन' के सिद्धान्त में इसे अभिव्यक्त किया गया है। हम विभिन्न प्रस्ताव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके द्वारा हम अधिकतम संभव मांगों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन यह समस्या गंभीर है और इसे माननीय सदस्य भी स्वीकार करेंगे, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि देश में 23 लाख पूर्व सैनिक हैं और हर वर्ष इसमें 55,000 की वृद्धि हो जाती है। अत:, जो भी हमें करना है, वह करना है ताकि फैसला हो, इसे क्रियान्वित किया जाये और सरकार के लिये इसे संपूर्णता में लागू करना संभव हो सके।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत विस्तृत उत्तर है। नये मूल प्रश्न से इसका कुछ भी लेना-देना नहीं है। आप एक ही चीज पूछे जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हां, सभी माननीय सदस्यों ने पूछा है कि इसे कब प्रस्तुत किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि यह प्रश्न कितने दिनों से लंबित है अब तक जो कमेटी बनी है और उनकी जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर और कोई कमेटी नहीं बनेगी, यह अंतिम निर्णय कब तक ले लेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह वही प्रश्न है। मैं एक ही प्रश्न पूछ सकता हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी: मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि किसी अन्य समिति की नियुक्ति की कोई संभावना नहीं है क्योंकि मैं रक्षा मंत्री हूं। मैं मंत्रियों के समूह का अध्यक्ष हूं और मुझे उम्मीद है कि हम इसे लागू कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय: यह इस बात पर निर्भर करता है कि रक्षा मंत्री कौन है!

ओएनजीसी द्वारा तेल क्षेत्रों का विकास

***163. डा. अरूण कुमार शर्मा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में असम सहित, तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिए ओंएनजीसी की निवेश योजना क्या है;

(ख) इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है तथा केवल ओएनजीसी द्वारा विकसित किए जाने वाले क्षेत्रों और विदेशी कंपनियों के माध्यम से अन्वेषित एवं विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल क्षेत्रों के विकास तथा अन्वेषण में विदेशी कंपनियों को शामिल करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या विदेशी कंपनियों को इस प्रकार से शामिल करने से होने वाले लाभ अथवा हानि का कोई तुलनात्मक आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) असम में क्षेत्रों सहित तेल क्षेत्रों का विकास करने के लिए ओएनजीसी के पास वर्ष 2005-06 के दौरान 1470.73 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है।

(ख) 15 मुख्य तेल क्षेत्रों के संबंध में स्थिति अनुबंध में दी गई है। अन्य 39 क्षेत्रों के लिए आईओआर/ईओआर योजनाओं पर ओएनजीसी द्वारा विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा नए क्षेत्र नामत: जी-1, जीएस-15, डी-1, वसई-पूर्व, वसई पश्चिम (एसबी-11) और लेपलिनगांव का विकास किया जा रहा है।

ओएनजीसी ने अब तक अपने क्षेत्रों का विकास के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ ठेका नहीं किया है, तथापि 19 अपतटीय सीमांत क्षेत्र सेवा ठेकों के माध्यम से विकास के लिए ओएनजीसी के विचाराधीन है जिनके लिए ओएनजीसी ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की हैं।

(ग) अन्वेषण के लिए विदेशी और घरेलू कंपनियों को लगाने के मुख्य कारण हैं- (1) गैर-अन्वेषित/कम अन्वेषित तलछटीय क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करना जो देश के कुल तलछटीय क्षेत्र के दो-तिहाई हैं (2) अन्वेषण जोखिम फैलाना (3) अन्वेषण में जोखिम पूंजी आकर्षित करना (4) हाइड्रोकार्बनों की खोज करने के लिए आवश्यक नए भूगर्भीय विचार और प्रौद्योगिकियां लाना।

खोजे गए क्षेत्रों के विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के संबंध में ये क्षेत्र 1992-93 में प्रस्तावित किए गए थे, मुख्य कारण थे- (1) ओएनजीसी/ओआईएल के पास विदेशी मुद्रा और वित्तीय संसाधनों की कमी, और (2) क्षेत्रों, विशेष रूप से सीमांत क्षेत्रों का विकास करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां। तथापि, 1999 में सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह ओएनजीसी/ओआईएल द्वारा किन्हीं खोजे गए क्षेत्रों को निजी/संयुक्त उद्यम व्यवस्थाओं के अंतर्गत विकास के लिए प्रस्तावित नहीं करेगी। तथापि, ओएनजीसी/ओआईएल वाणिज्यिक आधार पर विकास के लिए किसी क्षेत्र का प्रस्ताव करने के लिए स्वतंत्र थे, यदि वे ऐसा निर्णय लेते।

(घ) और (ङ) सरकार ने अन्वेषण ब्लाकों और एक मुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रणाली के बाद खोजे गए क्षेत्रों के विकास के लिए ठेकों पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार को सर्वोत्तम निबंधनों का प्रस्ताव करने वाली कंपनियों को ठेके प्रदान किए गए।

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के कार्यान्वयन के बाद अन्वेषण क्षेत्र भी मुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। विदेशी कंपनियों और तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित निजी कंपनियों पर वही निबंधन और शर्तें लागू होती हैं। बोलियों का संयुक्त बोली मूल्यांकन मानदंड के आधार पर विश्लेषण किया जाता है और सर्वोत्तम निबंधन प्रदान करने वाली कंपनियों को ब्लाक प्रदान किए जाते हैं।

अन्वेषण और उत्पादन कार्य (1) नामांकन, और (2) उत्पादन हिस्सेदारी प्रणाली के संबंध में दो पूरी तरह से निम्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत किए जाते हैं, इसलिए इन दो प्रणालियों के बीच समान तुलना अनुमानात्मक होगी। तथापि, जहां तक उत्पादन हिस्सेदारी ठेका व्यवस्थाओं का संबंध है, ऊपर वर्णित सभी ठेके तुलनात्मक बोली विश्लेषण के आधार पर प्रदान किए जाते हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार को किसी भी ब्लाक के लिए सर्वोत्तम निबंधन मिले।

विदेशी या भारतीय निजी कंपनियों को शामिल करने के द्वारा उद्भूत होने वाले कुछ मुख्य लाभ नीचे संक्षेप में दिए गए हैं:

(1) नए भूवैज्ञानिक माडल/संकल्पनाएं लाना जिससे राजस्थान के बाड़मेर जिले, कृष्णा गोदावरी गहन जल और उड़ीसा के तट से परे उत्तर पूर्व तट अपतट में पहली बार खोजें हुईं।

(2) संयुक्त उद्यम/निजी व्यवस्था के अंतर्गत विकास के लिए दिए गए क्षेत्रों में उत्पादन स्तरों में वृद्धि करना।

(3) हमारी उन राष्ट्रीय तेल कंपनियों को लाभ पहुंचाना, जो निजी/विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हुए न केवल पुरानी वित्त और प्रौद्योगिकी, बल्कि समस्याओं के नए समाधान खोजने के लिए निजी/विदेशी कंपनियों के अनुभव/ज्ञान और प्रबंधन कार्य बांट सकती हैं।

अनुबंध

15 मुख्य क्षेत्रों का निवेश और स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	निवेश (करोड़ रु.)	निविष्ट	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	एमएचएनएल-3	2929.4	पीएलटीएफ: 4, उत्पादक: 63, अंत: क्षेपक: 10, साइड ट्रेक्स: 10 डब्ल्यूआई परिवर्तन: 19	कार्यान्वयनाधीन
2.	एमएचएसएल-3	5255.97	पीएलटीएफ: 17, उत्पादक: 133, अंत: क्षेपक: 7, साइड ट्रेक्स 4, डब्ल्यूआई परिवर्तन: 32	कार्यान्वयनाधीन
3.	नीलम	347.69	13 नए कूप 7 साइडट्रेक्स	पूर्ण किया गया
4.	हीरा भाग-1	309.08	8 उत्पादक 3 अंत:क्षेपक	पूर्ण किया गया
5.	हीरा भाग-2	569.07	8 उत्पादक 1 अंत:क्षेपक 3 गैस उत्पादक	अनुमोदित किया गया
6.	गंधार	476.35	55 कूप और सतह सुविधाएं	कूपों का वेधन पूरा किया गया।
7.	कलोल	99.67	ओपी: 32 डब्ल्यूआई: 6	कार्यान्वयनाधीन
8.	सानन्द	30.3	ओपी: 11 डब्ल्यूआई: 3	समस्त स्थानों का वेधन किया गया
9.	संथाल आईओआर	38.85	आईओआर: 23 कूप	समस्त स्थानों का वेधन किया गया

1	2	3	4	5
10.	संथाल ईओआर	374.5	वायु अंत: क्षेपक: 2.9 एमएमएनएम 3/डी	ईओआर का वाणिज्यीकरण किया गया
11.	उत्तरी कादी (चरण 1)	62.86	33 इनफिल कूप	समस्त स्थानों का वेधन किया गया
12.	उत्तर कादी (चरण 2)	32.22	21 इनफिल कूप	19 कूपों का वेधन किया गया
13.	सोभासन परिसर	71.92	28 इनफिल कूप	समस्त स्थानों का वेधन किया गया
14.	जोताना	53.24	25 (22पी+3डब्ल्यूआई) कूप	24 कूपों का वेधन किया गया
15.	बलोल	158.04	वायु: अंत:क्षेपक 1.1 एमएमएनएम 3/डी	ईओआर का वाणिज्यीकरण किया गया
16.	लाकवा-लखमनी	345.1	36 नए कूप/15 एस/टी और उप, 18-जेड/टी, 21 डब्ल्यूआई में परिवर्तन	कार्यान्वयनाधीन
17.	रुद्रसागर	113.9	19-नए कूप, 7 एस/टी	कार्यान्वयनाधीन
18.	जेलेकी	390.09	72-नए कूप, 16 जेड/टी, 11 डब्ल्यूआई में परिवर्तन, 12 एनएफ कूपों से दबाव के बाद उत्पादन किया जाना है	कार्यान्वयनाधीन

डा. अरुण कुमार शर्मा: माननीय मंत्री के उत्तर से यह तर्कपूर्ण ढंग से स्थापित नहीं हो सका तेल क्षेत्रों के अन्वेषण और विकास के लिये हमारे देश को विदेशी कंपनियों से सहायता लेनी पड़ती है जबकि ओएनजीसी और आयल इंडिया समेत हमारी घरेलू कंपनियां पूरी तरह सक्षम हैं।

महोदय, माननीय मंत्री ने एक या दो कारण बताये हैं कि खोजे गये क्षेत्रों के विकास हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए 1992-93 में इन क्षेत्रों की पेशकश की गई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर में है। आपको उत्तर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

डा. अरुण कुमार शर्मा: ओएनजीसी के पास विदेशी मुद्रा और वित्तीय संसाधनों का अभाव इसका कारण है। 1992-93 में यही स्थिति थी। लेकिन आज हमारी तेल कंपनियां पूरी तरह साधन सम्पन्न हैं, उन्हें पूरी विशेषज्ञता प्राप्त है और विदेशी कंपनियां उनकी सेवायें ले रही हैं अब प्रश्न हैं: इसके पीछे का अर्थशास्त्र क्या है? उपयोगिता क्या है। विदेशी कंपनियों की सेवाओं का उपयोग करते समय उनका अर्थशास्त्र क्या होता है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें जवाब देने दीजिए, हम सबकी इसमें रुचि है।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा: उत्तर विश्वसनीय नहीं है। विशेष रूप में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: जब हमारी घरेलू कंपनियां सक्षम हैं, तो हम अब भी विदेशी कंपनियों को क्यों शामिल कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा, चौथी बार आपने वही चीज पूछी है।

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं माननीय सदस्यों का ध्यान तेल और गैस समेत सभी हाइड्रोकार्बनों की बढ़ रही घरेलू आवश्यकताओं में हो रही भारी वृद्धि और जीडीपी की दर 6 से बढ़कर 7 होने के कारण इसमें होने वाली और अधिक वृद्धि की ओर दिलाता हूं।

इन परिस्थितियों में जहां हम तेल संबंधी अपनी 76 प्रतिशत जरूरतें पहले से ही आयात कर रहे हैं और अगले 20 वर्षों तक भी गैस संबंधी अपनी 50 प्रतिशत जरूरतें आयात से पूरी किये जाने की संभावना है, माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि हमारी घरेलू तेल कंपनियां इस संबंध में कितना भी बढ़िया प्रयास करें तब भी हमेशा कुछ और करने की गुंजाइश रहेगी।

यह हमारी तेल कंपनियों की योग्यता की आलोचना नहीं है, बल्कि यह उन कंपनियों के लिए प्रशंसा की बात है कि विदेशी कंपनियां पेट्रोलियम क्षेत्र में उनसे सहयोग करना चाहती हैं। विगत कुछ वर्षों से इसका लाभ हमारे लिए इस बात का प्रमाण हैं जिसमें हमने पाया है कि बहुत से संयुक्त उद्यमों से उत्तम परिणाम निकले हैं, उदाहरण के लिए, राजस्थान में स्थलीय क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में अपतटीय क्षेत्र में ऐसे परिणाम प्राप्त हुए हैं। हमारी इच्छा यह है कि हमारे माननीय सदस्य के गृह-राज्य में भी हम असम और उत्तर पूर्व में इससे सटे राज्यों में क्षमता का अधिकतम प्रयोग करेंगे जिससे कि हमें वहां के स्थानीय लोगों के साथ-साथ समूचे भारत को लाभ दिलाने हेतु यथा संभव प्रयास करना चाहिए। इन विदेशी कंपनियों से अतिरिक्त पूंजी प्राप्त होती है। इनसे प्रौद्योगिकी प्राप्त होती है। इनसे अतिरिक्त प्रबन्धकीय अनुभव भी मिलता है। हमारे पास अनुसंधान और विकास का विशाल भंडार है। जिससे विदेशी कंपनियां लाभ उठा सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास वित्तीय संसाधन और प्रौद्योगिकी नहीं हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारे पास प्रबंधकीय अनुभव नहीं है। इसका यह अर्थ भी नहीं है कि हमारे पास अनुसंधान और विकास संबंधी सुविधाएं नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास देश के लाभ के लिए जो कुछ है और उनके पास हमारे देश के लाभ के लिए जो कुछ भी है उसे एक साथ जोड़ना चाहते हैं। हम यहां आने वाली विदेशी कंपनियों की सभी तरह की क्षमताओं और हमारे देश की कंपनियों की मौजूदा क्षमताओं के साथ तालमेल बैठाना चाहते हैं जो भविष्य का पथ निर्माण करेगी। हमारे आर्थिक विकास का भविष्य हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता पर पूरी तरह टिका हुआ है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न असम में तेल क्षेत्रों के बारे में है। ओएनजीसी की पहली इकाई असम में थी। असम ही पहला राज्य था जहां सैकड़ों वर्ष पूर्व तेल पाया गया और इसका उत्पादन हुआ। आज, असम में यह आम धारणा है कि ओएनजीसी असम के क्षेत्रों से धीरे-धीरे काम बन्द करने की योजना बना रहा है क्योंकि यह दूसरी जगहों पर, मुख्यत: तटीय क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

मैं यह जानना चहता-हूं कि क्या यह सच है कि ओएनजीसी असम से धीरे-धीरे अपना कार्य समेट रहा है। यदि नहीं, तो मंत्रालय द्वारा असम में तेल क्षेत्र में खोज और अन्य उत्पादन संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्या विशेष कार्य योजना बनाई गई है?

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं इस जानकारी को उपलब्ध कराने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं। मैं ऐसा नहीं समझता कि असम में ऐसी कोई आम धारणा है कि ओएनजीसी वहां से काम समेटने का प्रयास कर रहा है। लेकिन, मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे राजनैतिक दल हैं जो जानबूझकर इस अफवाह को फैला रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इस तरह की अफवाह को दूर करने का यह एक अवसर है।

मैं उन्नत तेल प्राप्ति योजना (इन्प्रूव्ड आयल रिकवरी स्कीम) पर चर्चा शुरू कर रहा हूं। लकवा-लखमणि में हमारी एक उन्नत तेल प्राप्ति योजना वर्ष 2001 में अनुमोदित की गई थी जिसकी लागत 345 करोड़ रुपये थी। इसे मार्च, 2007 तक पूरा किया जाना है। हमें उस उन्नत तेल प्राप्ति योजना से छ: मिलियन टन तेल और 0.95 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त होने की आशा है। हमें, गेलेकी में 390 करोड़ रुपये के निवेश से 4 मिलियन टन तेल तथा लगभग एक बिलियन क्यूबिक मीटर गैस मिलने की उम्मीद है रूद्रसागर से हमें इस वर्ष जल्द ही 113 करोड़ रुपये की लागत से 1.38 मिलियन टन तेल और लगभग 0.16 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त करने की आशा है। लकवा-लखमणि परियोजना में 143.91 करोड़ रुपये गेलेकी में 269.01 करोड़ रुपये तथा रूद्रसागर में 72.70 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

असम में हमारा संचित निवेश 8667.93 करोड़ रु. है जो कम नहीं है। गत तीन वर्षों में वर्ष 2002-03 में हमने 520.20 करोड़ रु., 2003-04 में 755.82 करोड़ रु., और अभी समाप्त हुए वर्ष में 598.45 करोड़ रु. निवेश किए है। महोदय हमारे पास असम में किए गए क्षेत्रवार निवेश के भी आंकड़े हैं। अब तक स्थायी परिसंपत्तियों पर 2851.86 करोड़ रु., चल रहे पूंजीगत कार्यों में लगभग 54 करोड़ रु., सर्वेक्षणों पर 491.39 करोड़ रु., अन्वेषण कार्यों पर 1571.04 करोड़ रु., विकास कार्यों सहित उत्पादन सम्पत्ति में 3101.98 करोड़ रु., कुंए जिनका विकास कार्य चल रहा है, उन पर 86.13 करोड़ रु., माल के स्टाक पर 500 करोड़ रु., और आपूर्तिकर्त्ताओं को दिए गए अग्रिमों पर लगभग 13 करोड़ का संचित निवेश किया गया है। माननीय सदस्य इस सभा में हमसे वहां से हटने की शिकायत क्यों कर रहे हैं। जबकि हमारी यही इच्छा है कि हम वहां और अधिक निवेश करें? इन विदेशी कंपनियों को हम ही लाएं हैं। अब तक उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में 6.73 मिलियन डालर निवेश करके हमारी सहायता की है और उनकी प्रतिबद्धता 26.21 मिलियन डालर की है। क्या आपको इस पैसे की आवश्यकता नहीं है? यही हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी: माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 15 मुख्य तेल क्षेत्रों की स्थिति अनुबन्ध-एक में दी गई है। 39 अन्य क्षेत्रों के लिए आईओआर/ईओआर योजनाएं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि ये कौन से क्षेत्र हैं। मेरे जिले कच्छ में और विशेषकर सर क्रीक क्षेत्र में अन्वेषण कार्य की प्रचुर सम्भावना है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन 39 क्षेत्रों में यह क्षेत्र भी शामिल किया गया है या नहीं।

डा. वल्लभभाई कथीरिया: महोदय, मैं स्वयं को इस प्रश्न से सम्बद्ध करता हूं।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: महोदय, मैं स्वयं को इस प्रश्न से सम्बद्ध करता हूं।

श्री हरिन पाठक: महोदय, मैं भी स्वयं को इस प्रश्न से सम्बद्ध करता हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने इनका वर्गीकरण चार क्षेत्रों में किया है—मुम्बई क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा मत कीजिए। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। ऐसे प्रश्न पर चर्चा के दौरान आप ऐसा नहीं कर सकते।

श्री मणि शंकर अय्यर: पहला प्रश्न पूछने वाले माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह बताया चाहता हूं कि पूर्वी क्षेत्र में छ: तेल क्षेत्र हैं। पश्चिमी क्षेत्र, जिसके संबंध में प्रश्न पूछा गया है तेल क्षेत्रों की संख्या चार से बीस हो गई है। अत: अहमदाबाद परिसम्पत्ति में अहमदाबाद से लेकर गठमिज, झलोदा, लिम्बोदरा, नन्देज, नवागाम, एस. खादी, विराज, वादू-वलियाड, वसना तक 17 विभिन्न तेल क्षेत्र होंगे। अंकलेश्वर परिसम्पत्ति में कथना, अंकलेश्वर, नदा और एस.डब्ल्यू. मोतवान क्षेत्र होंगे। मेहसाणा परिसम्पत्ति में बनराजी, लिन्च और नन्दसन होंगे।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, मैंने कच्छ और सर क्रीक क्षेत्र के बारे में पूछा है।

श्री मणि शंकर अय्यर: इससे यह प्रतीत हो सकता है कि पहचान किए गए वर्तमान तेल क्षेत्रों में कच्छ को शामिल नहीं किया गया है परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि तेल क्षेत्रों की पहचान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने इस समय विकास के लिए 39 तेल क्षेत्रों की पहचान की है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र की बहुलता है। इसमें कच्छ क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है परन्तु तेल और प्राकृतिक गैस निगम जिस शब्द का उपयोग करता है राजस्व प्राधिकारी उस शब्द का उपयोग नहीं करते। अत: मुझे देखना पड़ेगा कि क्या कच्छ जिला अहमदाबाद परिसम्पत्ति के अंतर्गत में आता है अथवा किसी अन्य के अंतर्गत, हमें यह पता करना होना और फिर मैं आपको बता पाऊंगा।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि अधिकतर क्षेत्रों की पहचान पश्चिमी क्षेत्र में की गई है। एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत पहले ही पांचवां चरण पूरा होने वाला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विशेषकर पश्चिम बंगाल और उसके आस-पास कोई अन्वेषण कार्य प्रतीक्षित है। मैं माननीय मंत्री का अति आभारी होऊंगा यदि वे बताएंगे कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में तटीय क्षेत्र और अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषण की क्या सम्भावना है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद, न केवल आप बल्कि हम सब आभारी होंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल तट पर, हम इतने भाग्यशाली नहीं रहे। मेरा मानना है कि कोल-बैड मीथेन प्राप्त करने के प्रयास पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए जिसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आसनसोल में पहली बार उत्पादन होने जा रहा है। परन्तु, अपतटीय संभावनाएं भी अचानक बहुत बढ़ गई हैं। ओ.एन.जी.सी. का एक ड्रिल शिप, पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अपतट पर आ गया है, यह एक ऐसा अपतटीय क्षेत्र है जो कि भारतीय संघ का है न कि पश्चिम बंगाल राज्य का। यद्यपि, हम इसे इधर-उधर से जा सकते हैं, किन्तु हम भूगोल में परिवर्तन नहीं कर सकते- वह भूगोल जिस क्षेत्र के ब्लाक एनईसी 26 में तेल का पता लगाया गया है जिसे रूस की सहायता से निकाला जा रहा है। इसमें भी बहुत अधिक संभावना है। हमारी समस्या तेल कुंए को स्थापित करने की है। हमने इस संबंध में कार्य किया है। मुझे आशा है कि ओएनजीसी के पहले से ही सुन्दरबन अपतट में कार्यरत तेल कुंए के अतिरिक्त, वहां पर स्थित रूसी कंपनी की सहायता के लिए हमारे पास शीघ्र ही एक और तेल कुंआं होगा। मुझे विश्वास है कि हाइड्रोकार्बन के इतिहास में पश्चिम बंगाल के लिए वर्ष 2005-2006 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होगा।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

मोहम्मद सलीम: इस संबंध में किए गए अच्छे कार्यों और पश्चिम बंगाल में अपतटीय तेल संभावनाओं के संबंध में आशा की एक किरण देने के लिए मैं मंत्री मंहोदय और राष्ट्र को शुभ

कामनाएं देता हूं। पूर्वोत्तर तट पर के.जी. बेसिन, उड़ीसा में तेल की सफल खोज और विकास कार्यों के साथ ही साथ, जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है, अपतटों पर तेल का पता लगाने की बेहतर संभावनाएं हैं। यह अलग बात है कि वह क्षेत्र हमारे राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है अथवा राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत। मेरे दो पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न से जुड़े हुए हैं। श्री शर्मा का प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने अब तक कोई लागत प्रभावी विश्लेषण किया है ताकि पहले से ही पता लगाए गए तेल कुओं के विकास में विदेशी पूंजी अथवा कंपनियों को शामिल, आमंत्रित अथवा उनके साथ सहयोग किया जा सके क्योंकि यह 90 के दशक का प्रारंभिक समय नहीं है। लागत प्रभावी विश्लेषण संबंधी प्रश्न अनुत्तरित रह गया है।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, पहले से पता लगाए गए तेल कुंओं में स्वत: अथवा आगे और निवेश के बिना अथवा आगे और दिमाग और तकनीक का इस्तेमाल किए बिना वास्तविक उत्पादन आरंभ नहीं होता। पता लगाया गया तेल क्षेत्र इस बात का एक अच्छा संकेत है कि उस तेल क्षेत्र में तेल का उत्पादन शुरू करने के लिए आगे कितने निवेश, प्रौद्योगिकी, प्रबंधकीय अनुभव की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए हम एक सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जिसका आधार यह अनुभव रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं का प्रयोग करके अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं में वृद्धि करना लाभदायक होता है। हम निश्चित रूप से किसी ऐसे सहयोग की अनुमति नहीं देंगे जो कि हमारे देश के लिए अलाभकारी हो। कृपया स्मरण रखिए कि जितने भी तेल का पता लगाया जाता है उसकी बिक्री केवल हमारे देश में ही की जाती है जितनी भी गैस का पता लगाया जाता है उसकी बिक्री भी केवल हमारे देश में ही की जाती है, इस प्रकार के सहयोग से जो भी उत्पादन होता है उससे केवल हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि ही होती है, इससे किसी और को कोई लाभ नहीं हो सकता। अत: लागत प्रभावी अध्ययन यह दर्शाता है कि यह हमारे लिए लाभप्रद है। यदि हम अपने विदेशी मित्रों के साथ सहयोग करना बंद कर देते हैं तो इससे अत्यधिक लागत-हानि होगी।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि आपके प्रशंसक श्री रूपचंद पाल कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं, अत: मैं उड़ीसा के सदस्यों को आमंत्रित कर रहा हूं। श्री ब्रह्मानन्द पंडा।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा: महोदय, ऐसी रिपोर्ट मिली है कि आयल इंडिया ने महानदी बेसिन तट पर तेल की खोज की थी। मैं माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि महानदी बेसिन और उड़ीसा के अपतटों पर तेल और गैस क्षेत्रों का विकास करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर: मुझे खेद है कि मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने तक, सेबी के नियमों के अंतर्गत मैं इस बात पर कोई अटकलबाजी नहीं कर सकता। परन्तु इस देश के नागरिक होने के नाते और इस आशा के साथ कि सेबी के अध्यक्ष मेरी बात का गलत अर्थ नहीं लगाएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा यह मानना है कि महानदी बेसिन अपतट क्षेत्र में पर्याप्त मत्रा में गैस के भंडार मौजूद हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सेबी नियमों का उल्लंघन किए बिना हम कोई घोषणा करने में सफल होंगे। यह पहले से ही खोजे गए तेल क्षेत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी घोषणा करेंगे और तत्पश्चात् खोज के पश्चात् उत्पादन हेतु आवश्यक उपाय करने पर हम ध्यान केन्द्रित करेंगे। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग, पश्चिम बंगाल अपतट और महानदी अपतट पर हमें गैस के भंडार मिलने की आशा है।

श्री विक्रम केशरी देव: अध्यक्ष महोदय, रिलायन्स उद्योग ने पहले ही वहां गैस की खोज कर ली है। परन्तु इस दौरान, ओएनजीसी ने उड़ीसा में अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है, परन्तु मैं आपकी टिप्पणी को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल करने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, महानदी बेसिन अपतट में गतिविधियां बंद नहीं की गई हैं और समुद्र में प्रवेश करने के पश्चात् आप भारतीय संघ क्षेत्र में होते हैं न कि उड़ीसा राज्य के क्षेत्र में। परंतु तब भी मैं अपनी बात जारी रखता हूं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। हमने पश्चिम बंगाल अपतट, उड़ीसा अपतट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु अपतट पर पर्याप्त मात्रा में गैस का पता लगाया है। हमने म्यांमार अपतट पर भी गैस का पता लगाया है और अंडमान और निकोबार में भी हमें एक बड़ी खोज की आशा है।

महोदय, ये सभी खोज यह दर्शाती है कि 21वीं शदी के पहले दशक में बंगाल की खाड़ी उत्तरी सागर वाली स्थिति में पहुंचने वाली है। बंगाल की खाड़ी में हम दक्षिण एशिया का उत्तरी सागर पाने जा रहे हैं और यह हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता कि सेबी का इससे क्या संबंध है।

श्री भर्तृहरि महताब: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न महानदी बेसिन अपतट के बारे में था और उत्तर उत्तरी तट के बारे में दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री महताब, मुझे खेद है। आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री ए.के.एस. विजयन: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विशेष रूप से मंत्री महोदय के नोडल जिले के बारे में हैं।

महोदय, मेरा यह मानना है कि नागापट्टीनम और भुवनगिरी में ओएनजीसी के तेल कुंए पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं और उत्पादन कम हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए नागापट्टीनम और भुवनगिरी तेल कुंओं का विस्तार करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम आरंभ किए जाने की कोई योजना है।

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, सभी तेल कुएं सूखे हुए हैं और नारिमन की खोज कुछ सालों पहले की गई थी और दुर्भाग्यवश इसमें से अधिकतम उत्पादन किया जा चुका है। अत: अब हम उन्नत तेल निकासी तकनीक का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे पास मौजूद तेल और गैस स्रोतों से हम कुछ और उत्पादन करने में सफल हो सकें। अत:, सामान्य क्षेत्र में आगे विकास हेतु पहचाने गए क्षेत्रों में कराइक्कल और विशेषकर अदिक्कामंगलम, कमालपुरम और पुन: कराइक्कल क्षेत्र में कोविलक्लप्पल और नन्निलम, क्षेत्र में संभवत: नारिमन्नम और थिरुवरुर क्षेत्र हैं। इनमें से बहुत से क्षेत्र माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं और उनमें से कोई भी क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं आता है। अत: पेट्रोलियम मंत्री बनने से पीछे बैठने वाला संसद सदस्य होना स्पष्ट रूप से बेहतर है।

[हिन्दी]

रेलवे की भूमि का उपयोग

*164. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न जोनों में रेलवे की भूमि का काफी बड़ा भाग खाली पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो जोन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने फालतू भूमि का वाणिज्यिक रूप से उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा फालतू भूमि का उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(च) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) रेलवे के पास 42,846 हेक्टेयर खाली भूमि पड़ी हुई है जो कि ज्यादातर रेलपथ के साथ-साथ लंबाई वाली पट्टियों के रूप में अवस्थित है। भविष्य में अधिकांशत: इसकी आवश्यकता रेलवे को अपनी परिचालनिक जरूरतों के लिए होगी। खाली रेलवे भूमि का जोन-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

रेलवे	खाली पड़ी भूमि (हेक्टेयर में)
मध्य	2479
पूर्व मध्य	4454
पूर्व तट	188
पूर्व	1518
उत्तर	2899
उत्तर मध्य	713
पूर्वोत्तर	5875
पूर्वोत्तर सीमा	3466
उत्तर पश्चिम	375
दक्षिण	2287
दक्षिण मध्य	3902
दक्षिण पूर्व	85
दक्षिण पूर्व मध्य	3260
दक्षिण पश्चिम	2854
पश्चिम	7460
पश्चिम मध्य	1031
कुल	42846

(ग) से (ङ) जी हां। रेलवे विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपनी इस खाली भूमि को तब तक उपयोग में लाती है जब तक कि उसे रेलवे के परिचालनिक कार्यों के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इस भूमि का उपयोग रेलवे संबंधी क्रियाकलापों के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस देने (उदाहरण के लिए लदान/उतराई, थोक में तेल संग्रहण इत्यादि के लिए वाणिज्यिक भूखंड) वृक्षारोपण, अधिक अन्न उपजाओ योजना, मत्स्य पालन इत्यादि के लिए किया जाता है। जहां संभावना नजर आए वहां खाली पड़े भू-खंडों का उपयोग पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए संपत्ति विकास के लिए भी किया जाता है। इस भूमि को सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को लंबे समय के लिए पट्टे पर भी दिया जाता है।

(च) चूंकि विभिन्न स्थलों (खाली पड़ी भूमि) का वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग एक निरंतर प्रक्रिया है, अतः इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी को और रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारियों को समय-समय पर और सदन में भी रेल भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में लगातार बताता रहा हूं और लोक सभा में भी प्रश्न उठाता रहा हूं। उसके संबंध में मुझे आज तक किसी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के पास बेस्ट कालोनी के सामने की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। अवैध रूप से दुकानें बना ली गईं, कार्यालय बना लिए गए। पूरी कालोनी माफियाओं के कब्जे में है। वहां कोई विधिवत् आबंटी नहीं रहता है। जब-जब रेलवे बोर्ड के अधिकारी जांच करने के लिए जाते हैं, तब-तब उन्हें बता दिया जाता है कि वहां आबंटी रह रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, कृपया शांत हो जाइये।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, आपने मुझे अवसर नहीं दिया। यह ठीक नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। आप किस प्रश्न के संबंध में पूछना चाहते हैं?

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से बता दिया था।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे व्यक्तिगत रूप से बताते हैं। यह आश्चर्यजनक है। बल्कि मैं हैरान हूं।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: अनुपूरक प्रश्न के लिए क्या किया जाए? मैंने सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा कोई अन्य अध्यक्ष नियुक्त कर लीजिये।

...(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, यह नियम तो नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि सदस्य इसी तरह बर्ताव करते रहे, तो एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर लीजिये। मैं सभा से बाहर चला जाता हूं।

...(व्यवधान)

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): महोदय, कृपया शांत हो जाइये। मैं नहीं समझता कि आपको उत्तेजित होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष जी, क्षमा करिए। माननीय सदस्य की तरफ से मैं आपसे क्षमता मांगता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग आपके गार्जियन का स्वरूप बरकरार रखेंगे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे की जो कालोनी है, जिस पर अवैध कब्जे हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री जी और विभाग के जो जवाब मिले उनके उत्तर में मैंने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया था कि जिन लोगों के अवैध कब्जे रेलवे कालोनी के आवासों पर हैं, उनके नाम मतदाता सूचियों में शामिल हैं, उनके नाम से टेलीफोन कनैक्शन हैं। फिर भी हमें जवाब दिया गया कि रेलवे इसकी जांच करा रहा है कि मतदाता सूचियों में उनके नाम कैसे शामिल किए गए और टेलीफोन कनैक्शन उनके नाम से कैसे लगाए गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बजाय अवैध रूप से कब्जा किए और अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवासों को खाली कराने के रेलवे मुझे इस

प्रकार का जवाब दे रहा है कि हम मतदाता सूचियों में उनके नाम कैसे शामिल हो गए और टेलीफोन कनैक्शन उनके नाम से कैसे लग गए, इसकी जांच करा रहे हैं।

महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जों को कब तक हटा देंगे और उसे खाली करा लेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस तरह के अनुपूरक प्रश्न पूछने की भविष्य में अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय है। आपको पता होना चाहिए कि अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछा जाता है। सभा मजाक बन कर रह गई है। यह इस देश का सर्वोच्च मंच है। लोगों ने आपको बहुत बड़ा अवसर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष जी, रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जे का मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। आपको प्रश्न पूछने का तरीका सीखना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हरेक सदस्य अध्यक्ष पर क्रोध कर रहा है। फिर आपको अध्यक्ष की जरूरत ही क्या है? आप जो चाहें करें। इस देश की जनता के सामने इस सभा को मखौल का विषय मत बनाइये। वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें।

[हिन्दी]

मजाक हो गया है।

[अनुवाद]

जी हां, मंत्री महोदय आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री आर. वेलु: महोदय, माननीय मंत्री ने प्रश्न उठाया है कि लखनऊ रेलवे स्टेशन कालोनी में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है। उन्हें भूमि पर अतिक्रमण की इजाजत क्यों दी गई और मतदाता सूचियों में उनके नाम कैसे शामिल किए गए?

महोदय, रेलवे के पास 4.23 लाख हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 0.02 लाख हेक्टेयर भूमि नामत: 2076 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और इसका अतिक्रमण 1.75 लाख लोगों ने किया है। प्रश्न सीधा यह है कि उसे खाली क्यों नहीं कराया गया। मैं इसकी जांच-पड़ताल करवाऊंगा। यदि यह अतिक्रमण का मुद्दा है तो मैं उत्तर दे सकता हूं। दूसरी बात, जहां तक मतदाता-सूचियों में उनके नाम शामिल किए जाने का प्रश्न है, यह राज्य सरकार का मामला है कि इन लोगों के नामों को मतदाता सूचियों में कैसे शामिल किया गया। यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है।

मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी है कि रेलवे की जो लैंड खाली पड़ी है, उस पर बायोडीजल का एक पौधा जैट्रोफा है, उसको उगाने के बारे में रेल मंत्रालय क्या कोई योजना बनाने पर विचार कर रहा है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, रेलवे के पास 42,846 हेक्टेयर खाली भूमि है। हम प्रयास कर रहे हैं कि इस भूमि का पूरा उपयोग किया जाए और ज्यादातर भूमि पटरियों के साथ-साथ लम्बाई में है। तब भी, हमारे पास व्यावसायिक उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध है। जैट्रोफा खेती के लिए भूमि के उपयोग के लिए इस प्रश्न को उठाने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। इस प्रकार की योजना पहले ही मौजूद है। हमने पहले ही 75 लाख वृक्ष पिछले वर्ष लगाये हैं। हम जैट्रोफा उगाने की योजना के अंतर्गत इसके 60 लाख वृक्ष और लगाने जा रहे हैं। यह वृक्षारोपण हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे जैव-डीजल के लिए उपयोग किया जाएगा। हमने पहले ही खड़गपुर में साढ़े चार लाख जैट्रोफा वृक्ष लगाए हैं। हम पुन: प्रत्येक जोन में कम-से-कम एक परियोजना की योजना बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम व्यापक स्तर पर जैट्रोफा की खेती करने जा रहे हैं, क्योंकि जैट्रोफा कृषि संबंधी राष्ट्रीय मिशन चल रहा है, और इस प्रयोजनार्थ अपनी भूमि का कुछ हिस्सा रेलवे दे रहा है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: माननीय रेल मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में जो रेलवे की खाली जगह पड़ी है, उसमें वाणिज्यिक लाइसेंस देने की बात कही है। क्या आप बताने का काष्ट करेंगे कि उत्तर मध्य रेलवे में मत्स्य पालन के लिए कहां-कहां जगह दी गई है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: हम मत्स्य पालन के लिए लाइसेंस दे रहे हैं परन्तु मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री को अलग से आंकड़े दे दूंगा।

श्रीमती मिनाती सेन: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दीर्घकालिक पट्टे के आधार पर विपणन सहकारिताओं को लाइसेंस जारी करके रेलवे भूमि पर पहले से विद्यमान बाजारों को नियमित करने के लिए सहमत होगी।

श्री आर. वेलु: निजी दलों हेतु लाइसेंसिंग 1984 में समाप्त कर दी गई थी। अब रेलवे भूमि पर विद्यमान दुकानदारों की सहकारी समितियों, यदि वे रेलवे कर्मचारियों से संबंधित हैं, को निश्चित शर्तों पर प्रायोगिक आधार पर लाइसेंस देने की नीति अपनाई गई है, यह उनके लिए नहीं है जो रेलवे से संबंधित नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बालासाहिब विखे पाटील। मेरे पास 20 नामों की सूची है। लगभग 25 माननीय सदस्य प्रत्येक प्रश्न के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि मैं उन सबको अनुमति नहीं दे सका तो कई तरह की टिप्पणियां की जाएंगी।

...(व्यवधान)

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, आप आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं तो आपको पता है इसका क्या तरीका है। केवल चिल्लाने से नहीं चलेगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अप्राधिकृत व्यक्तियों ने रेलवे की काफी भूमि पर कब्जा किया हुआ है। यह खाली पड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय बेरोजगार युवाओं को वृक्षारोपण कार्य सौंपने पर विचार करेंगे। साथ ही जो भूमि शहरों अथवा नगरों के पास है उसे कृषि बाजारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और जहां तक बाजार भूमि का संबंध हैं उसे बेरोजगार युवाओं के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

श्री आर. वेलु: जैसाकि उल्लेख किया गया था जैट्रोफा खेती स्वयं ही संयुक्त उद्यम है क्योंकि इसमें उद्यमियों की भागीदारी होती है। बेरोजगार युवा जैट्रोफा खेती के उद्यम में भागीदारी कर सकते हैं। राजस्व की हिस्सेदारी के लिए खेती आदि के सभी खर्चे उद्यमियां अथवा कृषक अथवा बेरोजगार युवाओं द्वारा उठाये जायेंगे और रेलवे और उद्यमी के बीच 50:50 आधार पर राजस्व का हिस्सा बांटा जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एलपीजी की कमी

***165. श्री बीर सिंह महतो:**
श्री एम. अंजन कुमार यादव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के कतिपय राज्यों में रसोई गैस की भारी कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैस एजेंसियां गैस सिलिंडरों के वितरण में विलंब करके बनावटी कमी पैदा कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन गैस एजेंसियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने यह सूचित किया है कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति की कोई कमी नहीं है सिवाय कतिपय क्षेत्रों से संबंधित विशेष परिस्थितियों के कारण प्रचालन के इन क्षेत्रों में कुछ अस्थायी कमियों के। उदाहरणत: केरल राज्य में परिवहनकर्त्ताओं की हड़ताल के कारण 5-8 दिनों का बकाया सूचित किया गया है। बकाये को तेजी से निपटाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मुंबई, थाणे, रायगढ़ और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र भारी वर्षा के कारण प्रभावित हुए हैं और इनमें 2 से 5 दिनों का बकाया उत्पादन हो गया है। बकाये को तेजी से निपटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और किसी अन्य आकस्मिकता के न होने पर सामान्य स्थिति शीघ्र ही बहाल होने की संभावना है। मणिपुर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास रसोई गैस की कमी, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 और 53 पर आर्थिक अवरोध लगाने के कारण सूचित की गई है जो मणिपुर के अखिल नागा विद्यार्थी संघ द्वारा 19 जून, 2005

के बाद से किया गया है। बकाया 15 से 22 दिनों के बीच है। डिस्ट्रीब्यूटरों को एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियों ने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से एलीपीजी सिलेंडरों के वितरण में विलंब करते हुए एलपीजी की कोई कृत्रिम कमी सूचित नहीं की है। डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा कृत्रिम कमी करने की शिकायतों के साबित होने पर तेल विपणन कंपनियां विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)/डीलरशिप करार के प्रावधान के अंतर्गत दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई करती हैं।

[अनुवाद]

''इथानोल'' मिश्रित पेट्रोल

*166. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथानोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या चीनी उद्योग पेट्रोल में मिश्रण हेतु इथानोल की वर्तमान आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो 'इथानोल' की आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने इथानोल मिश्रित पेट्रोल से वाहन चलाने के मानदंडों में परिवर्तन किया है;

(च) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या मंत्रालय ने कोई नई अधिसूचना जारी की है जो तेल कंपनियों को पेट्रोल में इथानोल मिलाने की अनुमति नहीं देती है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) यद्यपि, सरकार ने अधिसूचित चीनी उत्पादक राज्यों और समीपवर्ती क्षेत्रों में 1.1.2003 से अनिवार्य रूप से 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू करने की अपनी मंशा 3 सितंबर 2002 को अधिसूचित कर दी थी। तथापि, कार्यक्रम डांवाडोल तरीके से ही लागू किया जा सका क्योंकि कार्यक्रम के शुरू किए जाने के बाद से एथेनोल की आपूर्ति में विशेष रूप से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों में समस्याएं उत्पन्न कीं। इसी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल को एथेनोल की आपूर्ति के लिए भावी आपूर्तिकर्त्ताओं ने एथेनोल के बहुत उच्च मूल्य प्रस्तुत किए जिनका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र को आपूर्तियों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। इसके परिणामस्वरूप इस अधिसूचना का पालन खंडों में हो पाया।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनिवार्य एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का कार्यान्वयन एक व्यावहारिक ढंग से गंभीरता से किया जाए। सरकार ने दिनांक 27.10.2004 के सा.का.नि. 705(ङ) के तहत यह अनिवार्य प्रावधान किया कि भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल उस स्थिति में अधिसूचित क्षेत्रों में प्रोन्नत किया जाएगा और बेचा जाएगा यदि एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति के लिए स्वदेशी एथेनोल के स्रोतीकरण का मूल्य वैकल्पिक उपयोगों के लिए स्वदेशी एथेनोल के मूल्य के समान हो और यदि स्थान पर एथेनोल का सुपुर्दगी मूल्य उस स्थान पर पेट्रोल के आयात समता मूल्य के समान हो और स्वदेशी एथेनोल उद्योग ऐसे मूल्यों पर एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए एथेनोल की उपलब्धता बनाए रख सकने में समर्थ हो। जो क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, वे हैं— गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, (चित्तूर और नेल्लोर को छोड़कर सभी जिले) तमिलनाडु (केवल कोयम्बटूर, डिंडीगुल, इरोड, कन्याकुमारी, नीलगिरी, रामनाथपुरम, तिरूनेलवेली, तूतीकोरिन और विरुधनगर जिले) राज्य और चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र।

1.1.2003 से एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के शुरू हो जाने के बाद से कार्यक्रम के लिए एथेनोल की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में चीनी उद्योग आश्वासन के बावजूद तेल उद्योग द्वारा जारी की गई निविदाओं के प्रत्युत्त में चीनी उद्योग द्वारा एथेनोल की आपूर्तियां आवश्यकता के अनुरूप नहीं रही है। जबकि एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करना है, सरकार की यह चिन्ता भी है कि पहले से व्यापक अल्प वसूलियां वहन कर रही तेल विपणन कंपनियां एथेनोल खरीदने और खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से इसकी बिक्री करने के लिए इसका पेट्रोल में मिश्रण करने पर और अधिक हानियां न उठाएं। चूंकि यह कार्यक्रम कृषि क्षेत्र की सहायता करने के लिए है,

इसलिए जब तक चीनी उद्योग उचित मूल्य पर एथेनोल की आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है, तब तक तेल कंपनियां सरकार के अनुदेशों के अधीन एथेनोल का उठान करने और अधिसूचित क्षेत्रों में कार्यक्रम लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं।

तेल कंपनियों ने स्वदेशी एथेनोल के स्रोतीकरण के लिए दिनांक 27.10.2004 की गजट अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत निविदाएं जारी कीं और उन्होंने निविदा वार्ताओं की सफल समाप्ति पर उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एथेनाल की खरीद के लिए क्रय आदेश/आशय-पत्र जारी कर दिए हैं। अन्य राज्यों के लिए निविदा की प्रक्रिया सितंबर 2005 तक पूरी की जानी निर्धारित है।

(ख) से (घ) 27 अक्तूबर, 2004 की राजपत्र अधिसूचना के उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय चीनी मिल संघ (आईएसएमए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) वार्ता के अधीन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा अर्जित राजस्व

***167. श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान वाणिज्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) गत वर्ष की तुलना में आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ग) वाणिज्यिक कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्व में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या दूरदर्शन का वाणिज्यिक प्रशुल्क निजी चैनलों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2004-2005 के दौरान दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक कार्यक्रमों से अर्जित कुल राजस्व 665.27 करोड़ रुपये है।

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में आय में बढ़ोत्तरी का कुल प्रतिशत 25.47 प्रतिशत है।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक कार्यक्रमों के जरिए राजस्व को बढ़ाने के लिए संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न कदम उठाए हैं।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन का वाणिज्य प्रशुल्क निजी चैनलों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धात्मक है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वाणिज्यिक राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम:

1. कार्यक्रमों के विपणन में सुधार लाने के उद्देश्य से मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और बंगलौर में विपणन प्रभाग स्थापित किए गए हैं।
2. फिल्म और फिल्म आधारित कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की वाणिज्यिक क्षमता का पूरी तरह उपयोग करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
3. व्यापार सुनिश्चित करने के लिए और विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विकास सम्प्रेषण प्रभाग स्थापित किया गया है।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन क्षमता वाले कार्यक्रम स्लाट खाली न रहें।
5. बिलों को समय से तैयार करने के सुनिश्चयन के उद्देश्य से दिल्ली में दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा की बिल तैयार करने की प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।
6. दूरदर्शन के कार्यक्रमों और इसकी ब्रांड छवि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं के साथ समाचार-पत्र प्रचार हेतु विनिमय व्यवस्था की गयी है।

7. विभिन्न व्यावसायिक साफ्टवेयर केन्द्रों से अच्छी गुणवत्ता का साफ्टवेयर अधिप्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

8. सिगनलों के डिजिटलीकरण के साथ प्रसारण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए गए हैं और केबल आपेरटरों को अब एनालाग या डिजिटल पद्धति में सिगनलों को डाउनलोड करने का विकल्प दिया गया है।

9. वाणिज्यिक दर सूची को बाजार प्रवृत्ति के समरूप बनाने के लिए निरंतर पुनरीक्षित और संशोधित किया जा रहा है।

10. वाणिज्यिक मामलों में त्वरित निर्णय लेने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महानिदेशक, (आकाशवाणी) और महानिदेशक, (दूरदर्शन) वाली एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।

11. बहु संख्यक गैर-गंभीर एजेंसियों को हटाने के उद्देश्य से प्रत्यायित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक प्रत्याभूति की राशि को 3.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये कर दिया गया है।

12. साख अवधि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अब निर्माताओं के लिए आठ सप्ताह के प्रसारण प्रभार के बराबर बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

13. चालू कार्यक्रमों का विस्तार/नए कार्यक्रमों की स्टालिंग संतोषजनक भुगतान व्यवहार के अध्यधीन है।

14. भुगतान व्यवहार का नियमित रूप से अनुवीक्षण किया जा रहा है और प्रत्यायन का निलम्बन, कानूनी नोटिस, विवाचन आदि सहित उगाही के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है।

उठाए गए इन कदमों के निवल परिणाम को वर्ष 2004-2005 में दूरदर्शन द्वारा अर्जित 665.27 करोड़ रुपये के अब तक के उच्चतम वाणिज्यिक राजस्व के रूप में देखा जा सकता है।

माल भाड़े से अर्जित राजस्व

***168. मोहम्मद शाहिद:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल-भाड़े में वृद्धि के कारण माल-भाड़े से अर्जित राजस्व में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान अर्जित किए गए माल-भाड़े में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या राजस्व अर्जन की उक्त दर माल-भाड़े की आमदनी के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ क्षेत्रों में माल समय पर नहीं पहुंचाया जाता है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में माल ढुलाई सेवाओं में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (घ) रेल बजट 2005-06 के दौरान मालभाड़ा दरों में कोई 'प्रत्यक्ष' वृद्धि नहीं हुई है। वर्तमान वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लदान और प्रारंभिक आमदनियों में क्रमश: 13.25 प्रतिशत और 19.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रारंभिक आमदनियों में उच्चतर वृद्धि मुख्यत: उच्च दर वाले पण्यों यथा निर्यात के लिए लौह अयस्क, इस्पात संयंत्रों के लिए कच्ची सामग्री और 'अन्य विविध सामानों' में हासिल की गई उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की सुपरफास्ट के रूप में घोषणा

***169. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा सभी जोनल रेलवेज को कतिपय रेलगाड़ियों की सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के रूप में घोषणा करने के संबंध में कोई निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें यात्री टिकट पर अतिरिक्त प्रभार लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे बोर्ड को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी रेलवे ने हावड़ा स्टेशन से चलने वाली कुछ ऐसी रेलगाड़ियों की सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के रूप में घोषणा नहीं की है जिनकी गति सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के लिए निर्धारित गति से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों की सुपरफास्ट रेलगाड़ियों के रूप में घोषणा न करने के क्या कारण हैं तथा इसके फलस्वरूप राजकोष को कितने राजस्व की हानि हो रही है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। रेलवे बोर्ड ने पूरक प्रभारों की वसूली के उद्देश्य से मीटर लाइन पर न्यूनतम 45 किमी. प्रतिघंटा की औसत रफ्तार से तथा बड़ी लाइन पर न्यूनतम 55 किमी. प्रति घंटा की औसत रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों को सुपरफास्ट घोषित करने के लिए 1993 में निर्देश जारी किए थे। 1998 में रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलों को यह अधिकार दे दिया कि वे किसी भी गाड़ी को सुपरफास्ट घोषित कर सकते हैं बशर्ते कि वह गति संबंधी मानदंडों पर खरी उतरती हो।

(ग) से (ङ) जिन चार गाड़ियों अर्थात् 3015/3016 हावड़ा-बोलपुर शांतिनिकेतन एक्सप्रेस 3029/3030 हावड़ा-धनबाद कोल फील्ड एक्सप्रेस, 3317/3318 हावड़ा-धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस और 3035/3036 हावड़ा-आसनसोल अग्नि-वीणा एक्सप्रेस को पूर्व रेलवे ने सुपरफास्ट घोषित नहीं किया था, इन्हें सुपरफास्ट घोषित करने के लिए मानदंडों के तहत इनकी समीक्षा की जा रही है। चूंकि इन गाड़ियों को सुपरफास्ट घोषित नहीं किया गया है, इसलिए अधिभार की वसूली और उसके परिणामस्वरूप राजस्व के नुकसान का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। आम लोगों की यात्रा से जुड़े होने की वजह से इन गाड़ियों को सुपरफास्ट घोषित नहीं किया गया। अब रेल मंत्रालय गति के मौजूदा मानदंडों के तहत संपूर्ण मामले की समीक्षा कर रहा है।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

*170. **श्री सुव्रत बोस:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) अब तक उत्पादन में वास्तव में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर सरकार का कितनी धनराशि व्यय करने पर विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) योजना आयोग की दसवीं योजना प्रलेख में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि रिफाइनरी क्षेत्र को लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

अवधि	मात्रा मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में
2002-03	108.7
2003-04	117.6
2004-05	122.7

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन मौजूदा रिफाइनरियों के विस्तार और नई रिफाइनरियों की स्थापना के माध्यम से बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं पर 2241.2 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

अद्यतन प्रौद्योगिकी कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित करना

*171. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के अनेक आरक्षण केन्द्रों में स्थापित कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर

प्रणालियां पुरानी प्रौद्योगिकी वाली हैं और प्राय: खराब हो जाती हैं;

(ख) क्या रेलवे का देश के सभी आरक्षण केन्द्रों पर अद्यतन प्रौद्योगिकी हार्डवेयर/साफ्टवेयर प्रणालियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावन है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) आरक्षण केन्द्रों में संस्थापित कंप्यूटर प्रणालियां नई प्रौद्योगिकी वाली हैं और सामान्यतया खराब नहीं होती हैं। यदि कभी संयोगवश प्रणाली में खराबी आ जाती है तब उसे तत्काल दूर कर दिया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विरासत स्थलों का संरक्षण और रख-रखाव

***172. श्री लक्ष्मण सेठ:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में अनेक महत्वपूर्ण विरासत स्मारक नष्ट हो रहे हैं और उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन विरासत स्मारकों के संरक्षण उनकी सुरक्षा और रख-रखाव हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अनेक महत्वपूर्ण स्मारक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तथापि, कुछ संरक्षित स्मारकों में अतिक्रमण होने की सूचना मिली है। राज्य-वार ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है।

(ग) भारीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास संरक्षित स्मारकों की सुरक्षा के लिए नियमित पहरा एवं निगरानी कर्मचारी हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, निजी सुरक्षा गार्डों तथा राज्य पुलिस कार्मिकों को लगाकर उनकी संख्या में वृद्धि की गई है। अतिक्रमणों के मामले में, भारतीय पुरातत्व सवेक्षण द्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार कानूनी उपाय शुरू किए गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों में बाड़ लगाकर उनको भौतिक संरक्षा प्रदान करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम भी शुरू किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण कार्यक्रम में, योजना और गैर-योजना के अतंर्गत, नियमित अनुरक्षण, संरचनात्मक संरक्षण, विशेष मरम्मतें, रासायनिक परिरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी विकास शामिल हैं।

[हिन्दी]

पायलटों की कमी

***173. श्री देविदास पिंगले:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन क्षेत्र में पायलटों की कोई कमी है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों में पायलटों की कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पायलटों की कमी का उड़ान कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इन एयरलाइनों में पायलटों की भर्ती हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पायलटों की भर्ती हेतु क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इस समय एअर इंडिया (एअर इंडिया एक्सप्रैस सहित) में 118 पायलटों की कमी है, जबकि इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड की अनुषंगी एलाइंस एयर में 40 पायलटों की कमी है। नागर विमानन मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पवन हंस हेलीकाप्टर्स के पास 16 कैप्टनों की कमी है।

(ग) और (घ) मौजूदा संसाधनों के अन्दर सेवाओं की नियमितता बनाए रखने के प्रयोजन से उड़ान अनुसूचियों का समायोजन किया गया है।

(ङ) से (छ) एअर इंडिया/एलाइंस एयर, समाचार-पत्रों में खुले विज्ञापनों, निश्चित अंतराल पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान

अकादमी से कैम्पस भर्ती और विदेशी भर्ती एजेंसियों के द्वारा अतिरिक्त पायलटों की रिक्तियों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने वाणिज्यिक पायलट पाइलेंस (सीपीएल) जारी करने के लिए कुल उड़ान आवश्यकता को 250 घंटे से घटाकर 200 घंटे कर दिया है। जो पायलट वाणिज्यिक उड़ान का प्रचालन कर सकते हैं, उनकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है।

[अनुवाद]

आप्टिकल फाइबर केबल बिछाना

***174. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल की पटरियों के साथ-साथ आप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख तक कितनी लंबाई की ओएफसी बिछाई और चालू की गई है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या रेलवे के लिए राजस्व अर्जित करने हेतु निजी आपरेटरों को ओएफसी नेटवर्क का प्रयोग करने की अनुमति दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस समय किन-किन स्टेशनों पर 'इंटरनेट कैफे' सुविधा उपलब्ध है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस सुविधा का विस्तार करके अन्य स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) जून, 2005 तक रेलपथों के 27166 मार्ग किलोमीटर पर आप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। इसमें 23063 मार्ग किलोमीटर आप्टिकल फाइबर केबल को प्रकाशमान/शुरू कर दिया गया है।

(ग) आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की औसत लागत इलेक्ट्रानिक्स एवं अन्य उपकरणों की लागत के अलावा 1.60 लाख रुपये से लेकर 2.00 लाख रुपये प्रति किलोमीटर पड़ती है। चूंकि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिछाई गई तथा शुरू की गई आप्टिकल फाइबर केबल की कुल लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अर्थात् भारतीय रेलटैल निगम लिमिटेड आपरेटरों को आप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का इस्तेमाल करने की अनुमति देकर राजस्व अर्जित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में रेलटैल की कुल आमदनी नीचे लिखे अनुसार है:

वर्ष	करोड़ रुपयों में
2002-03	9.50
2003-04	25.95
2004-05	65.34

(च) इस समय इंटरनेट कैफे सुविधा केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 12 पर उपलब्ध कराई गई है।

(छ) जी, हां।

(ज) साइबर कैफों की स्थापना के लिए रेलों ने योजना बनाई है और इसके लिए प्रारंभ में 82 स्टेशनों की पहचान की गई है।

[हिन्दी]

रक्षा खरीद में घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता

***175. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा खरीद के संबंध में घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अनेक संगठनों से प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) यद्यपि, सरकार की नीति स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने, विशेषकर रक्षा के

क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की है, तथापि सशस्त्र सेनाओं की रक्षा उपस्कर, हथियार तथा गोलाबारूद संबंधी जरूरतों को क्रमश: भण्डार-व्यय संबंधी पूंजी शीर्ष तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत रक्षा मदों की अधिप्राप्ति को नियंत्रित करने वाली रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया-2005 (पूंजीगत अधिप्राप्तियां) तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल-2005 (राजस्व अधिप्राप्तियां) में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सृजित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने तथा आर्डर बुकिंग के माध्यम से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से, अन्य बातें समान होने पर, जहां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा उद्धृत मूल्य किसी निविदा के न्यूनतम वैध बोली मूल्य (एल-1) के 10 प्रतिशत के भीतर है तो वहां भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) के दिनांक 26 अक्तूबर, 2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीपीई/13(12)/2003-वित्त की शर्तों के अनुसार 5 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक के नोटिस आंमत्रण निविदाओं के लिए सरकारी विभागों/संगठनों/अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एल-1 दरों पर क्रमय अभिमानता प्रदान की जानी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी दिनांक 30 जून, 2005 की पीआईबी प्रेस रिलीज के अंतर्गत कतिपय संशोधनों/शर्तों के साथ हाल ही में व्यवस्था को 31 मार्च, 2005 से आगे बढ़ा दिया गया है।

उद्योग संघों ने, रक्षा उत्पादन में स्थानीय उद्योगों विशेषकर निजी क्षेत्र, की वृहत्तर भूमिका, के लिए अनुरोध किया था। मई, 2001 में रक्षा उद्योग क्षेत्र को 26 प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के साथ भारतीय निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए 100 प्रतिशत तक खोल दिया गया था परंतु ये दोनों लाइसेंस के अध्यधीन हैं।

विमान किराए पर लेना

*176. श्री काशीराम राणा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों को किराए पर विमान लेने की अनुमति देने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों द्वारा कितने विमान किराए पर लिए गए;

(ग) क्या विमानों को किराए पर लेने के संबंध में कोई लागत-लाभ विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों को उनकी प्रचालनात्मक आवश्यकताओं तथा वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार, विमानों को किराए पर लेने की अनुमति दी जाती है।

(ख) एअर इंडिया (एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड सहित) तथा इंडियन एयरलाइंस (एलायंस एयर सहित) ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पट्टे पर क्रमश: 18 और 16 विमान लिए हैं।

(ग) और (घ) विमान को पट्टे पर लेने के प्रस्ताव विधिवत रूप से लागत लाभ विश्लेषण द्वारा समर्थित होता है जिसमें प्रचलित निवेश लागत तथा प्रचलित उपलब्धि पर राजस्व पर पट्टा किराया तथा अन्य संबंधित लागतों पर विचार करते हुए प्रचालनरत पट्टा वाले किराए से अनुमानित ब्रेक इवन सीट फैक्टर की जानकारी रहती है।

[अनुवाद]

लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन

*177. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार और अधिक घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु राजस्थान क्षेत्र में चल रही रेलगाड़ियों की तर्ज पर कुछ दक्षिणी राज्यों में लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन (पैलेस आन व्हील्स) चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रेलगाड़ियां कब तक चलाए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अन्य राज्यों में ऐसी लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन चलाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और ऐसी रेलगाड़ियां कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक क्षेत्र में लक्जरी टूरिस्ट ट्रेन चलाने के संबंध में भारतीय

रेल और कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम (केएसटीडीसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) यह गाड़ी कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम (केएसटीटीसी) द्वारा चलाई जानी है। उनके द्वारा इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अश्लील विज्ञापनों के संबंध में शिकायतें

***178. श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टेलीविजन पर अश्लील वाणिज्यिक विज्ञापन दिखाए जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं जिनसे भारतीय मूल्यों और परम्पराओं को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे विज्ञापनों को स्वीकृति देने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसे विज्ञापन का आगे प्रसारण रोकने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) जी, हां। टेलीविजन पर अश्लील वाणिज्यिक विज्ञापनों के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। टेलीविजन चैनलों पर कार्यक्रमों को प्रसारण से पहले सेंसर नहीं किया जाता है और सरकार टेलीविजन पर किसी विज्ञापन को अनुमति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं करती है। केबल नेटवर्क के जरिए सभी उपग्रह टी वी चैनलों पर प्रसारित/पुन: प्रसारित विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है। संहिता के उल्लंघनों पर किसी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। केन्द्र सरकार ने विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। यह समिति स्वत: अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संहिता के उल्लंघनों के मामलों की जांच करती है। संहिताओं का उल्लंघन करने से संबंधित आपत्तिजनक विज्ञापनों का प्रसारण करने वाले टीवी चैनलों को पहले तो कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं और उपयुक्त मामलों में नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाती है।

जहां तक दूरदर्शन पर विज्ञापनों के प्रसारण का संबंध है, ये वाणिज्यिक विज्ञापन हेतु दूरदर्शन संहिता के प्रावधान द्वारा अभिशासित होते हैं, जिसमें अन्य के साथ-साथ, अश्लील विज्ञापन निषिद्ध हैं। सभी विज्ञापनों के संहिता के अनुरूप होने को सुनिश्चित करने के लिए दूरदर्शन द्वारा उनका पूर्वावलोकन किया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण व्यापार केन्द्र

***179. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण व्यापार केन्द्र स्थापित करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है जैसाकि 26 जून, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण व्यापार केन्द्रों को विकसित करने हेतु कौन-कौन से राज्यों की पहचान की गयी है;

(घ) क्या ग्रामीण व्यापार केन्द्रों की स्थापना करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। "पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन" के संबंध में मुख्य मंत्रियों तथा राज्यों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में 29-30 जून, 2004 को आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री महोदय ने अपने उद्घाटन भाषण में शहरी और ग्रामीण उद्यमों के चाइनीज माडल से सीखने की जरूरत पर बल दिया, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद का मूल्य संवर्धन करता है। इस संदर्भ में, उन्होंने स्थानीय संसाधन वृत्तिदान, स्थानीय समुदाय द्वारा महसूस की गई जरूरतों और सापेक्ष

उपयोग क्षमता के आधार पर ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना का सुझाव दिया। तद्नुसार, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना को आसान बनाने की दृष्टि से पंचायतों के लिए एक उपयुक्त फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों से परामर्श करता रहा है। नवम्बर, 2004 में, पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों पर राष्ट्रीय प्रस्तुति की गई थी जिसमें अनेक सरकारी एजेंसियों अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी, नाबार्ड सहित वित्तीय संस्थाओं और वस्त्र, हस्तशिल्प और कृषि व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं ने हिस्सा लिया। उद्योग जगत के लगभग 250 प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों, ब्लाक पंचायतों और जिला पंचायतों के लगभग 1000 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना करने की दृष्टि से सार्वजनिक-निजी-पंचायत भागीदारी को सुगम बनाने के लिए अब मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ, पंचायती राज मंत्री और भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष, श्री एस.के. मुंजाल की सह-अध्यक्षता में एक ग्रामीण व्यावसायिक परिषद की स्थापना की गई है। इस परिषद् की पहली बैठक 29 जुलाई, 2005 को हुई थी।

(ग) ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रारंभिक तौर पर उत्तरांचल, केरल, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम, इन दस राज्यों को अभिज्ञात किया गया है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के वित्तपोषण की परिकल्पना सार्वजनिक निजी-पंचायत भागीदारी के सिद्धांत के आधार पर एक व्यावसायिक प्रस्ताव के रूप में की जाती है, किन्तु इनका वित्तपोषण इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध सरकारी निधियों से किया जाएगा।

(च) पंचायती राज मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है कि ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र से जल्द कार्य करना शुरू करें। तथापि, इस स्तर पर कोई नियत समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है कि ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाएंगे। किसी भी स्थिति में यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी न कि एक विशिष्ट समयबद्ध योजना।

[हिन्दी]

गैस भंडार

***180. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी बेसिन सहित देश के कतिपय भागों में हाल ही में गैस के भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) इन भंडारों से प्रत्येक वर्ष कितनी और कितने मूल्य की गैस प्राप्त होने का अनुमान है;

(ङ) ऐसे भंडारों का पता लगाने में अभी तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(च) इन गैस भंडारों से उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्ष 2004-05 के दौरान आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में एक गैस खोज, वशिष्ट और दो तेल और गैस खोजें नमत: मुंबई अपतट में डी-33 और असम में तिफुक की गई हैं। आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने भी असम में तीन तेल और गैस खोजें नामत: उत्तर तिनाली, पश्चिम जालोनी और समडांग की हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में पड़ने वाले केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 और उड़ीसा तट से दूर पड़ने वाले एनईसी-ओएसएन-97/1 ब्लाकों में सात गैस खोजें की हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) ने भी जून, 2005 में कृष्णा गोदावरी बेसिन के अपतट क्षेत्र में एक गैस की भी खोज की है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसीज) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान की गई खोजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। तथापि, ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा खोज मूल्यांकन प्रयासों से 2004-05 में गैस भंडार अभिवृद्धि भारतीय तलछटीय बेसिनों के जमीनी और अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 182 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है। वर्तमान खोजों से उत्पादन खोजों के मूल्यांकन के परिणामों और प्रौद्योगिकीय-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। वर्ष 2004-05 के दौरान कृष्णा गोदावरी बेसिन में ब्लाक केजी-जीडब्ल्यूएन-98/3 में धीरूभाई-1 और 3 नामक खोजों के लिए विकास योजना प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित विकास योजना के अनुसार कृष्णा गोदावरी बेसिन में आरआईएल द्वारा की गई इन दो खोजों

से अधिकतम उत्पादन लगभग 40 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) होंगा। गैस उत्पादन 2008-09 से आरंभ होने की आशा है।

(च) ओएनजीसी और ओआईएल ने अन्वेषण क्रियाकलापों पर क्रमश: 2344.45 करोड़ रुपये और लगभग 523 करोड़ रुपये का व्यय किया है। निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने एनईसी-ओएसएन-97/2, केजी-डीडब्ल्यूएन-93/3 और केजी-ओएसएन-2001/3 ब्लाकों में अन्वेषण क्रियाकलापों पर लगनग 1493 करोड़ रुपये का व्यय किया है।

यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीन के कर्मचारियों को भत्ता देना

1674. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा यूनिट द्वारा चलाई जा रही कैंटीन के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेने के बाद उन्हें वेतनमान के अतिरिक्त महंगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, आदि देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आदेश कब तक जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने 04 जनवरी, 2001 को भारत संघ बनमान एम. असलम और अन्य के मुकदमे में दिए गए अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था दी कि यूनिट चालित कैंटीनों में कर्मचारियों की स्थिति वही होगी जो सरकारी कर्मचारी की है हालांकि, इससे वे उन सभी सेवा लाभों को लेने के लिए हकदार नहीं हो जाएंगे जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को अथवा कैंटीन स्टोर विभाग में सेवारत उनके समकक्ष कर्मचारियों को भी उपलब्ध हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी कि नियोक्ता को कर्मचारियों की पृथक सेवा शर्तें बनाने की छूट होगी। तदनुसार, इन कर्मचारियों की निबंधन और शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम तैयार करके 28 अप्रैल, 2003 को जारी कर दिए गए थे। यूनिट चालित कैंटीनों के कर्मचारी, कैंटीन स्टोर विभागों में उनके समकक्ष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नियमित वेतन के न्यूनतम पर अपना वेतन आहरित करते हैं। उक्त नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

[अनुवाद]

विमानों का प्रयोग

1675. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने रक्षा सौदों की जांच कर रहे न्यायमूर्ति एस.एन. फूकन को उनकी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान विमान उपलब्ध कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने न्यायमूर्ति फूकन को वायुसेना का विमान देने की आवश्यकता के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) 22.12.2003 को एवरो वायुयान द्वारा दिल्ली से पुणे तक, 23.12.2003 को एमआई-17 हेलिकाप्टर द्वारा पुणे से अहमदनगर तक, 26.12.2003 को एमआई-8 हेलिकाप्टर द्वारा अहमदनगर से मुंबई तक, 27.12.2003 को एएन-32 वायुयान द्वारा मुंबई से दिल्ली तक के लिए नि:शुल्क उड़ान उपलब्ध कराई गई थी।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्री ने दिनांक 4 मई, 2005 को राज्य सभा में एक बयान में यह कहा था कि 'सामान्यतया आयोग की यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना का वायुयान उपलब्ध नहीं कराया जाता है'।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना

1676. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरांचल में राज्य स्तर के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये किस स्थान पर स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) दूरदर्शन ने देहरादून में एक अन्तरिम ढांचे की स्थापना की है जो अगस्त, 2001 से कार्यशील है। एक स्थायी दूरदर्शन केन्द्र को स्थापना करने संबंधी स्कीम को अनुमोदित कर दिया गया है और इसके तीन वर्ष में पूरा होने की संभावना है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देहरादून में स्थापित किए जाने के लिए स्टुडियो और अपलिंकिंग सुविधाओं सहित एक 10 कि.वा. एफ.एम. रेडियो ट्रांसमीटर का प्रस्ताव किया गया है जिसकी स्थापना में लगभग तीन वर्ष लगेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तरांचल में अल्मोड़ा, पौड़ी (गढ़गाव), पिथौरागढ़, गोपेश्वर (चमोली) और मसूरी में छः रेडियो केन्द्र इस समय कार्यशील हैं।

[अनुवाद]

सुब्रह्मण्य मंदिर

1677. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में तमिलनाडु में टाइगर गुफा, सल्हावन कुप्पम, मामल्लापुरम के नजदीक पल्लव काल से संबंधित 'सुब्रह्मण्य मंदिर' के अवशेष खोज निकाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में टाइगर गुफा, सलौवंकुप्पम, मामल्लापुरम (तमिलनाडु) के नजदीक सुब्रह्मण्य मंदिर के अवशेष खोज निकाले हैं। मंदिर में परमपावन मंदिर-गर्भ, अर्धमण्डम और महामण्डप शामिल है। इस खोज में पल्लव काल के दो स्तम्भों पर उत्कीर्ण लेख भी शामिल हैं जो 8वीं-9वीं शताब्दी ईसवी के हैं और एक अन्य उत्कीर्ण लेख दसवीं शताब्दी ईसवी के मध्य का है।

[हिन्दी]

आवास इकाईयों का निर्माण

1678. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री हरिभाऊ राठौड़:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छावनी क्षेत्र में सैनिकों के परिवारों के लिए आवास का प्रबंध करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष में सैनिकों के परिवारों हेतु कितनी आवास इकाइयों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च की जानी है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए छावनियों/सैन्य स्टेशनों में 1,98,881 आवासों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह कार्य "विवाहितों के लिए आवास परियोजना" के अंतर्गत कुल 17,358 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चार चरणों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) "विवाहितों के लिए आवास परियोजना" के पहले चरण में कुल 61,658 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण के अंतर्गत निर्माण कार्य कई स्थलों पर पहले ही शुरू किया जा चुका है और इस चरण को 2005-06 तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है।

(घ) इस परियोजना के पहले चरण पर सरकार द्वारा 5478.73 करोड़ रुपए की राशि व्यय किए जाने का अनुमान है।

एचईसी का पुनरुद्धार

1679. श्री मनोज कुमार: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कारपोरेशन की कुल देयता कितनी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) एचईसी वर्ष 1992 से ही औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास संदर्भित है। बीआईएफआर ने दिनांक 06.07.2004 को रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (सिका) के अंतर्गत एचईसी को बंद करने की सिफारिश कर दी है। बीआईएफआर के बंद करने के

आदेश के विरुद्ध भारत सरकार तथा एचईसी द्वारा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण (एएआईएफआर) के समक्ष एक अपील दायर की गयी है। बंद करने के आदेश के विरुद्ध एचईसी द्वारा उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष एक रिट याचिका भी दायर कर दी है। एएआईएफआर और उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार कारपोरेशन की कुल देयताएं 2371.96 करोड़ रुपये (पूर्व लेखापरीक्षित) है, जो दिनांक 30.06.2005 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 2448.11 करोड़ रुपये (पूर्व लेखापरीक्षित) हो गये हैं।

भ्रष्ट गतिविधियों में अधिकारियों का शामिल होना

1680. श्री रामदास आठवले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष में भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल पाए गए दूरदर्शन के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पिछले एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन के तीन अधिकारी भ्रष्टाचार गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं।

(ख) विभागीय/न्यायिक कार्रवाईयों के निष्कर्ष पर इन अधिकारियों पर शास्ति लगा दी गई है।

[अनुवाद]

एचएएल और सिनेक्मा मोटिअर्स के बीच संयुक्त उद्यम

1681. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और फ्रांसीसी फर्म सिनेक्मा मोटिअर्स पेपर पार्ट्स एण्ड इंजन्स के बीच संयुक्त उद्यम लगाने को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) संयुक्त उद्यम कंपनी कब तक उत्पादन करना आरंभ कर देगी; और

(घ) संयुक्त उद्यम कंपनी के बनने के बाद भारत के निर्यात में किस हद तक वृद्धि होगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) सरकार ने हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा सिनेक्मा, फ्रांस के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) के गठन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ख) यह संयुक्त उद्यम कंपनी बेंगलूर में सिविल इंजन संघटकों तथा असेंबलियों के उत्पादन हेतु एक उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना करेगी। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रबंधन एक स्वतंत्र निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाएगा। संयुक्त उद्यम कंपनी में हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड तथा सिनेक्मा की इक्विटी सहभागिता 50:50 के आधार पर होगी।

(ग) इस संयुक्त उद्यम कंपनी के 2006 में उत्पादन शुरू करने की संभावना है।

(घ) निर्यात कारोबार प्रतिवर्ष लगभग 40 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

रीजनल इंस्टीट्यूट फार मल्टीपल डिसएबिलिटीज

1682. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनेक प्रकार की नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिए क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षेत्रीय संस्थान के मुख्य कार्य क्या होंगे और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान नेशनल इंस्टीट्यूट फार एमपावरमेंट आफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटीज, चेन्नई हेतु कितनी धनराशि जारी की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय बहुविकलांग व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान, चेन्नई को चालू वित्त वर्ष में 6.50 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है, जिसमें से 3.18 करोड़ रुपए की राशि जारी की गयी।

[हिन्दी]

अजमेर-कोटा रेल लाइन

1683. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005-06 के रेल बजट में एक नई रेल अजमेर-कोटा' की घोषणा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नई रेल लाइन का प्रस्तावित रूट क्या है;;

(ग) चालू वर्ष के दौरान उक्त परियोजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(घ) क्या सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। बहरहाल, अजमेर से कोटा तक (210 कि.मी.) नई लाइन का सर्वेक्षण 2005-06 के बजट में शामिल है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सर्वेक्षण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में शुरू होगा।

महाराष्ट्र में नई रेल लाइन

1684. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार बडसा-अरमोरी-गढ़चिरौली नई रेल लाइन बिछाने पर खर्च होने वाली कुल राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा वहन करने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त रेल परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 2000-01 के दौरान वाडसा से गढ़चिरौली तक नई रेल लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था जिसके अनुसार इस 49.5 कि.मी. लम्बी लाइन की लागत (-) 8.19 प्रतिशत प्रतिफल की दर सहित 76.85 करोड़ रु. आंकी गई थी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी एवं चालू परियोजना की भारी थ्रो-फारवर्ड के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

धारावाहिक प्रसारण करने के लिए समय का आबंटन

1685. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर अपने धारावाहिकों के प्रसारण हेतु निर्माताओं को समय के आबंटन तथा विस्तार के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) सरकार को कार्यक्रम संबंधी मामलों के बारे में शिकायतें/सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं और इन्हें प्रसार भारती, जो कि एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम है, के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया जाता है। प्रसार भारती को कार्यक्रम संबंधी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। ऐसी शिकायतों का ब्यौरा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि प्रायोजित श्रेणी में स्लाटों का आबंटन इस विषय पर दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर इस श्रेणी में प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम को विस्तार प्रदान करना कार्यक्रम अपेक्षा, कार्यक्रम की लोकप्रियता और इसकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता जैसे कारकों पर निर्भर करता है।

आरएलडीए की स्थापना

1686. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा अधिशेष रेलवे भूमि का विकास करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) की स्थापना करने के लिए कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। रेलवे का रेलवे भूमि के वाणिज्यिक उपयोग के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। 20.12.04 को राज्य सभा में रेलवे (संशोधन) बिल, 2004 पेश किया गया और रेलवे की स्थाई समिति को भेजा गया था। स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशें मई, 2005 को प्रस्तुत कर दी थीं। समिति ने कुछ टिप्पणियां की हैं जिसके लिए बिल में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बिल में संशोधन करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है जिसके लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होता है।

विद्यालय को भूमि का आबंटन

1687. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को विद्यालय के लिए भूमि के आबंटन के लिए रंगिया, असम में स्थित एक हाई स्कूल शंकरदेव शिशु निकेतन से अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) श्री इन्द्रमोनी बोरा, संसद सदस्य (राज्य सभा) के दिनांक 08.04.03 के पत्र के माध्यम से स्कूल का आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें रंगिया में रेलवे कालोनी से सटे 1782 वर्ग मीटर माप के एक रेल भू-खण्ड का लाइसेंस शंकरादेव शिशु निकेतन के पक्ष में देने का अनुरोध किया है। श्री इन्द्रमोनी बोरा, संसद सदस्य, राज्य अध्यक्ष/भाजपा/असम प्रदेश के पत्र सं. भाजपा/एससी/2003-06/सीबी/30 दिनांक 7.1.2004 के द्वारा स्कूल ने दिनांक 17.11.2003 के आवेदन से पुन: 4749 वर्ग मीटर माप के एक रेल भू-खण्ड को लाइसेंस दिये जाने के लिए आवेदन दिया है।

(ग) इस क्षेत्र में 6 स्कूल हैं और रंगीया में रेल भूमि पर अन्य स्कूल स्थापित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा, रंगीया में नये मंडल मुख्यालय के लिए रेल अवसंरचना के विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस भूमि की आवश्यकता होगी। रेल भूमि के आवंटन का अनुरोध माना नहीं गया था।

हाई स्पीड डीजल की तस्करी

1688. श्री रघुनाथ झा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हाई स्पीड डीजल की तस्करी के बारे में 3 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय के पास खाड़ी से देश में एचएसडी की तस्करी के संबंध में सामान्य आसूचना है। विशिष्ट सूचना के आधार पर राजस्व आसूचना निदेशालय ने 21.12.2004 को 2.42 करोड़ रुपये के मूल्य का 770 कि.ली. हाई स्पीड डीजल कब्जे में लिया। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि खाड़ी से तस्करी किया जाने वाला एचएसडी मिट्टी तेल की मिलावट करने के बाद पेट्रोल पंपों को बेचे जाने के लिए था। पिछले दो वर्ष के दौरान कब्जे में लिये गए तस्करी किये गये एचएसडी की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष	कब्जे में लिए गए तस्करी के एचएसडी के मामलों की संख्या	मात्रा (कि.ली. में)
2002-03	शून्य	शून्य
2003-04	3	35.3
2004-2005 (जनवरी, 2005 तक)	1	772.8

चेन्नई तथा काकीनाडा के बीच गैस पाइपलाइन

1689. श्री ए.के. मूर्ति: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई तथा काकीनाडा के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक बिछाए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) गैस आपूर्ति से समुचित स्रोतों की प्राप्ति और डाउनस्ट्रीन उपभोक्ता गठबंधन के आधार पर चेन्नई और काकीनाडा के बीच गैस पाइपलाइन बिछाने संबंधी गेल (इंडिया) लिमिटेड का प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

राजस्थान के टोंक जिले हेतु रेल संपर्क

1690. श्री कैलाश मेघवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे राजस्थान के टोंक जिले को रेल से जोड़ने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) टोंक को रेल लाइन से जोड़ने के लिए सकतपुरा (जयपुर-सवाईमाधोपुर मार्ग पर मौजूदा स्टेशन) से संपर्क प्रदान करने के लिए मई, 1999 में सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 24 कि.मी. लम्बी लाइन के निर्माण की लागत 67 करोड़ रु. आकलित की गयी थी जिसकी प्रतिफल की दर (-) 3.63 प्रतिशत थी। चालू परियोजनाओं के भारी ओफार्वर्ड तथा संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण कार्य को शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

पार्सल भारवाहकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

1691. श्री सुबोध मोहिते: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के माननीय उच्च न्यायालय ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में कार्य करने वाले पार्सल भारवाहकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के संबंध में निर्णय दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पार्सल भार वाहकों को मजदूरी के भुगतान के लिए रेलवे द्वारा क्या कारवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ द्वारा रिट याचिका सं. 1443/2005 के मामले में एक अन्तरिम आदेश पारित किया गया है जिसके प्रवर्ती पैरा को इस प्रकार पढ़ा जाए "इस दौरान यदि लागू हो, प्रतिवादी सं. 3 और 4 द्वारा जारी दिनांक 12.05.2000 और 19.06.2001 के परिपत्रों के अनुसार पार्सल पोर्टरों की मजदूरी दी जाए।"

(ग) अन्तरिम आदेश दिए जाने के समय उपरोक्त बताए गए परिपत्र लागू नहीं थे। इसलिए याचिकाकर्त्ताओं को उस समय लागू संशोधित उच्चतर दर पर भुगतान किया गया है और रेल प्रशासन के पास न्यूनतम मजदूरी अदायगी में अन्तर संबंधित कोई बकाया नहीं है।

[हिन्दी]

मलेशियाई कंपनी के शेयरों की खरीद

1692. श्री संतोष गंगवार: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) एलएनजी परियोजना के लिए मलेशियाई कंपनी "पेट्रासेनाज" के शेयर खरीदने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका ओएनजीसी के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्राचीन वस्तुओं की चोरी

1693. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के संरक्षित स्मारकों से प्राचीन वस्तुओं की चोरी की घटनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन प्राचीन वस्तुओं की अनुमानित कीमत कितनी है;

(ग) क्या इनमें से कुछ बरामद कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्राचीन वस्तुओं की चोरी तथा देश के बाहर उनकी तस्करी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से पुरावस्तुओं की चोरी की 22 वारदातें हुई (विवरण-I)।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुरावस्तुओं के मूल्य का आकलन करने के लिए कोई आधार उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। इनमें से आठ पुरावस्तुएं बरामद कर ली गई हैं (विवरण-II)।

(ङ) प्राचीन मूर्तियों, प्रतिमाओं और शिल्प वस्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों तथा संग्रहालयों में पहरा एवं निगरानी कर्मचारी लगाए गए हैं। निजी सुरक्षा गार्डों एवं राज्य पुलिस को तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था को और संपूरित किया गया है। सरकार पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है ताकि पुरावशेषों के अवैध व्यापार के मामलों को सख्ती से निपटा जा सके।

विवरण I

जुलाई, 2002 से अब तक (पिछले तीन वर्ष में) हुई चोरी के मामलों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारक/स्थल एवं जिले का नाम	वस्तुओं का ब्यौरा	चोरी की तारीख	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	तमिलनाडु	जैन मंदिर, मेट्टुपुडर	5 जैन मूर्तियां	21/22 जुलाई, 02	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
2.	मध्य प्रदेश	बाजरामच, ग्यारसपुर, जिला विदिशा	महिला का शीर्ष	6/7 अगस्त, 02	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
3.	तमिलनाडु	आपातसहाय वेसुवा मंदिर, जिला विल्लूपुरम्	नाचती आकृति की प्रस्तर मूर्ति	14/15 नवम्बर, 02	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
4.	राजस्थान	नौदुर्गा मंदिर, झालरापाटन, जिला झालावाड़	महिला की प्रस्तर प्रतिमा	28/29 अगस्त, 02	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
5.	तमिलनाडु	शैलकृत शिव मंदिर, नर्तामली कुलातुर, जिला पुडुक्कोट्टई	4 प्रस्तर मूर्तियां	27/28 जनवरी, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
6.	छत्तीसगढ़	दीपधी, जिला सरगूजा एवं दुहारा टैंक, रतनपुर, जिला बिलासपुर	5 प्रस्तर मूर्तियां	8 जनवरी, 03 एवं 14 जनवरी, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई

1	2	3	4	5	6
7.	पंजाब	मरडखेड़ा में मंदिर, जिला संगरूर	भगवान सूर्य	19 फरवरी, 2003	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
8.	आंध्र प्रदेश	श्री कपोतेश्वर स्वामी मंदिर, चेजेरला, जिला गुन्टूर	नन्दी की मूर्ति	11/12 मार्च, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
9.	महाराष्ट्र	जोकर सिनेमा के सामने, श्री देश राम वाड़ी, कल्याण	श्री गिरधर गोपाल की मूर्ति	20/21 जून, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
10.	तमिलनाडु	जैन मंदिर, तिरूमलई	2 कांस्य मूर्तियां	24/25 अगस्त, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
11.	कर्नाटक	श्री जनार्दन, स्वामी देवस्थान मंदिर, कडुर तालुक, चिकमंगलूर	2 स्तम्भ	19.9.03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
12.	उड़ीसा	उत्खनित स्थल, उदयगिरि, जिला जाजपुर	ध्यान मुद्रा में बुद्ध	7/8 नवम्बर, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
13.	उत्तरांचल	लाखामंडल मंदिर, लाखामंडल, देहरादून	5 मूर्तियां	16/17 दिसम्बर, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
14.	तमिलनाडु	माचुकुइनम्देसवा मंदिर, कोडुमबलूर, जिला पुडुक्कोट्टई	वराही की मूर्ति	11/12 अक्तूबर, 03	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
15.	राजस्थान	ध्वस्त कृष्णा विलास स्थित चारखम्बा मंदिर परिसर	2 मूर्तियां	21 अप्रैल, 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
16.	जम्मू एवं कश्मीर	बुमजुवा गुफा, जिला अनन्तनाग	प्रस्तर का शिवलिंग	23/24 मई, 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
17.	तमिलनाडु	अलातुर, तालुक कुलातुर, जिला पुडुक्कोट्टई	जैन प्रतिमा	6 अगस्त, 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
18.	मध्य प्रदेश	लंजी किला, जिला बालाघाट	2 मूर्तियां	21 अगस्त, 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
19.	गुजरात	सूर्य मंदिर, मोढेरा, जिला मेहसाणा	2 खण्डित मूर्तियां	4 अगस्त, 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
20.	आंध्र प्रदेश	दबे हुए जैन मंदिर के खंडहर, देनावुलापडु गांव जम्मालाडुगू मंडल	जैन तीर्थंकर की आवक्ष मूर्ति	8/9 सितम्बर, 04	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
21.	राजस्थान	प्राचीन स्थल नगर, जिला टोंक	7 मूर्तियां	12 जनवरी, 05	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई
22.	छत्तीसगढ़	संरक्षित स्थल, सिरपुर, जिला महासमुंद	हरीती की 1 प्रस्तर प्रतिमा	22/23.6.05	29.6.05 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई

विवरण II

जुलाई, 2002 से अब तक (पिछले तीन वर्षों में) हुए चोरी के उन मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण जिनमें बरामदगी हुई है

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारक/स्थल एवं जिले का नाम	वस्तुओं का ब्यौरा	चोरी की तारीख	मामले की स्थिति
1.	तमिलनाडु	शैलकृत शिव मंदिर, नरतामली कुलातुर, जिला पुडुक्कोट्टई	4 प्रस्तर मूर्तियां	27/28 जनवरी, 2003	एक बरामद हुई
2.	महाराष्ट्र	जोकर सिनेमा के सामने, श्री देश राम वाड़ी, कल्याण	श्री गिरधर गोपाल की मूर्ति	20/21 जून, 2003	बरामद हुई
3.	उत्तरांचल	लाखामंडल मंदिर, लाखामंडल, देहरादून	5 मूर्तियां	16/17 दिसम्बर, 2003	बरामद हुई
4.	तमिलनाडु	माचुकुइनम्देसवा मंदिर, कोडुमबलूर, जिला पुडुक्कोट्टई	वराही की मूर्ति	11/12 अक्तूबर, 2003	बरामद हुई
5.	जम्मू-कश्मीर	बुमजुवा गुफा, जिला अनन्तनाग	प्रस्तर का शिवलिंग	23/24 मई, 2004	बरामद हुई
6.	तमिलनाडु	अलातुर, तालुक कुलातुर, जिला पुडुक्कोट्टई	जैन प्रतिमा	6 अगस्त, 2004	बरामद हुई
7.	गुजरात	सूर्य मंदिर, मोढेरा, जिला मेहसाणा	2 खण्डित मूर्तियां	4 अगस्त, 2004	बरामद हुई
8.	छत्तीसगढ़	संरक्षित स्थल, सिरपुर, जिला महासमुंद	हरीती की 1 प्रस्तर प्रतिमा	22/23.6.2005	बरामद हुई

[हिन्दी]

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण

1694. श्री सुरेश चन्देल: क्या रक्षा मंत्री शहीदों के नाम उत्कीर्ण करने के बारे में 11 दिसंबर, 2003 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1558 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) राष्ट्रीय युद्ध स्मारक/राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय के निर्माण हेतु उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए मार्च, 2005 में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति गठित की गई है। समिति की दो बैठकें हुई हैं। चूंकि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भूमि के आबंटन पर निर्भर है, इसलिए उस मंत्रालय को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निर्माण हेतु भूमि के आबंटन के लिए शीघ्र निर्णय लेना है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक

1695. श्री परसुराम माझी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में कालाहांडी, बोलनगिर और कोरापुट जिलों में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक कितने हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन स्मारकों के निर्माण, संरक्षण और अनुरक्षण पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने संस्कृति मंत्रालय से के.बी.के. जिलों में स्थित कुछ और स्मारकों को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) उड़ीसा में कालाहांडी और बोलंगिर जिलों के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, क्रमश: असुरगढ़ किला और चौसठ योगिनी मंदिर (रानीपुर झरियाल में) हैं। कोरापुट जिले में कोई केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्मारकों के दिन-प्रतिदिन के अनुसरक्षण कार्यों पर 19,422 रुपए व्यय किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। बोलंगिर जिले में रानीपुर झरियाल के कुछ स्मारकों को केन्द्रीय संरक्षित स्मारक घोषित करने के बारे में उड़ीसा सरकार से प्राप्त एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

यू.पी. में आदर्श स्टेशन

1696. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में उन रेलवे स्टेशनों के क्या नाम हैं जिन्हें आदर्श स्टेशनों की श्रेणी में रखा गया है;

(ख) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की बाकी अवधि के दौरान राज्य में कुछ और स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्टेशनों के क्या नाम हैं; और

(घ) उन स्टेशनों के क्या नाम हैं जहां पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है और बाकी स्टेशनों पर कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) उत्तर प्रदेश में आदर्श स्टेशनों के रूप में जिन स्टेशनों की पहचान की गई है, उनके नाम हैं: आगरा छावनी, आगरा फोर्ट, अलीगढ़, इलाहाबाद, अयोध्या, बादशाह नगर, बलिया, बरेली, बस्ती, बड़ौत, बागपत रोड, देवरिया, सदर, ईटावा, फैजाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद, गोंडा जं., गोरखपुर, झांसी, कानपुर सैंट्रल, कटरा, लखनऊ, लखनऊ जं., मऊ जं., मथुरा जं., मेरठ सिटी, मंडुआडीह, मुगसलराय, मुरादाबाद, प्रयाग, रायबरेली जं., रावतपुर, सहारनपुर, टूंडला, इज्जतनगर, पीलीभीत और वाराणसी।

(ख) पहले से चयनित आदर्श स्टेशनों पर निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर और स्टेशनों का चयन किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 37 स्टेशनों में से 16 स्टेशन पूर्णतया विकसित किए जा चुके हैं। सभी चिह्नित स्टेशनों का पूर्ण विकास मानकों के अनुसार मार्च, 2008 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

पेट्रोल पंपों पर मदिरा की बिक्री

1697. श्री गुरुदास कामत: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पंपों पर मदिरा की बिक्री की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके लिए क्या मानदंड बनाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली में उन पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है जिन्हें मदिरा बिक्री का लाइसेंस दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पेट्रोल पंपों में मदिरा की बिक्री की अनुमति का मामला राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाता है और राज्य सरकार द्वारा उनकी मौजूदा नीतियों के अनुसार डीलरों को लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

(घ) दिल्ली में बीपीसीएल के तीन खुदरा बिक्री केन्द्रों को अपने-अपने परिसरों में स्थित सुविधा स्टोरों के माध्यम से बियर/मिली-जुली मदिराओं की खुदरा बिक्री के लिए एल-53 लाइसेंस मिला हुआ है।

एसकेओ डीलरों का कमीशन

1698. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** एसकेओ डीलरों द्वारा कमाए जाने वाले लाभ/कमीशन के बारे में 6 दिसंबर, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2841 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां एसकेओ डीलरों द्वारा प्रकीर्ण व्यय में किए खर्चों को उनको मिलने वाले कमीशन में शामिल नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा एसकेओ डीलरों द्वारा प्रकीर्ण व्यय को उनकी कमीशन में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) एसकेओ के थोक बिक्री डीलरों को देय डीलरों के कमीशन में विविध व्यय सम्मिलित होते हैं और इनके साथ-साथ इनमें अचल संपत्तियों पर प्रतिलाभ, फार्म 13 डीलरों के लिए उपकरण में अतिरिक्त निवेश पर प्रतिलाभ, कार्यशील पूंजी, स्टाक क्षति, वेतन और मजदूरी, विद्युत प्रभार, बैंक प्रभार, दूरभाष प्रभार और अन्य उपरिव्यय सम्मिलित होते हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

महिला समृद्धि योजना

1699. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही "महिला समृद्धि योजना" का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आवंटित, जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि उपयोग की गई/संवितरित की गई और इससे राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं को ऋण प्राप्त करने में कोई अड़चन आती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसी अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) योजना का ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के संबंध में निधि का ब्यौरा विवरण-II, III, IV और V पर दिया गया है।

(ग) ब्यौरे विवरण-IV, V, VI और VII पर दिए गए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

योजना का ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) *राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी):*— निगम ने 1.10.2003 को महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना नामक एक नई माइक्रो-क्रेडिट वित्त स्कीम शुरू की है। योजना में 25,000 रुपए प्रति यूनिट तक ऋण का प्रावधान है और लाभार्थियों से 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज लिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत ऋण को 3 वर्ष के भीतर लौटाना होता है।

(ख) *राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी):*— महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत ऋण सफाई कर्मचारियों और स्केवेंजर महिलाओं और उनकी आश्रित पुत्रियों को प्रति लाभार्थी 25000 रुपए तक प्रदान किया जाता है, जो इस निगम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) को 1 प्रतिशत ब्याज दर और राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों से लाभार्थी को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है। ऋण 3 वर्ष की अवधि के भीतर लौटाना होगा। यह योजना जनवरी, 2005 में शुरू की गई है।

(ग) *राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम (एनएमडीएफसी):*— निगम महला समृद्धि योजना कार्यान्वित कर रहा है, जो माइक्रो क्रेडिट को महिला सदस्यों के प्रशिक्षण से संबद्ध है जिन्हें टेलरिंग, कटिंग

और कढ़ाई या महिलाओं के अनुकूल अन्य कोई ट्रेड इत्यादि के स्व-सहायता में गठित करना है। इस योजना के अंतर्गत 500 रुपए की राशि प्रति महिला अभ्यर्थी प्रति माह प्रशिक्षण लागत और 250 रुपए प्रति माह का वजीफा 6 माह की अधिकतम प्रशिक्षण अवधि के लिए दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान महिलाओं के स्व-सहायता समूह बनाए जाते हैं। 25,000 रुपए तक का ऋण प्रति महिला प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने के बाद माइक्रो क्रेडिट के रूप में दिया जा सकता है और ब्याज दर प्रति वर्ष 5 प्रतिशत है। महिला समृद्धि योजना को 2002-03 में शुरू किया गया। निगम प्रशिक्षण के लिए अनुदान प्रदान करता है, जिसके बाद महिला सदस्यों को उनकी आवश्यकता के आधार पर 25000 रुपए प्रति सदस्य अधिकतम के अधीन माइक्रो क्रेडिट है।

(घ) *राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम:*— महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत निगम लक्षित समूह से संबंधित महिला उद्यमियों को माइक्रो फाइनेंस प्रदान करता है। निगम योजना के अंतर्गत कुल परियोजना लागत का 95 प्रतिशत वित्तपोषण करता है बशर्ते कि प्रति लाभार्थी अधिकतम 25,000 रुपए हो। लाभार्थी से प्रभार्य ब्याज दर 4 प्रति वर्ष है।

विवरण II

एनएसएफडीसी द्वारा वर्ष 2003-04 और 2004-05 तथा वर्तमान वर्ष (31.7.2005 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आबंटित और संवितरित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06 (01.04.2005 से 31.07.2005 तक)	
		आबंटित	निर्मुक्त	आबंटित	निर्मुक्त	आबंटित	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	219.67	1321.00	59.67	75.00	85.16	300.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.08	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
3.	असम	34.41	0.00	11.97	0.00	17.08	0.00
4.	बिहार	207.03	0.00	63.10	0.00	90.06	0.00
5.	छत्तीसगढ़	44.55	0.00	11.70	13.50	16.69	0.00
6.	गोवा	0.51	0.00	0.12	0.00	0.16	0.00
7.	गुजरात	63.47	150.00	17.37	0.00	24.80	0.00
8.	हरियाणा	67.42	0.00	19.78	0.00	28.23	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	27.17	0.00	7.26	0.00	10.37	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	13.38	0.00	3.72	0.00	5.32	0.00
11.	झारखंड	53.70	0.00	15.42	0.00	22.01	0.00
12.	कर्नाटक	152.83	0.00	41.41	150.00	59.10	50.00
13.	केरल	59.86	0.00	15.11	6.00	21.56	6.00
14.	मध्य प्रदेश	155.09	150.00	44.27	52.20	63.18	0.00
15.	महाराष्ट्र	181.63	0.00	47.79	37.65	68.20	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	0.77	0.00	0.29	0.00	0.42	0.00
17.	मेघालय	0.19	0.00	0.07	0.00	0.10	0.00
18.	मिजोरम	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	उड़ीसा	106.38	0.00	29.41	0.00	41.98	0.00
20.	पंजाब	119.09	0.00	33.99	0.00	48.51	0.00
21.	राजस्थान	157.78	8.64	46.88	45.90	66.91	0.00
22.	सिक्किम	0.50	0.00	0.18	0.00	0.25	0.00
23.	तमिलनाडु	222.16	0.00	57.34	0.00	81.83	0.00
24.	त्रिपुरा	9.36	0.00	3.64	0.00	5.20	18.30
25.	उत्तर प्रदेश	581.61	0.00	169.97	0.00	242.58	0.00
26.	उत्तरांचल	25.56	0.00	7.34	0.00	10.47	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	333.51	0.00	89.23	670.00	127.36	200.00
	कुल	2837.72	1629.64	797.07	1050.25	1137.59	574.30
28.	चंडीगढ़	2.20	2.00	0.76	0.87	1.09	0.07
29.	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	0.14	0.00	0.04	0.00	0.06	0.00
30.	दिल्ली	37.22	0.00	11.33	0.00	16.17	0.00
31.	पांडिचेरी	2.72	0.00	0.76	0.00	1.09	0.00
	कुल	42.28	2.00	12.89	0.87	18.41	0.07
	कुल योग	2880.00	1631.64	809.96	1051.12	1156.00	574.37

विवरण III

वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन और संवितरण

वित्त वर्ष 2004-05

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आबंटित राशि	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	180.00	180.00
2.	राजस्थान	65.00	8.70
3.	उत्तर प्रदेश	180.00	180.00
	कुल	425.00	368.70

वित्त वर्ष 2005-06

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	आबंटित राशि	संवितरित राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	360.00	0.00
2.	राजस्थान	22.50	0.00
3.	छत्तीसगढ़	150.00	135.00
4.	गुजरात	112.50	112.50

1	2	3	4
5.	जम्मू-कश्मीर	112.50	112.50
6.	मध्य प्रदेश	75.00	75.00
7.	हिमाचल प्रदेश	150.00	0.00
8.	हमाराष्ट्र	38.70	0.00
9.	उड़ीसा	148.50	0.00
	कुल	1169.70	43.500

विवरण IV

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत संवितरण

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		कुल	
		संवितरित राशि	लाभार्थी	संवितरित राशि	लाभार्थी	संवितरित राशि	लाभार्थी	संवितरित राशि	लाभार्थी	संवितरित राशि	लाभार्थी
1.	बिहार	–	–	–	–	–	–	25500	20	25500	20
2.	चंडीगढ़	–	–	–	–	52550	14	–	–	53550	14
3.	हिमाचल प्रदेश	–	–	65025	17	–	–	–	–	65025	17
4.	जम्मू-कश्मीर	–	–	153000	40	0	0	–	–	153000	40
5.	केरल	–	–	51000	40	0	0	–	–	51000	40
6.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	221771	60	–	–	221771	60
7.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	306000	80	306000	80
8.	उत्तर प्रदेश	153000	40	–	–	–	–	–	–	153000	40
	कुल									1028846	311

टिप्पणी: प्रत्येक राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को 10वीं योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बैच में 20 उम्मीदवारों के साथ महिला समृद्धि योजना के दो बैचों को चलाने के लिए मंजूरी दी गई है।

निधि वर्षवार आबंटित नहीं की जाती है।

विवरण V

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आबंटित, निर्मुक्त राशि, लाभार्थियों की संख्या, प्रयुक्त राशि दर्शाने वाला विवरण

(31.7.05 तक)
(रुपए/लाख)

राज्य/एससीए/संघ राज्य क्षेत्र	2003-2004			2004-2005			2005-2006			
	आबंटित राशि	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	आबंटित राशि	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	आबंटित राशि	निर्मुक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	प्रयुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश (बीसी)	250.00	250.00	2500	350.00	–	–	–	–	–	–
चंडीगढ़	–	–	–	2.00	2.00	20	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दिल्ली	–	–	–	–	–	–	10.00	–	–	–
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	20.00	–	–	–
गोवा	–	–	–	2.25	–	–	–	–	–	–
गुजरात (बीसी)	–	–	–	–	–	–	75.00	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	16.69	–	–	–
महाराष्ट्र (ओबीसी)	–	–	–	71.00	14.00	143	50.00	–	–	*
पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	5.80	–	–	–
पंजाब	–	–	–	–	–	–	23.75	–	–	–
तमिलनाडु	–	–	–	600.00	600.00	29174	455.00	–	–	600.00
उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	–	42.00	–	–	–
पश्चिम बंगाल	3.78	3.78	30	69.00	69.00	857	95.00	44.70	871	67.48
महाराष्ट्र (वीजेएनटी)	–	–	–	–	–	–	–	25.00	100	*

*उपयोग प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है।

विवरण VI

वर्ष 2003-04 और 2004-05 तथा वर्तमान वर्ष (31.7.2005 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत एनएसएफडीसी की राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि और शामिल लाभार्थी

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05		2005-06 (01.04.05 से 31.07.05 तक)	
		उपयोग	लाभार्थी	उपयोग	लाभार्थी	उपयोग	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	223.80	4476	797.50	15950	0.00	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
3.	असम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
4.	बिहार	0.00	0	0.00	0	0.00	0
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	0	0.00	0
6.	गोवा	0.00	0	0.00	0	0.00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	0.00	0	0.00	0	0.00	0
8.	हरियाणा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
11.	झारखंड	0.00	0	0.00	0	0.00	0
12.	कर्नाटक	0.00	0	0.00	0	97.65	651
13.	केरल	0.00	0	0.00	0	4.22	30
14.	मध्य प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
15.	महाराष्ट्र	0.00	0	0.00	0	0.00	0
16.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0	0.00	0
17.	मेघालय	0.00	0	0.00	0	0.00	0
18.	मिजोरम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
19.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
20.	पंजाब	0.00	0	0.00	0	0.00	0
21.	राजस्थान	0.00	0	13.80	90	9.71	41
22.	सिक्किम	0.00	0	0.00	0	0.00	0
23.	तमिलनाडु	0.00	0	0.00	0	0.00	0
24.	त्रिपुरा	0.00	0	0.00	0	0.00	0
25.	उत्तर प्रदेश	0.00	0	0.00	0	0.00	0
26.	उत्तरांचल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
27.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	223.80	4476	811.30	16040	111.58	722
28.	चंडीगढ़	0.00	0	1.99	29	0.00	0
29.	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	0.00	0	0.00	0	0.00	0
30.	दिल्ली	0.00	0	0.00	0	0.00	0
31.	पांडिचेरी	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	कुल	0.00	0	1.99	29	0.00	0
	कुल योग	223.80	4476	813.29	16069	111.58	722

विवरण VII

वित्त वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत संवितरण, उपयोग और लाभार्थियों की संख्या

वित्त वर्ष 2004-05

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संवितरित निधि	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि
1.	आंध्र प्रदेश	180.00	3300	एनएसकेएफडीसी की ऋण नीति और दिशा-निर्देश के अनुसार संवितरित निधि 90 दिन की कार्यान्वयन अवधि के भीतर थी।
2.	राजस्थान	8.70	58	
3.	उत्तर प्रदेश	180.00	800	
	कुल	368.70	4158	

वित्त वर्ष 2005-06

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संवितरित निधि	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधि
1.	छत्तीसगढ़	135.00	900	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों ने अंतिम लाभार्थियों के लिए संवितरण हेतु निधियों जिला कार्यालयों को संवितरित कर दी है। तदनुसार, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां दोनों वित्त वर्षों के लिए 803.70 लाख रुपए के कुल संवितरण के मुकाबले 6558 लाभार्थियों को शामिल करेंगी।
2.	गुजरात	112.50	500	
3.	जम्मू-कश्मीर	112.50	500	
4.	मध्य प्रदेश	75.00	500	
	कुल	435.00	2400	

बादमपहाड़-क्योंझरगढ़ रेल लाइन का निर्माण

1700. श्री अनन्त नायक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में बादमपहाड़ से क्योंझरगढ़ रेल लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) क्योंझर से बदमपहाड़ तक (85 कि.मी.) नई रेल लाइन के निर्माण हेतु एक सर्वेक्षण 2005-06 के बजट में शामिल किया गया है। सर्वेक्षण अभी शुरू नहीं हुआ है।

(ख) सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 4.25 लाख रु. है। सर्वेक्षण के लिए 2005-06 के बजट में दो लाख रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) सर्वेक्षण पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

1965 की युद्ध योजनाओं को बेचना

1701. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री रामदास आठवले:
श्री महेश कनोडीया:
श्री उदय सिंह:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1965 में एक भारतीय ब्रिगेडियर ने युद्ध की योजना बेची थी जैसाकि 31 मई, 2005 के "एशियन ऐज" में ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) पाकिस्तान के पूर्व मार्शल ला प्रशासक जनरल अयूब खां के पुत्र श्री गौहर अयूब खां द्वारा किए गए इस खुलासे के बारे में कि भारतीय सेना के एक ब्रिगेडियर ने भारतीय सेना के 1965 के युद्ध की योजना पाकिस्तान को 20,000 रु. में बेची थी, मीडिया में रिपोर्टें छपने के बाद एक आंतरिक जांच की गई है जिसमें निम्नलिखित बातें सामने आई हैं:-

* 1958 के आसपास बनाई गई किसी योजना या रणनीति की 1965 की संक्रिया के समय कोई विशेष महत्ता या संगतता नहीं रह गई होगी क्योंकि सेना की रणनीति और संक्रियात्मक योजनाओं में 1962 के भारत-चीन संघर्ष के परिणामस्वरूप बड़े फेरबदल किए जा चुके थे।

* यदि पाकिस्तान को भारतीय संक्रियात्मक योजनाओं का पता होता तो उसे सभी मोर्चों पर बड़ी सामरिक जीत मिली होती। इसके अलावा, शत्रु उस समय अचंभित नहीं हुआ होता जब भारतीय सेना ने अपनी प्रत्याक्रामक कार्रवाई लाहौर की ओर शुरू की थी।

* जैसाकि मीडिया में बताया गया है पाकिस्तान के भूतपूर्व उच्चाधिकारी भी इस दावे से सहमत नहीं हैं।

श्री गौहर अयूब खां द्वारा किया गया दावा दिसंबर 2005 में रिलीज होने वाली उनकी आगामी पुस्तक के विक्रय के लिए विपणन नीति के हिस्से के रूप में घटनाओं को सनसनीखेज बनाने का प्रयास भी हो सकता है।

क्रय प्राथमिकता नीति

1702. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में तीन वर्षों के लिए क्रय प्राथमिकता नीति को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने क्रय प्राथमिकता नीति से कुछ पीएसयू की छूट दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के लिए क्रय अभिमानता नीति को इस स्पष्ट शर्त के साथ तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है कि इसे 31.3.2008 से समाप्त कर दिया जाएगा। क्रय अभिमानता समर्थन 5 करोड़ रुपए परंतु 100 करोड़ रुपए से अनधिक के मूल्य के सिविल कार्य और टर्न-की ठेकों सहित ठेकों को प्रदान किया जाएगा, यह केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और उनकी सहायक कंपनियों पर लागू होगा, परंतु यह निजी भागीदारी वाले संयुक्त उद्यमों पर लागू नहीं होगा, क्रय अधिमानता का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण और/अथवा सेवा के रूप में केन्द्रीय सरकारी उद्यम/सहायक कंपनी द्वारा 20 प्रतिशत की न्यूनतम मूल्य वृद्धि एक पूर्वापेक्षा होगी। यदि सरकारी क्षेत्र का उद्यम न्यूनतम अर्हताएं पूरी न करता हो तो उसे परिसमापन हर्जाना अथवा संविदा के अनुसार कोई अन्य जुर्माना अदा करना होगा।

प्रशासनिक मंत्रालय केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों की एक सूची बनाने के लिए जिम्मेवार होंगे, जिन्हें क्रय अधिमानता समर्थन की आवश्यकता हो अथवा न हो। विद्युत मंत्रालय को क्रय अधिमानता नीति से छूट प्रदान की गई है, बशर्ते कि वे प्रत्येक वर्ष प्रतिस्पर्धी बोली परियोजना के माध्यम से वार्तासम्मत मूल्य आधारित बैंचमार्क पर बीएचईएल को विशेष आदेश देंगे। विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग विभाग वर्ष के प्रारंभ में वित्तीय वर्ष के दौरन बीएचईएल को आदेश की संख्या और मूल्य का आकलन करेंगे। विद्युत मंत्रालय को नीति से छूट देने के संबंध में प्रत्येक मामले के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा पहले से ही विचार किया जा रहा था, इसलिए वर्तमान नीति में छूट प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आफसेट नीति

1703. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मुन्नी राम:
श्री मो. ताहिर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय आफसेट नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) जून, 2005 में जारी की गई रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 (पूंजीगत अधिप्राप्ति) में एक प्रति संतुलन खंड शामिल किया गया है। यह प्रति संतुलन धनराशि, संविदा की निर्देशात्मक लागत की 30 प्रतिशत होगी, जहां पर कि इस तरह की लागत 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो।

धनबाद में एयर स्टेशन की स्थापना

1704. श्री चन्द्रशेखर दूबे: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने झारखण्ड सरकार से धनबाद में एक आल इंडिया रेडियो स्टेशन (आकाशवाणी केन्द्र) की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त स्टेशन का निर्माण कार्य कब शुरू और पूरा होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए धनबाद में मौजा नारायणपुर में 2.5 एकड़ माप के एक स्थल को अभिनिर्धारित किया गया था। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लागत के बारे में की गई 76 लाख रुपये की मांग काफी अधिक थी इसलिए राशि को कम करने के अनुरोध किया गया है। तथापि, सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। राज्य सरकार द्वारा आकाशवाणी को स्थल उपलब्ध कराने के बाद इस परियोजना के कार्यान्वयन में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा बशर्ते धनराशि उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

नई आटो नीति

1705. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार छोटी कारों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई आटो नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई आटो नीति के कब तक बनाए जाने और इसके कब तक लागू होने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) आटो नीति, 2002 में उल्लेख किया गया है कि भारत छोटी कारों के निर्यात के लिए एक विश्वस्तरीय केन्द्र बन सकता है और निर्यात क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए इस क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसरण में, आटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योग विकास परिषद ने दिनांक 29 जून, 2005 को हुई अपनी अंतिम बैठक में भारतीय आटोमोबाइल क्षेत्र को विश्वस्तरीय केन्द्र में विकसित करने के लिए एक दस-वर्षीय मिशन योजना तैयार करने हेतु एक कार्य दल का गठन करने का निर्णय है।

[हिन्दी]

मालगाड़ी के मालभाड़े में वृद्धि करने की योजना

1706. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मालगाड़ियों के माल-भाड़े और संसाधनों के अधिकतम उपयोग में वृद्धि करने हेतु कोई योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मालगाड़ियों द्वारा ढोए जा रहे माल का भाड़ा बढ़ाने के लिए भारतीय रेल द्वारा अनेक प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं। रेलवे के माल डिब्बों में निवेश करके ग्राहकों को मालडिब्बों की सप्लाई की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए "मालडिब्बा निवेश योजना" (डब्ल्यू.आई.एस.) बनाई गई है। यह योजना ऐसे ग्राहकों को मालभाड़े में छूट और उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। सरकारी प्राइवेट भागीदारी के द्वारा रेल लाइन के किनारे वेयर हाउसिंग कांप्लेक्स के विकास के लिए एक योजना भी शुरू की गई है। मालडिब्बों के अधिसूचित खाली प्रवाह की दिशा में, साइडिंगों से अतिरिक्त यातायात उत्पन्न करने के उद्देश्य से साइडिंगों से बुक किए जाने के कारण बढ़ी हुई यातायात के लिए मालभाड़े की दर में 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। जुलाई से सितम्बर तक गैर-व्यस्त अवधि के दौरान, साइडिंगों से बुक

किये जाने के कारण बढ़ी हुई यातायात के लिए मालभाड़ा दर को 15 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त बीसीएन (ढके हुए) वैगनों की अनुमेय वहन क्षमता 58 टन से बढ़ाकर 60 टन कर दी गई है। एक वर्ष के लिए पायलेट परियोजना के रूप में कतिपय विशिष्ट लौह अयस्क मार्गों पर बाक्स एन (खुले) वैगनों की अनुमेय वहन क्षमता सीसी+4 (58.8+4) टन से बढ़ाकर सीसी+8 (58.8+8) टन कर दी गई है और एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षण के तौर पर वीपीएच की ढुलाई क्षमता मौजूदा 23 टन से बढ़ाकर सीसी+2 (25) टन कर दी गई है। उपरोक्त योजना से मालगाड़ियों के द्वारा ढोए जा रहे माल के भाड़े में बढ़ोत्तरी होगी और संसाधनों का उपयोग भी अधिकतम होगा।

उपर्युक्त योजना को लागू करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

टीपू सुल्तान का राकेट कोर्ट

1707. श्री भर्तृहरि महताब: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टीपू सुल्तान का 'राकेट कोर्ट' उपेक्षणीय स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में स्थित इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) श्रीरंगपटना स्थिति टीपू सुल्तान का राकेट कोर्ट संरक्षित स्मारक नहीं है। तथापि, कर्नाटक सरकार ने इसके संरक्षण में रुचि प्रकट की है।

विमानों को पट्टे पर लेना

1708. श्री पी.एस. गड़ग्धी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस का विचार वृहत आकार के वायुयानों को पट्टे पर लेने का है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिनसे यह विमान पट्टे पर लेना प्रस्तावित है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पट्टे पर लिए जाने वाले इन विमानों का उपयोग किन क्षेत्रों में करने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए विश्वव्यापी निविदा नोटिस के उत्तर में प्राप्त आफर से इंडियन एयरलाइन्स की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है। इस प्रकार उस किसी भी कम्पनी के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका कि किस कम्पनी से पट्टे पर विमान लिये जाने हैं। तथापि, इंडियन एयरलाइंस ने बड़े आकार वाले विमानों के लिए पुन: निविदाएं दी हैं।

(ङ) पट्टे पर लिये गए विमानों से भारत-लंदन गैट विक तथा भारत-बर्मिंघम मार्गों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन किया जाना प्रस्तावित था।

झारग्राम और पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन हेतु सर्वेक्षण कार्य

1709. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के अंतर्गत आने वाले झारग्राम-पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा उक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) झारग्राम और पुरूलिया के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण हाल ही में पूरा किया गया है। अद्यतन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की लागत (-) 7.17% प्रतिफल की दर सहित 356.22 करोड़ रु. आंकी गई है। परियोजना का कार्यान्वयन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

जोधपुर विमानपत्तन का विकास

1710. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में जोधपुर विमानपत्तन के विकास के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या जोधपुर विमानपत्तन का विकास कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) विकास कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) राजस्थान में जोधपुर हवाईअड्डे के विकास हेतु 1314.55 लाख रुपए की लागत का एक प्रस्ताव है। निविदा कार्रवाई पहले ही आरंभ हो चुकी है। कार्य आरंभ होने की तारीख से 12 महीनों के अन्दर इस कार्य के पूरा होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

ताजमहल

1711. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री जी.एस. सिद्दीश्वर:
श्री जयप्रकाश (मोहन लाल गंज):

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड ने अपने दिनांक 13 जुलाई, 2005 के आदेश के द्वारा वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ताज महल को वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 36 और 40 के तहत एक वक्फ सम्पत्ति के रूप में पंजीकृत करने के लिए निदेश दिए हैं।

(ग) ताज महल एक केन्द्रीय संरक्षित स्मारक है जिसका प्रबन्धन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है तथा यह विश्व दाय सूची में भी दर्ज है। संघ सरकार, भारत का उच्चतम न्यायालय, में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करके, सुन्नी केन्द्रीय वक्फ बोर्ड के दावे को चुनौती देगी।

एविएशन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध

1712. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने केन्द्र सरकार से एविएशन टरबाइन ईंधन अथवा जेट ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) यद्यपि, वर्तमान शोधन क्षमता पीडीएस मिट्टी तेल के लिए घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, पीडीएस मिट्टी तेल वितरण करने वाली तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि घरेलू रिफाइनरियों से मिट्टी तेल की पर्याप्त प्रमात्राओं की अनुपलब्धता के कारण उन्हें एक ही समय पर उच्च मूल्यों पर मिट्टी तेल का आयात करना पड़ता है जब अपनी तरह की कुछ अलग रिफाइनरियां जेट मिट्टी तेल/विमानन टरबाइन ईंधन का निर्यात कर रही थी, जो पीडीएस मिट्टी तेल उत्पाद के समतुल्य है। यह विचार करते हुए कि मिट्टी तेल की अनुपलब्धता महत्वपूर्ण आयाम ले सकती है, सरकार के लिए समय रहते कार्रवाई करना अनिवार्य है। तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि जेट मिट्टी तेल/एटीएफ निर्यातों को रोकने के लिए निर्यात आयात नीति में संशोधन करे।

(ग) संघ सरकार को इस मामले में अभी निर्णय लेना है।

डी.आर.डी.ओ. की क्षमता

1713. **श्री रेवती रमण सिंह:**
श्री राकेश सिंह:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने सैन्य बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते इसकी क्षमता को पुनर्गठित करने और इसके दृष्टिकोण को पुनर्परिभाषित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में डी.आर.डी.ओ. द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां। मंत्री समूह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, प्रयोक्ता सेवाओं तथा रक्षा मंत्रालय की उत्पादन यूनिटों के बीच प्रभावी कार्य-संचालन तथा बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें की हैं।

(ख) और (ग) बेहतर हो रहे समन्वय का ब्यौरा इस प्रकार है:

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 'खरीदो', 'खरीदो और बनाओ' तथा 'बनाओ' श्रेणियों पर उचित निर्णय लेने के लिए सेना की आवश्यकता संबंधी अर्जन प्रक्रिया तथा श्रेणीकरण समितियों में भाग ले रहा है।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय और सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के कार्यक्रमों की संयुक्त पुनरीक्षा कराने तथा सेनाओं की आवश्यकताओं/विचारों को शामिल करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास बोर्ड की बैठकें आयोजित कर रहा है।

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/आयुध निर्माणियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों द्वारा आयोजित/उनकी अध्यक्षता वाली समूह बैठकों में भी भाग ले रहा है ताकि अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पादन संबंधी प्रयासों को सहक्रियाशील बनाया जा सके।

[हिन्दी]

कार्यक्रमों का प्रसारण

1714. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन करने के बावजूद कुछ विदेशी चैनल देश में कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन विदेशी चैनलों की विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित विदेशी चैनलों (अर्थात् विदेश से अपलिंक किए जाने वाले चैनल) सहित सभी टी.वी. चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन करना होता है। इन संहिताओं के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर केबल अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवई की जा सकती है। इस संबंध में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की स्व-प्रेरणा या शिकायतों पर जांच करने के लिए सरकार ने एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है। इस मंत्रालय ने कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के लिए एक विदेशी चैनल सिने वर्ल्ड (सीडब्ल्यू) (विदेश से अपलिंक किए जा रहे) का प्रसारण एक माह के लिए आस्थगित कर दिया है।

[अनुवाद]

अनाथ/विकलांग बच्चों और महिलाओं के लिए योजनाएं

1715. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अनाथ/विकलांग बच्चों को शिक्षा देने और महिलाओं को स्व-रोजगार प्रदान करने हेतु कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित और जारी की गई; और

(ग) इसमें प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) सरकार द्वारा दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना नामक योजना कार्यान्वित की जाती है, जिसके तहत विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों सहित विभिन्न परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है। तथापि, अनाथ विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए अलग से कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम स्व-रोजगार के लिए विकलांग महिलाओं सहित विकलांग व्यक्तियों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) और (ग) दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत सहायता अनुदान स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों और संबंधित राज्य सरकारों/नामित निरीक्षण एजेंसियों की सिफारिशों के आधार पर मंजूर/जारी किया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को जारी सहायता अनुदान का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा और उनकी वास्तविक उपलब्धि संलग्न विवरण-I मे दिए गए हैं। राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से निधि संवितरित करता है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान संवितरित ऋण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा लाभान्वित विकलांग महिलाओं की संख्या संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (अर्थात् 31.7.2005 तक) के दौरान विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सहायता अनुदान और दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के तहत लाभान्वित विकलांग बच्चों की संख्या

	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए)				लाभान्वित विकलांग बच्चों की संख्या			
राज्य कोड	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	1334.42	1193.67	1280.44	209.60	25022	25388	27610	4633
अरुणाचल प्रदेश	9.73	0.00	0.00	0.00	208	0	0	0
असम	35.32	29.17	31.37	10.46	1358	598	582	220
बिहार	134.14	124.23	139.42	48.68	2560	2668	3592	1068
चंडीगढ़	2.00	2.64	3.27	0.00	214	240	234	0
छत्तीसगढ़	8.82	11.33	14.97	0.00	490	470	828	0
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
दिल्ली	352.95	289.69	285.36	36.97	15638	10086	5334	2104
गोवा	24.28	23.69	22.58	7.02	488	362	450	125
गुजरात	60.63	35.71	54.58	0.90	1918	942	1966	118
हरियाणा	66.46	53.63	67.06	22.49	1480	1140	1660	497
हिमाचल प्रदेश	18.31	18.07	21.85	9.29	348	420	474	708

1	2	3	4	5	6	7	8	9
जम्मू-कश्मीर	2.51	0.51	4.81	1.14	88	88	94	47
झारखंड	14.86	5.06	15.33	3.35	120	178	280	59
कर्नाटक	695.81	784.92	698.47	86.15	19260	24882	19454	1408
केरल	311.36	308.50	379.16	71.21	9636	7956	10780	1692
मध्य प्रदेश	61.25	74.02	89.10	15.76	4224	2222	2192	358
महाराष्ट्र	127.65	97.75	88.44	17.92	3216	1720	1580	453
मणिपुर	57.10	57.14	54.73	7.81	1276	1104	1090	126
मेघालय	49.60	70.06	55.61	12.26	966	1664	934	463
मिजोरम	25.17	19.90	20.69	10.34	356	380	400	200
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
उड़ीसा	200.41	214.42	132.95	20.53	3770	4086	1866	231
पांडिचेरी	6.13	7.75	7.81	0.00	150	142	162	0
पंजाब	83.61	95.37	96.65	43.07	2882	3180	2708	1649
राजस्थान	103.45	102.66	113.05	12.47	2600	2482	2442	262
सिक्किम	5.67	0.00	0.00	0.00	84	0	0	0
तमिलनाडु	233.43	181.72	213.76	31.76	7306	4798	6566	851
त्रिपुरा	10.26	13.63	13.86	6.79	208	222	240	120
उत्तर प्रदेश	545.98	512.48	512.21	101.31	13720	12672	12058	2412
उत्तरांचल	48.95	29.91	40.27	2.91	1240	766	974	80
पश्चिम बंगाल	286.41	264.70	247.82	9.77	8178	6032	6834	997
कुल	4916.68	4622.92	4705.61	799.95	129004	116888	113384	20881

विवरण II

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (अर्थात् 31.7.2005 तक) के दौरान राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम के अंतर्गत संवितरित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ऋण और लाभान्वित विकलांग महिलाओं की संख्या

	संवितरित ऋण (लाख रुपए)				लाभान्वित विकलांग महिलाओं की संख्या			
राज्य कोड	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	11.47	21.60	8.75	0.00	89	113	95	0
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0	4	0	0
बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
चंडीगढ़	0.10	0.45	1.01	0.00	1	5	4	0
छत्तीसगढ़	3.15	8.15	0.00	0.00	7	19	0	0
दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
दिल्ली	0.00	7.60	7.60	0.00	0	21	38	0
गोवा	0.45	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0
गुजरात	18.79	1.45	0.00	0.00	43	9	0	0
हरियाणा	22.65	19.55	35.00	0.00	53	38	45	0
हिमाचल प्रदेश	6.30	21.33	7.94	4.56	13	21	10	6
जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	3.35	0.00	0	0	4	0
झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
कर्नाटक	22.15	27.01	7.41	0.00	112	124	40	0
केरल	30.45	19.52	21.04	0.95	87	30	51	1
लक्षद्वीप	1.80	0.00	0.95	0.00	3	0	1	0
मध्य प्रदेश	30.58	38.33	8.00	0.00	65	72	16	0
महाराष्ट्र	24.32	99.57	88.11	0.00	33	140	135	0
मणिपुर	0.00	0.00	2.00	0.00	0	0	14	0
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
नागालैंड	40.77	0.00	40.00	0.00	87	0	80	0
उड़ीसा	41.23	34.42	0.00	0.00	83	98	0	0
पांडिचेरी	59.42	54.62	0.00	0.00	135	110	0	0
पंजाब	0.45	0.55	0.25	0.00	3	1	1	0
राजस्थान	21.14	45.32	49.79	0.00	44	87	87	0
सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0
तमिलनाडु	11.85	5.79	10.30	2.03	118	38	55	5
त्रिपुरा	4.67	0.00	0.00	0.00	15	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	0.33	0.00	0.00	0.00	4	0	0	0
उत्तरांचल	0.00	0.00	11.27	0.57	0	0	23	0
पश्चिम बंगाल	17.21	13.72	0.00	0.00	51	53	0	0
कुल	369.28	419.78	302.77	8.11	1047	983	699	12

[हिन्दी]

हेलीकाप्टर सेवाएं

1716. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों के लिए हेलीकाप्टर सेवाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड (पीएचएचएल) वेट-लीज के आधार पर राज्य सरकारों आदि को उनकी आवश्यकतानुसार हेलीकाप्टर्स उपलब्ध करवाता है।

(ख) वर्तमान में, उत्तरांचल, नागालैंड तथा मिजोरम के पर्यटन स्थलों पर हेलीकाप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव के संबंधित राज्य सरकारों से निर्बाधिता मिलने की प्रतीक्षा है।

(ग) जैसे ही लीज करार के नियम और शर्तें अंतिम रूप लेती हैं तथा प्रस्ताव को राज्य सरकारों से अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, वेट-लीज करार पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। तत्पश्चात् सेवा प्रचालन शुरू की जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैकल्पिक ईंधन

1717. श्री सनत कुमार मंडल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और डीजल के वैकल्पिक ईंधन का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अनुसंधान कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वैकल्पिक ईंधन का पता लगाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) संस्थान तथा शैक्षणिक संस्थान पेट्रोलियम और डीजल के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक ईंधनों को ढूंढने के लिए अनुसंधान कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे अधिकांश अनुसंधान बायो ईंधन जैसे एथेनोल तथा बायो डीजल के क्षेत्रों में किए गए हैं।

(ख) और (ग) भारत में, प्रायोगिक परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के आधार पर, अधिसूचित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा परिवहन क्षेत्र में बायो डीजल मिश्रित डीजल के साथ किए गए क्षेत्र परीक्षणों के संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

ग्वालियर स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव

1718. श्री रामसेवक सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्वालियर स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्णय को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्वालियर में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों के न ठहराव के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। सभी राजधानी गाड़ियों को ग्वालियर स्टेशन पर ठहराव देना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इससे इन गाड़ियों की गति धीमी हो जाएगी और इसका कोई वाणिज्यिक औचित्य भी नहीं है।

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स का घरेलू यात्री हिस्सा

1719. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स के घरेलू यात्री हिस्से में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) घरेलू यात्री हिस्सा बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड के मार्केट शेयर वर्ष 2002-03 में 43.3 प्रतिशत था तथा वर्ष 2004-05 में 37.1 प्रतिशत था। इसका श्रेय मुख्यत: निजी एयरलाइनों द्वारा इंडियन एयरलाइन्स की तुलना में इसी अवधि में उच्चतर क्षमता बढ़ाने/तथा उनके फैलाव को दिया जा सकता है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स का विमान बेड़े में वृद्धि/नवीनीकरण द्वारा इसकी क्षमता में वृद्धि से अपने शेयर बाजार को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इंडियन एयरलाइन्स अपने शेयर बाजार में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है:

- मार्केटिंग (बाजार) पहल
- विमान में पहल
- स्थल पर सेवाओं का उन्नयन
- केबिन के आस-पास परिवेश में सुधार

[हिन्दी]

टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विनिवेश

1720. श्री मित्रसेन यादव: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के विनिवेश करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने 24 जून, 2005 को हुई बैठक में वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) से टीसीआईएल की वर्तमान स्थिति और अपनायी जाने वाली टर्न अराउन्ड रणनीति के संबंध में संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड (बीबीयूएनएल) की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

वृद्ध माता-पिता की देखभाल

1721. डा. एम. जगन्नाथ: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वृद्ध माता-पिता और दादा-दादी एक तरह की असुरक्षा और उपेक्षा महसूस कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में युवा पीढ़ी में अपने माता-पिता की देखभाल करने और उन्हें भोजन, आवास और उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने की अनिच्छा बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार युवा पीढ़ी को अपने कर्तव्यों को महसूस कराने तथा अपने माता-पिता और दादा-दादी की देखभाल करने तथा उन्हें रक्षा प्रदान करने संबंधी विधान बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) "वृद्ध व्यक्ति (निर्वाह, देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2005" नामक प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताओं से युक्त अवधारणा-पत्र, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित कर दिया गया है। इसमें शारीरिक एवं आर्थिक सहायता में कमी, भावनात्मक उपेक्षा, भोजन एवं आश्रय की व्यवस्था तथा जीवन सुरक्षा सहित वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करना प्रस्तावित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत और भूटान के बीच विमान सेवा

1722. श्री बापू हरी चौरे:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और भूटान के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने हेतु दोनों देशों के बीच वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों के बीच हुई वार्ता के परिणामस्वरूप इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां। भारत और भूटान के बीच, थिम्पू में 5-6 जुलाई, 2005 को द्विपक्षीय हवाई सेवाओं संबंधी वार्ता आयोजित की गई थी।

(ख) और (ग) दोनों देशों के बीच आयोजित द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान, इस बात पर सहमति हुई कि प्रत्येक पक्ष की नामित एयरलाइनें प्रत्येक दिशा में प्रति सप्ताह अधिकतम 49 सेवाएं प्रचालन करने के लिए पात्र होंगी। इस समय उपलब्ध दिल्ली तथा कोलकाता जैसे प्वाइंट्स आफ काल के अतिरिक्त, चेन्नई, मुम्बई, गया तथा गुवाहाटी को भूटान की नामित एयरलाइनों के लिए अतिरिक्त प्वाइंट्स आफ काल के रूप में अनुमति प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

वैगनों की खरीद

1723. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान रेलवे द्वारा कितने वैगन खरीदे गए;

(ख) क्या रेलवे ने वर्ष 2005-06 के दौरान वैगनों की खरीद के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वर्ष 2004-05 के दौरान 19991.5 चौपहिया मालडिब्बों की खरीद की गई।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2005-06 के लिए निविदा संबंधी अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। बहरहाल, मालडिब्बा निर्माताओं के पास पर्याप्त बकाया आर्डर हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन टावरों का कार्य न करना

1724. श्री रामदास आठवले:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न स्थानों पर निर्मित कई दूरदर्शन प्रसारण टावरों ने सभी तकनीकी औपचारिकताओं को पूरा करने के बावजूद काम करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रसारण टावर किस तिथि को तैयार हो गए थे और इन टावरों का अब तक परिचालित न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। दस अल्प शक्ति ट्रांसमीटर जो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए थे, तकनीकी रूप से तैयार हैं लेकिन इन्हें चालू नहीं किया गया है क्योंकि इन ट्रांसमीटरों के परिचालन और अनुरक्षण हेतु स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया है। फिलहाल कोई समय-सीमा इंगित नहीं की जा सकती है।

एलायंस एयर में विमान

1725. **श्री अविनाश राय खन्ना:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलायंस एयर में सभी विमानों की जीवन अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन विमानों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक खत्म किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस की बी-737-200 (इस समय एलायंस एयर द्वारा प्रयोग किए जा रहे) विमानों के सम्पूर्ण बेड़े को चरणबद्ध रूप से बदलने तथा साथ ही साथ पांच वर्षों के लिए नये अनुमानित यातायात संवृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए 43 नये विमान खरीदने की योजनाएं हैं। एयरलाइन की पट्टा आधार पर, 5 एयरबस ए-319 विमान को भी बेड़े में जोड़ने की योजनाएं हैं तथा यह कार्य 2005 की अंतिम तिमाही के दौरान आरंभ किया जाना है जिससे चरणबद्ध तरीके से यात्री प्रचालनों से धीरे-धीरे बी-737-200 विमान को बदला जा सके।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शटल ट्रेनों के मार्ग का विस्तार

1726. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली से पलवल के बीच कई शटल ट्रेनें चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अपने कार्यालयों तथा व्यवसाय के संबंध में प्रतिदिन दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों के लाभ के लिए इन शटल ट्रेनों की आवाजाही को कोसी कलां तक बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के कोसी कलां तथा हरियाणा के होडल से आने वाले यात्रियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन शटल ट्रेनों की सेवाओं का कब विस्तार किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस समय, परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण दिल्ली/नई दिल्ली-पलवल कोसी कलां खंड पर और शटल-गाड़ी चलाने और पलवल जाने वाली शटल गाड़ियों को कोसी कलां तक चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सैटेलाइट रेडियो सेवा

1727. **श्रीमती अर्चना नायक:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) ने सैटेलाइट रेडियो सेवा में शत-प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की सिफारिश की है और वह किसी प्रवेश शुल्क के विरुद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

(ग) सरकार को अभी इन सिफारिशों पर निर्णय लेना है।

[हिन्दी]

सीएनजी सुविधाएं

1728. **श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में वे स्थान कौन से हैं जहां अब तक सीएनजी सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या विशेषकर महाराष्ट्र में कुछ उद्योगों ने सीएनजी सुविधाओं का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) विभिन्न राज्यों में सीएनजी सुविधाएं निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हैं:

क्र.सं.	स्थान	राज्य
1.	दिल्ली	दिल्ली
2.	मुंबई	महाराष्ट्र
3.	थाणे	महाराष्ट्र
4.	मीरा-भायन्दर	महाराष्ट्र
5.	विजयवाडा	आंध्र प्रदेश
6.	वडोदरा	गुजरात
7.	अहमदाबाद	गुजरात
8.	अंकलेश्वर	गुजरात
9.	भड़ूच	गुजरात
10.	सूरत	गुजरात
11.	नोएडा	उत्तर प्रदेश

(ख) से (घ) ईंधन के रूप में सीएनजी की केवल वाहनों में उपयोग के लिए आपूर्ति की जाती है। तथापि, महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) मुंबई नगर में 46 उद्योगों को पाइप वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है।

गैस के उपलब्ध होने पर और अधिक क्षेत्रों को सीएनजी की सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

वितरकों के लिए एलपीजी कोटा

1730. **डा. के. धनराजू:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी क्षेत्र को कंपनियों द्वारा अपने वितरकों के लिए एलपीजी की आपूर्ति कम कर उनका कोटा निर्धारित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा एलपीजी कोटा निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा एलपीजी वितरकों के लिए कोटा प्रणाली को बंद करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि अपने वितरकों को एलपीजी की आपूर्ति कम करने के लिए उनके पास कोई निर्धारित कोटा नहीं है। तथापि, घरेलू एलपीजी के अप्राधिकृत उपयोग को कम करने की दृष्टि से ओएमसीज ने जून, 2004 से देश भर में अपने वितरकों की आपूर्तियों की सख्त समय सारणी और निगरानी आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

आई.जी.आई. विमानपत्तन पर सुरक्षा खामी

1731. **श्री राजनरायन बुधौलिया:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान आई.जी.आई. विमानपत्तन पर सुरक्षा खामी के प्रति आकर्षित कराया गया है, जैसाकि दिनांक 28 जून, 2005 को 'दैनिक जागरण' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी लापरवाही से बचने हेतु क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) समाचार-पत्र में बताए गए अनुसार कोई सुरक्षा खामी नहीं पाई गई थी क्योंकि प्रवेश-पत्र प्राधिकृत मांग के आधार पर जारी किए गए थे।

(ख) दिनांक 23.6.2005 को अशोक रेस्तरां (इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, टर्मिनल-2 पर बने आई.टी.डी.सी. के एक यूनिट) के प्रबंधक, जो प्रचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अस्थायी पास जारी करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता हैं, की मिलीभगत से चैनल-7 टी.वी. के तीन व्यक्तियों जो अपने आपको आई.टी.डी.सी. के अधिकारी के रूप में बता रहे थे उनके लिए तीन पास जारी करने का अनुरोध किया। तदनुसार, मौजूदा निर्देशों

के अनुसार आई.जी.आई. एयरपोर्ट, टर्मिनल-2 के सी.आई.एस.एफ., नियंत्रण कक्ष द्वारा अस्थायी एयरपोर्ट प्रवेश-पत्र जारी किए गए। इस प्रकार से आई.जी.आई. एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के प्रस्थान क्षेत्र से अशोक रेस्तरां तक, तीन लोग कपटता-पूर्ण ढंग से प्रवेश पा सके।

(ग) चैनल-7 टी वी के तीन व्यक्तियों तथा अशोक एयरपोर्ट रेस्तरां के संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। अशोक रेस्तरां के प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में लिप्त आई.टी.डी.सी. के कर्मचारियों के एयरपोर्ट प्रवेश परमिट जब्त कर लिए गए। फिर से यह निर्देश दिए गए हैं कि जिन लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में, अनिवार्य प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए अस्थायी एयरपोर्ट प्रवेश-पत्र जारी किया जाता है, जब तक वे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाते तब तक गेट से ड्यूटी स्थल तक एक स्थायी प्रवेश परमिटधारक उनके साथ रहना चाहिए।

[अनुवाद]

कम लागत वाली एयरलाइंसों की सुरक्षा संबंधी जांच

1732. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कम लागत वाली एयरलाइंसों के संबंध में सुरक्षा जांच कराने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय समय-समय पर कम लागत वाली एयरलाइनों सहित एयरलाइन प्रचालकों की संरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षा करता है। पिछले तीन वर्षों में नागर विमानन महानिदेशालय ने 25 संगठनों जिनमें अनुसूचित, गैर-अनुसूचित, निजी तथा सरकारी संगठन शामिल हैं, की 32 संरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षाएं की हैं।

नई मोयनागुड़ी-जोगीगोपा रेल लाइन को पूरा करना

1733. श्री हितेन बर्मन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान नई मोयनागुड़ी-जोगीगोपा रेल लाइन के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) इस परियोजना के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इस परियोजना की अनुमानित लागत 894.38 करोड़ रुपए है। मार्च, 2005 तक इस परियोजना के लिए 50.35 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है और वर्ष 2005-06 के दौरान 50 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) इस परियोजना की समग्र वास्तविक प्रगति लगभग 8 प्रतिशत है।

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

रक्षा स्टाफ प्रमुख का संस्थान

1734. श्री दरोगा प्रसाद सरोज: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा स्टाफ प्रमुख के संस्थान के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समग्र समीक्षा करने के लिए 17 अप्रैल, 2000 को एक मंत्री-समूह का गठन किया गया था। इस मंत्री-समूह ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर अपनी रिपोर्ट में, अन्य सिफारिशों के साथ-साथ रक्षा स्टाफ प्रमुख (सीडीएस) की स्थापना की सिफारिश की थी। मंत्री-समूह की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को 11 मई, 2001 को इस संशोधन के साथ अनुमोदित कर दिया गया था कि रक्षा स्टाफ प्रमुख की नियुक्ति से संबंधित सिफारिश पर राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श करने के बाद ही कोई राय कायम की जाएगी।

(ग) इस विषय पर सरकार द्वारा राय कायम किए जाने से पूर्व इस प्रस्ताव के लाभ-हानि की विस्तृत जांच सहित आगे और विचार-विमर्श करना आवश्यक समझा गया है। रक्षा स्टाफ प्रमुख की नियुक्त के बारे में कोई भी निर्णय विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ व्यापक परामर्श करने के बाद ही लिया जा सकता है।

कर्मचारियों को सांविधिक बकाया राशि का भुगतान

1735. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री सज्जन कुमार:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 16 रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सांविधिक बकाया राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 17 जून, 2005 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार कितनी बकाया राशि है; और

(ग) इन रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को दिनांक 31.05.2005 तक लंबित वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देय राशि का भुगतान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के 16 रुग्ण उद्यमों को बजटीय सहायता देने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि के ब्यौरे विवरण में संलग्न हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के 7 उद्यमों को पहले ही वास्तविक राशि के आधार पर निधियां जारी कर दी गई हैं। सरकारी क्षेत्र के शेष 9 उद्यमों को प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात् निधियां जारी की जाएंगी। कर्मचारियों को बकाया देय राशि का अविलम्ब भुगतान करने के लिए प्रबंधन को सलाह दी गई है।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उद्यम	राशि (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	एण्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	7.22
2.	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड	16.25
3.	भारत आथ्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड	1.51
4.	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	1.86
5.	भारत वैगन इन्जीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	4.06
6.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	63.32
7.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड	8.74
8.	एच.एम.टी. (वाचेज)	22.11
9.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	2.14
10.	नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	0.46
11.	नेपा लिमिटेड	8.95
12.	प्राग टूल्स लिमिटेड	1.52
13.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	1.09
14.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0.88
15.	बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड (बर्नपुर यूनिट)	1.30
16.	एच.एम.टी. (चिनार वाचेज) लिमिटेड*	8.83
	कुल	150.24

*पृथक रूप से स्वीकृत।

[हिन्दी]

विमानन उद्योग का खर्चा

1736. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानन उद्योग में व्यापक सुधार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के विमानन उद्योग के उड़ान संबंधी खर्चों सहित पूरे खर्चे से संबंधित सूचना/आंकड़े एकत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ान प्रचालन, अनुरक्षण यात्री सुविधाओं और प्रशासन आदि पर प्रतिशत के संबंध में खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन शीर्षों के संबंध में खर्चे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार औचित्यपूर्ण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

रेलवे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के रिक्त पद

1737. श्री तापिर गाव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में इस समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के जोन-वार कितने आरक्षित पद बकाया हैं;

(ख) क्या रेलवे बकाया रिक्त पदों के कोटे को पूरा करने के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु किसी विशेष भर्ती अभियान पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भर्ती कोटियों में 31.3.2004 एवं 30.6.2004 को की गई पहचान के आधार पर क्रमश: अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) की बकाया आरक्षित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं:-

समूह	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
क एवं ख	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
ग	1887	2307	3094
घ	2444	3848	4028
कुल	4331	6155	7122

आरक्षित रिक्तियों की बकाया की जोन-वार स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) रेल बजट 2004-05 में की गई घोषणा के अनुसार और सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुसार 31.3.2004 को मौजूद अनूसूचित जातियों (अ.जा.) और अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) की बकाया रिक्तियों को समयबद्ध तरीके अर्थात् सितम्बर, 2005 के अंत तक दूर करने के लिए पहले से ही विशेष भर्ती अभियान चलाया जा चुका है।

बहरहाल, आरक्षित रिक्तियों को भरने की 50 प्रतिशत की सीमा (अग्रेनीत रिक्तियों सहित) के प्रतिबंध की एक शर्त, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू नहीं होती है, के कारण अन्य पिछड़े वर्ग की बकाया रिक्तियों को भरने हेतु अभियान नहीं चलाया जा सका।

विवरण

रेलवे/उत्पादन इकाई	अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.	
	31.3.2004 को बकाया रिक्तियां		31.3.2004 को बकाया रिक्तियां		31.3.2004 को बकाया रिक्तियां	
	ग्रुप ग	ग्रुप घ	ग्रुप ग	ग्रुप घ	ग्रुप ग	ग्रुप घ
1	2	3	4	5	6	7
मध्य रेलवे	51	15	113	109	275	319
पूर्व रेलवे	125	72	180	196	372	360
उत्तर रेलवे	119	171	423	367	425	354
पूर्वोत्तर रेलवे	151	220	130	144	206	134
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	132	774	128	1015	187	930

1	2	3	4	5	6	7
दक्षिण रेलवे	126	88	145	372	343	284
दक्षिण मध्य रेलवे	181	145	198	458	411	601
दक्षिण पूर्व रेलवे	41	23	34	48	–	–
पश्चिम रेलवे	201	195	151	112	–	–
चितरंजन रेल इंजन कारखाना	20	–	18	–	41	–
डीजल रेल इंजन कारखाना	11	–	124	68	–	–
डीजल रेल आधुनिकीकरण कारखाना	1	–	4	14	17	16
सवारी डिब्बा कारखाना	45	–	33	4	66	24
रेल सवारी डिब्बा कारखाना	5	2	2	–	88	8
रेल पहिया कारखाना	3	1	–	–	29	30
अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन	14	–	9	9	20	1
मेट्रो रेल/कोलकाता	11	12	55	5	–	–
पूर्व मध्य रेलवे	252	410	168	369	244	67
पूर्व तट रेलवे	66	95	32	79	25	48
उत्तर मध्य रेलवे	11	–	134	128	63	78
उत्तर पश्चिम रेलवे	125	90	109	160	62	113
पश्चिम मध्य रेलवे	48	51	35	88	16	44
दक्षिण पश्चिम रेलवे	53	60	23	89	118	446
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	95	20	59	14	86	171
कुल	1887	2444	2307	3848	3094	4028

दिल्ली में पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

1738. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अब तक किन-किन क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की गई है;

(ख) पीएनजी और एलपीजी के घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए तुलनात्मक लागत क्या है;

(ग) क्या और क्षेत्रों को भी पीएनजी आपूर्ति के क्षेत्र में लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में गोल्फ लिंक, सुजान सिंह पार्क, सुन्दर नगर, काका नगर, बापा नगर, पंडारा पार्क, पंडारा रोड, लोधी काम्पलैक्स, लोधी कालोनी, सरोजिनी नगर, नौरोजी नगर, प्रगति विहार, मोहम्मदपुर, भारत नगर, फ्रैण्डस कालोनी (पूर्व और पश्चिम), न्यू फ्रैण्डस कालोनी, ईश्वर नगर, कालिंदी कालोनी, खान मार्किट, महारानी बाग, जोरबाग, एशियाड विलेज, सुखदेव विहार, सरिता विहार (पाकिट ए और एच), जाकिर बाग, पंत नगर, निजामुद्दीन पूर्व और पश्चिम, जंगपुरा एक्सटेंशन, जंगपुरा, डिप्लोमेटिक एन्कलेव,

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नीति बाग, गुलमोहर पार्क, एंड्रयूज गंज एक्सटेंशन, मयूर विहार फेस-1, रोहिणी सैक्टर 9, 13 और 14, आर.के. पुरम, वसंत कुंज पाकिट सी-3, 6/7, 8 और 9 और बी-11, पटपड़गंज, आईपी एक्स्टेंशन, मेफेयर गार्डन, काली बाड़ी मार्ग, हुडको शामिल हैं।

(ख) घरेलू क्षेत्र की श्रेणी में सीएनजी का मूल्य घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में बेची गई अनुसार एलपीजी मूल्य के साथ सूचीबद्ध है और हाल में समतुल्य ताप मूल्य पर 2.5 प्रतिशत कटौती आधार पर है। लघु वाणिज्यिक क्षेत्र श्रेणी में पीएनजी का मूल्य 19 कि.ग्रा. वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों में बेची गई के अनुसार एलपीजी मूल्य के साथ सूचीबद्ध है और समतुल्य केलोरी फिक मूल्य पर लगभग 25 प्रतिशत सस्ते आधार पर है।

(ग) और (घ) नए क्षेत्रों की पहचान प्रत्येक वर्ष आर्थिक व्यवहार्यता के अध्यधीन पीएनजी की आपूर्ति करने के लिए की जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष 2005-06 के शेष भाग के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों को पीएनजी आपूर्ति के लिए शामिल किए जाने की योजना है:

रोहिणी क्षेत्र 15, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, विकास पुरी, मयूर विहार चरण-2, वसुंधरा एन्कलेव, उदय पार्क, आनन्द लोक, गुलमोहर एन्कलेव। इसके अतिरिक्त सीपीडब्ल्यूडी की किदवई नगर, लक्ष्मीबाई नगर, नेताजी नगर, आर.के. पुरम सैक्टर 8, 9, 12 और 13, एंड्रयूजगंज और चाणक्यपुरी कालोनियां भी सीपीडब्ल्यूडी द्वारा वित्त पोषण की पुष्टि के अध्यधीन शामिल की जा सकती है।

राजसहायता बंटवारा फार्मूला

1739. श्री जुएल ओराम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों के लिए राजसहायता बंटवारा फार्मूला शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजसहायता बंटवारा फार्मूले के अंतर्गत तेल बनाने वाली कंपनियों को कितनी राशि के मुआवजे का भुगतान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त फार्मूले का ओएनजीसी और अन्य तेल संबंधी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल कंपनियां 2003-04 से राजसहायता के भार में हिस्सा बंटाती रही हैं। अप्रैल-जून, 2005 की तिमाही के लिए यह निर्णय लिया गया है कि राजसहायता का भार अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा डाउनस्ट्रीम कंपनियों के साथ मिलकर निम्नानुसार वहन किया जाएगा:

(करोड़ रुपए)

अपस्ट्रीम हिस्सा	
ओएनजीसी	2876
गेल	153
ओआईएल	228
योग	3257
डाउनस्ट्रीम सहायता	
आईओसी (आईबीपी सहित)	1871
बीपीसी	701
एचपीसी	685
योग	3257

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कर पश्चात् लाभ (पीएटी) निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

कंपनी का नाम	2004-05 की प्रथम तिमाही	2005-06 की प्रथम तिमाही (अनंतिम)
ओएनजीसी	2308	3318
ओआईएल	183	332
गेल	339	483
आईओसी	1472	(-)54
बीपीसी	147	(-)431
एचपीसी	247	(-)508
आईबीपी	(-)9	(-)234

मुक्त आवागमन पर प्रतिबंध

1740. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार भारत की सीमित अवधि वाली मुक्त आकाशनीति के अंतर्गत एयरलाइंस को दी गई मुक्त आवागमन की अनुमति पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निर्णय कब तक लेने और लागू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) मुक्त आकाश नीति को, भारत से/को, यातायात के लिए मांग और आपूर्ति अंतराल के वर्षवार आकलन के आधार पर व्यस्ततम सीजन के दौरान यातायात मांग को पूरा करने के लिए अपनाया जाता है। यह आकलन सामान्यत:, प्रत्येक वर्ष अगस्त-सितम्बर के महीनों में किया जाता है।

मुम्बई विमानपत्तन पर रेपिड एक्जिट टैक्सीवे का निर्माण

1741. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुम्बई विमानपत्तन पर रैपिड एक्जिट टैक्सी-वे का निर्माण करने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) मुम्बई हवाई अड्डे पर मुख्य रनवे 09/27 पर 1700 मीटर तथा 2200 मीटर के फासले पर रेपिड एक्जिट टैक्सीवे के निर्माण का प्रस्ताव हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 12 करोड़ रुपए है तथा इस परियोजना के पूर्ण होने के लिए कार्य दिए जाने की तारीख से 10 माह की समय-सीमा निर्धारित है।

(ग) यह प्रस्ताव अभी कार्यान्वयन की आरंभिक अवस्था में है।

[हिन्दी]

तेल क्षेत्र का कार्यनिष्पादन

1742. **श्री गणेश सिंह:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए 17-सूत्रीय फार्मूला तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस फार्मूले से तेल क्षेत्र को कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने में कितनी सहायता मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) दिनांक 18.6.2005 को मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) द्वारा आयोजित एक नेमी समीक्षा बैठक में, प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई के लिए सोलह मुद्दों का पता लगाया गया, जिनमें तेल क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार से संबंधित कई मुद्दे शामिल हैं, जैसे:-

* अपस्ट्रीम तथा डाऊनस्ट्रीम क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए एक मध्यावधि कार्यक्रम सुझाने के लिए कार्य दल;
* मिट्टी तेल की मांग पर एनसीएईआर द्वारा रिपोर्ट तैयार करना;
* ऊर्जा में सहयोग के लिए सलाहकार समिति द्वारा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना;
* पीसीआरए के पुनर्गठन/पुन: केन्द्रण कार्रवाई के लिए टीईआरआई की सहायता प्राप्त करना;
* पीसीआरए द्वारा ऊर्जा सेवा कंपनियां (ईएससीओ) माडल को जोरदार तरीके से प्रोन्नत करना;
* शोधन नीति को अंतिम रूप दिया जाना;
* ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नवीकरण की वांछनीयता;
* अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मौजूदगी के साथ ईआईएल के प्रचालन कार्यों पर पुन: केन्द्रण तथा अध्ययन की आवश्यकता; तथा
* ओएनजीसी के उत्पादन को अधिकतम करना।

ओएनजीसी द्वारा अपने मौजूदा बड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही आईओआर/ईओआर योजनाओं के परिणामस्वरूप वर्ष 2030 तक करीब 120 मिलियन मीट्रिक टन (मि.मि. टन) तक तेल वृद्धि की संभावना है।

अकोला रेलवे स्टेशन का पुनरुद्धार

1743. श्री संजय धोत्रे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का महाराष्ट्र में अकोला रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस स्टेशन का पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) अकोला 'ए' कोटि का आदर्श स्टेशन है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपेक्षित सभी सुविधाओं की व्यवस्था इस स्टेशन पर कर दी गई है। बहरहाल, एक कार्य यथा 27.64 लाख रुपए की लागत पर प्लेटफार्म सं. 2 और 3 पर प्लेटफार्म सायबान के विस्तार का कार्य मौजूदा वर्ष अर्थात् 2005-06 के दौरान स्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ की गई परियोजनाएं

1744. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिए निधियां किस प्रकार जुटाई गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कुल 53 परियोजनाएं (32 स्वर्णिम चर्तुभुज और इसके विकर्णों और 21 न्यास/भीतरी प्रदेश जोड़ने के लिए) रेल विकास निगम को स्थानांतरित कर दी गई हैं। इन परियोजनाओं में से, 37 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं (नई लाइनें-3, आमान परिवर्तन-7, दोहरीकरण-24 और रेल विद्युतीकरण-3) और 16 को स्वीकृति नहीं दी गयी है। (नई लाइनें-6, आमान परिवर्तन-1, दोहरीकरण-7, रेल विद्युतीकरण-1 और अन्य कार्य-1)

(ख) अभी तक परियोजनाओं पर कुल 1077 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। 977 करोड़ रु. आरवीएनएल की इक्विटी है जिसका अंशदान रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है और 100 करोड़ रुपए निजी भागीदारी के जरिए जुटाए गए हैं।

रेलवे की आय में वृद्धि

1745. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे टिकटों की बिक्री के अलावा अन्य तरीकों से अपनी आय में वृद्धि करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस प्रयोजनार्थ कुछ नए तरीके ढूंढे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हा।

(ख) और (ग) यात्री और माल यातायात के अलावा, अन्य चीजों से आमदनी में वृद्धि के मद्देनजर रेलवे की भूमि/आकाशीय क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास, रेलगाड़ियों के अन्दर/रेल परिसरों में वाणिज्यिक प्रचार ब्राड बैंड कनेक्टीविटी के विकास हेतु आप्टिक फाइबर केबल्स बिछाने के लिए रेलपथ के साथ "राइट आफ वे" प्रदान करना इत्यादि जैसे रेलवे ने विभिन्न उपाय किए हैं।

फिल्मों पर प्रतिबंध

1746. श्री जोवाकिम बखला: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अश्लीलता, हिंसा और महिलाओं की अशोभनीय प्रस्तुति पर आधारित फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी फिल्मों को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी.बी.एफ.सी.) चलचित्र अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्मों का प्रमाणन करता है। जांच

समिति/संशोधन समिति जो प्रमाणन हेतु फिल्मों का पूर्वावलोकन करती है, में 50 प्रतिशत महिला सदस्य शामिल हैं। निम्नलिखित दिशा-निर्देश संगत हैं:-

2(7) "अभद्रता, अश्लीलता या चरित्रहीनता द्वारा मानवीय संवेदनशीलताओं को ठेस न पहुंचती हो।"

2(8) "मूल अन्तः वृत्ति को पोषित करने वाले द्विअर्थी शब्दों की अनुमति नहीं है।"

2(9) "किसी भी तरीके से महिलाओं का अपमान करने वाले या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं।"

2(10) "महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा जैसे बलात्कार का प्रयास, बलात्कार या किसी भी रूप में छेड़छाड़ वाले दृश्यों अथवा इसी स्वरूप के दृश्यों को न दिखाया जाए और यदि इस प्रकार के दृश्य विषय-वस्तु के लिए अनिवार्य हों तो उन्हें न्यूनतम रखा जाए और उनको विस्तार से दिखाया न जाए।"

2(11) "कामविकृति दर्शाने वाले दृश्यों को नहीं दिखाया जाएगा और यदि ऐसे मामले विषय-वस्तु के लिए अनिवार्य हों उन्हें न्यूनतम रखा जाएगा, तथा उनको विस्तार से नहीं दिखाया जाएगा।"

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सूचित किया है कि उनके द्वारा इन दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बाढ़ से रेल रूट को क्षति

1747. **श्री मुन्शी राम:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय भागों में बाढ़ के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाढ़ के कारण रेल लाइनों को हुई क्षति का आकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अनुमानित कितनी धनराशि की हानि हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां कि रेल लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं;

(च) बाढ़ के कारण फंसे हुए यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा अब तक क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) क्या बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सभी रेल पुलों के संबंध में योग्यता परीक्षण किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) जी, हां। मौजूदा मानसून में कतिपय मार्गों पर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। बाढ़ के कारण हुए नुकसान के पता चलने पर संबंधित रेल अधिकारी तुरंत ही प्रभावित स्थल पर पहुंचते हैं, नुकसान की जांच करते हैं और पुनः स्थापन कार्य शुरू करते हैं। हाल ही में क्षतिग्रस्त कुछ क्षेत्रों का पुनः स्थापन कार्य किया जा रहा है। क्षति के कारण हानि की कुल लागत की जांच की जाती है और मानसून के दौरान पुनः स्थापन का कार्य पूरा होने पर संकलित किया जाता है।

मौजूदा मानसून में कुछ बड़े खंडों पर जहां रेल लाइनों को कुछ स्थानों पर क्षति हुई, ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(च) फंसे हुए यात्रियों को यथाशीघ्र हर समय हर संभव सहायता दी जाती है और परिस्थितियों के अनुसार आगे यात्रा के लिए प्रबंध किया जाता है।

(छ) और (ज) बाढ़ का पानी उतरने और ट्रैफिक को चालू करने से पहले, पुलों का समुचित रूप से निरीक्षण किया जाता है।

विवरण

राज्यवार खंड जो मौजूदा मानसून में कुछ स्थानों पर बाढ़ के कारण प्रभावित हुए

क्र.सं.	राज्य	रेलवे	खंड
1	2	3	4
1.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	अहमदाबाद-वडोदरा
2.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	सुरेन्द्रनगर-बंटोड
3.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	सुरेन्द्रनगर-राजकोट
4.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	ढासा-रजौला

1	2	3	4
5.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	वडोदरा-सूरत
6.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	आनंद-खम्बात
7.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	गोधरा-आनंद
8.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	वसाड़-कटना
9.	गुजरात	पश्चिम रेलवे	विरामगाम-गांधीधाम
10.	बिहार	पूर्व मध्य रेलवे	मानसी-सहरसा
11.	मध्य प्रदेश	पश्चिम मध्य रेलवे	बिना-कटनी
12.	महाराष्ट्र	दक्षिण पश्चिम रेलवे	लोंडा-मिराज
13.	महाराष्ट्र	मध्य रेलवे	कल्याण-इगतपुरी
14.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य रेलवे	मेवात रोड-पेरगांव
15.	आंध्र प्रदेश	दक्षिण मध्य रेलवे	काजीपेट-सिकन्दराबाद
16.	उत्तर प्रदेश	उत्तर मध्य रेलवे	इलाहाबाद-झांसी
17.	राजस्थान	उत्तर पश्चिम रेलवे	रेवाड़ी-फुलेरा
18.	महाराष्ट्र	मध्य रेलवे	पनवेल-रोहा
19.	महाराष्ट्र	मध्य रेलवे	कल्याण-लोनावाला
20.	महाराष्ट्र	मध्य रेलवे	कोंकण रेलवे

[अनुवाद]

बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. का पुनरुद्धार

1748. श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रेथवेट, बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि. का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने निम्नलिखित उपायों के साथ कंपनी की वित्तीय पुनर्संरचना को स्वीकृत किया है:-

(1) भारत सरकार के ऋण और ब्याज की 13.88 करोड़ रुपये की राशि को इक्विटी में परिवर्तित करना।

(2) भारत सरकार के ऋण की 10.00 करोड़ रुपये की राशि को शून्य दर डिबेन्चर (जैडआरडी) में परिवर्तित करना।

(3) दिनांक 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के ऋण और देयराशि पर उपचित 30.73 करोड़ रुपये के ब्याज और दंडात्मक ब्याज की राशि को माफ करना।

अंगमालि-सबरीमाला रेल लाइन

1749. श्री पी.सी. थामस: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नई अंगमालि-सबरीमाला रेल लाइन बिछाने हेतु केरल सरकार से भूमि अधिग्रहित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कार्य की कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात राज्य सरकार को पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में गेल शोधनशाला

1750. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी ने राजस्थान में हाल में मिले तेल स्थल पर तेल शोधनशाला की स्थापना हेतु निवेश योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी तेलशोधन क्षमता कितनी होगी; और

(ग) प्रस्तावित तेल शोधनशाला द्वारा कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) राजस्थान के बाड़मेर जिले में कैर्न एनर्जी परिसंघ द्वारा की गई तेल खोजों के आधार पर आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)/मंगलौर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ने प्रति वर्ष 7.5 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना करने में रुचि दिखाई है। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) नाम की दो अन्य तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी राजस्थान में कूप शीर्ष रिफाइनरी की स्थापना करने में रुचि दिखाई है। इन कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे आरजे-ओएन-90/1 ब्लाक के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के तहत कच्चे तेल की खरीद के लिए उन्हें सरकारी नामिती के रूप में निर्दिष्ट करें।

(ग) ऐसी रिफाइनरी के लिए कोई भी निवेश योजना तभी बनाई जा सकती है जब उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत कच्चे तेल की खरीद के लिए सरकार ने अपना नामिती निर्दिष्ट किया हो।

[अनुवाद]

एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी

1751. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्तमान एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी की समीक्षा हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) जी, नहीं। नई अन्वेषण लाइसेंसी नीति (एनईएलपी) का प्रत्येक चक्र शुरू करने से पहले सुझाव प्राप्त करने और सुधार हेतु सभी पणधारियों के साथ परामर्श किये गए हैं। 4 जनवरी, 2005 को घोषित एनईएलपी के पांचवें चक्र के लिए यही प्रक्रिया अपनायी गई थी। इन परामर्शों से कुछ उपायों के सम्मावेशन में प्रोत्साहन मिला है जिससे पिछले चक्रों में सुधार किए गए हैं। पांचवें चक्र में किए गए सुधारों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में देखा जा सकता है। इसके परिणामत: नई अन्वेषण लाइसेंसी नीति के पांचवें चक्र (एनईएलपी-5) के तहत बोली देने का प्रत्युत्तर बहुत सफल रहा है। 48 कंपनियों से 20 ब्लाकों के लिए 69 बोलियां प्राप्त हुईं जिनमें से 27 कंपनियां विदेशी थीं। पांचवें दौर के लिए बोलियों की अंतिम तिथि के बाद मंत्रालय की अपनी पहल पर 7.7.2005 को पेट्रोफेड के तत्वावधान में सीईओज कानक्लेव में पणधारियों की बैठक हुई जहां अन्य देशों के साथ स्थिति की तुलना करने के बाद एनईएलपी के आशोधन के मामले पर चर्चा की गई थी। मंत्रालय ने पेट्रोफेड से उनके द्वारा सुझाए गए सुधारों पर अध्ययन करने के लिए कहा है जिन्हें उद्योग सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखने के उपरांत एनईएलपी में कार्यान्वित किया जाना आवश्यक है।

विवरण

(1) इंटरनेट के माध्यम से सभी भू-वैज्ञानिक आंकड़े आनलाइन उपलब्ध कराए गए थे ताकि कंपनियां अपनी सुविधा और स्थल पर आंकड़े देख सकें।

(2) लंदन, ह्यूस्टन, कैलगरी और दुबई स्थित आंकड़ा केन्द्रों पर साफ्टवेयर युक्त कार्य केन्द्र उपलब्ध कराए गए थे। इससे कंपनियां आंकड़ा केन्द्रों पर स्वयं आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करने में समर्थ थीं।

(3) कंपनियों की विपणन स्थायित्व उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्राकृतिक गैस के लाभ का हिस्सा नकद या सामान के रूप में 5 वर्ष के ब्लाक के लिए लेने का विकल्प ले सकेगी बजाय इसके कि यह विकल्प पिछले चक्रों की तरह प्रत्येक वर्ष के लिए लिया जाए।

(4) आंकड़ा पैकेज और सूचना डाकेट्स छूट प्राप्त कीमतों पर खरीदा जा सकता है।

(5) छोटे और मध्यम निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भूस्थित और उथले जल ब्लाकों के मामले में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम वचनबद्धता के प्रति 500 मिलियन अमेरिकी डालर या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को बैंक गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। पिछले चक्र में यह न्यूनतम मूल्य लगभग 1000 मिलियन अमेरिकी डालर था।

(6) बोली प्रक्रिया में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, उप-मानदंड हेतु महत्वमूल्यों सहित सभी बोली मूल्यांकन मानदंडों के लिए महत्वमूल्य पहली बार एनईएलपी-5 के तहत सार्वजनिक किए गए थे।

(7) पिछले चक्रों से सभी प्रचालनात्मक ब्लाकों के ब्यौरे अर्थात् कार्य कार्यक्रम, राजकोषीय शर्तों आदि आंकड़ा केन्द्रों पर उपलब्ध कराए गए। इससे कंपनियां अपनी बोलियां तैयार करने के लिए अन्य बोली मापदंडों के साथ-साथ विद्यमान कार्य कार्यक्रम का मूल्यांकन करने में समर्थ रही और इससे कार्यनीतिक गठबंधन करने में भी उन्हें सहायता मिल सकती है।

प्रसारण क्षमता में वृद्धि

1752. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। बेलगाम, चिकोड़ी, रानीबेन्नुर, होस्पेट, सिरसी और कोलार गोल्ड फील्ड्स स्थित 100 वाट के अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर 500 वाट के स्वचालित पद्धति के अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे।

संरक्षित स्मारकों की सूची में उपासना स्थलों को शामिल करना

1753. श्री प्रदीप गांधी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय महत्व के किसी उपासना स्थल को संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा अनुरक्षण पर कितना व्यय किया जा चुका है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। कुल 3660 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं जिनमें से 955 धार्मिक उपासना स्थान हैं।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय इस प्रकार है:-

2002-2003	8034.59 लाख रुपए
2003-2004	10706.03 लाख रुपए
2004-2005	11595.48 लाख रुपए

वर्ष 2005-2006 के दौरान 12871.00 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं जिनमें से जून 2005 तक 1198.61 लाख रुपए व्यय किए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची जहां उपासना की जाती है

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आगरा	68
2.	औरंगाबाद	113
3.	बंगलौर	81
4.	भुवनेश्वर	35
5.	भोपाल	33
6.	चंडीगढ़	29
7.	चेन्नई	81
8.	देहरादून	24
9.	दिल्ली	35
10.	धारवाड़	109
11.	गुवाहाटी	8
12.	गोवा	3
13.	हैदराबाद	35
14.	जयपुर	27
15.	कोलकाता	89

1	2	3
16.	लखनऊ	27
17.	पटना	12
18.	रायपुर	8
19.	श्रीनगर	27
20.	त्रिसूर	13
21.	वडोदरा	98
	कुल	955

मालभाड़ा प्रशुल्क

1754. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को खाली मालडिब्बों की वापसी के कारण मालभाड़े में घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे इस समस्या से निजात पाने के लिए रियायती प्रशुल्क की पेशकश कर मालभाड़ा प्रशुल्क में लचीलापन लाने पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या रेलवे अतिरिक्त प्रशुल्क अर्जित करने के लिए विपणन और रियायती प्रशुल्क संबंधी पेशकश की आवश्यकता पर बल दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) भारतीय रेल पर माल डिब्बों के खाली संचलन की लागत मालभाड़ा संरचना में सम्मिलित है। विपरीत दिशा में खाली रेकों के लदान से बहरहाल, व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि किए बिना मार्जन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने के उद्देश्य से साइडिंगों से बुक किए गए वर्धमान-यातायात के लिए मालडिब्बों की अधिसूचित खाली रवानगी के लिए मालभाड़ा दरों में 20 प्रतिशत की रियायत दी है।

[हिन्दी]

हरियाणा की रेल परियोजनाओं को पूरा किया जाना

1755. श्री अवतार सिंह भड़ाना:
डा. राजेश मिश्रा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं और सर्वेक्षण की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को पूरा किए जाने की संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक आवंटित और व्यय की गई धनराशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से इन चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष पैकेज हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आंशिक/पूर्ण रूप से चालू नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की परियोजनाओं, अभी तक हुई प्रगति, 31.03.2005 तक किया गया व्यय, 2005-06 के दौरान उपलब्ध कराया गया परिव्यय और निर्धारित तिथि जहां कहीं भी निर्धारित की गयी हो का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	31.3.2005 तक किया गया खर्च	2005-06 में बजट परिव्यय	समग्र वास्तविक प्रगति और लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किया गया हो
1	2	4	5	6
		हरियाणा		
नई लाइनें				
1.	चंडीगढ़-लुधियाना	172.98	25.07	42 प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है। चंडीगढ़ से मोरिण्डा तक नई लाइन को 2005-06 में पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	4	5	6
2.	कालका-परवानू	0.15	0.01	राज्य सरकार (हिमाचल प्रदेश) ने परियोजना की तकनीकी बाध्यताओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति ने कालका-परवानू निर्माण कार्य को छोड़ने और बदले में चंडीगढ़-बद्दी के बीच नई लाइन के निर्माण के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की है। चंडीगढ़-बद्दी नई लाइन का सर्वेक्षण कार्य 2005-06 के बजट में शामिल कर लिया गया है।
3.	रेवाड़ी-रोहतक	0.41	2.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
4.	जींद-सोनीपत	0.24	3.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
	आमान परिवर्तन			
5.	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद और दिल्ली-रेवाड़ी दूसरी लाइन	41.38	3.00	फुलेरा-मारवाड़-अहमदाबाद आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है और लाइन खोल दी गई है। दिल्ली-रेवाड़ी खंड पर निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 2005-06 में इस कार्य को समाप्त करने का लक्ष्य है।
6.	रेवाड़ी-सादुलपुर जिसमें सादुलपुर-हिसार शामिल है।	0.48	15.00	सभी बड़े पुलों पर मिट्टी की जांच का कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।
	दोहरीकरण			
7.	रोहतक-जखल	3.38	15.71	5 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य को 31.3.2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
			उत्तर प्रदेश	
	नई लाइनें			
1.	आगरा-इटावा- चाया फतेहाबाद और बाह	30.04	8.00	24.00%
2.	इटावा-मैनपुरी	24.68	10.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य समाप्त हो चुका है। 207.2 हैक्टेयर जमीन खरीद ली गई है।
3.	गुना-इटावा	356.95	25.00	गुना-ग्वालियर और ग्वालियर-भिंड खंड पर कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। भिंड से इटावा के बीच इस परियोजना के अंतिम चरण का 93% कार्य पूरा चुका है।
4.	हथुआ-देवरिया सदर	0	4.00	नया कार्य 2005-06 के बजट में शामिल किया गया है।
5.	ललितपुर-सतना और रेवा-सिंगरौली	51.00	25.00	33%

1	2	4	5	6
6.	रामपुर-लालकुआं-काठगोदाम पर ऊपरि सड़क पुल राष्ट्रीय राजमार्ग पर	0.09	0.10	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सामान्य आरेखण प्रबंध का अनुमोदन हो चुका है।
	आमान परिवर्तन			
7.	औंडिहार-जौनपुर	0.02	2.00	मिट्टी और छोटे पुलों के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है।
8.	गोंडा-बरहाइच-सीतापुर-लखनऊ चरण-I	2.27	0.01	5%
9.	गोंडा-गोरखपुर लूप आनंद नगर नौतनवा सहित	44.11	0.10	12% कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य को 2006-07 में पूरा करने का लक्ष्य है।
10.	कानपुर-कासगंज-मथुरा-बरेली बरेली से लालकुआं के विस्तार के लिए सामग्री के संशोधन सहित	207.25	43.35	33% कार्य पूरा हो चुका है। कानपुर से फार्रुखाबाद (137 किमी) के बीच आमान परिवर्तन कार्य 2005-06 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
11.	कप्तानगंज-थावे-सीवान-छपरा	31.09	8.00	20%
12.	मथुरा-अचनेरा	0.11	0.01	इस कार्य को कानपुर-कासगंज-मथुरा खंड के साथ करने की योजना है।
	दोहरीकरण			
13.	पांकी-भौपुर तीसरी लाइन	0	7.00	नए कार्य को 2005-06 के बजट में शामिल किया गया है। योजना की तैयारी और अनुमान कार्य शुरू कर दिया गया है।
14.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	0	35.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण का 32% कार्य समाप्त हो चुका है। इस परियोजना को एडीबी निधि से राष्ट्रीय रेल विकास योजना के माध्यम से कार्यान्वित करने के लिए चिह्नित किया गया है।
15.	इलाहाबाद-सूनेदारगंज तीसरी लाइन	0	2.00	नया कार्य 2005-06 के बजट में शामिल किया गया है।
16.	अमरोहा-कंकाथेर	33.55	15.00	85%
17.	बभनान-मनकापुर कहीं-कहीं दोहरीकरण	0	2.00	नया कार्य 2005-06 के बजट में शामिल किया गया है।

1	2	4	5	6
18.	भीमसेन-जुही	0	2.00	नया कार्य 2005-06 के बजट में शामिल किया गया है।
19.	चेओकी-लोहगरा	4.38	10.00	45% कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 31.3.2006 है।
20.	गर्राह पुल	2.89	5.00	20% कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य 31.5.2006 है।
21.	गोंडा-मनकापुर	1.00	10.00	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुका है। मिट्टी और पुल संबंधी कार्य के लिए निविदाओं को अंतिम रूप दिया गया है।
22.	गोरखपुर-सहजनवा	13.49	5.00	15%
23.	हापुड़-कंकथेर	7.00	15.02	6%
24.	कानपुर-पंकी तीसरी और चौथी लाइन	54.75	5.00	72%
25.	लोहगरा-कटियाडंडी	0.03	35.00	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुका है।
26.	मानिकपुर-चेओकी चरण-I	51.89	0.99	93% कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य को 2005-06 में पूरा करने का लक्ष्य है।
27.	नैनी लिंक जंक्शन-शंटिंग नेक का विस्तार	0.21	0.01	30%
28.	सहिबाबाद-आनंद विहार तीसरी और चौथी लाइन	17.5	20.00	विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुका है। परियोजना को राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना के द्वारा कार्यान्वित करने के लिए चिह्नित किया गया है।
29.	सहजनवा-मुंडेरवा कहीं-कहीं दोहरीकरण	0	7.00	नया कार्य 2005-06 के बजट में शामिल किया गया है।
30.	सोनेनगर-मुगलसराय	262.95	2.00	कार्य पूरा कर लिया गया है और यातायात के लिए शुरू कर दिया गया है। यार्ड की पुनर्संरचना का कार्य शुरू हो चुका है।
31.	टुंडला-यमुना पुल	19.95	0.01	परियोजना का चरण-I अर्थात् टुंडला एतमदपुर के बीच दो एकल लाइनों के साथ दोहरीकरण कर लिया गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। परियोजना के चरण-II में टुंडला यार्ड की पुनर्संरचना शामिल है और आरआरआई कार्य के साथ शुरू किया जाएगा जिसे केएफडब्ल्यू फंडिंग से शुरू किया जाएगा।
32.	उतरैतिया-चन्द्रौली और सुल्तानपुर-बंधुआ कलां	24.42	15.00	65% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना को 31.3.2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	4	5	6
33.	जाफराबाद-उत्तरैतिया चरण-II (जाफराबाद-श्रीकृष्ण नगर)	30.18	40.00	61% कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना को 31.3.2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आंशिक/पूर्णत: किये गये सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	परियोजना के नाम	कि.मी.
1	2	3
	नई लाइनें	
1.	रेवाड़ी-रोहतक	81
2.	चंडीगढ़-देहरादून बरास्ता जगाधरी	217
3.	कैथल-यमुना नगर बरास्ता करनाल	128
4.	रेवाड़ी-बहादुरगढ़ बरास्ता झज्झर	77
5.	रेवाड़ी-भिवाड़ी	27
6.	अबोहर-तोहाना बरास्ता भुना और फतेहाबाद	207
7.	रोहतक-हिसार बरास्ता मेहम और हांसी	68
8.	भिंड-महोबा बरास्ता ओरई	216
9.	भिंड-हरपालपुर बरास्ता ओरई	223
10.	अलीगढ़-झिंझक बरास्ता सिकन्दराबाद और मैनपुरी	268
11.	गोलगोकरननाथ-शाहजहांपुर बरास्ता मोहम्मदी	67
12.	पनीआवा-तमकुही रोड	60
13.	आनंद नगर-कप्तानगंज	60
14.	बेहरान-इटाहा बरास्ता शाहजहांपुर	150
15.	शाहगंज-अमेठी बरास्ता सुल्तानपुर	110
16.	चोला-बुलंदशहर	16
17.	संभल-राजघाट	49

1	2	3
	दोहरीकरण	
18.	अम्बाला कैंट-सरहिंद तीसरी लाइन	53
19.	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन	39
20.	अम्बाला कैंट-चंडीगढ़	45
21.	पलवल-भुतेश्वर तीसरी लाइन	81
22.	अलीगढ़-गाजियाबाद चौथी लाइन	103
23.	मेरठ-सहारनपुर	114
24.	खुर्जा-हापुड़-मेरठ	93
	आमाप परिवर्तन	
25.	भीजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर	102
26.	औरिहार-जोनपुर	60
27.	लखनऊ-भीजीपुरा बरास्ता सीतापुर	302
28.	रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा-अजमेर	294

(ग) मंत्रालय में इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में भ्रष्टाचार

1756. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री 15 जुलाई, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1284 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) शिकायतों की जांच अभी भी चल रही है और इसके पूरा होने में कुछ और अधिक समय लगने की संभावना है।

[हिन्दी]

सुल्तानगंज-देवघर में समपार पर ऊपरि पुल का निर्माण

1757. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सुल्तानगंज-देवघर राजमार्ग में समपार पर ऊपरि पुल के निर्माण हेतु आधारशिला रख दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी, हां। यह कार्य हाल ही में अनुमोदित किया गया है। ऊपरी सड़क निचले सड़क पुल का वास्तविक निर्माण शुरू करने से पहले सामान्य व्यवस्था संबंधी नक्शे, मिट्टी की जांच, विस्तृत डिजाइन और अनुमान तैयार किए जाते हैं। इस समय योजना तथा आरेखण की तैयारी के लिए काम चल रहा है।

[अनुवाद]

रेलवे में रेल ऊपरीपुल

1758. श्री पी. करूणाकरन:
श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय ने इस बात पर ध्यान दिया है कि रेलवे द्वारा कई रेल उपरीपुल निर्माण के दौरान ही बीच में छोड़ दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा ऐसे रेल उपरीपुलों के निर्माण को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलवे द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर मौजूदा समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण समपारों पर यातायात घनत्व एक लाख या अधिक टीवीयू हो। (टीवीयू-समपार पर 24 घंटों में गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या को वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली एक इकाई) अन्यथा निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। दोनों ही मामलों में राज्य सरकार द्वारा कुछ प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को विधिवत रूप से पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित होना चाहिए। रेलवे पुल भागों का निर्माण करता है जैसे ट्रैक्स के आर-पार और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाता है और पहुंच मार्गों के साथ-साथ रेलवे के भाग को पूर्ण करने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। साधारणत: रेल का भाग पहले या राज्य सरकार के पहुंच मार्गों के भाग के साथ पूर्ण होगा और उन कुछ मामलों में जहां रेल का भाग पीछे है, कार्य को करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे। रेलवे की ओर से सड़क ऊपरी/निचले पुलों का कोई कार्य पूर्ण न होने के कारण बीच में नहीं छोड़ा गया।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

1759. डा. टोकचोम मैन्या: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विदेशी कंपनियों विशेषकर एक फ्रांसीसी कंपनी ने पूर्वोत्तर में विशेषकर ब्रह्मपुत्र बेसिन में गैस और तेल भण्डारों की खोज में अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में अन्वेषण कार्य कर रही है। दिनांक 1.4.05 की स्थिति के अनुसार ओएनजीसी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 36,307 ग्राउंड लाइन किलोमीटर

(जीएलके) द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण 2,389 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा 739 अन्वेषण कूपों के वेधन का कार्य किया है। ओआईएल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 21,419 ग्राउंड लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण 2,521 वर्ग किलोमीटर त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा 312 अन्वेषण कूपों के वेधन का कार्य किया है। इसके अलावा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 598 ग्राउंड लाइन किलोमीटर द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण तथा एक अन्वेषण कूप का वेधन किया है।

इन अन्वेषी प्रयासों के साथ ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेल जमा गैस के समतुल्य तेल की 344 एमएमटी मात्रा सिद्ध की है।

(ग) और (घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में टुल्लो आयल इंडिया लिमिटेड आपरेशन्स लिमिटेड, प्रीमियर आयल नार्थ ईस्ट (बीवी), कनोरो रिसोर्सेस लिमिटेड और ज्यो पेट्रोल इन्टरनेशनल नाम की चार विदेशी कंपनियां कार्य कर रही हैं। ज्यो पेट्रोल एक फ्रांसीसी मूल की कंपनी है और खरसांग नाम के एक मध्यम आकार के उत्पादन क्षेत्र में 25 प्रतिशत की भागीदारी रखती है।

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के पांचवें दौर में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पड़ने वाले 2 अन्वेषण ब्लाकों के लिए भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में छः विदेशी कंपनियां नामतः कनोरो रिसोर्सेस लिमिटेड, कनाडा, ज्यो पेट्रोल इंटरनेशनल इंक, एड्यू गोबलान, मोनेको, आइलेक्स, आस्ट्रेलिया, प्रोवीडेंस रिसोर्सेस यू.के. सनटेरा रिसोर्सेस, रूस जारकोस होल्डिंग्स लिमिटेड, साइप्रस शामिल हैं।

नि:शक्त लोगों हेतु राष्ट्रीय नीति

1760. **श्री एन.एन. कृष्णदास:**
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि:शक्त लोगों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस नीति को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उसे मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर डाल दिया गया है। इस पर व्यक्तियों/विशेषज्ञों/गैर-सरकारी संगठनों के विचार मांगे गए हैं। भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के अभिमत भी मांगे गए हैं। चूंकि अभिमत अभी प्राप्त किए जा रहे हैं, अतः इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए इस अवस्था पर कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

मंगलौर में ओ.एन.जी.सी. परियोजना

1761. **श्री एम. शिवन्ना:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मंगलौर में प्रस्तावित तेल और प्राकृतिक गैस निगम परियोजना के संबंध में समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): यह निर्णय लिया गया है कि मंगलौर में तटीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकास के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) तथा कनारा वाणिज्य और उद्योग मंडल के साथ ओएनजीसी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में परिकल्पित परियोजनाओं के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की एक सहायक कंपनी मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) क्रियान्वयन एजेंसी होगी। ओ.एन.जी.सी. इन परियोजनाओं से संबंधित एमआरपीएल के प्रस्तावों/सिफारिशों पर कार्रवाई करेगी और अनुमोदन के बाद, एमआरपीएल द्वारा यथा अपेक्षित और अनुरोधित वित्त और गारंटी उपलब्ध कराएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के समपारों पर रेल ऊपरिपुल

1762. **श्री आत्मा सिंह गिल:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों के समपारों पर ऊपरिपुलों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं काफी समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सिरसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-10 पर ऊपरिपुल के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त ऊपरिपुलों का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जहां यातायात घनत्व गाड़ी वाहन इकाई (टी.वी.यू.) 1 लाख या अधिक है, अन्यथा निर्धारित मानदंडों पर व्यस्त समपारों के स्थान पर लागत में भागीदारी के आधार पर रेलवे सड़क उपरी/निचले पुलों का निर्माण करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) योजना के तहत कतिपय महत्वपूर्ण राजमार्गों पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचडीपी) द्वारा उपरी/निचले पुलों का निर्माण किया जाता है। इन उपरी/निचले सड़क पुलों के लिए पूरा वित्त पोषण एनएचईआई द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी आधार पर अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य निष्पादित किया जाता है।

हरियाणा राज्य में दो ऊपरी सड़क पुलों संबंधी कार्य अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर एलसी सं. 63/ए और एलसी सं. 32/बी के स्थान पर उपरी सड़क पुल लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत हैं। रेलवे पुल खास का निर्माण करती है और राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग स्कंध पहुंच मार्गों का निर्माण करता है। समपार सं. 63/ए के मामले में, विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं और सामान्य आरेखण प्रबंधन को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया है और यह अनुमोदनाधीन है। समपार सं. 32/बी के मामले में, राज्य सरकार की राष्ट्रीय राजमार्ग स्कंध ने अपने हिस्से का कार्य प्रारंभ नहीं किया है। राज्य सरकार के सामान्य आरेखण प्रबंधन और अनुमान की प्रतीक्षा है।

(ग) प्रारंभ में राज्य सरकार द्वारा निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण के आधार पर सिरसा में हिसार-भटिंडा राष्ट्रीय राजमार्ग-10 पर समपार सं. 143 के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव किया गया था जो अब राज्य सरकार द्वारा लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू करने के लिए विचाराधीन है। राज्य सरकार से मौजूदा नियमों के अनुसार अपेक्षित वचनबद्धताओं सहित एक ठोस प्रस्ताव की प्रतीक्षा अपेक्षित है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

धरोहर स्थलों का विकास

1763. श्री प्रदीप गांधी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय संस्कृति निधि द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान विकसित धरोहर स्थलों का ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा देश में विशेषकर दिल्ली और मध्य प्रदेश में विदेशी सहायता से वर्ष 2005-06 के दौरान विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित धरोहर स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन स्थलों के विकास हेतु निधियों से कितनी धनराशि प्राप्त की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) राष्ट्रीय संस्कृति निधि वर्ष 2004-05 के दौरान निम्नलिखित विरासत स्थलों के विकास की प्रक्रिया में शामिल रही है:-

(1) ताज महल—ताज ग्रुप आफ होटल्स के सहयोग से।

(2) जंतर मंतर—पार्क ग्रुप आफ होटल्स के सहयोग से।

(3) जैसलमेर किला—विश्व विरासत निधि के सहयोग से।

इन स्थलों के विकास के लिए अब तक जारी की गई धनराशि इस प्रकार है:

ताज महल	:	55 लाख रु.
जंतर मंतर	:	धनराशि राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से जारी नहीं की जाती है। भुगतान सीधे पार्क होटल द्वारा किए जाते हैं
जैसलमेर किला	:	34.54 लाख रु.

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में स्मारकों के विकास के लिए विदेश से कोई निधियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव

1764. श्री अलीमाऊ चर्चील: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोवा सरकार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) फरवरी, 2004 में गोआ सरकार ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी करने के लिए अवसंरचना का निर्माण करने हेतु योजना आयोग से 50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुरोध किया था। तथापि, इसके लिए गोआ सरकार को कोई अतिरिक्त निधियां उपलब्ध नहीं करवायी गई थी। गोआ सरकार ने भारतीय अर्न्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए निर्मित कर लिए गए/निर्मित किए जाने हेतु प्रस्तावित अवसंरचना पर व्यय हेतु 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए चालू वर्ष (2005-06) में योजना आयोग से दोबारा अनुरोध किया है। योजना आयोग द्वारा इस बारे में अभी निर्णय लिया जना है।

कांगड़ा विमानपत्तन

1765. प्रो. चन्द्र कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कांगड़ा विमानपत्तन का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त विमानपत्तन कब तक कार्य शुरू करेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) कांगड़ा एयरपोर्ट पर, विभिन्न विकास और स्तरोन्नयन के कार्य जैसे कि रनवे का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार, लिंक टैक्सीवे के साथ नए एप्रन का निर्माण, कार पार्क के साथ नया टर्मिनल भवन और फायर स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। एक नया कंट्रोल टावर-कम-टेक्निकल ब्लाक निर्माणाधीन है। इसे दिसम्बर, 2005 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(ग) पहले किए जा चुके व्यय सहित, उपरोक्त सभी कार्यों हेतु खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि 1448 लाख रुपए है।

(घ) जब भी राज्य सरकार अवरोध हटाने तथा सड़क और सुरंग को मोड़ने का कार्य पूरा कर लेती है, तो रनवे के बढ़ाए गए भाग को प्रचालनिक बनाया जा सकेगा।

नया फिल्म संस्थान

1766. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में संयुक्त उद्यम के रूप में एक नए फिल्म संस्थान की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार-पत्रों का पंजीकरण

1767. श्री मनोरंजन भक्त: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर से प्रकाशित किए जाने वाले समाचार-पत्रों के पंजीकरण हेतु निजी प्रकाशकों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005 के दौरान 31.07.2005 तक भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय में शीर्षक सत्यापन हेतु 7 आवेदन और पंजीकरण हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

(ग) शीर्षक सत्यापन हेतु प्राप्त 7 आवेदनों में से 5 शीर्षक सत्यापित कर दिए गए थे और शेष दो के संबंध में प्रस्तावित शीर्षक उपलब्ध नहीं थे। जहां तक पंजीकरण हेतु आवेदन का संबंध है, इसके दस्तावेज पूरे नहीं थे और भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक का कार्यालय द्वारा प्रकाशक से पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का आधुनिकीकरण

1768. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्रालय से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने बी.ओ.टी. आधार पर नए टर्मिनस हेतु छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के निकट स्थित 20 एकड़ भूमि को विकसित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के विस्तार और आधुनिकीकरण में सहायता करने की इच्छा भी जाहिर की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। कर्नाक बुंदेर में वाणिज्यिक विकास मार्ग के माध्यम से नए आधुनिक स्टेशन भवन के विकास का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में रेलवे स्टेशन के निकट भूमि में विस्तार के लिए सुझाव दिया है।

(घ) और (ङ) उपलब्ध भूमि के वाणिज्यिक विकास हेतु बाजार व्यवहार्यता अध्ययन का जिम्मा मुंबई रेल विकास निगम लि. को दिया गया है।

(च) चूंकि प्रस्ताव संकल्पनात्मक स्थिति में है, अत: कोई लक्ष्य नहीं दिया जा सकता।

[हिन्दी]

संरक्षित स्मारक के रूप में गरगोती संग्रहालय

1769. **श्री देविदास पिंगले:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिन्नार (महाराष्ट्र) में गरगोती संग्रहालय को एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके संरक्षित स्मारक का दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास, महाराष्ट्र के नासिक जिले के सिन्नार में गरगोती संग्रहालय को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर टर्मिनल की सुविधाएं

1770. **श्री जसुभाई धामाभाई बारड़:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में गुजरात में उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या जिन रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है वहां टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) इस समय गुजरात में निम्नलिखित स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध हैं:

बड़ी लाइन: अहमदाबाद, भुज, गांधीधाम, ओखा, पोरबंदर, राजकोट, भावनगर, वेरावल, सूरत, बलसाड, वडोदरा और आनंद।

मीटर लाइन: अहमदाबाद, वेरावल और मेहसाणा।

छोटी लाइन: बिलीमोरा, दबहोई, अंकलेश्वर, कौसम्बा और नडियाड़।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अन्य स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं अपेक्षित नहीं हैं।

चेतावनी प्रणाली स्थापित करना

1771. **श्री एस.के. खारवेलथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार आगरा जाने वाली सभी रेलगाड़ियों में चेतावनी प्रणाली लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार अन्य मार्गों पर भी इस योजना का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय रेलवे के सभी मार्गों पर चेतावनी प्रणाली के कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। चुनिंदा महत्वपूर्ण गाड़ियों में इस प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है।

(ख) गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टीपीडब्ल्यूएस) जिसमें ड्राइवर को खतरे का सिगनल पार करने से रोका जा सकता है, नई दिल्ली आगरा खंड के 35 रेल इंजनों में इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इस प्रणाली से ड्राइवर द्वारा खतरे का सिगनल पार करने के परिणामस्वरूप होने वाली टक्करों और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं को रोका जा सकता है। यह प्रणाली जून 2006 तक लागू किए जाने की संभावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) दक्षिण रेलवे के उपनगरीय खंड पर चेन्नई बीच/चेन्नई सेंट्रल और गुम्मीदिपुंडी के बीच टीपीडब्ल्यूएस की व्यवस्था की जा रही है। यह प्रणाली जून 2006 तक लागू हो जाने की संभावना है।

(ङ) इस समय, यथाउल्लिखित मात्र दो खंडों पर टीपीडब्ल्यूएस के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

नलबाड़ी रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरिपुल का निर्माण

1772. **श्री नारायणचन्द्र बरकटकी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नलबाड़ी जिला में वार्ड सं. 10 और 11 में नलबाड़ी रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे समपार पर ऊपरिपुल बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। मौजूदा समपारों पर अगर यातायात घनत्व एक लाख टीवीयू को पार कर जाता है (टीवीयू-समपार से 24 घंटों में गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या को वहां से गुजरने वाले वाहनों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त इकाई) तो रेलवे ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर करती है। दोनों ही परिस्थितियों में, प्रस्ताव मौजूदा नियमों के अनुसार, कतिपय प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करते हुए, राज्य सरकार से प्रायोजित होना चाहिए। नलबाड़ी में ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इतवारी रेल ऊपरि पुल को खंद करना

1773. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इतवारी, नागपुर में मस्कासाठ रेल ऊपरि पुल पर कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस स्थान पर नए रेल पुल का निर्माण करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पुल को यातायात के लिए कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) जी नहीं। वस्तुत: यह एक एकल लेन ऊपरी पुल सं. 8/एएल है इसका अभिकल्प और निर्माण सिर्फ हल्के यातायात वाहनों के लिए हुआ है। क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण पुल पर अनधिकृत भारी वाहनों के यातायात के चलने में वृद्धि हुई है जिसके कारण इसे दो बार नुकसान पहुंचा है। 2005-06 के दौरान इसकी मरम्मत/पुनर्स्थापन को मंजूरी दी गई। मौजूदा सड़क ऊपरी पुलों के पुल खास (ट्रैकों पर) की अधिसंरचना के बदलाव कार्य के साथ रेलवे आगे बढ़ रहा है जिसके लिए निर्माण कार्य हो चुका है। अधिसंरचना को स्थापित करने के लिए जन उपयोगी सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरित किया जाना है। राज्य

सरकार द्वारा जन उपयोगी सेवाओं के स्थान परिवर्तन करने के बाद सारा कार्य दो माह में पूरा कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

आनन्द विहार में रेल परियोजनाएं

1774. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आनंद विहार में प्रस्तावित वृहद रेल परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) 27.12.2004 से फिजिकल कार्य शुरू हो चुका है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

वर्धा रेलवे स्टेशन का विस्तार

1775. श्री सुरेश वाघमारे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वर्धा रेलवे स्टेशन के विस्तार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भिंड से उरई तक रेल लाइन

1776. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिंड से उरई और उरई से महोबा तक नई रेल लाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इसके कब तक बिछाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी

1777. श्री एम. अप्पादुरई: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक 'स्टेट चैनेलाइजिंग एजेन्सी' (एस.सी.ए.) द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक एस.सी.ए. द्वारा राज्य-वार शामिल लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राज्य सरकारों ने मंत्रालय के शीर्ष निगमों की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां नामित की हैं। इन योजनाओं का ब्यौरा मंत्रालय और निगमों की वेबसाइट अर्थात् www.socialjustice.nic.in, www.nmdfc.org., www.nsfdc.nic.in और www.nhfdc.org. पर उपलब्ध है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा शामिल किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा शामिल लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	487278
2.	असम	9242

1	2	3
3.	बिहार	19164
4.	छत्तीसगढ़	2948
5.	गोवा	434
6.	गुजरात	45329
7.	हरियाणा	25995
8.	हिमाचल प्रदेश	6011
9.	जम्मू-कश्मीर	4317
10.	झारखंड	1553
11.	कर्नाटक	118438
12.	केरल	97155
13.	मध्य प्रदेश	38954
14.	महाराष्ट्र	44065
15.	मणिपुर	2053
16.	मेघालय	16
17.	मिजोरम	10371
18.	नागालैंड	3678
19.	उड़ीसा	11505
20.	पंजाब	10375
21.	राजस्थान	9673
22.	सिक्किम	2105
23.	तमिलनाडु	94839
24.	त्रिपुरा	5086
25.	उत्तर प्रदेश	126587
26.	उत्तरांचल	1225
27.	पश्चिम बंगाल	56872
28.	चंडीगढ़	1598
29.	दादरा व नगर हवेली	20
30.	दिल्ली	3687
31.	लक्षद्वीप	29
32.	पांडिचेरी	3261
	कुल	1244863

बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच आमान परिवर्तन और दोहरीकरण

1778. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच मीटरगेज से ब्राडगेज में आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ के बीच आवागमन हेतु उपनगरीय यातायात सुविधाओं की व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) न्यू बोंगाईगांव और गुवाहाटी के बीच आमान परिवर्तन या दोहरीकरण का कोई कार्य स्वीकृत नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपनगरीय यातायात की सुविधा महानगरों में मुख्यत: दैनिक यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के लिए है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ के बीच दूरी लगभग 600 किमी. है और उपनगरीय गाड़ियों का प्रश्न नहीं उठता।

'ओपन टिकट' प्रणाली शुरू करना

1779. श्री के.सी. पलनिसामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का यात्रियों हेतु 'ओपन टिकट' शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस प्रणाली के कब तक काम शुरू करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) आरक्षण टिकट को खुला बनाने और उसके पूर्वन एवं स्थगन करने हेतु नियमों को उदार बनाने के लिए एक प्रस्ताव चलाया गया है। इस प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

देशों के साथ सांस्कृतिक समझौते

1780. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार ने अन्य किन-किन देशों के साथ सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) केन्द्र सरकार ने उनमें से कितने देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम विकसित किया है;

(ग) शेष देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहन देने के लिए विदेश स्थित भारतीय मिशनों के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऐसी धनराशि के उपयोग में अनियमितताएं पायी गयी हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है/करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) अभी तक भारत सरकार ने 115 देशों के साथ सांस्कृतिक करार किए हैं।

(ख) इन सांस्कृतिक करारों के तहत, अभी तक सरकार ने 82 देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान के मामले में, सांस्कृतिक करार के तहत किसी औपचारिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के स्थान पर संयुक्त संस्कृति मिशन की व्यवस्था है।

(ग) सरकार ने अधिकांश देशों के साथ विदेश मंत्रालय के माध्यम से मसौदा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों का आदान-प्रदान किया है। जैसे ही किसी देश के साथ उक्त मसौदा पर सहमति हो जाती है, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

(घ) और (ङ) यह मंत्रालय विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को सीधे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। तथापि, विदेश मंत्रालय से राजनैतिक अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सिफारिशों पर विदेशों में कतिपय भारत-विदेश मैत्री सोसाइटियों को अनुदान सहायता मंजूर की जाती है। वर्ष 2004-2005 के दौरान विश्वभर में मैत्री सोसाइटियों को मंजूर की गई अनुदान सहायता की राशि 44.7 लाख रु. थी।

विदेशों में भारतीय मिशन/पोस्ट प्रत्यायन के अपने संबंधित देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन हेतु वार्षिक कार्यक्रम और समारोह भी निर्धारित करते हैं और उनका निधियन विदेश मंत्रालय तथा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) द्वारा किया जाता है। विदेश मंत्रालय से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति के प्रोत्साहन पर, विदेश मंत्रालय यह सुनिश्चित करता रहा है कि सांस्कृतिक संबंधों के संवर्धन हेतु भारतीय मिशनों के लिए पर्याप्त निधियां आवंटित की जाती हैं।

(च) अभी तक मंत्रालय को भारत-विदेश मैत्री सोसाइटियों को इन अनुदानों के उपयोग में किसी वित्तीय अनियमितता की जानकारी नहीं मिली है।

(छ) और (ज) प्रश्न नहीं उठता।

सफेद केरोसिन का आयात

1781. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई नीति के तहत घोषणा की है कि तेल कंपनियां "समानान्तर विपणन नीति" के अंतर्गत सफेद केरोसिन का आयात करने के लिए अधिकृत हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार समानान्तर विपणन नीति के अंतर्गत सफेद केरोसिन के खुदरा संवितरण हेतु अलग नेटवर्क पर विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) संशोधित सरकारी नीति के अनुसार सरकार ने आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईबीपी और राज्य व्यापार निगम जैसे राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से 25.11.2003 से प्रभावी करते हुए मिट्टी तेल के आयातों की अनुमति दे दी है। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने ओएमसीज को वास्तविक ग्राहकों की पीडीएस जरूरत के अलावा घरेलू अधिशेष मिट्टी तेल की आपूर्ति करने की सलाह दी है। सरकार ने ओएमसीज को पीडीएस जरूरत के अलावा वास्तविक ग्राहकों की जरूरत पूरी करने के लिए पृथक वितरण नेटवर्क विकसित करने के लिए भी सलाह दी है।

तेल मूल्य निर्धारण संबंधी रणनीति

1782. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के उतार-चढ़ाव को और घरेलू बाजार पर उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्थिति का अध्ययन करने और मूल्य निर्धारण में दीर्घकालीन रणनीति तैयार करने के लिए दीर्घकालीन योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा तैयार की गयी दीर्घकालीन योजना में दिए गए सुझावों से तेल कंपनियां सहमत हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) अप्रैल, 2002 में पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बाजार निर्धारित मूल्यनिर्धारण को अपनाने के आशय से एक दीर्घावधि कार्यनीति के तौर पर सरकार ने प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) को समाप्त करने की घोषणा की। तथापि व्यवहार में सरकार ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामत: पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल और एलपीजी का मूल्यनिर्धारण करने के संबंध में हस्तक्षेप करना जारी रखा।

जून, 2004 से इस स्पष्टता को मान्यता देते हुए कि कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य निश्चितत: घरेलू मूल्यों को प्रभावित करते हैं, सरकार ने उन सिद्धान्तों को स्पष्ट किया जो संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने की सरकार की नीति को अनुशासित करेंगे। यह निर्णय लिया गया कि इस बोझ में उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों द्वारा समान रूप से हिस्सेदारी की जानी चाहिए। अपनी ओर से सरकार ने 19.8.2004 से प्रभावी करते हुए और तदुपरांत चालू बजट में संवेदनशील उत्पादों पर शुल्कों में कमी कर दी है। प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) संवेदनशील उत्पादों के घरेलू खुदरा मूल्यों पर ऊंचे तेल मूल्यों का प्रभाव कम करती रही हैं।

सरकारी मूल्य निर्धारण नीति में पणधारकों नामत: उपभोक्ताओं, ओएमसीज और सरकार के हितों के बीच सही संतुलन बनाने के प्रयास किए जाते हैं।

केबल शुल्क

1783. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में केबल संचालक रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा से ग्राहक सदस्यता शुल्क बढ़ा देते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'ट्राई' अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा केबल शुल्क को विनियमित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) केबल उपभोक्ताओं द्वारा आपरेटरों और केबल आपरेटरों द्वारा बहु-प्रणाली संचालकों/प्रसारकों को देय प्रभारों का विनियमन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इन प्रभारों को दिनांक 26.12.2003 को प्रचलित दरों पर स्थिर कर दिया गया था। मुद्रास्फीति की अनुमति देने हेतु इन प्रभारों में दिनांक 1.1.2005 से 7 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। ये दर सीमा उन पे चैनलों पर लागू नहीं होती है जो दिनांक 26.12.2003 के बाद अस्तित्व में आए हैं अथवा जो दिनांक 26.12.2003 के बाद फ्री-टु-एयर चैनलों से पे-चैनलों में परिवर्तित हुए हैं। तथापि, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट किया है कि इन चैनलों की दरें दिनांक 26.12.2003 की स्थिति के अनुसार सदृश चैनलों की दरों के समान होनी चाहिए तथा इनकी व्यवस्था या तो अलग से एकल स्थिति आधार पर अथवा एक नए पृथक समूह के हिस्से के रूप में होनी चाहिए।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण केबल प्रभारों में वृद्धि से संबंधित शिकायतों की जांच इस संबंध में जारी प्रशुल्क आदेश के अनुसार करता है तथा कानून के तहत यथा अपेक्षित कार्रवाई करता है।

महिला कर्मचारियों के लिए परिधान कोड

1784. डा. के.एस. मनोज: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान कंपनियों में कार्यरत महिलाओं के लिए कोई परिधान कोड निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय विमान कंपनियां परिधान कोड पर बल डाल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विमान कंपनियों में कार्यरत महिलाओं के लिए शालीन परिधान कोड हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) महिला स्टाफ के लिए निर्धारित वर्दी अलग-अलग एयरलाइनों में अलग-अलग होती है तथा वह साड़ी से आधी बाजू की कालर वाली शर्ट तथा स्कर्ट और पूरी लम्बाई की स्कर्ट तथा स्कार्फ के साथ तीन चौथाई बाजू वाली शर्ट होती है।

(ग) जी, हां।

(घ) हाल ही में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) उपरोक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उपग्रह रेडियो

1785. श्री संतोष गंगवार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उपग्रह रेडियो प्रसारण शुरू करने के लिए उपग्रह रेडियो के संबंध में किसी नीति को क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपग्रह रेडियो प्रसारण किन शहरों में शुरू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने हाल ही में सैटेलाइट रेडियो सेवाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें की हैं। सरकार को अभी इन सिफारिशों पर निर्णय लेना है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें इसकी वेबसाइट (www.trai.gov.in.) पर उपलब्ध हैं।

दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र विहीन जिले

1786. श्री ब्रजेश पाठक: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राज्य-वार किन-किन जिलों में दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्र नहीं हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को संबद्ध राज्य सरकारों से दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र नेटवर्क द्वारा देश के सभी जिलों को कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) हालांकि देश के सभी जिलों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के केन्द्र नहीं हो सकते हैं तथापि, इनके अधिकतर केन्द्र कुछ जिलों को पूर्णरूप से तथा कुछ को आंशिक रूप से कवर करते हैं। मौजूदा रेडियो केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र ट्रांसमीटर देश की क्रमश: लगभग 99.13 प्रतिशत और 99.7 प्रतिशत जनसंख्या को प्राथमिक श्रेणी की स्थलीय कवरेज उपलब्ध करवाते हैं।

इसके अतिरिक्त, पूरी कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए अब तक कवर न किए गए तथा कम कवरेज वाले क्षेत्रों में कवरेज उपलब्ध करवाने हेतु दिसम्बर, 2004 में शुरू की गई दूरदर्शन की फ्री-टु-एयर डीटीएच सेवा- 'डीडी डायरेक्ट प्लस' के माध्यम से 33 टीवी और 12 रेडियो चैनलों के समूह वाली एक बहु चैनल सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। डीटीएच सिगनलों को देश में कहीं भी (अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को

छोड़कर) एक लघु आकार की डिश अधिग्रहण प्रणाली की सहायता से प्राप्त करना संभव है।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों सहित विभिन्न मंचों से नए रेडियो केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं तथा इन पर यथोचित रूप से विचार किया जाता है।

(ङ) डीटीएच सुविधा द्वारा प्रदान की गई कवरेज को देखते हुए किसी नए दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना किए जाने की कोई परिकल्पना नहीं है। अनुमोदन और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए कार्यान्वयनाधीन रेडियो कवरेज के स्थलीय विस्तार संबंधी स्कीमों को 10वीं योजना के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

रेल पटरियों का नवीकरण

1787. **श्री बीर सिंह महतो:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी किलोमीटर रेल पटरियों का नवीकरण किया गया है और इस पर रेलवे की कितनी राशि व्यय हुई है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी किलोमीटर रेल पटरियों का नवीकरण किए जाने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है;

(ग) दसवीं योजना के दौरान अब तक कुल कितनी किलोमीटर रेल पटरियों का नवीकरण किया गया है और इस पर वास्तव में कितना खर्च आया है; और

(घ) दसवीं योजनावधि के दौरान लक्षित शेष पटरी के नवीकरण को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जितनी लंबाई पर रेलपथ नवीकरण का कार्य किया गया और उस पर किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

योजना	किया गया रेलपथ नवीकरण (रेलपथ किमी. में)	किया गया खर्च (करोड़ रुपयों में)
आठवीं योजना	14205	7217.25
नौवीं योजना	15793	10357.86

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 23000 किमी रेलपथ के नवीकरण की योजना है। इन कार्यों की अनुमानित लागत लगभग 16370 करोड़ रु. है। इन कार्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित धनराशि संसद द्वारा प्रतिवर्ष रेलवे बजट के भाग के रूप में निर्धारित की जाती है।

(ग) दसवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान किया गया रेलपथ नवीकरण और उस पर किया गया व्यय इस प्रकार है:-

वर्ष	किया गया रेलपथ नवीकरण (रेलपथ किमी)	किया गया व्यय (करोड़ रु. में)
2002-03	4776	3297.71
2003-04	4986	3484.39
2004-05	5566	4127.14 (अनंतिम)
कुल	15328	10909.24

(घ) अगले दो वर्षों की योजना इस प्रकार है:

2005-06	4000 (निर्धारित लक्ष्य)
2006-07	3672 (योजना बनाई गई है)

यह दर्शाता है कि वर्तमान प्रगति के अनुसार दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड द्वारा रेलवे को शेयर धनराशि का भुगतान

1788. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महुवा-ढासा आमान परिवर्तन परियोजना में लगे गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड द्वारा रेलवे की अपनी कुल इक्विटी का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) इस राशि की वसूली के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा अर्जित लाभ

1789. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री शिवराज सिंह चौहान:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम के लाभ में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार कंपनी का पुनर्गठन करने हेतु अमेरिकन कंसलटेटिव कंपनी के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन और शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पिछले तीन वर्ष के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) का निवल लाभ निम्नानुसार है-

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपये में)
2002-03	10529
2003-04	8664*
2004-05	12983

*वित्त वर्ष 2002-03 की तुलना में, वित्त वर्ष 2003-04 के लिए करोपरांत लाभ में 1865 करोड़ रुपये की गिरावट आई। ऐसी गिरावट के लिए प्राथमिक कारण प्रथम बार पीडीएस मिट्टी तेल और एलपीजी पर तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूलियों की हिस्सेदारी थी जिसका निवल लाभ पर विशुद्ध प्रभाव 1596 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-04 के लिए शुष्क कूपों की लागत में 738 करोड़ रुपये की वृद्धि, तेल और गैस उत्पादक कार्यकलाप के लिए लेखाकरण संबंधी मार्गदर्शक नोट के क्रियान्वयन पर लेखाकरण नीति में परिवर्तन तथा गहरे पानी वाले क्षेत्र में शुष्क कूपों के रूप में मुंबई में और ज्यादा व्यय प्रभारित किए जाने के कारण हो गई।

(ग) कंपनी की पुनर्संरचना के लिए किसी फर्म के साथ कोई संविदा करने की ओएनजीसी की कोई योजना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त प्रश्न (ग) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलाजी

1790. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार वैगन व्यवस्था प्रणाली में सुधार करने हेतु रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलाजी आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय रेल में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलाजी लागू करने में कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) भारतीय रेल पर मालडिब्बों तथा अन्य चल परिसंपत्तियों में पहचान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली संभावित प्रौद्योगिकियों में से एक है परिसंपत्तियों पर टैग लगाने की प्रक्रिया पर आधारित रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआईडी)। भारतीय रेल पर इस प्रकार की प्रौद्योगिकी को लागू करने के संबंध में रेल मंत्रालय में चर्चा प्रारंभिक स्तर पर है। इस प्रौद्योगिकी को भारतीय रेल पर लागू करने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

वाहनों में एल.पी.जी. का उपयोग

1791. डा. चिन्ता मोहन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ शहरों में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रयुक्त की जाने हेतु एल.पी.जी. बेची जाती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त शहरों के नाम क्या हैं और वर्तमान में ऐसे प्रत्येक शहर में प्रतिमाह औसतन कितनी मात्रा में एल.पी.जी. की बिक्री की जा रही है और यह किस मूल्य पर बेची जा रही है; और

(ग) ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एल.पी.जी. के प्रयुक्त किए जाने को प्रोत्साहन देने के संबंध में भविष्य की क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) 18 शहरों में आटो एलपीजी बेच रही है। ओएमसीज द्वारा बेची जाने वाली आटो एलपीजी की मासिक प्रमात्रा के ब्यौरे तथा प्रत्येक शहर में प्रचलित खुदरा बिक्री मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ओएमसीज व्यवहार्य स्थलों की उपलब्धता की शर्त पर तथा विभिन्न शहरों में आटो एलपीजी की संभाव्यता/मांग के अनुरूप आटो एलपीजी वितरण नेटवर्क में वृद्धि करेंगी।

विवरण

ओएमसीज द्वारा विभिन्न शहरों में आटो एलपीजी की मासिक बिक्री तथा प्रचलित खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) के ब्यौरे

क्र.सं.	शहर का नाम	अप्रैल-जून, 2005 के दौरान प्रति माह आटो-एलपीजी की औसत बिक्री (एमटी में)	खुदरा बिक्री-मूल्य (रुपए/लीटर)
1	2	3	4
1.	आगरा	7	23.63
2.	अहमदाबाद	508	22.84
3.	बैंगलौर	1719	22.54
4.	भोपाल	21	23.97
5.	चंडीगढ़	11	24.75
6.	चेन्नई	229	22.37
7.	दिल्ली	85	25.01
8.	एर्नाकुलम	13	22.48
9.	हैदराबाद	396	23.54
10.	इन्दौर	37	23.42
11.	जयपुर	72	23.07
12.	कोलकाता	63	23.23
13.	लखनऊ	5	24.63
14.	मुम्बई	893	21.41
15.	नासिक	92	21.57
16.	पुणे	334	21.81
17.	तिरूपति	2	24.01
18.	त्रिवेन्द्रम	16	22.90

राजस्थान की रेल परियोजनाएं

1792. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान की रेल मार्गों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण की नई/चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इन परियोजनाओं के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) आज की तिथि तक प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है; और

(घ) रेलवे द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) राजस्थान में नई/चालू रेल लाइनों, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और विद्युतीकरण संबंधी परियोजनाओं की अभी तक प्रगति और प्रत्येक परियोजना पर किया गया खर्च निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मार्च, 2005 तक किया गया खर्च	समग्र वास्तविक प्रगति
1	2	3	4
	नई लाइन		
1.	दौसा-गंगापुर	14.00	2%
2.	रामगंज मंडी-भोपाल	21.80	2.15%

1	2	3	4
3.	अजमेर-पुष्कर	12.34	भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है।
4.	कोलायत-फलोदी	51.74	37%
	आमान परिवर्तन		
5.	सदूलपुर-हिसार सहित रेवाड़ी-सदूलपुर	0.48	सभी बड़े पुलों की मृदा जांच हो चुकी है।
6.	भिलड़ी-समदरी	2.77	2%
7.	उदयपुर से उमर तक विस्तार के लिए वस्तुपरक आशोधन सहित अजमेर-चित्तौड़गढ़-उदयपुर	175.69	चित्तौड़गढ़-उदयपुर खंड पहले ही पूरा हो चुका है और 27.6.2005 को यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष खंड अजमेर से चित्तौड़गढ़ तक प्रगति 45% है।
8.	श्रीगंगानगर	0.27	फार्मेशन कार्य के लिए विस्तृत अनुमान, प्राथमिक खर्च और पुल कार्य स्वीकृत हो चुके हैं।
9.	पीपर रोड-बिलरा	3.85	13%
	दोहरीकरण		
10.	जयपुर-फुलेरा	–	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। विस्तृत अनुमान तैयार कर लिया गया है।
11.	जयपुर-दौसा	–	2005-06 में शामिल नया कार्य है।

राजस्थान में कोई रेल विद्युतीकरण परियोजना नहीं है।

(घ) चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सामान्य बजटीय संसाधनों के अतिरिक्त कई कदम उठाए गए हैं।

विज्ञापनों से अर्जित राजस्व

1793. मोहम्मद शाहिद:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान रेलवे द्वारा विज्ञापनों से अर्जित किया गया कुल राजस्व कितना है;

(ख) क्या रेलवे विज्ञापनों की संख्या बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विज्ञापन एजेंसियों से विज्ञापनों हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष के दौरान विज्ञापनों से कितनी धनराशि अर्जित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 50.21 करोड़ (लगभग)।

(ख) जी, हां।

(ग) समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर, सूचना विवरणिका छपवाकर और विज्ञापन कंपनियों के साथ बैठक आयोजित कर रेलवे ने सक्रिय भूमिका अदा की है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख विज्ञापन अधिकारों के अंतर्गत संविदा को बढ़ाने, स्थलों की कीमत का पुनर्निर्धारण करने, दरों को संशोधित करने और नवाचारी विचार एवं नए स्थानों की पहचान के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) और (ङ) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, व्यावसायिक प्रचार हेतु स्थलों/स्थानों को अधिमान्यत: खुली निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाता है। विज्ञापन के लिए निविदा आमंत्रण एक सतत् प्रक्रिया है।

(च) सकारात्मक वृद्धि की अपेक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

योजनाओं हेतु धन

1794. श्री सुव्रत बोस:
श्री हितेन बर्मन:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने योजनाओं हेतु बढ़े धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) यह संबंधित मंत्रालयों की जिम्मेवारी होगी कि वह अपनी-अपनी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त निधियों के लिए योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय से संपर्क करें। पंचायती राज मंत्रालय प्राय: ऐसी वृद्धियों का समर्थक है और विशेषत: यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं को इस तरह बनाया और वित्त पोषित किया जाए कि संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 243 जी तथा अनुच्छेद 243 जेडडी में दिए गए ''स्व-शासन की संस्थाओं'' के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की सहायता से सरकार का आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो सके।

पंसकुरा-हल्दिया रेल मार्ग का दोहरीकरण

1795. श्री लक्ष्मण सेठ: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में पंसकुरा से हल्दिया तक के रेलमार्ग का दोहरीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पंसकुरा-हल्दिया दोहरीकरण परियोजना के प्रथम चरण में पंसकुरा-राजगोडा खंड (16 किमी.) के दोहरीकरण की मंजूरी हाल में ही दी गई है जहां पंसकुरा-रघुनाथबाड़ी की लंबाई का दोहरीकरण हो चुका है एवं समग्र वास्तविक प्रगति 60% है। 2005-06 के बजट में इस कार्य के लिए 15 करोड़ रु. के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, राजगोडा-दुर्गाचक खंड (43 किमी.) के अस्वीकृत दोहरीकरण कार्य को पंसकुरा-हल्दिया दोहरीकरण परियोजना के दूसरे चरण में करने हेतु रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

नए विमानपत्तनों का निर्माण

1796. श्री वी.के. दुग्गर:
श्री काशीराम राणा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ नए विमानपत्तनों का निर्माण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण किन स्थानों पर किया जाएगा;

(ग) विमानपत्तनों के निर्माण हेतु किए जाने वाले विदेशी पूंजीगत निवेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में विमानपत्तनों के निर्माण में अभिरुचि दर्शाने वाली विदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) वर्तमान में दो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाएं, एक बंगलोर के निकट देवनहल्ली में दूसरी हैदराबाद के निकट शमशाबाद में, प्रगति पर है। भारत सरकार द्वारा पहले ही इन ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की परियोजना कंपनियों के साथ सुविधा करार पर पहल की जा चुकी है। देवनहल्ली एयरपोर्ट बंगलोर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (बीआईएएल) हेतु परियोजना कंपनी संबद्ध परियोजना करार पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है तथा दिनांक 23 जून, 2005 को इसके द्वारा फाइनेंसियल क्लोज प्राप्त कर लिया गया है। बीआईएएल के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए सुविधा करार के अनुसार देवनहल्ली पर नया हवाई अड्डा वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से 33 महीने के अन्दर तैयार किया जाना अपेक्षित है।

शमशाबाद हवाई अड्डे के लिए परियोजना करार कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड (एचआईएएल) के साथ भारत सरकार के सुविधा करार के अनुसार उक्त कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 36 महीनों के अन्दर इस परियोजना कार्य को सम्पन्न किया जाना अनिवार्य है। फाइनेंसियल क्लोज सितम्बर, 2005 तक उपलब्ध करना अपेक्षित है। सरकार ने गोवा में मोपा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों के निर्माण हेतु भी सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। साथ ही नवी मुंबई द्वारा पूना के निकट चाकन में, पंजाब के लुधियाना, केरल में कुन्नूर, सिक्किम में पाकयोंग, तथा नागालैंड में कोहिमा में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण की योजना है जो कि सभी प्रारंभिक स्तर पर है। नई दिल्ली में दूसरे हवाई अड्डे के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) मलेशिया की मैसर्स मलेशियन एयरपोर्टस होल्डिंग बरहार्ड ने एचआईएएल में 43 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव किया है तथा मैसर्स सीमैन्स लिमिटेड और मैसर्स यूनीक ज्यूरिख लिमिटेड ने बीआईएएल में क्रमशः 130.7 करोड़ रुपए और 55.5 करोड़ रुपए की इक्विटी का निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

रेलवे में चोरी के मामले

1797. **श्री सुनिल कुमार महतो:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे में जोनवार चोरी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या इन मामलों में किसी रेलवे अधिकारी को संलिप्त पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात् 2002, 2003 और 2004 में रेलों में रिपोर्ट किए चोरी के मामलों (बुक किए गए परेषण और रेलवे सामग्री) की जोनवार संख्या विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात् 2002, 2003 और 2004 में रेलवे संपत्ति (बुक किए गए परेषणों और रेलवे सामग्री) के चोरी के मामलों में संलिप्तता के कारण रेल सुरक्षा बल कार्मिक सहित 673 रेल कर्मचारी गिरफ्तार किए गए और उन पर मुकदमा चलाया गया/विभागीय कार्रवाई हेतु भेजा गया।

विवरण

वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान क्षेत्रीय रेलों में दर्ज परेषणों और रेल सामग्री की चोरी के मामले

रेलवे	वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	
		दर्ज परेषण	रेल सामग्री
1	2	3	4
मध्य	2002	136	727
	2003	106	355
	2004	82	471
पूर्व	2002	694	4751
	2003	486	3177
	2004	305	2480
पूर्व मध्य	2002	100	415
	2003	309	1734
	2004	321	1288
पूर्व तट	2002	–	–
	2003	22	104
	2004	36	160
उत्तर	2002	363	1178
	2003	312	975
	2004	257	1147
उत्तर मध्य	2002	–	–
	2003	44	261
	2004	61	473
पूर्वोत्तर	2002	131	436
	2003	82	356
	2004	72	154

1	2	3	4
पूर्वोत्तर सीमा	2002	345	167
	2003	266	180
	2004	337	320
पश्चिमोत्तर	2002	17	47
	2003	57	286
	2004	35	323
दक्षिण	2002	180	665
	2003	1236	860
	2004	555	547
दक्षिण मध्य	2002	103	487
	2003	72	510
	2004	83	819
दक्षिण पूर्व	2002	128	579
	2003	55	255
	2004	48	204
दक्षिण पूर्व मध्य	2002	–	–
	2004	12	39
	2004	16	86
दक्षिण पश्चिम	2002	–	–
	2003	25	228
	2004	45	322
पश्चिम	2002	225	829
	2003	202	507
	2004	142	456
पश्चिम मध्य	2002	–	–
	2003	35	294
	2004	45	458
कुल	2002	2422	10281
	2003	3321	10321
	2004	2440	10068

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित करना

1798. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की गई कतिपय केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास हेतु इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित धन अन्य कार्य में न लगाया जाये?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वायत्तता

1799. श्री वाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री जी.वी. हर्ष कुमार:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को और अधिक स्वायत्तता/शक्तियां प्रदान करने से संबंधित डा. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञों के समूह की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इनको क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) सरकार ने नवरत्न, मिनीरत्न व अन्य लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय शक्तियों की वृद्धि से संबंधित विशेषज्ञ समूह की कुछ सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। स्वामित्व संबंधी मुद्दों, सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षण, संविधान की धारा 12, संसदीय दायित्व तथा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता प्रबंधन इत्यादि से संबंधित शेष सिफारिशों की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ऋण लाभार्थी

1800. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु उद्योगों को आरंभ करने हेतु विभिन्न संस्थानों के पास अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु उपलब्ध योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इनके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है; और

(ग) उक्त योजनाएं अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की जीवन शैली को उन्नत करने में कितनी सहायक है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) इस मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा उनके राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

(1) ब्रिज ऋण, सीड कैपिटल ऋण एवं वकिंग कैपिटल ऋण आदि सहित आवधिक ऋण योजना

(2) माइक्रो क्रेडिट वित्त योजना

(3) मार्जिन मनी ऋण

(4) कौशल विकास कार्यक्रम

इन योजनाओं के ब्यौरे, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के ऋण लाभार्थियों का वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा विवरण I और II के रूप में संलग्न है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा लघु उद्योग के अंतर्गत लाभार्थियों का अलग से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ग) मूल्यांकन अध्ययन के प्रभाव की निष्पत्तियों से यह पता चलता है कि इस योजना का, लाभार्थियों द्वारा अर्जित आय में वृद्धि के साथ और उनकी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना के साथ सीधा सहसंबंध है।

विवरण I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत) द्वारा शामिल किए गए अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की वर्षवार तथा राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (01.04.05 से 31.07.05)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	12	0	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	8	5	0	0
4.	बिहार	8	14	7	0

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	1	0
7.	गुजरात	321	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	2	0
9.	हिमाचल प्रदेश	4	6	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	5	0
11.	झारखंड	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	39	116	58	2
13.	केरल	28	7	6	0
14.	मध्य प्रदेश	110	286	17	0
15.	महाराष्ट्र	13	70	112	2
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	17	1	6	0
20.	पंजाब	26	25	36	0
21.	राजस्थान	16	40	15	4
22.	सिक्किम	13	5	5	0
23.	तमिलनाडु	5	26	1	0
24.	त्रिपुरा	109	20	18	4
25.	उत्तर प्रदेश	326	20	0	0
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	17	26	14	7
28.	चंडीगढ़	0	0	0	0
29.	दादरा व नागर हवेली और दमन व दीव	0	0	0	0
30.	दिल्ली	0	0	1	1
31.	पांडिचेरी	3	3	0	0
	कुल योग	1068	682	303	20

विवरण II

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम द्वारा शामिल किए गए सफाई कर्मचारियों का वर्षवार और राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (1.7.05 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	90	90	0	0
2.	महाराष्ट्र	1	0	1	0
3.	पांडिचेरी	5	0	0	0
4.	तमिलनाडु	3	0	0	0
	कुल	99	90	1	0

[हिन्दी]

डाबरा स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस का ठहराव

1801. श्री राम सेवक सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की समस्या का समाधान करने और उन्हें सुविधा प्रदान करने के मद्देनजर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डाबरा स्टेशन पर सचखंड एक्सप्रेस के ठहराव की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आदेश को कब तक लागू करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले की जांच की गई लेकिन न तो इसे वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण और न ही परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक पाया गया।

[अनुवाद]

कार्गो हटाना

1802. डा. एम. जगन्नाथ: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानपत्तन से इसके वैध मालिकों द्वारा कार्गो हटाए जाने के संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के कई विमानपत्तनों पर बड़ी मात्रा में बिना दावे वाला कार्गो पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिना दावे वाले कार्गो की बिक्री से कितनी धनराशि उगाही गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिना दावे वाले कार्गो की बिक्री से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) ने वर्ष 2002-03 में 165.40 लाख रुपये, वर्ष 2003-04 में 118.96 लाख रुपये तथा वर्ष 2004-05 में 183.50 लाख रुपये की धनराशि की वसूली की है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों हेतु निर्यात केन्द्र

1803. श्री बापू हरी चौरे: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने हेतु कोई निर्यात केन्द्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) 2004-05 में पेट्रोलियम उत्पादों से 28,000 करोड़ रुपये से अधिक की भारत के निर्यात के आय के मद्देनजर, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को दक्षिण एशिया/दक्षिण पूर्व एशिया के परिशोधन केन्द्र के रूप में प्रोन्नत करने के उद्देश्य से रिफाइनरियों, विशेषकर निर्यातोन्मुख रिफाइनरियों के लिए, भारत को एक निवेश स्थान बनाने पर एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने को कहा गया है।

[अनुवाद]

निजी टेलीविजन प्रसारण नेटवर्क

1804. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निजी प्रसारणों को अपना टेरेस्ट्रियल टेलीविजन प्रसारण नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) मंत्रालय को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से इस संबंध में एक परामर्श पत्र प्राप्त हुआ है। इसलिए यह प्रस्ताव व्याख्यात्मक चरण में है।

कच्चे तेल की प्रचालन लागत

1805. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न तेल शोधक कारखानों को कच्चे तेल की प्रति टन प्रचालन लागत कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की विभिन्न तेल कंपनियों द्वारा प्रति टन कितनी विपणन लागत का वहन किया गया है; और

(ग) लागत में अंतर के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों के बारे में सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के बारे में सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) विभिन्न कंपनियों में प्रचालन लागत में अंतर के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से एक या अधिक कारण हैं-

(1) सामान्य वृद्धि

(2) थ्रूपुट में परिवर्तन

(3) नई परियोजनाओं में मूल्यह्रास

(4) उच्चतर मूल्यह्रास

(5) उच्चतर मरम्मत और रखरखाव व्यय

(6) नई परियोजनाओं की एक बारगी रायल्टी का भुगतान

(7) वीआरएस क्षतिपूर्ति का प्रभाव

(8) रिफाइनरी के लिए गैस लागत का उधार

(9) राज्य सरकार द्वारा स्वयं के विद्युत उत्पादन पर बिजली के शुल्क में वृद्धि

विवरण I

कच्चे तेल की प्रति टन प्रचालन लागत

क्र.सं.	रिफाइनरी का स्थान और कंपनी का नाम	प्रचालन लागत	
		2003-04	2004-05
1	2	3	4
1.	गुवाहाटी इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आईओसी)	1,594	1,630
2.	बरौनी (आईओसी)	819	693

1	2	3	4	5	6
3.	गुजरात (आईओसी)		328		589
4.	हल्दिया (आईओसी)		779		694
5.	मथुरा (आईओसी)		319		569
6.	पानीपत (आईओसी)		414		637
7.	डिब्बोई (आईओसी)		3,140		3,429
8.	मुंबई (भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.)		483+		520+
9.	मुंबई (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.) (एचपीसीएल)		543		625
10.	विशाखापत्तन (एचपीसीएल)		423		419
11.	तातीपाका (आयल एण्ड नेचुरेल गैस कारपोरेशन लि.)		**		**
12.	कोच्चि (कोच्चि रिफाइनरीज लि.)		411		410
13.	बोंगाईगांव (बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड)		516+		524+
14.	चेन्नई (चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड) (सीपीसीएल)		587+		585+
15.	नरीमनम (सीपीसीएल)		592+		296+
16.	मैंगलोर (मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि.)		473+		451+
17.	नुमालीगढ़ (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड)		405		406

**कम महत्वपूर्ण उत्पादन मात्रा

+मूल्यह्रास सहित

विवरण II

प्रति टन विपणन लागत

क्र.सं.	कंपनी का नाम	विपणन लागत	
		2003-04	2004-05
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	523	518
2.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	809+	792+
3.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	573+	569+
4.	आईबीपी कं. लिमिटेड	671	574

+मूल्यह्रास सहित

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सिन्दूरिया बनिया जाति को सम्मिलित करना

1806. श्री पंकज चौधरी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में उत्तर प्रदेश की सिन्दूरिया बनिया जाति को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त जाति को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में कब तक सम्मिलित करने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कन्ट्रोल्ड डिस्चार्ज टॉयलेट फैसिलिटिज

1807. डा. के. धनराजू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में "कन्ट्रोल्ड डिस्चार्ज टॉयलेट फैसिलिटिज" आरंभ करने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको क्रियान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके कब तक लागू करने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी, हां। नवंबर, 2004 में जारी एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना 2005-2010 के अनुसार, 31.3.2010 तक 5000 सवारी डिब्बों में नियंत्रित डिस्टार्ज टॉयलेट लगाए जाने का प्रस्ताव है। चूंकि यह काम हाल ही में शुरू किया गया है, अभी तक सिर्फ 125 डिब्बों में ही ये टॉयलेट लगाए गए हैं। ऐसे और टॉयलेटों की खरीद जारी है।

पंचायतों का कम्प्यूटरीकरण

1808. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से जिला नियोजन समितियां गठित करने का अनुरोध किया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण के लिए योजना बना रहा है इसमें कार्यान्वयन में राज्य सरकारों के साथ सतत् समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी।

(ग) व्यय लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जुलाई और दिसम्बर, 2000 के बीच पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों के साथ सात गोलमेज बैठकें कीं और पंचायती राज के 18 आयामों के संबंध में कार्यवाही के लिए सर्वसम्मति से 150 बिन्दु तय किए जिन्हें ऐसे सारसंग्रह में एक साथ रखा गया है जिसे जयपुर में आयोजित अंतिम गोलमेज बैठक में अंतिम दौर में एकमत से पारित किया गया था। 28-29 अगस्त, 2004 में मैसूर में आयोजित दूसरी गोलमेज बैठक के दौरान योजना विषय पर चर्चा हुई थी। इस बैठक में यह संकल्प पारित किया गया था कि जहां कहीं जिला-नियोजन समिति नहीं है, वहां वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक जिला स्तर पर प्रत्येक राज्य में ऐसी समिति गठित की जाएगी। यह भी संकल्प पारित हुआ था कि सभी जिला नियोजन समितियों का गठन संविधान में अनुच्छेद 243 जेडीडी (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। 30 मई, 2005 को पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायती राज के सभी सचिवों को एक पत्र भेजा था और उनसे यह अनुरोध किया था कि जहां भी जिला नियोजन समिति का गठन किया जाना बाकी है वहां ऐसी समितियां गठित कर ली जाएं। उनका ध्यान 11 अप्रैल, 2005 को आयोजित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्य सचिवों और पंचायती राज के सचिवों की बैठक की ओर भी आकर्षित किया गया जिसमें इस

बात पर भी जोर दिया गया था कि जिन राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार जिला नियोजन समिति का गठन नहीं किया है वे 31 अक्टूबर, 2005 तक ऐसा कर लें।

एक्सप्रेस रेल गाड़ियों का धोकसडंगा स्टेशन पर ठहराव

1809. श्री हितेन बर्मन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सियालदह के लिए चलने वाली तीस्ता टोर्सा नामक केवल एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी फलकाता रेलवे स्टेशन पर रूकती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार धोकसडंगा रेलवे स्टेशन पर दो या तीन अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ठहराव की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर निर्णय को कब तक प्रभावी बनाये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। वर्तमान में फलकाता स्टेशन पर 3141/3142 सियालदह-हलदीबारी/न्यू अलीपुरद्वार तीस्ता टोर्सा एक्सप्रेस, 5959/5960 हावड़ा-डिब्रूगढ़ कामरूप एक्सप्रेस, 5657/5658 सियालदह-गुवाहाटी कंचनजंगा एक्सप्रेस और 4055/4056 डिब्रूगढ़-दिल्ली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं जो धोकसडंगा से मात्र 15 किमी. की दूरी पर स्थित है। ठहराव में निकटता को ध्यान में रखते हुए धोकसडांगा स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराव देना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को खुदरा विक्रय केन्द्रों/रसोई गैस एजेंसियों का आबंटन

1810. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को खुदरा विक्रय केन्द्रों/गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए स्थानों और डीलरों का चयन करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) वर्ष 2005-06 के दौरान सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यक वर्गों के उम्मीदवारों से खुदरा विक्रय केन्द्रों/गैस एजेंसियों के आबंटन के राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) देश में नयी गैस एजेंसियों/खुदरा विक्रय केन्द्रों के आबंटन हेतु पहचाने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कब तक आबंटन किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज), उनके द्वारा किए गए व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, अनुसूचित जातियों (अ.जा.)/अनुसूचित जनजातियों (अ.ज.जा.) के लिए आरक्षित श्रेणियों सहित, देश में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों (कुकिंग गैस एजेंसियां) को खोलने के लिए स्थानों के चयन के लिए स्वतंत्र हैं। ओएमसीज डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन, इस प्रयोजन से निर्धारित उद्देश्य तथा पारदर्शी दिशा-निर्देशों के अनुसार करती हैं जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणियों से संबंधित डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन शामिल हैं। ये दिशा-निर्देश निम्न प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों तथा एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों का 50% आरक्षण उपलब्ध कराते हैं-

(1)	रक्षा कर्मी	–	8%
(2)	स्वतंत्रता सेनानी	–	2%
(3)	उत्कृष्ट खिलाड़ी	–	2%
(4)	अर्ध सैन्य/पुलिस/सरकारी कर्मी	–	8%
(5)	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति	–	5%
(6)	अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियां	–	25%

उपरोक्त सभी श्रेणियों में 33% डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें उस श्रेणी से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

(ख) और (ग) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा एलपीजी एजेंसियों के आबंटन के लिए अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों की ओर से ओएमसीज को प्राप्त आवेदनों के बारे में राज्यवार ब्यौरे तथा ऐसी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए पता लगाए गए स्थानों के राज्य-वार ब्यौरे भी संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(घ) अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित सभी आवेदकों सहित खुदरा बिक्री केन्द्रों/एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के आबंटन के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में विभिन्न चरण, जैसे आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार, योग्यता क्रम सूची को जारी करना, चयनित उम्मीदवार के संबंध में फील्ड जांच आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

नये ग्रीनफील्ड विमानपत्तन

1811. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में नये ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों की स्थापना के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नए हवाई अड्डों के निर्माण हेतु बहुत से शहर और नगर प्रस्तावित हैं, जैसे कि पाकयोंग, गंगटोक (सिक्किम), चीथू, कोहिमा (नागालैंड), मोपा, पणजी, (गोवा), चाकन, पुणे एवं नवी मुंबई (महाराष्ट्र), लुधियाना (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), देवनहल्ली (बंगलोर), गुलबर्ग, बेल्लारी एवं बीजापुर, (कर्नाटक), शमशाबाद, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), कन्नूर (केरल), एवं ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश)।

(ग) भारत सरकार ने पहले ही बंगलौर के निकट देवनहल्ली तथा हैदराबाद के निकट शमशाबाद में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण हेतु अनुमोदन दे दिया है। गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जा चुका है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के अन्य प्रस्ताव अभी विचाराधीन रूप से आंरभिक स्तर पर हैं।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा किराये में कमी

1812. श्री जुएल ओराम:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री जी.एम. आरून रशीद:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने घरेलू उड़ानों पर अपने किराये में 60 प्रतिशत तक कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां यह किराया कम किया गया है;

(ग) इंडियन एयरलाइन्स को किराये में इस कमी के कारण कुल कितना घाटा होने की संभावना है; और

(घ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाये गए अथवा उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि मार्केट में प्रतिस्पर्धा बनाये रखने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइन्स समय-समय पर विभिन्न सेक्टरों पर, मार्केट स्थिति परिवर्तन के आधार पर, प्रोत्साहक किराए स्कीमें आफर करती हैं। 5 जुलाई, 2005 से इंडियन एयरलाइन्स ने इन घरेलू सेक्टरों पर अधिकतम चार रियायती किराए लेवल ईजी फेयर्स आफर किए हैं, जो कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स की स्कीम के अधीन आफर सीटों पर सीमित मात्रा में प्रति यात्री उपलब्धि में नाममात्र की हानि होने का अनुमान है। जिससे नये यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करके तथा उच्च लोड फैक्टर प्राप्त किए जाने वाले लाभ से पूरा करेगी।

(घ) इंडियन एयरलाइन्स अपनी समग्र कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा मार्केट में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए निम्नलिखित कदम उठा रही है/उठाए जाने का प्रस्ताव है।

- सापेक्ष बजटीय नियंत्रण प्रणाली
- लागत नियंत्रण और आर्थिक उपाय
- बेड़ा विस्तार/नवीनीकरण
- मार्केटिंग पहल
- उड़ानगत पहल
- भूमि पर सेवा में सुधार
- केबिन के आस पास के परिवेश में सुधार

नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना

1813. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सभी किशोर सुधार गृहों में नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों में नशामुक्ति केन्द्र स्थापित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण है;

(घ) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या सरकार किशोर सुधार गृहों में नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना में राज्य सरकारों का वित्तपोषण कर रही है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

तेल क्षेत्र में भारत-अजरबेजान का सहयोग

1814. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत बाकू (अजरबेजान) में तेल की खोज में शामिल होने का इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) बाकू-त्बिलिसी सहित (बीटीसी) तेल पाइपलाइन के शुभारम्भ से एशियाई उपभोक्ता जैसे भारत के लिए एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर है कि पत्तन पर कैस्पियन तेल प्राप्त करे, जहां स्वेज नहर के माध्यम से अरब सागर को या भूमध्य सागर से गल्फ आफ अकाबा को पाइपलाइन के माध्यम से तेल का परिवहन किया जा सकता है। इस अवसर का लाभ उठाने की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के उक्त उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने जून, 2005 में अजरबेजान तथा तुर्की की अपनी यात्राओं के दौरान पाइपलाइन के प्रचालकों के साथ चर्चा की शुरूआत की है।

पनडुब्बियों की खरीद में विलंब

1815. श्री गणेश सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री मो. ताहिर:
श्री जुएल ओराम:
श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पनडुब्बियों की खरीद में असामान्य रूप से विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पनडुब्बियों की खरीद में ऐसे असामान्य विलंब से हमारी तैयारी प्रभावित होगी; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार ने पनडुब्बियों का स्वदेश में निर्माण करने तथा पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षमता प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक संदर्शी योजना को मंजूरी दी थी। तदनुसार, पनडुब्बियों के अर्जन के लिए योजनाएं मौजूद हैं।

(ग) फिलहाल नौसेना की संक्रियात्मक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपलब्ध पनडुब्बियों का रख-रखाव तथा संचालन किया जाता है।

(घ) मौजूदा पनडुब्बियों को, उनके जीवनकाल के बीच में अद्यतन बनाया जाता है ताकि उनकी सेवावधि बढ़ाई जा सके।

[हिन्दी]

नटराज की मूर्ति

1816. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चित्तौड़गढ़, राजस्थान के बाडोली मंदिर से चुरायी गयी नटराज की प्राचीन मूर्ति लंदन मे पायी गयी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्राचीन मूर्ति को वापस मंगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) सरकार प्राचीन विरासत वाली मूर्तियों की चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां। जैसाकि राजस्थान पुलिस ने सूचित किया है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाडोली मन्दिर से चोरी हुई नटराज की प्राचीन मूर्ति लंदन में पायी गई है।

(ख) मूर्ति के वर्तमान मालिक से अनुरोध किया गया है कि वे उक्त मूर्ति भारतीय दूतावास को सौंप दे। भारतीय उच्चायुक्त से भी अनुरोध किया गया है कि वे मूर्ति को अपने कब्जे में ले लें और उसको भारत भेजने के प्रबन्ध करें।

(ग) प्राचीन प्रतिमाओं, मूर्तियों और पुरावस्तुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों और संग्रहालयों पर पहरा एवं निगरानी स्टाफ लगाया गया है। निजी सुरक्षा गार्डों और राज्य पुलिस को तैनात करके सुरक्षा को और संपूरित किया गया है। पुरावस्तुओं के अवैध व्यापार के मामलों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है।

[अनुवाद]

अल्पकालिक सेवा कमीशन

1817. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पकालिक सेवा कमीशन संबंधी अजय विक्रम सिंह समिति रिपोर्ट की सिफारिशें कार्यान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) अजय विक्रम सिंह समिति ने भारतीय थल सेना के अधिकारी संवर्ग के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों में, अन्य के साथ-साथ सिविल सेवा परीक्षा में प्रस्तावित छूट के जरिए अल्प सेवा कमीशन को और आकर्षक बनाना, केन्द्रीय अर्ध सैन्य बलों तथा सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों में पार्श्विक प्रवेश, वर्धित सेवांत वित्तीय लाभ तथा व्यावसायिकता बढ़ोत्तरी प्रशिक्षण लेने के लिए छुट्टी शामिल हैं।

सरकार ने इन सिफारिशों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

1818. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्व मध्य रेलवे के दस रेलवे स्टेशनों का उन्नयन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्नयन हेतु कौन-कौन से स्टेशनों का चयन किया गया है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) इनका कब तक उन्नयन किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। रेलवे स्टेशनों का ग्रेड उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यातायात वृद्धि एवं सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित मानकों के साथ प्रत्येक वर्ष निष्पादित किया जाता है। बहरहाल, वर्तमान वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान पूर्व मध्य रेलवे के 12 स्टेशनों का उन्नयन शुरू किया गया है।

(ख) रक्सौल, सहरसा, समस्तीपुर, दोराम मधेपुरा, बनमंखी, मोतीहारी, दरभंगा, सीतामढ़ी, जयनगर, सोनपुर, हाजीपुर और मधुबनी।

(ग) इन कार्यों को 8.59 करोड़ रुपये की लागत पर शुरू किया गया है जिसके लिए 2005-06 के दौरान 1 करोड़ रुपये (लगभग) की व्यवस्था की गई है।

(घ) चूंकि विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के कार्यों की संख्या को विभिन्न कोटियों यथा प्रस्तावित सुविधा की किस्म, रेलवे जोन/मंडल जिसके अंतर्गत वह स्टेशन पड़ता है, के आधार पर समूहन किया जाता है, इसलिए कोई एक सामान्य लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

पेट्रोल और डीजल में मिलावट

1819. श्री रघुनाथ झा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली में मिलावटी पेट्रोल और डीजल आसानी से उपलब्ध है जो दिल्ली के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल के लिए कोई गुणवत्ता मानक तय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसे गुणवत्ता मानकों का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के कितने नमूने लिए गए और इनमें से कितने नमूनों में मिलावट पाई गई तथा मिलावट करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) दिल्ली में शुद्ध पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सभी हस्तान्तरण ईंधन मिलावट के बारे में एक दस्तावेज प्रकाशित किया है और जो ईंधन मिलावट के विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। संकलित सूचना यह इंगित करती है कि बिक्री और परिवहन के स्थल पर हस्तान्तरण ईंधन की मिलावट एक स्रोत है। ऐसे विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद हैं, जो पेट्रोल और डीजल के निकट विकल्प हैं और निम्नतर मूल्यों में उपलब्ध हैं। ऐसे उत्पादों में पेट्रोल और डीजल मिश्रित किए जाते हैं।

(ख) से (ङ) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) पेट्रोल और डीजल के लिए विनिर्देश निर्धारित करता है। पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता क्रमश: बीआईएस विनिर्देश संख्या आईएस-2796 और आईएस-1460 के अनुरूप होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल का विपणन करने वाली सभी तेल कंपनियों को इन विनिर्देशों का पालन करना पड़ता है।

(च) दिल्ली के मामलों के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं-

वर्ष	लिए गए नमूनों की संख्या	मिलावट के मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें कार्रवाई की गई
2002-03	3396	5	5
2003-04	4792	4	4
2004-05	5120	5	5
योग	13308	14	14

(छ) शुद्ध पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मिलावट की बुराई को नियंत्रित करने के लिए सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत ईंधन मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकारें मिलावट में संलिप्त होने वाले लोगों के लिए कार्रवाई के लिए शक्तिप्रदत्त है। सरकार ने यह ममला सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया है जिसमें मिलावट से संबंधित कार्य न्यूनतम करने के लिए निरीक्षणों/औचक जांचों में वृद्धि की जा सके और मिलावट के अपराधियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध उपलब्ध कानूनी ढांचे के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनके अधिकारी क्षेत्र के तहत विभिन्न निजी फर्मों, फैक्टरियों, संसाधन इकाइयों आदि पर सतर्कता/आचरण निरीक्षण किए जा सकें।

(2) तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों पर नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं और मिलावट तथा कदाचारों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध विपणन अनुशासन

दिशानिर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के अंतर्गत कार्रवाई भी करती हैं। एमडीजी में मिलावट के साबित मामलों में डीलरशिप की समाप्ति करने की सजा का प्रावधान है।

(3) सरकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार तेल विपणन कंपनियों ने निदेशक (विपणन) के अलावा अन्य निदेशक को सूचित करने के लिए एक अलग स्कंध का सृजन किया है जो मिलावट की रोकथाम करने और इस संबंध में मानकों और दिशानिर्देशों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सभी कार्यों और प्रचालनों की देखरेख और निगरानी करेगा।

(4) मिलावट के लिए मिट्टी तेल (एसकेओ) के दुरूपयोग/विपणन को देखते हुए निजी पक्षकारों द्वारा एसकेओ का आयात तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से सरणीबद्ध किया गया है।

(5) तेल विपणन कंपनियों ने परिवहनकर्त्ताओं द्वारा मार्ग में मिलावट रोकने के लिए नई चोरी रोधी टैंक ट्रक ताला प्रणाली लागू की है।

(6) वैश्विक स्थिति प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के परिवहन की निगरानी और खुदरा स्वचलन के माध्यम से खुदरा बिक्री केन्द्रों में ईंधन टैंकों के स्तर की निगरानी करने जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी (आईटी) समाधान लागू किए जा रहे हैं।

(7) खुदरा बिक्री केन्द्रों की ब्रान्डिंग और खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्ष का प्रमाणन तेल विपणन कंपनियों द्वारा आरम्भ किया गया है।

(8) यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल कि सुदृढ़ करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है और यह उत्पाद लक्षित उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाए और मिलावट के लिए इसका विपथन न किया जाए।

मिलावट को रोकने के उपायों को सरकार की सतत समीक्षा में रखा गया है।

एफ.एम. रेडियो

1820. **श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एफ.एम. रेडियो के लिए वर्तमान लाइसेंसिंग प्रणाली के स्थान पर राजस्व भागीदारी प्रणाली लाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) निजी एजेंसियों के जरिए एफ.एम. रेडियो प्रसारण के चरण-I के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एफ.एम. प्रसारण के चरण-II के लिए सिफारिशें करने हेतु डा. अमित मित्रा, महासचिव, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल परिसंघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने समिति की रिपोर्ट की जांच की और सरकार को सिफारिशें कीं। ट्राई की सिफरिशों और अमित मित्रा समिति की रिपोर्ट की जांच करने के बाद सरकार ने एफ.एम. रेडियो प्रसारण के चरण-II हेतु एक नीति को अधिसूचित कर दिया है। इस नई नीति में अन्य बातों के साथ-साथ, बंद निविदा प्रणाली के आधार पर निर्णीत किए जाने वाले एक-मुश्त प्रवेश शुल्क (ओटीईएफ), न्यूनतम 10% के आरक्षित ओटीईएफ के अध्यधीन सकल राजस्व के 4% की दर पर वार्षिक शुल्क का प्रावधान है। इस नीति में चरण-I आपरेटरों को चरण-II प्रणाली में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है। इस नीति का और अधिक ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट (www.mib.nic.in) पर उपलब्ध है।

स्टेशनों पर मौसमी फलों का बेचा जाना

1821. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे प्लेटफार्मों पर मौसमी फलों को बेचने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या सरकार का विचार रेल गाड़ियों में नारियल पानी की उपलब्धता हेतु सुविधाओं में विस्तार करने का भी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाएं हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मौसमी फलों सहित फलों की बिक्री के लिए विभिन्न रेलवे प्लेटफार्मों पर फ्रूट स्टाल पहले से ही मौजूद हैं।

(ख) गाड़ियों में नारियल-पानी की बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती के साथ खेलकूद ठेके

1822. श्री गुरूदास कामत: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी प्रसारकों ने प्रसार भारती के साथ खेलकूद ठेकों की भागीदारी को अनिवार्य बनाने वाले प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती के साथ अधिकार धारकों द्वारा राष्ट्रीय महत्व की खेलकूद संबंधी घटनाओं के स्थलीय प्रसारण अधिकारों की अनिवार्य भागीदारी से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने मुख्य खेल-कूद चैनलों और खेल-कूद अधिकार प्रबंधन कंपनियों को संवाद के जरिए सर्वसम्मति बनाने या कम से कम इसे इष्टतम बनाने का कार्य सौंपा है।

कलाकारों को वित्तीय सहायता

1823. श्री प्रदीप गांधी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहे कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितने कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती ने उन प्रतिष्ठित कलाकारों जिन्होंने प्रसार भारती के माध्यम से विशिष्ट सेवा की है और जो दीनहीन परिस्थितियों में हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक स्कीम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 26 कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

रक्षा सौदे

1824. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मुन्शी राम:
श्री मो. ताहिर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों के साथ रक्षा सौदे करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये शर्तें उन विदेशी कंपनियों के सौदों पर भी लागू होंगी जिनके साथ पहले से ही मूल्य संबंधी वार्ता की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 तथा रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2005 में क्रमश: पूंजी तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत रक्षा मदों की अधिप्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 तथा रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2005-दोनों ही तीनों सेनाओं के लिए स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से रक्षा मदों के अर्जन को विनियमित करते हैं।

(ग) और (घ) जिन मामलों में मूल्य-वार्ता के पश्चात् संविदा पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, उनमें अधिप्राप्ति, संविदा के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

[अनुवाद]

रसोई गैस का वैकल्पिक ईंधन

1825. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि हैदराबाद स्थित एक कंपनी ने रसोई गैस का वैकल्पिक ईंधन तैयार किया है जो रसोई गैस की तुलना में 40 प्रतिशत ऊर्जा बचा सकता है और अपने उत्पाद के विपणन हेतु सरकार की मंजूरी की प्रतीक्षा में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आर एण्ड डी संस्थानों अथवा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ऊर्जा के इस वैकल्पिक स्रोत के संबंध में और सूचना का स्वागत करेगी।

[हिन्दी]

उर्दू समाचार बुलेटिन

1826. श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज): क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरदर्शन से उर्दू समाचार बुलेटिन का नियमित रूप से प्रसारण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उर्दू समाचार बुलेटिन डी.डी. न्यूज चैनल और हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पटना और श्रीनगर स्थित दूरदर्शन केन्द्रों की एक नियमित विशेषता है।

झांसी-कानपुर लाइन का दोहरीकरण

1827. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झांसी-कानपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ दूरदर्शन स्टूडियो

1828. श्री पवन कुमार बंसल: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के पास चण्डीगढ़ में आधुनिक साजो-सामान के युक्त स्टूडियो है;

(ख) यदि हां, तो इसे बनाने में कुल कितनी लागत आई तथा वहां पर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) वहां क्या-क्या गतिविधियां होती हैं तथा कौन-कौन से कार्यक्रम तैयार और वहां से प्रसारित किये जाते हैं;

(घ) स्टूडियो का क्षमता से कम उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रसार भारती ने स्टूडियो के इष्टतम उपयोग के लिए चण्डीगढ़ से स्थानीय समाचार नेटवर्क शुरू करने की इच्छा पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। तीन कैमरा सेटअप और संबद्ध उपकरणों से सुसज्जित एक स्टुडियो को शामिल करके एक स्टुडियो केन्द्र 4.97 करोड़ रुपये की लागत पर स्थापित किया गया था।

(ग) इस समय, केन्द्र में सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन एक घंटे का प्रसारण जिसमें समसामयिक विषयों, कला संस्कृति, साहित्य, लोक संगीत आदि सहित विभिन्न शैलियों के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(घ) इस समय स्टुडियो केन्द्र का पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि अपेक्षित पद स्वीकृत नहीं किए गये हैं।

(ङ) और (च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि

1829. डा. के.एस. मनोज: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर कंपनी-वार कितनी धनराशि खर्च की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपनी सहायक कंपनियों सहित विज्ञापनों पर खर्च की गई कंपनी-वार राशि विवरण में दी गई है।

विवरण

(रु. करोड़)

सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम/संगठन का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
आईओसीएल	50.21	112.14	113.00
ओआईएल	0.71	0.83	1.42
एमआरपीएल	0.11	0.53	1.19
केआरएल	0.40	0.44	0.59
बीपीसीएल	36.10	56.24	62.56
सीपीसीएल	0.88	2.60	1.07
एचपीसीएल	51.44	58.38	38.74
बीआरपीएल	0.15	0.31	0.35
बीको लारी लि.	0.01	0.03	0.02
एनआरएल	0.12	0.53	0.79
ओएनजीसी	14.29	43.77	26.00
गेल	11.91	26.65	21.31
ईआईएल	0.16	0.24	0.19
ओएनजीसी विदेश	0.83	0.20	0.34
आईबीपी	1.28	5.48	2.46
बामर लारी (बीएलएल)	0.31	0.20	0.10

आल असम स्टूडेंट यूनियन और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के बीच समझौता

1830. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में सामाजिक-आर्थिक विकास तथा रोजगार के अवसरों के लिए आल असम स्टूडेंट यूनियन और तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम के बीच समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है तथा इससे बिन्दु वार क्या परिणाम हासिल हुए हैं; और

(ग) वे कौन से बिन्दु हैं जो अभी भी पूरे किये जाने हैं तथा इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, नहीं। ओएनजीसी से प्राप्त सूचना के अनुसार कंपनी ने एएएसयू के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है। तथापि, ओएनजीसी और एएएसयू के बीच नई दिल्ली, सिबसागर और गुवाहाटी में अनेक बैठकें हुई हैं, जिनमें एएएसयू द्वारा क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास सहित विभिन्न मुद्दे उठाए गए थे।

(ख) और (ग) उठाए गए मुद्दों और की गई चर्चा का संक्षिप्त ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	उठाया गया मुद्दा/मद	पहलें/कार्रवाई
1	2	3
1.	श्रेणी III एवं IV में 500 पदों की भर्ती (250 सुरक्षा कर्मचारियों सहित)	ओएनजीसी में भर्ती खुली और पारदर्शी है और जब भी रिक्तियां होती हैं, श्रेणी III एवं IV के सभी पद स्थानीय क्षेत्रों से भरे जाते हैं। आवश्यकता के अनुकूल भर्ती करने के लिए बोर्ड द्वारा असम में अपने प्रचालनों के प्रति समर्पित एक बटालियन खड़ी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और तत्काल कार्रवाई करने के लिए इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दीर्घावधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल ओएनजीसी के लिए राज्य से 1400 कार्मिकों (स्टाफ तथा अधिकारियों) की भर्ती करनी होगी। साथ ही 26 कनिष्ठ तकनीकी सहायक (रसायन) और 05 अर्ध चिकित्सीय पद भरे गए हैं। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी और भर्ती की जाएगी।
2.	सिवसागर (असम) में और उसके आसपास स्मारकों का परिरक्षण	ओएनजीसी को स्मारकों के परिरक्षण में कोई विशेषज्ञता हासिल नहीं है। असम सरकार की विशिष्ट आवश्यकताओं का पता लगाने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यह विशिष्ट कार्य दिया जा सकता है। ओएनजीसी इस प्रकार के कार्य में भागीदारी के लिए तैयार होगी। तथापि, कार्रवाई एसएएसयू द्वारा की जानी है। अब तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है।
3.	सड़कों/पुलों का निर्माण और मरम्मत	ओएनजीसी ने प्रचालन क्षेत्र में और इसके आसपास सड़कों/पुलों के निर्माण/मरम्मत कार्य में भागीदारी के लिए वास्तविक प्रयास किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिवसागर जिले में 15.56 करोड़ की लागत पर लाकवा, नार्थ बैंक और डेमुलगांव क्षेत्रों, जेलेकी, रूद्रसागर आदि जैसे क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण, मरम्मत के लिए प्रमुख कार्य लिए गए थे। जोरहाट जिले में और इसके आसपास, जहां ओएनजीसी प्रचालन करती है, में भी इसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। उपर्युक्त के अलावा, ओएनजीसी ने निम्नलिखित मुख्य सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, असम सरकार को 11 करोड़ रुपए की राशि देने पर सहमति व्यक्त की हैं:-

क्र.सं.	सड़क का ब्यौरा	लम्बाई (कि.मी.)
1.	स्पेान-सुम्पुरा सड़क	21
2.	जेलेकी सड़क	18
3.	लाकवा सड़क	17
4.	खारीकटिया अली	15
5.	धुदार अली	10
	कुल लम्बाई (कि.मी.)	81

उपर्युक्त निधि का एक हिस्सा कार्य करने के लिए पहले ही जारी कर दिया गया है।

1	2	3
4.	कम्प्यूटर	ओएनजीसी ने बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 5 लाख रुपए की कुल लागत पर (25,000/- प्रति कंप्यूटर की दर से) 20 कंप्यूटरों के लिए धनराशि दी है। इन कंप्यूटरों की सफलतापूर्वक स्थापना/सत्यापन के बाद अगले चरण में 10 और कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। चुनिंदा स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालय/व्यावसायिक केन्द्र आदि के संबंध में, जिन्हें सहायता/सहयोग दिया जाना है, कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है। ओएनजीसी अभी तक एएसयू से फीडबैक प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है।
5.	मेडिकल कालेजों को विशेष वित्तीय सहायता	डा. बी बरूआ कैन्सर संस्थान को कतिपय परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपए की राशि दी गई थी। इसी प्रकार शंकर नेत्रालय, गुवाहाटी को 11.00 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।
6.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में कैम्पस साक्षात्कार	यह अनुप्रयुक्त भूविज्ञान के छात्रों के लिए किए जा रहा है और प्रत्येक वर्ष 5 छात्रों तक भर्ती अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बशर्ते कि अर्हता मानदंड पूरा करें।
7.	गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों में छात्रावास	कंपनी की नैमग नागरिकता नीति के अनुसार बुनियादी/निर्माण क्षेत्र के लिए ओएनजीसी के पास कोई आदेश नहीं है। तथापि, यदि विशिष्ट प्रस्ताव मिलते हैं तो ओएनजीसी सहायता के विशिष्ट क्षेत्रों की तलाश करेगी।
8.	गुवाहाटी में उत्तर-पूर्व पुस्तकालय	ओएनजीसी ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय स्थित पुस्तकालय को लाख रुपए की पुस्तकें विभिन्न चरणों में देने पर सहमति दी है। तथापि, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एक विस्तृत प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
9.	चाउलिंग सुखफा इंटरनेशनल इंस्ट्टियूट आफ रिसर्च	इस संस्थान से सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण पर विज्ञापनों का प्रभाव

1831. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री भाल चन्द्र यादव:
श्रीमती गीता पटैरिया:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विज्ञापन के क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया समाज के सांस्कृतिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कोई मूल्यांकन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विज्ञापनों तथा फिल्मों में अश्लीलता को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) विज्ञापन के क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक मीडिया के समाज के सांस्कृतिक वातावरण पर प्रभाव के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 यह निर्धारित करता है कि केबल सेवा के माध्यम से प्रसारित अथवा पुन: प्रसारित उपग्रह चैनलों के विज्ञापनों के लिए उक्त

अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित है। विज्ञापन संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि केबल सेवा में प्रसारित विज्ञापनों को इस तरह से तैयार किया जाए कि वे देश के कानूनों के अनुकूल हों तथा उपभोक्ताओं की नैतिकता, शालीनता, मर्यादा और धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। विज्ञापन संहिता यह भी प्रावधान करती है कि किसी भी तरह से शालीनता को महिमामंडित करने वाले विज्ञापनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। संहिता आगे प्रावधान करती है कि सभी विज्ञापनों में अशोभनीय, अश्लील, विचारोत्तेजक, घृणास्पद या अपमानजनक शीर्षकों अथवा अभिक्रिया का परिवर्जन किया जाए। केन्द्रीय सरकार ने विज्ञापन संहिता के उल्लंघनों की जांच-पड़ताल के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है।

जहां तक फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन का संबंध है, चलचित्रकी अधिनियम, 1952 के तहत स्थापित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु फिल्मों को प्रमाणित करता है। प्रमाणन संबंधी दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि महिलाओं के प्रति बलात्कार जैसे यौन हिंसा वाले दृश्यों, यौन कामविकृति को चित्रित करने वाले दृश्यों, महिलाओं को किसी भी प्रकार से अपमानित अथवा कलंकित करने वाले दृश्यों, हिंसा, अपराधियों की कार्यप्रणाली इत्यादि जैसी असामाजिक गतिविधियों को दर्शाने वाले दृश्यों को चित्रित या महिमामंडित नहीं किया जाए या न्यायोचित नहीं ठहराया जाए और/अथवा उन मामलों में, जहां ऐसे दृश्य फिल्म के शीर्षक के लिए सुसंगत हों, उनका कम से कम उपयोग किया जाए। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए फिल्मों को प्रमाणित करता है तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखता है कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सृजनात्मक स्वतंत्रता को अनुचित रूप से प्रतिबंधित न किया जाए तथा फिल्म का माध्यम समाज में व्यापक रूप से प्रचलित मूल्यों और मानदंडों के प्रति जिम्मेवार तथा संवेदी रहे।

निजी एयरलाइनों पर बकाया धनराशि

1832. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एयरलाइनों पर सरकार की कोई धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2005 को निजी एयरलाइनों पर एयरलाइन-वार बकाए धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी-एयरलाइनों से बकाया धनराशि वसूलने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बकाया धनराशि वसूलने के लिए कुछ निजी-एयरलाइनों की प्रतिभूति जमा को समायोजित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार विभिन्न निजी एयरलाइनों पर बकाया राशि (लाख रुपयों में) इस प्रकार हैं:

जेट एयरवेज-2437.90, सहारा एयरलाइन्स-1115.25, ईस्ट-वेस्ट एयरलाइन्स-1622, एनईपीसी एयरलाइन्स-354.98, स्काई लाईन एनईपीसी-166.10, एल्बी एयरलाइन्स-95.76, कान्टीनेन्टल एविएशन-184, वीआईएफ एयरवेज-24.79, अर्चना एयरवेज-39.22, एयर डक्कन-628.05, जैगसन एयरलाइन्स-114.18, ब्ल्यू डार्ट-36.33, गुजरात एयरवेज-11.47, मेस्को एयरलाइन्स-306.23 और यूपी एयरवेज-14.28।

(ग) और (घ) बकायों पर नियमित रूप से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, (एएआई) द्वारा निगाह रखी जाती है, तथा जब कभी आवश्यकता होती है, कानूनी/मध्यस्थता/सार्वजनिक परिसर अधिनियम (पीपीई) के द्वारा कार्रवाईयां की जाती हैं। इसके अतिरिक्त चूककर्त्ता एयरलाइनों पर अत्यवधि के लिए ब्याज भी लगाया जाता है और इन्हें कैश एंड कैरी बेसिस पर प्रचालन के लिए रखा जाता है।

(ङ) जी, हां।

(च) आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों का विकास

1833. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लोगों की प्रतिशतता में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों को देश की मुख्य धारा के बराबर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने प्रयासों में प्राप्त सफलता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए गरीबी आकलन के अनुसार, 36.25% अनुसूचित जाति जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में और 38.47% शहरी क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। 16 बड़े राज्यों में गरीबी के स्तर का आकलन संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के बारे में गरीबी डाटा अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली अनुसूचित जातियों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 1993-94 में 48.11 से घटकर 1999-2000 में 36.25% रह गया है। इसी अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में 49.48% से घटकर 38.47% हो गया है।

(घ) राज्यों को विशेष संघटक योजना (एससीपी) के अंतर्गत अपने योजना बजट से निधि का प्रवाह और सम्बद्ध लाभ अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चैनेलाइज करना अपेक्षित है। केन्द्र सरकार विशेष संघटक योजना के योगज के रूप में परिवार मुखी आय सृजित स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है ताकि अनुसूचित जाति के लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर आएं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम और अनुसूचित जाति विकास निगमों द्वारा व्यवहार्य स्व-रोजगार परियोजनाओं को करने के लिए रियायत दर पर क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों को रियायत क्रेडिट सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ङ) सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों के कारण, अनुसूचित जातियों के मध्य गरीबी में, उड़ीसा और असम व हरियाणा के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर सभी बड़े राज्यों में कमी आई है। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा 2003-04 और 2004-05 के दौरान राज्य-वार क्रेडिट का संवितरण और सहायता प्राप्त पिछड़े वर्गों की संख्या का ब्यौरा विवरण-II पर है।

विवरण I

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनुसूचित जातियों का प्रतिशत

राज्य	1993-94		1999-2000	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	26.02	43.82	16.49	41.42
असम	45.38	14.34	44.00	19.99
बिहार	70.66	55.16	59.81	51.91
गुजरात	32.26	44.99	17.77	29.13
हरियाणा	46.56	23.58	19.03	25.38
हिमाचल प्रदेश	36.89	18.52	13.15	6.74
कर्नाटक	46.36	61.59	26.22	47.01

1	2	3	4	5
केरल	36.43	31.59	14.64	24.15
मध्य प्रदेश	45.83	65.00	41.29	54.24
महाराष्ट्र	51.64	52.56	33.27	39.88
उड़ीसा	48.95	47.45	51.83	70.59
पंजाब	22.08	27.96	12.39	11.30
राजस्थान	38.38	48.63	19.62	41.82
तमिलनाडु	44.05	61.50	32.59	44.94
उत्तर प्रदेश	58.99	58.02	43.65	43.51
प. बंगाल	45.29	37.73	35.10	28.15
सम्पूर्ण भारत	48.11	49.48	36.25	38.47

विवरण II

2003-04 व 2004-05 के दौरान राज्यवार संवितरण और सहायता प्राप्त पिछड़े वर्ग (बी.सी.) लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-2004		2004-05 अस्थाई	
		संवितरण	लाभार्थी	संवितरण	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1150.00	24065	250.00	135
2.	असम	95.68	274	80.20	220
3.	बिहार	7.50	10	170.00	523
4.	छत्तीसगढ़	25.00	40	108.19	137
5.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	15.00	25	24.70	72
6.	दिल्ली (यू.टी.)	50.00	55	50.00	78
7.	गुजरात	350.00	615	350.00	980
8.	गोवा	46.67	26	28.45	15
9.	हरियाणा	200.00	940	175.00	769
10.	हिमाचल प्रदेश	182.84	256	250.00	500
11.	जम्मू-कश्मीर	15.00	30	40.60	57

1	2	3	4	5	6
12.	झारखंड	270.30	540	0.00	0
13.	कर्नाटक	1690.77	7757	1000.00	6528
14.	केरल	3067.50	11900	1697.50	5362
15.	मध्य प्रदेश	492.50	1292	148.75	507
16.	मणिपुर	0.00	0	0.00	0
17.	महाराष्ट्र	2684.00	5570	1950.00	5941
18.	उड़ीसा	50.00	105	50.00	495
19.	पंजाब	43.00	629	200.00	321
20.	पांडिचेरी (यू.टी.)	50.00	173	50.00	176
21.	राजस्थान	114.68	278	293.40	792
22.	सिक्किम	125.00	170	257.90	300
23.	तमिलनाडु	1075.00	28717	800.00	29799
24.	त्रिपुरा	0.00	0	99.03	190
25.	उत्तर प्रदेश	550.00	1138	616.00	4710
26.	उत्तरांचल	9.00	40	52.75	74
27.	प. बंगाल	750.00	1675	600.00	2857
	कुल	13109.44	86320	9342.47	61538

नोट: निधि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को इनकी मांग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के पास उपलब्ध निधि के आधार पर जारी की गई है।

तेल शोधक कारखानों का लाभ

1834. **डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद, गत कुछ वर्षों से देश में तेल-शोधक कारखानों के लाभ में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान अब तक तेलशोधक कारखानों का औसत लाभ कितना रहा है;

(घ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल शोधक कारखानों की तुलना में यह किस सीमा तक अधिक है; और

(ङ) भारत में तेल शोधक कारखानों का लाभ निर्धारित करने के क्या आधार हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम की तेल रिफाइनरियों का सकल शोधन लाभ वर्ष 2002-03 के दौरान 3.94 डालर/बीबीएल से बढ़कर वर्ष 2004-05 के दौरान 5.77 डालर/बीबीएल हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल रिफाइनरियों का सकल शोधन लाभ 5.84 डालर/बीबीएल था तदनुरूपी सिंगापुर काम्पलैक्स शोधन लाभ 8.56 डालर/बीबीएल रहा। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्यों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

रिफाइनरियों का सकल शोधन लाभ तथा अंतर्राष्ट्रीय शोधन लाभ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) दिनांक 31.3.98 तक रिफाइनरियां प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) के तहत थीं और नेटवर्थ पर 12 प्रतिशत के नियत आधार पर करोपरांत प्रतिफल के रूप में लाभों को निर्धारित किया जाता था। घरेलू शोधन क्षेत्र 1.4.98 से नियंत्रणमुक्त हो गया था और लाभ मार्जिन शोधन मार्जिन पर आधारित हैं।

विवरण

अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल मूल्य, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरी का सकल शोधन मार्जिन तथा अंतर्राष्ट्रीय शोधन मार्जिन

(डालर/बीबीएल)

	कच्चा तेल भारतीय बास्केट	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम रिफाइनरियों का सकल शोधन मार्जिन	सिंगापुर काम्पलैक्स शोधन मार्जिन
2002-03	26.66	3.94	3.06
2003-04	27.96	4.70	4.60
2004-05	39.22	5.77	8.23
अप्रैल-जून, 05	49.76	5.84	8.56

नोट: 1. भारतीय बास्केट स्वीट कच्चे तेलों के लिए ब्रेंट (डेटेड) तथा अम्लीय कच्चे तेलों के लिए ओमान/दुबई के 57:43 के अनुपात में कच्चे तेलों के प्रकाशित एफओबी मूल्यों को दर्शाता है। यह मूल्य प्लाट्स द्वारा यथा प्रकाशित है।

2. सिंगापुर काम्पलैक्स शोधन सुविधाओं के लिए मैरिल लाईंच इक्विटी रिसर्च द्वारा यथा उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय शोधन मार्जिन फीडस्टाक रूप में दुबई क्रूड पर आधारित है।

रेल बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन

1835. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेल बजट (2005-2006) में नई रेलगाड़ियां चलाने, कुछ रेलगाड़ियों का विस्तार करने तथा उनके फेरों को बढ़ाने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी नई रेल गाड़ियां चलाई गई हैं, विस्तार की गई हैं तथा फेरों में वृद्धि की गई है; और

(ग) नई रेल सेवाएं प्रारम्भ करने, रेलगाड़ियों का विस्तार करने तथा उनके फेरों को बढ़ाने के लिए सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, हां। बजट 2005-06 में शामिल की गई गाड़ी सेवाएं, मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान मुहैया कराई जा चुकी और मुहैया कराई जाने वाली गाड़ी सेवाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

बजट 2005-06 में घोषित गाड़ी सेवाएं जिन्हें आज तक मुहैया कराया गया है

नई गाड़ी चलाना

1.	751/752	मदुरै	मनामदुरै	यात्री
2.	709/710	गुवाहाटी	नया बोंगाईगांव	यात्री

3.	2317/2318ए	पटना	अमृतसर	लिंक सेवा	
4.	3एए/4एए	अमृतसर	अटारी	डिजल मल्टीपल इकाई	
5.	जीजी1/जीजी2	ग्वालियर	गुना	यात्री	
6.	1/2एमएबी	मथुरा	बांदीकुई	यात्री	
7.	8239/8240	बिलासपुर	ईतवारी	एक्सप्रेस	
8.	9777/9778	जयपुर	आगरा किला	एक्सप्रेस	
9.	7481/7482	बिलासपुर	तिरूपति	एक्सप्रेस	
10.	163/164	अजमेर	रेवाड़ी	यात्री	
11.	377/378	बेलगाम	मिरज	यात्री	
12.	379/380	बेलगाम	मिरज	यात्री	
13.	499/500	जयपुर	रेवाड़ी	यात्री	
14.	539/540	हुबली	चिकजाजूर	यात्री	
15.	597/598	पर्ली	परभनी	यात्री	
16.	1आरएल/2आरएल	रांची	लोहरदग्गा	यात्री	
17.	3409/3410	माल्दा टाउन	भागलपुर	एक्सप्रेस	
18.	5271/5272	मुजफ्फरपुर	हावड़ा	एक्सप्रेस	
19.	105/106	चेन्नै एगमोर	पांडिचेरी	लिंक यात्री	
20.	1595/1596	बीणा	गुना	यात्री	
21.	1593/1594	बीणा	गुना	यात्री	
	विस्तार				
1.	4059/4060	जैसलमेर/बाड़मेर	दिल्ली सराय रोहिल्ला	एक्सप्रेस	दिल्ली जं.
2.	2555/2556	गोरखपुर	नई दिल्ली	एक्सप्रेस	रोहतक
3.	2707/2708	निजामुद्दीन	सिकंदराबाद	एक्सप्रेस	तिरूपति
4.	2983/2984	जयपुर	बिलासपुर	एक्सप्रेस	भुवनेश्वर
5.	7405/7406	तिरूपति	हैदराबाद	एक्सप्रेस	निजामाबाद
6.	7603/7604	काचीगुडा	श्री सत् साई प्रसांति निलयम्	एक्सप्रेस	यशवंतपुर
7.	9165/9166	अहमदाबाद	मुजफ्फरपुर	एक्सप्रेस	दरभंगा
8.	6333/6334	त्रिवेन्द्रम	राजकोट-हापा	एक्सप्रेस	राजकोट-वरावाल
9.	9149/9150	अहमदाबाद	धनबाद	एक्सप्रेस	आसनसोल

10.	2653/2654	कोचुवेली	निजामुद्दीन	एक्सप्रेस	चंडीगढ़
11.	8477/8478	पुरी	निजामुद्दीन	एक्सप्रेस	हरिद्वार
12.	4083ए/4084ए	दिल्ली	नई जलपाईगुड़ी	एक्सप्रेस	अलीपुरद्वार
13.	4023/4024	दिल्ली	फर्रूखाबाद	एक्सप्रेस	भिवानी
	फेरों में बढ़ोत्तरी				
1.	2555/2556	गोरखपुर	नई दिल्ली विस्तार के साथ रोहतक तक	एक्सप्रेस	3 से 7 दिन
2.	8003/8004	हावड़ा	यशवंतपुर भाया तिरूपति	एक्सप्रेस	2 से 7 दिन
3.	6123/6124	चेन्नई-एगमोर	त्रिवेन्द्रम	एक्सप्रेस	6 से 7 दिन
4.	3403/3404	भागलपुर	रांची	एक्सप्रेस	4 से 5 दिन
5.	2661/2662	चेन्नई-एगमोर	टेंकासी	एक्सप्रेस	1 से 2 दिन
6.	2423ए/2424ए/ 2435ए/2436ए	नई दिल्ली	डिब्रूगढ़ टाऊन	एक्सप्रेस	3 से 7 दिन
7.	8253/8254	दुर्ग	भोपाल	एक्सप्रेस	4 से 7 दिन

वर्ष 2005-06 के दौरान मुहैया कराई जाने वाली गाड़ी सेवाएं

नई गाड़ी चलाना

1.	1471/1472	जबलपुर	भोपाल भाया इटारसी	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
2.	1473/1474	जलबपुर	भोपाल भाया बीणा	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
3.	2027/2028	बैंगलूर	चेन्नई सेन्ट्रल	जनशताब्दी	6 दिन
4.	2071/2072	मडगांव	मैंगलोर	जनशताब्दी	6 दिन
5.	259/260	राजकोट	वेरावाल	फास्ट यात्री गाड़ी	प्रतिदिन
6.	2709/2710	सिकंदराबाद	गुडूर	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
7.	2963/2964	उदयपुर	निजामुद्दीन	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
8.	2965/2966	उदयपुर	जयपुर	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
9.	307/308 और 309/310	उदयपुर	चित्तौड़गढ़	दो जोड़ी यात्री	प्रतिदिन
10.	437/438	अहमदाबाद	मेहसाना	यात्री	प्रतिदिन
11.	467/468	कानपुर	फर्रूखाबाद	यात्री	प्रतिदिन
12.	469/470	लखनऊ	फर्रूखाबाद	यात्री	प्रतिदिन

13.	471/472	कानपुर	फर्रूखाबाद	यात्री	प्रतिदिन
14.	5037/5038	कानपुर	फर्रूखाबाद	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
15.	561/562	सिकंदराबाद	बसर	यात्री	प्रतिदिन
16.	573/574	सिकंदराबाद	बोधन	यात्री	प्रतिदिन
17.	593/594	सिकंदराबाद	निजामाबाद	यात्री	प्रतिदिन
18.	635/636	मैंगलोर	श्रवणबेलगोला	यात्री	प्रतिदिन
19.	6515/6516	यशवंतपुर	मैंगलोर	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
20.	6517/6518	यशवंतपुर	मैंगलोर	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
21.	7039/7040	सिकंदराबाद	नांदेड़	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
22.	7051/7052	सिकंदराबाद	चेन्नई एग्मोर	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
23.	825/826	कुंभकोणम	तंजावुर	यात्री	प्रतिदिन
24.	8407/8408	भुवनेश्वर	सबलपुर	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
25.	871/872, 873/874, 875/876	तंजावुर	तीरूवरूवर	यात्री	प्रतिदिन
26.	9121/9122	अहमदाबाद	वेरावाल	एक्सप्रेस	प्रतिदिन
27.	एएफबी1/एएफबी2	आगरा कैंट	बयाना	मेन लाइन इलेक्ट्रीक मल्टीपल इकाई	प्रतिदिन
28.	1 जीबी से 8 जीबी	गोंदीय	बालाघाट	यात्री-4 जोड़े	6 दिन
29.	1 आरबी से 4 आरबी	रूपशा	बेंगारीपोशी	डीजल मल्टीपल	6 दिन
30.	1 आरएनबी से 4 आरएनबी	बांकुरा	रायनगर	डीजल मल्टीपल	6 दिन
31.	1595/1596	बीणा	गुणा	यात्री	प्रतिदिन
32.	1593/1594	बीणा	गुणा	यात्री	प्रतिदिन
33.	5जीसी/6जीडब्ल्यू और 8 डब्ल्यूसी	गोंदीया	चान्दा फोर्ट	यात्री	6 दिन
	विस्तार				
1.	219/220	हावड़ा	माल्दा टाउन	यात्री	बालूरघाट
2.	1 केए/2 केए	इलाहाबाद	कानपुर सेन्ट्रल	यात्री	फर्रूखाबाद
3.	1003/1004	मुंबई सीएसटी	निजामाबाद	एक्सप्रेस	काचीगुडा

4.	133/134	नीमच	चित्तौडगढ़	यात्री	उदयपुर
5.	2083/2084	कोयम्बटूर	तंजावुर	एक्सप्रेस	कुंभकोणम
6.	2557/2558	दिल्ली	मुजफ्फरपुर	एक्सप्रेस	दरभंगा
7.	2625/2626	त्रिवेन्द्रम	बिलासपुर	एक्सप्रेस	चंडीगढ़
8.	2659/2660	चेन्नई	विशाखापत्तनम	एक्सप्रेस	भुवनेश्वर
9.	5205/5206	नई दिल्ली	मुजफ्फरपुर	एक्सप्रेस	समस्तीपुर
10.	6327/7328	त्रिवेन्द्रम	बिलासपुर	एक्सप्रेस	कोर्बा
11.	6595/6596	राजेन्द्र नगर	यशवंतपुर	एक्सप्रेस	बैंगलूर सिटी
12.	6607/6608	चेन्नई एग्मोर	ईरोड	एक्सप्रेस	कोयम्बटूर
13.	6831/6832	मैसूर	तंजावुर	एक्सप्रेस	कुंभकोणम
14.	8407/8408	निजामुद्दीन	भुवनेश्वर	एक्सप्रेस	विशाखापत्तनम
15.	874/877	तिरूचिरापल्ली	तंजावुर	यात्री	तिरूवर
16.	898/899	तिरूचिरापल्ली	तंजावुर	यात्री	तिरूवर
17.	9775/9776	जयपुर	बेंगलूर	एक्सप्रेस	मैसूर
	फेरों में बढ़ोत्तरी				
1.	1055/1056	लोकमान्य तिलक टर्मिनस	गोरखपुर	एक्सप्रेस	3 से 4 दिन
2.	1059/1060	लोकमान्य तिलक टर्मिनस	छपरा	एक्सप्रेस	1 से 3 दिन
3.	7479/7480	पुरी	तिरूपति	एक्सप्रेस	1 से 5 दिन

केरोसिन के डिपो खोलना

1836. मोहम्मद शाहिद:
श्री मुन्शी राम:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोल पम्पों की तर्ज पर केरोसिन डिपो खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरोसिन डिपो खोलने के लिए कुछ स्थानों की स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजना कब तक क्रियाशील हो जाने की संभावना है; और

(च) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितना खर्च वहन किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के प्राथमिक उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क का आमूल-चूल सुधार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नवीन प्रायोगिक परियोजना का अनुमोदन कर दिया है कि यह अत्यधिक

राजसहायता वाले उत्पाद अभीष्ट लाभार्थियों को रियायती मूल्य पर वांछित मात्रा में वास्तविक रूप से उपलब्ध कराया जाए और द्वितीय सा.वि.प्र. के एसकेओ का मिलावट के लिए विपथन नियंत्रित, विपरीत और अन्ततः समाप्त किया जा सके। प्रायोगिक परियोजना छह महीनों की अवधि के लिए देश के 10 प्रतिशत तक ब्लाकों में लागू की जाएगी। इसके बाद योजना की कार्यप्रणाली का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार सारे देश को समाहित करने के लिए योजना में विस्तार करने पर विचार करेगी।

इस नवीन प्रायोगिक परियोजना की मुख्य विशेषताएं नीचे संक्षेप में दी गई हैं:

(1) तेल विपणन कंपनियां (ते.वि.कं.) देश के प्रत्येक ब्लाकों में कम से कम एक मिट्टी तेल की (एसकेओ) डीलरशिप की स्थापना करेंगी (वर्तमान में आधे से कम ब्लाकों को समाहित किया गया है और शहरी ब्लाकों में गैर आनुपातिक, प्रायः बहुल केन्द्रण है)।

(2) जिला प्रशासन और थोक डीलर के साथ परामर्श से प्रत्येक ब्लाक में लगभग 5-10 उप-थोक बिक्री केन्द्र स्थित किए जाएंगे।

(3) व्यापक सार्वजनिक सूचना और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सा.वि.प्र. मिट्टी तेल के परिवहन के लिए टैंकर ट्रकों (टीटी) का एक समर्पित बेड़ा होगा और ये टीटीएस विशेष लोगों को मुख्य रूप से प्रदर्शित करेंगे जो समर्पित बेड़े के लिए विकसित किया जा रहा है। यह उस टीटी के बाहर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित मिट्टी तेल का परिवहन कर रहा है।

(4) एसकेओ डीलरशिपों पर भंडार वितरण सेवाओं को अपने स्वयं के खर्च पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल और डीजल केन्द्रों में प्रदान की जाने वाली आधुनिक सुविधाओं के समान करने के लिए मंत्रालय की तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत समाहित प्रत्येक डीलरशिप में निम्नलिखित सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए तेल विपणन कंपनियों का वित्तपोषण करेगा।

- 20 कि.ली. की न्यूनतम क्षमता वाले भण्डारण टैंक
- इलेक्ट्रानिक मीटर वाले वितरण पम्प
- उप-थोक बिक्री केन्द्र को एसकेओ की सुपुर्दगी के लिए पर्याप्त बैरल जो उपयुक्त रूप से विशेष लोगों से सज्जित हों।
- एक और अधिक बैरल शेडस

(5) उप-थोक बिक्री केन्द्रों को आपूर्तियां तेल विपणन कंपनियों की प्रत्यक्ष निगरानी और जिम्मेदारी के अंतर्गत की जाएंगी जो खुदरा बिक्री केन्द्रों को सा.वि.प्र. के एसकेओ के सुविधाजनक और आश्वस्त परिवहन के लिए उप थोक बिक्री केन्द्र पर विशेष लोगो से सज्जित पर्याप्त बैरलों को उपलब्ध करायेगी। ऐसा ही लोगो थोक बिक्री केन्द्र से उप थोक बिक्री केन्द्रों और वहां से उचित दर की दुकानों पर खुदरा बिक्री केन्द्रों को सा.वि.प्र. के एसकेओ का परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(6) उचित दर की प्रत्येक दुकान पर सा.वि.प्र. के एसकेओ का स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले लोगों के साथ बैरलों में भंडारण किया जाएगा जिसे आम जनता उस उचित दर की दुकान पर सा.वि.प्र. के एसकेओ की शेष उपलब्धता स्वयं निर्धारित करने के लिए देख सकें।

(7) राज्य सरकारों के परामर्श से पंचायतों और ग्राम सभाओं को सा.वि.प्र. के एसकेओ और रियायती मूल्यों पर उपलब्धता की सामान्य रूप से निगरानी करने के लिए शक्ति प्रदत्त किया जाएगा और राज्य प्रशासन तथा संबंधित तेल विपणन कंपनियों को किसी भी कमी को सूचित करने के लिए पंचायतों/ग्राम सभाओं हेतु एक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति और पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों की 29 जुलाई, 2005 की बैठक में अनेक सुझाव दिए गए थे जिनको प्रायोगिक परियोजना के आरूप में प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रायोगिक योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों में 512 ब्लाकों की पहचान की गई है। राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) यह योजना 2 अक्तूबर, 2005 से प्रचालन में आएगी।

(च) इस पूरी योजना के तहत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूंजी व्यय 696 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिसका वहन तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) द्वारा किया जाएगा।

विवरण

मिट्टी तेल के पीडीएस नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रायोगिक योजना क्रियान्वित करने के लिए पहचान किए गए ब्लाकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लाकों की संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान एवं निकोबार	1
2.	आंध्र प्रदेश	86
3.	अरुणाचल प्रदेश	6
4.	असम	33
5.	बिहार	46
6.	छत्तीसगढ़	11
7.	गोवा	2
8.	गुजरात	59
9.	हरियाणा	6
10.	जम्मू-कश्मीर	2
11.	झारखण्ड	13
12.	केरल	20
13.	मध्य प्रदेश	36
14.	महाराष्ट्र	33
15.	मणिपुर	4
16.	मेघालय	4
17.	मिजोरम	3
18.	नागालैंड	6
19.	उड़ीसा	26
20.	पाण्डिचेरी	1
21.	पंजाब	6
22.	राजस्थान	13
23.	सिक्किम	2
24.	त्रिपुरा	5
25.	उत्तर प्रदेश	51
26.	पश्चिमी बंगाल	37
	अखिल भारत	512

[अनुवाद]

जनजातीय संस्कृति का संरक्षण तथा संवर्धन

1837. श्री जसुभाई धाभाई बारड़: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार देश में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वैच्छिक संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कार्यरत ऐसे संगठनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या गत दो वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता के दुरूपयोग के बारे में कुछ स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2004-05 के दौरान अनुदान के लिए आवेदन करने वाले एनजीओ की संख्या	वर्ष 2002-03 के दौरान एनजीओ को मंजूर की गई राशि	वर्ष 2003-04 के दौरान एनजीओ को मंजूर की गई राशि	वर्ष 2004-05 के दौरान एनजीओ को मंजूर की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	54	1,68,000	2,15,000	4,65,500
2.	अरूणाचल प्रदेश	01	83,000	85,000	30,000
3.	असम	12	1,89,000	2,30,000	2,85,000
4.	बिहार	15	2,15,000	1,20,500	2,45,000
5.	चंडीगढ़	01	60,000	45,000	30,000
6.	दिल्ली	04	2,15,000	1,65,000	1,14,000
7.	गुजरात	07	95,000	60,000	75,000
8.	जम्मू-कश्मीर	01	45,000	75,000	15,000
9.	कर्नाटक	44	8,20,000	6,20,000	2,73,000
10.	केरल	03	2,20,000	1,40,000	1,12,000
11.	मध्य प्रदेश	12	1,05,000	1,78,500	2,83,500
12.	महाराष्ट्र	14	1,96,500	95,000	90,000
13.	मणिपुर	28	2,65,000	2,35,000	2,82,000
14.	नागालैंड	08	3,05,000	1,45,000	96,000
15.	उड़ीसा	138	3,37,000	2,75,500	12,60,000
16.	राजस्थान	33	2,10,000	1,65,000	3,30,000
17.	तमिलनाडु	08	1,05,500	1,12,500	1,10,000
18.	त्रिपुरा	01	30,000	50,000	45,000
19.	उत्तर प्रदेश	24	5,15,000	4,20,000	2,25,000
20.	हरियाणा	02	60,000	1,00,000	–
21.	उत्तरांचल	05	–	1,05,000	24,000
22.	पश्चिम बंगाल	52	3,75,500	3,60,250	4,34,000
23.	छत्तीसगढ़	01	–	45,000	21,000
24.	हिमाचल प्रदेश	11	45,000	1,50,000	1,41,000
25.	मिजोरम	01	60,000	75,000	–

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपव्यय

1838. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:**
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपव्यय को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई नियम बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के उल्लंघन के बारे में कोई सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपव्यय रोकने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ङ) सरकार ने केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालन के लिए समय-समय पर व्यय प्रबंधन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए लोक उद्यम विभाग ने सितम्बर, 2004 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे, जिनमें क्षमता, ईमानदारी तथा किफायत की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। तत्पश्चात्, अक्तूबर, 2004 में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरकार द्वारा घोषित किफायत के उपायों का कड़ा अनुपालन करने की सलाह दें। प्रशासनिक मंत्रालयों को विचलन की घटनाओं का परिवीक्षण करने तथा साथ ही इन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

रेल उपरिपुलों का निर्माण

1839. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सांताश्री चटर्जी:
श्री बापू हरी चौरे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नए सड़क उपरिपुलों के निर्माण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में निर्माणाधीन रेल उपरि-पुलों के लिए जोन-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) रेल उपरिपुलों के निर्माण हेतु अनुमोदन के लिए लंबित पड़े प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) लागत में भागीदारी के आधार पर मौजूदा समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण समपारों पर यातायात घनत्व एक लाख या अधिक टीवीयू हो। (टीवीयू-समपार पर 24 घंटों में गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या को वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली एक इकाई) अन्यथा निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। दोनों ही मामलों में, प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा अपने हिस्से की लागत को वहन करने की वचनबद्धता देना, ऊपरी/निचले सड़क पुल के पूरा होने तक समपार को बन्द करना, पहुंच मार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु आदि अग्रिम कार्रवाई करना जैसी कुछ प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं के विधिवत रूप से पूरा करते हुए प्रस्ताव प्रायोजित होना चाहिए। इसके साथ-साथ राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण को संकल्पना परियोजना पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए अनुमान जिनकी व्यावहारिकता और तर्कसंगतता की जांच की जाती है, उपलब्ध करानी होगी। जो प्रस्ताव व्यवहारिक हैं और प्रारम्भिक शर्तों को पूरा करते हैं, रेलवे के निर्माण कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करने के लिए स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जाती है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) उपर्युक्त के भाग (क) और (ख) के संबंध में बताई गई प्रारंभिक शर्तों को पूरा करते हुए कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अनुमोदन के लिए लंबित है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान 16 क्षेत्रीय रेलों पर किया गया आबंटन निम्नानुसार है

रेलवे	आबंटन (करोड़ रुपयों में)
मध्य	6.56
पूर्व	17.45

उत्तर	21.17
पूर्वोत्तर	7.46
पूर्वोत्तर-सीमा	8.58
दक्षिण	37.75
दक्षिण मध्य	11.19
दक्षिण पूर्व	13.78
पश्चिम	13.86
पूर्व मध्य	194.21
पूर्व तट	15.25
उत्तर मध्य	9.56
उत्तर पश्चिम	11.47
दक्षिण पूर्व मध्य	11.04
दक्षिण पश्चिम	26.71
पश्चिम मध्य	4.25
कुल	410.79

विमान पत्तनों पर प्रयोक्ता प्रभार

1840. श्री जी.वी. हर्ष कुमार: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर प्रयोक्ता प्रभार के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमानपत्तनों पर असीमित प्रयोक्ता प्रभार से विमान यात्रा किस सीमा तक प्रभावित होगी;

(घ) क्या इस तंत्र से देश में बन रहे निजी विमानपत्तनों पर प्रायोक्ता प्रभार को निश्चित सीमा में रखा जा सकेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) अधिनियम 1994 की धारा 22 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन, एसोसिएशन (आईएटीए) के साथ विचार-विमर्श के द्वारा हवाईअड्डों पर प्रयोक्ता प्रभारों को अनुमोदित करती है।

(ग) प्रयोक्ता प्रभारों में एयरलाइनों की कुल प्रचालन लागत का मात्र एक छोटा हिस्सा ही आता है, ये असीमित नहीं है।

(घ) और (ङ) जहां तक निजी हवाईअड्डों का संबंध है, प्रयोक्ता प्रभार एयर क्राफ्ट नियम 1937 के नियम 86 के अनुसार लागू होंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की लागत वसूली सिद्धान्त पर तथा भारत सरकार अथवा हवाईअड्डा अर्थनीति नियामक के अनुमोदन के उपरांत, जैसी भी स्थिति हो, आधारित है।

[हिन्दी]

स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट प्रणाली शुरू करना

1841. श्री बापू हरी चौरे:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कतिपय स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट प्रणाली (यू.एस.टी.) शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा स्टेशनों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने अनारक्षित डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों की प्रतिशतता का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या चालू वर्ष के दौरान ऐसे केन्द्र खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) जिन स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट प्रणाली उपलब्ध कराने की योजना है उनके नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष 2003-04 में अनारक्षित सवारी डिब्बों में यात्रा करने वाले यात्रियों (उपनगरीय यात्रियों को मिलाकर) का प्रतिशत लगभग 95 प्रतिशत है।

(ङ) जी, हां।

(च) चालू वित्त वर्ष (2005-06) के लिए समग्र रूप से 300 स्थलों पर अनारक्षित टिकट प्रणाली लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां अनारक्षित टिकट प्रणाली शुरू किया जाना प्रस्तावित है (उन स्थानों सहित जहां अनारक्षित टिकट प्रणाली पहले से कार्य कर रही है)

मध्य रेलवे

1. अहमदनगर
2. अकोला
3. अमरावती
4. भुसावल
5. चंद्रपुर
6. दादर
7. गुलबर्गा
8. जलगांव
9. कल्याण
10. खंडवा
11. कोल्हापुर
12. लोनावाला
13. एलटीटी
14. मनमाड
15. मिरज
16. मुंबई सीएसटी
17. नागपुर
18. नासिक रोड
19. पुणे
20. संत्रा मार्केट
21. सोलापुर
22. थाणे
23. वर्धा
24. अमला
25. बडनेरा
26. बल्हारशाह
27. बेतुल
28. बुरहानपुर
29. चालिसगांव
30. दौंड
31. सेंगाली
32. शेगान
33. चिंचवाड
34. डपोडी
35. डोमवीवली
36. घाटकोपर
37. करजाट
38. कुर्ला
39. मुलुंड
40. नेरल
41. पनवेल
42. पिम्परी
43. शिवाजी नगर
44. तलेगांव
45. धमनगांव
46. कुर्डुवाडी

47. पचोरा
48. पंढरपुर
49. पनधुरना
50. पुलगांव
51. शाहाबाद
52. वाडी

पूर्व रेलवे

1. आसनसोल
2. बर्धमान
3. भागलपुर
4. दुर्गापुर
5. हावड़ा
6. जसीडीह
7. माल्दा टाऊन
8. सीयालदह
9. बैद्यनाथ धाम
10. बंडेल
11. बैरकपुर
12. बेहरामपुर
13. बोलपुर
14. चंदननगर
15. जमालपुर
16. कृष्णानगर जं.
17. मधुपुर
18. नैहाटी
19. न्यू फरक्का
20. पानागढ़
21. रामपूरहाट
22. रानाघाट
23. रानीगंज
24. रिशरा
25. सियोराफुली
26. श्रीरामपुर
27. तारकेश्वर
28. अगरपारा
29. बाली
30. बालीगंज
31. बोनगांव
32. बारासात
33. बेरूईपुर
34. बेलघरिया
35. बेलूर
36. विधाननगर रोड
37. बुड ब्रिज
38. कैनिंग
39. चुचुरा
40. डायमंड हार्बर
41. धकुरीया
42. दमदम
43. दमदम कैंट
44. गरिया
45. हिंद मोटर
46. जादवपुर
47. कल्याणी
48. कटवा
49. कोंननगर
50. लिलुआ
51. मछलांदपुर

52. पार्क सरर्कस
53. साहिबगंज
54. शांतिपोर
55. सोडेपुर
56. सोनारपोर
57. सुभासग्राम
58. उत्तरपारा
59. अनडाल
60. चित्तरंजन
61. कहलगांव
62. सीतारामपुर
63. अभयपुर
64. चारंजी
65. सुल्तानगंज

पूर्व मध्य रेलवे

1. आरा
2. बरौनी (मेन ओबी)
3. बक्सर
4. दरभंगा
5. डेहरी आन सोन
6. धनबाद
7. गया
8. हाजीपुर
9. खगड़िया जं.
10. कोडरमा
11. मुगसराय
12. मुजफ्फरपुर
13. नरकटियागंज
14. पटना
15. पटना साहिब
16. सहरसा
17. समस्तीपुर
18. बरकाकाना
19. डाल्टेनगंज
20. दानापुर
21. कीऊल
22. मोकामा
23. पारसनाथ
24. राजेन्द्र नगर टर्मीनस
25. राजगीर
26. सोनपुर
27. बखितयारपुर
28. बाढ़
29. बिहिया
30. बिहटा
31. चंद्रपुरा
32. दीलदारनगर
33. डुमरांव
34. फतुहा
35. गढवा
36. गोमो
37. गुलजारबाग
38. हाथिदह
39. हजारीबाग रोड
40. जमनिया
41. जमुई
42. जहानाबाद
43. झाझा

44. लखीसराय
45. रेनुकूट
46. बिहार शरीफ
47. नवादा
48. शेखपुरा

पूर्व तट रेलवे

1. भुवनेश्वर
2. बेरहामपुर
3. कटक
4. पुरी
5. विशाखापत्तनम
6. विजियानग्राम
7. बालुगांव
8. भद्रक
9. खुर्दा रोड
10. पलासा
11. संबलपुर
12. संबलपुर रोड
13. श्रीकाकुलम रोड
14. जाजपुर क्योंझर रोड
15. रायगडा
16. सिमहाछलम
17. दुववडा
18. कोरापुट
19. कोरापुट
20. कोट्टावलासा
21. बोलनगीर
22. तलचर

उत्तर रेलवे

1. अंबाला कैंट
2. अमृतसर
3. बल्लभगढ़
4. बरैली
5. भटिंडा
6. ब्यास
7. चंडीगढ़
8. देहरादून
9. दिल्ली
10. दिल्ली कैंट
11. दिल्ली सराय रोहिल्ला
12. फैजाबाद
13. फरीदाबाद
14. फिरोजपुर कैंट
15. गाजियाबाद
16. गुड़गांव
17. हरिद्वार
18. हजरत निजामुद्दीन
19. जालंधर कैंट
20. जालंधर सिटी
21. जम्मू सिटी
22. लखनऊ
23. लुधियाना
24. मेरठ सिटी
25. मुरादाबाद
26. नई दिल्ली
27. पानीपत
28. पठानकोट

29. प्रतापगढ़
30. रूढ़की
31. सहारनपुर
32. शाहजहांपुर
33. सरहिंद
34. सुल्तानपुर
35. वाराणसी
36. अकबरपुर
37. आनंदपुर साहिब
38. अयोध्या
39. भदोही
40. चक्की बैंक
41. चंदौसी
42. दिल्ली शहादरा
43. हापुड़
44. हरदोई
45. जौनपुर
46. कालका
47. करनाल
48. कुरूक्षेत्र
49. मेरठ कैंट
50. मुजफ्फरनगर
51. पटियाला
52. फगवाड़ा
53. प्रयाग
54. राय बरेली
55. रामपुर
56. रोहतक
57. शाहगंज
58. शिमला
59. सोनीपत
60. सब्जी मंडी
61. उन्नाव
62. अबोहर
63. अंबाला सिटी
64. अमेठी
65. बहादुरगढ़
66. बाराबंकी
67. चंडी मंदिर
68. दयाबस्ती
69. दिल्ली किसनगंज
70. दिल्ली सदर बाजार
71. फरीदाबाद न्यू टाऊन
72. गुरदासपुर
73. जंघाई
74. कपुरथला
75. खन्ना
76. लालगंज
77. नजीबाबाद
78. न्यू आजादपुर
79. पलवल
80. राजपुरा
81. साहिबाबाद
82. शकुरबस्ती
83. शामली
84. ऊधमपुर
85. आजादपुर
86. बादली
87. न्यू गाजियाबाद

88. ओखला
89. सरोजिनी नगर
90. शिवाजी ब्रिज
91. तिलक ब्रिज
92. तुगलकाबाद
93. विवेक विहार
94. मंगोलपुरी
95. सेवा नगर
96. विवेकानंद पुरी

उत्तर मध्य रेलवे

1. आगरा कैंट
2. आगरा फोर्ट
3. अलीगढ़
4. **इलाहाबाद**
5. बान्दा
6. ग्वालियर
7. **झांसी**
8. **कानपुर**
9. राजा की मंडी
10. इटावा
11. फिरोजपुर
12. मिर्जापुर
13. मोरेना
14. टुण्डला
15. मानिकपुर
16. ललितपुर
17. डाबरा
18. मथुरा जं.

पूर्वोत्तर रेलवे

1. **छपरा**
2. **गोन्डा**
3. **गोरखपुर जं.**
4. **लखनऊ जं.**
5. **मऊ जं.**
6. **सीवान**
7. **पीलिभीत**

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

1. **दीमापुर**
2. **गुवाहाटी**
3. कटिहार
4. किसनगंज
5. न्यू कूचविहार
6. न्यू जलपाईगुड़ी
7. सिलचर
8. न्यू तिनसुखिया
9. **रंगिया**
10. **बरसोई**
11. **फारबेसगंज**
12. **लमडिंग**
13. **बोंगाईगांव**
14. **होजाई**
15. **पुर्णिया**

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. **अजमेर**
2. अलवर
3. भिवानी
4. बीकानेर

5. हिसार
6. जयपुर
7. जोधपुर
8. रिवाड़ी
9. श्रीगंगानगर
10. उदयपुर सिटी

दक्षिण रेलवे

1. अलवाय
2. आराककोलम
3. कालिकट
4. कन्नानूर
5. चेंगानुर
6. चेन्नै सेन्ट्रल
7. चेन्नै एग्मोर
8. कोयम्बटूर
9. डिंडीगल
10. एर्णाकुलम जं.
11. एर्णाकुलम टाऊन
12. ईरोड
13. जोलारपेट
14. कटपडी
15. कायनाकुलम
16. कोट्टायम
17. मदुरै
18. मंगलोर
19. नागरकोइल
20. पालघाट/पांडिचेरी
21. क्यूलान
22. सलेम
23. शोरानूर
24. तेलीचेरी
25. तंजावूर
26. तिरूचिरापल्ली
27. तिरूचिरापल्ली
28. तिरूनेलवेली
29. तिरूपुर
30. तिरूवाला
31. त्रीचूर
32. त्रिवेन्द्रम सेंट्रल
33. तूतीकोरीन
34. अलेपी
35. कोविलपट्टी
36. तीरूर
37. तिरूवन्नी
38. चीलूपुरम
39. विरूदुनगर
40. अमबट्टूर
41. अवाडी
42. चेन्नै बीच
43. चेन्नै पार्क
44. चोरमपेट
45. गुन्डी
46. गुमीडीपुडी
47. मांबलम
48. नुगांबकम
49. पलावनथांगल
50. पल्लावरम
51. पट्टाभिराम

52. सैडापेट
53. सैंट थास माउन्ट
54. विलिवक्कम
55. अंगामली फोर कलाडी
56. अरयालुर
57. चेंगनचेरी
58. गुरूवयुर
59. करूर
60. कैसरगोड
61. कुट्टीपुरम
62. मावेलिकारा
63. पलानी
64. पालघाट टाऊन
65. सुलुरपेट
66. कुंभकोनम
67. शोलिंगलुर
68. ताम्बरम
69. वलेजा रोड

दक्षिण मध्य रेलवे

1. अनकपल्ली
2. अनंतपुर
3. औरंगाबाद
4. कुडप्पा
5. उल्लुरू
6. गोदावरी
7. गुंतकल
8. गुंटुर
9. हैदराबाद
10. जलना
11. काचिगुडा
12. काजिपेट
13. खम्मम
14. नांदेड़
15. नेल्लोर
16. ओगोल
17. परबनी
18. रायचुर
19. राजामुंदरी
20. समालकोट
21. सिकंदराबाद
22. तेनाली
23. तिरूपती
24. विजयवाडा
25. वारंगल
26. चिराला
27. कुडिवाडा
28. मछलीपट्टनम
29. तडेपडीगुडुम
30. तूनी
31. विकाराबाद
32. महबूबाबाद
33. महबूबनगर
34. नरसारावपेट
35. रेपल्ली

दक्षिण पूर्व रेलवे

1. आद्रा
2. बालासोर
3. बोकारो स्टील सिटी

4. हावड़ा (एस)
5. झारसुगुडा
6. खड़गपुर
7. रांची
8. राउरकेला
9. टाटानगर
10. चक्रधरपुर
11. हटिया
12. मिदनापुर
13. पुरूलिया
14. अंडुल
15. बगनान
16. बारिया
17. भोगपुर
18. बिलीचक
19. बिशनुपुर
20. चेंगली
21. फुलेश्वर
22. कोयलाघाट
23. कोलगछिया
24. मचेदा
25. नलपुर
26. पंशपुरा
27. शंकरेल
28. शंकरागाची
29. टिकियापारा
30. उलुबेरिया
31. रामरजतला
32. मारिग्राम
33. मंगपुरा
34. गिरी मैदान
35. जलेश्वर
36. झारग्राम
37. घाटशिला
38. कोंटईरोड
39. राजगंगपुर
40. बर्नपुर

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. बिलासपुर
2. दुर्ग
3. रायपुर
4. अमगांव
5. भंडारा रोड
6. भाटपाड़ा
7. चंपा
8. डोंगरगढ़
9. गोंदिया
10. इतवारी
11. कम्पट्टी
12. रायगढ़
13. राजनाथगांव
14. तिरौरा
15. तुमसररोड
16. अकालतारा
17. भिलाई पावर हाउस
18. ब्रजराजनगर
19. खरसिया
20. बरद्वार

21. नलिया
22. शक्ति
23. तिल्डा

दक्षिण पश्चिम रेलवे

1. बेंगलोर छावनी
2. बेंगलोर सिटी
3. मैसूर
4. देवनगिरी
5. टुमकुर
6. शिमोगा टाऊन
7. हवेरी
8. भद्राजती
9. आर्शिकेरी
10. कडुर
11. हासन
12. हुबली
13. हिंदुपुर
14. श्री सत साईं प्रशांति निलायम
15. यशवंतपुर
16. बांगरपेट
17. मंडया
18. कुप्पम
19. धर्मपुरी
20. कृष्णराजपुरम
21. होशुर

पश्चिम रेलवे

1. अहमदाबाद
2. आनंद
3. अंकलेश्वर
4. बांद्रा टर्मिनस
5. भरूच
6. भावनगर
7. गांधीधाम
8. इंदौर
9. महऊ
10. मुंबई सेंट्रल
11. नाडियाड
12. नवसरी
13. राजकोट
14. रतलाम
15. सूरत
16. उज्जैन
17. वडोदरा
18. वापी
19. वलसाड
20. जामनगर
21. पालनपुर
22. दिलीमोरा
23. दाहोद
24. देवास
25. द्वारका
26. मेहसाना
27. मणीनगर
28. मंदसौर
29. नागदा
30. न्यू भुज
31. नीमच
32. पोरबंदर

33. उधना
34. नंदुरबाड
35. हापा
36. अंदेरी
37. बांद्रा
38. भ्यांदर
39. बाईसर
40. बोरीवली
41. चर्नीरोड
42. चर्चगेट
43. दादर
44. एलफिस्टन रोड
45. गोरगांव
46. ग्रांड रोड
47. कांदीवली
48. खार रोड
49. माहीम
50. मलाड
51. सांताक्रुज
52. वसई रोड
53. विले पारले
54. विरार
55. मियमगांम कर्जन
56. दभोई
57. छोटा उदयपुर

पश्चिम मध्य रेलवे

1. भोपाल
2. हबीबगंज
3. जबलपुर
4. कटनी
5. मदनमहल
6. सागर
7. सतना
8. सवाई माधोपुर
9. कोटा जं.
10. बिना
11. दमोह
12. इटारसी
13. विदिशा

[अनुवाद]

इंडियन एयरलाइन्स का अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन गठबंधन में शामिल होना

1842. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स का विचार अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन गठबंधन में शामिल होने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को क्या लाभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

1843. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों/पंचायती राज संस्थानों द्वारा निधि के उपयोग के लिए जारी मार्गदर्शी-सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों/पंचायती राज संस्थानों द्वारा उक्त निधि के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। बजट 2005-06 प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री द्वारा "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि" का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) और (ग) योजना की विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देशों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(घ) पंचायतों की भूमिका और निधियों के दुरूपयोग को रोकने के लिए तैयार किए जा रहे दिशा-निर्देशों में आवश्यक प्रावधान किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को डीजल की बिक्री

1844. श्री पंकज चौधरी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान को कम दरों पर डीजल की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जब देश में डीजल की कीमतें बहुत ऊंची हैं तो पाकिस्तान को कम दरों पर डीजल की आपूर्ति करने के पीछे औचित्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पाकिस्तान स्टेट आयल कंपनी ने इंडियन आयल कारपोरेशन लि. से अनुरोध किया था कि लाहोर, झेलम तथा कराची में सुपुर्दगी आधार पर डीजल की आपूर्ति के लिए एक सांकेतिक मूल्य प्रस्तुत करे। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने अक्तूबर, 2005 से मार्च, 2006 की अवधि के दौरान 3,25,000 मी. टन डीजल की आपूर्ति के लिए एक गैर बोली प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आईओसीएल द्वारा प्रस्तुत मूल्य अंतर्राष्ट्रीय भावों और वाणिज्यिक स्थितियों के आधार पर हैं। जहां तक मूल्यों का संबंध है, सामान्यत: उत्पादों का निर्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली, मांग आपूर्ति स्थिति, आपूर्ति के उपलब्ध स्रोतों, दीर्घावधि बाजारों का विकास तथा अन्य कार्यनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है और इसलिए, संवेदनशील उत्पादों के घरेलू मूल्यों के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। तथापि, निर्यात केवल तभी संभव है जब भारत से पाकिस्तान को आयात किए जाने वाले मदों की नकारात्मक सूची से डीजल को हटा दिया जाए।

[अनुवाद]

तेल के कुएं

1845. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुत से कुओं से तेल नहीं निकाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन तेल के कुओं के कार्य न करने से केन्द्र सरकार को कितना घाटा हुआ है; और

(घ) इन तेल के कुओं के सही प्रकार से कार्य करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के रुग्ण और परित्यक्त तेल कूपों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैं-

राज्य/अपतट क्षेत्र	रूग्ण तेल कूप	परित्यक्त तेल कूप	कुल अनुत्पादक कुप
असम	341	276	617
आंध्र प्रदेश	5	24	29
अरूणाचल प्रदेश	11	10	21
गुजरात	263	148	411
राजस्थान	20	12	38
तमिलनाडु और पांडिचेरी	17	21	38
पूर्वी अपतट	शून्य	शून्य	शून्य
पश्चिमी अपतट	41	7	48
योग	598	498	1196

(ग) किसी भी समय, किसी तेल क्षेत्र में कुछ तेल कूप मुख्य रूप से रख-रखाव, मरम्मत की आवश्यकता या अन्य कारणों की वजह से रुग्ण हो सकते हैं। ऐसे रुग्ण कूपों की सर्विसिंग, मरम्मत और इन्हें फिर से उत्पादनरत बनाने की प्रक्रिया एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। तथापि, जब भी ऐसे कुछ अनुत्पादक कूपों से फिर से उत्पादन आरम्भ किया जाता है, जब इस श्रेणी में अन्य कूप जुड़ जाते हैं। इसलिए रुग्ण कूपों को क्षति नहीं माना जा सकता।

जहां तक परित्याग किए गए कुओं का संबंध है, कंपनियों, सरकार को कोई हानि नहीं हुई है। किसी तेल कूप का आमतौर पर कूप से तेल के उत्पादन की दर, तेल मूल्य परिदृश्य, रिजर्वायर की स्थिति, कूप की भौतिक दशा आदि जैसे घटकों पर विचार करने के बाद परित्याग किया जाता है। इस प्रकार वे कूप, जो उत्पादन करने में गैर किफायती हो जाते हैं अथवा जो अपनी भौतिक अवस्थाओं के कारण उत्पादन नहीं कर सकते, परित्यक्त कर दिए जाते हैं।

(घ) रुग्ण कूपों को पुन: उत्पादनरत बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं-

* उपयुक्त वर्क ओवर कार्य;
* कृत्रिम उठान की स्थापना;
* कूप उत्प्रेरण;

कंपनियां इस संबंध में नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करके जटिल मरम्मत कार्य/कठिनाई दूर करने के कार्य करने के लिए या तो घरेलू विशेषज्ञता का विकास करती हैं या अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं/कंपनियों की सहायता लेती हैं।

तेल शोधक कारखानों को घाटा

1846. श्री जुएल ओराम: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ तेल शोधक कारखाने घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तेल शोधक कारखानों का तेल शोधक कारखानों-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इकट्ठे घाटों को दूर करने तथा लाभ कमाने का कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) किसी भी रिफाइनरी को हानि नहीं हुई है। तथापि, जब एक एकीकृत आधार पर विचार किया गया, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को अप्रैल-जून, 2005 के दौरान निवल और/अथवा नकद हानि हुई है।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घरेलू मूल्यों को प्रभावित करती हैं। महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डालने के संबंध में यह निर्णय लिया गया था कि यह भार उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों पर समान रूप से डाला जाना चाहिए। इसी के आधार पर सरकार ने अपने हिस्से के रूप में इन संवेदनशील उत्पादों पर 19.8.2004 से और तत्पश्चात् चालू बजट में करों में कमी की है। प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) संवेदनशील उत्पादों की उच्च तेल कीमतों के प्रभाव को घरेलू खुदरा मूल्यों के अनुकूल करती रही हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले वर्षों में ओएमसीज को भारी कम वसूलियां हुई हैं और यहां तक कि इस वर्ष की पहली तिमाही में भी नकद में हानियां हुई हैं।

डी.टी.एच. उपभोक्ता

1847. श्री राधापति सांबासिवा राव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने पिछले वर्ष अपना डी.टी.एच. प्रसारण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से राज्यवार क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) अब तक कितने उपभोक्ताओं ने सेवा को विकल्प चुना है तथा वर्ष के अन्त तक उपभोक्ता बेस कितना बढ़ेगा;

(घ) क्या निजी चैनल प्रसार भारती के डी.टी.एच. प्लेटफार्म के लिए कैरिज फीस लेने के संबंध में इसके प्रस्ताव पर सहमत हो जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, समाचार रिपोर्ट और बाजार स्रोत दर्शाते हैं कि दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 को डी.डी. डायरेक्ट प्लस सेवा शुरू होने से अब तक देश के विभिन्न भागों में 4 मिलियन से अधिक अभिग्रहण प्रणालियां बेच दी गयी हैं। वर्ष के दौरान इसमें बढ़ोत्तरी होने की आशा है।

(घ) और (ङ) इस समय उक्त सेवा में शामिल किए गए निजी चैनलों से कोई कैरिज शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है।

पंचायत अधिनियम का क्रियान्वयन

1848. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री गणेश सिंह:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के 150 से अधिक जिले नक्सली समस्या से प्रभावित हैं तथा अधिकतर प्रभावित जिले जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जनजातीय बहुल क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) जी, हां। देश भर में नक्सली समस्या से 150 से अधिक जिले प्रभावित हैं जिनमें से 75 अथवा उससे अधिक जिलों में विभिन्न अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं।

(ख) जी, हां। पंचायत अधिनियम (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार), 1996 को राज्य पंचायती राज अधिनियम में इन प्रावधानों को शामिल करके अनुसूची-V क्षेत्रों वाले राज्यों में लागू किया जा रहा है। स्थानीय स्व-शासन की मजबूत संस्थाएं विकास के मोर्चे पर नक्सलवाद की समस्या से निपटने में निश्चित रूप से सहायक होंगी।

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	घटक अनिवार्य प्रावधान	आंध्र प्रदेश	छत्तीसगढ़	झारखंड	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	राजस्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	धारा 4 (आई) विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण करने से पहले उपयुक्तर स्तर पर ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायतों से परामर्श किया जाएगा और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित हुए लोगों के पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास से पहले राज्य स्तर पर अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के वास्तविक नियोजन और कार्यान्वयन को समन्वित किया जाएगा।	आंध्र प्रदेश अधिनियम में यह जिम्मेदारी आईपी को सौंपी गयी है। तथापि, वास्तविक नियोजन और कार्यान्वयन का राज्य स्तर पर समन्वय किया जाएगा।	छत्तीसगढ़ अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा।	झारखंड अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।	गुजरात अधिनियम में यह जिम्मेदारी मध्यवर्ती पंचायत को दी गई है।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में यह व्यवस्था है कि भूमि अधिग्रहित करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श किया जाएगा।	प्रावधान है।	महाराष्ट्र अधिनियम में यह कहा गया है कि अपने निर्णय के बारे में जानकारी देने से पहले प्रभिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत से परामर्श करेगा जबकि प्रत्येक ग्राम सभा से परामर्श करेगी।	उड़ीसा अधिनियम में यह कहा गया कि भूमि अधिग्रहित करने से पहले जिला पंचायत से परामर्श किया जाएगा।	ग्राम सभा को अनेक शक्तियां दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	धारा 4 (घ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का नियोजन और प्रबंधन उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा।	आंध्र प्रदेश अधिनियम में यह शक्ति पंचायत के तीनों स्तरों में से किसी एक, जैसा भी मामला हो, को दी गई है।	छत्तीसगढ़ अधिनियम में यह शक्ति ग्राम सभा को दी गई है। मध्य स्तरीय और जिला पंचायत के पास विशिष्ट जल क्षेत्र तक लघु जल निकाय का नियोजन, स्वामित्व और प्रबंधन करने की शक्तियां हैं।	झारखंड अधिनियम में यह शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई है।	गुजरात अधिनियम में यह शक्ति ग्राम पंचायत को दी गई है।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में ये शक्तियां नियोजन और प्रबंधन की शक्तियों के साथ पंचायतों के उपयुक्त स्तर को दी गई है।	मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर लघु निकायों का नियोजन, स्वामित्व और प्रबंधन करने का कार्य ग्राम सभा को सौंपा है।	महाराष्ट्र अधिनियम में इस मामले में कोई उल्लेख नहीं है।	उड़ीसा अधिनियम में यह विषय जिला पंचायतों को सौंपा गया है।	
3.	धारा 4 (ङ) भावी लाइसेंस अथवा नीलामी द्वारा लघु खनिजों के खदानों को पट्टे पर देने से पहले उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा अथवा ग्राम पंचायत की सिफारिशों को अनिवार्य बनाया जाएगा।	आंध्र प्रदेश अधिनियम में ग्राम पंचायत की सिफारिशों की व्यवस्था है जिन पर भावी लाइसेंस देने से पहले विचार किया जाएगा।	छत्तीसगढ़ अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।	झारखंड अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।	गुजरात खान और खनिज (रेगु. और डेव.) अधिनियम में यह व्यवस्था है कि खान को पट्टे पर देने और उसका परमिट देने से पहले जी.पी. की सिफारिशें हासिल की जाएंगी।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में यह कहा गया है कि लाइसेंस देने से पहले ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। अन्य क्षेत्रों में जी.पी. का निर्णय अनिवार्य है।	ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है।	महाराष्ट्र अधिनियम में यह कहा गया है कि लाइसेंस अथवा परमिट देने से पहले लाइसेंस प्राधिकारी को सिफारिश करने के लिए पंचायत सक्षम होगी। ग्राम सभा को शक्तियां प्रत्यायोजित करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही चल रही है।	उड़ीसा अधिनियम में यह शक्ति जिला पंचायत को दी गई है।	ग्राम सभा को अथवा पंचायती राज संस्था की पूर्वानुमति अनिवार्य है।
4.	धारा 4 (एत) उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायतों की पूर्व सिफारिश को नीलामी द्वारा लघु खनिजों के	आंध्र प्रदेश अधिनियम में यह व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत की पूर्व सिफारिशों पर विचार	इस संबंध में छत्तीसगढ़ के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।	इस संबंध में झारखंड के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।	गुजरात खदान एवं खनिज अधिनियम में यह व्यवस्था है कि खदान लीज की	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में यह व्यवस्था है कि ग्राम सभा की पूर्व सिफारिशों को छूट देने के	जी हां.	खदान एवं खनिज (रेगु. एंड डेव.) अधिनियम में इस अधिनियम	उड़ीसा अधिनियम में यह शक्तियां जिला पंचायत को सौंपी गई है।	ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशों को छूट के लिए अनिवार्य बनाया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	उपयोग के लिए छूट देने के लिए अनिवार्य बनाया जाए।	किया जाए।			मंजूरी तथा खदान परमिट से पहले ग्राम पंचायत की सिफारिशें प्राप्त की जाए।	लिए अनिवार्य बनाया जाए।		में इस विषय में ग्राम सभा को शक्तियां देने की व्यवस्था की गई है।		
5.	धारा 4(एम)(i): किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री और उपभोग को निषेध करने या विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति।	आंध्र प्रदेश के अधिनियम में यह कार्य या तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को सौंपा गया है जैसा भी मामला हो।	छत्तीसगढ़ अधिनियम में यह शक्ति ग्रामसभा को सौंपी गई है।	झारखंड अधिनियम में यह शक्ति ग्राम पंचायत को सौंपी गई है।	गुजरात अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि पूरे राज्य में यह निषिद्ध है।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में यह शक्ति या तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को सौंपी गई है। ग्राम पंचायत सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उस पंचायत के भीतर नशीले पदार्थ की बिक्री न होने का निदेश दे सकती है।	ग्राम सभा को शक्तियां दी गई हैं।	महाराष्ट्र अधिनियम में यह व्यवस्था है कि ग्राम सभा पंचायत के जरिए निषेध या विनियमित के लिए सक्षम होगी। तदनुसार सभी तीन स्तरों को शक्तियां सौंपी गई हैं।	उड़ीसा अधिनियम में ग्राम पंचायतों को शक्तियां सौंपी गई हैं जो ग्राम सभा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में इसे इस्तेमाल करेंगी।	उपयुक्त स्तर पर पीआरआई निषेधाज्ञा करने के लिए सक्षम है।
6.	धारा 4(एम)(ii): लघु वन उत्पाद को स्वामित्व।	आंध्र प्रदेश अधिनियम में यह व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत या ग्रामसभा जैसा भी मामला हो, इस संबंध में स्वयं निर्धारित शक्तियां इस्तेमाल करेगी।	इस संबंध में छत्तीसगढ़ के अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।	झारखंड अधिनियम में यह शक्तियां पंचायतों के तीनों स्तरों को सौंपी गई हैं।	गुजरात अधिनियम में ग्राम पंचायत एनएफपी के स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। बिक्री से प्राप्त वास्तविक ग्राम कोष में जमा की जाएगी और उसी का एक भाग होगा।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में यह व्यवस्था है कि या तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगी।	मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश लघु वन उपज (ग्राम सभा को स्वामित्व का संक्रमण) विनियम, 20000 संशोधन अधीन है इसमें लघु वन उत्पाद के स्वामित्व ग्रामीण विकास	महाराष्ट्र अधिनियम में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक ग्राम सभा 33 एमएफपी के व्यापार का उपयोग करने और उसका विनियमन करने के संबंध में पंचायतों को शक्तियां देगी और प्रत्येक पंचायत इमएफपी	उड़ीसा अधिनियम में ये शक्तियां ग्राम पंचायतों के पास है जिन्हें ग्राम सभा के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रयोग में लाया जायेगा।	पंचायती राज संस्था के पास उपयुक्त स्तर पर लघु वन उत्पादों के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							मंत्रालय द्वारा उत्तर पर अधिकारिक मुहर जैसे मुद्दे शामिल हैं।	के उपयोग, प्रबंध और व्यापार को विनियमित करने के लिए सक्षम होंगे।		
7.	धारा 4(एम)(iii): निर्धारित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए और अनुसूचित जनजाति की गैर-कानूनी रूप से हस्तांतरित भूमि की बहाली के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने की शक्ति	आंध्र प्रदेश अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा ऐसे कार्य निष्पादित करेगी।	छत्तीसगढ़ अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।	झारखंड अधिनियम में यह शक्ति जिला पंचायत को दी गई है।	गुजरात अधिनियम में यह शक्ति जिला पंचायत को दी गई है।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि आदिवासी लोग अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित अपनी भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।	ऐसी शक्तियां ग्राम सभा के पास हैं।	महाराष्ट्र अधिनियम में यह शक्ति पंचायतों के माध्यम से सिफारिश करने के लिए ग्राम सभा को दी गई है। आईपी और डीपी में भी यह शक्तियां दी हैं।	उड़ीसा अधिनियम ने ग्राम पंचायत को शक्तियां सौंपी हैं जिन्हें ग्राम सभा के सौंपे पर्यवेक्षण में प्रयोग में लाया जाएगा।	पंचायती राज संस्थानों को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने और अनुसूचित जनजातियों की गैर-कानूनी रूप से हस्तांतरित भूमि को बहाल करने के लिए उपयुक्त स्तर पर शक्तियां दी गई हैं।
8.	धारा 4(एम)(iv): किसी भी नाम से गांव के बाजारों की व्यवस्था करने की शक्ति।	आंध्र प्रदेश अधिनियम ने शक्ति ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा, जैसा भी मामला हो, को सौंपी है।	छत्तीसगढ़ अधिनियम में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा के पास ग्रामीण बाजारों और मेलों की ग्राम पंचायत के माध्यम से व्यवस्था करने की शक्ति है।	झारखंड अधिनियम में यह शक्ति पंचायत के तीनों स्तरों को दी गई है।	गुजरात अधिनियम में यह शक्ति ग्राम पंचायतों के पास है।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा को शक्ति दी गई है।	ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण बाजारों की व्यवस्था करने जिसमें पशु मेले शामिल हैं, ग्राम सभा के पास ये शक्तियां हैं।	इस संबंध में महाराष्ट्र में कोई प्रावधान नहीं है।	उड़ीसा अधिनियम में ये शक्तियां ग्राम पंचायत में दी गई हैं, जिन्हें ग्राम सभा सौंपे पर्यवेक्षण के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाएगा।	ग्रामीण बाजार की व्यवस्था करने के लिए पंचायती राज संस्थान को उपयुक्त स्तर पर शक्तियां प्राप्त हैं।
9.	धारा 4(एम)(v): अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने पर नियंत्रण रखने की शक्ति	आंध्र प्रदेश अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यह ग्राम पंचायत या ग्राम सभा ऐसे कार्य करेगी।	इस संबंध में छत्तीसगढ़ अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।	झारखंड अधिनियम में यह शक्ति जिला पंचायत को दी गई है।	गुजरात अधिनियम में यह शक्ति ग्राम पंचायत को दी है।	हिमाचल प्रदेश अधिनियम में शक्तियां ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा को दी गई हैं।	ये शक्तियां ग्राम सभा के पास हैं।	महाराष्ट्र अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा (ओ) और संबद्ध पंचायत (डी) के साथ परामर्श करने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा ऐसा साक्षेप दिया जा सकता है।	उड़ीसा अधिनियम में ये शक्तियां ग्राम पंचायत के पास हैं जिन्हें ग्राम पंचायत के सौंपे पर्यवेक्षण में प्रयोग में लाया जाएगा।	अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ऋण देने पर नियंत्रण रखने के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास उपयुक्त स्तर पर शक्तियां हैं।

आंध्र प्रदेश में लंबित रेल परियोजनाएं

1849. श्री बालासोधरी बल्लभनेनी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वीकृति हेतु रेलवे के पास लंबित आंध्र प्रदेश की रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये कब से लंबित हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में केवल एक ही रेल परियोजना यथा काकिनाडा-पितमथुत्तम नई लाइन परियोजना, जिसे इस शर्त के साथ वर्ष 1999-2000 के बजट में शामिल किया गया थी कि आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा, स्वीकृति न मिलने की वजह से लंबित है। आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

क्षमता वर्धन किया जाना

1850. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अभयसिंह पाटील शिवाजीराव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों में प्रभावोत्पादक विस्तार के बावजूद भारतीय रेलवे नेटवर्क में बहुत-सी खराबियां है;

(ख) यदि हां, तो क्या लंबे समय से भारतीय रेलवे का धीमा प्रौद्योगिकी विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप यात्री यथा मालभाड़ा यातायात का कम आवागमन हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्षमता वर्धन करने तथा पुरानी परिसंपत्तियों के स्थान पर नई परिसंपत्तियां बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है अथवा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यातायात संबंधी आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार और विभिन्न प्रौद्योगिकी इनपुट को आत्मसात किया गया है। इस प्रणाली की क्षमता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए भारतीय रेल ने पंचवर्षीय एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना के रूप में रूपरेखा तैयार की है और विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए हैं।

गैर-महानगरीय तथा छोटे विमानपत्तनों पर अवसंरचना

1851. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भीड़-भाड़ वाले महानगरों के विमानपत्तनों पर भीड़-भाड़ कम करने के उद्देश्य से प्राइवेट एयरलाइनों को यह कहा है कि वे अपने मुख्य बेस को वहां से स्थानान्तरित करके उन्हें छोटे शहरों में ले जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे गैर-महानगरीय तथा छोटे विमानपत्तनों पर पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन विमानपत्तनों पर पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। तथापि, सरकार मेट्रो तथा बड़े गैर मेट्रो हवाईअड्डों पर भीड़-भाड़ को कम करने के प्रयोजन से, इसे प्रोत्साहित करेगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मैट्रो तथा गैर-मैट्रो हवाईअड्डों सहित 39 हवाईअड्डों की टर्मिनल बिल्डिंगों की क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ इन हवाईअड्डों पर अतिरिक्त पार्किंग स्टैंड उपलब्ध कराने हेतु पहले ही कार्रवाई आरंभ की जा चुकी है।

[हिन्दी]

राजगीर में आयुध कारखाने की स्थापना

1852. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजगीर में एक आयुध कारखाने की स्थापना के लिए कोई योजना बनाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित आयुध कारखानों का निर्माण 2004-05 तक पूरा किया जाना निर्धारित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्माण-कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ङ) निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) तकनीकी इमारतों का विनिर्माण कार्य अभी प्रारंभ किया जाना है जबकि आवासीय तथा अवसंरचना से जुड़े सिविल कार्यों में 40 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक के बीच प्रगति हुई है।

विमान दुर्घटना

1853. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री लक्ष्मण सेठ:
श्री अवतार सिंह भड़ाना:
श्री जोवाकिम बखला:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2005 के दौरान आज की तारीख तक स्थानवार कितने लड़ाकू विमान तथा हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इसके परिणामस्वरूप जान तथा माल की कितनी हानि हुई तथा प्रत्येक मामले में कितना मुआवजा दिया गया;

(ग) क्या प्रत्येक विमान दुर्घटना की जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या इन विमानों का तकनीकी निरीक्षण उसी कंपनी से कराया गया था जिनसे इन्हें खरीदा गया था;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) भविष्य में विमान दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या विमान दुर्घटनाओं पर दिसंबर, 2004 में गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (झ) वर्ष 2005 के दौरान 30 जुलाई, 2005 तक रक्षा सेनाओं के कुल 3 लड़ाकू वायुयान और 7 हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। इन वायुयानों की दुर्घटनाओं की तारीख और स्थान, जानमाल की हानि और दुर्घटनाओं के कारण संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

उपर्युक्त दुर्घटनाओं में सिविल संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई थी। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों/सिविलियनों के निकटतम संबंधियों को मुआवजा/लाभ दिए जाने के लिए मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। तथापि, 8 मार्च, 2005 को हुई दुर्घटना में मारे गए एक सिविलियन को 1,00,000/- रु. की राशि अंतरिम राहत के रूप में पहले ही दी जा चुकी है। इसी तरह, 22 मई, 2005 को हुई दुर्घटना में मारे गए सैन्य कार्मिक के निकटतम संबंधी को अंतरिम राहत के रूप में 23,000/- रु. की राशि अदा की जा चुकी है।

दुर्घटना के बाद इन वायुयानों का तकनीकी निरीक्षण मूल उपस्कर विनिर्माता से कराया गया था। रक्षा सेनाओं में प्रत्येक दुर्घटनाग्रस्त वायुयान की जांच, जांच अदालत द्वारा की जाती है।

उड़ान सुरक्षा बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने के लिए रक्षा सेनाओं में हमेशा सतत और बहु आयामी प्रयास किए जाते हैं। पायलटों के कौशल स्तर, सटीक निर्णय लेने की योग्यता और उनकी स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं। वायुयानों की तकनीकी खराबियां दूर करने के लिए हिंदुस्तान एयरोनाटिक्स लि. और संबंधित देशों के मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ भी लगातार संपर्क बनाए रखा जाता है।

वायुयान दुर्घटनाओं संबंधी विशेषज्ञ समिति ने मई, 2005 में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट एक वृहत दस्तावेज है जिसमें भारतीय वायुसेना में दुर्घटनाएं कम करने के लिए संचालन, अनुरक्षण, प्रशिक्षण, परिवेश, अधिप्राप्ति और उड़ान सुरक्षा के मुद्दे शामिल हैं।

भारतीय वायुसेना में उड़ान सुरक्षा बेहतर बनाने और वायुयान दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई लगातार की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	दुर्घटना की तारीख	सेना	वायुयान	स्थान	दुर्घटना का कारण	मृत्यु (चालक दल/सैन्य कार्मिक)	मृत्यु (सिविलियन)
1.	04 जनवरी, 05	वायुसेना	मिग-21	नाल, बीकानेर	मानव चूक (सर्विसिंग)	–	–
2.	01 फरवरी, 05	वायुसेना	चेतक	जामनगर	अनसुलझा	–	–
3.	18 फरवरी, 05	सेना	चीता	सियाचिन, जम्मू-कश्मीर,	जांच अदालत जांच कर रही है	–	–
4.	21 फरवरी, 05	नौसेना	चेतक	विशाखापट्टनम	उपकरण की विफलता	–	–
5.	04 मार्च, 05	वायुसेना	एचपीटी-32	डुंडीगल, हैदराबाद	मानव चूक (कर्मी दल)	1	–
6.	08 मार्च, 05	वायुसेना	मिग-21	नाल, बीकानेर	मानव चूक (कर्मी दल)	1	1
7.	06 मई, 05	नौसेना	चेतक	आरकोणम	उपकरण की विफलता	3	–
8.	11 मई, 05	वायुसेना	जगुआर	गोरखपुर	जांच अदालत जांच कर रही है	1	–
9.	17 मई, 05	नौसेना	सी हेरियर	गोवा	कर्मी दल चूक (निर्णय)	–	–
10.	22 मई, 05	वायुसेना	एमआई-8	कंजवाल, मिजोरम	जांच अदालत जांच कर रही है	1	-

[अनुवाद]

रनिंग अलाऊन्स का दिया जाना

1854. डा. के.एस. मनोज:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार रनिंग स्टाफ को ''रनिंग अलाऊन्स'' देने का कोई निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) रनिंग कर्मचारियों को अनुमेय किलोमीटर भत्ता, आउटस्टेशन (रूकौनी) भत्ता और ट्रिप भत्ता की दरों में संशोधन किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कमीशन्ड कार्यक्रमों के आवंटन में अनियमितताएं

1855. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गुवाहाटी दूरदर्शन द्वारा कमीशन्ड कार्यक्रमों के आवंटन में किसी अनियमितता को सरकार की जानकारी में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी अनियमितताओं के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि वर्ष 2004-05 के दौरान कमिशण्ड कार्यक्रमों हेतु निर्माताओं के चयन में दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की गयी थी। इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

[हिन्दी]

एएसआई के अधीन स्थान

1856. श्री राजेश पाठक: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुरातात्विक महत्व के कितने स्थान राज्य-वार केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हैं;

(ख) इन स्थानों की देखरेख के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई तथा खर्च की गई; और

(ग) इन स्थानों के विकास के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में 3660 केन्द्रीय परिरक्षित स्मारक/स्थल हैं। राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-I में है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान प्राचीन स्मारकों के रखरखाव तथा संरक्षण के लिए बजट आबंटन तथा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों का नियमित रखरखाव, संरक्षण, परिरक्षण, रासायनिक संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी विकास करता है।

विवरण I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची (राज्य-वार)

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्मारकों/स्थलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	136
2.	असम	50
3.	अरुणाचल प्रदेश	5
4.	बिहार	65
5.	छत्तीसगढ़	47
6.	दिल्ली	172

1	2	3
7.	दमन और दीव	12
8.	गोवा	21
9.	गुजरात	202
10.	हरियाणा	90
11.	हिमाचल प्रदेश	40
12.	जम्मू-कश्मीर	69
13.	झारखंड	12
14.	केरल	26
15.	कर्नाटक	507
16.	महाराष्ट्र	286
17.	मध्य प्रदेश	287
18.	मणिपुर	1
19.	मेघालय	8
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	78
22.	पंजाब	31
23.	पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र	7
24.	राजस्थान	161
25.	सिक्किम	3
26.	तमिलनाडु	416
27.	त्रिपुरा	5
28.	उत्तर प्रदेश	742
29.	उत्तरांचल	44
30.	पश्चिम बंगाल	133
	कुल	3660

विवरण II

स्मारकों के संरक्षण तथा रख-रखाव पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के लिए किए गए आवंटन/व्यय (योजना)

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	**संरचनात्मक संरक्षण**							
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	220.65	220.65	178.40	178.40	367	367
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	135.31	135.31	169.80	169.80	340	340
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	141.85	141.85	100.00	99.91	100	100
4.	मुम्बई	लघु मंडल मुंबई	–	–	–	–	25	25
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	258.52	256.12	200.21	200.37	191	184.88
6.	कर्नाटक	धारवाड मंडल	127.23	127.23	115.11	116.12	185	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	50.00	50.00	75.00	74.99	162.50	162.50
8.	उड़ीसा	भुवनेश्वर मंडल	40.00	39.99	50.00	50.03	140	139.98
9.	पश्चिम बंगाल सिक्किम	कोलकाता मंडल	110.90	109.13	140.00	139.63	284.42	283.77
10.	तमिलनाडु पांडिचेरी	चेन्नई मंडल	150.00	150.01	153.00	153.00	229.98	229.98
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	262.92	262.92	130.00	129.97	84	84
12.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	660.67	660.67	488.50	488.00	329.97	329.91
13.	गोवा	लघु मंडल गोवा	55.50	55.50	35.00	34.99	65.00	65.02
14.	उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	121.26	95.42	81.60	77.99	60	50.46
15.	राजस्थान	जयपुर मंडल	128.82	128.82	120.00	120.00	145	144.97
16.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	211.31	211.30	120.00	119.84	139.54	166.00
17.	बिहार और उ.प्र. भाग	पटना मंडल	100.90	100.80	115.00	115.00	130	130
18.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर मंडल	58.40	58.39	125.00	124.85	120	119.97
19.	केरल	त्रिसूर मंडल	5.00	5.00	35.00	35.00	40	40
20.	गुजरात	वडोदरा मंडल	227.00	226.98	75.00	74.97	65	65.01
21.	उत्तरांचल	देहरादून मंडल	–	–	39.00	39.00	67	67
22.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	–	–	88.00	88.00	110	110
23.	झारखंड	रांची मंडल	298.03	298.02*	57.50	57.44	36.64	29.99
ख.	**रासायनिक परिरक्षण**							
	अखिल भारतीय	निदेशक विज्ञान देहरादून	98.07	98.07	128.20	124.65	288.95	295.49
ग.	**उद्यान कार्य**							
	अखिल भारतीय	मुख्य उद्यानविद् आगरा	347.19	347.19	380.98	379.79	347	324.61
घ.	**व्यावसायिक व्यय**	केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर निजी सुरक्षा लगाना	402.00	402.00	355.00	354.88	600.00	560.46
ङ.	**मशीनरी तथा उपकरण**		1.00	1.00	1.00	–	1.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ख.	सहायता अनुदान	100 वर्ष से कम पुराने स्मारकों को वित्तीय सहायता	150.00	150.00	75.00	58.14	25.00	20.25
	कुल		4300.00 +78.13*	4334.37	3575.00 57.30	3604.76	4624.00	4657.25

(*78.13 लाख रुपए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए पुन: विनियोजित किए गए)
आवंटन मंडलवार किए गए हैं और मंडल राज्यों के साथ लगभग को-टर्मिनस हैं
*डिपोजिट वर्क के लिए प्रति दिए गए

विवरण III

स्मारकों के संरक्षण तथा रख-रखाव पर पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के लिए किए गए आवंटन/व्यय को दर्शाने वाला विवरण (गैर-योजना)

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंडल/शाखा	2002-2003		2003-2004		2004-2005	
			आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क.	संरचनात्मक संरक्षण							
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	115.00	115.00	212.88	212.88	226	226
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	86.65	856.62	287.99	287.67	373.50	373.50
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	125.00	125.00	451.00	436.62	265.04	265.04
4.	मुम्बई	लघु मंडल मुंबई	–	–	–	–	58	58
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	409.47	409.02	252.00	251.96	227	227
6.	कर्नाटक	धारवाड मंडल	91.54	91.54	195.79	198.72	305.87	310.63
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	294.72	294.72	370.45	370.45	216	215.94
8.	उड़ीसा	भुवनेश्वर मंडल	62.00	62.00	140.00	140.01	248.07	248.20
9.	पश्चिम बंगाल सिक्किम	कोलकाता मंडल	100.00	95.09	185.00	184.20	275	273.60
10.	तमिलनाडु पांडिचेरी	चेन्नई मंडल	126.92	126.59	298.00	298.00	337	337
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	185.36	185.36	237.68	237.61	148.70	148.70
12.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	228.81	228.81	513.87	513.87	431.50	431.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	गोवा	लघु मंडल गोवा	18.00	18.00	40.00	40.00	40	40
14.	उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	25.05	25.05	85.00	57.97	90	65
15.	राजस्थान	जयपुर मंडल	57.22	57.22	221.51	221.51	135	135
16.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	185.00	185.00	150.00	150.00	175	175
17.	बिहार और उ.प्र. भाग	पटना मंडल	68.70	68.70	432.00	432.00	170	170
18.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर मंडल	59.26	59.20	145.00	145.00	120	120
19.	केरल	त्रिसूर मंडल	15.00	15.00	86.48	86.36	70.70	70.66
20.	गुजरात	वडोदरा मंडल	69.25	69.27	95.00	94.99	108.25	108.20
21.	उत्तरांचल	देहरादून मंडल	–	–	–	–	90	90
22.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	–	–	83.00	83.00	168	168
23.	झारखंड	रांची मंडल	–	–	25.00	24.95	41	40
			157.32**	157.32	400.00	400.00*	–	–
ख.	रासायनिक शाखा							
	अखिल भारतीय	निदेशक विज्ञान देहरादून	86.23	86.23	273.50	271.94	150.37	137.93
ग.	उद्यान कार्य							
	अखिल भारतीय	मुख्य उद्यानविद् आगरा	310.01	310.01	616.50	602.94	755	746.37
घ.	व्यावसायिक व्यय	के.औ.सु.ब. की तैनाती	500.00	455.59	400.00	376.65	1525.00	1399.07
ङ.	मशीनरी तथा उपकरण		375.00	375.82	905.00	888.53	341.00	327.70
	कुल		3565.00	3700.22	7196.00	7101.27	7121.00	6938.23

आबंटन मंडलवार किए गए हैं और मंडल राज्यों के साथ लगभग को-टर्मिनस हैं।

*राष्ट्रीय संस्कृति निधि के पास जैसलमेर किले के लिए विश्व स्मारक कोष मैचिंग अनुदान के रूप में जमा कराई गई।

**के.लो.नि.वि. के पास डिपोजिट कार्य के रूप में अदा की गई।

रसोई गैस तथा मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि

1857. मोहम्मद शाहिद: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा मिट्टी के तेल तथा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर कितनी राजसहायता दी गई है तथा प्रत्येक सिलेंडर/मिट्टी के तेल की बिक्री से कितना घाटा हो रहा है;

(ख) क्या मिट्टी के तेल तथा घरेलू रसोई गैस के मूल्य को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की बिक्री पर तेल

विपणन कंपनियों द्वारा अप्रैल-जून, 2005 की अवधि के दौरान दी गई राजसहायता क्रमशः 0.82 रुपया/लीटर और 22.58 रुपए/सिलेन्डर थी। इन उत्पादों पर तेल विपणन कंपनियों द्वारा कुल अल्प-वसूलियां उपर्युक्त अवधि के दौरान क्रमशः 3196 करोड़ रुपए और 1635 करोड़ रुपए थीं।

(ख) और (ग) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी सहित संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की निरन्तर निगरानी कर रही है।

[अनुवाद]

यात्री सुविधाएं

1858. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री संतोष गंगवार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों में तथा रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई औचक निरीक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) गाड़ियों में और स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बदतर नहीं हुई हैं। रेल गाड़ियों में और स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने तथा उनमें सुधार करने के सतत् प्रयास कर रही हैं।

(ख) और (ग) यात्री सुविधाओं की उपलब्धता तथा उनका अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रेलों में अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित एवं औचक जांचें की जाती हैं। मौजूदा वर्ष में अभी तक 6903 ऐसी जांचें की गई हैं।

(घ) दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध रेलों द्वारा उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ङ) ग्रेडोन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण सहित रेलवे स्टेशनों पर और गाड़ियों में यात्री सुविधाओं का सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। इस प्रयोजन के लिए "यात्री सुविधाएं" योजना शीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष वर्धमान निधियों का आबंटन किया जाता है और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सुधार कार्य किए जाते हैं। स्टेशनों पर और गाड़ियों में यात्री सुविधाओं की उपलब्धता पर निगरानी रखने के लिए भारतीय रेल के पास एक सुव्यवस्थित प्रणाली मौजूद है।

तंजावुर में वायुसेना स्टेशन की स्थापना

1859. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के तंजावुर में एक संपूर्ण वायुसेना स्टेशन का स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) देश में वायुसेना स्टेशनों की स्थापना प्रत्येक स्थान की संक्रियात्मक आवश्यकता पर निर्भर करती है। यह मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

एअर इंडिया द्वारा उड़ानों को रद्द करना

1860. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया द्वारा अपनी उड़ानों के रद्द होने के बारे में देरी से सूचना दिए जाने/सूचना न दिये जाने के कुछ मामलों की जानकारी सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 12 महीने के दौरान पता चले इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्कार के मामले भविष्य में फिर न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सामान्य प्रथा के अनुसार यात्रियों को या तो टेलीफोन, काल सेन्टर्स, टी.वी. इत्यादि के माध्यम से सूचित करने की है तथापि, विशिष्ट सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

हथियार लेकर यात्रा करने की घटनाएं

1861. श्री सनत कुमार मंडल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ानों में हथियारों के साथ यात्रा करने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) इन घटनाओं में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने तथा विमान यात्रियों के हितों तथा जीवन सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों की सहायता के लिए अर्हता सीमा

1862. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए अर्हता सीमा बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विकलांगों द्वारा इस प्रकार की सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, हां, सहायक साधनों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप स्कीम) के अंतर्गत 6,500/- रुपए तक की मासिक आय वाले विकलांग व्यक्ति अब सहायक तंत्र बिल्कुल नि:शुल्क प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पहले यह आय सीमा 5,000/- रुपए थी। इसी तरह, 10,000/- रुपए तक की मासिक आय वाले विकलांग व्यक्ति, सहायक साधनों और उपकरणों के लिए 50 प्रतिशत की रियायत प्राप्त करेंगे जबकि इनके लिए पहले यह सीमा 8,000/- रुपए थी।

(ग) सहायक साधनों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप स्कीम) का प्रिंट मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार किया गया है और संशोधित योजना मंत्रालय की वेबसाइट www.socialjustice.nic.in पर उपलब्ध है।

खरीद संबंधी मैनुएल

1863. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा खरीद पर हाल के विवादों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खरीद में और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक खरीद संबंधी मैनुएल निकाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मैनुअल में केलकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैनुएल का पूरा पालन हो सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अर्जन में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राजस्व तथा पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को और सरल तथा कारगर बनाने के लिए क्रमश: रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली (डीपीएम) 2005 तथा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) 2005 तैयार की है। रक्षा अधिप्राप्ति नियमावली 2005 में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

(1) स्वदेशी तथा विदेशी, दोनों प्रकार की अधिप्राप्तियों के लिए, विस्तृत प्रस्ताव हेतु अनुरोध, जिसमें छांटने तथा संविदा देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड दिए गए हों।

(2) संविदा संबंधी विभिन्न खण्डों तथा मुद्दों की व्याख्या में एकरूपता।

(3) अधिप्राति के प्रत्येक चरण तथा प्रक्रिया के लिए प्रस्तावित समय-सीमा ताकि विलंब में कमी की जा सके तथा जवाबदेही लाई जा सके।

(4) मूल्यों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए दिशा-निर्देश।

(5) केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों तथा बैंकिंग प्रपत्रों का सार-संक्षेप।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 में, अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान हैं:-

(क) गुणात्मक आवश्यकताओं को अधिक व्यापक बनाना ताकि एकल विक्रेता वाली स्थितियों से बचा जा सके।

(ख) वाणिज्यिक रूप से आफ-द-शेल्फ (सीओटीएस) मदों के लिए खुली निविदा करना।

(ग) 300 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के हिस्से के रूप में प्रत्यक्ष प्रतिसंतुलन तथा सत्यनिष्ठा-अनुबंध।

(घ) प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के हिस्से के रूप में मानक संविदा शर्तें पहले ही स्पष्ट करना।

(ङ) तीनों सेनाओं के लिए समान उपस्कर के लिए संयुक्त सेना गुणता आवश्यकताएं।

(च) बट्टागत नकदी प्रवाह तथा विनिमय दर परिवर्तन तकनीकों को शामिल करके, वित्त मंत्रालय के सुझाव के अनुसार, अधिक वास्तविक मूल्यांकन मानदंड।

(छ) नई प्रक्रिया में केंद्रीय सतर्कता आयोग के उपयुक्त दिशा-निर्देशों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त जानकारी को शामिल करना।

(ज) अधिप्राप्ति संबंधी विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने हेतु स्पष्ट समय-सीमा।

(ग) और (घ) केलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट का भाग-I 5 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत कर दिया है। महत्वपूर्ण अर्जनों के लिए उपयुक्त सिफारिशों को रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005 में शामिल किया जाएगा।

नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट, मुम्बई

1864. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसिद्ध कलाकारों की कलाकृतियों को अपनी गैलरी के लिए खरीदने में नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट, मुम्बई ने पक्षपात किया है जैसा कि 28 जून, 2005 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004 और 2005 के दौरान अब तक अपनी प्रदर्शनियों के लिए नेशनल गैलरी आफ माडर्न आर्ट, मुम्बई द्वारा कितनी पेंटिंग्स खरीदी गयी हैं; और

(ग) प्रदर्शनियों के लिए पेंटिंग्स खरीदते समय पक्षपात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, कला कृतियों के अधिग्रहण के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित पद्धति और क्रियाविधियों का पालन करता है।

श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग

1865. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:**
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:
श्री वाई.जी. महाजन:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग से संबंधित बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में समझौता कब तक हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) रक्षा सहयोग के लिए कोई संस्थागत बातचीत नहीं हुई है। तथापि, श्रीलंका के साथ रक्षा सहयोग, कोलंबो में भारतीय उच्चायोग के जरिए संचालित किया जाता है और भारत श्रीलंका के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों के हिस्से के रूप में एक-दूसरे के देश में उच्च-स्तर पर आना-जाना होता है।

(ख) भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग मुख्यत: श्रीलंका के रक्षा कार्मिकों को भारतीय रक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने, बाढ़ और सूनामी संबंधी राहत सहायता, उच्च स्तरीय

रक्षा और सैन्य संबंधी दौरे, पोतों का आना-जाना और सामान्य अथवा निकटस्थ समुद्र में संयुक्त या समुद्री गश्त लगाने और यदा-कदा सामग्री की सहायता के क्षेत्र में है।

(ग) और (घ) श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित रक्षा सहयोग करार, सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने अभी तक इसे निष्पादित करने और इस पर हस्ताक्षर करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

भिक्षावृत्ति का उन्मूलन

1866. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री नवजोत सिंह सिद्धू:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में भिक्षावृत्ति संबंधी एक्सम एंड इन्टरनेशनल स्टडी में यह दर्शाया गया है कि 99 प्रतिशत पुरुष और 97 प्रतिशत महिलाएं गरीबी की वजह से भिक्षावृत्ति अपनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भिक्षावृत्ति के अन्य कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) सरकार को एक्शन एंड इन्टरनेशनल की कोई स्टडी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन और रोजगार सर्जक योजनाएं कार्यान्वित करने के अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी समाज के दुर्बल वर्गों के कल्याणार्थ अर्थात् उनके भिक्षावृत्ति अपनाने की जरूरत को समाप्त करने के उद्देश्य से वृद्ध व्यक्तियों, नि:शक्त व्यक्तियों, बेसहारा बच्चों, नशे के आदी लोगों के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

इन योजनाओं की सूची निम्न प्रकार है:

(1) वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम

(2) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देने की योजना

(3) बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम

(4) मद्यपान एवं नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरूपयोग निवारण

पेरिस एयर शो में भागीदारी

1867. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.) ने जून, 2005 में पेरिस एयर शो में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो एयर शो में स्थित विदेशी निवेशकों/खरीदारों को आकर्षित करने में एच.ए.एल. को किस सीमा तक सफलता मिली; और

(ग) इस एयर शो में भाग लेकर एच.ए.एल. को अन्य क्या लाभ, यदि कोई हों, अर्जित हुए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा पेरिस एयर शो में प्रदर्शित उत्पादों के प्रति कई प्रतिभागियों में गहरी रुचि उत्पन्न हुई तथा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने विभिन्न उद्योग-सदस्यों, सहयोगियों तथा साझेदारों के साथ व्यापक व्यावसायिक बातचीत की थी।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कार्यक्रमों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस कंपनियों का ध्यान आकृष्ट किया तथा इनमें से कई कंपनियों ने उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

1868. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कई परियोजनाएं निर्धारित समय से पिछड़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे ने इन परियोजनाओं की लागत वृद्धि के बारे में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए किये गए/किये जाने वाले सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) चालू रेलवे परियोजनाएं साल-दर-साल निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही है। चालू परियोजनाओं की पूर्वनिर्धारित लागत में निर्माण और प्रौद्योगिकी के मानक में परिवर्तन, कार्य क्षेत्र, मुद्रास्फीति आदि जैसे विभिन्न कारणों से स्वत: वृद्धि हो जाती है। एक परियोजना शुरू करते समय उसके अनुरूप धन की सुनिश्चित उपलब्धता के अभाव में लगने वाले अधिक समय एवं लागत का आकलन करना व्यावहारिक नहीं है।

(ङ) चालू परियोजना को जल्दी से पूरा करने के लिए गैर-बजटीय संसाधन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सार्वजनिक/निजी भागीदारी, राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषण, राष्ट्रीय रेल विकास योजना तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2004-05 के अंतरिम बजट में सुदूर क्षेत्र रेल संपर्क योजना की भी घोषणा की गई है जिसमें मुख्यत: सामाजिक-आर्थिक महत्व पर शुरू की गई लाइन एवं आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर पांच वर्षों में 2000 करोड़ रु. के निवेश की कल्पना की गई है। बहरहाल, योजना के लिए निधियों की स्थापना अभी की जानी है। इन सभी प्रयासों से चालू परियोजनाओं के लगभग पांच वर्षों की अवधि के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

वायुक्षेत्र निगरानी हेतु इसरो-डीआरडीओ परियोजना

1869. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:**
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वायुक्षेत्र की निगरानी के कार्य वाली इसरो-डीआरडीओ की संयुक्त परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) वायुक्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भू-निगरानी हेतु उपग्रह आधारित निगरानी तथा सर्वेक्षण (एसबीएस) के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम, विकास के अग्रिम चरण में है तथा इसे जनवरी 2007 तक पूरा किए जाने की योजना है। प्रौद्योगिकियों के वैधीकरण में अनुमान से अधिक समय लगा है।

(ग) इस परियोजना को जनवरी 2007 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) वायुक्षेत्र की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी उपाय मौजूद हैं।

विकलांग व्यक्तियों हेतु स्वयंसेवी संगठनों/एनजीओ को वित्तीय सहायता

1870. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार विकलांग व्यक्तियों हेतु कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान और सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कतिपय स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के प्रबंधन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता व बहुविकलांगता ग्रस्त व्यक्ति

कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान 31.7.2005 तक राज्य-वार विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। स्वयं-सेवी संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के प्रबंधन के विरुद्ध चालू वर्ष के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस), सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (एडिप) और राष्ट्रीय समुदाय आधारित देख-रेख कर्त्ता प्रशिक्षण न्यास स्कीम और राज्य नोडल एजेंसी केन्द्र स्कीम (एसएनएसी केन्द्र) के अंतर्गत 2005-06 के दौरान (31.7.2005 तक) जारी राज्यवार सहायता अनुदान

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	डी.डी.आर.एस.	एडिप स्कीम	समुदाय आधारित देख-रेख कर्त्ता प्रशिक्षण स्कीम	एस.एन.ए.सी. केन्द्र
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	275.01	75.00	0.98	0.12
3.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.12
4.	असम	10.46	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	52.16	0.00	0.98	0.00
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.12
7.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.12
8.	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	दिल्ली	47.24	0.00	0.98	0.12
11.	गोवा	7.02	0.00	0.00	0.12
12.	गुजरात	10.42	0.00	0.00	0.12
13.	हरियाणा	31.10	0.00	0.00	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	9.29	0.00	0.00	0.00
15.	जम्मू-कश्मीर	1.14	0.00	0.00	0.00
16.	झारखंड	3.98	0.00	0.00	0.12
17.	कर्नाटक	88.64	0.00	0.00	0.12
18.	केरल	87.92	0.00	0.98	0.12

1	2	3	4	5	6
19.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.12
20.	मध्य प्रदेश	16.70	0.00	0.00	0.12
21.	महाराष्ट्र	23.53	0.00	0.00	0.12
22.	मणिपुर	11.72	0.00	0.00	0.12
23.	मेघालय	12.26	0.00	0.98	0.12
24.	मिजोरम	10.34	0.00	0.00	0.12
25.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उड़ीसा	37.60	0.00	0.00	0.12
27.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	पंजाब	44.29	0.00	0.00	0.00
29.	राजस्थान	15.66	0.00	0.00	0.12
30.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.12
31.	तमिलनाडु	81.39	0.00	0.00	0.12
32.	त्रिपुरा	6.79	0.00	0.00	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	123.55	0.00	0.00	0.12
34.	उत्तरांचल	2.91	0.00	0.00	0.00
35.	प. बंगाल	23.34	0.00	0.00	0.12
	कुल	1034.44	75.00	4.90	2.64

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से भोजन प्रभार वसूल किया जाना

1871. डा. के.एस. मनोज:
श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जिनके पास नि:शुल्क उपचार हेतु मेडिकल कार्ड होता है, 25 रुपये प्रतिदिन भोजन प्रभार के रूप में वसूल किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे उपचार हेतु रेलवे अस्पतालों में भर्ती सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त में भोजन प्रदान करने पर विचार करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी उदारीकरण स्वास्थ्य योजना के कार्डधारियों के लिए लागू रेलवे अस्पतालों में भोजन प्रभार प्रतिदिन 22.50 रु. से 57.00 रु. तक है।

(ख) से (घ) सेवारत रेल कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी उदारीकरण स्वास्थ्य योजना के कार्डधारी भी नि:शुल्क चिकित्सा उपचार के हकदार हैं। सेवारत वर्ग 'घ' रेल कर्मचारी और सेवानिवृत्त रेल कमचारी उदारीकरण योजना के कार्डधारी जिनका

मूल वेतन 4000/- रु. से कम है, दोनों ही निःशुल्क भोजन के हकदार हैं और जिनका मूल वेतन इससे ऊपर है उन्हें अस्पताल के खाने का प्रभार चुकाना पड़ता है जो वेतन/सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी उदारीकरण स्वास्थ्य योजना शामिल होते समय जमा की गई धनराशि के आधार पर अलग-अलग होते हैं। इस नीति में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

1872. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए मण्डल-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर पृथक-पृथक कितनी धनराशि व्यय की जाएगी;

(ग) जिन रेलवे स्टेशनों पर कार्य चालू है उनके आधुनिकीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं;

(घ) क्या आधुनिकीकरण का कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल बजट, रेलवे जोन-वार तैयार किया जाता है न कि राज्य-वार। इसलिए रेल बजट में उत्तर प्रदेश के लिए किए गए आबंटन के आंकड़ों को अलग नहीं किया जा सकता। चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, राज्य में 5 जोनल रेलवे जैसे पूर्व मध्य, उत्तर, उत्तर मध्य, पूर्वोत्तर और पश्चिम मध्य रेलवे हैं, जो राज्य में सेवारत है। इसी प्रकार, प्रत्येक विशिष्ट रेलवे स्टेशन के आबंटन का आकलन कर पाना संभव नहीं है क्योंकि विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए कार्यों की संख्या रेलवे जोन/मण्डल जिनके अधीन ये स्टेशन आते हैं आदि पर प्रस्तावित सुविधाएं विभिन्न एक जैसी श्रेणियों के आधार पर इकट्ठे कर दिया जाता है। मांग सं. 16 के अंतर्गत योजना शीर्ष "यात्री सुविधाओं" के लिए किया गया बजट आबंटन अखिल भारतीय रेलों पर परिसंपत्तियों, अधिग्रहण, निर्माण और बदलाव, 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान जोन-वार और वास्तविक व्यय को नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
	बी.ई.	ए.ई.	बी.ई.	ए.ई.	बी.ई.	ए.ई./ अनंतिम	बी.ई.	ए.ई. जून तक (लगभग)
1	2	3	4	5	6	7	7	8
मध्य	24.01	28.67	16.33	19.32	11.06	15.36	10.79	3.33
पूर्व	34.08	20.28	15.67	9.12	22.19	12.46	20.65	1.54
उत्तर	23.59	19.39	26.67	27.38	24.87	27.79	21.83	5.64
पूर्वोत्तर	19.85	12.40	7.82	8.03	9.30	10.15	9.25	1.81
पूर्वोत्तर सीमा	19.68	16.69	9.91	14.60	12.18	11.88	12.52	2.69
दक्षिण	17.00	20.47	25.33	20.04	21.75	20.69	17.63	4.54
दक्षिण मध्य	15.77	16.11	9.57	15.63	13.66	41.35	13.32	6.12
दक्षिण पूर्व	19.88	14.47	12.14	6.18	9.22	7.00	9.29	2.96

1	2	3	4	5	6	7	7	8
पश्चिम	23.53	24.72	30.47	14.57	26.23	18.42	25.37	1.69
पूर्व मध्य	–	–	19.25	13.91	33.47	19.88	31.93	2.59
पूर्व तट	–	–	4.97	3.55	4.30	4.16	8.96	1.10
उत्तर मध्य	–	–	4.63	4.39	4.35	6.11	6.24	1.06
उत्तर पश्चिम	–	–	7.61	6.50	3.43	6.75	4.58	1.17
दक्षिण पूर्व मध्य	–	–	6.68	5.23	10.06	8.37	12.25	2.36
दक्षिण पश्चिम	–	–	5.71	3.94	4.49	4.67	10.26	1.41
पश्चिम मध्य	–	–	1.69	7.42	2.79	7.22	3.80	1.62
मेट्रो	2.61	1.92	0.55	1.38	1.80	0.50	3.48	0
कुल	200.00	175.12	205.00	181.19	215.05	222.76	222.15	41.63

बी.ई.-बजट अनुमान और ए.ई.-वास्तविक व्यय

(ग) और (घ) भारतीय रेलों पर 8000 से ज्यादा स्टेशन है। रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह पारस्परिक प्राथमिकताओं और यातायात में वृद्धि पर आधारित निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रतिवर्ष किया जाता है। विभिन्न स्टेशनों पर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में नए कार्यों के लिए मंजूरी दी जाती है और कार्य व्यवस्था और चल स्टाक कार्यक्रम भाग-II में इन कार्यों और अन्य ''कार्यों जो प्रगति पर हैं'' को योजना शीर्ष ''यात्री सुविधाएं'' के तहत प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें बजट प्रलेखों के साथ प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ-साथ संबधित योजना शीर्ष के तहत एक भाग के रूप में दोहरीकरण, यातायात सुविधा कार्य, आमान परिवर्तन, कंप्यूटरीकरण आदि सुधार स्टेशनों पर किए जाते हैं। चूंकि यह एक सतत् प्रक्रिया है, एक साधारण लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका से हेलिकाप्टरों की खरीद

1873. मोहम्मद शाहिद: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका से आयातित सी किंग हेलिकाप्टर खराब स्थिति में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या उनकी मरम्मत के अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नये सी किंग हेलिकाप्टरों को खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) सी किंग हेलिकाप्टरों की अभिप्राप्ति संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सी किंग हेलिकाप्टरों की मरम्मत के लिए हिस्से-पुर्जों का आयात मैसर्स वेस्टलैंड हेलिकाप्टर्स लिमिटेड, यूनाइटेड किंग्डम (यूके) तथा यूके की अन्य प्राधिकृत फर्मों से किया जा रहा है। कुछेक विशेष हिस्से-पुर्जे विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किए जा रहे हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रचार और मीडिया पर व्यय

1874. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विशेषकर गुजरात राज्य में मीडिया और प्रचार पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान मीडिया और प्रचार पर किया गया व्यय बजटीय प्रावधानों से अधिक था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अन्यत्र स्रोतों से धनराशि ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया की यात्री संख्या में वृद्धि

1875. श्री गणेश सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के यात्रियों की संख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) क्या 2004-05 के लिए निर्धारित किये गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया की यात्री संख्या में वृद्धि का प्रतिशत निम्नानुसार है-

वर्ष	एअर इंडिया	इंडियन एयरलाइन्स
2002	2.65%	4.21%
2003	3.00%	9.47%
2004	20.07%	21.00%

(ख) और (ग) वर्ष 2004-05 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एयरलाइन्सों को सरकार सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराती है।

कश्मीर में घुसपैठ

1876. श्री किन्जरपु येरनायडु:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2005 के बाद कश्मीर में घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में गुरेज और मशकोह सेक्टर में नियंत्रण रेखा से उग्रवादियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मुठभेड़ में कितने उग्रवादी मारे गए; और

(घ) जम्मू और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आतंकवादियों द्वारा जून/जुलाई, 2005 में गुरेज क्षेत्र में घुसपैठ के प्रयास किए गए थे। सेना द्वारा उक्त घुसपैठ को रोक दिया गया था और भारी मात्रा में युद्ध जैसे साजो-सामान सहित आतंकवादियों के 15 शव भी बरामद किए गए थे।

(घ) जम्मू-कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना द्वारा अपनाई गई मौजूदा रणनीति में एकीकृत

घुसपैठ रोधी रणनीति, भीतरी प्रदेश में लगातार संक्रियाएं तथा स्थानीय लोगों के ''दिलों'' को जीतना शामिल है। सेना, अन्य आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवादियों से निपटने के लिए अपनी रणनीति की सतत् समीक्षा करती रहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घुसपैठ न्यूनतम हो और जम्मू-कश्मीर में हिंसा पर नियंत्रण रखा जा सके।

ऐतिहासिक स्मारकों पर परिचारकों की तैनाती

1877. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में उन ऐतिहासिक स्मारकों का ब्यौरा क्या है जिनकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा की जाती है;

(ख) इन स्मारकों पर ए.एस.आई. द्वारा कितने परिचारकों की तैनाती की गई है;

(ग) क्या इन स्मारकों पर तैनात परिचारकों की संख्या उन्हें सौंप गए कर्त्तव्यों और जिम्मेवारियों को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्षेत्राधिकार में 3660 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक/स्थल हैं।

(ख) नियमित स्मारक परिचरों की संख्या 3450 है जो केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों में पहरा तथा निगरानी ड्यूटी करते हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। चूंकि परिचरों की संख्या अपर्याप्त है, अत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने चुने हुए स्मारकों पर तैनाती के लिए 789 निजी सुरक्षा गार्डों को कार्य पर लगाया है। इनके अलावा, कुछ स्थल संग्रहालयों पर राज्य पुलिस कार्मिकों (100) को तैनात किए जाने के साथ-साथ ताज महल और लाल किला पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (ताजमहल पर 165 कार्मिकों और लाल किला पर 294 कार्मिकों) को तैनात किया गया है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु दसवीं पूर्व और दसवीं पश्चात् छात्रवृत्ति

1878. **श्री जी.वी. हर्ष कुमार:**
श्री श्रीचन्द कृपलानी:
प्रो. चन्द्र कुमार:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को दसवीं-पूर्व और दसवीं-पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित और जारी की गई;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता में वृद्धि के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों ने कोई मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि को मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न संगठनों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों/अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) (1) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत राज्यों की वचनबद्धता के अतिरिक्त इस योजना पर 100 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई औपचारिक आबंटन नहीं किया जाता। वर्ष 2005-06 के दौरान तदर्थ आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(2) मंत्रालय की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की योजना केवल अस्वच्छ व्यावसायों जैसे चमड़ा उतारने, चमड़ा रंगने और सिर पर मैला ढोने में लगे माता-पिता के बच्चों के लिए उपलब्ध है।

(3) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पूर्व मैट्रिक तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है और वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित राशि जारी की गई।

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
1.	गुजरात	260.30	344.12
2.	उत्तर प्रदेश	234.04	633.77

(ख) और (ग) वर्ष 2005-06 के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए पी.एम.एस. मांग के पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। चूंकि ये मांगें योजना की अनुमानित कवरेज पर आधारित है इसलिए इस मंत्रालय ने भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से अपनी मांगों की औचितता बताने को कहा है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पूर्व मैट्रिक तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के मामले में चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) मार्च, 2005 में माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संसदीय मंच ने अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत प्रदत्त छात्रवृत्ति का परिमाणन को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने की सिफारिश की थी। दिनांक 1.4.2003 से पी.एम.एस. योजना के अंतर्गत भत्ता में वृद्धि की गयी थी, मानदंडों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था।

विवरण

वर्ष 2005-06 के दौरान आज की तारीख तक अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य	(लाख रुपए)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2797.00
2.	असम	158.00
3.	छत्तीसगढ़	526.00
4.	गोवा	3.00
5.	गुजरात	400.00
6.	हरियाणा	456.00
7.	हिमाचल प्रदेश	50.00
8.	कर्नाटक	1152.00
9.	केरल	424.00
10.	मध्य प्रदेश	852.00
11.	महाराष्ट्र	1606.00
12.	मणिपुर	24.00
13.	मेघालय	1.50
14.	राजस्थान	830.00
15.	तमिलनाडु	1322.00
16.	त्रिपुरा	62.00
17.	उत्तर प्रदेश	3922.00
18.	उत्तरांचल	169.00
19.	प. बंगाल	1230.00
20.	दमन और दीव	0.50
21.	पांडिचेरी	30.00
	कुल	16015.00

डीजल की खपत

1879. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में प्रति वर्ष अनुमानत: डीजल की कितनी खपत होती है;

(ख) हाल ही में डीजल के मूल्यों में की गई वृद्धि की वजह से रेलवे द्वारा कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च की जायेगी; और

(ग) रेलवे उक्त अतिरिक्त डीजल व्यय को किस प्रकार पूरा करेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेलवे पर प्रतिवर्ष लगभग 2.09 मिलियन कि. लीटर डीजल तेल की खपत होती है।

(ख) रेलवे द्वारा लगभग 325 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है।

(ग) रेलवे का यह प्रयास रहेगा कि उत्पादकता बढ़ाकर अधिकतम आमदनी अर्जित करके खर्च में हुई इस वृद्धि को समायोजित किया जाए।

उत्तर प्रदेश की रेल परियोजनाएं

1880. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेलवे द्वारा इस पर क्या कदम उठाये गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान नई रेल परियोजनाओं के संबंध में प्रस्तुत किए गए कुछ प्रस्तावों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	प्रस्ताव
1.	2002-03	कानपुर-मंधान-बिठोर रेल लाइन को कानपुर-उन्नाव-बालामऊ रेल लाइन से जोड़ना
2.	2004-05	दौराला और हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से बिजनौर को रेल से जोड़ना

चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की तंगियों के कारण उपरोक्त प्रस्तावों को शुरू नहीं किया जा सका।

(ग) उत्तर प्रदेश में रेल नेटवर्क का अंशत:/पूर्णत: विस्तार करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों तथा सर्वेक्षण आयोजित करने के संबंध में खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किलोमीटर
	नई लाइन	
1.	भिंड से महोबा बरास्ता ओरई	216
2.	भिंड से हारपलपुर बरास्ता ओरई	223
3.	अलीगढ़ से झिंजहक बरास्ता सिंकदराराव और मैनपुरी	268
4.	गोलागोकरण नाथ से शाहजहांपुर बरास्ता मोहम्मदी	67
5.	पनीहवा से तामकुही रोड	60
6.	आमदनगर से कप्तानगंज	60
7.	बेरहन से ऐटा बरास्ता शाहजहांपुर	150
8.	शाहगंज से अमेठी बरास्ता सुल्तानपुर	110
9.	चोला से बुलन्दशहर	16
10.	समभल से राजघाट	49
	दोहरीकरण	
11.	पलवल से भुतेश्वर तीसरी लाइन	81
12.	अलीगढ़ से गाजियाबाद चौथी लाइन	103
13.	मेरठ से सहारनपुर	114
14.	खुर्जा-हापुड़-मेरठ	93
	आमाप परिवर्तन	
15.	भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर	102
16.	औरीहार-जौनपुर	60
17.	लखनऊ से भोजीपुर बरास्ता सीतापुर	302

(घ) उपरोक्त सर्वेक्षणों पर 1.20 करोड़ रु. खर्च हुए हैं।

महाराष्ट्र में रेल परियोजनाएं

1881. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र से प्राप्त हुई रेलवे परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु रेलवे द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) नई रेल परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त प्रत्येक मांग का ब्यौरा नहीं रखा जाता है। बहरहाल, पिछले 3 वर्षों में महाराष्ट्र में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के संबंध में प्राप्त मांगों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	परियोजना	टिप्पणी
1	2	3
1.	यवतमाल-मुटिजपुर-अचलपुर (आमान परिवर्तन)	अचलपुर-मुर्तजापुर-यवतमाल, पुलगांव-अरवी (225 कि.मी.) के लिए आमान परिवर्तन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है।
2.	पुणे-मिराज (कोल्हापुर दोहरीकरण)	पुणे-मिराज-कोल्हापुर के दोहरीकरण का अद्यतन सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है।
3.	सोलापुर-तुल्जापुर-उस्मानाबाद (नई लाइन)	सोलापार से उस्मानाबाद वाया तुल्जापुर एक नई बड़ी लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण कार्य शुरू हो गया है।
4.	मुदखेड़-निजामाबाद (दोहरीकरण)	इस लाइन को दोहरीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, मुदखेड़ से निजामाबाद का आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है।
5.	मिराज-लातुर (आमान परिवर्तन)	कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है। कुरडुवाडी-पंढरपुर (52 कि.मी.) और लातुर-लातुर रोड (33 कि.मी.) पूरा हो चुका है। कुरडुवाडी-लातुर खंड में गिट्टियां रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है परन्तु कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। मिराज-पंढारपुर के बीच भी कार्य शुरू हो चुका है। कुल समग्र प्रगति 48 प्रतिशत है।
6.	आदिलाबाद से गडचिरोली वाया रंजुरा (190 कि.मी.) नई लाइन	प्रस्तावित रेल लाइनों की लंबाई 1500 कि.मी. और लागत 5,000 करोड़ रु. से कम नहीं होगी। चल रही परियोजनाओं के भारी ग्रो फारवर्ड को 46,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है। संसाधनों की उपलब्धता सीमित है और इन हालातों में नई परियोजनाओं को शुरू करना व्यावहारिक नहीं है।
7.	पंढारपुर-लोनाद (145 कि.मी.) नई लाइन	
8.	गुहगर (चिपलुन) लोनाद (150 कि.मी.) नई लाइन	
9.	बोधान से दिग्लूर (135 कि.मी.) नई लाइन	
10.	जलना से वशिमा (155 कि.मी.) नई लाइन	
11.	शेगांव से जलना (110 कि.मी.) नई लाइन	
12.	उडगिर-बोधन-देगलूर (100 कि.मी.) नई लाइन	
13.	बोधन-बिलोली-नरसी-मुदखेड़-शिरूर-तालबाद-लातुर रोड (135 कि.मी.) नई लाइन	
14.	नांदेड-लोहा-गंगाखेड़ (65 कि.मी.) नई लाइन	

1	2	3
15.	लोह:-अहमदपुर-चकुर-लातुर रोड (165 कि.मी.) नई लाइन	
16.	लोहा-कंधार-मुदखेड़ (90 कि.मी.) नई लाइन	
17.	धर्मबाद-बिलोली-दिग्लुर (65 कि.मी.) नई लाइन	
18.	मुदखेड़-काचीगुडा	मुदखेड़-काचीगुडा खंड पर मुदखेद-सिकंदराबाद पर आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो चुका है और अब काचीगुडा से मुदखेड़ तक एक बड़ी लाइन उपलब्ध है।
19.	जलगांव-उधना दोहरीकरण (295 कि.मी.)	सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
20.	वर्धा-यवतमाल-नांदेड-पुसाड-नांदेड नई लाइन (260 कि.मी.)	अद्यतन सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
21.	धनु-नासिक नई लाइन (168 कि.मी.)	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। संसाधनों की कमी और चालू परियोजनाओं के भारी ब्रो फारवर्ड के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
22.	पचोरा-जामनेर आमान परिवर्तन (104 कि.मी.)	
23.	कोंकण रेलवे को कोल्हापुर वाया नंदगांव से जोड़ना (211 कि.मी.)	
24.	पुणे-नगर-नासिक नई लाइन (266 कि.मी.)	
25.	पुर्ना-खंडवा आमान परिवर्तन	
26.	मनमाड-धुले-शिरपुर-इंदौर और मनमाड सिल्लौद (नई लाइन)	
27.	पनवेल-पेन-रोहा (76 कि.मी. दोहरीकरण)	

(घ) पिछले 3 वर्षों में ऊपर किए गए सर्वेक्षणों में लगभग 39 लाख रु. खर्च हुए।

रेल परियोजनाओं को पूरा करना

1882. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रक्षा कोष के माध्यम से कुछ अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) निम्नलिखित परियोजनाओं को रक्षा निधियों के जरिए निष्पादित किया जा रहा है:-

(1) सहरसा जंक्शन-फारबिसगंज और सकरी-लौकाहा बाजार-निरमली।

(2) सेनचोआ-सिलघाट का आमान परिवर्तन।

(3) कोलायत-फलोदी नई लाइन।

(ग) कोलायत-फलोदी नई लाइन का कार्य 2005-06 के दौरान और सेनचोआ-सिलघाट परिवर्तन का कार्य 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। सहरसा जंक्शन-फारबिसगंज और

सकरी-लौकाहा बाजार निरमली लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन

1883. श्री प्रहलाद जोशी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या सरकार ने उच्च हिन्दुस्तानी और अन्य तरह के शास्त्रीय संगीत कलाकारों के कला दूत के रूप में चयन करने और पूरे विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें विभिन्न देशों में भेजने की योजना बनाई गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्कीमों के तहत भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य के संवर्धन के लिए व्यय की गई धनराशि इस प्रकार है:-

क्र.सं.	स्कीम	2002-03	2003-04	2004-05
1.	छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति	90.48	102.00	104.64
2.	विशिष्ट प्रदर्शनकारी कला परियोजनाएं	862.67	947.43	990.00
3.	संगीत नाटक अकादमी	1174.72	1369.62	1184.71

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जयपुर विमानपत्तन

1884. श्री दुष्यंत सिंह:
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर विमानपत्तन का उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अन्तर मंत्रालयी विचार-विमर्श से उचित निर्णय लिए जा रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर नए विश्व स्तर के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण करने की योजना है, जिसमें पार्किंग एप्रन, एयरोब्रिज, एस्केलेटर कन्वेयर बैल्ट तथा कार पार्किंग इत्यादि होंगे। अगले तीन वर्षों में 94.87 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। यह कार्य मार्च, 2008 तक पूरा होने की संभावना है।

रेल विकास निगम लि. के साथ करार

1885. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विकास निगम लि. ने उड़ीसा में अवसंरचना में विकास और हरिदासपुर पारादीप लाइन के निर्माण के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव में पारादीप से क्योंझर गढ़ तक सड़क संपर्क को भी शामिल किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र के उपक्रम भी स्पेशल पर्पज व्हिकल में शामिल हैं जो कि आरवीएनएल के साथ हुए करार का एक हिस्सा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क), (ख), (घ) और (ङ) एक विशेष प्रयोजन योजना बनाकर हरिदासपुर-पारादीप की नई बड़ी रेल लाइन को लागू करने के लिए 24.5.05 को रेल विकास निगम लिमिटेड, उड़ीसा सरकार, पारादीप पत्तन ट्रस्ट, मैसर्स एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, मैसर्स रूंगटा माइन्स लिमिटेड और मैसर्स जिन्दल स्टील और पावर लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

भागलपुर में आल इंडिया रेडियो स्टेशन

1886. श्री सुशील कुमार मोदी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भागलपुर स्थित आल इंडिया रेडियो स्टेशन की प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस सीमा तक बढ़ाया जायेगा; और

(ग) स्थानी संस्कृति, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि को बढ़ावा देने के लिए उक्त रेडियो स्टेशन द्वारा वर्तमान में प्रसारित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी, भागलपुर, विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है।

विवरण

1. कृषि

1. खेत-खलिहान (प्रात: 5.55 बजे से 6.00 बजे तक प्रतिदिन)
2. खेत गृहस्थी (सायं 6.00 बजे से 6.30 बजे तक प्रतिदिन)

2. स्वास्थ्य

1. स्वास्थ्य चर्चा (प्रात: 6.40 बजे से 6.45 बजे तक प्रतिदिन)
2. हमारा स्वास्थ्य (सायं 7.45 बजे से 8.00 बजे तक शुक्रवार)

3. सांस्कृतिक

1. ग्राम जगत (सायं 6.30 बजे से 7.00 बजे तक प्रतिदिन)
2. लोक गीत (मध्याह्न 12.30 बजे से 1.05 बजे तक प्रतिदिन)
3. लोक रंग (मध्याह्न 1.00 बजे से 1.30 बजे तक गुरूवार)
4. हमारी धरोहर (सायं 9.30 बजे से 10.00 बजे तक मंगलवार)
5. हलचल (प्रात: 6.55 बजे से 7.00 बजे तक प्रतिदिन)
6. इनसे मिलिए (सायं 7.45 बजे से 8.15 बजे तक मासिक)
7. हमारे पर्यटन स्थल (सायं 7.45 बजे से 8.15 बजे तक मासिक)
8. घर आंगन (मध्याह्न 1.30 बजे से 2.00 बजे तक सोमवार एवं बुधवार)
9. नारी लोक (मध्याह्न 1.30 बजे से 2.00 बजे तक मंगलवार, गुरुवार एवं शुक्रवार)

4. शैक्षिक

1. बाल मंजुषा (सायं 3.20 बजे से 3.50 बजे तक रविवार को)
2. इग्नू (सायं 4.00 बजे से 5.00 बजे तक रविवार को)
3. युव वाणी (सायं 5.00 बजे से 5.30 बजे तक प्रतिदिन रविवार को छोड़कर)

[अनुवाद]

मुम्बई में उप नगरीय परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण

1887. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मुम्बई में उपनगरीय परिवहन प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के तहत मुम्बई उपनगरीय परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना के "रोड कंपोनेंट" और "रेल कंपोनेंट" का निष्पादन क्रमश: महाराष्ट्र सरकार और मुम्बई रेल विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

(ख) वर्तमान में 3125 करोड़ रुपए की लागत पर महाराष्ट्र शहरी परिवहन परियोजना के प्रथम चरण के "रेल कंपोनेंट" को मंजूरी दे दी गई है। इसमें 290 करोड़ रुपए की लागत पर परियोजना प्रभावित 15857 परिवारों का पुन:स्थापन और पुनर्वास, 1476 करोड़ रुपए की लागत से अवसंरचना संबंधी कार्य और 1359 करोड़ रुपए की लागत से चल स्टाक की खरीद शामिल है। महाराष्ट्र शहरी परिवहन परियोजना के प्रथम चरण के तहत निष्पादित की जा रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। महाराष्ट्र शहरी परिवहन परियोजना का द्वितीय चरण अभी प्रस्तावित स्तर पर है।

विवरण

मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) के अंतर्गत की जा रही रेल परियोजनाओं का निष्पादन

क्र.सं.	परियोजनाएं	लागत (करोड़ रु. में)
1.	पश्चिम रेलवे में 5वीं लाइन की व्यवस्था	59.00
2.	कुर्ला-थाने के बीच 5वीं एवं छठी लाइन	166.00
3.	बोरीवली-विरार का दोहरीकरण	436.00
4.	पश्चिम रेलवे का इष्टतम उपयोग	50.00
5.	मध्य रेलवे का इष्टतम उपयोग	100.00
6.	बंदरगाह लाइन का इष्टतम उपयोग	20.00
7.	डीसी से एसी परिवर्तन	380.00
8.	विरार कार शेड	73.00
9.	इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट खरीद/निर्माण/रेट्रोफिटमेंट	1379.00
10.	इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट अनुरक्षण सुविधा	64.00
11.	इलैक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट के लिए स्थिर लाइन	49.00
12.	ट्रैक मशीन की खरीद	31.00
13.	प्रौद्योगिकी सहायता	40.00
14.	पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास	290.00
15.	मुम्बई रेल विकास निगम के लिए पूंजी व्यय	8.00
	कुल	3125.00

विरासत स्थलों का संरक्षण

1888. श्री गणेश सिंह: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनेस्को ने भारत में विश्व विरासत स्थलों (डब्ल्यूएचएस) के संरक्षण के प्रति चिंता जतायी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थलों के रख-रखाव में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की अधिक भूमिका की आवश्यकता जतायी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विश्व विरासत स्थलों के निरीक्षण के लिए हाल ही में यूनेस्को के किसी दल ने भारत का दौरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी, हां। सुझाऊ, चीन में आयोजित विश्व दाय समिति के 28वें सत्र में की गई सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एक दो सदस्यीय यूनेस्को मिशन ने पर्यटन मंत्रालय की ओर से हुडको द्वारा तैयार की गई स्थल प्रबंधन योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में महाबोधि मन्दिर, बोधगया का दौरा किया जो कि बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के नियंत्रण में है। मिशन ने सिफारिश की है कि स्थल प्रबंधन योजना का कार्य कब तक निलंबित रखा जाए जब तक उसके कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक स्थितियां उपयुक्त न हो जाएं, यथा समुचित कानूनी ढांचा, बफर जोन में नियंत्रण, प्रबंधन क्रियाविधि, आदि। मिशन ने भगवान बुद्ध के साथ पहिचान वाले सांस्कृतिक भू-दृश्य और भारत में बुद्ध के जीवन से संबद्ध अन्य धरोहरों जैसे, सारनाथ को शामिल करने के लिए महाबोधि मंदिर परिसर अभिलेख के दीर्घकालिक विस्तार की संभावना का पता लगाने की भी सिफारिश की है।

(च) बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। इसका प्रबंधन एवं अनुरक्षण बिहार सरकार द्वारा बोधगया

मंदिर अधिनियम, 1949 के अधीन गठित बोधगया मंदिर प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया जाता है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

1889. श्री प्रदीप गांधी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा विदेशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सांस्कृतिक प्रदर्शनियों का चयन करने में राज्य सरकारों से परामर्श किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने तथा प्रसार करने में भारतीय मिशनों द्वारा क्या भूमिका निभाई गयी है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) राज्य सरकारों से परामर्श करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, जब कभी आवश्यकता होती है, राज्य सरकारों से सलाह और सहायता ली जाती है।

(ख) विदेशों में भारतीय मिशन संबंधित देशों में विभिन्न सांस्कृतिक समारोहों का समन्वय करते हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि में रेलवे का हिस्सा

1890. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने डीजल तथा पेट्रोल उपकर में अपना हिस्सा बढ़ाकर 800-900 करोड़ रुपये करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि में रेलवे की हिस्सेदारी किस सीमा तक बढ़ाने के लिए सरकार सहमत हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। रेलवे संबंधी स्थायी समिति (2004-05) की सातवीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्रीय सड़क निधि से रेलवे के हिस्से को 900 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से संपर्क किया है।

(ग) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

विरासत संरक्षण समिति

1891. श्री बालासोबरी वल्लभनेनी:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विरासत संरक्षण समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समिति के अधिकार-क्षेत्र और कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) संरक्षण के लिए किन-किन इमारतों की पहचान की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि संस्कृति मंत्रालय का प्रस्ताव एक राष्ट्रीय दाय स्थल आयोग गठित करने का है।

क्योंकि वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढांचा, अपनी सर्वाधिक विस्तृत रूपरेखा में, निर्मित दाय के प्रलेखन, सूची की तैयारी और संरक्षण के कार्य के वास्ते पर्याप्त नहीं है, अत: एक दाय स्थल आयोग गठित करने का प्रस्ताव है। आयोग विस्तृत नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि ऐसे दिशानिर्देशों का पालन हो।

प्रस्तावित दाय स्थल आयोग का अधिकार-पत्र तैयार किया जा रहा है। आशा है कि यह आयोग निम्नांकित कार्य करेगा:-

- दाय मामलों पर सरकार को सलाह देगा।
- दाय स्मारकों तथा स्थलों के संरक्षण के मामले में दिशानिर्देश तैयार करेगा।
- दाय के संरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण मामलों का अध्ययन कर सकता है या करवा सकता है, और
- प्रतिवेदनों को सरकार को प्रस्तुत कर सकता है।
- वर्तमान दाय कानूनों में उचित संशोधनों के लिए सुझाव देगा।

तमिल भाषा को विदेश में बढ़ावा

1892. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिल भाषा को प्राचीन भाषा के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिल भाषा को विदेश में बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में तमिल भाषा पढ़ने के लिए कोई पद सृजित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विदेश में विभिन्न विश्वविद्यालयों में तमिल भाषा के लिए पद सृजित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मीडिया के लिए आचार संहिता

1893. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की मीडिया के लिए कोई आचार संहिता निर्धारित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और मीडिया को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ग) प्रसार भारती के पास कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन के टेलीकास्ट/प्रसारण पर प्रतिबंध लगाती है जिसमें कुछ भी अश्लील या अभद्र हो। दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों का टेलीकास्ट/प्रसारण करते समय संहिताओं का पालन करते हैं।

सभी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रम जब देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित किए जाते हैं तो इन्हें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करना होता है। यह कार्यक्रम संहिता केबल सेवा में ऐसे किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाती है जो सुरूचि या शिष्टता को ठेस पहुंचाता हो, जिसमें कुछ भी अश्लील हो, लोक नैतिकता या मूल्यों को भ्रष्ट करता हो या ठेस पहुंचाता हो।

संहिताओं के उल्लंघन पर किसी प्राधिकृत अधिकारी अर्थात्- उप जिला मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता के उल्लंघन की जांच करने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 20 के अंतर्गत दो अन्तर-मंत्रालयीय समितियों का गठन किया है। सरकार टी.वी. चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय-वस्तु को विनियमित करने हेतु एक स्वायत्तशासी प्राधिकरण की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है।

भारत में प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय प्रेस परिषद भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने और समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने एवं सुधारने के लिए स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता की आचार संहिताओं के लिए भी मानदण्ड निर्धारित किए हैं जो पत्रकारिता संबंधी सिद्धांतों और आचार संहिताओं तथा सार्वजनिक और राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट मुद्दों की रिपोर्टिंग पर दिशा-निर्देशों को समाहित करते हैं।

भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया में अश्लील और अभद्र विज्ञापनों के खिलाफ स्व-प्रेरणा से संज्ञान लेता है अथवा विशिष्ट शिकायतों की जांच करता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तट रक्षक (वरिष्ठता और पदोन्नति) (संशोधन) नियम, 2004 जो 19-25 सितम्बर, 2004 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 133 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2424/2005]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)-

(एक) मझगांव डाक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2425/2005]

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2426/2005]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2427/2005]

(3) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2428/2005]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहिए। अन्यथा मैं सदन को स्थगित कर दूंगा और लोगों को पता चल जाएगा कि मैं सदन को क्यों स्थगित कर रहा हूं।

अब मद सं. 4—श्री संतोष मोहन देवन।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): मैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2429/2005]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): मैं कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखथा हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2430/2005]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2431/2005]

(3) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली द्वारा दी गई सलाहों पर वर्ष 2003-2004 के लिए की-गई-कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2432/2005]

(5) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 64 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त की सिफारिशों पर वर्ष 2003-2004 के लिए की-गई-कार्यवाही रिपोर्ट।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2433/2005]

अपराह्न 12.01 बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): मैं ''न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का संशोधन'' के बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के तीसरे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

बाईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): मैं सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के बाइसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री धनुषकोडी आर. अतिथन (तिरूनेलवेली): मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(एक) 'पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य' के बारे में छठा प्रतिवेदन; और

(दो) 'कोल बैड मिथेन सहित तेल और प्राकृतिक गैस की खोज' के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.01¾ बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

176वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सर्वे सत्यनारायण (सिद्दीपेट): मैं 'लघु और मध्यम उपक्रम विकास विधेयक, 2005' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी

समिति का 176वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) नौवें से ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2003 के बारे में नौवां प्रतिवेदन;

(2) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2005 के बारे में दसवां प्रतिवेदन; और

(3) राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004 के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(दो) साक्ष्य

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए निम्नलिखित साक्ष्यों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2003 के बारे में नौवें प्रतिवेदन के संबंध में साक्ष्य;

(2) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2005 के बारे में दसवें प्रतिवेदन के संबंध में साक्ष्य; और

(3) राष्ट्रीय कर अधिकरण विधेयक, 2004 के बारे में ग्यारहवें प्रतिवेदन के संबंध में साक्ष्य।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2434/2005

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, मद सं. 13—मंत्री द्वारा वक्तव्य।

***सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी):** अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे सभा पटल पर वक्तव्य रखने की अनुमति है?

अध्यक्ष महोदय: यदि वक्तव्य अधिक विस्तृत न हो, तो आप इसे पढ़ दीजिए। अगला मद अभी तैयार नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: यह थोड़ा विस्तृत है। फिर भी, मैं इसे पढ़ रहा हूं।

मैं, लोक सभा समाचार-भाग-दो, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 73क के अनुपालन में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) 2004-05 के सातवें प्रतिवेदन में विनिर्दिष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी यह वक्तव्य देना चाहता हूं।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) का सातवां प्रतिवेदन लोक सभा में दिनांक 14.12.2004 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन "क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार निदेशालय का कार्यकरण" संबंधी अपने 55वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित है।

सातवें प्रतिवेदन में, समिति ने कुल मिलाकर सात सिफारिशें की। इन सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्यवाही टिप्पण समिति के समक्ष दिनांक 18.03.2005 (अंग्रेजी संस्करण) और 04.05.2005 (हिन्दी संस्करण) को प्रस्तुत किये गए। ये सिफारिशें मुख्यत: क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार निदेशालय के कार्यकरण, व्यय की अधिकता, कारगर निगरानी और योजना स्कीमों का कार्यान्वयन तथा पोर्टेबल विडियो प्रोजेक्टरों की खरीद में क्षेत्रीय प्रचार-प्रसार निदेशालय द्वारा की गई अनियमितताओं से संबंधित है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को यह सब पढ़ने की क्या जरूरत है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको सभी विवरण पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल पहला पृष्ठ पढ़िए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति सभा के सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुबंध में विनिर्दिष्ट है। मैं निवेदन करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद सं. 14—ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया, मेरी प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कालिंग अटेंशन लिया जाना है, लेकिन गृह मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। *...(व्यवधान)* हमें इसकी कापी भी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि मैं आपसे भी अधिक सख्त टिप्पणी करने वाला हूं। जैसा कि माननीय गृह मंत्री यहां नहीं हैं, मैं इस मामले को गम्भीरता से लेता हूं तथा मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं। अत:, मैं सभा को मात्र दस मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूं ताकि इस बीच गृह मंत्री उपस्थित हो जाएं।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा 12 बजकर 18 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.18 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12 बजकर 18 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर सवाल है। प्रीविलेज का मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन प्रीविलेज का मामला है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें बोलने दीजिए, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं आपसे और सभा से क्षमा चाहता हूं *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): और देश से भी क्योंकि पूरा देश कार्यवाही देख रहा है *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरी दिक्कत यह है कि जब मैं अध्यक्ष के रूप में पीठासीन था, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर शून्य काल के पश्चात् चर्चा करते थे। यह बात मेरे ध्यान में थी। मैंने सोचा कि शून्य काल के पश्चात् इस पर चर्चा होगी। यह एक बात है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: विगत एक वर्ष से सभा इसी तरह चर्चा कर रही है। आप उस बहाने का सहारा नहीं ले सकते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए और मेरी टिप्पणी की प्रतीक्षा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें बात पूरी करने दीजिए। मैं उन्हें दोषमुक्त नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें दोषमुक्त नहीं किया है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, दूसरी बात यह है कि मेरा कार्य लोक सभा और राज्य सभा, दोनों में, एक साथ तय किया गया है। मैं इसमें दिक्कत महसूस कर रहा हूं। इन सब के बावजूद, मुझे इस सभा में उपस्थित होना चाहिए। मुझे यहां उपस्थित रहना ही होगा। पुन: मैं असुविधा के लिए आप से क्षमा चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री पाटील, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। हमने आपसे बहुत सी बातें सीखी हैं। इसलिए, ऐसी कोई बात जिसमें आप भी शामिल हों, हमें अन्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत दु:ख होता है।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारे राज्य मंत्री को यहां होना चाहिए था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपके राज्य मंत्री यहां नहीं थे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें दोषमुक्त नहीं कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): यहां तक कि दोनों में से कोई भी राज्य मंत्री उपस्थित नहीं था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ हो चुका है, उसे भविष्य में कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना है कि आप ने बिना शर्त माफी मांगी है। समूचे राष्ट्र ने यह सब देखा है। इससे अन्य व्यक्तियों को बुरा संदेश मिलेगा। लेकिन, चूंकि आपने माफी मांगी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन यह भविष्य में किसी भी हालत में दोहराया नहीं जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): राज्य मंत्री उपस्थित थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब, उन्हें खड़ा होना चाहिए था। मामले को न उलझाएं।

अब, श्री विजय कुमार मल्होत्रा अपनी बात रखेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं सुबह 11 बजे से कोशिश कर रहा हूं कि यह रिप्लाई मुझे मिल जाए, जिसे पढ़कर हम रिएक्ट कर सकें। लेकिन अभी तक 12 बजकर 10 मिनट तक यह जवाब मुझे नहीं मिला। मिनिस्टर साहब नहीं थे, वह एक बात है, लेकिन कम से कम जवाब तो आ ही जाना चाहिए था। इससे पहले कि हम अपना कालिंग अटेंशन रेज करें, अगर मुझे इमिडिएटली कुछ बोलना पड़े तो उसके लिए कम से कम जवाब पहले ही मिल जाना चाहिए था। जब आपने 12 बजकर 10 मिनट पर हाउस को 10 मिनट के लिए एडजर्न किया, उसके बाद अब जाकर हमें यह जवाब मिल सका है।

[अनुवाद]

ऐसी घटना कभी नहीं हुई और ऐसा नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह भी सत्य है कि पहले विवरण उपलब्ध नहीं था। यह एक सच्चाई है कि वह इस विषय में सही बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपका विवरण सुना जाए। मुझे विश्वास है कि यह कभी दोहराया नहीं जाएगा क्योंकि आप बहुत ही योग्य मंत्री हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.21 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मणिपुर में चल रहे आर्थिक अवरोध के परिणामस्वरूप दवाईयों सहित आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें:

> "मणिपुर में चल रहे आर्थिक अवरोध के परिणामस्वरूप दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता से उत्पन्न स्थिति और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।"

***गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** महोदय, इस वर्ष मणिपुर सरकार ने 18 जून को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। इसे "राज्य एकता दिवस" भी घोषित किया गया था। 16 जून को आला नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मणिपुर

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2435/2005

(ए.एन.एस.ए.एम.) नामक संगठन ने राज्य सरकार से 18 जून को एकता दिवस और उस दिन को सार्वजनिक आवकाश के रूप में घोषित करने के निर्णय को रद्द करने की मांग करते हुए मणिपुर के पहाड़ी जिलों (सेनापति, उखरूल, तमिंगलोंग और चंदेल) में विरोध रैलियों का आह्वान किया था। उसके बाद, 19 जून और 20 जून के बीच की रात को ए.एन.एस.ए.एम. द्वारा आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा की गई।

मणिपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग-39 से शेष देश जुड़ा हुआ है। यह मार्ग नागालैंड भू-भाग से हो कर दीमापुर से माओ (मणिपुर) से हो कर गुजरता है। इसके बाद इंफाल घाटी में प्रवेश करने से पहले यह मार्ग मणिपुर के पहाड़ी जिलों से हो कर गुजरता है। दूसरा मार्ग, अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग-53, असम में सिल्चर को मणिपुर में इंफाल को जोड़ता है। यह मार्ग भी मणिपुर में नागा बहुल तमिंगलोंग जिले से होकर भी गुजरता है। ए.एन.एस.ए.एम. ने इन दोनों मार्गों को मणिपुर में अवरुद्ध कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 में विद्रोही ग्रुपों की मौजूदगी और कुछ स्थानों पर खराब स्थिति जैसी समस्यायें थीं।

मणिपुर में लगभग 200 ट्रक प्रतिदिन आते हैं। नाकेबंदी की तारीख से 2.8.2005 तक, सामान्यतः लगभग 8000 ट्रक मणिपुर में पैट्रोल, डीजल, एल.पी.जी. और खाद्यान्नों जैसी वस्तुओं को लेकर आते हैं। तथापि, पैट्रोल टैंकरों सहित केवल लगभग 700 ट्रक (20.6.2005 को 52 वाहन, 3.7.2005 को 69 वाहन, 11.7.2005 को 55 वाहन, 17.7.2005 को 45 वाहन, 23.7.2005 को 51 वाहन, 26.7.2005 को 91 वाहन, 28.7.2005 को 103 वाहन) ही घाटी में प्रवेश कर सके। इसके परिणामस्वरूप राज्य में अनिवार्य वस्तुओं की अत्यधिक कमी हो गई। जेनरिक नामों की सभी दवाईयां उपलब्ध हैं। कुछेक ब्रैंडिड उत्पाद कम मात्रा में हैं। अस्पतालों से इनके अभाव के संबंध में कोई गंभीर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, यदि औषधियों और जीवन रक्षक दवाईयों की आवश्यकता हुई तो अल्प सूचना पर उन्हें वायु मार्ग से पहुंचाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-39 पर बरास्ता दीमापुर असम में खटखटी से पी.ओ.एल. लाने हेतु ट्रकों/टैंकरों को कानवायों में भेजने की व्यवस्था करती रही है। असम और नागालैंड की राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में कानवाई को सुरक्षा प्रदान करती रही हैं। मणिपुर की राज्य सरकार ने सेना से राष्ट्रीय राजमार्ग-53 को विद्रोही तत्वों से मुक्त करने का अनुरोध किया था और यह काम जुलाई के दूसरे सप्ताह के आस-पास कर दिया गया। तथापि, 19/20 जुलाई की बीच की रात को, इंराग नदी पर बनेबेले पुल को कुछ शरारती तत्वों ने काट दिया। पुल को 26.7.2005 को चालू कर दिया गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारी वाहनों के चलने के कारण, मकरू और बराक में राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर बने पुल क्षतिग्रस्त हो गए। इनकी बी.आर.ओ. द्वारा मरम्मत कर दी गई है और 2.8.2005 से इन्हें भारी वाहनों के लिए खोल दिया गया है। सतत/नियमित आवाजाही हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर बने पुलों को आगे और सुदृढ़ करने का कार्य जारी हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लगभग 200 से अधिक खाली ट्रक इम्फाल से 2.8.2005 को राष्ट्रीय राजमार्ग-53 के रास्ते से जिरिबम-सिल्चर के लिए चल पड़े हैं। 100 मीट्रिक टन तक के कुल भार वाले लदे हुए ट्रक 3.8.2005 से जिरिबम/इंफाल मार्ग पर चलेंगे।

संघ सरकार, मणिपुर, नागालैंड और असम राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए हुए है तथा वह स्थिति की निगरानी कर रही है। मैं, मणिपुर, नागालैंड और असम के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में रहा हूं। मैंने उनसे एक-दूसरे के साथ सहयोग करने और इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा है कि आवश्यक वस्तुओं को बिना रोक-टोक इंफाल और अन्य स्थानों तक ले जाने दिया जाए। असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में हर संभव सहायता देने का वादा किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री से यह देखने के लिए कहा गया है कि आवश्यक वस्तुएं इंफाल और अन्य स्थानों तक पहुंच जाएं। उनसे कहा गया है कि वे माल ले जाने वाले वाहनों को सुरक्षा प्रदान करें और यह देखें कि ए.एन.एस.ए.एम. के साथ वार्ता करके राज्य में वस्तुओं के मुक्त-प्रवाह के लिए स्थिति अनुकूल बनाई जाए। मणिपुर में अतिरिक्त बल तैनात कर दिए गए हैं।

केन्द्रीय गृह सचिव ने 15 जुलाई, 2005 को इन राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ एक बैठक की थी। यह देखने के लिए कि मामले को बिना किसी और विलम्ब के हल किया जाए, वे इन अधिकारियों के साथ फिर बैठक करने वाले हैं।

भारतीय तेल निगम तथा भारतीय खाद्य निगम को मणिपुर को अधिकतम आपूर्ति भेजने के लिए हरसंभव प्रयास करने के लिए कहा गया है। इन अनिवार्य वस्तुओं को ले जाने वाली कानवायों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

मणिपुर और अन्य स्थानों में नाकेबंदी में शामिल लोगों को रोका जाना चाहिए। सुरक्षा बलों को यह देखने के लिए कहा गया है कि नाकेबंदी न होने दी जाए तथा क्षेत्र में कानून और व्यवस्था तथा शान्ति बनाए रखी जाए।

मणिपुर सरकार ने मंत्री और ए.एन.एस.ए.एम. के प्रतिनिधियों की सेनापति में कल बैठक हुई थी। यह रिपोर्ट है कि उनके बीच बातचीत उत्साहवर्द्धक रही है तथा इससे समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। सम्भावना है कि वे इस बातचीत को जारी रखेंगे।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

महोदय, यह पिछली रात्रि को हुआ। मुझे सूचना कल रात्रि को ही प्राप्त हुई। मैंने वक्तव्य तैयार किया तथा दिया। परन्तु सुबह जब मुझे यह सूचना मिली, मुझे इसे बदलना पड़ा तथा मणिपुर से सूचना आनी थी। मुझे कल रात्रि को ही सूचना प्राप्त हुई।

केंद्रीय गृह मंत्री के उस क्षेत्र का शीघ्र ही दौरा करने की सम्भावना है जिससे कि राज्य सरकारों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर करने में मदद मिल सके।

जब भी इस किस्म की नाकेबंदी होती है तो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। हम मणिपुर राज्य में आम लोगों के कष्टों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। हमने राज्य सरकार से राज्य में अनिवार्य वस्तुओं की कमी के कारण हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने के लिए कहा है। हमने उन्हें हर तरह की सहायता करने का आश्वासन दिया है और उनसे कहा है कि वे यह देखें कि राज्य में अनिवार्य वस्तुओं की कोई कमी न रहे। निम्नवत अलग-अलग मार्गों से और संभव हर प्रकार के तरीके का इस्तेमाल करके उन्हें आवश्यक वस्तुएं भेजी जायेंगी। यदि दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं को हवाई जहाज से ले जाने की जरूरत पड़ी तो ऐसा भी किया जाएगा।

इन राज्यों में समस्या अतिसंवेदनशील है। इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न जनजातियों से संबंधित लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। दिल्ली से हम इन नाजुक पहलुओं को ध्यान में रखने का प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकारों और राज्य के नागरिकों से भी इन पहलुओं को ध्यान में रखने और राज्यों में सरकारों और देश में हम सभी को एक दूसरे की मदद करने का निवेदन करते हैं।

कुल मिलाकर, अधिकांश लोगों और राजनीतिक दलों ने स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में समझा है और सहयोग दिया है। हम आशा करते हैं कि यह भविष्य में भी जारी रहेगा और ऐसी भूलें न की जाएं जो हम सभी के लिए चिंता का विषय बने।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह बहुत निराशाजनक है तथा मणिपुर की जनता और नार्थ-ईस्ट की जनता की भावनाओं पर मलहम लगाने के बजाए, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां की जनता को दवाइयां मिलने में कठिनाइयां नहीं आ रही हैं, तथा दूसरी दिक्कतें नहीं आ रही हैं, असत्य है। एक एलपीजी का सिलेंडर वहां 700 रुपये में, एक लीटर पेट्रोल 70 रुपये में और एक लीटर मिट्टी का तेल 40 रुपये में मिल रहा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जियां वहां मिल नहीं रही हैं, दवाइयां अस्पतालों में नहीं हैं और लोग बिना दवाइयों के मर रहे हैं और लगातार 44 दिनों से यह हो रहा है।

अध्यक्ष जी, इससे गंभीर बात क्या होगी कि माननीय मंत्री जी ने आर्डर दे दिया कि ब्लाकेड हटाया जाए। वहां पर 44 दिनों से ब्लाकेड चल रहा है और लगातार 44 दिनों से लोग इस कठिनाई में पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 44 दिनों में ब्लाकेड को हटाने के लिए क्या किया गया? यह सब 19 जून से शुरू हुआ लेकिन क्यों शुरू हुआ? 19 जून से इसलिए शुरू हुआ कि 18 जून को वहां पर मणिपुर इंटेग्रिटी-डे मनाया जाता है और हर साल उसके एक दिन पहले कहा जाता है कि छुट्टी होगी। लेकिन इस बार चार जून को ही घोषणा कर दी कि 18 जून को छुट्टी रहेगी। इसका व्यापक असर हुआ। वहां के मुख्यमंत्री ने इस बार 4 जून को क्यों घोषणा की, इससे पहले तो कभी इतने दिनों पहले घोषणा नहीं हुई थी। नागालैंड के लोग जो ब्लाकेड चाहते थे उन्हें तैयारी का मौका दिया गया और 19 जून से ब्लाकेड शुरू किया गया। न तो मणिपुर की सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने इसके हल के लिए कोई कदम उठाया। पन्द्रह जुलाई को चीफ-सैक्रेट्री मीटिंग कर रहे हैं। इन 44 दिनों में क्या गृह मंत्री वहां गये, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गये, उनकी अध्यक्षा वहां गयीं? क्या मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हाई-वे नम्बर 39 बंद है, हाई-वे नम्बर 53 या दूसरे हाई-वे के पुल उड़ा दिये गये और कोई वहां जा नहीं पाया। हाई-कोर्ट ने 27 जुलाई को आर्डर करते हुए कहा कि

[अनुवाद]

"यह नाकेबंदी अवैध, असंवैधानिक है", आर्थिक नाकेबन्दी को हटाने के लिए कानून के तहत तुरंत सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार को निदेश दिए जाएं।

[हिन्दी]

27 जुलाई के आर्डर के बाद 6 दिन और बीत गये, उसके बीच में क्या हुआ? नागालैंड के लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं और आपने सीज-फायर 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। क्या 6 महीने सीज-फायर एक्सटेंड करने से पहले आपने बातचीत की कि ब्लाकेड हटाया जाए। जिस तरह से यहां पर कालिंग-अटेंशन को केजुअली लिया गया है। उसी तरह से मणिपुर की स्थिति को केजुअली लिया जा रहा है।

[अनुवाद]

मणिपुर में लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार कानून का शासन लागू करने के अपने

उत्तरदायित्व के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं है अथवा उन्होंने मुट्ठीभर आन्दोलनकारियों की शक्ति के समक्ष अपने सांविधानिक अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को बंधक बना दिया है।

[हिन्दी]

वहां आपने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया कि थोड़े से लोग मिलकर के सारे हिंदुस्तान की माइट को खत्म कर दें और 44 दिनों तक ब्लाकेड करते चले जाएं। ऐसी हालत किसी और जगह की होती, किसी और देश में होती या दिल्ली के आसपास ऐसा हुआ होता, तो क्या आप इसे 44 दिनों तक टालरेट करते? आपने उस पर कोई कार्यवाई नहीं की है और परिस्थितियां बिगड़ती गईं। इसके बहुत ही भयंकर परिणाम सामने आने वाले हैं। मुझे मालूम है कि मणिपुर में बहुत दिनों से एजीटेशन हो रहे हैं। वहां पर महिलाओं ने नग्न होकर एजीटेशन किया। एक व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया। यह झगड़ा नागालैंड और मणिपुर का है। हम जानते हैं कि नागालैंड की परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, परंतु बातचीत करके इस मामले को सुलझाने की जरूरत थी। जो जनाक्रोश है और जनता का गुस्सा है, वह अब पृथकतावाद में बदलता जा रहा है। वहां पर अब हिंदुस्तान से आजाद होने की बात की जा रही है। नागालैंड भी हिंदुस्तान से अलग होने की बात करता है। इस पृथकतावाद को बढ़ावा कौन दे रहा है?*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इस भाग को अलग नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं सच्चाई बता रहा हूं। *...(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। *...(व्यवधान)*

श्री सलीम (कोलकाता-उत्तर पूर्व): महोदय, वह आरोप लगा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं यह बात पहले ही कह चुका हूं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इस बात को चाहे निकाल दें, पर कोई व्यक्ति वहां पर सुरक्षित नहीं है, कोई पोलिटिशियन नहीं है और कोई एमएलए नहीं है। सब मजबूर हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उनकी मजबूरी है। सभी आतंकवादियों के सामने घुटने टेक रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे हालात वहां पैदा हो गए हैं। हमें बहुत निराशा हुई। 44 दिनों के बाद भी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने आदेश दे दिए, हमने आर्डर कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, आज वहां जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, उसमें वहां की सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हुई है।

[अनुवाद]

.....भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यह एक उपयुक्त परिस्थिति है।

[हिन्दी]

अगर वहां पर 44 दिनों तक कोई व्यक्ति इसे नहीं रोक सका और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने बात कर ली है और वह मंत्रिमंडल बना रहे। महोदय, मैं अपनी बात पूरी करने में केवल एक मिनट लूंगा। महोदय, आर्टिकल 356 के तहत मणिपुर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाए।

दूसरी बात, बार्डर रोड आर्गनाइजेशन के ऊपर सभी रोड्स और पुलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर और अधिक सैनिक बल भेजने की भी आवश्यकता है। आयल कारपोरेशन और फूड कारपोरेशन से आप कहें कि वे इसे ध्यान में रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यह मामला कोई राजनीतिक प्रश्न नहीं है। बहुत ही भीषण परिस्थितियां आपने पैदा कर दी और इसकी जिम्मेदारी मणिपुर सरकार पर भी है और देश के गृह मंत्री पर भी, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद। अब श्री अजय चक्रवर्ती बोलेंगे। क्या आप अपने स्थान पर हैं?

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): जी हां, महोदय। पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य मणिपुर में अब स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई है क्योंकि पिछले लगभग एक महीने और पन्द्रह दिनों से कुछ नागा विद्रोही संगठनों द्वारा राजमार्ग को बंद करके मणिपुर की आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है जिससे वहां भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम इस हद तक बढ़ गए हैं कि वे आम आदमी की पहुंच और क्षमता से बाहर हो गए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री अजय चक्रवर्ती: कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल 50 रुपये प्रति किलो और डीजल 80 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहे हैं, और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। लोगों को अपूरणीय हानि और क्षति का भी सामना करना पड़ रहा है। उनके पास अपने उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की क्षमता नहीं बची है। जिसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। वहां पर इस प्रकार की स्थिति है, और यह वहां पर कोई नई स्थिति नहीं है। कुछ कारणों से मणिपुर पिछले कुछ वर्षों से लगातार जल रहा है, इसके कारण सब जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अजय चक्रवर्ती: जी हां, महोदय। मैं अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूं।

हमारे विद्वान मित्र, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने मणिपुर में व्याप्त वास्तविक समस्या के विषय में बात नहीं की है। चूंकि चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई है, इसलिए वे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर में एक निर्वाचित सरकार है और वह सरकार अपनी पूर्ण क्षमता से शासन चला रही है। अत:, मैं उनकी राय से पूरी तरह से असहमत हूं।

जब मणिपुर सरकार ने मणिपुर में नाकेबंदी और विद्यमान भयंकर स्थिति के विषय में भारत सरकार को सूचना दी तो मणिपुर सरकार की सूचना के आधार पर भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

अब मैं कुछ अन्य मुद्दों पर आता हूं। मणिपुर की मुख्य समस्या मणिपुर के विखंडन के प्रश्न से जुड़ी हुई है। कुछ नागा विद्रोही मणिपुर को तोड़ना चाहते हैं। क्या यह सत्य है कि एनएससीएन (आईएन) और एनएससीएन (कापलांग) जैसे नागा विद्रोही संगठन और कुछ अन्य नागा विद्रोही संगठन मणिपुर के कुछ जिलों, असम और अरूणाचल प्रदेश के कुछ भागों को शामिल करके एक बड़े 'नागालिम' की मांग कर रहे हैं? यदि यह सत्य है तो इस मामले में भारत सरकार का क्या रवैया अथवा मत है?

तीसरे, पूर्व राजग सरकार ने नागा विद्रोही संगठनों के साथ चर्चा करने के लिए पूर्व गृह सचिव, श्री पद्मनाभैया को वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया था। श्री पद्मनाभैया ने बैंकांक और अन्य स्थानों पर विभिन्न नागा विद्रोही संगठनों से मुलाकात की और उनके साथ चर्चा की थी। इन चर्चाओं का क्या परिणाम रहा है?

अब मैं एक अन्य प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार विभिन्न नागा विद्रोही संगठनों के साथ चर्चा करने के लिए श्री पद्मनाभैया, पूर्व गृह सचिव को वार्ताकार बनाए रखेगी। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं अथवा क्या विभिन्न नागा विद्रोही संगठनों के साथ वार्ता जारी रखने के लिए भारत सरकार ने किसी अन्य व्यक्ति को वार्ताकार के रूप में नियुक्त अथवा मनोनीत किया है?

नागा विद्रोही संगठनों द्वारा की गई आर्थिक नाकेबंदी के कारण पिछले 15 दिनों के दौरान मणिपुर को कितनी वास्तविक आर्थिक हानि उठानी पड़ी है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मणिपुर के लोगों को हवाई जहाज या अन्य किसी तरीके से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने कोई तन्त्र विकसित किया है।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार मणिपुर को कोई वित्तीय अनुदान अथवा सहायता दे रही है और क्या इस भयंकर स्थिति का सामना करने के लिए सड़कों, राजमार्गों आदि के निर्माण सहित मणिपुर को कोई अन्य मदद अथवा सहायता दी जा रही है। मणिपुर में एक लोकप्रिय और निर्वाचित सरकार काम कर रही है।

[हिन्दी]

श्री धावरचंद गेहलोत (शाजापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे अन्य माननीय सदस्यों की तुलना में एक मिनट ज्यादा बोलने के लिए समय देंगे तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय: आपने एक मिनट ले लिया है। आप अपना भाषण शुरू करें।

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर गया था। हम चार सांसद इस विषय की जानकारी के लिए मणिपुर गए थे। मैं निरन्तर डेढ़ वर्षों से मणिपुर आता-जाता रहता हूं। गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें अत्यधिक असत्यता है। उन्होंने कहा है कि 15 जुलाई को केन्द्रीय गृह सचिव और वहां के राज्य के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी। इस प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि मीटिंग हुई है तो कहां हुई, उसमें कौन-कौन से लोग सम्मिलित थे, क्या-क्या निर्णय हुए और उन पर क्या अमल हुआ? मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहात हूं कि वहां की कांग्रेस सरकार इनसर्जेंट्स से मिली है। उसकी आतंकवादियों से मिलीभगत है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, यह ठीक नहीं है। कृपया इसकी अनुमति न दें।

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी इस पर कार्यवाही करेंगे। आप इस विषय में चिन्तित क्यों हैं?

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: इसी कारण से 45 दिन से आर्थिक अवरोध पैदा हुआ और अभी भी चल रहा है। दु:ख की बात यह है कि इन 45 दिनों में वहां की सरकार ने आंदोलनकारियों से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की और न ही कानूनी प्रावधानों का प्रयोग करते हुए उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की। हम चीफ सेक्रेट्री से मिले, हम गवर्नर साहब से मिले। हम चीफ मिनिस्टर से मिले उन्होंने कहा कि हमने तीन बार पत्र लिखें हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि जो चार नागा बहुल जिले हैं, के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं और मणिपुर से बाहर किसी राज्य में जाकर करना चाहें तो भी हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, इस पर सरकार नतमस्तक हो गई और कोई चर्चा नहीं कर पा रही है। वहां डीजल और पेट्रोल पम्प 99.99 प्रतिशत बंद हैं। मेरी जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार का जो आईबी है, उसने केन्द्र सरकार के पास रिपोर्ट भेजी है कि *...

अध्यक्ष महोदय: इसे रिकार्ड से निकाल दीजिए.

...(व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, चाहे आप इसको कार्रवाई से निकाल दें लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह आईबी की रिपोर्ट देखें। अगर मेरी बात में सत्यता हो, तो उस पर कार्रवाई करें अन्यथा मुझे सूचना दे दें मैं उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांग लूंगा। मैं इस अवसर पर यह कहने के लिए तैयार हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके बारे में हमने कुछ नहीं बोला।

...(व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत: आपने कहा कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक या दो बातों को रिकार्ड से निकाल दिया है, क्योंकि इस तरह की बात इस माफिक नहीं चलती।

...(व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत: हाईकोर्ट में *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने हमें नोटिस दिया है। आप थोड़ा रूल को ध्यान में रखें।

...(व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट में *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इतनी आसानी से आरोप नहीं लगा सकते। हम आपको थोड़ी मदद भी देते हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: मैं कह रहा था कि यह आईबी की रिपोर्ट है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह आईबी की रिपोर्ट है, मैं एलीगेशन नहीं लगा रहा हूं। आईबी की रिपोर्ट की आप जांच करवा लें, इससे पहले भी *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप आगे बोलिए, आप एक ही बात बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री थावरचंद गेहलोत: इससे पहले भी वहां की कांट्रेक्टर आफ द एसोसिएशन ने रिट दायर की थी और रिट दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निदेश दिया था कि इस संबंध में कार्रवाई करें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, 27 जुलाई को हाईकोर्ट ने निदेश दिए कि यहां आर्थिक अवरोध को तुरंत रोका जाए और वह सब कार्रवाई करें जिसका नियम में प्रावधान है। परंतु वहां की सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट के निदेश पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है और कब करेंगे?

अंत में, एक बात और कहना चाहता हूं कि राज्य में तीन राजमार्ग हैं, राजमार्ग क्रमांक 39 को पूरी तरह से रोक रखा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

सभा में यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 पर बाधाएं पहुंचाई गई हैं और इसके साथ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 150 को अपग्रेड करके उसे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत: क्योंकि वृहत् नागालैंड की बात लंबे समय से चल रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा मणिपुर के संबंध में नहीं है।

[अनुवाद]

श्री थावरचंद गेहलोत: महोदय, केन्द्र सरकार की दुलमुल नीति के कारण मुहवई साहब को आश्वासन दिया गया, उनकी कैसेट चल रही है, समाचार चल रहे हैं, उसके कारण भारी असंतोष है और जनता में भय और व्याप्त आक्रोश है। आप इस बात को भी स्पष्ट करें कि मुहवई साहब, एसएनई का जो संगठन है, उसके साथ क्या चर्चा हुई, कौन-कौन से समझौते हो गए हैं, इस स्थिति को स्पष्ट करें ताकि मणिपुर के लोगों में जो भय है, वह समाप्त हो, वहां के लोगों का जनजीवन सामान्य हो सके और आवश्यक वस्तुएं शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन, क्या यह समय प्रश्न पूछने के लिए है? आप सब लोग बहस करते हैं। आधे घंटे में कालिंग अटेंशन खत्म होना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मणिपुर में स्थिति अत्यंत संवेदनशील है। गृह मंत्री जी ने कहा कि वह नहीं आ सके, इसके लिए क्षमाप्रार्थी हैं। मैं सबसे पहले एतराज दर्ज कराना चाहता हूं कि हमें गृह मंत्री जी का वक्तव्य नहीं मिला, वक्तव्य मिला तो अंग्रेजी में मिला। हमारा अंग्रेजी का ज्ञान थोड़ा कमजोर है, अगर हिंदी में मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। वक्तव्य दोनों भाषाओं में मिलना चाहिए था, वह उपलब्ध नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चूंकि उन्होंने माफी मांग ली है, हमें उसे सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। यह प्रतिदिन नहीं होता, यह केवल आज हुआ है। हम उन्हें निर्दोष नहीं ठहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

मणिपुर में नाकाबंदी का जिक्र हमारे दूसरे सहयोगियों ने भी किया है।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां संघीय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच में काम का बंटवारा है। मैं उन शक्तियों के बारे में जानता हूं लेकिन यह मामला इतना पेचीदा और संवेदनशील है कि केवल राज्य सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। वहां के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 और 53 पूरी तरह से अवरुद्ध किये गये जिससे लोग बेहद परेशान हैं। रोजमर्रा की चीजों के दाम काफी ऊंचे चले गये हैं कि वे भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी गई। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे बातचीत के माध्यम से हल न किया जा सके। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, जो बातचीत करने की प्रक्रिया चल रही है, उसका हम स्वागत करते हैं। यह प्रक्रिया पिछले 1997 से चल रही है और वार्ता के 41 दौर हो चुके हैं। वृहद नागालैंड की समस्या के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर में तनाव होता है। क्या बात आगे बढ़ रही है। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स के अध्यक्ष श्री ओस्कार फर्नान्डीज हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट की क्या प्रगति हुई है, उसकी क्या संभावना है, इस बारे में गृह मंत्री जी बतायें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आगे और अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और श्री थावरचंद गेहलोत ने जो बात कही है, मैं उसका राजीतिकरण नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इन लोगों ने समस्या हल करने की अपनी तरफ से कोशिश की। उस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, जब श्री टी.बी. मुइवा के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट था, उसे हिन्दुस्तान का पासपोर्ट दिया गया था, वह एक प्रयास था। मैं समझता हूं कि किसी तरह समस्या का हल निकले लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यथावत है कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिये।

श्री रामजीलाल सुमन: वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में कोई अलगाववादी कैम्प नहीं चल रहे हैं लेकिन ऐसे चार जिले आइडैंटिफाई किये गये हैं, जहां अलगाववादी कैम्प चल रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ग्रुप आप मिनिस्टर्स की जो कमेटी बनी है और उन लोगों के साथ जो 41 वार्ता के दौर हुये हैं, उसके क्या अपेक्षित परिणाम निकले हैं और समस्या का हल निकालने के लिये सरकार के कदम कितने आगे बढ़े हैं? राज्य सरकार ने जो जानकारी उपलब्ध कराई, माननीय गृह मंत्री जी ने उसे यहां पढ़ दिया है, लेकिन अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा। वहां रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि 15 जुलाई को बुलाकर उन से बातचीत की गई लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उस वार्ता का क्या हल निकला, क्या सरकार सार्थक प्रयास कर रही है, यदि हां, तो लोगों की परेशानी दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाये जाने की बात की जा रही है? वे क्या हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुझे इस सभा के माननीय वरिष्ठ सदस्यों को भी नियम स्मरण कराने पड़ते हैं। नियमों में यह कहा गया है:-

> "ऐसे बयान दिए जाते समय उन पर कोई वाद-विवाद नहीं किया जाएगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य, कार्य सूची में जिसके नाम के सामने वह मद दी गई है, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण देने वाला कोई प्रश्न पूछ सकता है।"

अब श्री रूपचंद पाल बोलेंगे।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, 44 दिनों की लगातार आर्थिक नाकेबंदी को देखते हुए आप मणिपुर के लोगों के सामने आ रही अत्यधिक कठिनाइयों और अमानवीय वेदनाओं का अनुमान लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रूपचंद पाल: हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ गृह सचिव की बैठक कराने में केन्द्र सरकार ने एक महीने का समय लिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गृह सचिव शीघ्र ही इस क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं। केवल कल कुछ सकारात्मक कार्यवाहियां हुई हैं। मणिपुर सरकार और एएनएसएएम के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई और कुछ सकारात्मक और उत्साहवर्धक कार्यवाहियां हुई हैं।

भारत से एक समुचित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् गृह सचिव वहां तत्काल पहुंचकर उन्हें उचित परामर्श क्यों नहीं दे रहे

[श्री रूपचन्द पाल]

हैं? बहुत सी संवेदनशील बाते हैं। उनमें से एक जातीय समस्या के बारे में है। अन्य समस्या वैकल्पिक मार्गों से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग-39 अवरुद्ध है, राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर विद्रोह की समस्या है। ऐसी स्थिति में गृह सचिव समुचित जानकारी के साथ तीन राज्यों और नागा छात्र यूनियन के बीच जारी वार्ता में तत्काल शामिल क्यों नहीं होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, नियमों के अनुसार, बैलट में पांच सदस्यों के नाम आए और उन नामों का उल्लेख किया गया है। परन्तु यह एक संवेदनशील मुद्दा होने के कारण, मैं सोचता हूं कि बिना कोई परंपरा स्थापित किए एक विशेष मामले के रूप में मैं मणिपुर से एक माननीय सांसद डा. टोकचोम मैन्या को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा। कोई भाषण नहीं, केवल एक संगत प्रश्न पूछिए। कोई भाषण नहीं दीजिए।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): धन्यवाद, महोदय, यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों का सम्मान करते हुए, मैं प्रश्नों को रखने से पहले यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह मुद्दा सबसे पहले पिछले माह की 26 तारीख को 'शून्यकाल' में उठाया था और दुबारा यह मुद्दा पिछले माह की 28 तारीख को नियम 377 के अधीन मामले के तहत उठाया था।

सरकार इस संबंध में राज्य सरकार की बड़ी ही समझदारी से मदद कर रही है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। मणिपुर सरकार और आल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) ने वार्ता शुरू कर दी है। शुरू में मैं अपने माननीय सदस्य जिन्होंने ध्यानाकर्षण को प्रस्तुत किया है, द्वारा लगाये गये आरोपों का खंडन करना चाहता हूं कि मणिपुर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिये सही मामला (जगह) है। मैं उनके आरोप से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: खंडन करना माननीय मंत्री के ऊपर है।

डा. टोकचोम मैन्या: जी हां, महोदय। मैं वहां की स्थिति के बारे में जानता हूं चूंकि मैं इस सभा का सदस्य बनने से पहले मणिपुर में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील मोर्चा सरकार से मंत्री था। हम तीन वर्ष से अधिक समय से इस धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील मोर्चा सरकार को चला रहे हैं। आपकी सूचना हेतु यह आज तक मणिपुर में सबसे लम्बी, लगातार चलने वाली सरकार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ प्रश्नों, जिन्हें मैंने पहले उठाया था को रखना चाहता हूं।

हम यह जानते हैं कि मणिपुर के पास एक माह से अधिक समय के लिये आवश्यक वस्तुओं के भण्डारण की क्षमता है। मणिपुर नाकेबन्दी आदि के कारण कई वर्षों से समस्याओं का सामना कर रहा है चूंकि मणिपुर के पास केवल दो लाइफलाइन्स हैं। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए मेरे ख्याल से भारत सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिये। यह मेरा अनुरोध है। एक माह की आवश्यक वस्तुओं का हमारे राज्य में भण्डारण किया जा सकता है। हम इस प्रकार की स्थितियों में उपयोग हेतु पर्याप्त खाद्यान्न, आवश्यक वस्तुयें और दवाइयों को कब रखने जा रहे हैं?

अगली बात मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल को बनाने के संबंध में है क्योंकि मणिपुर में केवल दो लाइफलाइन्स हैं। एक बार उन्हें अलग कर दिया जाता है तो हम कहां खड़े हो पाते हैं। यहां पर कोई भी संयोजकता नहीं है। इसलिये, मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार कब मणिपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सुरक्षा बल बनाने जा रही है।

अंत में, हम मणिपुर और नागालैंड के मुद्दे के संबंध में भारत सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के बीच वार्ता में मणिपुर के प्रतिनिधियों को शामिल क्यों नहीं करते हैं?

अध्यक्ष महोदय: श्री कोन्यक वांग्यू। कृपया केवल प्रश्न पूछिये; कोई भूमिका मत दीजिये।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैंड): शुरू में मैं केवल कुछ शब्द कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल प्रश्न पूछिये।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: तब मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। आपका नाम यहां पर नहीं है। जब मैं कुछ कह रहा हूं तो आप मेरा खंडन कर रहे हैं।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ शब्द कहने की अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैंने यह कहा है कि केवल दो प्रश्न पूछिये।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: मेरे पास कुछ प्रश्न नहीं हैं। मेरे पास केवल कुछ सुझाव हैं। जबकि यह नाकेबन्दी हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आप जायें और माननीय गृह मंत्री से मिलें।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: यह भूमिगत द्वारा नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब मैं आपको रोकूंगा; मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं?

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: मेरे पास प्रश्न नहीं है। मैं सुझाव दूंगा।

मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। मणिपुर आर्थिक नाकेबन्दी का मणिपुर में नागालैंड विद्यार्थी संघ द्वारा नेतृत्व किया गया है न कि किसी भूमिगत संगठन द्वारा जैसा कि श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा बताया गया है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह पिछले 44 दिनों से जारी है। परन्तु केन्द्रीय सरकार चुप है। मैंने आल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) के नेता को मणिपुर जाने के लिये कहा था। परन्तु यहां पर जबरदस्त खींच-तान है। मुझे माननीय गृह मंत्री के हित हेतु कहने दीजिये कि मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री ने इंफाल में आल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) के नेताओं को बुलाया है। उन्होंने इम्फाल जाने के लिये मना कर दिया। तब आल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) के नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री से चूराचांदपुर आने के लिये अनुरोध किया। माननीय मुख्यमंत्री ने वहां जाने के लिये मना कर दिया। अत:, मणिपुर के लोग अकेले ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके बीच जबरदस्त खींच-तान है। माननीय मुख्यमंत्री ने आल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) के नेताओं से कई बार अनुरोध किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समस्या यह है। आप अध्यक्ष के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। आप हस्तक्षेप करने के लिये कहे जाने हेतु पात्र नहीं थे परन्तु मैंने आपको अनुमति दी। अब आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक: मैं माननीय गृह मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि यदि भारत सरकार इस मुद्दे के समाधान हेतु इतनी गंभीर है तब माननीय गृह मंत्री को दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री और आल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन आफ मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) के नेताओं को बुलाना चाहिये और यहां पर इस मामले को सुलझा लेना चाहिये और इस समस्या का समाधान करना चाहिये। अन्यथा, स्थिति इस तरह जारी रहेगी और यह एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहेगी।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग हेतु धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, इस चर्चा में कुछ मुद्दे उठाए गए हैं और उनके संबंध में मैं अपने उत्तर में कुछ कहना चाहूंगा। पहला मुद्दा यह है कि क्या वहां की सरकार एएनएसएएम के लोगों के साथ बातचीत कर रही है। यहां पर इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मणिपुर, नागालैंड और असम के मुख्यमंत्री आए थे। हमने उनको उस समय भी कहा था कि वे एक दूसरे के साथ बात करें और ये जो मसले वहां पर पैदा हो रहे हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। इंटर स्टेट काउंसिल की बैठक इसीलिए बुलाई जाती है। उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री को सूचित किया गया था कि एएनएसएएम के लोगों के साथ बात करें। वहां के राज्यपाल के साथ भी हमारी बातचीत होती रही। उनकी रिपोर्ट हमारे पास आती रही। हमारे होम सैक्रेटरी शुरू से ही वहां के चीफ सैक्रेटरी, होम सैक्रेटरी और डीजी के साथ बातचीत कर रहे थे और सूचित कर रहे थे जो कदम अवश्य उठाने चाहिए, उनमें जो लोग इस प्रकार से नाराज होकर या किसी दूसरी वजह से ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करें। उनको बातचीत के लिए न्यौता दिया गया था मगर वह बातचीत कल तक नहीं हो सकी थी। वह न्यौता जब दिया गया तो उन बच्चों ने कहा कि मुख्यमंत्री सेनापति जाएं या कहीं और जाकर बात करें। मुख्यमंत्री कहीं भी जा सकते हैं और जाएंगे भी, लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री अगर एक-एक सिचुएशन के लिए दूसरी तरफ गए तो दूसरी जगह की जो सिचुएशन है और यह जो काम होता है, उसके ऊपर उसका असर होता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि इम्फाल में आने के बाद हम आपसे बात करेंगे। हमने उनको फिर सूचित किया था कि अगर मुख्यमंत्री नहीं जा सकते हैं तो उनके मंत्री या दूसरे कोई प्रतिनिधि वहां पर जाएं और उन बच्चों के साथ बातचीत करें। वे बच्चे यहां पर भी आए थे और मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं मगर मुख्यमंत्री को आप भेज दीजिए। मैंने उनको समझाकर कहा था कि मुख्यमंत्री को भेजना जरूरी है तो हम जरूर भेजेंगे, मगर आप उसके आड़े न आएं। आप भी वहां पर जा सकते हैं। वहां जाने में कोई दिक्कत है तो सुविधा दी जा सकती है। इस प्रकार से चर्चा हुई और कल वे बच्चे सेनापति चले गए और मुख्यमंत्री कैं तौर से उनके दूसरे मंत्री भी चले गए और उनकी वहां पर बातचीत हुई।

जो नोट हमने आपके पास भेजा था, उसे विड्रा करके, दूसरा नोट हम आपके पास भेजने वाले थे। जब यह मामला यहां पर उठा है, तो पूरे देश के अंदर यह बात बतायी जाएगी कि गृह मंत्री यहां नहीं थे। हम इसी बात की चर्चा अपने चैम्बर में बैठे हुए कर रहे थे। यह जो हो रहा है, मुझे बताया गया कि वे बच्चे उस पर खुश हैं और उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम आपकी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

मदद करेंगे। हमें बताया गया कि इस चर्चा का फल यह होगा कि जो ब्लौकेड हैं, उनको सैटल करके, वहां की स्थिति को सामान्य किया जाए। उनके साथ बात करते हुए, जब यह ब्लौकेड चल रहा था, वे हमेशा कहते रहते थे और आजकल के जमाने में रोजाना एक बार नहीं दो-तीन बार बातें की गई हैं—राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और गृह सचिव से हमारे अधिकारियों ने बात की है। मैंने खुद भी उनके साथ बात की है। उनको यही बताया गया कि किसी प्रकार की कमी वहां उन्हें महसूस न हो, यह देखना सरकार का कर्त्तव्य है, प्रान्त की सरकार का कर्त्तव्य है। केन्द्र सरकार उसमें मदद करेगी। उसे देखना हमारा भी कर्त्तव्य है। उसे आप भी देखें और कुछ रास्ता निकालें। उन्होंने रास्ता निकाला कि पहले जो मूवमेंट नेशनल हाईवे-39 पर हो रही थी, उसके मुकाबले नेशनल हाईवे-53 पर मूवमेंट करना आसान था और हमने उन्हें बताया था कि नेशनल हाईवे-39 से मूवमेंट करने की बजाय, आप नेशनल हाईवे-53 से मूवमेंट करें, क्योंकि नेशनल हाईवे-53 के पुल कमजोर हैं और वह रास्ता भी अच्छा नहीं है। हमें ट्रकों के द्वारा कम सामान भेजना जरूरी था, क्योंकि पुल उसका वजन नहीं उठा सकते थे। वह काम वहां शुरू हो गया था। हमने यहां बैठकर बात की थी, कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात की थी और उनके अफसरों को बताया कि वहां सबसे ज्यादा कमी पेट्रोल और कुकिंग गैस की है, उसकी पूर्ति करने की आवश्यकता है। एक सुझाव दिया गया कि सौ-दो सौ ट्रक भेजे जाएंगे, उनको एस्कोर्ट दिया जाएगा और वहां दीमापुर से या दूसरी किसी जगह से सामान को भेजा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है। राज्य सरकार के पास हमारे आर्मी के ब्रिगेड्स हैं, हमारी पैरामिलिटरी की फोर्सिस और आर्म राइफल्स के लोग भी वहां पर हैं और राज्य पुलिस भी वहां पर है। हमने उनसे यही कहा था कि आपको उसका उपयोग समझ कर करना चाहिए क्योंकि वे बच्चे आपके ही हैं। वे कहीं माल ले जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो ऐसा पूरी तरह से न हो, इसे आप देखें। आप इसका समझ कर उपयोग कीजिए और इसके लिए जब कभी सवाल पैदा होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट का सवाल पैदा होता है, राज्य का सवाल पैदा होता है, उसकी चर्चा के लिए यहां आता है, अगर वह रूल में नहीं हो और चर्चा के लिए आपने उस मुद्दे को उठाया तो हम कभी नहीं कहते कि उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। मगर जब चर्चा के लिए सवाल उठता है तो ऐसा मान कर चला जाता है कि डिस्ट्रिक्ट या प्रांत का काम हो, उसे केंद्र सरकार को ही करना है। अगर मैं यूपी में जाना चाहता हूं तो यूपी की सरकार कहती है कि तुम क्यों आना चाहते हो, अगर मैंने गुजरात में जाना चाहा तो गुजरात की सरकार कहती है कि आप क्यों आए और हम दूसरी तरफ जाना चाहेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आप वहां क्यों नहीं गए। हम लोगों को यह देखना है कि वहां की जो सरकार है, उनकी हमें मदद करनी है और मदद करने का काम हम उनको आर्मी दे कर, पैरामिलटरी फोर्सिस देकर, उनको राय दे कर, उनको माल दे कर, उनको आयल दे कर, उन्हें फूडग्रेंस देकर, उनको दवाएं देकर, हम उनकी मदद करने के लिए बाध्य हैं और हम जरूर करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या आपको वहां की सरकार ने मना किया था कि आप वहां पर मत आइए?

[अनुवाद]

क्या उन्होंने यह कहा था: "वहां पर मत आइए"?

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कह रहा था कि सवाल यह पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए? हमसे सेक्रेटरी ने भी बात कही कि आप जल्दी क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं आपको और सम्मानीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों में से एक सदस्य ने कहा "माननीय गृह सचिव वहां पर समय पर क्यों नहीं गए?"

मैं आपको बताऊंगा कि उनके लिये तुरंत ही वहां पर जाना क्यों संभव नहीं था। इसका कारण यह है कि क्योंकि देश में काफी कुछ हो रहा है। कई राज्य हैं जहां बाढ़ आई हुई है। कई काम किये जाने हैं। यदि वे वहां पर जाते हैं तब वे यहां पर उपलब्ध नहीं हैं। इसलिये उन्हें यहां पर होना चाहिये। मुख्य व्यक्ति को वहां पर होना चाहिये ताकि वह समन्वय बना सके। प्रशासन के इस साधारण सिद्धान्त को इस सभा के माननीय विद्वान सदस्यों द्वारा समझा जाना चाहिये। इससे हमें मदद मिलेगी। यदि मैं माननीय गृह सचिव से वहां पर जाने के लिये कहता हूं और वे उपलब्ध नहीं हैं। तब वे समन्वय करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इन दिनों हमारे पास संचार सुविधायें हैं। यदि आप देश के किसी हिस्से में किसी भी व्यक्ति से किसी भी क्षण बात करना चाहते हैं तो यह कठिन नहीं है। परन्तु हमें प्रशासन के ये साधारण और मूल तथ्य समझने चाहिए।

राज्य सरकार की अनुपस्थिति में भारत सरकार के पास अधिकार होगा। परन्तु जब राज्य सरकार वहां पर होती है तो यह मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी होती है और राज्य सरकार के माध्यम से हम लोगों की मदद करते हैं। हम लोगों की मदद करते हैं और हम निश्चय ही इस संबंध में लोगों की मदद करेंगे। इसके बारे में कोई संदेह नहीं होने दीजिये। फिर भी मैं सभा में यह वायदा कर रहा हूं कि हम देखेंगे कि मणिपुर में अथवा उस मामले हेतु नागालैंड

में अथवा किसी अन्य राज्य में लोगों को कठिनाई नहीं होगी। हम यह देखेंगे कि उन्हें कोई कठिनाई न हो। अब, हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा इसके संबंध में मैं विस्तारपूर्वक ब्यौरा नहीं दे सकता हूं। हम यथासंभव प्रयास करेंगे। यदि सामान भेजना पड़ेगा तो हम यह भी करेंगे। यदि पड़ोसी राज्यों से सामान भेजना पड़ेगा तो हम यह भी करेंगे। जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हम करेंगे। परन्तु प्रथम अवसर राज्य सरकार को प्रबंधन हेतु दिया जायेगा। यदि यह उनके लिये संभव नहीं है तो हम अवश्य ही इसे यहां से करेंगे।

महोदय, इस मुद्दे पर चर्चा करते हुये अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक और मुद्दा उठाया गया है। यद्यपि, यह बहुत प्रसंगानुकूल नहीं है, जैसा कि इस मुद्दे को उठाया गया है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस वार्ता में क्या हुआ है जो मंत्रियों के समूह और श्री पद्मनाभैया, जो श्री मुईवा के साथ कार्यवाहक संभाषक हैं, के बीच चल रही थी। उन्होंने यहां चर्चा की। उन्होंने बाहर भी चर्चा की। मौजूदा शांति समझौता, जो अब समाप्त होने वाला था, को छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले पर अपने नागालैंड के साथियों से भी चर्चा करेंगे। उसे भी छह माह तक और बढ़ाया जाना है। मैं इन सब मुद्दों की गहराई में नहीं जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि इस प्रकार की चर्चाएं करना कितनी मुश्किल होती है; हम सभी जानते हैं कि तब क्या-क्या हुआ था, जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्ता में था। हमने सभा में सरकार की आलोचना नहीं की थी। उस समय, विधान सभा को भड़का दिया गया था। आपको वह नहीं भूलना चाहिए। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि ये नाजुक मसले होते हैं। जब हम इस तरह के मामलों से नाजुक ढंग से निपटने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी भावप्रवणता अथवा संवेदनशीलता को चोट नहीं पहुंचा रहे होते हैं। हम इससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं और संयोगवश, हमें आपसे आलोचना और सहयोग भी मिल रहा है। जब आप आलोचना करते हैं, तो आप प्रचार के लिए आलोचना करते हैं। लेकिन कहीं अन्दर ही अन्दर, आप हमारे साथ सहयोग कर रहे होते हैं ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह बहुत आपत्तिजनक है। हम गंभीरतापूर्वक आलोचना करते हैं, प्रचार के लिए नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, वह यह वाक्य को सहन तक नहीं कर पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर विवाद नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये। सलाह देने वाले यहां बहुत हैं। वह पहले ही बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, वे बहुत अच्छे विधायक हैं। वे जानते हैं कि आलोचना कैसे की जाती है; वे जानते हैं कि सहयोग कैसे किया जाता है। वे इस ढंग से सहयोग करते हैं कि इससे हमें सहायता मिलती है। हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। लेकिन आलोचना, वह तो उन्हें करनी ही है क्योंकि उन्होंने यह बताता है कि वे विपक्ष में बैठे हैं और हम बुरा नहीं मानते कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने सरकार भंग करने के लिए कह कर भी सहयोग किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाएं। आपको अवसर दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे इस सभा में एक निवेदन करना है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जनजातियां रहती हैं। जिनको कभी-कभी संघर्ष और कठिनाईयां झेलनी पड़ती हैं। उनकी अपनी समस्याएं और मुद्दे हैं। यहां से हमें वहां रहने वाली सभी जनजातियों के लोगों की समस्याओं और मुद्दों को समझना होगा। हमें इस तरह से व्यवहार करना होगा कि हम उनकी कठिनाईयों और उनके बीच के फर्क को कम कर सके और वे बढ़ने न पाएं। बिल्कुल यही हम कर रहे हैं।

जब हम इस तरह से काम करते हैं तो परिणाम तत्काल प्राप्त करना कठिन हो जाता है। अब, हमें इस ढंग से करना होगा कि यह मुश्किल न हो। बिल्कुल यही दिल्ली की सरकारें करती रही हैं; हम यही कर रहे हैं और करते रहेंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह इस तरह की भीषण परिस्थिति है, यह जवाब उसके मुताबिक नहीं है। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम इनके जवाब के प्रोटैस्ट में सदन का बहिष्कार करते हैं।

अपराह्न 1.15 बजे

(इस समय प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, सभा से बाहर चले जाना भी माननीय सदस्य का अधिकार है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई भोजनावकाश नहीं है; और अब हम ''तत्काल मामले'' लेना शुरू करेंगे। अब श्री अनवर हुसैन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बुलाऊंगा। आपका नाम पुकारा जाएगा। कृपया बैठ जाएं।

अपराह्न 1.16 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री अनवर हुसैन (धूबरी): धन्यवाद, महोदय, मैं दिनांक 2.8.2005 को धूबरी में सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा किए गए एक अन्य गलत काम और एक अपराध की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, पिछले दो अवसरों पर एक ज्ञापन के जरिए मैंने माननीय गृह मंत्री का ध्यान भारत-बांगलादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के कुछ कर्मियों के गलत कृत्यों की ओर आकर्षित किया था। एक अन्य अवसर पर, शिलांग में पूर्वोत्तर के संसद सदस्यों की बैठक में मैंने स्पष्ट कहा था और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले सम्माननीय भारतीय नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की मांग की थी।

2 अगस्त को लगभग 8 बजे सीमा सुरक्षा बल के कुछ जवान धूबरी कस्बे में नये घाट पर आए। वे कुछ समूहों में विभक्त हो गए और उन्होंने नए घाट के क्षेत्रों के निवासों में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया। लोगों ने उनके इस अनाधिकार प्रवेश का विरोध किया और उन्होंने 'सर्च वारंट' की मांग भी की थी और एक्सीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के लिए भी कहा था। वे सर्च वारंट नहीं दिखा सके और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। हो-हल्ला मच गया और सारे कस्बे के हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए।

मैं यह नहीं समझ पा रहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवान वहां क्यों गए थे। लेकिन डर के मारे उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, कम-से-कम नौ लोग इस गोलीबारी में जख्मी हुए, जिसमें से दो लोगों को गुवाहाटी मेडिकल कालेज अस्पताल भेजना पड़ा था।

अगले दिन यानी 3 अगस्त को पुलिस उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और सीमा सुरक्षा बल पनबाड़ी के कमाण्डेट की बैठक हुई। जिला प्रशासन यह जानना चाहता था कि सीमा सुरक्षा बल उस क्षेत्र में क्यों गया, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे सके। बल्कि उन्होंने उस क्षेत्र में सी.सु.ब. की मौजूदगी से इंकार किया। जब उनके ऊपर दबाव डाला तो उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल नहीं, सीआरपीएफ के जवानों ने गोलीबारी की शुरूआत की थी।

पिछले अवसरों पर निरपराध लोगों को सताया और पीड़ित किया गया था और मौजूदा मामला उसकी पुनरावृत्ति भर है। महोदय, अब मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से न्यायिक जांच करवाने और पनबाड़ी से पूरी कंपनी को स्थानांतरित करके नई बीएसएफ कंपनी तैनात करने की मांग करता हूं।

मैं माननीय गृह मंत्री से यह भी गारंटी मांगता हूं कि अब से किसी भी नागरिक को सताया नहीं जाएगा अथवा उसका दमन नहीं किया जाएगा। उनको क्षतिपूर्ति भी दी जानी चाहिए। इस शब्दों के साथ मैं उपाध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, आज सुबह मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना नहीं चाहती थी, इसलिए पहले मैंने यह मामला नहीं उठाया। बंगाल में घुसपैठ विनाशकारी हो गई है। आप मतदाता-सूची में बंगलादेशियों और भारतीयों के नाम एक साथ देख सकते हैं। मेरे पास बंगलादेशी और भारतीय मतदाता सूची दोनों हैं। यह बहुत संजीदा मामला है। मैं जानना चाहती हूं कि सभा में इस पर चर्चा कब होगी।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष ने इसके लिए पहले ही इंकार कर दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, आप मुझे बताएं कि इसे अस्वीकार क्यों किया गया है। क्या इसलिए, क्योंकि यह बंगाल में हो रहा है?*...

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह बहुत आपत्तिजनक है। वह अध्यक्ष पर आक्षेप लगा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष द्वारा वह सूचना पहले ही नामंजूर की जा चुकी है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वह सर्वाधिक आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ रिकार्ड नहीं हो रहा है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मेरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस सभा में क्या हो रहा है? क्या आप इन बातों की अनुमति देंगे?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इन सबकी अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है? आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं?

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: महोदया, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, मुझे बतायें कि मेरे संकल्प को नामंजूर क्यों किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकतीं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष के विनिर्णय को चुनौती नहीं दे सकतीं और अध्यक्ष ने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है।

*...(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह अध्यक्षपीठ पर लांछन लगा रही हैं। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, यह पूरी तरह अनुचित है। किसी भी सदस्य को अध्यक्षपीठ पर लांछन लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह अध्यक्षपीठ पर लांछन नहीं लगा सकती। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप जो कुछ कह रही हैं, वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया कौल और शकधर पुस्तक के पृष्ठ 575 को देखें। इसमें लिखा है:

"सहमति देने से इन्कार करना अध्यक्ष का विवेकाधिकार है और वह इसके लिए कारण बताने को बाध्य नहीं है।"

अब आप कृपया बैठ जाएं। मुझे अफसोस है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, यह जरूरी नहीं था कि हम आपको रीजन बताते कि इस वजह से आपका मोशन रिजैक्ट हुआ। फिर भी क्योंकि मुझे बताया गया है, इसलिए मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन यह है कि सिमिलर टापिक पर आडवाणी जी का मोशन आया था और उस पर बहस हो चुकी है। इसलिए स्पीकर साहब ने आपके मोशन को डिसऐलाऊ कर दिया है। आप स्पीकर साहब की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकतीं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: मैं चैलेंज नहीं कर रही हूं। *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: उपाध्यक्ष महोदय, एक सैशन में एक सब्जेक्ट पर एक ही मोशन होता है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: मैं वही विषय नहीं उठा रही हूं। यह एक अलग विषय है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: वह मेरे अधिकार में नहीं है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं कुछ भी नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है कि अगर कार्य स्थगन प्रस्ताव रिजैक्ट भी हो जाता है, तो मैम्बर की बात सुन ली जाती है। *...(व्यवधान)* जितनी देर हाऊस डिस्टर्ब्ड रहा, उतनी देर में तो इन्होंने अपनी बात कह ली होती। *...(व्यवधान)* बंगाल के लोगों ने यहां हंगामा किया हुआ है। आप इनकी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप नयी परम्परा डाल रहे हैं। *...(व्यवधान)* हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस के नियमों के खिलाफ है। *...(व्यवधान)*

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, महिला एम.पी. की बात सुन ली जाये। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं कुछ नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, क्या धमकी से हाउस चलेगा? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वे सभा का समय बर्बाद कर रही हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को आरक्षण देने वाले लोग महिला को बात नहीं करने देते। *...(व्यवधान)* ये लोग उनके लिए आरक्षण की बात तो करते हैं तो लेकिन महिला की बात नहीं सुनते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: यह मुद्दा अलग है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे नियमों के अनुसार कार्यवाही करनी है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने एक नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: मैंने भी एक नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: वह नोटिस अस्वीकार कर दी गई है। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: आपकी पार्टी मुझे अस्वीकार कर सकती है, लेकिन इस सभा में आप मुझे अस्वीकार नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: जिस दिन इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, आप उपस्थित क्यों नहीं थीं? *...(व्यवधान)* आप चर्चा में हिस्सा ले सकती थीं और इस मुद्दे को उठा सकती थीं। *...(व्यवधान)*

कुमारी ममता बनर्जी: आप मुझे निर्देश नहीं दे सकते। मैं भयभीत नहीं हूं *...(व्यवधान)* इस मुद्दे को उठाना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: इस इश्यू पर पहले चार घंटे बहस हो चुकी है। अब आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठेंगी या नहीं?

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रही हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैंने आपसे रिक्वैस्ट की है कि आप बैठेंगी या नहीं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: क्या आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: अमानुल्ला समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। यह प्रस्ताव नामंजूर किया जा चुका है। मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

इस वक्तव मैं आपको एलाऊ नहीं कर सकता क्योंकि स्पीकर साहब ने आपके इश्यू को डिसएलाऊ किया है। इस इश्यू पर पहले चार घंटे बहस हो चुकी है। मुझे आप हाउस की कार्यवाही चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी: यह अलग मुद्दा है। यह बंगाल के घुसपैठ के मुद्दे के बारे में है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बोलना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत गुडे (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को शांत कराइये। ...*(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि मैं आपको बोलने का टाइम दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुडे: उपाध्यक्ष महोदय, ...*(व्यवधान)* जब तक आप हाउस को शांत नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे बोल सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका कब देंगे? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैंने आपको कहा कि आप बैठ जाइए। इनके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मिलिटेंट्स को रीहैबिलिटेट करने के लिए जो सरेंडर पालिसी बनाई गई है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अनंत गुडे जी, आप बैठ जाइए। मैं आपको इनके बाद बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री लाल सिंह का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उसमें एक फरूख इलियास इमरान, लांचिंग कमांडर, हिजबुल मुजाहिद्दीन ने दस लिमिटेंट्स के साथ कठुवा जिले में डीजीपी (जम्मू एंड कश्मीर) के सामने आर्म्स एवं एम्युनिशन के साथ सरेंडर किया। उसके बाद इन लोगों ने इनके थ्रू मिलिटेंट्स को पकड़वाया और मरवाया तथा इनको इस्तेमाल किया। ...*(व्यवधान)* उसके बाद अब सरकार ने इन लोगों का ख्याल रखना बंद कर दिया। फिर इस फरूख के घर पर 6 मिलिटेंट्स आए और उसे कोटी गांव (विलावर तहसील) में गोलियों का निशाना बना दिया। ...*(व्यवधान)* अब इसके बाद मिलिटेंसी उस विशेष जिले लोहाई-मलहार-बनी-विलावर में बढ़नी शुरू हो गई है। ...*(व्यवधान)* कम से कम उसी इलाके के 50 हार्डकोर मिलिटेंट्स ...*(व्यवधान)* हैं, जिससे वहां दहशत का माहौल है और साथ में मैंने वहां पिछले दिनों अपने टूर रखा था तो संबंधित एस.पी. जिला कठुआ ने मुझसे कहा कि यह उनकी मोरल ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं और उन्होंने मुझसे कहा कि वहां मत जाइए। ...*(व्यवधान)* इसका मतलब है कि वहां हालात गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं।

अपराह्न 1.38 बजे

(इस समय कुमारी ममता बनर्जी आईं और सभा पटल के निकट खड़ी हो गईं)

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, इस सभा में जिस तरह से चेयर पर पेपर फेंका गया, उसकी निन्दा करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आज के लिये सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामले के तहत मद संख्या 15 को सभा पटल पर रखा गया माना जायेगा और वह प्रक्रियाओं का भाग होगा।

(एक) अनिवायी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री मधु गौड यास्खी (निजामाबाद): अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भाग है जिससे हम विभिन्न विकासात्मक कार्यकलाप करने हेतु सक्षम होते हैं। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय पूरे संसार में फैले हुए अनेक अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रभावी हुआ है। परन्तु यह देखा जा सकता है कि इस मंत्रालय के गठन के डेढ़ वर्ष पश्चात् भी अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के कारगर निवेश हेतु कोई भी केन्द्रीय प्रणाली नहीं बनाई गई है। सरकार द्वारा अपने मंत्रालय के माध्यम से किसी भी स्पष्ट नीतिगत उपायों की घोषणा नहीं की गई है जिससे इससे संबंधित पहलू स्पष्ट हो सकें तथा अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों हेतु विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करने में सुविधा हो सके। आज तक मंत्रालय द्वारा निवेश अंत: प्रवाह को नियमित करने के लिये कोई भी कार्यविधियां नहीं बनाई गई है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री के पर्यवेक्षण के अंतर्गत एक केंद्रीयकृत व्यवस्था को विदेश मंत्रालय की सहायता से तुरंत ही बनाया जाये। इस प्रकार, इस मंत्रालय को विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत वर्तमान में अनिवासी भारतीयों की विभिन्न जिम्मेदारियों को एक एकल विभाग/मंत्रालय में मिलाते हुए रक्षा-साधन संबंधी संगठन के रूप में कार्य करना चाहिये। यह वास्तव में एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत सफलतापूर्व पर्याप्त कदम उठाने में लम्बे समय तक मददगार हो सकता है जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति अपने मुद्दों से संबंधित प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(दो) दार्जिलिंग में आर्गेनिक माडल फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने तथा इस क्षेत्र को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री डी. भरबुला (दार्जिलिंग): यह पता चला है कि कृषि मंत्रालय ने आर्गेनिक उत्पाद आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने हेतु देश के विभिन्न भागों में आर्गेनिक माडल फार्मिंग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना में 92 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृति की गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दार्जिलिंग जो आर्गेनिक खेती-बाड़ी के लिये प्रसिद्ध है आर्गेनिक माडल फार्मिंग की स्थापना हेतु चिन्हित नहीं किया गया है। इसलिये, मैं इस योजना में दार्जिलिंग को तुरंत शामिल करने और वहां पर आर्गेनिक माडल फार्मिंग स्थापित करने हेतु भारत सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं।

(तीन) शिमला एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश में आउटवार्ड गुड्स शेड के बंद रेलवे गेट को खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान शिमला एक्सटेंशन रेलवे स्टेशन में बने 'आउटवार्ड गुड्स शेड' की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि उसे रेल अधिकारियों ने बंद कर दिया है तथा इस शैड को जाने वाली रेल लाइन को भी उखाड़ दिया है और शेड पर्याप्त पड़ा है। शेड के दूसरी तरफ एक रेलवे गेट है। शैड के आगे 500 मीटर लम्बी सड़क है जो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी एवं सैकेंड्री शिक्षा के निदेशालयों एवं अन्य सरकारी भवनों को जाती हैं। इन भवनों में राज्य सरकार के अनेक कर्मचारी सेवारत हैं। यदि रेलवे गेट को खोल दिया जाये तो रेल अधिकारियों को किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी और न ही शेड को सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा उत्पन्न होगा क्योंकि वहां से रेल ट्रैक काफी दूर है, परन्तु इससे हिमाचल प्रदेश सरकार को भवनों तक वाहनों के आने जाने की सुविधा मिल जायेगी। अत: मेरी प्रार्थना है कि आउटवार्ड गुड्स शेड के दूसरे छोर पर बने रेलवे गेट को खोल दिया जाये।

(चार) ऐसे भारतीय नागरिकों, जो रोजगार प्राप्त करने के बाद विदेश में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक वहां रहते हैं, को हो रही परेशानी को रोकने के लिए आप्रवास विधि में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): महोदय, देश के कई भागों से लोग विदेशों में घूमने के लिए या अपने रिश्तेदारों के यहां जाते हैं और वहां काम मिल जाने पर वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है। अगर उनको विदेशों में काम मिल जाता है तो उनके परिवार के लिए अच्छा होता है

*सभा पटल पर रख गये।

[श्री जीवाभाई ए. पटेल]

और भारत के हित में है क्योंकि विदेशों से विदेशी मुद्रा कमा कर भारत लायी जाती है। जब यह लोग भारत लौटते हैं तो उन्हें नाहक परेशान किया जाता है और उनके साथ इमीग्रेशन लोगों द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया जाता है। अपने ही देश में अपने नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार इमीग्रेशन के अधिकारी लोग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष में काम करने के लिए रुक जाता है तो उसको सरकार को मदद करनी चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में इस संबंध में जो कानून है, उसको बदला जाना अतिआवश्यक है। देश में रोजगार न मिलने से उनकी विदेशों में नौकरी प्राप्त करना एक मजबूरी है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अगर कोई व्यक्ति काम प्राप्त होने पर विदेशों में रुक जाता है तो उसको भारत में आने में तंग नहीं किया जाना चाहिए इस संबंध में जो कानून है उसमें शीघ्र बदलाव लाया जाये।

(पांच) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में रिहायशी भवनों में आवास योग्य स्थान की अनुमति देने वाले भवन उपनियमों में वास्तविक संशोधन शामिल किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जा रही भूमि के परिवर्तन की अनुमति दी है और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों में अतिरिक्त निर्माण किया परन्तु भवन उप नियमों हेतु सिद्धान्तवादी संशोधन संबंधी प्रश्न को अभी भी देखा जाना है। इसके परिणामस्वरूप हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों के 90 प्रतिशत से अधिक मकान मालिक और आवंटितियों का उत्पीड़न होना जारी है। पिछले तीन दशकों के दौरान परिवारों के आकार में वृद्धि के साथ ही रिहाइशी इलाकों के सभी वर्गों में अतिरिक्त जगह हेतु आवश्यकता में संबंधित वृद्धि हुई है। तथापि, भवन उपनियमों में किये गये संशोधन कभी भी आवश्यकताओं अथवा वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं। परिवर्तनों संबंधी अन्यथा की गई भारी गलती के कारण व्यापक पैमाने पर विध्वंस के बारे में सोचना भी विवेकहीनता होगी जिससे काफी राष्ट्रीय हानि होने और अपर्याप्त संसाधनों को व्यर्थ करने के अतिरिक्त कई अन्य समस्यायें उत्पन्न होगी।

इसलिये, संरचनात्मक सुरक्षा और वास्तुकला संबंधी सौन्दर्यबोध को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त आवास-योग्य स्थान की अनुमति देने वाले भवन उपनियमों में वास्तविक संशोधन शामिल किए जाने की तत्काल आवश्यकता है और तब उसे नियमित आधार पर लागू करे। मैं सरकार से ऐसा ही करने का अनुरोध करता हूं।

(छह) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड को ऐसे लोगों, जिनकी भूमि को नासिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिगृहीत किया गया है, रोजगार उपलब्ध कराने का निदेश दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (मालेगांव): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नासिक के अंतर्गत नांदगांव तहसील में पानेवाडी प्रकल्प में भारत पेट्रोलियम का. लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का. लि. के प्लांट जब स्थापित किये गये थे तो जिन किसानों की भूमि इन प्लांटों के बनाने के लिए अधिग्रहीत की गयी थी, उनको कम्पनी वालों ने प्लांटों में नियुक्त किये ये जाने का आश्वासन दिया था। प्लांट बनने के बाद भारत पेट्रोलियम का. लि. ने तो अपने आश्वासन के अनुसार जिन किसानों की भूमि प्लांट के लिए अधिग्रहीत की थी, उन किसानों के परिवार वालों को नौकरी दी लेकिन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का. लि. ने अपने आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया है। भूमि के मालिक वहां पर काफी समय से अनशन पर बैठे हैं, उनमें भारी रोष व्याप्त है।

अत: मैं आपके माध्यम से पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत उक्त हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का. लि. का जो प्लांट स्थित है, उसमें उन किसानों के परिवार वालों को नियुक्त किये जाने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें, जिनकी भूमि उक्त प्लांट हेतु अधिग्रहीत की गयी है और कम्पनी ने उन्हें आश्वासन भी दिया था।

(सात) देश में बंजारा समुदाय के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, पूरे देश में बंजारा, घुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियों के लोगों की संख्या 15 करोड़ के आसपास होगी। इस समाज को कई राज्यों में अनुसूचित जाति और कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। लेकिन इनमें से और भी कई विमुक्त जातियां हैं जो न तो अनुसूचित जाति में हैं और न अनुसूचित जनजाति में। पिछले 50 सालों से ये जातियां अपनी मांग उठाती आ रही हैं, लेकिन उन्हें आज तक न्याय नहीं मिल पाया है और आज इनमें से कुछ जातियों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से भी बदतर हो गयी है। पूर्व में सरकार ने घुमक्कड़ जातियों के समग्र विकास हेतु एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था लेकिन अब

इस आयोग को भंग कर दिया गया है जबकि बंजारा समाज के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग बनाये जाने की अति आवश्यकता है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि बंजारा समाज, घुमक्कड़ जातियों के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनैतिक समग्र विकास के लिये विशेष उपाय करने हेतु राष्ट्रीय आयोग का पुनर्गठन करेंगे।

(आठ) हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में पी.जी.आई. अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करते हुए उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वह पहाड़ी, पिछड़ा, दूरदराज का सीमावर्ती प्रदेश है। वहां विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं पी.जी.आई. के स्तर की नहीं के बराबर है। मेरे लोक सभा क्षेत्र का जिला मुख्यालय हमीपुर हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल मध्य में स्थित है। अत: मेरा आग्रह है कि हमीपुर में एक पी.जी.आई. के समान स्वास्थ्य एवं अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाये। यदि फिलहाल यह संभव न हो तो कम से कम हमीपुर के जिला अस्पताल में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जाये ताकि वहां के मरीजों का इलाज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पी.जी.आई. विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करके किया जा सके। इससे दोहरा फायदा होगा। एक तो प्रदेश के लोगों को प्रदेश के अंदर ही चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी और दूसरी ओर पी.जी.आई. में होने वाली भीड़ से भी मुक्ति मिल सकेगी।

(नौ) गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदय, देश में हरित क्रांति की सफलता में भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परंतु, प्रबंध तंत्र की उदासीनता तथा विभिन्न सरकारों द्वारा भी पर्याप्त ध्यान न देने के कारण आज पूरा उपक्रम बंदी के कगार पर है। निगम की गोरखपुर स्थित इकाई 1969 में स्थापित की गयी थी, जो 10 जून, 1990 को बंद हो गयी। तबसे लगातार बंद चल रही है। तीन-तीन माननीय प्रधानमंत्रियों की घोषणा के बावजूद उक्त बंद इकाई को नहीं चलाया जा सका है। उक्त इकाई में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को जबरदस्ती वी.आर.एस. देकर निकाला जा चुका है। वर्ष 1998-1999 में गोरखपुर स्थित उर्वरक निगम की बंद इकाई के स्थान पर नया उर्वरक संयंत्र लगाने में कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड ने रुचि दिखायी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों से वह संभव नहीं हो पाया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उर्वरक निगम की गोरखपुर स्थित इकाई के स्थान पर कोई उर्वरक संयंत्र लगाने की व्यवस्था की जाये।

(दस) फारबिसगंज, बिहार में विद्युत सब-स्टेशन का निर्माण शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री सुकदेव पासवान (अररिया): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया में पावर ग्रिड द्वारा फारबिसगंज में 133 के.वी.ए. का सब स्टेशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। परियोजना अनुसार यह कार्य 18 महीनों में पूरा होना किंतु कार्य की प्रगति को देखते हुए लगता है कि यह अगले 2-3 सालों में भी पूरा नहीं हो पायेगा। मेरे क्षेत्र के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका कार्य पूरा होने से यहां बिजली की आधारभूत सुविधा में काफी सुधार होगा।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा की जाये।

(ग्यारह) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संरक्षण-प्रदत्त विभिन्न संस्थाओं से व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए.वी. वेल्लारमिन (नागरकोइल): राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से मान्यताप्राप्त करके अनेक तकनीकी संस्थान चलाये जा रहे हैं। परन्तु जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, उन्हें राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा जारी किए जाने वाले अपने प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में काफी लम्बे समय पर इंतजार करना होता है। कुछ विद्यालय को अभी भी अपने विद्यार्थियों, जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम पूरे कर लिये हैं, हेतु प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हैं।

मैं सरकार से विद्यार्थियों की दयनीय दशा पर ध्यान देने और प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी करने हेतु व्यवस्था करने के लिये अनुरोध करता हूं।

(बारह) खाड़ी देशों में जाने वाले यात्रियों के समक्ष आ रही समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से खाड़ी मार्ग पर एयर इंडिया की और अधिक उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री चरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): अभी भी एयर इंडिया उड़ानों में खाड़ी देशों में जाने वाले यात्रियों को यात्रा से

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपलब्ध सीटों की संख्या में एयर इंडिया एक्सप्रैस के शुरू होने से तेजी से कमी आई है। जिसके परिणामस्वरूप टिकट अनुपलब्ध हुई है और यात्रा संबंधी समस्याओं को और अधिक बढ़ा दिया है। भारी यातायात, विशेषकर छुट्टी/त्यौहार के समय की तुलना में अभी प्रचालित विमानों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इस समय के दौरान केरल को जाने वाली उड़ानों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा। परन्तु एयर इंडिया अक्सर आखिरी समय पर तकनीकी समस्या बताते हुए इन उड़ानों में विलंब करता है अथवा इन्हें रद्द करता है। एयर इंडिया एक्सप्रैस में सीटों की बुकिंग हेतु औपचारिकताओं अर्थात् क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए आन-लाइन बुकिंग, इस आधार पर कि यात्रियों की अच्छी संख्या निम्न आय वर्ग से संबंधित है जिनके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है अथवा इंटरनेट सुविधायें नहीं है, के संबंध में भी शिकायतें हैं।

एयर इंडिया उड़ानों में यात्रा के संबंध में खाड़ी देशों में जाने वाले यात्रियों की समस्याओं के समाधान के मद्देनजर भारत सरकार और एयर इंडिया से इस क्षेत्र में और अधिक सेवायें शुरू किए जाने का अनुरोध किया जाये।

(तेरह) चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल की समस्या को सुलझाने की दृष्टि से इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर नहर परियोजनाएं क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र चायल, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश गंगा व यमुना नदियों के बीच में बसा है। फिर भी सिंचाई व पेयजल की कमी है। सिरायू विधान सभा के नहरों में 35 साल से पानी नहीं पहुंचा है। कृषक परेशान हैं। किसुनपुर पम्प नहर में, जो यमुना नदी दूसरे जिला फतेहपुर से आती है, टेल तक व संबंधित माइनरों में पानी नहीं पहुंचता है, जिससे लाखों एकड़ भूमि असिंचित रहती है। पूर्व में प्रस्तावित इलाहाबाद में यमुना नदी पर सैदपुर व तिल्हापुर गांव गंगा नदी में सकाड़ा गांव व जजैली पम्प नहर कैनाल योजना का निर्माण हो, जिससे लाखों एकड़ भूमि (खेती) योग्य जमीनों की सिंचाई हो सके।

(चौदह) लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में किशनपुर, वन्यजीव अभ्यारण्य में शारदा नदी से हुए भूक्षरण को रोकने के उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित किशनपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो कि विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है, के घटते दायरे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह अभ्यारण्य सन 1972 में 227 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसमें बाघ, तेंदुआ, हिरण (स्वांप डीयर) आदि वन्य प्राणियों को संरक्षण मिला है।

महोदय, अभ्यारण्य के साथ बहने वाली शारदा नदी का बहाव अभ्यारण्य के तटों को शनैः शनैः काटता जा रहा है और इसका दायरा कम होता जा रहा है, जिसके कारण इस अभ्यारण्य में जीवन-यापन करने वाले वन्य प्राणियों की प्रजातियों को खतरा पैदा हो गया है। साथ ही यह अभ्यारण्य विश्व में अपनी पहचान खोता जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभ्यारण्य के तटीय कटाव को रोकने तथा अभ्यारण्य का विकास करने हेतु शीघ्रातिशीघ्र समुचित कदम उठायें।

(पन्द्रह) बिहार के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोयले के गैर-कानूनी उत्खनन को रोकने तथा साथ ही इस क्षेत्र में बंद खदानों को पुनः खोलने के लिए केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता

डा. धीरेन्द्र अग्रवाल (चतरा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र चतरा में कोयले की अनेक खानें हैं, जहां पर लगभग छः फुट पर कोयला मिलता है। इस क्षेत्र में कोयला माफिया की गतिविधियों के कारण कोयला अवैध रूप से निकाला जा रहा है, जिससे देश की बहुत बड़ी हानि हो रही है। कई बंद पड़ी कोयले की खानें हैं जिनमें कीमती कोयला पड़ा हुआ है और सी.सी.एल. द्वारा उस पर कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र स्तर पर एक टीम भेजी जाये जो इन प्रकरणों की जांच करे और दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाये।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्र स्तर पर टीम को भेजकर इस कोयले की चोरी को रोका जाये और बंद कोयले की खानों को जल्द खोला जाये, जिससे इस क्षेत्र में फैली बेरोजगारी को रोका जा सके क्योंकि बेरोजगारी के कारण इस क्षेत्र में नक्सलवाद तेजी के साथ बढ़ रहा है।

(सोलह) उत्तर प्रदेश के खीरी जिले को इसके चहुंमुखी विकास के लिए सम विकास योजना के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): महोदय, मेरे क्षेत्र में दो जिले हरदोई तथा खीरी के भाग हैं। खीरी जिले का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले से बड़ा है।

दोनों जिलों में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम लागू है अर्थात् भारत सरकार दोनों जिलों को समान रूप से पिछड़ा मानती है और दोनों जिले समान रूप से पिछड़े हैं।

यह खेद का विषय है कि सम विकास योजना हरदोई में तो लागू है परन्तु खीरी जिले को इससे वंचित रखा गया है। जबकि सच्चाई यह है कि खीरी जिला विकास के मामले में हरदोई से कहीं अधिक पिछड़ा है। इसे दूसरे जिलों के बराबर लाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

मेरा भारत सरकार तथा योजना आयोग से आग्रह है कि जिला खीरी को भी सम विकास योजना के अंतर्गत लाया जाये।

(सत्रह) महाराष्ट्र के नागपुर जिले में मौद्या विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): महोदय, विदर्भ में बिजली संकट समूचे महाराष्ट्र में आज किसान एवं आम आदमी बिजली संकट से परेशान है। विदर्भ महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हिस्सा है। यहां पर रोजगार के कोई साधन नहीं हैं। सिंचाई योजना के अभाव से किसान प्रकृति पर निर्भर रहते हैं।

पिछली सरकार ने इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए विदर्भ के नागपुर जिले में मौद्या 1000 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था। इस पावर प्रोजेक्ट का सर्वेक्षण एन.टी.पी.सी. द्वारा किया गया था। छः महीने के अंदर एन.टी.पी.सी. इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली थी। महाराष्ट्र सरकार को 50 प्रतिशत लागत उठाना था। न तो इसका फिजबिलिटी रिपोर्ट आया और न ही महाराष्ट्र सरकार के साथ इसकी कोई बातचीत हुई।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मौद्या पावर प्रोजेक्ट को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाये।

(अठारह) बिहार के सिवान जिले में स्थित महाराजगंज में एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, बिहार प्रांत अंतर्गत सिवान जिले का महाराजगंज शहर अनुमंडल मुख्यालय के साथ-साथ प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र भी है। महाराजगंज में पुलिस अनुमंडलीय मुख्यालय, रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस, दूरसंचार कार्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, हास्पिटल आदि सुविधा उपलब्ध है। महाराजगंज एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। महाराजगंज के व्यवसायिक महत्व को देखते हुए इस शहर को रेलवे से जोड़ा गया है। महाराजगंज मुख्यालय एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में सेना में कार्य करने वाले सैनिक एवं सेवा निवृत्त सैनिक, केन्द्रीय कर्मचारी एवं सेवा-निवृत्त कर्मचारी निवास करते हैं। परन्तु उनके बच्चों के शिक्षा अध्ययन करने के लिए कोई भी केन्द्रीय विद्यालय नहीं है, जिसके कारण बच्चों को शिक्षा अध्ययन हेतु बाहर भेजना कर्मचारियों की मजबूरी है, जिसके कारण अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ का वहन करना पड़ता है। अगर महाराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खुल जाये तो इस क्षेत्र के कर्मचारियों एवं आम लोगों की बहुत बड़ी समस्या का स्थायी समाधान हो जायेगा। ज्ञातव्य हो कि महाराजगंज मुख्यालय केन्द्रीय विद्यालय खोलने की सभी आवश्यक मापदंडों को पूरा करता है।

महाराजगंज में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा समाहर्ता सिवान को निर्धारित मापदंडों की जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा जा चुका है, परन्तु अभी तक इस कार्य में कोई प्रगति नहीं दिख रही है।

मैं आपके माध्यम से बिहार प्रांत के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय, जिला सिवान में केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोलने की सरकार से मांग करता हूं।

(उन्नीस) कर्नाटक में बिजली की कमी से निपटने के लिए राज्य में चालू विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): कर्नाटक राज्य हेतु विद्युत की कुल आवश्यकता 37,235 मेगावाट है जिसमें से 20,853 मेगावाट कर्नाटक पावर ग्रिड से उपलब्ध है। 16,382 मेगावाट विद्युत की कमी है। राज्य, केन्द्रीय स्टेशन और पड़ोसी राज्यों से 10,000 मेगावाट प्राप्त कर रहा है। इसके पश्चात् भी पूरे वर्ष 6,382 मेगावाट विद्युत की कमी है।

शहरों में विद्युत कटौती में वृद्धि हुई है और किसानों पर उनके कृषि संबंधी कार्यकलापों हेतु विद्युत की अत्यधिक कमी के कारण सबसे ज्यादा मार पड़ी है।

इसलिये, कर्नाटक में विद्युत के उत्पादन में वृद्धि किए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

इसलिये, मैं माननीय विद्युत मंत्री से कर्नाटक में निम्नलिखित चालू विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कम से कम 1000 करोड़ रुपये आबंटित करने हेतु अनुरोध करता हूं।

(एक) बेलारी थर्मल पावर प्लांट (500 मेगावाट)

(दो) आलामट्टी परियोजना (125 मेगावाट)

(तीन) गुंडया परियोजना (300 मेगावाट)

(चार) बिदादी परियोजना (1400 मेगावाट)

(पांच) आर.टी.पी.एस. आठवीं इकाई (210 मेगावाट)

(छह) नंदीकुरू-नागार्जन परियोजना (1500 मेगावाट)।

(बीस) विट्ठल रकुमई मंदिर, पंढरपुर, महाराष्ट्र में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निधि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के अंतर्गत पंढरपुर में चन्द्रभाग नदी पर विट्ठल रकुमई मंदिर स्थित है और यहां पर प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालू दर्शनार्थ आते हैं। किंतु, उनके लिए समुचित नागरिक सुविधाओं की भारी कमी है। इसके लिए एक एक्शन प्लान भी बना था मगर उसको आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र सरकार वहां आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु एक्शन प्लान को लागू किए जाने हेतु जरूरी कारगर कदम उठाये और उसे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने हेतु केन्द्रीय निधि से धन का शाबंटन अविलम्ब करे।

अपराह्न 2.02 बजे

सभा में सदस्य के आचरण के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, किसी भी एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट किए जाने से पहले मेम्बर को अपनी बात कहने का हक है। उनकी बात सुन लीजिए, मामला खत्म हो जाए। उनकी बात सुन लीजिए कि यह मोशन क्यों दिया गया था, उसका क्या विषय है? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ममता जी को इसलिए बोलने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वह बंगाल में मार्क्सवादियों के खिलाफ आन्दोलन करती हैं, लड़ती हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आप उन्हें अनुमति क्यों दे रहे हैं? किस नियम के तहत आप उन्हें इजाजत दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)* आपको मुझे भी अनुमति देनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, किसी विषय पर किसे अनुमति दी जाये और किसे नहीं, यह अध्यक्षपीठ की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, ममता बनर्जी जी का एक स्थगन प्रस्ताव था। श्री मल्होत्रा जी को बहुत चिन्ता है। वह आपके साथ काम करती हैं, वह आपके गठबन्धन की एक सम्मानित सदस्य हैं, इसलिए आपका दायित्व था कि आप स्पीकर साहब से मिलकर आग्रह करते कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, ममता बनर्जी जी को इसे उठाने की अनुमति दी जाए। जो भी माननीय सदस्य यहां नोटिस देते हैं, वह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और उन्हें संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन उन्हें किस रूप से उठाया जाना है, इसके बारे में निर्णय करना अध्यक्ष महोदय का विशेषाधिकार है और किसी को भी यह हक नहीं है कि वह जाकर उपाध्यक्ष महोदय के मुंह पर पेपर फेंके और उसे जस्टीफाई करे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उपाध्यक्ष जी, पहले क्या हुआ, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन थोड़ा-बहुत वर्णन मैंने अभी सुना है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध होगा कि स्पीकर साहब माननीय सदस्या को अपने चेम्बर में बुला लें। अगर हममें से किसी को बुलाना चाहें, तो कोई भी जा सकता है, लेकिन इस मामले को सोर्ट आउट करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: आपको इसकी निन्दा करनी चाहिए। *...(व्यवधान)* आप सदस्य की कार्यवाही को उचित ठहरा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप बैठ जाएं। प्रभुनाथ सिंह जी, आप भी बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: पहले आप मेरी बात सुन लें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): उन्हें आकर सभा के समक्ष खेद प्रकट करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: इसकी निन्दा की जानी चाहिए। *...(व्यवधान)* आप इसको उचित ठहरा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: ममता जी ने जिस इश्यू को उठाने की बात कही थी, फार्च्युनेटली या अनफार्च्युनेटली स्पीकर साहब के द्वारा वह इश्यू डिसअलाऊ हो चुका है। यह जरूरी नहीं कि वे उसका रीजन दें। लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें रीजन दिया था कि इस इश्यू को आडवाणी जी ने एक मोशन के माध्यम से पेश किया था और सदन में उस पर काफी बहस हुई थी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): यही नियम है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

डा. सुजान चक्रवर्ती: यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: स्वाई जी, आप बैठ जाएं। पहले मेरी बात सुन लें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): ऐसा संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और ये लोग उसे जस्टीफाई कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले आप अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जय प्रकाश जी, पहले आप अपनी सीट पर जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: जब मैं खड़ा हूं, तो आपको बैठ जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा में शांति बनाये रखें। सबसे पहले आप मेरी बात सुनें।

[हिन्दी]

देखिये, हाउस का समय बहुत कीमती है। इस इश्यू पर बातचीत करते हुए काफी देर हो गयी है। विपक्ष के नेता की तरफ से सजेशन आई है कि उनको, सुश्री ममता बनर्जी को तथा और सारे लीडर्स को लेकर स्पीकर साहब से बात करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सबसे पहले मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, यह सभा का जानबूझकर किया गया उपमान है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि सभा की कार्यवाही स्थगित हो और इस मुद्दे पर चर्चा की जाये? ऐसा इसलिये क्योंकि लोक सभा में ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी *...(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती: यह पार्टी का मामला नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सीपीएम के मैम्बर्स जैसा चाहेंगे, वैसे हाउस नहीं चलेगा। *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: पहले वह माफी मांगें, तब हाउस चलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, अब हम मद संख्या 24 पर चर्चा करेंगे। राम जन्म भूमि परिसर पर हमले समेत देश में आतंकवाद के संबंध में चर्चा, श्री बचीसिंह रावत 'बचदा' और प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के नाम से स्वीकार की गई है। श्री बची सिंह रावत 'बचदा' ने मुझसे अनुरोध किया है कि उनकी ओर से प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी जाए। मैंने प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा को चर्चा शुरू करने की अनुमति दी है। अब प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह उचित नहीं है। इसकी निन्दा की जानी चाहिये। सभा की कार्यवाही स्थगित की जानी चाहिये। इसकी निन्दा होनी चाहिये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री आचार्य।

...*(व्यवधान)*

श्री अमिताभ चन्दी (दमदम): महोदय, सभा इसकी इजाजत नहीं दे सकती। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: कृपया सभा की कार्यवाही स्थगित कीजिए। ...*(व्यवधान)* यह सभा का अपमान है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा की बैठक अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

अपराह्न 2.20 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(दो) सभा में सदस्य का आचरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आज क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गुलाम नबी आजाद वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें माफी मांगनी चाहिये। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, जब से यह सदन शुरू हुआ, बहुत सारे लोगों को सदन के बारे में यह शंका थी कि इस बार हाउस किस तरह से चलेगा। मुझे इस बात की बहुत

[श्री गुलाम नबी आजाद]

खुशी है है कि जिस तरह से स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, यूपीए, एनडीए और सपोर्टिंग पार्टीज ने स्पीकर साहब के कमरे में या उसके अलावा लीडर्स की मीटिंग्स में निर्णय लिया कि हम सब मिलकर सदन को चलाएंगे और सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे और एक हफ्ते से हम देख रहे थे कि इसकी गरिमा, इसकी छवि पूरे देश में मानी जा रही थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ वह न सिर्फ अफसोस के काबिल है बल्कि उसकी हम सब निंदा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आंखों देखा हाल मत सुनाइए।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, हम सब उसकी निंदा करते हैं। किसी भी पार्टी का लीडर हो, चाहे इस तरफ का हो या उस तरफ का या बीच का हो, उसको कुर्सी का अपमान करने का हक नहीं बनता। जिस समय डिप्टी स्पीकर साहब कुर्सी पर थे और उस समय सुश्री ममता जी की तरफ से पेपर्स उन पर फेंके गए।

उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिये हम इसकी निन्दा करते हैं। अगर हाउस की मर्यादा और डैकोरम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब बाहर के लोग सांसदों, सदन और नेताओं पर टिप्पणी करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर हम मर्यादा तोड़ेंगे, इस सदन का अपमान करेंगे, अगर हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या चेयर का अपमान करेंगे तो यह लोकतंत्र का अपमान होगा। यह किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल का अपमान नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में सभी नेतागण, चाहे उस तरफ के हों या इस तरफ के हों, वे अपनी पार्टियों, अपनी सहयोगी पार्टियों के सदस्यों को सीमा में रखेंगे ताकि हमारे हाउस की जो मर्यादा और डैमोक्रेसी की मर्यादा है, वह बराबर बनी रहे और इस तरह की घटनायें दुबारा कभी न हों। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि सभी सदस्य अपनी मर्यादा को कायम रखते हुये हाउस की कार्यवाही चलायेंगे तो अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): उपाध्यक्ष जी, मैं उस समय नहीं था। मुझे बताया गया कि संसदीय कार्य मंत्री का स्टेटमेंट होने वाला है और वह हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम अगला मैटर लेंगे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह कैसे होगा, बिना माफी मांगे।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, अब वह अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: इस पर हमने बैठक में सहमति नहीं जताई थी। श्री गुरुदास दासगुप्त भी वहां थे। ...*(व्यवधान)* माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: स्पीकर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें सभी पार्टी के लीडर्स थे। मीटिंग में श्री बसुदेव आचार्य, श्री गुरुदास दासगुप्त, श्री वी.के. मल्होत्रा, श्री गुलाम नबी आजाद और श्री यादव जी थे। हम सभी ने वहां स्पीकर साहब की अध्यक्षता में फैसला किया था। जो श्री गुलाम नबी आजाद जी ने कहा है, वह फैसला करके हम सब अंदर से आये हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसलिए मैं चाहता हूं कि अब हाउस को चलने दिया जाए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: ऐसे कैसे चलेगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अंदर से फैसला करके आये हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह ऐसी घटना घटी है। ...*(व्यवधान)* कंसर्न्ड मैम्बर को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* गलत काम करेंगे तो क्या माफी नहीं मांगेंगे। ...*(व्यवधान)* यह कौन सी परम्परा है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.12 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भारत की संसद से जुड़कर हम सब गौरवान्वित हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थानों पर बैठिए।

जब यह घटना घटी तो मैं यहां नहीं था। लेकिन टीवी पर मैंने इसे देखा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ भी कहा है, उसे भी मैंने टेलीविजन पर सुना। जहां तक अध्यक्षपीठ का संबंध है, सभा संचालित करने में जटिलता उत्पन्न करने की कोशिश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि मुझ पर राजनीतिक संबंधों की वजह से निर्णय लेने का आरोप लगा है तो मैं इसका जोरदार खंडन करता हूं। ऐसी टिप्पणियां अनावश्यक अनुचित और पूरी तरह निन्दनीय हैं और मैं इसकी निन्दा करता हूं। दूसरी बात, मुझे कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से यह सब हुआ है सभा में हर दल के लोग उसकी कड़ी निन्दा करेंगे। मुझे पता नहीं कि सभी माननीय नेतागण या सदस्यगण उस समय उपस्थित थे या नहीं लेकिन अभी जो कुछ हुआ उसे मैंने देखा है। मैं बीच में नहीं आना चाहता; मैं चाहता हूं कि सभा सामान्य रूप से चलती रहे। मैं बहुत प्रसन्न था; सभा की कार्यवाही जिस प्रकार समुचित तरीके से चल रही है उसके लिये मैं आप सबको बार-बार बधाई और धन्यवाद देता रहा हूं। हमने कई महत्वपूर्ण विषयों पर उच्चस्तरीय चर्चा की है। सभी लोग प्रसन्न थे और मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस सभा में विभिन्न मुद्दों पर इतनी अच्छा चर्चा हो रही है। यदि कोई माननीय सदस्य अध्यक्ष पीठ के निर्णय से नाखुश है तो मैंने बार-बार कहा है कि उसके समाधान की कई विधियां हैं। यदि आज हम कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया को ऐसा लगे कि अध्यक्षपीठ भी संरक्षित नहीं है, तो वह बहुत दुखद दिन होगा। मुझे उम्मीद है कि सभा के हर दल के लोग इससे सहमत होंगे। इस आधार पर माननीय सदस्य को यह फैसला करना है कि वह माफी मांगेंगी या नहीं— इस अध्यक्षपीठ पर बैठकर मैं इसके लिये दबाव नहीं डालूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सदस्य का निर्णय होगा और यदि वह ऐसा करती है तो इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

दूसरी बात, मैं सम्मानित सभा को जानकारी देना चाहूंगा कि इसके ठीक पहले मुझे सभा के अधिकारी का एक पत्र मिला है, जो माननीय उपाध्यक्ष को संबोधित है जिसमें संबंधित माननीय सदस्य ने अपना इस्तीफा भेजा है। लेकिन मैं घोषणा करना चाहता हूं कि यह इस्तीफे का उपयुक्त पत्र नहीं है। संविधान में कहा गया है कि इस्तीफा उपयुक्त प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अत: मैं इसे इस्तीफे का पत्र नहीं मान रहा हूं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उस व्यवधान को सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

कृपया मुझे सभा की कार्यवाही चलाने दीजिए। मैं इसे त्यागपत्र नहीं मान रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वे वापिस आएं और चर्चा में भाग लें। लेकिन मुझे यकीन है कि इस देश के एक उत्तरदायी नेता तथा इस सभा के माननीय सदस्य के रूप में वह स्वयं महसूस करेंगी कि उनका आचरण सही था या गलत।

[अनुवाद]

अब, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िये उस बात को।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, हम यहां पर कही गई बातों से सहमत हैं। यह दलीय मुद्दा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल, कृपया बैठ जाएं। मोहम्मद सलीम, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं पहले ही उनसे बैठने को कह चुका हूं। आप खड़े क्यों हो रहे हैं? कृपया कुछ करने से पहले आप अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, यदि कोई टिप्पणी की गई है तो आप उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल सकते हैं। परन्तु यह सदस्य की ओर से की गई कार्यवाही है जो अपमानजनक है। ...*(व्यवधान)* कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कर सकता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष नहीं हैं। आप ऐसी आदत डाल रहे हैं। क्या यह आपका स्थान है? कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): कोई भी अपनी सीट पर नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अन्य लोगों से तुलना न करें। कृपया मुझे बताने की चेष्टा न करें। वह अपने स्थान पर हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इनमें से कौन अपनी सीट पर हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये। आप अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपने स्थान पर वापस जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, मैं अब आगे चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं सभा को स्थगित कर दूंगा तथा चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: महोदय, कुछ चीजें हैं, जिन्हें दलगत आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। ...*(व्यवधान)* इनडिविजुअल मैम्बर के कंडक्ट की जिम्मेवारी कौन लेगा? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री ने ऐसा कहा था। मैंने कुछ टिप्पणियां की हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): यह पार्टी और दल का सवाल नहीं है, यह संसद की गरिमा का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, कृपया बैठ जाएं। केवल प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभी असंसदीय टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद सलीम: असंसदीय हाव-भाव के बारे में क्या होगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, मैं खड़ा हूं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जाएं। आइये इस मुद्दे को भुला कर हम पुन: सभा की कार्यवाही शुरू करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती सुमित्रा महाजन, आपको इसका समर्थन नहीं करना चाहिये। कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

गलत काम को सपोर्ट मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मोहम्मद सलीम, कृपया बैठ जाएं। आप सभी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया शुरू करें। यह देश से संबंधित महत्वपूर्ण विषय है। मैंने इसकी अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री करूणाकरन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अध्यक्ष के साथ सहयोग करें। इससे आपका कद बढ़ेगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। श्री मल्होत्रा जी आप बोलना शुरू कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब भी कुछ कहा जा रहा है, आप सभी लोग हर समय उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आप शुरू करें।

...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य: सभा के नेता यहां मौजूद हैं। उन्हें अनुभव है। *...(व्यवधान)* विगत में जब कभी भी इस प्रकार की घटना हुई है तो संबंधित सदस्य ने क्षमा मांगी है। *...(व्यवधान)* यह इस मामले में क्यों नहीं हो रहा है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार की ओर से, संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही वक्तव्य दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य: उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ के अपमान के संबंध में इसे अपमान माना गया है। इसकी निन्दा की गई है। अब यदि हमारे द्वारा घोर निन्दा करने से जो की जा चुकी है, से सभा का कार्य चलाया जाता है तो इससे सभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी सभा की मर्यादा भी बनाए रखी जा सकेगी।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, जिस तरह कुछ माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमें क्या करना चाहिए? वे आपका अपमान कर रहे हैं। वे सभी आपका अपमान कर रहे हैं। आपने उनके कृत्य की निन्दा नहीं की है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सभी बैठ जाएं। ऐसा कुछ न करें। जिससे उन्हें कुछ कहने के लिए प्रोत्साहन मिले।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, कृपया बोलें।

...(व्यवधान)

डा. रामचन्द्र डोम (बीरभूम): यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: निस्सन्देह, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में व्यवधान पैदा करना और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आप इसे छोड़िये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आप अनुभवी संसद सदस्य हैं। आप भली-भांति जानते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, सुबह से जो स्थिति यहां चल रही है, उसमें बोलना बहुत मुश्किल हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आत्मावलोकन के लिए भी है। सभा के एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में, आपको इस पर भी विचार करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप देखिए, क्या हालत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके इश्यु को डिस्कस करने दीजिए। सबको कुछ-न-कुछ बोलना है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तब आपको कुछ समय बाहर भी बिताना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.24 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

अयोध्या में रामजन्मभूमि परिसर पर हमले सहित देश में आतंकवाद

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, हमारे देश और विदेशों में आतंकवाद की जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उन घटनाओं से सारा देश दहल उठा है और विश्वभर में आतंकवाद के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि सारा विश्व इस पर चिंता का अनुभव कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अयोध्या में पांच जुलाई को कुछ आतंकवादी पहुंच गए। उन्होंने राम मंदिर के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया और पांच जुलाई को राम मंदिर में हमारे सैनिक बलों की सजगता की वजह से, वे आतंकवादी मारे गए। यदि राम मंदिर काम्पलैक्स में कोई घटना हो जाती तो उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना हम कर सकते हैं। अयोध्या ऐसा स्थान है, जिस प्रकार से मक्का-मदीना, वैटिकन सिटी धार्मिक स्थल हैं, वैसे ही यह स्थान हिंदुओं का धार्मिक सर्वोच्च स्थान है। यह सौ करोड़ से अधिक हिन्दुओं के लिए सर्वोच्च श्रद्धा स्थान है। सात जुलाई को लंदन में बम विस्फोट हुए थे, जिसमें अनेक लोग मारे गए थे। 23 जुलाई को मिस्र के बम धमाकों में बहुत से लोगों की जानें चली गई थीं।

अध्यक्ष जी, 24 जुलाई को उग्रवादियों ने अमरनाथ मार्ग के रास्ते को उड़ा दिया। 16 जुलाई को आत्मघाती पकड़े गए। उसके बाद 21 जुलाई को श्रीनगर में स्कूल के बाहर बम विस्फोट हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिद्दीन ने उसकी जिम्मेदारी ली। उस हमले में अनेक लोग आतंकवादियों के शिकार हुए। 29 और 30 जुलाई को लाल चौक पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला करके पांच लोगों को मार दिया। आठ पत्रकारों को बहुत ज्यादा चोटें आईं। उनमें कुछ घायल स्थिति में हैं और कुछ की चिन्ताजनक स्थिति है।

अध्यक्ष जी, इस समय आतंकवाद सारे देश और विश्व में चिन्ता का विषय बना हुआ है। जब यहां आतंकवाद की घटनाएं हुईं, तो विश्व में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अमरीका और ब्रिटेन में आतंकवाद की घटनाएं हुईं, तो विश्वव्यापी प्रचार हुआ और एक स्वर से पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाओं पर चिन्ता प्रकट की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं की निन्दा करने में, उनका मुकाबला करने में हम अमरीका के

साथ हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ अमरीका के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं और हमने अमरीका के साथ आतंकवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। ब्रिटेन के श्री टोनी ब्लेयर के साथ आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में भी हम शामिल हैं। ब्रिटेन और अमरीका की घटनाएं निन्दनीय हैं। संपूर्ण विश्व की आतंकवाद के प्रति बहुत चिन्ता है। उनका चिन्तित होना स्वाभाविक है। यद्यपि मैं जानता हूं कि अमरीका और ब्रिटेन ने भारत के आतंकवाद के ऊपर या पश्चिम के देशों ने भारत में की जा रही आतंकवादी गतिविधियों के ऊपर, वैसा ध्यान नहीं दिया, जैसा कि दिया जाना चाहिए था, तथापि, हम वैश्विक आतंकवाद का सामना करने में उनके साथ हैं।

महोदय, अमरीका ने ही पाकिस्तान को सहायता देकर तालिबान को पैदा किया। पाकिस्तान को हर प्रकार की सहायता दी जिससे वहां हजारों और लाखों की संख्या में तालिबान पैदा हुए। ब्रिटेन ने भी ऐसे आतंकवादी ग्रुपों को प्रश्रय दिया। अमरीका एवं ब्रिटेन के आतंकवाद के मुकाबले, भारत में आतंकवाद की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं और सबसे ज्यादा हम प्रभावित हुए हैं। पिछले वर्ष तक 60 हजार और इस वर्ष संभवत: आतंकवाद की घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या 80 हजार हो गई होगी। इतने सैनिक बल चार युद्धों में नहीं मारे गए जितने आतंकवाद के कारण मारे गए हैं तथापि, किसी भी पश्चिमी देश ने उसके बारे में चिन्ता व्यक्त नहीं की, यह बात कष्टदायक है।

महोदय, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आंतकवाद के प्रति दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, परन्तु क्या यह सही नहीं है कि जब हम अमरीका में जाते हैं और वहां आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के लिए अपील करते हैं और जब हम जाकर कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, परन्तु भारत में हम क्या कर रहे हैं, उसे भी देखना चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बारे में हमारी दोहरी नीति है।

अपराह्न 3.28 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते पिछले एक साल में आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई को बहुत धीमा किया है। आतंकवाद के खिलाफ जैसा संघर्ष करना चाहिए था, वैसा संघर्ष राजनीतिक स्वार्थों के चलते इस सरकार ने नहीं किया। मैं आपके सामने दो-तीन उदाहरण रखना चाहता हूं। इस समय सारी दुनिया में मांग हो रही है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए। अमरीका में सख्त कानून पहले से ही था, उसने उसे और ज्यादा सख्त किया जिसका समर्थन, सारे अमरीका के, सभी राजनीतिक दलों के, सारे सांसदों ने, एक स्वर से किया। ब्रिटेन में जो 7.7.2005 की घटना हुई, उससे पहले ब्रिटेन ने एक बहुत सख्त कानून बनाया। बहुत कड़ा कानून बनाने के बाद, उसने कहा कि इसमें मानवाधिकार के हनन की बात नहीं है। यदि ब्रिटेन के खिलाफ आतंकवादी हमला होता है, तो हम आतंकवाद के खिलाफ और कड़ा कानून बनाएंगे। इसी तरह का कानून स्पेन में बनाया गया। यू.एन.ओ. ने कहा कि सारी दुनिया में ऐसे कानून बनने चाहिए। सारी दुनिया ने आतंकवाद विरोधी कानून बनाए, लेकिन भारत में जिस आतंकवाद के कारण 80 हजार लोग मारे गए, जिसमें विश्व के सबसे ज्यादा लोग मारे गए।

यह ऐसा अभागा देश है, ऐसा बदकिस्मत देश है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ एक ही कानून था, वह पोटा का था और उसको ही समाप्त कर दिया, पोटा कानून को ही हमने निरस्त कर दिया है। आतंकवाद के खिलाफ एकमात्र जो कानून हिन्दुस्तान में था, बजाय इसके कि आप उसको ज्यादा सख्त बनाते, आप आतंकवादियों के दिलों में उसका एक खौफ पैदा कर देते, उनको डर लगता, त्रास लगता, उसके बजाय आपने पोटा को ही निरस्त कर दिया। यह आपका पहला अपराध है, जो इस एक साल में आपने किया है। हम आपको कठघरे में खड़ा करना चाहते हैं कि आप 80 हजार लोगों के मारे जाने के बाद दुनिया भर में जाकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में शामिल होने की घोषणा करने के बाद भारत में आपने क्या किया? जो एकमात्र कानून था, पोटा का कानून उसे आपने वापस ले लिया।

यहां पर मैग्नाकार्टा मानवाधिकारों की बात की जाती है। मानवाधिकार मानवों के लिए होते हैं। जहां पर बच्चों को रेत-रेत कर मारा जाये, बच्चों के स्कूल में बम फेंक दिया जाये, स्त्रियों को मार डाला जाये, सैनिक बलों की हत्या की जाये और उसके बाद अयोध्या में जाकर हमारे श्रद्धा केन्द्र राम मंदिर पर हमला कर दिया जाये। फिर आप कहें कि मानवाधिकारों के लिए हमने पोटा को निरस्त कर दिया है, तो आपसे यह कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ा देश के साथ आपने पाप किया है, वह पोटा को निरस्त करने का है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान द्वारा इन दिनों जितनी घटनाएं हुई हैं, मैं उनमें से सिर्फ पिछले दो महीने की घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर पर हमला हुआ। हमारी सरकार ने यह कहा और मैंने होम सैक्रेट्री का बयान पढ़ा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। उसमें पाकिस्तानी संस्थाओं का हाथ है। हमारे चीफ आफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि तीन हजार पाकिस्तानी घुसपैठिये और तीन हजार आतंकवादी कश्मीर में आने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं। इन दिनों

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

जितनी घटनाएं कश्मीर में हुई हैं, सबमें पाकिस्तान का हाथ आप बता रहे हैं, ग़ब में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आतंकवादी संस्थाओं का हाथ है। आई.एस.आई. सारी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रही है। वह भारत में भी सबसे अधिक कोशिश कर रही है। हर एक घटना के पीछे गृह मंत्री जी और अधिकारियों ने बयान दिये हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ है तो आपने पाकिस्तान के विरुद्ध क्या कुछ कदम उठाये हैं, इस संबंध में पाकिस्तान से क्या बात की है?

जब शिमला समझौता हुआ था, उसमें तब यह कहा गया कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करेगा। मेरे पास श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस समय के पाक प्रधानमंत्री शरीफ के साथ का बयान है, जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करेगा और पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के लिए वचनबद्ध है। मुशर्रफ ने अटल जी के साथ संयुक्त बयान में कहा कि पाकिस्तान की धरती को हम किसी कीमत पर आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। परन्तु पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान के साथ जो समझौते हुए, चाहे वह समझौते हमारे प्रधानमंत्री के साथ हुआ, चाहे वह समझौता हमारे विदेश मंत्री के साथ हो, चाहे वह समझौता हमारे अधिकारियों के साथ हुआ, किसी एक समझौते में भी पाकिस्तान को हमने आतंकवाद खत्म करने के लिए नहीं कहा है। पाकिस्तान को आतंकवाद को खत्म करने के लिए न कहना, पाकिस्तान में मुशर्रफ को याद न दिलाना कि तुमने कहा था, तुमने वायदा किया था कि तुम्हारी धरती से आतंकवाद नहीं चलेगा। उसके बजाय हमारे बयान क्या आ रहे हैं। शिवराट पाटिल जी का बयान है कि पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे कायम हैं। प्रणब मुखर्जी साहब का सिर्फ आज का ही बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जुलाई-अगस्त में पाकिस्तान से आतंकवादियों का आना बढ़ गया है और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि हुई है और पाकिस्तान उसके पीछे है। आपका बयान भी है, शिवराज पाटिल साहब का बयान भी है। प्रधानमंत्री जी ने भी वहां जाकर कहा कि पाकिस्तान अगर इसी तरह की हरकत करता रहेगा तो बातचीत में कठिनाई पैदा होगी, मगर एक बार भी आपने पाकिस्तान के राष्ट्रपति को संबोधित कर या किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर पाकिस्तान के नाम से निंदा की कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान में क्या कर रहा है? ब्रिटेन की घटना के बाद मुशर्रफ साहब हिल गये। उन्होंने अपने यहां बहुत से कदम उठा लिये और सारे मदरसों को बंद करना शुरू कर दिया। मदरसों से विदेशियों को निकालना शुरू कर दिया।

आपका दूसरा अपराध यह है कि आपने पाकिस्तान को एक बार भी आतंकवाद बंद करने की चेतावनी नहीं दी। उसको उसके वायदे याद नहीं दिलाये और पाकिस्तान के प्रति अत्यंत नरम नीति रखी। मैं रोज बयान देखता हूं कि आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है परन्तु साथ ही यह शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं कि हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारा शांति समझौता जारी रहेगा, शांति की वार्ता जारी रहेगी यानी पाकिस्तान कुछ भी कर ले, पाकिस्तान राम जन्म भूमि पर हमला कर दे, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर स्कूलों में बम फेंक दे, पाकिस्तान लाल चौक, बादशाह चौक पर हमारे सारे पत्रकारों की हत्या करने का प्रयास करे तब भी शांति वार्ता जारी रहेगी। उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारी बातचीत चलती रहेगी। हमारी तेल की पाइप लाइन बनाने का प्रयास भी चलता रहेगा। यह कौन सा तरीका है आतंकवाद खत्म करने का है।

पाकिस्तान से आपको यह बात कहने में क्या कठिनाई है कि तुमने जो वायदे किये थे, उसे पूरा करो। क्यों नहीं आपने कहा कि जो आपके यहां अड्डे कायम हैं, उसे नष्ट करो आप दोनों के बयान हैं, प्रधान मंत्री जी का बयान है कि आतंकवाद का पूरा का पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर कायम हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादी अड्डों को नष्ट नहीं किया, उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया। क्यों नहीं उनसे बात करते हुए, वार्ता करते हुए इस बात को बलपूर्वक कहा जाये कि पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर खत्म करो, अपने अड्डे बंद करो और अगर अड्डे बंद नहीं करेंगे, अगर ये घटनाएं चलती रहेंगी, तो पाकिस्तान से बातचीत का कोई मतलब नहीं होगा? किसी तरह की बातचीत या शांति वार्ता उस कीमत पर नहीं हो सकती कि हम पाकिस्तान के लिए सारी सुविधाएं खोलें और पाकिस्तान इस प्रकार की नृशंस घटनाएं करता रहे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपका दूसरा अपराध है पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में ढुलमुल नीति अपनाने का।

तीसरा अपराध जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं, वह यह है कि दुनिया भर में आतंकवाद कहां से पैदा हो रहा है? यह बात थोड़ी गंभीर है। इसको अन्यथा कोई न ले परन्तु पाकिस्तान आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। वह फैक्ट्री क्या है? वह है पाकिस्तान के अंदर चलने वाले अनेक मदरसे और भारत में चलने वाले ऐसे मदरसे, आतंकवाद के कारखाने हैं। एक टास्क फोर्स आन बार्डर मैनेजमैंट बनी थी। मैं उसके कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "कार्य बल ने लगभग सभी सीमाओं के सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसों और मस्जिदों की संख्या में तीव्र वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। इनमें से अधिकतर निर्माण सक्षम स्थानीय प्राधिकारियों की औपचारिक अनुमति के बिना ही किए गए हैं।

अधिकतर मामलों में, इन संस्थानों को गैर-बैंकिंग संस्थानों के माध्यम से काफी विदेशी निधियां उपलब्ध हो गई हैं। मुस्लिमों के तालिबानीकरण और उनकी शिक्षा के लिए प्रयास एक चिंता का विषय है जिसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए।''

[हिन्दी]

टास्क फोर्स ने आगे यह कहा है कि

[अनुवाद]

''शिक्षा की अन्य पद्धतियों की एकदम अनदेखी करके रूढ़िवादी शिक्षा के अध्ययन पर पूर्ण बल देकर.....यह अनुदेश इन संस्थानों को चलाने वाले विश्व भर के प्रबंधकों के उस विचार से संबंधित है कि इन अध्ययनों और भाषाओं से परे कुछ भी उपयोगी स्वीकार्य नहीं है।

हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर मस्जिदों और मदरसों की सख्या में बेहताशा वृद्धि हुई है। जिज्ञासा पैदा करने वाली बात यह है कि ये इस जगह निर्मित किए गए हैं जहां अल्पसंख्यक बहुत ही कम संख्या में हैं या बिल्कुल ही नहीं हैं तथा सीमा के दोनों तरफ मदरसों और मस्जिद साथ-साथ फैल गए हैं। इन संस्थानों को इस्लामी आधारभूत ढांचे के रूप में माना जा सकता है जिनमें भारत को खुफिया तरीके से घेरने की संभावना है।

भारत-बंग्लादेश सीमा पर भारत के सीमावर्ती जिलों में बंग्लादेश से भारी संख्या में लोगों के अवैध उत्प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय संरचना में हुए परिवर्तन के साथ-साथ मदरसों और मस्जिदों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र में दोनों तरफ के क्षेत्र में इस समुदाय की जनसंख्या में चार गुणा वृद्धि होने के साथ-साथ मदरसों और मस्जिदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। भारत की तरफ सीमा से 10 किलोमीटर अन्दर तक 343 मस्जिदें, 300 मदरसे और 17 मस्जिद सह मदरसे हैं।''

[हिन्दी]

नेपाल सीमा पर भी इन मदरसों का जिक्र है। टास्क फोर्स ने कहा है कि भारत अपने विनाश पर इस तथ्य की अवहेलना कर सकता है।

[अनुवाद]

इसमें आगे कहा गया है:

''राजस्थान क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर वक्फ बोर्ड के पास 129 मदरसे पंजीकृत हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में अपंजीकृत मदरसों की संख्या राज्य के अन्य स्थानों की तुलना में अधिक रही है।''

गुजरात क्षेत्र के संबंध में फिर वही बात दोहराई गई है तत्पश्चात् वे कहते हैं:

''भारत-बंग्लादेश सीमा पर मदरसों और मस्जिदों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है।''

राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कार्य बल ने यह रिकार्ड किया कि भारतीय क्षेत्र में सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में इस समय 905 मस्जिदें और 439 मदरसे हैं। आंकड़े मात्र ही हमें भौंचक्का कर देने वाले हैं। तत्पश्चात् कार्यबल ने यह भी कहा है:

''मदरसों का तालिबानीकरण इन संस्थाओं में कट्टरवादी विचारधारा के प्रसार के कारण हो रहा है। ...कुछ स्थानों पर मदरसों में आई.एस.आई. एजेन्टों और अवांछित तत्वों के शरण लेने की खबर है।''

[हिन्दी]

यह आपकी टास्क फोर्स कह रही है कि आई.एस.आई. एलीमेंट्स और सबमर्सिव एलीमेंट्स वहां है और इसके अलावा

[अनुवाद]

कार्यबल यह भी कहता है:

''मदरसों में युवाओं पर मतारोपण और उनके मस्तिष्क में कट्टरवादी भावनाएं भरने से भविष्य में हमारी शासन व्यवस्था के समक्ष गम्भीर समस्याएं खड़ी हो जाएंगी ...।''

[हिन्दी]

सभापति महोदय, बुद्धदेव आचार्य जी, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर साहब ने एक जगह भाषण देते हुए ये शब्द कहे।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने एक दैनिक को साक्षात्कार में यह टिप्पणी की थी कि कुछ मदरसे राष्ट्रविरोधी तत्वों का आधार बन गए हैं। उन्होंने कहा था:

''मैं यह कहना चाहता हूं कि इन मदरसों को मदरसा बोर्ड के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए और इनमें अरबी और धर्मशास्त्रों की शिक्षा दी जानी चाहिए। इन मदरसों से कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व अपना कार्य कर रहे हैं...''

पाकिस्तान में मदरसे रजिस्टर्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुशर्रफ ने कहा कि हर मदरसे को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मुझे मोरक्को,

[श्री शिवराज वि. पाटील]

ट्यूनीशिया और अल्जीरिया जाने का मौका मिला था। वहां उन्होंने अपने यहां सब मदरसों का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराया और वहां क्या पढ़ाया जाएगा, इसको भी तय किया। लेकिन भारत में क्या स्थिति है? हिन्दुस्तान में मदरसों के संबंध में किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। मुशर्रफ जब कहता है कि मदरसों में पढ़ने वाले 1400 विदेशी जो बाहर से आते हैं और आने के बाद यहां तालीबान बनते हैं, उन सबको मदरसे से निकाल दिया। उन सबको पाकिस्तान मदरसे से निकाल रहा है। आज सुबह के अखबारों में है कि सिंध ने भी कह दिया कि उनके यहां के सब मदरसों से विदेशी चले जाएं। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे यहां उनके लिए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान से निकलेंगे तो हमारे यहां आ जाएं, भारत में कहीं भी आ जाएं। जो थोड़ा-बहुत नियंत्रण पहले था और मदरसों को कहा जा रहा था कि मदरसों को रजिस्टर्ड कराएं। मदरसों को कहा जा रहा था कि उनमें आधुनिक शिक्षा दें और उनसे यह कहा जा रहा था कि उनमें कोई आईएसआई के एजेंट तो नहीं हैं, इसकी मोनीटरिंग करें, वह सब आपने बंद कर दिया। इस सरकार ने आने के बाद एक साल में मदरसों की जो पहले जांच होती थी, उन पर निगाह रखी जाती थी, उस जांच को भी बंद कर दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तीसरा अपराध था जो इस सरकार ने किया। मदरसों को खुला छोड़ दिया जो चाहे यहां पर आकर तालीबान पैदा करे और जेहादी फैक्टरियां लगाए और आतंकवादी बाम्ब बने। यह तीसरा अपराध है जो इस सरकार ने किया।

चोथा अपराध है कि वहां पर पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया था। आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया था। पंजाब में 8000 से ज्यादा लोग मरे थे। वहां से लाखों की संख्या में लोग निकले आए थे। अकालियों और भाजपा के गठबंधन के बाद पंजाब में आतंकवाद खत्म हो गया था लेकिन पंजाब में इस आतंकवाद को पैदा किसने किया था? ...*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): भाजपा के समय में ही तो ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया आपस में बातचीत न करें। कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पंजाब में आतंकवाद कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया था। कांग्रेस ने भिंडरावाले को अकाली पार्टी के मुकाबले में खड़ा किया और भिंडरावाले को मदद देनी शुरू की। जब वह भस्मासुर बन गया और पंजाब के अंदर हजारों निर्दोष मार डाले गये।...*

परन्तु भिंडरावाले को पैदा करने का पाप उस समय आप लोगों ने किया था। अब क्या हो रहा है? उस दिन मैंने इस सवाल को पूछा था कि खालिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा कहां है? इसके अड्डे पाकिस्तान में चल रहे हैं, कनाडा में चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहे हैं। खालिस्तान का सबसे बड़ा अड्डा कनाडा में चल रहा है, वहां के एक प्रमुख गुरुद्वारे में पट्टियां लगी हुई हैं जिन पर 'खालिस्तान जिन्दाबाद' लिखा हुआ है, खालिस्तान के नाम पर वहां धन इकट्ठा किया जा रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री खालिस्तान के अड्डों में जाकर सरोपा लेगा और उनके साथ खड़ा होगा तो पंजाब में आतंकवाद क्यों नहीं फैलेगा?

महोदय, मेरे पास जो सूचनाएं हैं, अगर मैं उनको पढ़ना चाहूं तो बहुत समय लगेगा। पंजाब में फिर से आतंकवाद पैदा हो रहा है, कहां से आ रहा है यह आतंकवाद? दिल्ली के अन्दर सिनेमाहालों में जिन लोगों ने बम फेंके, वे कौन लोग हैं, कहां रह रहे थे? पंजाब में रह रहे थे। इस सरकार का समर्थन करने वाले लोगों के घरों में वे खालिस्तानी आतंकवादी बैठे हुए हैं। अकाली पार्टी को नष्ट करने के लिए आप हिन्दुस्तान को नष्ट कर रहे हैं? अकाली पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप हिन्दुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप उन लोगों को सहारा देकर पंजाब में फिर से आतंकवाद बढ़ जाए, उसकी आप साजिश को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर पंजाब में आतंकवाद पैदा होता तो उसके लिए यूपीए और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी। यह आपका चौथा अपराध है, आपका चौथा पाप है जो आप पंजाब में आतंकवाद को जिन्दा करने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके पहले उस दिन भी बहस हो चुकी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। आईएमडीटी का क्या हुआ? यहां चार करोड़ बंगलादेशी घुसपैठिए हमारे देश में हैं, उनमें से 10 लाख के करीब बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली में आ गए हैं और वे 10 लाख लोग दिल्ली में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार निर्णय और दिल्ली हाईकोर्ट के चार निर्देश इस विषय पर आ चुके हैं। न्यायालय का निर्देश है कि बंगलादेशियों को यहां से निकाला जाए। अब यह प्रश्न उठाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामलों में दखल दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में क्यों दखल दे रहा है। इसमें न्यायालय क्यों आ रहा है? आप चार करोड़ बांग्लादेशियों को देश में और दस लाख बांग्लादेशियों को दिल्ली में बनाए रखेंगे और कहेंगे कि न्यायालय क्यों दखल दे रहा है? न्यायालय में आप गए थे कि बंगलादेशियों को निकालना मुश्किल है, हम उनको नहीं निकाल पायेंगे। कोर्ट ने झाड़ लगाई है कि यदि आप सरकार नहीं

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चला सकते हैं, अगर विदेशियों को हिंदुस्तान में आने से नहीं रोका सकते तो आपको शासन चलाने का क्या अधिकार है? सारे देश की सीमाओं पर बांग्लादेशियों को बैठाए रहेंगे और फिर सोचेंगे कि चूंकि असम में चुनाव होने वाले हैं, अगर ये बांग्लादेशी चले गए तो कांग्रेस को कौन वोट देगा? इसलिए बांग्लादेशियों को हिन्दुस्तान में बनाए रखेंगे, आईएमडीटी के समाप्त होने पर, कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे। यह देश के हितों के खिलाफ है। यह देश के हितों की हत्या है, जो कि आप कर रहे हैं। यह आपका पांचवां अपराध है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: आपके कार्यकाल में कितने बांग्लादेशियों को निकाला गया?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसके साथ ही जो नक्सलाइट समस्या है, जो माओवादी हिंसा है, आतंरिक सुरक्षा को जो अन्य खतरे हैं वे भी हमारे सामने हैं। इस विषय में मैं एक अखबार में जो लेख छपा था, मैं उसे यहां पढ़ना चाहूंगा:

> "पिछले सप्ताह जेहाद अयोध्या तक आ पहुंचा। श्रीराम जन्मभूमि ध्वस्त होते-होते बची तो केवल कुछ सीआरपी के जवानों की बहादुरी के कारण। आतंकवादी हमले का उद्देश्य था साम्प्रदायिक हिंसा भड़काना, जो फिलहाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन बला अभी टली नहीं है।"

"प्रधानमंत्री जी ने जरूरत से ज्यादा शरीफाना अंदाज में आतंकवाद का दृढ़ता से सामना करने का वायदा दोहरा दिया। राजनीतिक समिति की आपातकालीन मीटिंग भी बुला ली गयी। बस इतना ही किया गया। अगर कोई और आतंकवादी होते तो सरकार की इस बुजदिल कायराना प्रतिक्रिया से उनका हौसला कितना ज्यादा बढ़ जाता।" रात को मीटिंग हुई परन्तु वह मीटिंग इसके लिए नहीं हो रही थी, बल्कि इसलिए हो रही थी कि किस प्रकार से बिहार में विधान सभा को भंग किया जाए। श्री मनमोहन सिंह जी के राज में हर किस्म की आतंकवादी हिंसा बढ़ी है।

लेख में आगे कहा है कि "हर किस्म का आतंकवाद, चाहे वह नक्सली हो, खालिस्तानी हो, जेहादी हो, मानव बम हो, ये सब आतंकवाद की अंधेरी दुनिया से निकल-निकल कर सामने आ रहे हैं। पंजाब में भी शांति भंग होने का खतरा पैदा हो रहा है। *...(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: मुझे इस पर एतराज है। जब एनडीए की सरकार थी, उस समय आतंकवाद की घटनाओं में क्या वृद्धि नहीं हुई थी? जम्मू-कश्मीर में राम मंदिर पर हमला हुआ, अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, संसद भवन पर हमला हुआ, लाल किले पर हमला हुआ, यह सब आपके ही राज में हुआ था। आपके समय में ही आतंकवाद सबसे ज्यादा फैला और आप हर मोर्चे पर विफल रहे। अब प्रधानमंत्री जी पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं।

सभापति महोदया: मानवेन्द्र जी, आप बैठ जाएं, क्योंकि वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमने पोटा खत्म नहीं किया था, हमने बांग्लादेशियों को बिठाए रखने के लिए आईएमडीटी एक्ट को बनाए रखने की बात नहीं की थी। हमने पंजाब में खालिस्तानी पैदा नहीं किए थे। हमने पाकिस्तान को यह कहा था कि जब तक उनके यहां से आतंकवाद खत्म नहीं होगा, हम वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): पोटा का उपयोग क्या है?

[हिन्दी]

सभापति महोदया: वह ईल्ड नहीं कर रहे हैं इसलिए आप बैठिए। किसी के भाषण में टोका-टांकी नहीं होनी चाहिए। जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात कहें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: पंजाब में शांति कायम हुए करीब एक दशक हो गया है, फिर यह खालिस्तानी मानव बम कहां से पैदा हो रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैं पेपर नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ आर्टिकल पढ़ रहा हूं। लेखक लिखता है कि "मेरा मानना है कि आतंकवाद की वापसी का सबसे बड़ा कारण मनमोहन सिंह सरकार है। ...* पिछले सप्ताह अयोध्या में जो आत्मघाती हमला हुआ, उसके उपरांत प्रधानमंत्री को चिंता इस बात की थी। *...(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह: यह शब्द असंसदीय है, इसे निकाल दिया जाए।

सभापति महोदया: अगर कोई शब्द असंसदीय होगा, तो वह रिकार्ड से निकाल दिया जाएगा। मैं उसे देख लूंगी। आप बीच में न बोलें। मल्होत्रा जी, आप चेयर को एड्रैस करें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मनमोहन सिंह जी को या इस सरकार को चिंता इस बात की नहीं थी कि अयोध्या में राम जन्म भूमि को नुकसान पहुंचा या नहीं। उन्हें चिन्ता इस बात की थी कि कहीं इसका फायदा संघ परिवार या दूसरे लोग न उठा लें। इस बात से ये लोग चिंतित थे। फिर हुर्रियत के लोगों को बिना परमिट के, बिना पासपोर्ट के कैसे पाकिस्तान जाने दिया? *...(व्यवधान)* अगर आप इजाजत दें तो बोलूं। *...(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): ये लोग चिल्ला कर क्या कहना चाहते हैं?

सभापति महोदया: इस तरह से टोका-टाकी करना, कोई सही तरीका नहीं है। जब आपको बोलने का अवसर मिलेगा, तब आप अपनी बात कहें, लेकिन बीच में न बोलें।

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद): अटल जी ही सबसे पहले पाकिस्तान गए थे और आपने ही वार्ता पहले शुरू की थी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जब हमने शांति वार्ता की थी, तो मुशर्रफ साहब से यह लिखवाया था कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हमने इनकी तरह से नहीं किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): कारगिल वार आपके समय ही हुई थी। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस सरकार ने पाकिस्तान के साथ बातचीत में आतंकवाद की बात करना ही बंद कर दिया।

सभापति महोदय, हुर्रियत के लोग बिना परमिट, बिना पासपोर्ट हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं और वहां जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, अपशब्द कहते हैं, जैहादियों को तैयार करते हैं। इसलिए कश्मीर के अंदर आपकी नीति के कारण ही हालात बिगड़ रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में इस सरकार ने एक वर्ष में जिस-जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है, उसका कारण है कि इन्होंने अपने राजनीतिक हितों के लिए, राजनैतिक स्वार्थों के लिए, अपने देश के हितों के साथ गद्दारी की है। कुछ सीटें इन्हें प्राप्त हो जाएं, इसलिए ये नक्सलवादियों से समझौता करते हैं, इसलिए आसाम में बंगलादेशियों से समझौता करते हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नक्सलाइट्स के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और सारे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अगला स्पीकर आपकी तरफ का है, क्या उसको बोलने नहीं देना है। कृपा करके आप बीच में टोका-टाकी न करें। यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठ जाइये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यूपीए सरकार के आने के बाद यहां पर अनेक घोषणाएं की गयीं, मिनिमम प्रोग्राम के बारे में घोषणा की गयी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बजाए आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं, आप लड़ना चाहते हैं हिंदुत्व की शक्तियों से, आपका निशाना इस तरफ है, आपका निशाना आतंकवाद नहीं है। मैं यूपीए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री पर चार्ज लगाता हूं कि उन्होंने अपनी सीटों के लिए, राजनैतिक स्वार्थों के लिए, देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, आतंकवाद के घेरे में ला दिया है। देश के 150 जिलों को नक्सलवादियों के हाथों में, सारे असम को बंगलादेशियों के हाथों में, पंजाब को खालिस्तानियों के हाथों में और बाकी देश को आतंकवाद के साये में ले आये हैं। ...*(व्यवधान)* मैं बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि पर चाहे हजार आतंकवादी आ जाएं, राम मंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश सारी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कितना भी कर लें, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनेगा और उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ...*(व्यवधान)* देश को इस प्रकार से आप नष्ट न करें और अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए देश के हितों की बलि न दें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि एक वर्ष में जो कुछ इन्होंने किया, उसको देखते हुए, आने वाली पीढ़ियां यह न कहें कि एक वर्ष में यूपीए की सरकार ने आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया और देश को आतंकवाद के घेरे में लाकर के खड़ा कर दिया। आने वाली पीढ़ियां जयचंद की तरह से और मीरजाफर की तरह से आपको याद न करे, इस पर आप विचार करें।

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो हम पांच जुलाई, 2005 को जो अयोध्या में आतंकवादियों के प्रवेश की कोशिश को हमारी पैरा-मिलिट्री फोर्स ने मार गिराने का काम किया, मैं उन बहादुर सिपाहियों को बधाई देना चाहता हूं। यह पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में कि पांच आतंकवादी मार गिराये गये। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.00 बजे

डा. राजेश मिश्रा: हमारा अगला वाक्य तो सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)* उसके बाद बोलिएगा।

प्रो. एस.पी. सिंह बघेल (जलेसर): इससे पूरी फोर्स का मनोबल गिरेगा।

डा. राजेश मिश्रा: महोदया, मुझसे एक वाक्य छूट रहा था, छूट नहीं रहा था, बल्कि मैं उसी पर बोलने जा रहा था कि हमारे पैरा मिलेट्री फोर्स, पुलिस और पीएसी की फोर्स ने मिलकर, ऐसा हिन्दुस्तान के अंदर पहली बार हुआ कि पांच-पांच आतंकवादी मार गिराए गए, जबकि वहां बहुत पब्लिक खड़ी थी, वहां पर मौजूदा किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई डिस्टर्ब नहीं

हुआ। महोदया शायद इससे ज्यादा आतंकवादियों के ऊपर ...*(व्यवधान)* आप चुप रहिए, हमें बोलने दीजिए।

सभापति महोदया: मैं सदन के सदस्यों से प्रार्थना करना चाहती हूं। यहां पर सभी को समय मिलना है। हर पार्टी को समय मिलना है, फिर हम क्यों बीच-बीच में बच्चों की तरह हरकत करते हैं? सभी को अपना-अपना समय मिलेगा, तब अपनी बात रखिएगा।

डा. राजेश मिश्रा: महोदया, मैं अपनी पुलिस और पैरा मिलेट्री फोर्स को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। महोदया, मैं अभी सम्मानित मल्होत्रा जी के विचार सुन रहा था, जो इस सदन के काफी वरिष्ठ नेता हैं, हम लोग तो नए सदस्य हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आदरणीय मल्होत्रा जी जब आतंकवाद, उग्रवाद और अयोध्या के कांड पर बहस चलाएंगे, तो ईमानदारी के साथ हिन्दुस्तान में आतंकवाद को कैसे रोका जाए, इस पर बात करेंगे, लेकिन मुझे उनकी बातों को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मुझे लगा कि सदन के अंदर या बाहर राजनीति करने के लिए और वोट लेने के लिए यदि बीजेपी और एनडीए के लोग साम्प्रदायिकता की बात करते हैं, तो समझ में आता है कि वे इससे वोट चाहते हैं। लेकिन जब आतंकवाद और उग्रवाद में सांप्रदायिक बातों को घुसेड़ने लगते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ये इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, बल्कि इसमें भी इनको कहीं न कहीं वोट की लालच और झलक दिखाई पड़ रही है, इसलिए ये इस पर बहस करना चाहते हैं। मैं सम्मानित मल्होत्रा जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मंदिर मुद्दे पर चर्चा करनी है, आपने तो 12-13 साल मंदिर बनवाया, लोगों का विश्वास आप पर कैसे होगा, यह आप का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज तक नेताओं और सरकारों पर यह आरोप लगता रहा है कि इन्होंने जनता से फलां बात का वायदा करके वोट मांगा था और इन्होंने जनता को धोखा दिया, लेकिन आप पर तो यह आरोप लगा कि आपने सिर्फ जनता को धोखा नहीं दिया, बल्कि जब सरकार में आए, तो भगवान को भी धोखा दिया। अब आप खुद इसकी सफाई दीजिए कि आप इसकी सफाई कैसे दे सकते हैं? यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, यह आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। हम आदरणीय मल्होत्रा जी की बात सुन रहे थे, सारे मदरसे, सारी मस्जिदें, जितनी इन्हें हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान के बार्डर पर दिखाई पड़ती हैं, उनमें आतंकवादी, उग्रवादी और न जाने कौन-कौन पलते हैं, ऐसी चर्चा कर रहे थे। ...*(व्यवधान)* महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं पर मंदिर हो, मस्जिद हो, विद्यालय हो या मदरसा हो, जहां भी कोई व्यक्ति अपना सिर झुकाता है। कोई अपना सिर मंदिर में झुकाता है, कोई अपना सिर मस्जिद में झुकाता है, कोई अपना सिर गुरुद्वारे में झुकाता है।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): काशी विश्वनाथ के बारे में कुछ बोलिए। ...*(व्यवधान)*

डा. राजेश मिश्रा: मैं बोलूंगा, आप बैठ जाइए। आप क्यों चिंतित है? आप सरकार में रहकर कुछ नहीं कर पाए। हम सरकार में रहकर उसे कर रहे हैं। आप सुनने का हौसला रखिए। ...*(व्यवधान)*

महोदया, बड़ा ताज्जुब होता है जब शिक्षा देने की जगह पर आतंकवादी घुसते हैं। जहां लोग अपना सिर झुकाते हैं, वहां इन्हें आतंकवादी नजर आते हैं। हम सामने बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आतंकवाद हिन्दुस्तान में इतनी तेजी से कब से पनपना शुरू हुआ है? हम आतंकवाद पर चर्चा करते हैं तो हमें कष्ट होता है। हमने अपने दो-दो महबूब नेताओं, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी को आतंकवादियों से लड़ते हुए खोया है। आप आतंकवाद की बात करते हो। आप वह दिन याद करें जिस बोईंग विमान का अपहरण किया गया जो काठमांडु से दिल्ली आ रहा था, जिसे आतंकवादियों ने कंधार में उतारा था। आप कल्पना करिए कि शायद हिन्दुस्तान में इससे ज्यादा शर्मनाक दिन कोई दूसरा नहीं हो सकता है कि आतंकवादियों के सामने पूरे भारत की सरकार सरैंडर करती है। यह शर्म की बात है कि पूर्व सरकार के विदेश मंत्री अपने साथ बड़े-बड़े आतंकवादियों को जहाज में बैठा कर, जेल से छुड़वा कर, कंधार में सरैंडर करते हैं और उस जहाज को छुड़वाने का काम करते हैं। क्या इससे ज्यादा शर्म की दूसरी बात हो सकती है? ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 4.07 बजे

[*श्री अर्जुन सेठी पीठासीन हुए*]

शायद हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में इससे ज्यादा दूसरा कोई शर्मनाक दिन नहीं हो सकता जब हिन्दुस्तान के पूर्व विदेश मंत्री, अपने ही जहाज में बड़े-बड़े आतंकवादियों को जेल से छुड़वा कर, खुद साथ बैठा कर ले जाते हैं और सरैंडर करते हैं। वह अंडर हैंड क्या-क्या देते हैं? हम यह सुनते हैं कि सोना-चांदी दिया गया, पैसा दिया गया लेकिन हमने देखा कि आतंकवादियों को जेल से छुड़वा कर भेजा गया। मैं कहना चाहता हूं कि वही काला दिन आजाद हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में था, जहां से आतंकवाद तेजी से पनपने का काम करता है, यह चर्चा करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर का ठेकेदार कोई दल नहीं हो सकता। देश के करोड़ों नौजवान जो हिन्दू हैं, वे हो सकते हैं। उसमें किसी दल की मोहर नहीं लग सकती। हम भी पूजा करना चाहते हैं लेकिन अगर हम पूजा करते हैं तो दिल से करते हैं, हम राजनीतिक स्वार्थ के लिए पूजा नहीं करते हैं, हम आध्यात्मिक हैं, इस नाते पूजा करते हैं, हम वोट मांगने के लिए कभी पूजा नहीं करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[डा. राजेश मिश्रा]

आप अयोध्या की घटना की चर्चा करते हैं, जहां सारे-सारे आतंकवादी 10 मिनट में ढेर हो जाते हैं। आपको वह दिन याद नहीं है कि इसी हिन्दुस्तान के लोकतंत्र में, जहां आत्मा बसती है, संसद, वहां आपके जमाने में आतंकवादी चले आते हैं. आपको उनकी चिन्ता नहीं सताती है। आपको उस समय बड़ा अच्छा राज समझ में आता था। आप मंदिरों के ठेकेदार बनते हैं। अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी घुस जाते हैं। कितने लोग मारे जाते हैं क्या उस समय आपके पास इसका जवाब था? गुजरात में चुनाव होते हैं। आप उसी के नाम पर वोट मांगने लगते हैं। हिन्दुस्तान में आतंकवाद जो बढ़ा है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय ने पार्टी लीडर्स की मीटिंग बुलायी है। मैं उसमें जा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मिश्रा के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संसद में आतंकवाद पर चर्चा हो रही है। शायद आजाद हिन्दुस्तान में यह पहली बार हुआ होगा कि एक तरफ पूर्ववर्ती सरकार पाकिस्तान से दोस्ती कर रही थी और बस सेवा बहाल कर रही थी तथा दूसरी तरफ आजाद हिन्दुस्तान की पहाड़ियों पर विदेशी चढ़ते हैं। यह पहली बार हुआ हमारी पहाड़ी, हमारी राइफल, हमारी सर-जमीन पर पाकिस्तानी सैनिक चढ़ते हैं। वे हमारे सैनिकों पर गोली चलाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की दूसरी कोई बात हो सकती है और आप आज आतंकवाद की चर्चा करते हैं। आज आतंकवाद सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमरीका और ब्रिटेन हैं, श्रीलंका का आतंकवाद आपने अपनी नजरों से देखा है। आज पूरी दुनिया में आतंकवादी गतिविधियां जिस तरह से तेज हो रही हैं, हम कहना चाहते हैं एनडीए को, कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मिलजुल कर बात होनी चाहिए, जब तक मिलजुल कर बात नहीं होगी, सही रास्ते की तलाश नहीं होगी तब तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंक सकते।

महोदय, पंजाब के अंदर, मिलेजुले लोग, जिनके जमाने में आतंकवाद चरम सीमा पर था, मैं यूपीए और वहां की सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिसने आतंकवाद को ध्वस्त किया। जब तक मिलजुल कर आतंकवाद पर कोई पहल नहीं करेंगे, हम सियासत नहीं करेंगे, सांप्रदायिकता को नजदीक नहीं आने देंगे तब तक ईमानदारी से आतंकवाद से मुकाबला नहीं किया जा सकता।

महोदय, आज अयोध्या, काशी और मथुरा की सुरक्षा एक अहम समस्या है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी और पुराणों में उसका नाम काशी है लेकिन आज उसका नाम वाराणसी है, बनारस है। हमारे सम्मानित गृहमंत्री जी यहां बैठे हैं, हम कहना चाहते हैं कि अयोध्या, काशी और मथुरा, जो हिन्दुस्तान के महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कीजिए, पूरा हिन्दुस्तान आपके साथ है। हो सकता है कि कुछ लोग सियासत के नाम पर आपके साथ न हों लेकिन पूरा हिन्दुस्तान आपके साथ है लेकिन इसके साथ निश्चित रूप से मैं एक अनुरोध करूंगा कि अयोध्या का जो स्थान है वह पहाड़ी टीले पर है, वहां की सुरक्षा करना आसान है। काशी में बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहां पर पच्चीस हजार मकान हैं। बनारस अपने आप में सबसे पुराना शहर है, गलियों का शहर है, वहां सड़कें कम और गलियां ज्यादा हैं। विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसके अगल-बगल में करीब बीस से पच्चीस हजार मकान हैं, छोटी-छोटी गलियां हैं, इन गलियों के माध्यम से लोग विश्वनाथ जी मंदिर के दर्शन करते हैं। इसके बगल में सटी हुई मस्जिद है, वहां लोग नमाज अदा करते हैं। हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप सुरक्षा के जो भी इंतजाम कर रहे हैं, कीजिए लेकिन एक बात को जरूर खयाल में रखिए कि जो मंदिर है, जो मस्जिद है, उसके अगल-बगल में बीस हजार मकान हैं, जो लोग वहां रहते हैं, उन मकानों के सामने उनकी दुकानें हैं जो उनकी जीविका है। वहां जिस तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, यदि रास्ते को ही रोक दिया गया तो वहां रहने वाले लोग बेघर हो जाएंगे, वहां जो दुकानदार हैं वे खाने के बिना मर जाएंगे और जो दर्शनार्थी और वे लोग जो नमाज अदा करने जाते हैं, नमाजी हैं वे दर्शन नहीं कर पाएंगे, नमाज अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सुरक्षा से समझौता मत कीजिए लेकिन दर्शनार्थियों को, नमाजियों को, वहां के दुकानदारों और वहां के लोगों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। जब से अयोध्या में 5 जुलाई की घटना हुई है और जिस तरह से अयोध्या, काशी और मथुरा का सुरक्षा कवच तेज किया गया, उसी समय से वहां के दुकानदारों के लिए, वहां के रहने वाले लोगों के लिए, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर के पुजारी और बगल की मस्जिद के हाफिज, सारे लोग आंदोलन की राह पर आए हैं क्योंकि सबको दिक्कत हो रही है। एक-एक या दो-दो पास इश्यू होते हैं और जिस तरह से लोग दर्शन के लिए जाते हैं, उनको दिक्कत होती है। नमाज अदा करने में दिक्कत हो रही है, वहां रहने वाले लोगों को रिश्तेदारों से मिलने में दिक्कत हो रही है। दुकानदारों को अलग तरह की दिक्कत है, आज उनके सामने पेट का सवाल है, अपने परिवार को पालने का सवाल है। इसलिए मैं माननीय

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृहमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि सुरक्षा के नाम पर समझौता कोई न हो लेकिन दर्शनार्थियों, नमाजियों, वहां रहने वाले लोगों और दुकानदारों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। हमें पूरा विश्वास है कि यूपीए सरकार ने, वर्तमान सरकार ने एक नमूना पेश किया, अयोध्या में पांच मिनट के अंदर पांच आतंकवादियों को मारा गया। ...*(व्यवधान)* यूपीए सरकार में प्रदेश सरकार नहीं है क्या? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, हम वे लोग नहीं जिनके जमाने में आतंकवादी पार्लियामेंट में अंदर चले आयें और उसके बाद सीना खोलकर कहें कि हम आतंकवादियों के खिलाफ लड़े हैं। इन्हीं शब्दों और विश्वास के साथ कि हमारी वर्तमान सरकार आतंकवादियों से लड़ने का हौसला रखती है और निश्चित रूप से पूरे हिन्दुस्तान से आतंकवाद का खातमा करेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सुनील खां, आपके बोलने से पूर्व मैं माननीय सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि लगभग 20 संसद सदस्यों को बोलना है और आवंटित समय केवल 2 घंटे है। अत: मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने आवंटित समय का ध्यान रखें ताकि हम चर्चा को समय पर समाप्त कर सकें।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मेरे दल को कितना समय दिया गया है?

सभापति महोदय: उन्नीस मिनट। अब आप बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां: सभापति महोदय, मैं आज जिस विषय पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, वह न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद से रिलेटेड है। आज आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और रोजगार चाहिये और इसमें आम लोगों की सहमति हो सकती है लेकिन दुनिया में किसी का शोषण न हो, अगर ऐसा वातावरण हम बना लें तो आतंकवाद पैदा नहीं होगा। हमारी अपोजीशन पार्टी के मैम्बर श्री मल्होत्रा ने कहा कि हमने आतंकवाद खत्म करने के लिए पोटा बनाया और हम आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं लेकिन हमने देखा है कि उनके सहयोगी पार्टी के नेता ने उसका विरोध किया। समय समय श्री वाइको, एम.डी.एम.के. नेता थे, जब पोटा के खिलाफ बोले तो उन्हें अरैस्ट किया गया। यह सही बात है और ऐसा हो गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। श्री खां, आप कृपया पीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां: सभापति महोदय, वह अलग पार्टी के थे और उन्हें अरैस्ट किया गया था। कानून का विरोध करते हुये आदमी पकड़ा जाता है। एक और मिसाल हमारे सामने है। बी.जे.पी. सरकार ने एक 13 साल के बच्चे को आतंकवादी कहकर पकड़ा, आतंकवाद के नाम पर 80 साल के आदमी को पकड़ा, लेकिन जो असली आतंकवादी था, वह नहीं पकड़ा गया। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पांच आतंकवादियों को खत्म किया। ऐसा ही करना चाहिये, जो सही बात है।

सभापति जी, एन.डी.ए. सरकार ने होटल सैंतूर को बेच दिया। यहां तक कि पब्लिक सैक्टर की सम्पत्ति को बेचने के लिये आमादा रहे। इन लोगों ने जो कुछ किया, उससे आतंकवाद ज्यादा हो रहा था। इन्होंने धर्म के नाम पर अयोध्या में क्या काम किया। धर्म के नाम पर ये लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। हम सब लोगों ने आजादी की लड़ाई एक साथ लड़ी थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया। भारत में ज्यादा से ज्यादा हिन्दू रहते हैं। लेकिन इन लोगों ने धर्म के नाम पर फासीवाद फैलाया और इसी कारण आज आतंकवाद फैल रहा है। लेकिन ये सब हम अपने देश में नहीं चलने देंगे। यदि हम लोग फासीवाद को खत्म करेंगे तो हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। ...*(व्यवधान)* वर्ष 2001 में मैं एक डेलीगेशन के साथ आस्ट्रेलिया गया था। जब संसद शुरू हुई तो अमरीका के प्रेसीडैन्ट ने बोला कि तुम ऐसा कोई कानून बनाओ, तब हम सोचेंगे कि तुम लोग आतंकवाद के विरुद्ध हो। तब इन लोगों ने पोटा बना दिया। जो अमरीका ने बोला, वही इन्होंने कर दिया।

सभापति महोदय, जब अमरीका ने इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी, उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उन्हें स्टेटमैन्ट देने में दो दिन का समय लग गया था। हमने कहा कि जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं, उनके विरुद्ध यदि कोई बाहर का देश युद्ध की घोषणा करता है तो हम लोग उसके विरुद्ध हैं, हमारा राष्ट्र भी उसके विरुद्ध है। यही भारत की नीति है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि स्टेटमैन्ट दीजिए तो वाजपेयी जी को उसमें दो दिन का समय लग गया। अमरीका के प्रेसीडैन्ट को उन्होंने फोन किया और पता किया कि हम कैसी लैंग्वेज यूज करेंगे। अंग्रेजी लैंग्वेज हम इस तरह से यूज करेंगे कि अमरीका सोचेगा कि हम उसके साथ हैं और हिन्दी

[श्री सुनील खां]

में भारतीय लोग सोचेंगे कि इराक के विरुद्ध अमरीका ने जो युद्ध की घोषणा की है, हम उसके विरुद्ध हैं। यह बहुत शर्म की बात है। मैं यहां कुछ आंकड़े रखकर बताना चाहता हूं कि आतंकवाद पहले से अधिक कैसे फैला है। आप देखें कि वर्ष 2001 में 4522, वर्ष 2002 में 4080, वर्ष 2003 में 3401 और वर्ष 2004 में यह घटकर 2565 हो गया। इस तरह से वर्ष 2004 में यह कम हो गया। हमें यह सोचना चाहिए कि आतंकवाद से देश में फासीवाद कायम हो जाता है।

स्वामी विवेकानंद जब वह अमरीका गये तो उन्होंने क्या कहा था। सारे अमरीकन्स ने कहा था कि भारत ऐसा शानदार देश है। उनसे पहले लोग लेडीज एंड जैन्टलमैन बोलते थे। लेकिन विवेकानन्द जी ने अपने संबोधन में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोला था। ऐसा कहकर उन्होंने दुनिया के लोगों को एक नई रोशनी दी थी। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे। जो एक धर्म के प्रतीक के रूप में गेरुआ पहनते हैं। लेकिन इस गेरुए को पहनकर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। जो गेरुआ पहनता है, उसे देश के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ये लोग गेरुआ पहनते हैं, माथा मुंडन करते हैं, खड़ाऊं पहनते हैं। लेकिन उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आप आम आदमी के विरुद्ध चले जाते हैं। आप कैसे साधु हैं। क्या साधु ऐसा होता है। साधु हमेशा आम आदमी की भलाई करता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: योगी आदित्यनाथ आप बैठ जाइए, श्री सुनील खां नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुनील खां: हमारे देश में थोड़ी बहुत कांग्रेस से भी गलती हुई है। राम मंदिर के समय ईंट की पूजी की थी, जो नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है जो गलत था वह इंट्रोस्पैक्शन हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग आम सहमति से देश के कानून को आतंकवाद के विरुद्ध लागू करेंगे तो देश में आतंकवाद कम हो जायेगा।

आज भारत की कम से कम 32 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयपान करती है। इसके लिए सरकार ने साल में कम से कम सौ दिन का रोजगार देने की योजना चलाई है जिसके अंतर्गत आप 11 हजार करोड़ रुपये 150 जिलों के लिए देंगे लेकिन समूचे भारत में जितनी ऐसी जनता है, उसके लिए कम से कम 40 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। हमारे यहां 1,30,000 करोड़ रुपये एन.पी.ए. में हैं। उसमें एम.पीज भी हैं। जिन लोगों ने इनकम टैक्स नहीं दिया, यदि उसका 50 प्रतिशत भी भारत सरकार ले तो वह 40 हजार करोड़ रुपये बनता है। अगर गरीब लोगों को सौ दिन का काम एक साल में मिल जाएगा तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग आतंकवाद से नहीं जुड़ेंगे।

महोदय, आज दुनिया में अमेरिका जैसे देश चाहते हैं कि उनका ही सामान हम खरीदें। डब्ल्यू.टी.ओ. के मैम्बर वे भी हैं और हम भी हैं, लेकिन अमेरिका, फ्रांस, जापान और जर्मनी ने एक मसौदा तैयार किया है बाय अमेरिकन ऐक्ट, बाय फ्रैन्च एक्ट, बाय जापान एक्ट, इसलिए सैन्ट परसैन्ट माल वे लोग आपको बेचने नहीं देंगे।

[अनुवाद]

आप अपना घरेलू उद्योग बचाने के लिए 'भरतीय वस्तुएं खरीदो अधिनियम' क्यों नहीं बना रहे हैं?

[हिन्दी]

ऐसा करने से जब आम जनता यह समझ जाएगी कि यह देश मेरा देश है, इस देश में रोजी-रोटी, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ मिलेगी तो आतंकवाद कभी नहीं फल सकता है। हमारे पश्चिम बंगाल के बार्डर पर पूरी बार्डर फैन्सिंग नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के इंटरनेशनल बार्डर पर फैन्सिंग ठीक तरह से हो और बार्डर सिक्यूरिटी फोर्सेज को मजबूत बनाया जाए, इस ओर में रक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

महोदय, कुछ दिन पहले हम उत्तरांचल गए तो हमने देखा जिसका जिक्र आज तक तारांकित प्रश्न में भी है कि नवशूद्र पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति में हैं लेकिन उत्तरांचल में वे अनुसूचित जाति में नहीं हैं। उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता। जो लोग ईस्ट पाकिस्तान से आए और रीहैबिलिटेट हुए, उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बंगाल के बार्डर पर क्या होता है कि बीएसएफ द्वारा कुछ अच्छे आदमियों को भी पकड़ लिया जाता है, हालांकि, सब अधिकारी ऐसा नहीं करते। अगर वे उनसे सहमत नहीं होते तो कहते हैं कि आप आतंकवादी हैं। अगर इसको रोकने के लिए भी हम कानून बना सकें तो हमारे देश में आतंकवाद नहीं फैलेगा।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: स्वाईं साहब, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड में शामिल नहीं होगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, देश और दुनिया में जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और खासकर अयोध्या में, उस सवाल को लेकर यह सदन चर्चा कर रहा है। मल्होत्रा जी अपना भाषण करने के बाद चले गए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): स्पीकर साहब ने मीटिंग बुलाई है। वहां गए हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: ठीक है, लेकिन यहां नहीं हैं।

काफी लंबी तकरीर उन्होंने की, लेकिन निराशाजनक थी जिसमें कोई तथ्य नहीं थे। यह और बात है कि जो बात उन्होंने की, वह मात्र एक बहाना था। सही मायनों में बीजेपी का मकसद एक बार फिर अयोध्या को हवा देना है और यही मकसद इस सदन में आतंकवाद पर चर्चा कराए जाने का था।

जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, 13वीं लोक सभा में श्री मुलायम सिंह जी सदन में सदस्य थे और उस समय भी आतंकवाद पर चर्चा हुई थी। आतंकवाद के मामले में हमारा दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट था और सभी मानते हैं कि यह किसी सरकार की समस्या नहीं है, यह पूरे देश की समस्या है। हम लोगों ने उस समय भी कहा था कि पूरे देश को मिल कर आतंकवाद से लड़ना चाहिए। श्री मल्होत्रा जी जिस प्रकार से तकरीर कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सवा साल में ही यह समस्या पैदा हो गई है और जब यह सरकार में थे, तब इस प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। आतंकवाद आज ही पैदा हो गया है। यह किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है और यह दर्शाता है कि जब यह सरकार में थे तब इनके मानक दूसरे थे और आज जब ये सरकार में नहीं हैं तो इनका बातें करने का तौर-तरीका बदल गया है। यह समस्या केवल हिन्दुस्तान की नहीं है। लंदन में 7 जुलाई और 21 जुलाई को और चार साल पहले न्यूयार्क के विश्व व्यापार केंद्र पर जो आतंकवादी हमला हुआ, उससे यह समस्या पूरी दुनिया की समस्या बन गई है। जैसा हमारे रक्षा मंत्री जी ने कल राज्य सभा में स्वीकार किया कि जून और जुलाई के महीने में आतंकवादी घटनाएं और बढ़ी हैं और यह भी सही है कि जनवरी, 2004 में जो वायदा श्री परवेज मुशर्रफ ने किया था कि आतंकवाद के लिए हम पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, उस वायदे को पूरा करने का काम श्री परवेज मुशर्रफ ने नहीं किया।

सभापति महोदय, इन लोगों ने कहा कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे तो उन्होंने अमरनाथ यात्रा, रघुनाथ मंदिर, चिरारे शरीफ, हजरत बल दरगाह, कंधार विमान कांड का जिक्र किया और इसी ससंद पर हमले का जिक्र किया। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हमारे पास आतंकवाद से लड़ने का एक सबल हथियार पोटा था और सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया है। जब इस सदन में पोटा पर चर्चा हुई थी, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि टाडा का अनुभव हमारे पास है और आप पोटा कानून बना रहे हैं। टाडा के तहत तमाम बेगुनाह लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन 90 फीसदी लोगों पर सरकार कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। आप जो पोटा कानून बना रहे हैं ये अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और अकलियत के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और यही हुआ। गुजरात में क्या हुआ, कितने ही बेगुनाह आदमी पोटा में बंद हैं। सांप्रदायिक तत्वों ने नंगा नाच किया, अकलियत के लोगों को पोटा में गिरफ्तार करने का काम हुआ और जो समीक्षा समिति बनी थी, उस समिति ने कहा कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये बुगनाह हैं और इनको छोड़ा जाए, लेकिन गुजरात की सरकार ने आज तक उन लोगों को नहीं छोड़ा है। इन लोगों ने पोटा का इस्तेमाल अकलियत के लोगों और अपने विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में किया और मुझे खुशी है कि वह पोटा कानून खत्म हुआ।

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत खास तौर से अयोध्या की बात को कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा में अयोध्या कांड को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और क्या-क्या आरोप बीजेपी के लोगों ने सरकार पर नहीं लगाए। पिछली सरकार के गृह राज्यमंत्री का आरोप है कि अगर उत्तर प्रदेश के विवादित स्थल अयोध्या परिसर की ठीक देखभाल सरकार नहीं कर सकती है तो उसे हिंदुओं के हवाले कर दे। जब वह सरकार में गृह राज्यमंत्री थे। उन्हीं के सामने तमाम घटनाएं हुई थीं। वहां पर सुरक्षा की कमियां गिनाई गईं। पूरे हिन्दुस्तान के वातावरण को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि बीजेपी ने जो वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की, वह उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। जिन-जिन सूबों में इनकी सरकार थी, वहां आंदोलन कराने की कोशिश की गई। इंदौर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। लेकिन कुल-मिलाकर पूरे देश के लोगों ने जो प्रतिक्रिया दिखाई, उस प्रतिक्रिया का सीधा-सादा मतलब यह हुआ कि देश के लोग मंदिर के सवाल पर इन लोगों के बहकावे में आने वाले नहीं हैं और देश की जनता ने बता दिया।

अयोध्या में विवादास्पद परिसर में पांच लोग एक मार्शल जीप से आए। जीप से नीचे उतरने के बाद, मार्शल जीप को विस्फोट

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

से उड़ा दिया और बैरीकेड में सुराग बनाकर अधिकृत परिसर में घुस गए। उन्होंने सी.आर.पी.एफ., उत्तर प्रदेश पुलिस और पी.ए.सी. के लोगों पर फायर किए और ग्रेनेड फेंके। आतंकवादी परिसर में घुस तो गए, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सुरक्षा बलों को, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर उनको जिन्दा नहीं रहने दिया, उन्हें मार गिराया। आधे घंटे में ही इस संपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया और एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं मरा।

जिस समय आतंकवादियों ने जीप को उड़ाया, उस समय रास्ते में जा रहे एक रमेश पांडे नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दर्शनों के लिए जा रही श्रीमती शांति देवी और एक किशन स्वरूप, घायल हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यह घटना हुई, तो राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन केन्द्रीय सुरक्षा बलों और प्रदेश सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने अपने मेहनत के बलबूते घटना का पर्दाफाश किया और पूरी अधिकृत जानकारी प्राप्त कर ली गई कि आतंकवादी कहां से आए थे, उनकी किन-किन ने इमदाद की, उनका ठिकाना कहा था, यह पूरा चिट्ठा खोलने का काम किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बधाई की पात्र है। मैं उसकी सराहना करता हूं।

सभापति महोदय, बी.जे.पी. के लोगों ने कहा कि वहां जीप कैसे चली गई। मैं बताना चाहता हूं कि परिसर के पास अनेक धर्मशालाएं एवं मकान हैं जहां लोग रहते हैं। पहले वहां जीप नहीं जाती थी। लोग वहां अपने वाहनों के साथ जाना चाहते हैं। इसलिए इन्हीं लोगों ने, हिन्दू संगठनों ने वहां इसका भारी विरोध किया और कहा कि जो लोग वाहन लेकर दर्शन करने आना चाहते हैं, उन्हें अपने वाहन लेकर आने दिया जाए। चूंकि विवादास्पद परिसर के चारों तरफ अनेक मकान और धर्मशालाएं बनी हुई हैं, इसलिए वाहनों पर प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। यह सवाल हमने नहीं उठाया, इन्हीं ने उठाया।

सभापति महोदय, इन लोगों ने दूसरा सवाल उठाया कि सुरक्षा बलों में कुछ कमी कर दी गई। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जब फैजाबाद गए, तो वहां अनेक संगठनों एवं पत्रकारों ने यह ज्ञापन दिया कि अयोध्या परिसर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती से कठिनाई और व्यवधान पैदा होता है। इसलिए इसमें आंशिक कमी कर दी जाए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके ज्ञापन को अयोध्या परिसर की सुरक्षा के लिए बनी समिति को मैं विचारार्थ प्रस्तुत करूंगा।

सभापति महोदय, बी.जे.पी. के नेता श्री लालजी टंडन ने, उत्तर प्रदेश विधान सभा में बहस शुरू करते हुए सबसे पहले यही आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों में कमी कर दी गई। ये लोग असत्य और मनगढंत आरोप लगाने में तो माहिर हैं। कुल मिलाकर, मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं। जिस दिन से यह घटना हुई है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षा बलों और खुफिया संस्थानों में कितना आलीशान काम किया, उसकी मिसाल नहीं है। श्री नन्द किशोर और मुख्य आरक्षी श्री सुल्तान सिंह को एक-एक लाख रुपए और श्रीमती शान्ति देवी तथा श्री किसन स्वरूप को 50-50 हजार रुपए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं।

सभापति महोदय, इस सदन में हम आए दिन पुलिस की निन्दा करते हैं। हर बात पर पुलिस की आलोचना करते हैं। पुलिस के तौर-तरीकों की आलोचना करते हैं, लेकिन यदि कहीं पुलिस अच्छा काम करते, तो उसकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने पी.ए.सी. के 22 कर्मियों को आठट आफ टर्न प्रमोशन देने का काम किया है। वहीं सुरक्षा में लगे जिन पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया है, उनको 25 लाख रुपया देने की घोषणा की है। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): घोषणा नहीं की, दे दिया।

श्री रामजीलाल सुमन: दे दिया। मैं बस दो मिनट में समाप्त करता हूं। मैं एक ही निवेदन आपके मार्फत करना चाहूंगा और वह यह है कि यदि ये अयोध्या के सवाल पर बोलते हैं तो इनकी परेशानी मेरी समझ में आती है। लालकृष्ण आडवाणी जी यहां नहीं हैं, वरना मैं उनसे फरियाद करता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके बारे में क्या कहता है और दूसरे हिन्दू संगठन क्या कहते हैं, वह एक अलग सवाल है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इनका किस हद तक दोहरा आचरण है। जब ये यहां बैठते थे, उप-प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे तो बात कहते थे कि अयोध्या विवाद के दो ही हल हैं, या तो हिन्दू-मुसलमान आपस में बात कर लें या अदालत के फैसले को मान लिया जाये। लेकिन जब ये रायबरेली की अदालत में गये तो लालकृष्ण आडवाणी जी फरमाते हैं कि मन्दिर तो वहीं बनेगा। ...*(व्यवधान)* स्वामी जी, आप चुप रहिये, बाबा लोग ज्यादा नहीं बोलते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: स्वामी जी, शांत हो जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: ये लोग अभी सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। विजय कुमार मल्होत्रा जी, एक जज्बाती सवाल पर लालकृष्ण आडवाणी जी की रथयात्रा से लेकर आप किसी तरह से ताकत में आ गये। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि

राजनीति भावनाओं को भड़काकर नहीं हो सकती, राजनीति भूख से, प्यास से, किसानों की समस्याओं से, बेरोजगारी से, लाचारी से जुड़ी समस्याओं पर होती है। दुनिया और हिन्दुस्तान के बुनियादी सवालों पर आपकी ताकत में इजाफा नहीं हुआ था, जज्बात से हुआ था। भावनाओं को आधार बनाकर एक लम्बे समय पर आपकी ताकत में नहीं रह सकते और इसलिए उत्तर प्रदेश विधान सभा के जो उप चुनाव हुए हैं, उनसे आप सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। एक विधान सभा क्षेत्र को छोडकर कहीं आपकी जमानत नहीं बची। आप रोज अयोध्या का नारा लगाते हैं, मन्दिर वहीं बनेगा, कुछ समय के लिए लोग आपके चक्कर में फंस गये थे, गलतफहमी दूर कर लीजिएगा, दोबारा लोग आपके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। *...(व्यवधान)* मैं खत्म कर रहा हूं।

लाल कृष्ण आडवाणी जी अगर यहां होते तो मैं उनसे प्रार्थना करता कि बी.ज.पी. का सत्ता में आने का जब इतिहास लिखा जायेगा तो कहा जायेगा कि आडवाणी जी रथ लेकर निकले थे, हिन्दू भावनाओं को भड़काया। लेकिन मल्होत्रा जी, बी.जे.पी. के पतन का इतिहास भी जब लिखा जायेगा तो लिखा जायेगा कि आडवाणी जी अध्यक्ष थे, वही प्रतिपक्ष के लीडर थे, उसी समय बी.जे.पी. की दुर्गति हुई लिहाजा आप जितनी जल्दी उनको छुट्टी दे सको, आपको बड़ी कृपा होगी, यह मेरा संदेश आप उन तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमनः मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं एक प्रार्थना और करना चाहूंगा। श्री शिवराज पाटिल जी, गृह मंत्री यहां बैठे हैं, हम बधाई देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को काफी सहयोग और समर्थन गृह मंत्री जी ने दिया है और जो वस्तुस्थिति थी, उसको समझा और अयोध्या में जो वक्तव्य दिया, हम उनके वक्तव्य की दाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन गृह मंत्री जी जरा मेरी तरफ देखिये। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपके जो छोटे मंत्री हैं, राज्य मंत्री जी हैं, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, मानो धरती फाड़कर चले आये। इनको ज्यादा बोलने की आदत है। ये हिन्दुस्तान के गृह राज्य मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री फरमाते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में कोई चुक रह गई। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी को यह नहीं भूल जाना चाहिए कि आप यहां जो बैठे हुए हैं, उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का योगदान है। उत्तर प्रदेश में आप आज बी.जे.पी. को रोक नहीं सकते तो पूरी जिंदगी फिर आप ताकत में नहीं आ सकते। कितनी कमी है, 10 ही लोग तो आप बी.जे.पी. से ज्यादा हैं, बार-बार उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करना, मुलायम सिंह जी पर हमला, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों से कहना चाहूंगा कि आप रोज हमले करो, मुलायम सिंह यादव जैसी शख्सियत पर आपके हमलों से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, यह गलतफहमी आपको भी दूर कर लेनी चाहिए। गृह मंत्री जी आपको कहना चाहिए कि गृह राज्य मंत्री का हर बात पर बोलना ठीक नहीं है। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, मेरी सलाह है, एक बहुत ही मशहूर शेर है:

'ऐसी-वैसी बातों से तो अच्छा है, खामोश रहो,
या फिर ऐसी बात करो, जो खामोशी से अच्छी हो।''

जायसवाल जी को ज्यादा बोलने की बीमारी है, गृह मंत्री जी मेरा आग्रह है कि आप इस बीमारी को बन्द कराइये।

अयोध्या में जो कुछ हुआ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक शानदार काम किया है और जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मल्होत्रा जी से मेरा निवेदन है कि इस नाजुक मसले को सियासी मसला न बनाएं। मुझे अभी तक याद है कि पिछली लोक सभा में जब चर्चा होती थी तब समाजवादी पार्टी उनका साथ देने को तैयार थी, पूरा देश, पूरी संसद सरकार के साथ थी, क्योंकि हम लोग देश के साथ हैं। आज आप उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना करते हैं, मुलायम सिंह जी की व्यवस्था में खामियां और चूक निकालते हैं। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अयोध्या में चूक हुई, सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई लेकिन जब संसद पर हमला हुआ था, उस समय तो...* लगातार झूठ बोलने का काम और तथ्यों से परे बयानबाजी ये लोग करते रहे हैं।

अंत में मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि इनको सद्बुद्धि आए। यह अनावश्यक रूप से आलोचना न करें बल्कि रचनात्मक, सकारात्मक तथा तथ्यों पर बातें करें। ऐसा काम न करें जिससे देश की एकता को खतरा पैदा हो। अंत में मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिन सुरक्षाकर्मियों ने अपनी जान हथेली पर रख कर आतंकवादियों को मार गिराया, यह हमारा राष्ट्रीय धर्म है कि उन सुरक्षाकर्मियों को प्रोत्साहित करें। उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया है और मैं समझता हूं कि उसी तरह का प्रस्ताव लोक सभा में भी पास होना चाहिए, जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों को मार गिराया। हिन्दुस्तान के इतिहास में जितनी जल्दी इस घटना का पर्दाफाश हुआ था, उतनी जल्दी किसी

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

अन्य घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार को और जो सुरक्षा बल हैं, चाहे देश के हों या प्रांत के हों हमें सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी हौंसला अफजाई करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, आज सदन में न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा हो रही है। इस तरह के आतंकवादी हमलों पर चाहे वे धार्मिक स्थलों पर हों, अयोध्या पर हों, संसद पर हो, लालकिले पर हो, अक्षरधाम मंदिर पर हो या हिजबुल दरगाह पर हो या चरारे शरीफ पर हो आतंकवादी हमलों को एक नजरिए से देखना चाहिए। पूरे देश को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए। श्री मल्होत्रा जी ने नियम 193 के अधीन प्रस्ताव को अयोध्या सहित देश में जो आतंकवाद है, उस पर चर्चा का विषय उठाया है, लेकिन प्रस्ताव को रखने की जो आपकी अप्रोच है, जो विषय है, उसमें कुछ और ही झलक रहा है। जबकि यह विषय किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है। यह राष्ट्र का सवाल है। आपने लंदन में हुए बम धमाकों का जिक्र किया और आपने कहा था कि पूरा पाकिस्तान हिल गया था, लेकिन आपके यहां हमला होता है तो नहीं हिलता है। यह सब नजरिया आपने दिया है। इसमें आपकी क्या मंशा है? आप क्या चाहते हैं? यह मेरे लिए समझना मुश्किल हो गया है। आतंकवादी हमले के पीछे जो मंशा रही है, उससे आप भी सहमत नहीं है और जो आतंकवादी हमलों का एक सिलसिला चला है, चाहे वह एनडीए के शासनकाल में हो, या हाल ही में हुए हमलों में इनकी क्या मंशा है। धार्मिक स्थानों खास कर के अयोध्या में जो कि लम्बे समय से धार्मिक समुदायों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है, इस पर राजनीतिक रोटी नहीं सेंकनी चाहिए। जो विषय उठाया गया है, वह ठीक है लेकिन इस नजरिए को दूसरी तरफ मोड़ना, इस बहस के साथ इंसाफ नहीं है।

इस बहस को यदि सार्थक बनाना है, सही मायने में आतंकवाद के खिलाफ पूरे देश को एकजुट करना है, खड़ा करना है तो इस तरह की संकीर्ण एप्रोच नहीं देनी चाहिए जो एप्रोच आपने बहस में दी है। अगर आप इरादे में सफल होते क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आतंकवादी अयोध्या में हमला करने में सफल हो जाते, तो वे इस देश के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में कामयाब हो जाते। इससे आपके काफी लोग खड़े हो जाते और खड़े भी हो गये थे।

मैं सीआरपीएफ के उस जवान को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने पांचों आतंकवादियों को मार गिराया, उनके मनसूबों को चूर-चूर कर दिया और उनको कामयाब नहीं होने दिया। उसकी बहादुरी की चर्चा भी आज होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* पीएसी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की तैनाती तथा उनकी मुस्तैदी से आतंकवाद की साजिश को विफल करने में हम सफल हो गये। उस मुठभेड़ में सभी आतंकवादी मारे गये। मेरा कहना है कि अगर कोई आतंकवादी जिंदा पकड़ लिया जाये, यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहूंगा कि इनमें से एक आतंकवादी जो जिंदा भी पकड़ा जाये ताकि उनके ठिकाने वगैरह का पता लग जाये। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को आतंकवाद से निपटने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें यह ट्रेनिंग दी जाये ताकि उनके ठिकाने वगैरह का पता लगाने में जो इतना समय लगता है, वह कम लगे।

आतंकवादी हमले को जिस तरह से नाकामयाब किया गया, यह अफसोस की बात है क्योंकि जिस समय पूरा देश अयोध्या में हुए हमले पर चिंतित था, स्तब्ध था कि यह क्या हो रहा है, उस समय दोनों कम्युनिटीज के करोड़ों लोगों की भावनाएं इस जगह से जुड़ी हुई थीं, जब यह घटना हुई तब आपकी पार्टी क्या कर रही थी? मैं अखबार नहीं पढ़ना चाहूंगा, अखबार पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अखबार की हैडिंग कोट कर रहा हूं। ''बीजेपी फोर रेजिग्नेशन आफ होम मिनिस्टर शिवराज पाटील''। यह बीजेपी है। आप उस हादसे पर राजनीतिक रोटी सेंक रहे थे। जब समूचे देश को खड़ा करने की जरूरत है, यह दल का सवाल नहीं है, कोई सीमा नहीं है, सम्पूर्ण देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने की बात है। उस समय मोटे अक्षरों में छपता है कि ''बीजेपी फोर रेजिग्नेशन आफ मुलायम सिंह यादव; पार्टी टू होल्ड प्रोटैस्ट डैमोन्स्ट्रेशन एट जंतर मंतर टुडे'' आपने देश भर में प्रदर्शन करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इस घटना का राजनीतिक लाभ आप उठा रहे थे। *...(व्यवधान)* मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। जब श्री विजय कुमार मल्होत्रा जो बोल रहे थे, तो मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। बीच में स्पीकर की मीटिंग थी इसलिए मैं चला गया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद के खिलाफ यूपीए सरकार में संघर्ष कमजोर हुआ है। राजनीतिक स्वार्थ किसका है? आतंकवाद घटना के बाद कौन राजनीतिक स्वार्थ कर रहा है? वह आप कर रहे थे, आपका संघ परिवार कर रहा था, विश्व हिन्दू परिषद कर रहा था, आरएसएस के लोग कर रहे थे और बीजेपी के नेता कर रहे थे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: राम कृपाल जी, आप बीच में मत बोलिये। आपकी पार्टी से मैम्बर बोल रहे हैं इसलिए आप मत बोलिये। आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ये लोग एक ही पक्ष से लाभ नहीं उठा रहे थे। न केवल साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का काम, जब देश में शांति बनाये रखने की जरूरत थी, देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करना था, उस समय आप यह लाभ उठा रहे थे। दूसरे पहलू पर भी आप राजनीतिक लाभ उठा रहे थे। वह दूसरा

पहलू यह था कि माननीय आडवाणी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी थोड़ी जिन्ना वाली छवि बन गयी थी। जिन्ना को सेक्युलर कहने और पाकिस्तान में जिन्ना वाले बयान के जरिये जो छवि बन गयी थी, उसे सुधार रहे थे। वे अपने को उदार और सहिष्णुता की छवि बनाने में लगे हुए थे लेकिन अचानक अयोध्या की वारदात के बाद वह क्या जवाब देते हैं? उन्होंने पलटा मार दिया।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अयोध्या पर भाषण दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अयोध्या पर ही भाषण है। अयोध्या में मंदिर वहीं बनाएंगे, यह नारा हो रहा है। ...*(व्यवधान)* पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ और अयोध्या जब गये तो वहां इनकी पार्टी की पूरी हवा निकल गई। वहां इन्हें कोई जनता का समर्थन नहीं मिला, वहां कहीं कुछ नहीं था। पूरे देश भर में इन्होंने आंदोलन का आयोजन कर दिया। इनकी पूरी हवा उसमें निकल गई। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि जो परिस्थिति आपने कायम की है, आप लोग जानबूझकर और इन्होने इतना ही नहीं किया, प्रदर्शन और जुलूस का आयोजन किया और पूरे देश में इनकी टाय-टाय फिस हो गई क्योंकि यह इश्यू तो सम्पूर्ण देश का है। साम्प्रदायिक सौहार्द उभारकर या हिन्दू-मुसलमान को बांटकर, देश को राजनीतिक पार्टी के आधार पर बांटकर आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। आतंकवाद का मुकाबला तभी होगा जब देश के अंदर हम मजबूत साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखेंगे, तभी दुश्मन का मुकाबला हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया।

गृह मंत्री जी से बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। माननीय गृह मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से कौन बीजेपी इस्तीफा मांग रही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। एनडीए के शासनकाल में जो आतंकवादी हमले हुए थे, एनडीए के शासनकाल में 30 मार्च, 2002 को कश्मीर में रघुनाथ मंदिर पर हमला हुआ था। 24 सितम्बर, 2002 को गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर किये गये हमले में 30 लोगों की हत्या हुई। एनडीए के शासनकाल में जो आतंकवादी हमले हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं कि उसमें बड़े सक्षम लोग रहे हैं। वे बड़े जोर से आतंकवाद के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे और इनका जोर देखिए कि कैसा जोर था। ये आतंकवाद के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, उसे कमजोर कर रहे थे। 24 नवम्बर, 2002 को पुन: रघुनाथ मंदिर पर आतंकवादी हमले में 9 लोग मारे गए और 50 लोग घायल हुए। 13 दिसम्बर, 2001 में संसद पर अभूतपूर्व हमला हुआ जिसमें हमारे सुरक्षा कर्मी मारे गए। इसी संसद पर हमला हुआ। मल्होत्रा जी यहां बैठे हुए हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय इन्हें इस्तीफा याद नहीं आया। उस समय माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थी। बीजेपी का चाल-चरित्र और चेहरा सब दोहरा है। यह दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। नैतिकता का तकाजा था तो आपको भी इस्तीफा देना चाहिए था तब आपमें इस्तीफा मांगने का नैतिक साहस और नैतिक ताकत होनी चाहिए थी। इस सवाल पर एकतरफा इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। आतंकवादी यह नहीं देखता कि कौन सी सरकार है, कौन नहीं है। आतंकवादी यह नहीं देखता कि धार्मिक स्थल हिन्दू का है या मुसलमान का है। चरारे-शरीफ पर भी हमला हुआ था। आतंकवादी हिन्दू और मुसलमान धार्मिक स्थलों पर हमला करने का अपना टार्गेट बनाए हुए हैं। इसीलिए, आतंकवादी का लक्ष्य दोनों सम्प्रदायों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर, देश की साम्प्रदायिक एकता को भंग करके देश को अस्थिर करने की उनकी मंशा रहती है। इसलिए हमें एकजुट दिखाई देने की जरूरत है और इसीलिए इसमें हम केवल सरकार पर जिम्मेदारी थोपकर हम इस बहस के साथ न्याय नहीं कर सकते। अभी इन्होंने कहा, ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपके विचार से सहमत हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: प्रभुनाथ जी तो वैसे भी विचार से सहमत होंगे ही क्योंकि हम प्रभुनाथ जी से यही निवेदन करेंगे कि हादसे से राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद की नाराजगी को दूर करने के लिए इनका पैंतरा बदल रहा है। ये इसमें साथ नहीं है। चूंकि आप सैकुलर पार्टी के रहे हैं। मल्होत्रा जी यहां पर बैठे हैं।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इस आतंकवाद के विषय में सदन की चर्चा करके एक संकल्प लेना चाहिए। संकल्प पहले भी हुआ है लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक कठोर संकल्प होना चाहिए। लेकिन आतंकवाद को जिस तरह से परिभाषित किया जा रहा है, आतंकवाद को भेदभाव की दृष्टि से देखा जा रहा है, यह इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि इन्होंने मदरसों के बारे में चर्चा की है, मैं नहीं करता हूं, चाहे आतंकवाद या कट्टरपंथी ताकत या विचारधारा जिधर भी हो, चाहे हिन्दू और मुसलमान का हो लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर नजरिये को साफ रखना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

सभापति महोदय, आप आसन पर बैठे हैं। आप डा. राम मनोहर लोहिया जी से काफी प्रभावित हैं। डा. राम मनोहर लोहिया ने कभी कहा था कि बहुसंख्यक की साम्प्रदायिकता, अल्पसंख्यक की साम्प्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक होती है। कट्टरपंथ में भेद करने की बजाए हमें उसे समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि बहुसंख्यक आतंकवादी हो जाएगा, यदि उसकी

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मानसिकता साम्प्रदायिकता भड़काने वाली हो जाएगी तो यह देश कैसे बचेगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश मे लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, देश की यह सर्वोच्च लोकतांत्रिक संसद नहीं बचेगी, ये लोग तो धर्म संसद की कल्पना कर रहे हैं और भारत के संविधान को भी बदलने का रिहर्सल समीक्षा आदि करने के रूप में कर चुके हैं। लेकिन इस देश की जनता इसे कैसे स्वीकार करेगी जिसने आजादी और लोकतंत्र के लिए अपना लहू बहाया है, जो लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र में आस्था रखती है, जो भारतीय संविधान में आस्था रखती है और जो इस सर्वोच्च लोकतांत्रिक संसद में आस्था रखती है, उस जनता का क्या होगा?

यहां मदरसों की बहुत चर्चा की गयी है। मदरसों की आप पूरी जांच कीजिए, आपको इसका अधिकार है। उनमें कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आज शिशु विद्या मन्दिरों में क्या हो रहा है? मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होगी कि शिशु विद्या मंदिरों में कौन सी किताबें पढ़ाई जा रही हैं उनका सिलेबस क्या है? वहां जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वह इतिहास को तोड़-मरोड़कर पढ़ाने वाला है, साम्प्रदायिकता को भड़काने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। इसलिए शिशु विद्या मंदिरों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनको रोका जाना चाहिए। कट्टरपंथ पर सम्यक रूप से विचार करने की जरूरत है। इस देश में जब भी फण्डामेण्टलिज्म सिर उठाएगा, आतंकवाद बढ़ेगा। इसलिए कट्टरपंथ का सफाया करके ही आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है।

इन्होंने पोटा का जिक्र किया है। मल्होत्रा जी पोटा को लेकर बड़े चिन्तित हैं कि पोटा खत्म हो गया। आपके हाथ से जनादेश चला गया। अब जनादेश सेक्युलर लोगों के हाथ में आया, यूपीए के हाथ में आया और यूपीए ने पोटा को खत्म कर दिया। पोटा का 99 से 100 प्रतिशत तक दुरूपयोग किया गया। इसे एक राजनीतिक हथियार बनाकर प्रयोग किया गया है। महोदय, आपको याद होगा कि इसी बेंच पर श्री वाइको बैठते थे। श्री वाइको जैसे सांसद को पोटा के तहत बन्द किया गया और झारखण्ड में 80 साल के बूढ़े गरीब व्यक्ति को बन्द किया गया। वहां एक खास कम्युनिटी के बच्चों और गरीबों को बन्द किया गया।

अपराह्न 5.03 बजे

[श्री अजय माकन *पीठासीन* हुए]

गुजरात में जितने अल्पसंख्यक लोग थे, उनको खासकर टारगेट बनाकर, बन्द करने के लिए, हथियार के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अभी भी उनमें से दो सौ-ढाई सौ लोग जेलों में बन्द हैं जो अभी न्यायिक प्रक्रिया में फंसे हैं। ये लोग यहीं से तय कर लेते थे कि इस कम्युनिटी पर पोटा लगाना है, गरीबों, अल्पसंख्यकों पर पोटा लगाना है। गरीबों और अल्पसंख्यकों को पोटा लगाकर बंद कर दिया जाता था। पोटा के लिए इनको बड़ी चिन्ता है। पोटा नहीं यह आरएसएस के लोगों का लोटा था जिस लोटे से ये लोगों की पिटाई करते थे। पिटाई करने के लिए ही यह लोटा बनाया गया था।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, यह लोटा नहीं पिटाई करने के लिए आरएसएस का सोंटा था।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: हां, यह लोटा और सोंटा दोनों था।

सभापति महोदय: आप अपनी बात कन्क्लूड कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि फण्डामेंटलिज्म के सफाए के लिए यह सरकार कृत संकल्पित है। जिस तरह से नारे दिए जा रहे हैं, जो चर्चा की जा रही है वह इसलिए कि हमारी पाकिस्तान के साथ जो शांति प्रक्रिया चल रही है, उसमें बाधा आए। मैं समझता हूं कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए हम लोग एकजुट रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जो ग्लोबल फिनोमेनन में एक आवाज उठायी जा रही है, मैं नहीं जानता कि उसमें कितने देश ईमानदारी से शामिल हैं, लेकिन हिन्दुस्तान पिछले दो-तीन दशकों से इस आतंकवाद से लड़ रहा है और हिंदुस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। हमारा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आतंकवाद के खिलाफ शुरू से ही कृत-संकल्पित रहा है और मैं यही कहना चाहता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार पर ही नहीं छोड़ी जा सकती, इसमें विपक्ष समेत सभी लोगों को देश के इस सर्वोच्च सदन में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रूप से एक संकल्प पारित करना चाहिए।

आतंकवाद के खिलाफ किसी खास व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा कर हम आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते, इसका मुकाबला हम सब लोगों को मिलकर करना होगा। इसलिए हम सब सदन में मिलकर एक संकल्प लें कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और उसका कड़ा मुकाबला करेंगे। हमारा देश आतंकवाद का मुकाबला करने में सब तरह से सक्षम हैं, चाहे हमारी इंटेलिजेंस हो या बोर्डर पर तैनात हमारे जवान हों। सिर्फ जरूरत है हम सब लोगों के संकल्पित होने की और इस तरह से हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। हम लोग देश के अंदर आपसी सौहार्द और सद्भाव को मजबूत बनाकर भी आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। देश के अंदर यदि किसी प्रकार से सद्भावना का माहौल बिगड़े, तो उसका ईमानदारी से मुकाबला किया जा सकता है।

सभापति जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: धन्यवाद। श्री मित्रसेन यादव।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यूपीए से पांच सदस्य बोल चुके हैं, हमारी तरफ से दो तो बोलने चाहिए।

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी, आप जानते हैं कि पूरा राउंड हो जाए, उसके बाद दोबारा आपकी तरफ से बोलेंगे। यह एक प्रक्रिया है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): सभापति जी, जिस प्रकरण पर चर्चा हो रही है, वह मेरे लोक सभा क्षेत्र में आता है। मुझे वहां से तीसरी बार जनता के प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यह कितना महत्वपूर्ण है, यह मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश का कोई ऐसा धर्म नहीं है, जिसका वहां तीर्थ-स्थल न हो। मुसलमानों की वहां मजारें हैं, उनके धर्म गुरुओं के रहने के नाते उसे खुर्दमक्का कहा जाता है। बुद्ध जी वहां 12 बरस तक रहे। उनके प्रचारकों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हिन्दुओं का तीर्थ-स्थल तो वह है ही। जैनियों का सबसे बड़ा मंदिर वहीं है और सूफियों का वहां पवित्र स्थान है। इतना ही नहीं, वहां सभी जातियों के मंदिर हैं। इसलिए अयोध्या किसी एक धर्म की नहीं, सभी धर्मों की तीर्थ-स्थली है। इस नाते वहां सभी धर्मों के लोग पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसे अपना तीर्थ-स्थल मानते हैं।

अभी 15 जुलाई को वहां आतंकवादी हमला हुआ। उसके पीछे हमें गहराई से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हमले के बाद देश के गृह मंत्री जी वहां गए थे। मुझे कहने में यह तकलीफ हो रही है कि इन्होंने उस समय अपने साथ वहां के किसी जनप्रतिनिधि को नहीं लिया। यहां तक कि वहां की नगरपालिका के चेयरमैन को, विधायक को, एम.एल.सी. को या एम.पी. को, किसी को भी साथ लेकर यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर असलियत क्या है। केवल अधिकारियों के भरोसे रहे। दरअसल जो हमला हुआ।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): आप कह रहे हैं कि कोई नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के मंत्री जी मेरे साथ थे।

श्री मित्रसेन यादव: मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: जानकारी नहीं है, तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। पहले जानकारी लें, फिर कहें।

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): हमारी प्रदेश सरकार के मंत्री अवधेश प्रसाद जी साथ चल रहे थे। वह वहीं के हैं।

श्री मित्रसेन यादव: वह अयोध्या के नहीं हैं। सरकारी अधिकारियों ने इन्हें जो कुछ बताया, उसी पर इन्होंने निर्भर किया। यहां तक कि अगर महामहिम राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं करते, तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आतंकवादी उसमें इस तरह से घुसे थे जैसे दर्जनों बार अयोध्या में आये हों और उनको अयोध्या की गलियों की जानकारी थी। इस हमले के पीछे पूरी साजिश और शरारत है। हमले को असफल करने में, हमारी केन्द्रीय सुरक्षा बल की महिला बटालियन ने सबसे पहले पहल की, उनका मुकाबला किया। उसके बाद 11वें पीएसी के जवानों ने मुकाबला किया। केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने भी उस खतरे का मुकाबला करने का काम किया है, लेकिन एफआईआर में उनको छोड़ दिया गया है। इस खतरे से बचाने के लिए आज तक जो भी लोग अपनी पीठ ठोक रहे हैं वे ठोक लें। माननीय मल्होत्रा जी, आप इस प्रकरण में अपनी राजनीति जोड़ते हों तो जोड़ लें, लेकिन इस प्रकरण से हमारी लो जिंदगी जुड़ी हुई है।

जिन लोगों ने 6 दिसम्बर को मस्जिद ढहाई, गलत तरीके से लोगों की भावनाओं को उभारा, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि मस्जिद को ढहाकर कोई अच्छा काम नहीं हुआ। इससे दुनिया में हमारा मान और प्रतिष्ठा गिरी है। लेकिन आज अपनी राजनीति को पनपाने के लिए आपके बड़े से बड़े नेता असत्य बोलते हैं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अयोध्या की पहचान किसके लिए है, मंदिर के लिए है या मस्जिद के लिए है?

श्री मित्रसेन यादव: आपके बड़े से बड़े नेता मस्जिद गिराने की घटना में शामिल थे लेकिन आज आपके नेताओं ने इस बात से इंकार किया है और कहा है कि 6 दिसम्बर को वे वहां नहीं थे। माननीय लालू प्रसाद जी पर और दूसरे नेताओं पर आप आरोप लगाते हैं, लेकिन क्या आपके नेताओं ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर जुल्म नहीं किया, क्या वे सजा के हकदार नहीं हैं, क्या माननीय कल्याण सिंह जी को सजा नहीं हुई? आप भी उतने पाक-साफ नहीं हैं जितना कि आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं। इस घटना के पीछे कुछ न कुछ साजिश है। आपका विश्व हिंदू परिषद का एक डेलीगेशन 21 जुलाई को माननीय गृह मंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी से मिला और उसने मांग की कि इस परिसर की सुरक्षा के लिए और जमीन अधिगृहीत की जाए और वहां की आबादी का हिस्सा अधिगृहीत कर लिया जाए। आपने 2.77 एकड़ जमीन का हिस्सा अधिगृहीत किया था जिसे सुप्रीम

[श्री मित्रसेन यादव]

कोर्ट ने वैधता दे दी। उसके बाद सन् 1993-1994 में आपने संसद में कानून बनाकर 77 एकड़ जमीन को अधिगृहीत कर लिया - उसका आपने क्या किया? आपने कहा था कि वहां पर वाचनालय, ग्रंथालय बनेगा और लोगों की जन-सुविधाओं के लिए जमीन का उपयोग होगा। लेकिन ऐसा एक भी काम उस अधिगृहीत की हुई 77 एकड़ जमीन में नहीं हुआ। आपने जो कानून बनाया है, आप उसे पढ़कर देख लीजिए।

मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 77 एकड़ जमीन जो अधिगृहीत हुई है उसे जिस नीयत से अधिगृहीत किया गया, जन-सुविधाओं का काम वहां होना चाहिए। अगर ऐसे ही आपको जमीन का अधिग्रहण करना है तो काशी में अधिग्रहण कीजिए। आपने वहां प्रतिबंध लगाया है। वहां पर लोगों को रहने और अपनी दुकानें चलाने में मुश्किल हो गयी है। क्या आप सुरक्षा के नाम पर चाहते हैं कि लोगों का वहां पर जीना मुश्किल हो जाए और लोग अपनी रोजी-रोटी चलाने में मुश्किलों का सामना करे।

माननीय गृह मंत्री जी, आप जानते हैं कि अयोध्या के लाखों लोगों की जिंदगी तीन-चार मेलों पर निर्भर करती है जो धार्मिक मेले होते हैं, वे मेले चाहे हिंदुओं के हों या मुसलमानों के हों। जिस एरिया को आप अधिगृहीत करने के लिए कह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं।

मुसलमान का क्या मतलब है? क्या उसके पीछे यह मंशा है कि मुसलमानों की वजह से यह हमला हुआ। अगर उनके पीछे यह मंशा है, तो आप के मंदिर की सारी कार्यवाही जो होती है, चाहे वह खड़ाऊ बनाना हो, लंगोटा बनाना हो या कोई और काम हो, आपके मंदिर या हनुमान गढ़ी का सारा काम मुसलमान ही करते हैं, इस बात को आप क्यों छोड़ देते हैं। यदि वे न हों, तो आपके काम न हों। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो और जमीन अधिग्रहण की बात है, उस संबंध में मेरा निवेदन माननीय गृहमंत्री जी आपसे है कि अधिग्रहण की जमीन कतई आगे न बढ़ाई जाए और जो 2.77 एकड़ जमीन है, उसी को सुरक्षित रखा जाए। आपने इतना बड़ा घेरा बना दिया है जिसको बगैर सुरक्षाबल लगाए उसकी सुरक्षा हो ही नहीं सकती, इसलिए अगर आप 2.77 एकड़ जमीन की सुरक्षा चाहते हैं, तो आप उसको बिना घेरे के तहत कीजिए, जिससे अयोध्या में आने वाले दर्शनार्थियों और नागरिकों की जिंदगी दूभर न हो। उनके दैनिक क्रिया व कार्यों में बाधाएं न पड़ें। उनके जीवन-स्तर में किसी प्रकार का व्यवधान न पैदा हो। आतंकवाद के नाम पर यह नहीं किया जा सकता कि पूरी अयोध्या की जनता को चाहे वह हिंदू हों, मुसलमान हों, उनको नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से अयोध्या में प्रवेश निषेध कर दिया जाए। यहां लोगों का आना-जाना बंद हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके पीछे बीजेपी की जो मंशा है, सांप्रदायिक शक्तियों का जो खेल है, उससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए।

सभापति महोदय: आप कंक्लयूड करिए।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): इनको बोलने दीजिए। ये अयोध्या के सांसद हैं।

श्री मित्रसेन यादव: मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि वहां के लोग कतई झगड़ा नहीं चाहते हैं। आज तक इतिहास है कि मुसलमान ने किसी हिन्दू को और किसी हिन्दू ने किसी मुसलमान को चाकू तक नहीं मारा है, इस लड़ाई में किसी हिन्दू या मुसलमान का नाखून तक नहीं कटा है, अगर ऐसा हो तो बताइए। वहां सांप्रदायिक सौहार्द इतना अच्छा है कि वहां आदमी नहीं मर सकता। वहां पर जो कुछ हुआ है वह राजनीति के नाते और भारतीय जनता पार्टी के नाते हुआ है, दूसरी ताकतों सांप्रदायिक शक्तियों के नाते हुआ है। कहीं कुछ नहीं होगा हम आपको गारंटी देते हैं। आप राजनीतिक दखलंदाजी को रोक दीजिए। आप लोक सभा के सभी संप्रदाय के लोगों की और सभी पार्टी के लोगों की एक कमेटी बनाइए। अगर समिति बैठने के बाद मसला हल न हो जाए, तो आप मुझे जो कहना हो, कहिएगा। पूरे हिन्दुस्तान ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: धन्यवाद, यादव जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मित्रसेन यादव: महोदय, मैं आपके माध्यम से दो ही निवेदन गृहमंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक तो उस झगड़े को समाप्त करने के लिए दोनों संप्रदायों के लोग सहमत है, और इसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप की पहल होनी चाहिए कि आप उस मसले को अंदरूनी तौर पर समझकर कैसे हल कराएंगे? इसके लिए वहां के लोग समहत हैं।

तीसरी बात, जो ये लोग चाहते हैं कि और जमीन अधिगृहीत करके मुसलमानों को विस्थापित किया जाए, झगड़े को और बढ़ाया जाए, वहां बारूद की चिंगारी छिनगाई जाए, इसको रोकने के लिए आप कतई अधिग्रहण करने की कोशिश नहीं करिएगा, वरना उसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जिन लोगों ने सुरक्षा में अपनी जानें गवाई हैं, पहल की है, उन्हें पुरस्कृत किया जाए।

सभापति महोदय: मित्रसेन जी, समय-सीमा में रहिए, धन्यवाद।

श्री मित्रसेन यादव: इन शब्दों के साथ मेरा आपसे निवेदन है कि आयोध्या की राजनीति को पूरे हिन्दुस्तान के पैमाने पर सभी

धार्मिक तीर्थस्थलों के नाम पर वहां शांति कायम करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं और उनका उठाना भी बहुत जरूरी है, जिससे हिन्दू-मुसलमान सारे संप्रदाय के लोगों की एकता तथा लोगों में सौहार्द बना रहे और देश में शांति और अमन कायम हो सके।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, पांच बजकर बीस मिनट हो चुके हैं। यह डिबेट कब तक चलेगी? इसका रिप्लाई आज होना है या कल होना है? मुझे छः बजे एक बहुत अहम मीटिंग में जाना है। हमने यह तय किया था कि छः बजे तक हाउस चलेगा। अब आपका जैसा आदेश होगा, वैसा करेंगे।

सभापति महोदय: आप इसका रिप्लाई वैसे तो कल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स की लिस्ट अभी और शेष है, अभी 15 स्पीकर्स और हैं। आप हाउस की कंसेंट लेकर इनका रिप्लाई कल भी कर सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप और सदन कहेगा, मैं वैसा करूंगा लेकिन बात यह है कि हमने इस सदन में ड्राउट और फ्लड पर तीन दिन चर्चा की है। उसकी चर्चा का उत्तर चार-पांच दिन से पैंडिंग है। अगर ऐसा ही होने वाला है तो और बात है।

सभापति महोदय: आज इसके ऊपर सारी चर्चा कनक्लूड करके, कल रिप्लाई हो जाएगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे 6 बजे जाने की इजाजत दी जाए।

सभापति महोदय: आज जितने भी स्पीकर्स बोलना चाहें, अपने आप को कनफाइन करें। मेरा सभी स्पीकर्स से निवेदन है कि चार-पांच मिनट तक अपनी बात को सीमित रखें। सभी 15 स्पीकर्स कनफाइन करके बोलें और रिपीट न करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अगर आज रिप्लाई नहीं होना है तो छः बजे हाउस को एडजर्न कीजिए। कल बाकी स्पीकर्स को बुला कर उत्तर दिलवाइए। आज जितने मैम्बर्स बोलेंगे, अगर मंत्री जी नहीं होंगे तो वह उत्तर क्या देंगे? मंत्री जी को छः बजे जाना है। आप छः बजे हाउस को एडजर्न कीजिए।

सभापति महोदय: कल प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस है।

श्री शिवराज वि. पाटील: स्टेट मिनिस्टर साहब यहां बैठेंगे। अगर यह चर्चा कल गई तो फिर ऐसे ही लम्बी हो जाएगी।

सभापति महोदय: हम डिसकशन आज ही कनक्लूड करेंगे। वह इसके आगे न जाए। कल मिनिस्टर साहब का रिप्लाई हो जाएगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हमारी पार्टी का जो टाइम तय है, उसमें से हमें समय नहीं मिलता। ...*(व्यवधान)* 28 पार्टियां हैं। क्या हमारी पार्टी की 28 पार्टियों के बाद बारी आएगी? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मल्होत्रा जी खड़े हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: किस तरीके से, किस बारी से लेना है, यह निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लेती है। आप खुद उसके मैम्बर हैं। यह वहां तय हुआ है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हरेक पार्टी का टाइम तय होता है।

सभापति महोदय: नैक्स्ट नेम आपकी पार्टी के मैम्बर का है। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है और उसी के आधार पर सब को मौका दिया जा रहा है। इसके बाद आपकी पार्टी का मैम्बर बोलने वाला है।

श्री संतोष गंगवार: हमारी पार्टी का एक भी मैम्बर नहीं बोला है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: एक इधर से और एक उधर से बोलने की परम्परा रही है।

सभापति महोदय: अब प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन अपना भाषण तमिल में देंगे।

[अनुवाद]

***प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर):** सभापति महोदय, मैं अपना भाषण कृपालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्मरण करते हुए शुरू करना चाहता हूं। यह सम्माननीय सभा आतंकवाद पर चर्चा कर रही है, विशेषकर हाल में अयोध्या में हुई आतंकवादी घटना के आलोक में। आतंकवाद न केवल अपने देश में अपना विकृत रूप दिखा रहा है अपितु यह पूरे विश्व में तेजी से बढ़ता जा रहा है। मुझे इस चर्चा में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इसके लिए सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस चर्चा में एक मुसलमान सदस्य होने के नाते शामिल नहीं हो रहा हूं अपितु मैं तमिलनाडु के लोगों की ओर से वहां के सभी चालीस जन प्रतिनिधियों की ओर से उनके विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं इस माननीय सभा में डा. के. करूणानिधि के एक सिपाही के रूप में शामिल हो रहा हूं। गत आम चुनावों के दौरान हमारे नेता डा. करूणानिधि ने चुनाव घोषणा

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन]

पत्र में स्पष्ट किया था कि हम एक पंथनिरपेक्ष सरकार की स्थापना कर मानवतापरक सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने की दिशा में प्रयास करेंगे। इस समय देश में ऐसी सरकार है जो पंथ-निरपेक्षता की बुनियाद पर एक मानवतावादी तथा सामाजिक सद्भाव की पक्षधर है। इस समय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केन्द्र सरकार काम कर रही है। श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में संप्रग ने एक पंथ निरपेक्ष सरकार सुनिश्चित की है। यदि केन्द्र में वर्तमान में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार न होती और कोई दूसरी सरकार होती, तो हो सकता है अयोध्या में हुए गत माह के आतंकवादी हमले के बाद दंगे भड़क उठते और कत्ले आम का नजारा देखने को मिलता। यदि इस पंथनिरपेक्ष सरकार का अस्तित्व नहीं होता तो देश में दंगा, मारकाट और खून-खराबा हो सकता था। इसी तरह की पूर्व में घटी घटना के दौरान हमने जिस तरह के सांप्रदायिक दंगे और हिंसा का नंगा नाच देखा उसकी पुनरावृत्ति हो सकती थी। इससे ऐसी स्थिति बन सकती थी कि हमारा सर शर्म से झुक जाता और हमारे देश को शर्मिन्दगी उठानी पड़ती। लेकिन सौभाग्य से ऐसी क्रूर घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हुई। हमें इसका श्रेय संप्रग के नेतृत्व में कार्य कर रही केन्द्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। उन्हें बधाई दी जानी चाहिए और उनकी चौकसी की दाद दी जानी चाहिए।

अयोध्या परिसर में किसी अनहोनी घटना को रोकने के लिए मैं सुरक्षा बलों तथा पुलिस कर्मियों को भी बधाई देना चाहूंगा।

मेरे सम्मानित सहयोगी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने अपने भाषण में अयोध्या घटना पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। भगवत गीता में कहा गया है कि कोई भी विचार-विमर्श सत्यम, प्रियम, हितम् तथा मितम के दायरे में होना चाहिए। श्लोक में कहा गया है कि हमारी वाणी में चार बातें होनी चाहिए- सत्य, प्रिय, हितकारी तथा मितभाषी होना। किसी विषय पर किये जाने वाले वाद-विवाद, चर्चा अथवा संवाद के लिए ये चार बातें आधारभूत है। पर श्री मल्होत्रा द्वारा दिये गये भाषण में सच्चाई बहुत कम है, कर्णप्रियता उससे भी कम है, हितकारिता का भाव तो न के बराबर है और मितम तो रंचमात्र भी नहीं है। अपने भाषण में वह आरोप पर आरोप लगाये जा रहे थे। उन्होंने यह तक कह दिया कि ऐसा पोटा कानून को रद्द करने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद फैल रहा है और आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही है। लेकिन मेरा मानना है कि पोटा आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहा था। पोटा आतंकवाद के दानव को रोकने में सफल नहीं रहा। बहुत अधिक सख्त कानून बनाकर हम इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते और न ही देश से आतंकवाद का सफाया कर सकते है। हमने कम से कम इतिहास से तो यही सबक सीखा है। हम भारत के लोग इस देश में मुसलमान, हिन्दू, सिक्ख और इसाई के रूप में रह रहे हैं। हम इस देश के नागरिक मात्र नहीं है अपितु हम सब आपस में भाई-भाई है। हमारे सभी धर्म इसी मूल सत्य को बार-बार दोहराते हैं। हम सब एक ही पूर्वज की संतान है। हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात करते आये हैं। कालीदास के 'रघुवंशम्' में पार्वती-परमेश्वरम् का उल्लेख किया गया जिसका तात्पर्य यह हुआ कि हम 'पार्वती-परमेश्वर' ही हमारे माता-पिता है और पूरा विश्व भाई-चारे की डोर में बंधा है। पवित्र कुरान में भी आदि मानव के रूप में आदम-हव्वा का उल्लेख किया गया है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबिल के अनुसार आदम-और इव आदि मानव हैं। तिरूक्कुराल ने भी अपने इस दोहे में-'अकरा मुतला एष्मुतेल्लम आदि भगवान मुत्तात्रेय उलागू' आदि और भगवान की बात कही है। प्राचीन तमिल साहित्य में पूरे विश्व के एक कुटुम्ब की संज्ञा दी गयी है और सब लोगों में भाईचारे की बात कही गयी है। दुनिया के सभी धर्म इसी बात पर जोर देते हैं कि संसार के सभी लोग एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हमारे धर्म और संस्कृतियां अलग-अलग हैं लेकिन हम सभी आपस में भाई-भाई हैं। हमें धर्म के नाम पर लोगों को बांटना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर हमें नित नये विवाद नहीं खड़े करने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम आतंकवाद के मूल पर प्रहार कर सकेंगे। हमें आतंकवाद को इस्लामी आतंकवाद, हिन्दू आतंकवाद अथवा सिक्ख आतंकवाद के चश्में से नहीं देखना चाहिए। हम आतंकवाद का इस तरह से वर्गीकरण नहीं कर सकते है। प्रत्येक धर्म में कुछेक कट्टरपंथी या चरमपंथी लोग होते हैं। इसमें उस धर्म का कोई दोष नहीं होता। हिन्दुओं में भी सांप्रदायिक लोग हो सकते हैं। मुसलमानों में भी चरमपंथी लोग हो सकते हैं। सिक्खों में भी आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हो सकते हैं। केवल इसलिए किसी समुदाय को आतंकवादी समुदाय की संज्ञा नहीं दी जा सकती कि उसमें कुछ लोगों ने आतंकवाद का रास्ता अख्तियार कर लिया है। यह पूरी तरह से गलत है। यह एक निराधार बात होगी।

श्री मल्होत्रा जी ने अपने भाषण में कहा है कि पाकिस्तानी मदरसे आतंकवाद के गढ़ है। वह इतना कहकर ही चुप नहीं हुए। मुझे पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं उनके इस आरोप का पुरजोर खंडन करता हूं कि हमारी भारत भूमि पर, देश के सीमाओं के अंदर कहीं भी मदरसों का इस्तेमाल आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जा रहा है। महोदय, मुझे आपको यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं मदरसे में ही पला बढ़ा हूं। मैं मदरसे से तालीम हासिल करने वाला ऐसा शख्स हूं जिसकी जिन्दगी पर मदरसे की अच्छाइयों का काफी प्रभाव पड़ा है। मैं इस बात की कसम दिलाता हूं कि मदरसे में कभी भी नफरत और आतंकवाद की तालीम नहीं दी गयी। मस्जिद और मजलिसों में चलने वाले अधिकतर मदरसों में सबके कल्याण के लिए सामूहिक इबादतें की जाती है। मैंने भी इसी शानदार परंपरा

का अनुसरण किया है। हमें मदरसों में यही पढ़ाया जाता है कि ईश्वर एक है, हम सभी एक ही परिवार के लोग हैं और हमें आपसी भाईचारे को बनाये रखना चाहिए। हमें यही शिक्षा दी जाती है कि हम अच्छाई के रास्ते पर चले तथा बुराइयों से और पाप से बचकर रहें। मदरसों में हिंसा, नफरत या आतंकवाद के बारे में न तो चर्चा की जाती है और न ही इसकी शिक्षा दी जाती है। जहां तक मेरी जानकारी है मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तमिलनाडु के मदरसों में और इस देश के मदरसों में हिंसा और आतंकवाद को न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही उसे जायज ठहराया जाता है। मैं अपनी ओर से इस बात पर पूरा बल देना चाहूंगा कि मदरसों में किसी तरह से आतंकवाद की कोई तालीम नहीं दी जाती है। इसलिए ऐसे निराधार आरोप लगा देना कि मदरसों में खतरनाक तालीम दी जाती है एक तरह से गलत और निंदनीय है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर पूरे समुदाय की दागदार छवि बनाने का काम न करें। इस तरह मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय नहीं किया जा सकता।

अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कुछेक बातें और कहना चाहूंगा। मुझसे पहले जितने समुदायों ने यहां अपने विचार व्यक्त किये उन सबने इस बात पर बल दिया कि हमारे देश की साझा विरासत, संस्कृति और परंपराएं काफी समृद्ध हैं। हमारे यहां ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं, धार्मिक नेताओं, सामाजिक और धार्मिक सुधारकों, संत-साधुओं ऋषियों और मुनियों की भरमार रही है जिन्होंने प्यार-मोहब्बत का पैगाम दिया और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उन सबने इस बात पर बल दिया कि हम सब को एक परिवार की भांति रहना चाहिए। हमें सहअस्तित्व और भाईचारे की इस भावना को बनाये रखना चाहिये। केवल ऐसा करने पर ही हम देश की उन महान आत्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। ऐसा करने पर ही हम अपने प्रति और देश के प्रति कर्त्तव्य को पूरा कर पायेंगे। हमें शांति और एकता के पथ पर अग्रसर होते रहना चाहिए। हम सदियों से मिलजुल कर रहते आये हैं। महात्मा बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस तथा कई दूसरे हिन्दु संतों के समय से हम सहनशीलता की भावना को अपनाते आये हैं। हमारे देश को उनकी शिक्षाओं का और उनके बताये गये रास्तों का अनुपालन करना चाहिए। सिक्खों के गुरु बाबा नानक को सभी धर्मों के अनुयायियों ने अपनाया और उनकी शिक्षाओं की सराहना की। सिक्खों के गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त होने पर भी वह हिन्दुओं के मित्र और मुसलमानों के सहयोगी बने रहे। उन्होंने कोई भेदभाव किये बिना सभी लोगों को उचित रास्ता दिखाया और सबके आध्यात्मिक गुरू के रूप में मान्यता प्राप्त की। यह इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के कारण संभव हो पाया। हमारी यह समृद्ध परंपरा हमारे जीवन का हिस्सा बनी रहनी चाहिए। हमें इस मार्ग से विमुख नहीं होना चाहिए। आजकल हम ऐसी परंपराओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उनकी अवहेलना कर रहे हैं। ऐसा करके तो हम नफरत, हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम हिंसा और आतंकवाद की ओर क्यों उन्मुख हो रहे हैं? यह हम सबका कर्त्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे की, उन्होंने चाहें जो भी पंथ चुना हो, मदद करें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक हिन्दू, मुसलमान और इसाई सभी अच्छे नागरिक बन सकें। हमें शांति और सहअस्तित्व में सोचना चाहिए और देश के प्राकृतिक जीवन को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान करना चाहिए। हमें आम लोगों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमारे देश का सर गर्व से ऊंचा हो सके। भारत का नाम दुनिया के देशों में बड़े गर्व से लिया जाना चाहिए। हमारा देश एक बहुत विशाल देश है। हमारे विचार और कार्य इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के अनुरूप होने चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इस देश के महापुरुषों, धर्मोपदेशकों तथा सुधारकों की आशाओं के अनुरूप आचरण करें। हमें घृणा, हिंसा और लोगों को विभाजित करने वाली प्रवृत्तियों का त्याग कर अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था कि.....

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। हमारे पास अधिक समय नहीं है। आप दूसरे सदस्यों का समय ले रहे हैं। आप कृपया अपनी बात समाप्त करें अन्यथा मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा।

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन: संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि विश्व में शांति, सौहार्द, सहअस्तित्व और विकास की जरूरत है। एक बेहतर दुनिया के लिए इन चार पायों की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय जीवन की निरन्तरता के लिए इन पायों का होना जरूरी है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि हमारे देश को एक नवयुग भारत के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए और जाति, धर्म के बंधनों का त्याग कर मिल जुलकर रहना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया और हम सबकी अंतश्चेतना में भाव जागृत किये। स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हमारा देश एक वर्गविहीन, जातिविहीन और धर्मविहीन समाज की पहचान बनाये। उन्होंने कहा था कि इस देश को एक शौर्यवान नया राष्ट्र बनाने के लिए आवश्यक है कि इसका मस्तिष्क वेदान्तिक हो तथा शरीर इस्लामिक हो। हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है जहां इस तरह के राष्ट्र का निर्माण हो सके।

हाल में विपक्ष के नेता श्री आडवाणी पाकिस्तान गये थे। वहां उन्होंने एक इतिहास बनाया। अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उन्होंने एक ऐसे समारोह में भाग लिया जो उन मंदिरों के जीर्णोद्धार

[प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन]

और श्रद्धालुओं के लिए पुन: खोले जाने के उपलक्ष्य में आयोजित किया था जिन्हें दिसम्बर, 1992 में अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद की घटनाओं के बाद नुकसान पहुंचाया गया था। हमारे विपक्ष के नेता को जीर्णोद्धार किये गये उस मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने का शुभारम्भ का एक अनूठा अवसर प्राप्त हुआ। अब मैं आडवाणी जी से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद को उसी जगह पर पुन: निर्मित करना चाहिए और श्री आडवाणी इस इबादतगाह को भी सांप्रदायिक सौहार्द के एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए इसे मुसलमानों को लिए खोलने का काम करें। इससे पूरी दुनिया में एक भाइचारे का संदेश जायेगा। हम चाहते हैं कि वह यहां पर भी एक सौहार्द वातावरण बनायें और हम सब उसके साक्षी बने। सभी लोगों, सभी मानवों को आपसी मेल जोल की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दिलो-दिमाग की दूरियां खत्म होनी चाहिएं। हमें सांप्रदायिक सौहार्द तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की दिशा में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए।

हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन हमारे मन आपस में बिलकुल नहीं मिलते। आइये हम सब इस देश की महानता और प्रतिष्ठा के अनुरूप आचरण करते हुए अपने मनों में एकरूपता स्थापित करें। आइये हम सब इसके लिए प्रार्थना करें और इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर 5 जुलाई को जो आतंकी हमला हुआ था, उस पर चल रही बहस में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या तथा सम्पूर्ण देश में आतंकवाद से संबंधित चर्चा को श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने प्रारम्भ किया है। मुझे तमाम वक्ताओं के विचारों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां याद आ गईं-

''जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी।''

वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में ये पंक्तियां कितनी सार्थक हैं, हम सबको स्वयं इसका चिंतन करना होगा। हम लोग यहां आतंकवाद पर चर्चा कर रहे हैं। आतंकवाद के लिए हम अमरीका जैसे राष्ट्र की आलोचना करते हैं कि वह आतंकवाद पर दोहरे मानक तैयार कर रहा है, लेकिन जब हम स्वयं भारत के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद की बात करते हैं तो पिछले 15 वर्षों के अंदर जितनी क्षति भारत को आतंकवाद के कारण उठानी पड़ी है, संभवत: विश्व के किसी अन्य देश को उतनी क्षति नहीं उठानी पड़ी है। पिछले 10-12 वर्षों के अंदर 75 हजार से अधिक नागरिक, साढ़े सात हजार से अधिक सैनिक, अर्द्धसैनिक और पुलिस के जवान जिस देश में खोये हों, जिसे देश में आज भी आतंकवाद अनेक रूपों में मौजूद हो, चाहे वह जम्मू-कश्मीर सहित सम्पूर्ण देश में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद हो या फिर चाहे पूर्वोत्तर के राज्यों में विभिन्न उग्रवादी संगठन हों, जिन्हें देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से समर्थन प्राप्त है, उनकी गतिविधियां हों, चाहे भारत के अंदर फैला हुआ वामपंथी आतंकवाद हो, जिसने पिछले एक वर्ष के अंदर भारत के 15 राज्यों में तेजी से अपना विस्तार किया है। मैं यहां यह कहना उचित समझता हूं कि पिछले एक वर्ष के अंदर वामपंथी आतंकवाद, जो नक्सलवाद के रूप में अपनी गतिविधियों को फैला रहा है, इसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, समाज विरोधी गतिविधियां पिछले एक वर्ष में तेजी से फैली हैं। एक वर्ष पहले आठ राज्यों के मात्र 54 जिलों तक जो आतंकवाद सीमित था, आज वह आतंकवाद नक्सलवाद के रूप में 15 राज्यों के लगभग 200 से अधिक जिलों के अंदर फैल चुका है। अब तक इस नक्सलवाद की चपेट में सैनिक बलों के जवान इसकी चपेट में आ चुके हैं। यह सब कुछ जब अपनी आंखों से देखते हैं तो हमें कहीं न कहीं अहसास होता है लेकिन जब एक मंच पर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने की बात आती है तो कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति हम सबकी एकता में बाधक बनती है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो आज भी आतंकवाद से मुकाबला करने में हम सबको रोकते हैं।

महोदय, भारत के अंदर आतंकवाद के दो कारण हैं। एक मजहबी कट्टरता जिसे हम धार्मिक कट्टरता नहीं कह सकते, धर्म और मजहब में अंतर होता है और जब हम धर्म और मजहब में अंतर महसूस नहीं कर पाते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं और वह भ्रम की स्थिति कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ाने में, उसे प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सहायक होती है। आज एक तरफ मजहबी कट्टरता को हम प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत की सांस्कृतिक विरासत को हर प्रकार से नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए उस पर चौतरफा हमला भी विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, इस देश में चंद वोटों के लिए, चंद लोगों के तुष्टिकरण के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश में नौकरियों में मुस्लिमों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। आर्डिनैन्स के माध्यम से पांच प्रतिशत आरक्षण आंध्र प्रदेश में एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लागू किया गया। हर व्यक्ति जानता है कि भारत के विभाजन का कारण द्विराष्ट्रवाद रहा है, जो असंवैधानिक काम है। इससे अलगाववाद की स्थिति को पैदा करेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण लागू हो गया। केन्द्र की यूपीए सरकार जहां कश्मीर के आतंकवादियों पर किसी प्रकार की लगाम कसने में असफल हुई है, पूर्वोत्तर के राज्यों में उल्फा का आतंकवाद बढ़ा है। मणिपुर में पिछले

45 दिनों से नाकेबंदी है और यह सरकार कुछ नहीं करती है। देश में आई.एस.आई. का जाल फैल रहा है, नक्सलवाद और माओवाद तेजी से फैल रहा है। हमारा पड़ोसी देश नेपाल पूरी तरह से इसकी चपेट में आ गया है लेकिन नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी के साथ हर प्रकार की पाबंदी हम नेपाल पर लगा रहे हैं। यहां अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सीटों के रिजर्वेशन की घोषणा करके पुन: अलगाववादी तत्वों को उकसाने का काम किया जा रहा है जो देश में विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे हैं। आप कैसे आतंकवाद को नियंत्रित करेंगे, कैसे उस पर नकेल डालेंगे? क्या आप इस मजहबी कट्टरवाद को रोक नहीं सकते हैं? ब्रिटेन पर हमला हुआ तो उसने वहां के मदरसों को स्पष्ट चेतावनी दे दी कि ब्रिटेन में रहना है तो ब्रिटेन के कानून के अनुसार रहना पड़ेगा लेकिन यहां संसद पर हमला होता है, जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर हमला होता है, अक्षरधाम मंदिर पर हमला होता है, रघुनाथ मंदिर पर हमला होता है, राम जन्मभूमि पर हमला होता है, प्रतिदिन नरसंहार होता है, सैनिक छावनियों पर हमले होते हैं, लेकिन इस सबके बावजूद हम स्वीकार नहीं करते हैं कि आतंकवादी कौन हैं? हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि आतंकवादियों का मकसद क्या है? क्या आतंकवादियों का मकसद सिर्फ रोटी-रोजी और मकान है? क्या ये आतंकवादी किसी सामाजिक क्रांति को लेकर आए हैं या केवल भारत के खिलाफ, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए आए हैं। मैं समझता हूं कि वार्ता से नहीं या शांति से नहीं, बल्कि इन सब को कुचल कर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। उसके लिए जिस प्रकार की एकता की आवश्यकता होनी चाहिए थी, वह अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि जब हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम ओसामा बिन लादेन के खिलाफ बोल रहे हैं, मुल्ला उमर के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्हीं लोगों को लगता है कि यह इस्लाम पर प्रहार हो रहा है। यहीं पर हम गलती करते हैं और मजहबी कट्टरवाद को रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है बल्कि उसे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। चाहे अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम आरक्षण के कारण ऐसा हुआ हो, चाहे आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण के नाम पर हो रहा हो, उस कट्टरता को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसी का परिणाम है कि ऐसी हरकतें और इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही है।

आतंकवाद बढ़ने का दूसरा कारण विदेशी विचारधारा भी है। भारत के अंदर साम्यवादी विचारधारा विदेशी विचारधारा है। किस लोकतंत्र में इनका विश्वास है? किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा नरसंहार हो रहा है? आज यहां पर हमारे माननीय सांसद श्री डी.पी. यादव जी बोल रहे थे। मुझे आश्चर्य होता है कि अभी माओवादियों ने इनके एक सांसद के घर पर हमला किया। क्या इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये लोग संसद में उस बात को रख सकें, क्यों इनको लगता है कि अगर ये माओवाद के खिलाफ बोलेंगे तो फिर न जाने इनके कितने वोट खिसक जाएंगे। यही कारण है कि यहां पर किसी मुद्दे पर जब चर्चा होती है तो उसे स्पष्ट रूप से ईमानदारी से स्वीकार करने की क्षमता इन लोगों में नहीं है और आतंकवाद का मुकाबला आप दोहरे मापदंडों से नहीं कर सकते हैं। यह बात हम सब को स्वीकार करनी पड़ेगी। जिस प्रकार की स्थिति अयोध्या के अंदर पैदा हुई, पांच जुलाई को राम जन्म भूमि पर हमला हुआ, यहां मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महोदय, अयोध्या पर यह पहला हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी अयोध्या पर अनेक हमले हो चुके हैं और उन सब हमलों को अयोध्या ने झेला है। अयोध्या का इतिहास आस्था और प्रतिकार का इतिहास रहा है। इस देश के करोड़ों-करोड़ हिंदुओं की सात पवित्र जगहों में से एक पवित्र जगह अयोध्या को माना जाता है। ये सातों पवित्र नगरियां अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची अवंतिका, पुरी, द्वारावति चैव सप्तेता मोक्ष दायिका, यानि ये सभी सात नगरियां हिंदुओं की पवित्र नगरियां हैं। शास्त्रों के अनुसार इन सात नगरों में प्रमुख स्थान अयोध्या का है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मुझे देख कर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जो बगैर परमिशन के बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मुझे संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: मैंने शास्त्रों की बात कही है। मैंने कांग्रेस की बात नहीं कही है। सात नगरियों में तीन प्रमुख- अयोध्या, मथुरा और काशी हैं और तीनों स्थानों से जुड़े हुए सांसदों को हम लोगों ने देखा है। दो सांसदों के विचार हमने सुने हैं और हो सकता है कि तीसरे सांसद के विचार भी सुनने का हमें मौका मिले। उनके विचार किस रूप में आते हैं, यह हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने अंदर की अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की इजाजत आज भी स्वतंत्र भारत में नहीं मिली है, क्योंकि यदि वे आंतरिक अभिव्यक्ति को व्यक्त कर देंगे तो कहीं उनकी नौकरी न चली जाए, इस बात की आशंका उनको हमेशा रहती है। इसलिए वे हमेशा किसी न किसी बंधन में बंधे रहते हैं। सच्चाई को वे न स्वीकार कर सकते हैं और न सच्चाई को उनकी ओर से किसी प्रकार की स्वीकार्यता

[योगी आदित्यनाथ]

मिल सकती है। काशी के बारे में हमारे माननीय सांसद ने यहां स्पष्ट नहीं किया कि काशी का इतिहास कहां से है। अयोध्या के इतिहास के बारे में भी माननीय सांसद कर रहे थे तथा हमारे मित्र ने पीछे कहा कि इन्होंने सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों, मजहबों के नगरों के रूप में अयोध्या को चिन्हित किया है।

उन्होंने पूछा कि ये किस पार्टी के हैं- हमने कहा कि जिस प्रकार विभिन्न धर्मों और नगरों से होते हुए कुछ लोग अन्त में अयोध्या में टिक गए और राम से जुड़ गए, वैसे ही विभिन्न पार्टियों से होते हुए आज ये बहुजन समाज पार्टी में हैं लेकिन कल किस पार्टी में होंगे, उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। अपने को सैकुलर बनाने के लिए, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं जिससे हममें सच्चाई को भी स्वीकार करने की क्षमता नहीं रहती है। हम इस बात को भी स्वीकार नहीं कर सकते कि वास्तव में अयोध्या में हमले का इतिहास क्या है।

महोदय, बाबर कौन था? बाबर एक विदेशी आक्रान्ता था और मध्य युग में राम जन्मभूमि के पवित्र स्थल पर, जहां रामलला का मंदिर बना था, बाबर के आदेश पर उसके सिपहसलारों ने, मंदिर को तोड़कर वहां एक ढांचा खड़ा कर दिया। ढांचे को खड़ा करने के बाद, जिस प्रकार से आस्था और प्रतिकार का लम्बा इतिहास हमें अयोध्या में देखने को मिलता है, मैं समझता हूं कि वर्तमान में उस पर ज्यादा खर्च करना आवश्यक नहीं है। आज अयोध्या के बारे में जिस प्रकार की स्थितियां सामने आई हैं, उनको देखते हुए, मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि सुरक्षा के तीन जोन अयोध्या में हैं - एक ग्रीन जोन है, जिसके अंतर्गत पूरी अयोध्या आती है, दूसरी येलो जोन है, जो अधिगृहीत परिसर से प्रारम्भ होता है और तीसरा रैड जोन है, जिसमें जहां रामलला विराजमान हैं, और उसके आसपास का क्षेत्र आता है।

महोदय, आतंकवादियों ने दो जोन पार कर लिए थे - ग्रीन और यैलो। यहां हमारे जो सांसदगण हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब आतंकवादी अयोध्या गए थे और उन्होंने ग्रीन जोन पार कर लिया था, येलो जोन पार कर लिया था, उस समय सुरक्षा बलों के जवानों के सामने भ्रामक स्थिति क्यों पैदा हुई - वे किस पार्टी का झंडा जीप पर लगाकर गए थे, किस पार्टी का झंडा लेकर आतंकवादी अंदर गए थे, ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): सभापति जी, इनको इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि आतंकवादी समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए थे। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: महोदय, समाजवादी पार्टी के लोगों का यह कहना कि उत्तर प्रदेश के डी.जी.पी. को एक सप्ताह पहले हिन्दू संगठनों ने एक प्रतिवेदन दिया था और मांग की थी कि सुरक्षा बलों में कमी की जाए। बिलकुल गलत है। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई आवेदन किसी भी हिन्दू संगठन ने डी.जी.पी. पुलिस को अयोध्या में सुरक्षा बलों में कमी करने अथवा तलाशी लेने में कमी करने के संबंध में नहीं दिया था, बल्कि हमने तो एक सप्ताह पहले परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। हिंदू संगठन के लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख अधिकारियों से कहा था और अधिगृहीत परिसर के जो रिसीवर हैं उन्हें एक प्रतिवेदन देकर मांग की थी कि अयोध्या परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस संबंध में उनका वक्तव्य आया था कि "सुरक्षा की जो व्यवस्था है, वह अधिक है। इसमें कमी लानी चाहिए।" यह वक्तव्य उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ अधिकारी का है।

महोदय, अयोध्या परिसर पर हमले के बाद दो प्रतिक्रियाएं आईं। जिस दिन हमला होता है, उस दिन माननीय गृह मंत्री वहां जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिलती। वे वहां नहीं गए। उन्होंने कहा कि हमले तो होते रहते हैं और इस प्रकार के हमले का जवाब सुरक्षा बल के बल के जवानों ने दे दिया। उसके बाद विधान सभा में जब चर्चा हुई, जिस चर्चा की बात यहां हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य ने की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधान सभा में कहा कि अगर मुख्य मंत्री अयोध्या जाते, तो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता - मैं समझ नहीं पाया कि यदि मुख्य मंत्री महोदय अयोध्या जाते, तो आतंकवादियों का मनोबल कैसे बढ़ता - क्या वे आतंकवादियों से मिले हुए थे, जो उन्हें देखकर आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता? जब गृह मंत्री वहां गए, तो क्या आतंकवादियों का मनोबल बढ़ा? जब इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, योगी आदित्यनाथ के भाषण के अतिरिक्त किसी भी माननीय सदस्य का भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: महोदय, जब इस प्रकार का व्यक्ति सांवैधानिक प्रमुख के पद पर बैठा हुआ हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी स्थितियां क्या हैं, ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं और किस हद तक जाना चाहते हैं।

महोदय, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला पहली बार नहीं हो रहा है। अभी श्रमजीवी एक्सप्रैस में बम विस्फोट हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री वहां चले गए, क्योंकि श्री लालू प्रसाद, रेल मंत्री जी को वह नीचा दिखाना चाहते थे, जिससे कि

लालू प्रसाद जी, किसी प्रकार अपने को अपमानित महसूस करें, क्योंकि रेल मंत्री के नाते उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि रेलों में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अयोध्या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि करोड़ों-करोड़ हिन्दुओं की भावनाओं के साथ यह कुठाराघात हुआ था, उनकी आस्था पर प्रहार हुआ था। बार-बार हिन्दुओं को अपनानित करने की जो परम्परा राजनैतिक क्षेत्र में चली हुई है, उसमें कहीं न कहीं विराम तो लगना ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय गृह सचिव का एक बयान आया है। केन्द्रीय गृह सचिव ने एक बात कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है, उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने मई माह में ही इस बात की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी थी। हमने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दे दी थी कि प्रमुख मंदिरों पर हमले हो सकते हैं, प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हमले हो सकते हैं, श्री वी.के. दुग्गल, गृह सचिव, भारत सरकार ने इस प्रकार की बातें कही हैं। उन्होंने तत्काल कहा था। उस सब के बावजूद अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है और काशी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद भी श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या की सुरक्षा न हो पाना केवल हिन्दू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना है। उत्तर प्रदेश में श्रीराम जन्मभूमि की व्यवस्था दोहरी है। केन्द्र सरकार ने जब से स्थान अधिग्रहित किया है, वहां पर केन्द्र और प्रदेश सरकार, दोनों की ही सुरक्षा में श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या चल रही है। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है और श्रीराम जन्मभूमि की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर सी.आर.पी.एफ. रैड जोन की व्यवस्था देखती है, यैलो जोन की व्यवस्था पी.एस.सी. के अधीन है और ग्रीन जोन को उत्तर प्रदेश पुलिस देखती है। अब जो लोग वहां पर बधाई देने की बात करते हैं, स्वयं अनुमान लगाया जा सकता है, ग्रीन जोन पार हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, यैलो जोन पार हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, रैड जोन पर सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने बहादुरी का काम किया था और आतंकवादी जिस सजा के हकदार थे, वह काम बहादुर जवानों ने करके दिखाया, इसलिए सी.आर.पी.एफ. के जवान तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से अपनी पीठ थपथपाने का काम जबरदस्ती कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अगर उन वक्तव्यों को यहां पर रख दिया जाये, जो वहां पर स्थानीय नागरिकों ने दिये थे तो एक मैं समझता हूं कि बहुत लोग मुंह दिखाने लायक ये लोग इस सदन में सब के बीच में नहीं बच पाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाता हूं कि सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने बहादुरी से सामना किया था। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

योगी आदित्यनाथ: हम बधाई देना चाहते हैं, सी.आर.पी.एफ. के जवानों को कि सी.आर.पी.एफ. के जवानों ने वहां पर जिस बहादुरी का काम किया था और आतंकवादियों को ऐसी मौत मारा था, जिसके वे सही में हकदार थे। निश्चित ही वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि देश में आतंकवाद बढ़ा है। हम यह कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का मुकाबला दोहरे मानक से नहीं हो सकता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी पार्टी के दूसरे और मैम्बर्स को भी बोलना होगा, उनका समय कट जायेगा।

योगी आदित्यनाथ: मैं अपनी पार्टी की तरफ से पहला सदस्य बोल रहा हूं। अन्य लोगों को, जो छोटे-छोटे दल हैं, उन लोगों को आधा घण्टा बोलने की आपने अनुमति दी है।

सभापति महोदय: आपके 20 मिनट से ज्यादा हो गये, मल्होत्रा जी भी 34 मिनट बोल चुके हैं, मैंने आपको ज्यादा समय दिया है। अब आप समाप्त कीजिए।

योगी आदित्यनाथ: मैं सदन से कहना चाहता हूं कि एक और प्रकरण सामने आया है, वह सलमान खान से संबंधित, दाऊद इब्राहिम से, अंडरवर्ल्ड से जिसका संबंध हो, ऐसे कितने दोहरे मानक हम तय करेंगे। संजय दत्त के घर से ए.के. 47 की स्प्रिंग मिलती है, लेकिन संजय दत्त टाडा में बंद होते हैं। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में बम विस्फोट से संबंधित लोगों के उनसे किसी न किसी प्रकार के संबंध थे, तभी वे बन्द हुए थे। भरत शाह, उसी टेप से संबंधित मामले में बन्द हुए। भरत शाह, जो फिल्म निदेशक थे, वे बन्द होते हैं तो सलमान खान कौन से खेत की मूली है कि आज उन पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती, महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई नहीं करती है केन्द्र की सरकार चुप रहती है। आज भी उनके बारे में वहां के गृह मंत्री इस बात को विधान सभा में स्वीकार करते हैं कि सलमान खान के संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। उनकी जो फोन पर बातचीत हुई है और टेप हुई है, वह सही है। उस सब के बावजूद केवल एक वर्ग विशेष से जुड़े होने के नाते एक प्रिवलेज उसे भारत के अंदर मिल गया कि उसकी हर जायज नाजायज गतिविधियों को भारत के अन्दर जारी रहने दिया जाना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला इन दोहरे मानदण्डों से नहीं हो सकता है। जब सब पर एक कानून लागू होगा, यह तभी हो सकता है और जिस प्रकार से बयान विभिन्न आतंकवादी संगठनों को बचाने के लिए वर्तमान में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और तत्कालीन एन.डी.ए. की सरकार ने सिमी

[योगी आदित्यनाथ]

पर प्रतिबन्ध लगाया था। एक ए.डी.एम. पाठक की हत्या इस संगठन ने कानपुर के अन्दर की थी और तमाम राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के मेरे पास आंकड़े हैं। भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, पिछले 10 वर्षों के अंदर मात्र नेपाल की सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर, 350 से अधिक नये मदरसे और मस्जिदें बनी हैं।

सायं 6.00 बजे

एक अनुमान के अनुसार 290 मदरसे बने हैं और 330 नई मस्जिदें बनी हैं। मैं केवल उत्तर प्रदेश नेपाल से लगी सीमा के बारे में बोल रहा हूं। ये सब अवैधानिक तरीके से बिना किसी परमीशन से, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के बने हैं। उनकी आय के स्रोत क्या हैं और किस उद्देश्य से बनाए गए हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: एक मिनट रूकिए। अभी 14 वक्ताओं को बोलना है। यदि सभा की अनुमति हो तो क्या हम एक घंटा समय बढ़ाएं?

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदय: सभा की बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: बिना किसी उद्देश्य के अगर मजहबी कट्टरपंथियों के लिए और प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में इन मदरसों का प्रयोग होगा तो इन पर प्रतिबंध लगाना ही चाहिए। एक समान शिक्षा भारत के अंदर लागू की जानी चाहिए। इन पर राष्ट्रीय विचारधारा की शिक्षा को लागू करना चाहिए। चाहे जहां तक सहायता देने की बात है, इनकी गतिविधियां अगर राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होगी, भारत के प्रति ईमानदार होंगी और भारत की परम्पराओं से जुड़ी हुई होंगी तो मैं समझता हूं कि इसका समर्थन किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इनकी गतिविधियां राष्ट्रविरोधी हों तो इन पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए। सिमी के ऊपर तत्कालीन एनडीए की सरकार ने प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, तब किन लोगों ने इसका विरोध किया था। आज जब श्रमजीवी एक्सप्रेस में विस्फोट हुआ, तब कौन लोग मारे गए थे, मजदूर, किसान लोग मारे गए थे। सिमी के खिलाफ अभी तक वक्तव्य नहीं दिया गया है, सिमी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है और इस सब के बावजूद जब हम लोग आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानक तय करते हैं तो आतंकवाद उससे बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। आपकी पार्टी के दो स्पीकर और हैं, जिनका समय आप कम कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ: मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि आतंकवादी हमले के पश्चात् जिस प्रकार की सूचनाएं आयीं, उसमें केन्द्रीय गृह सचिव कुछ बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी कुछ और कह रहे हैं, प्रधान मंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री कुछ और कहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं। उससे पता लगता है कि सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों में किसी प्रकार का कोई समन्वय नहीं है। आखिर आतंकवाद का मुकाबला भारत कर रहा है। पूरा भारत आईएसआई की चपेट में है, कट्टर इस्लामिक संगठनों की चपेट में है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। नेपाल आईएसआई का अड्डा बन चुका है। भूटान के अंदर उल्फा की गतिविधियों को जिस प्रकार से एनडीए की सरकार के समय में नेस्तनाबूत किया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार उस पर नियंत्रण करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। अंतर्राज्यीय अपराध और माफिया लोग जिस प्रकार से उभर रहे हैं, इन सबके खिलाफ सेना, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच में समन्वय आवश्यक हैं। केन्द्र की पिछली सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये पुलिस के आधुनिकीकरण पर प्रति वर्ष खर्च करने की बात कही थी, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। आतंकवादियों के पास एक-47, एके-56, मशीनगन, राकेट लांचर्स, हेण्ड ग्रेनेड और आडीएक्स तथा और भी खतरनाक विस्फोटक हैं लेकिन हमारे सिपाहियों के पास मात्र थ्रीनोटथ्री की पुरानी राइफलें हैं। उनके पास जंग लगी हुई राइफलें हैं। हमारे सिपाही कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे? कोई नेटवर्क सेना, अर्द्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच में नहीं है, जबकि आतंकवादियों/उग्रवादियों तथा माफिया गिरोहों का एक मजबूत नेटवर्क है। उनके पास मादक द्रव्यों और तस्करी के माध्यम से ऊल-जलूल पैसा आ रहा है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपके और स्पीकर्स भी बोलने वाले हैं। आप उनका समय क्यों ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: केन्द्र सरकार ने पुलिस आधुनिकीकरण पर जो एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही थी, राज्य सरकारें ईमानदारी से उसे खर्च करें और आतंकवाद के लिए दोहरा

मानक तय न करके हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* उन्होंने समय-समय पर यह प्रयास किया है। तालिबान के नाम पर जो हो रहा है, हम इसे कतई मंजूर नहीं कर सकते। अगर इस्लाम तालिबान के रूप में आता है, तो हम विरोध करेंगे। अगर बाबर जैसे लोग आक्रांताओं के रूप में आएंगे तो हम विरोध करेंगे। अगर इस्लाम, बाबर अन्यायी के रूप में आता है तो उसे नेस्तनाबूत करने के लिए भारत का एक-एक जवान खड़ा होगा। हम इस विश्वास के साथ आतंकवाद का मुकाबला राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर करें। मुझे विश्वास है कि राम जन्म भूमि परिसर पर हुए हमले के लिए उन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी जिन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था में कोताही बरती है। सरकार इसे ईमानदारी से करेगी। अब तो सबने स्वीकार कर लिया है कि वह राम जन्म भूमि का स्थल है। अब राम मंदिर का मार्ग भी प्रशस्त करें।

सायं 6.03 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

चौधरी विजेन्द्र सिंह (अलीगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का मौका दिया। मैं आतंकवाद पर बोलने से पहले माननीय मल्होत्रा जी से एक बात कहना चाहूंगा कि आतंकवाद आखिर है क्या? इस गरिमामयी सदन में कई बार आतंकवाद पर चर्चा हुई। बड़े-बड़े विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहूंगा, मैं उन बिन्दुओं पर सबका संज्ञान दिलाना चाहूंगा, जो अभी तक उद्धृत नहीं किए गए हैं। राजनैतिक उद्देश्य के लिए, धार्मिक उन्माद के लिए या अपने अन्य किसी उद्देश्य के लिए जब उदंडता की जाती है, वही आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद का पहला पहलू सिंहा है। माननीय मल्होत्रा जी चले गए हैं, एनडीए के साथी बैठे हैं। क्या ये बताएंगे कि हिंसा कब पैदा हुई, इसका जन्म कब हुआ, कहां हुआ? हिन्दुस्तान की आजादी से पहले जहां हिन्दू-मुसलमान एक थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय आतंकवाद नहीं था। जिस समय देश को आजादी मिली, राजनैतिक उद्देश्यों के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए जिन्नाह ने अलग देश की मांग की, उस समय हिन्दू-मुसलमानों में कत्ले-आम हुए, खून बहा। उस समय आतंकवाद की नींव पड़ी थी, उस समय इस देश में आतंकवाद के बीच पड़े थे। उससे भी पहले आतंकवाद को तब सहारा दिया गया जब नाथू राम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारी उस समय इस देश में आतंकवाद का जन्म हुआ था। यही नहीं, वे आप जैसे ही लोग हैं, आप ही उनके सहारे कभी-कभी यहां कुर्सियों पर आकर बैठते हैं, जिसका नाम आरएसएस है। आरएसएस का दूसरा नाम ही आतंकवाद है, ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदय, जो संगठन यहां नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाए। इसे कार्यवाही से निकलवाना चाहिए। यहां आरएसएस का नाम लिया गया है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्लीज, आप बैठिए। पहले भी संगठन का नाम लिया जाता रहा है।

...*(व्यवधान)*

चौधरी विजेन्द्र सिंह: जम्मू-कश्मीर के लाल चौक पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई। वहां से हिंसा को बढ़ावा मिला था। जब इन्होंने जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रथ यात्रा निकाली थी, उससे हिंसा का माहौल बना था, पूरे देश में आग भड़की थी। वह काम राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। इससे भी ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा तब मिला जब 1992 में आपने अयोध्या में वह कांड किया। उस कांड के बाद हिन्दू-मुसलमानों के बीच दरार पड़ी, लोगों की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंची और उससे आतंकवाद का जन्म होना शुरू हो गया। ...*(व्यवधान)* ये जितने भी कृत्य थे, ये हिंसात्मक थे और हिंसा को जन्म देने का काम आपने किया। ...*(व्यवधान)* हिंसा को बढ़ावा देने का काम आपने किया, एनडीए ने किया। ...*(व्यवधान)* मल्होत्रा जी यहां नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि एक साल के कार्यकाल में आतंकवाद की जितनी घटनाएं घटी हैं, उतनी हमारे कार्यकाल में नहीं घटी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: विजेन्द्र सिंह जी, आप मुझे सम्बोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

चौधरी विजेन्द्र सिंह: मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रघुनाथ मंदिर पर 30 मार्च, 2002 को आतंकवादी हमला एनडीए गवर्नमैंट के कार्यकाल में हुआ था, जिसमें सात आदमी मारे गये थे। पांच जुलाई को दूसरा हमला हुआ। 25 नवम्बर, 2002 को 12 आदमियों की हत्या की गयी। जम्मू-कश्मीर की विधान सभा पर एनडीए गवर्नमैंट के कार्यकाल में हुआ। एक अक्टूबर, 2001 को 33 आदमियों की हत्या हुई। इसके बाद अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों का हमला लगातार हुआ। 1 अगस्त, 2000 को 48 व्यक्तियों की हत्या हुई। 20 जुलाई, 2000 को 13 आदमियों की हत्या हुई। 30 जुलाई, 2002 को दो आदमियों की हत्या हुई। 6 अगस्त, 2002 को नौ आदमियों की हत्या हुई। ये सब घटनाएं आपके कार्यकाल, यानी एनडीए गवर्नमैंट के कार्यकाल में हुई। यह आतंकवादी घटनाओं का रिकार्ड है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: आज तो आपका राज है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मुझे सम्बोधित करके बोलिये।

...*(व्यवधान)*

चौधरी विजेन्द्र सिंह: सभापति महोदय, जम्मू रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमला 6 अगस्त को एनडीए गवर्नमैंट के कार्यकाल में हुआ, जिसमें 11 आदमियों को फिर मौत के घाट उतारा गया। कोलकाता में अमेरिकन सैंटर पर 22 जनवरी, 2002 को आतंकवादी हमला एनडीए गवर्नमैंट के कार्यकाल में हुआ जिसमें पांच आदमियों की हत्या हुई और 20 लोग घायल हो गये। जम्मू में कालूचक जगह पर 13 मई, 2002 को आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 30 आदमियों को मौत के घाट उतारा गया। ये तमाम रिकार्ड एनडीए गवर्नमैंट के कार्यकाल में, यानी आपके समय के हैं जबकि आप कहते हैं कि एनडीए गवर्नमैंट ने आतंकवाद को रोकने का बहुत प्रयास किया। गुजरात में गांधी नगर स्थित अक्षरधाम मंदिर में जिस समय आतंकवादी हमला हुआ, उस समय आप ही सत्ता में थे। 24 सितम्बर, 2002 को 29 व्यक्तियों की हत्या हुई और 17 व्यक्ति घायल हुए। इसके साथ-साथ इससे भी बड़ी घटना देश की सबसे बड़ी महा पंचायत, विश्व की मानी हुई संसद पर आतंकवादी हमला हुआ। आपने पांच जुलाई को अयोध्या की घटना पर पूरे देश को बंद करने का आह्वान किया।

आपने उस समय एक बार भी देश में बंद का आह्वान नहीं किया। आपकी नैतिकता, आपका सिद्धांत, आपका ईमान, आपका चरित्र होता और आप वास्तव में देश के हित में होते तो आपको उस समय देश में बंद का आह्वान करना चाहिए था।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें रास्ता बताते हैं। यदि आप आतंकवाद से लड़ना चाहते थे तो जिस समय कश्मीर में चुनाव हुआ, तो आपने वहां चुनाव क्यों नहीं लड़ा? जब पंजाब में चुनाव हुए तब आपने चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? इसके साथ-साथ कारगिल की जो इतनी बड़ी घटना घटी थी, वह भी आपकी सरकार की देन थी। क्या आपका समस्त इंटेलीजैंस सो रहा था? आपको नहीं मालूम था कि वहां आतंकवादियों की किस तरह की गतिविधियां चल रही है? उस समय आप क्या कर रहे थे? हजारों लोगों की जानें गयीं, हत्यायें हुईं, देश बर्बाद हुआ, उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने आतंकवाद का मुकाबला किया था। ...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: 1962 में जब चीन का हमला हुआ, तब कौन सी सरकार थी? ...*(व्यवधान)*

चौधरी विजेन्द्र सिंह: मैं बताऊंगा। आप बैठिये। मल्होत्रा जी यहां से चले गये हैं। वह बड़े विद्वान और सीनियर हैं। ...*(व्यवधान)* आप बैठे रहिये। अयोध्या में जिस समय आतंकवादी घटना घटी थी, पूरे देश में हजारों मंदिर टूटे थे, हजारों मस्जिदें टूटी थीं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: समय समाप्त हो चुका है। 7 बजे के बाद किसी भी स्थिति में सभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अभी पांच या छ: सदस्यों को और बोलना है। सदस्यों को सहयोग करना चाहिए और उन्हें केवल पांच मिनट बोलना चाहिए। पांच मिनट के बाद मैं किसी भी सदस्य को अपना भाषण जारी रखने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह: अभी तो हमने बोलना शुरू किया है। उस समय देश में मंदिर-मस्जिद का ऐसा विवाद पैदा किया गया जो आज तक थमा नहीं है। आपने अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए उसे प्रकाश में रख दिया। ...*(व्यवधान)* मल्होत्रा जी बहुत लम्बा बोले है। उनके एक-एक सदस्य ने बहुत टाइम लिया है इसलिए आप मुझे भी समय दीजिए। मल्होत्रा जी ने एक बात कही थी कि यूपीए सरकार आतंकवाद को रोकने में सक्षम सिद्ध नहीं हुई, मैं इसका विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। अन्तहीन भाषण नहीं हो सकते।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह: किसी भी आतंकवादी घटना को रोकने के लिए सरकार की वैदेशिक नीति सबसे बड़ा काम करती है। अभी-अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने आतंकवाद पर सहमति बनाने के लिए पड़ोसी देश की यात्रा की थी। अभी अमेरिका, लंदन में जो घटनाएं घटीं, उससे पूरे देश की नजर आतंकवाद के खिलाफ हुई और उस पर सबकी सहमति बनी। सबने हमारे प्रधान मंत्री से एक वायदा किया कि हम आतंकवाद को रोकने के लिए आपके साथ हैं। यही कारण है कि इस पर दबाव बना है लेकिन सबसे बड़ा आतंकवाद देश की आंतरिक हिंसा को रोकना है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस में कोरम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

चौधरी विजेन्द्र सिंह: प्रभुनाथ सिंह जी, हमें बोलने दीजिए। हम नये लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप इस बात पर जोर दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: जी, हां। आप नियम-कानून रोजाना दिखाते हैं। सदन में कोरम नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: उन्होंने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया है। कृपया बैठ जाइए। अब गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाएगी और गणपूर्ति के लिए घंटी बजने के दौरान कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जा रही है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब हमारे पास गणपूर्ति है। श्री विजेन्द्र सिंह कृपया आप जारी रखिए। ध्यान रखिए समय बहुत कम है। अत: आप यथाशीघ्र अपनी बात पूरी कीजिए।

[हिन्दी]

चौधरी विजेन्द्र सिंह: महोदय, आतंकवाद का एक अन्य पहलू है जातिवाद और धार्मिकतावाद। वर्ष 1992 में अयोध्या में जो घटना हुई, उससे धार्मिक कट्टरवाद पैदा हुई। *...(व्यवधान)* मैं भाजपा के अपने साथियों से पूछना चाहता हूं कि इस देश की आबादी एक अरब आठ करोड़ है, जिनमें से लगभग 84 प्रतिशत हिंदू हैं और 15 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। पूरे विश्व में कुल मुस्लिम आबादी 120 मिलियन है। इस तरह भारत विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। जब सर्वाधिक मुस्लिम आबादी इस देश में है तो क्या आप उनको इस देश से निकाल सकते हैं? जब यह एक यथार्थ सत्य है तो क्या आप हिन्दूओं और मुसलमानों के बीच विवाद पैदा करके, धार्मिक कट्टरवाद पैदा करके अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा मंदिर बनाना चाहते हैं, जहां खून की होली होती हो, जहां इंसाफ और इन्सानियत न हो और जहां जनता के, किसानों के विकास के लिए खर्च किए जाने वाले पैसे को 12-13 महीनों के बाद चुनाव पर खर्च किया जाए? टार्गेट भी आतंकवाद का पहलू है। इनका उद्देश्य आतंकवाद को रोकना नहीं है, इनका उद्देश्य कुर्सी को हथियाना है, यही इनका टार्गेट है। हमें वह दिन याद हैं, जब इसी सदन में इनके सिर्फ दो सांसद थे। बाद में अयोध्या की घटना के बाद ये लोग सत्ता में आए थे। इनका टार्गेट यह नहीं है कि इस मुल्क में आतंकवाद मिटे, इनका तो टार्गेट कुर्सी हथियाना है। धर्मांधता की आंधी चलाकर, आपस में टकराव पैदा करना और भाईचारे को समाप्त करना इनका टार्गेट है।

सभापति जी, यहां मल्होत्रा जी नहीं हैं। उन्होंने अपनी बात कहते हुए यह कहा था कि सरकार कानून का पालन नहीं करती।

योगी आदित्यनाथ: आपके पूर्व मुख्य मंत्री ने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा है, वह भी पढ़ लें। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग दंगा कराते हैं।

चौधरी विजेन्द्र सिंह: 1992 में अयोध्या में ढांचा गिराने के बाद उस समय आपकी पार्टी के मुख्य मंत्री कल्याण सिंह जी ने कहा था कि हम कोर्ट के किसी आदेश का पालन नहीं करेंगे। भले ही हम कंटेम्प्ट आफ कोर्ट में चले जाएं, लेकिन हम राम का मंदिर वहीं बनाएंगे। जिस जिन्ना ने हिंदुस्तान का बंटवारा करके दो देश बनाए, तभी सबको मालूम हो गया था कि उनका उद्देश्य राजनीतिक था और जिस मानसकिता से बंटवारा हुआ, उसी जिन्ना को आपने सेक्युलर कहा। अभी तीन दिन पहले रायबरेली कोर्ट में आपके लोगों को दोष पत्र जारी किया गया। सीबीआई ने आपको दोषी करार दिया, तो आपके नेता ने वहां क्या कहा था, यह सबको मालूम है। इससे साबित होता है कि दोहरा मापदंड आपका है, यूपीए सरकार का नहीं है।

मैं यूपीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने नैतिक सिद्धांतों के तहत सेक्युलर विचारधारा से आतंकवाद को मिटाने के लिए दूसरे देशों में जाकर सहमति बनाई और राय ली। हमारा पड़ोसी मुल्क, जहां आतंकवाद पनप रहा है, उस पर भी प्रेशर डवलप किया कि वह ऐसा न करे। इसके साथ देश में भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच बसों के मार्ग खोले गए, रेल सेवा शुरू की जा रही है, क्योंकि आतंकवाद को अगर कोई रोक सकता है, तो वह दोनों देशों की जनता रोक सकती है। दोनों देशों की जनता के बीच भाईचारे की भावना आतंकवाद को बढ़ने से रोक सकती है। इस तरह से हमारी सरकार ने आतंकवाद रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं।

अयोध्या में जो पांच तारीख को आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, उस विषय पर यहां चर्चा शुरू करते हुए मल्होत्रा जी ने कहा कि केन्द्र सरकार उसमें फेल रही है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की एक कोर्डिनेशन कमेटी होती है। उस कमेटी की मीटिंग पिछली 23 मई को हुई थी। केन्द्र सरकार की इंटेलीजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दी थी कि हमले की कुछ आशंका है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा था कि जहां-जहां धार्मिक स्थल हैं, वहां सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। इस तरह देखा जाए तो हमने अपना दायित्व निभाया है।

[चौधरी विजेन्द्र सिंह]

हम सीआरपीएफ और पीएसी को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने चंद मिनटों में ही आतंकवादियों के तमाम मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और मुल्क को आग में झोंकने से बचा लिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मल्होत्रा जी ने जो बातें कही हैं, उनसे सहमत नहीं हूं और यूपीए सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उसने स्वच्छ मानसिकता से, सेक्युलर भावना से आतंकवाद को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया है, जिससे ऐसी घटनाओं में कमी आई है और आगे भी आएगी।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री अनंत गुढ़े, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। आप अपनी बात पांच मिनट में पूरी कीजिए। अन्यथा आज हम इस चर्चा को पूरी नहीं कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे (अमरावती): सभापति महोदय, फिर से एक बार सदन में देश में हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा हो रही है। अयोध्या में प्रभु रामचन्द्र जी के जन्म स्थान पर 5 जुलाई को जो आतंकवादी हमला हुआ, उसकी मैं निंदा करता हूं। हमारे जिन सुरक्षाकर्मियों ने इस हमले को नाकाम किया, उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारा देश और सारी दुनिया आज आतंकवाद से जूझ रही है। हम तो कई सालों से आतंकवाद से लड़ते आ रहे हैं लेकिन खतरा दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। सभापति जी, मेरा सवाल है यह है कि हम इस आतंकवाद को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। लंदन में चार बम-विस्फोट होते हैं तो पाकिस्तान के सारे मदरसों की चैकिंग हो जाती है और पाकिस्तान के मदरसों से आतंकवादी पकड़े गये हैं। हमारे देश में आतंकवादी पनप रहे हैं और बढ़ रहे हैं। कितने मदरसे अनुमति लेकर चलाए जाते हैं, कितने मदरसों को पर्मिशन है। एक साल में मदरसे की बिल्डिंग तैयार हो जाती है। बिल्डिंग के लिए पैसा कहां से आता है? लेकिन हमारी सरकार ने इसे जानने की कभी कोशिश नहीं की। इनको पैसा जनता नहीं देती है, पैसा बाहर से आता है, उग्रवादियों से पैसा आता है।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। बिना किसी सबूत के सभी मदरसों के खिलाफ एक आम टिप्पणी करना बहुत गलत बात है। एनडीए शासन के दौरान, इसी सभा में आधे घंटे की चर्चा के दौरान, मैंने एक प्रश्न उठाया था कि क्या सरकार किसी ऐसे एक मदरसे का नाम बता सकती है जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो। ...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाये थे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढे: ऐसा तो सभी कहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: बाहर से पैसा आता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह सत्यापित हो जाने और जानने के बाद कि वे अच्छा काम कर रहे हैं। एमपीएलएडी फंड से, मैं मदरसों के लिए धन देता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: ये लोग जान बूझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे: मदरसों की बात पर ये लोग चिढ़ जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): स्वामी जी के आश्रमों में टैरेरिज्म है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे: खुद पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा है। वहां उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, बंगला देश में पाबंदी लगाई है। यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो केवल वोटों की राजनीति के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां पर एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा कि हमें यह सोचना चाहिए कि आतंकवाद को रोकने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है? एनडीए सरकार पोटा क्यों लाई थी? देश में आतंकवादी जो फैल रहे हैं, जो सिमि का जाल फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए पोटा लाया गया था। ये पोटा के विरोध में थे अब ये मदरसों की बात कर रहे हैं। पोटा लगाने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में कटौती हुई थी। ...*(व्यवधान)* पोटा में, जो राष्ट्र के विरुद्ध काम करते हैं। ...*(व्यवधान)* आप बोलिए। जवाब देना है तो दें, हम सुनने को तैयार हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बाधा मत डालिए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो किसी प्रकार के व्यवधान की संभावना अथवा अनुमति नहीं है। साथ ही, यदि वह अवसर देते हैं तो आप केवल पूछ सकते हैं। अन्य टिप्पणी अथवा व्यवधान इसमें शामिल नहीं होगा और कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप इसमें व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुडे: सभापति महोदय, हमारे कांग्रेस के एक मित्र ने कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। माननीय अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, तब पोटा कानून लाया गया था। अब इन्होंने पोटा को रद्द कर दिया है और जितने आतंकवादी थे, सभी को छोड़ दिया है। जब क्रिकेट मैच हुआ, उसमें आतंकवादी कहां से आए थे? मेरा यह सवाल माननीय गृह मंत्री जी से है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच जब क्रिकेट मैच हुआ और पाकिस्तान से क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग भारत आए, उनमें से कितने पाकिस्तानी आए थे जो वापस गए और कितने यही पर रह गए हैं? आज भी 113 लोग गायब हैं। उनका पता नहीं है, उनके पासपोर्ट का भी पता नहीं है, हमें उनका एड्रेस भी नहीं मिला है। वे लोग यहां पर आतंकवाद फैलाते हैं और ये आतंकवादी यहां के मदरसों की मदद करते हैं। वहां का पैसा इस प्रकार यहां आता है और हमारे देश में आतंकवाद मदरसों से बढ़ रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल: यह फिर से एक निराधार आरोप है।

सभापति महोदय: आपका समय पूरा हो चुका है। कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुडे: सभापति महोदय, यदि एक स्वतंत्रता सेनानी, सावरकर की कविता पढ़ाई जाती है तो उसे भगवाकरण का नाम दिया जाता है और यहां मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, क्या वह गलत नहीं है? उसके बारे में मत बोलो, उसके बारे में मत कहो, यह कहा जाता है।

सभापति महोदय, जब तक सिमी और मदरसे यहां पर चल रहे हैं तब तक यहां से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। हमें वोटों की राजनीति घर में छोड़कर इस देश की सुरक्षा के लिए आगे आने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान बंदिश लगा सकता है, बांग्लादेश बंदिश लगा सकता है तो हिन्दुस्तान मदरसों पर बंदिश क्यों नहीं लगा सकता। यदि हमें देश के आतंकवाद को रोकना है तो मदरसों पर बंदिश लगाने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): क्या माननीय सदस्य किसी ऐसे एक मदरसे का उदाहरण देंगे जहां यह सब चल रहा है?

श्री पवन कुमार बंसल: यह हास्यास्पद बात है।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुडे: महोदय, हमारी नीति क्या है, यह हमें निश्चित करना चाहिए। हम संसद सत्र में आतंकवाद पर चर्चा करते हैं, अयोध्या के मामले पर चर्चा करते हैं लेकिन सही मायने में इसे मिटाने के लिए हमारी कोई कोशिश नहीं रहती है। हमारी कोशिश केवल वोटों की राजनीति में होती है। हमें इसे बंद करना चाहिए। हमें वोट मिले या नहीं, हम एकजुट होकर आतंकवाद का विरोध करें, केवल हमारे मदरसे दोषी हैं, अगर हम केवल इस बारे में सोचते रहे तो कभी भी हिंदुस्तान से आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता है, जबकि यह चर्चा बार-बार होती रहती है।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि:

"शंक शंख चक्रस्य, क्रिटिकुण्डलम्
सपीतवस्त्रम, सरसी रूहेक्षणम्।
सहारवक्षस्थल कौस्तूभात्यम नवामि विष्णु सिरसा चतुर्भुजं।"

[अनुवाद]

हे! ईश्वर, तुम्हारा शंख शांति के लिए समर्पित है, जो रण क्षेत्र में शांति के लिए नाद कर रहा है; हे ईश्वर-तुम्हारा चक्र प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है; हे ईश्वर तुम्हारी खड्ग मेरी समाज, निर्धन व्यक्ति और राष्ट्र की रक्षा के लिए है।

[डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी]

हे मेरे कमल, हे मेरे लाल पुष्प, जब ऊंचे ब्रह्मांड में सूर्य उगता है, तो कमल की पंखुड़ियां सूर्य को आलिंगन करने के लिए खुलती है। हे ईश्वर तेरी पंखुड़िया, पद्म, पद्मम, वशिष्टम शक्ति, एक तंत्र, हवण चा, तत् पुत्र, परसरच्चा बैयसम, शुखम् गोवदपदम, महन्तम, गोविन्दम्, जोगिन्द्रम, मौतस्य शिष्यम-मैं सम्मान करता हूं।

मैं किसी भी धर्म के पवित्र पारंपरिक गुरुओं का सम्मान करता हूं। धर्म से मेरा अभिप्राय है स्वयं से साक्षात्कार करना। सबसे पहले मैं एक मनुष्य हूं। उसके बाद मैं एक इसाई हूं। पहले मैं एक मनुष्य हूं उसके बाद मैं एक हिन्दू या मुसलमान हूं। हिन्दू अभिव्यक्ति स्वयं में एक सर्वोच्च सम्मान है। जो कोई भी किसी मुस्लिम को सम्मान देना जानता है वह एक सच्चा हिन्दू है। दर्शन का सबसे आदरणीय सिद्धांत यही है। जो कोई भी यह जानता है कि किसी इसाई अथवा किसी मुस्लिम का सम्मान किस प्रकार किया जाए वही सच्चा हिन्दू है। यह दर्शन का सिद्धांत है।

मुझे कोई यह कह सकता है कि मैं एक इसाई हूं या एक मुस्लिम हूं। मैं लुंगी पहने हुए हूं और मूंछे रखता हूं। इस तरह से मैं एक मुस्लिम हूं। मैं एक इसाई भी हूं क्योंकि मैं अपने अंदर क्रास की पूजा करता हूं, क्योंकि मैं 'स्वास्तिक' पहने हुए हूं। वह भी बिल्कुल एक क्रास की तरह है। अत:, मैं एक मनुष्य हूं। मैं केसरिया रंग की वेशभूषा पहने हुए हूं। यह वह रंग है जो संपूर्ण ब्रह्माण्ड को रंगने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय उगते हुए सूर्य का रंग होता है। इस ब्रह्मांड को संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं तुम्हारे 'त्रिशूल' में श्रद्धा रखता हूं। कोई इसे इसी रूप में पसंद करता है। यह एक क्रास भी है यदि कोई इसे क्रास के रूप में देखे। यदि आप इसे क्रास के रूप में देखते हैं तो यह क्रास बन जाता है। वस्तुत: यह त्रिशूल है। आप इसे इस प्रकार रखते हैं। आप त्रिशूल के दोनों छोरों को अलग कर दीजिए और यह क्रास बन जाएगा। आप इसे अर्द्धचन्द्र, अर्थात् चन्द्रमा का आकार भी दे सकते हैं तब यह अल्लाह का प्रतीक बन जाता है। उर्दू में इसे अल्लाह कहते हैं। 'ए' वर्ण का अर्थ है चेतनता की अखंड, अनन्त, असीम असीमित अवस्था। 'ल्ला' वर्ण का अर्थ है 'लंगला'। इसका अर्थ है कि खेत की जुताई करना। तुम्हारी अखंड शक्ति से व्यक्ति बोध की प्राप्ति कर सकता है। इसे 'अन्मय कोष' कहते हैं। भारत में आत्मा का यही अर्थ है। आत्मा अयोध्या है। 'ह' वर्ण का अर्थ है अखंड, अनन्त, असीमित। इस तरह एक परमानन्द प्राप्त कर सकता है। जब कहीं कोई युद्ध न हो तो उस स्थिति को 'अयोध्या' कहते हैं।

त्रेता युग में ईश्वर को राम कहा गया। द्वापर युग में ईश्वर को कृष्ण कहा गया। राम शब्द में स्वयं असीमित ब्रह्मादीय तरंगें समाहित हैं। और त्रेता युगके उसी राम ने द्वापर युग में कृष्ण के रूप में जन्म लिया। 'रा' का अर्थ है अनन्त ब्रह्म। 'कलयुग' में उसी कृष्ण को जगन्नाथ अर्थात्, संसार का स्वामी कहा जाता है। मुगल काल में संसार के स्वामी पर काला पहाड़ ने आक्रमण किया। कालापहाड़ का अर्थ है बटालियनों (सेनाओं) के पहाड़। बटालियनें पहाड़ की तरह आईं और भगवान जगन्नाथ पर आक्रमण किया परन्तु वे सफल नहीं हो सकीं। वे भगवान को क्षति नहीं पहुंचा सकीं।

विज्ञान के युग में वैज्ञानिक ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाए क्योंकि वह सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म है। आप विज्ञान के माध्यम से ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। विज्ञान के युग में वे ईश्वर का अनुभव नहीं कर सके।

आतंकवाद का कोई सिद्धांत नहीं है। वे जेहाद की घोषणा करते हैं। यह एक पवित्र शब्द है। यह एक सर्वोच्च सिद्धांत है। जेहाद का अर्थ है किसी नेक कार्य के लिए युद्ध एवं संघर्ष करना। मानवता और मानव की रक्षा करना धर्म का एक सर्वोच्च सिद्धांत है। परन्तु आतंकवादी इस शब्द का दुरूपयोग कर रहे हैं। जो कोई भी उस परम सत्ता के संपर्क में आना जानता है वह जीवन जीने की कला से सुपरिचित हो जाता है। क्रूर आतंकवादी मानवता से प्रेम करने की कला नहीं जानते। क्रूर आतंकवादी बच्चों, वृद्धों की हत्या करते हैं और वे संपूर्ण मानवता की हत्या कर रहे हैं। अमेरिका में विशेषकर उन्होंने विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर दिया। आप ऊंचे आकाश से बादलों को तितर बितर नहीं कर सकते। इसी प्रकार, आप अपने मन से पवित्र विचारों को दूर नहीं कर सकते। मन शाश्वत है। मन, रूपम और चेतनता की एक अवस्था अर्थात् परम ब्रह्म है। यह एक ज्ञान है जो कि हर रचना में समाहित है। चेतनता की उस अवस्था में रचना की अन्त: प्रेरणा छिपी हुई है। इसीलिए, हमें नमामि, समिशन, निर्वाण, रूपम, बिभुं, ईश्वर, व्यापकम, ब्रह्म वेद स्वरूपम् कहा जाता है। संसार की रचना के द्वारा हम मानव के रूप में इस संसार में आए है। जो भी मन और आत्मा का समर्पण करना जानता है वही मानवता की रक्षा कर सकता है।

हम भगवान कृष्ण, भगवान ब्रह्म, वेद और स्वरूप हैं। अमरनाथ में मुस्लिम भी पूजा कर रहे हैं। दक्षिण भारत में केरल में मुस्लिम भी पूजा कर रहे हैं। हिन्दूओं और मुसलमानों में कोई अन्तर नहीं है। हम इस संसार में एक मनुष्य के रूप में आए हैं। अत:, हम मानवता से प्रेम करते हैं। हम मुस्लिम, इसाईयों, बौद्धों तथा जैनियों सभी से प्रेम करते हैं। सबसे पहले हम मनुष्य है। ये आतंकवादी सारे विश्व को आतंकित कर रहे हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी: जबकि ये आतंकवादी सारे विश्व को आतंकित कर रहे हैं तो हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं?

हम उन्हें केवल 'इन्टरपोल' के माध्यम से पकड़ सकते हैं। हम उन्हें 'इन्टरपोल' द्वारा जारी किए जाने वाले 'रेड कार्नर' नोटिस के माध्यम से पकड़ सकते हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए प्रत्यर्पण संधि को प्रोत्साहित करके उसे पूरे विश्व में लागू किया जाना चाहिए ताकि वे देश, जिनमें आतंकवादी शरण ले रहे हैं, उन्हें संबंधित देश को सौंप सकें। परन्तु उन्हें किस प्रकार गिरफ्तार किया जाएगा? क्या आप उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं? माननीय प्रधान मंत्री ने बड़े गर्व से यह घोषणा की थी कि भारत में एक भी आतंकवादी नहीं है, परन्तु मुझे एक बात याद है कि गुजरात में, सूरत में समाचार पत्र में एक आतंकवादी का चित्र छपा था।

दो प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। एक है रचनात्मक विचारधारा और दूसरी विध्वंसात्मक विचारधारा। रचनात्मक विचारधारा में दया, धर्म और करुणा निहित होती है। विध्वंसात्मक विचारधारा में क्रोध, ईर्ष्या और घृणा के भाव होते हैं। भारत समर्थन संबंधी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पाकिस्तान विनाशकारी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का स्थल है। यह आतंकवादियों की जन्मभूमि है। ब्रिटेन और अमेरीका, पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर रहे है तथा ये पाकिस्तान को संरक्षण दे रहे है। इसलिये, वे इस विनाशकारी विचारधारा को ही व्यक्त कर रहे है। प्रत्येक कार्यवाही (काम) की विरोधी प्रतिक्रिया होती है। वे भारत को दबाना चाहते है। यह एक राजनैतिक कट्टरपन (हठधर्मिता) है। यह भारत को दबाने हेतु अमेरीका के लोगों का स्व्-सृजित षड्यंत्र है। वे भारत को दबाने हेतु पाकिस्तान को आश्रय दे रहे है। भारत में एक दशक के भीतर विकास (वृद्धि) हो सकता है जैसा कि हमारे पास क्षमता है। आप यह कह सकते है कि इस विज्ञान के युग में भारत आगे बढ़ सकता है तथा संपूर्ण विश्व पर शासन कर सकता है और अपने अन्तर्गत ले सकता है। विवेकानन्द और अरविन्द के अनुसार यह एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। मैं इस पावन सभा को एक बात कहना चाहता हूं। न केवल लिखने में और न ही बोलने में अपितु वास्तविकता (व्यवहार) में हमें दृढ़ होना चाहिए। हमें दृढ़ होना चाहिए; इन आतंकवादियों को पकड़ने में वचनबद्ध होना चाहिये। उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र के मंदिर-संसद पर भी हमला किया है। उनकी लाशों का क्या हुआ? आपने लाशें ले ली है। लाशों को लेने के पश्चात् कुछ रीति-रिवाज, हवन, अनुष्ठान होने चाहिये थे और आपने वह नहीं किए। इसलिये हमने दो महान हस्तियां अध्यक्ष श्री बालयोगी और दूसरे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री कृष्ण कांत। दोनों ही दोनों सभाओं के पीठासीन अधिकारी थे। इसी तरह पांच लाशें अयोध्या में पाई गई है। हम यह नहीं जानते है कि किस प्रकार से अनेक रीति-रिवाज, प्रार्थना, हवन और भजन किये जायें। उससे देश को चोट पहुंचेगी। भविष्य में बार-बार आतंकवादी हमला होने की संभावना है जैसा कि लंदन, मिश्र और इंडोनेशिया में हुआ। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में भी दस लाख लोगों से अधिक लोग प्रत्येक वर्ष इकट्ठा हो रहे है। इसलिये, वहां पर हमले की संभावना है परन्तु जब तक भगवान जगन्नाथ वहां पर है मेरा विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इससे परे एक और स्थल है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जागुलेईपटना है और भगवान जगन्नाथ के हाथ में तलवार और शंख है। इसे पदम पडा पूर्ण पानी विग्रह कहा गया है। अनेक मुस्लिम लोग भी वहां पर जाते है और प्रार्थना करते है और रथ यात्रा उत्सव में शामिल होते है। हिन्दु और मुस्लिम पूजा कर रहे है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र कायपाडार में एक अन्य स्थल है। हिन्दु और मुस्लिम दोनों ही पीरों की पूजा कर रहे हैं। हम प्रत्येक ईश्वर से प्रार्थना करते है। हम मुस्लिम, इसाई और बुद्ध लोगों का सम्मान कर रहे है और हम अन्य किसी भी धर्म का सम्मान करते है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं।

इसलिये, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने हेतु अवसर दिया है।

सभापति महोदय: ठीक है। श्री सी.के. चन्द्रप्पन। कृपया संक्षेप में कहिये।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री मल्होत्रा ने यह चर्चा क्यों शुरू की है क्योंकि यह चर्चा आतंकवाद के संबंध में और अयोध्या के विकास के संबंध में भी है। संभवत:, इस चर्चा को शुरू करते हुये वे एक डाक्टर की तरह प्रतीत हुए जो एक रोगी पर जीवन बचाने की दवाईयों का इस्तेमाल कर रहे है जो कि सख्त बीमार है तथा - उसके चेहरे पर बेचैनी, चिंता तथा और सभी भाव थे। मेरे विचार से वे किसी प्रकार से इस चर्चा को शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के मनोबल-गिरते हुए मनोबल को ऊपर उठाना चाहते थे और एक प्रकार की उत्तेजना पैदा कर रहे है।

अब इस देश में प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जब बी.जे.पी.-एन.डी.ए. सत्ता में थी तब इस संसद पर हमला हुआ था और पोटा भी था। हम यह जानते है कि पोटा वहां पर था जब अक्षरधाम मंदिर संबंधी घटना हुई थी। अब, समीक्षा समितियां अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर रही है। यह देश यह देखते हुए त्रस्त (भौचक्का) है कि किस प्रकार से इसका दुरूपयोग किया गया था। परन्तु वे यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि पोटा आतंकवाद से लड़ने हेतु रामबाण है। वे पोटा के साथ आंतकवाद से लड़ सकते थे जब वे सत्ता में थे।

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

अब, इस देश के पास विभिन्न प्रकार के आतंकवादियों का अनुभव है। अपनी स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात् हमने राष्ट्रपिता महात्मा जी को खो दिया; एक आतंकवादी ने उन्हें मार दिया। हम सभी यह जानते है कि वह आतंकवादी कौन था। हमारे दो प्रधानमंत्री मारे गये। इस देश ने बहुत कुछ खो दिया। वे आतंकवादी कौन है? आतंकवादी महात्मा गांधी की हत्या के दिनों से वहां पर थे। हम यह देख सकते हैं कि आतंकवादी वे धार्मिक कट्टरपंथी है जिनके पास असहनशीलता के ऐसे विचार है तथा जिसे वह पंसद नहीं करते इसे सहन नहीं करते थे। इसलिये, उन्होंने महात्मा जी- 'शांति दूत' को मार दिया और वह जारी रहा। मेरे पास इस सब का वर्णन करने का समय नहीं है। महोदय, अब यहां पर क्या हो रहा है ल्ह यह है कि वे पुनः इस देश में एक प्रकार का सामुदायिक तनाव पैदा करना चाहते है।

महोदय, कुछ सप्ताह पहले जब श्री आडवाणी पाकिस्तान जा रहे थे तब उन्होंने एक वक्तव्य दिया वह यह था कि "जिस दिन बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ और उसे विध्वंस किया गया, वह दिन उनके जीवन में सबसे दुखद दिन था।" मैं नहीं जानता हूं कि क्या उन्होंने इसे ईमानदारी से कहा था। उन्होंने श्री जिन्नाह को प्रमाणपत्र दिया कि वे 'धर्मनिरपेक्ष' थे। अब, यहां पर क्या हो रहा है? इस चर्चा को शुरू करते हुए श्री मल्होत्रा ने यह कहा कि हम किसी भी कीमत पर अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे। क्या यह इतना आसान है? पांच वर्षों से अधिक समय हेतु श्री मल्होत्रा की पार्टी सत्ता में थी। क्या वे इसे कर सके? ऐसा नहीं था कि वे यह चाहते नहीं थे। उन्होंने यह कहा: "यह मक्का है, यह वेटिकन है; और यह सब कुछ है।" उन्होंने यह कहा कि इस देश में करोड़ों हिन्दु इसके पीछे हैं। यह सभी बड़ी बाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितने वोट हिन्दुओं के प्राप्त किए? यदि इस देश में हिन्दु-लोग वैसे ही कट्टरपंथी होते- जैसा श्री मल्होत्रा चाहते थे तब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी होती। वे सत्ता में होते। परन्तु इस देश के हिन्दु लोग गोडसे के अनुयायी नहीं है।

वे भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी नहीं है। इसलिये वे 'भारत उदय' की बात के बावजूद विरोधीपक्ष में क्यों बैठे हैं परन्तु भारत का उदय नहीं हो रहा था।

महोदय, आर.एस.एस. द्वारा श्री आडवाणी की निन्दा करने के पश्चात् वहां पर एक कार्टून था। मैं नहीं जानता कि क्या आपने उसे देखा था अथवा नहीं। कार्टून में यह दर्शाया गया कि संसद के समक्ष भीष्मपितामह जैसे जो तीरों पर लेटे हुए थे। जब सत्र शुरू हुआ श्री आडवाणी को संसद में लाया गया और श्री आडवाणी को तीरों पर लिटाया हुआ दर्शाया गया और वे कहते हैं 'आक्रमण' और हमने यहां पर प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा का आक्रमण देखा था। बात यह है कि आर.एस.एस. भारतीय जनता पार्टी की निन्दा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर कुछ नहीं कर सकती है। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा अयोध्या के आवेश को पुनः पैदा करना चाहते हैं और उन्होंने यह कहा: "हम राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कर देंगे और हम वहां पर एक मंदिर बनायेंगे।" उनका विचार है कि उस तरह का पागलपन पुनः पैदा किया जाना चाहिये। उस पागलपन के साथ वे पुनः लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे और सत्ता में वापिस आने का प्रयास करेंगे। परन्तु मुझे अवश्य ही उन्हें सम्मानपूर्वक यह बताना चाहिये कि यह पुनः एक भ्रम है। इस देश के लोग तथा इस देश के हिन्दु भी आर.एस.एस. और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तुलना में काफी समझदार है।

महोदय, इस चर्चा को गंभीरता से नहीं लिया गया है। वे आतंकवाद के मूल प्रश्न पर चर्चा करना नहीं चाहते थे। उन्होंने नक्सलवादियों का प्रश्न उठाया। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि गरीबी के प्रश्न से संबंधित है तथा बेरोजगारी से संबंधित प्रश्न है तथा यह भूमि सुधारों से संबंधित प्रश्न है। यदि हम नक्सलवादी समस्या का कोई हल निकालना चाहते है तो हमें उन समस्याओं का समाधान करना होगा जो उन लोगों को उकसाती है। यदि हम इस देश में सामुदायिक सौहार्द पैदा करना चाहते है तब आर.एस.एस. और बी.जे.पी. को इस देश में 15 प्रतिशत मुस्लिम लोगों के साथ शांति और सौहार्द से रहना सीखना होगा। हम ऐसे भारत के बारे में सोच भी नहीं सकते है जहां मुस्लिम लोगों को बाहर निकाला जायेगा और तब हमारे यहां शांति होगी और हमारे यहां आतंकवाद नहीं होगा। यदि हम आतंकवाद के बिना शांति से रहना चाहते है तो हमें एक ओर गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याओं का समाधान करना होगा और दूसरी ओर हमें एक धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध करके लोगों द्वारा उत्पन्न किए गये धार्मिक आवेश की समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): सभापति महोदय, राम जन्मभूमि परिसर में आतंकवादी हमले सहित देश में बढ़ रहे आतंकवाद के बारे में श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी ने सदन में चर्चा को शुरू किया है। सिर्फ देश में यदि हम आतंकवाद की समीक्षा और विश्लेषण करें तो तीन विशेष दिशाएं हमारे ध्यान में आती हैं। हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज विश्व में मजहबी आधार पर ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त चाहे अमरीका में वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हमला हो, लंदन और इजिप्ट में विस्फोट हो, भारत में भी इसका संपर्क है। भारत में भी जेहादी आक्रमण और आतंकवाद

बढ़ रहा है। जिस प्रदेश से मैं आता हूं, सी.पी.एम. के वरिष्ठ सदस्य, श्री चंद्रप्पन जी ने नक्सली हिंसा के बारे में एक मुद्दा उठाया। हमारी पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी ने उस विषय पर थोड़ी रोशनी डाली है। मैं उस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में नक्सली हिंसा का प्रारूप क्या है। अभी चंद्रप्पन जी और बाकी तमाम कांग्रेसी मित्र इस देश में आतंकवाद के बारे में बता रहे थे, उसकी समीक्षा कर रहे थे और उसे हिन्दु-मुस्लिम तक सीमित कर रहे थे। मैं इसे देश की सर्वोच्च पंचायत में उजागर करना चाहता हूं।

सायं 7.00 बजे

मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में पिछले 28 साल से वामपंथियों का शासन है फिर भी वहां आज गरीबी क्यों है? केरल में लंबे समय तक आपका शासन चला, क्या वहां से गरीबी दूर हो गई? मैं एक घटना बताना चाहता हूं। *...(व्यवधान)* जब समय की पाबंदी होती है तो सदन में अव्यवस्था भी होती है। हमें जो समय दिया जाता है, उसमें हमें ठीक से सुना जाए। मैं जिस चुनाव क्षेत्र से आता हूं, वह आदिवासी और वनवासी इलाका है। पिछली 7 जुलाई को वहां तथाकथित माओवादियों ने नक्सलवादियों ने पांच आदिवासियों की हत्या कर दी। मैं इस सदन में उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने आजादी के 57 सालों में से 50 साल केन्द्र शासन की बागडोर संभाली, जिन्होंने बंगाल में 28 साल शासन संभाला, एक जन्मेजय माझी, उम्र 37 साल, बंगारी तिकरा गांव, संभलपुर जिला का रहने वाला था, उसकी हत्या क्योंकि कर दी गई? उसका गुनाह था कि उसे सरकार की ओर से इंदिरा आवास योजना का लाभ मिला। नक्सलवादियों की पाबंदी थी कि कोई सरकारी सहायता वहां न ले। चंद्रप्पन जी मुझे जवाब दें। *...(व्यवधान)* आप मुझे समय दें, मैं अपनी पार्टी का दूसरा ही वक्ता हूं। मेरी पार्टी इस सदन में दूसरा बड़ा प्रमुख विरोधी दल है। अगर हम कहें कि नक्सलवादी हिंसा के पीछे सामाजिक आधार है तो वह हमारी गलती होगी। आंध्र प्रदेश में पिछले चुनावों में एक मुख्य मंत्री पर भी जानलेवा हमला हुआ। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आवंटित समय समाप्त हो गया है। अब या तो सभा को स्थगित किया जाए या समय बढ़ाया जाए। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि सभा का समय बढ़ाया जाए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हांडिक): महोदय, समय बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि अन्य कार्य भी हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, सबको बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: ठीक है। मेरे पास मौजूद वक्ताओं की सूची समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाया जाता है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसके तुरंत पश्चात् विशेष उल्लेख किया जाएगा, अत: अभी समय निश्चित नहीं किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): पंजाब की समस्या को डिसकस किये बिना आतंकवाद पर चर्चा पूरी नहीं होगी। पंजाब से एक भी एम.पी. अभी नहीं बोला। हम बताना चाहते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। कृपया आप पंजाब के एम.पीज को भी समय दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हां, श्री प्रधान अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति महोदय, आंध्र प्रदेश में पिछले चुनावों में कांग्रेस ने नक्सलियों के साथ समझौता किया। वहां एक मुख्य मंत्री पर जानलेवा हमले के बावजूद राजनीतिक समझौता हुआ। जब यूपीए सरकार बनी तो इस देश के गृह मंत्री हैदराबाद जाकर नक्सली हिंसा से प्रभावित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक करते हैं। वे कहते हैं कि यह राज्य का अंदरूनी मामला है, राज्य की निजी समस्या है। इसमें केन्द्र का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। एक साल के बाद अनुभव हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में सशस्त्र नक्सलियों के साथ बातचीत की गई है। एक साल बहुत समय होता है। आज बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का स्टेटमैंट क्या आता है कि भारत के नक्सलवादियों का नेपाल के माओवादियों के साथ संपर्क है। आज इस संसद में समीक्षा की जाती है कि नक्सलवाद गरीबी के कारण है। उग्रवाद का दूसरा चेहरा नक्सली हिंसा है जो हमें समझना चाहिए और इस पर आम सहमति बनानी चाहिए। उड़ीसा जैसे प्रांत में 14 जिले इससे प्रभावित हैं, जिनके बारे में भारत सरकार को कुछ चिन्ता करनी चाहिए।

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

महोदय, उड़ीसा को नक्सलवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए जो बजट चाहिए, वह बजट सात करोड़ रुपयों से कम का नहीं होना चाहिए। बीच में एनडीए के शासन में बजट की राशि ठीक थी लेकिन यूपीए की सरकार ने आकर बजट को घटा दिया। बजट को फिर से बढ़ाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव इस विषय पर देना चाहता था, उन्हें मैं लिख कर दे दूंगा, लेकिन अंत में मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को विशेषकर जो इनकी साम्यवादी और उग्रवाद की समीक्षा है, उसके तहत ये देश की सुरक्षा को बाद में लेते हैं। मैंने अपने भाषण को नक्सली हिंसा तक सीमित रखा है। ऐसी अनगिनत समस्याएं गिनाई जा सकती है। आज कांग्रेस को, साम्यवादियों को अपनी नीतियां स्पष्ट करनी चाहिए, तभी देश से उग्रवाद समाप्त हो सकता है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, अयोध्या मंदिर पर जो आतंकवादी हमला हुआ, आज उस पर सदन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह निश्चित ही गंभीर चर्चा है और इस चर्चा में सदन एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करने पर और मुख्य घटना को छोड़ कर और धर्म के नाम पर उलझता जा रहा है। मैं केवल दो-तीन बिंदुओं पर बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा। अयोध्या में जो घटना घटी है, यह सभी जानते हैं कि आतंकवादी घटना है। आतंकवादियों का अयोध्या जैसी पवित्र जगह पर बने मंदिर पर हमला करने का क्या मनसूबा था? यह देश भी मानता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य था कि देश में इस प्रकार की घटना करके हिंदुओं की भावनाओं को उत्तेजित करना और देश में सांप्रदायिक तनाव को फैलाना और आतंकवाद की घटना कोई पहली बार देश में घटित नहीं हुई है। आतंकवाद इस देश में काफी समय से जड़ जमाए हुए है और आतंकवाद की समस्या इस देश की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया की समस्या बन चुकी है। दुनिया के लोग आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एकजुट भी हो रहे हैं और इस पर काफी वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि दुनिया के लोग आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अमन चैन बहाल करने के लिए एकजुट हो रहे हैं, लेकिन आतंकवादी इतने मजबूत हैं और उनकी इच्छाशक्ति इतनी मजबूत है कि दुनिया के एकजुट होने के बावजूद भी आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए हम सक्षम नहीं हो पाए हैं और आतंकवाद का जन्म भारत में उसी दिन हो गया था जिस दिन इस देश का बंटवारा हुआ था। आज भारत का हिस्सा कश्मीर है और पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है, जो आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है और वही आतंकवाद का प्रशिक्षण केंद्र है और आतंकवादियों की घुसपैठ वहीं से हो रही है। आतंकवाद की मूल जड़ वहीं पर है।

हम सरकार पर दोषारोपण नहीं करना चाहते हैं, चाहे वह पिछली सरकार हो या आज की सरकार हो। हम यह मान कर चलते हैं कि पिछली सरकार की नियत भी आतंकवाद को समाप्त करने की थी। इस देश में अमन चैन कायम किया जाए और आज की सरकार की नियत भी यही है कि अमन चैन स्थापित किया जाए। हम सरकार की नियत पर शंका नहीं करना चाहते हैं। हमारी सरकार पाकिस्तान से वार्ता का आपसी संबंध सुधार का आज भी प्रयास जारी है लेकिन पिछले अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। आतंकवाद की घटनाएं दिन-पर-दिन बढ़ रही हैं। पिछली सरकार में भी कई घटनाएं घटी थीं। चाहे वह अक्षरधाम की घटना हो, चाहे रघुनाथ मंदिर की घटना हो, चाहे जम्मू-कश्मीर विधान सभा की घटना हो। सेना का जहां कैंप होता है, वहां भी आतंकवादी घटनाएं होती है और आतंकवादी घटना लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत में, घटी थी।

सभापति महोदय, उस घटना को हमने अपनी आंखों से देखा है इसलिए अब घटना घटते-घटते जम्मू-कश्मीर से लेकर नेपाल की सीमा में प्रवेश करता जा रहा है। इस देश के किसी एक हिस्से में आतंकवाद नहीं है, बल्कि पूरा देश इससे ग्रसित है।

सभापति महोदय, आतंकवाद के साथ-साथ उग्रवाद भी चल रहा है। उससे कोई प्रदेश खाली नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाषण और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ठीक बोल रहे थे कि हमारे ही एक माननीय सदस्य श्री सीता राम सिंह जी या उनके बेटे उस दिन यदि घर पर होते, जिस दिन उग्रवादियों ने उनके घर पर हमला किया, तो वे जिन्दा नहीं बचते।

महोदय, आजकल नेपाल में भारत विरोधी और भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। यही नहीं, वहां के रेडियो और टेलीविजन से भी इसी प्रकार के भाषण दिए जाते हैं। नेपाल माओवादियों का गढ़ बन चुका है। माओवादी आतंकवाद पर पहली बार यहां चर्चा नहीं हो रही है या पहली बार हमला नहीं हुआ है। इस पर लोक सभा में पहले भी चर्चा चलती रही है और देश के अनेक भागों में माओवादी हमले होते रहे हैं। लोक सभा के पिछले सत्र में भी माओवादी आतंकवाद पर चर्चा हुई थी। न तो पिछली सरकार ने और न इस सरकार ने नेपाल से बातचीत कर के कोई मजबूत पहल इस समस्या के समाधान हेतु नहीं की जिस कारण अभी तक हम माओवादियों से मुकाबला करने का साधन नहीं जुटा पाए हैं।

सभापति जी, मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। यहां जब भी मंदिर बनाने की बात चलती है, तो हिन्दू और मुसलमानों की संख्या बताई जाती है। एक साथी ने ठीक ही

कहा कि जो आतंकवाद यहां बढ़ रहा है, उसके लिए वोट की राजनीति जिम्मेदार है। हम नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है, वह ठीक बोलती है। बी.जे.पी. भी वोट की खातिर ही बोलती है। कांग्रेस और आर.जे.डी. के लोग तो मुसलमान और हिन्दुओं का ऐसा समीकरण बनाते हैं कि उन्हें थोक में मुसलमानों के वोट मिलते हैं और कम्युनिस्टों की बात तो छोड़ दीजिए, वे तो कौम को ही नष्ट करने वाले लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया, मेरी बात सुनिए। लगभग सात वक्ता अभी बचे हैं। यदि सदस्य प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट तक बोलने पर सहमत नहीं होते हैं, तो हमें आधी रात तक बैठना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, हमें दो मिनट तो बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस चर्चा के पश्चात् 'शून्य काल' होगा जो कि एक घण्टे से अधिक अवधि का होगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: सभापति जी, ठीक है। मैं अपने भाषण को बीच-बीच में काट कर अपनी बात जल्दी पूरी कर दूंगा।

सभापति जी, इस देश में मंदिर निर्माण और मंदिर-मस्जिद का विवाद बहुत दिनों से चलता आ रहा है जिसके कारण देश में हमेशा तनाव का वातावरण बना रहता है। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अयोध्या में सौहार्द का वातावरण है, आपसी तनाव नहीं है, लेकिन बीच-बीच में खासकर जब 6 दिसम्बर आता है, तो तनाव का वातावरण पैदा कर दिया जाता है।

महोदय, एक बार श्री चन्द्र शेखर जी कह रहे थे कि यदि दो महीनें हमारी सरकार और रहती, तो अयोध्या का राम जन्मभूमि का विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता, लेकिन दो महीने पहले ही उनकी सरकार चली गई। यदि ऐसा है, तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की संचिका गृह मंत्रालय में जरूर होगी, उसे ढुंढ़वाया जाए और पता लगाए जाए कि ऐसा क्या फार्मूला था, जिससे दो महीने में विवाद समाप्त हो सकता था। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी को इस बात की पहल करनी चाहए और उस फार्मूले पर काम करना चाहिए।

महोदय, जब राम का मंदिर बनाने की बात उठती है और जब हमारे देवेन्द्र प्रसाद यादव बोलते हैं, तो लोग हंगामा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राम का जन्म भारत में हुआ था, इस बात को पूरी दुनिया जानती है और भारत के ग्रंथ कहते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। जब ऐसा है और यह सर्वविदित है, तो फिर राम का मंदिर यदि भारत में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि मंदिर यहीं बनेगा, अंगुली दिखा कर कहते हैं कि राम का मंदिर यहीं बनेगा, तो उसे देखकर लगता है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो ये लोग नाल काटने के लिए वहां बैठे हुए थे।

इसलिए यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। अगर राम का भगवान के रूप में श्रद्धा के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, पूजा करने के दृष्टिकोण से देखते हैं तो अयोध्या का एक-एक कण राम का कण है और उस दृष्टिकोण से वहां मंदिर और मस्जिद का विवाद समाप्त करके सामाजिक सद्भाव कायम करने का प्रयास करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करूंगा।

सायं 7.16 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

महोदय, पोटा कानून के विषय में एक चर्चा चल रही थी। आज देवेन्द्र जी पोटा कानून के खिलाफ बोल रहे थे और यह बोल रहे थे कि उसका बहुत दुरूपयोग हुआ है। लेकिन हमें जहां तक स्मरण है कि जिस दिन पोटा कानून बना था तो हम और देवेन्द्र जी उसके खिलाफ तो बोले थे, लेकिन हम लोगों ने उसके पक्ष में वोट दिया था और आपने भी दिया था। हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसा भी कहीं होता है कि कहीं कानून में त्रुटि रह जाये तो उसकी अनुपालना करने वाले पदाधिकारी कोई गलती कर दे, इसलिए कानून ही समाप्त कर दिया जाये। अगर किसी थाने में चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं बढ़ जायें तो उस थाने को ही समाप्त कर दिया जाये। उस थाने को समाप्त किया जायेगा या उसमें जो पदाधिकारी पदस्थापित होगा, अगर वह गलती करेगा तो उनको चुस्त-दुरूस्त किया जायेगा या उनको हटाकर किसी सक्षम पदाधिकारी को वहां पर पदस्थापित किया जायेगा? हम यह जानते हैं और हम यह भी मानकर चलते हैं कि कोई कानून आतंकवाद से नहीं लड़ सकता है। हमारे सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो पोटा कानून बना था, उसमें कहीं से कमी नहीं थी। आतंकवादियों का मनोबल तोड़ने के लिए वह सक्षम था। उन पर एक बहुत प्रभाव पड़ा हुआ था और जैसे

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

ही यह सरकार बनी, पोटा कानून को समाप्त कर दिया तो निश्चित तौर पर उससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम हुआ है। इसलिए उस कानून को समाप्त करके कोई बहुत-बड़ी उपलब्धि इस सरकार ने हासिल कर ली हो, ऐसी बात नहीं है। यह तो एक वोट की राजनीति है। अगर किसी सम्प्रदाय या जाति के खिलाफ किसी ने काम किया, आपकी सरकार बनी थी, आप उसकी जांच करवा लेते। जिन लोगों ने गलत तरीके से पोटा का इस्तेमाल किया, उन पर कार्रवाई करते, उन पर मुकदमा करते, उनको आप जेल भेज देते, लेकिन कानून को कमजोर करके आपने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली, इस पर हम चाहेंगे कि गृह मंत्री जी जरा अपना विचार दें। एक अन्तिम बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): पोटा का तमिलनाडु* में दुरूपयोग किया गया था। हम पोटा की तुलना आपराधिक दण्ड संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) से नहीं कर सकते हैं। पोटा एक सख्त कानून है। हमें इसकी तुलना सीआरपीसी और आईपीसी से नहीं करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने कहीं नहीं कहा कि पोटा का दुरूपयोग हो तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि जिन लोगों ने पोटा का दुरूपयोग किया, उसकी जांच कराकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिन लोगों ने दुरूपयोग किया। अगर*... के राज में पोटा का दुरूपयोग हुआ तो*... पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने उसकी प्रशंसा नहीं की। लेकिन जिस हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, ये किसी पर कार्रवाई नहीं करेंगे। आज ये*... से दोस्ती किए हुए हैं। ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: व्यवधान न डालें, कृपया बैठ जाएं। चूंकि वे सभा में उपस्थित नहीं है, इसलिए उनके नाम रिकार्ड से बाहर रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप लोग भ्रम में जिन्दा मत रहिये। हम सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देंगे। हम यह कहना चाहते थे कि जो अयोध्या मंदिर की सुरक्षा के लिए तीन चरणों में पुलिस की प्रतिनियुक्ति हुई थी, लेकिन हम यह मानते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों से मुकाबले के लिए उस सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई थी। वह सुरक्षा की व्यवस्था मौब को रोकने के लिए की गई थी, भीड़-भाड़ को रोकने के लिए की गई थी। जबकि भारत सरकार की खुफिया रिपोर्ट पहले से थी कि अयोध्या मंदिर पर कभी भी हमला हो सकता है तो हम गृह मंत्री जी से जवाब में यह जानना चाहेंगे कि वहां पर जो प्रतिनियुक्ति उन्होने की थी, वह प्रतिनियुक्ति मौब को रोकने के दृष्टिकोण से की गई या आतंकवादियों का मुकाबला करने के दृष्टिकोण से की गई? वहां की पुलिस की जितनी प्रशंसा की थी। हमारे योगी महाराज मुलायम सिंह जी के विषय में बोल रहे थे। योगी जी, एक बात हम कहेंगे कि मुलायम सिंह की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि आपने रेल दुर्घटना की चर्चा की, वह जिम्मेदारी रेलवे की बनती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक-एक मरीज की अस्पताल में उचित व्यवस्था कराना, मरे हुए लोगों को अपनी तरफ से मुआवजा देकर काम करने के लिए जो जितना धन्यवाद दिया जाये, वह कम होगा। हम कहेंगे कि राजनैतिक भावना से आप मुलायम सिंह जी की शिकायत नहीं करके आगे आप भी मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देने का काम कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वह रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे यह कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री जी अन्त में एक सवाल का उत्तर देंगे कि उन्होंने किस ढंग से पुलिस की प्रतिनियुक्ति की थी? साथ ही, मैं उन पुलिसकर्मियों की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और बधाई देता हूं जिन्होंने साहस का परिचय देते हुए एक-एक आतंकवादी को चुन-चुनकर मार गिराया, राम की मूर्ति को बचा लिया और देश में साम्प्रदायिक तनाव होने की सम्भावना को रोककर, साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल। आप केवल पांच मिनट बोल सकते हैं। आप घड़ी देख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आतंकवाद देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप है। मैं इस चर्चा को सुन रहा हूं। श्री मल्होत्रा जी ने बड़ी कलाकारी से नियम 193 के अधीन प्रस्ताव लाने का काम किया है। उसके पीछे उनकी भावना आतंकवाद से लड़ने की कम थी और अयोध्या मंदिर का मुद्दा उठाने की ज्यादा थी। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में गए थे। वहां भी आतंकवाद का मुद्दा उठा था और उन्होंने वहां अपने राष्ट्र की बात रखने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह मुद्दा राजनीति से प्रेरित होते हुए उठाया गया है। मैं सबसे पहले अयोध्या के मामले पर उत्तर प्रदेश के उन पुलिसकर्मियों तथा केन्द्रीय पुलिस बलों को बधाई देता हूं। इस मसले पर चर्चा के समय मैं लखनऊ विधान सभा में सौभाग्य से मौजूद था और मैंने वहां देखा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से आलोचना का एक तरीका बनाया था, उसी का प्रारूप आज यहां भी देखने को मिल रहा है। यहां भी आतंकवाद पर चर्चा कम और वोटों को बढ़ाने और घटाने पर ज्यादा हुई है। हमें यह ढूंढना होगा कि यह आतंकवाद किस माध्यम से आया है। जब विवादित ढांचा ढहाया गया, दुनिया के देशों में इससे मंदिरों का विनाश हुआ था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: ओवेसीजी, आप बैठ जाइए। इसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाना है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: लेकिन बीजेपी के लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। अभी जिन्नाह का जिक्र आया। आडवाणी जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया था। वही जिन्नाह, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का काम किया था, 1935-36 में बिजनौर से मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव लड़े थे। बाद में मुस्लिम लीग को छोड़कर जब मोहम्मद इब्राहिम साहब कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए थे तो जिन्नाह जी ने उनको चैलेंज किया था, उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया और त्याग पत्र देकर कांग्रेस कमेटी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और पहले से भी अधिक मतों से जीते थे। जिन्नाह जी को विपक्ष के नेता सैक्यूलरिज्म का सर्टिफिकेट देकर आते हैं और देश में फिर से एक उन्माद खड़ा करने का काम करते हैं।

सही मायने में आतंकवाद न पोटा से हटेगा और न ओटा से हटेगा, यह दृढ़संकल्प से हटेगा। देश के तमाम कानून अपने आप में सक्षम हैं। अभी प्रभुनाथ जी ने कहा था कि कानून को हटाने से कोई हल नहीं निकालता है। मैं आपके माध्यम से प्रभुनाथ जी को बताना चाहता हूं कि 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी के दरम्यान हो सकता है कि कुछ गलत काम हुए हों, कई लोगों का उत्पीड़न हुआ हो, लेकिन जो फार्मूला अप्लायी किया गया था, उसे हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया का हर देश मानता है। चाहे वह जनसंख्या का मामला हो, चाहे प्रौढ़ शिक्षा या दहेज का मामला हो, कोई भी ऐसा कानून नहीं था जिसके तहत ये देश को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन उन उन्मादियों ने एक आन्दोलन छेड़ दिया था। उस आन्दोलन के परिणामस्वरूप ये 1977 में सत्ता में आए और 1980 में फिर गायब हो गए। बहुत सी चीजें होती हैं जिनमें अधिकारियों के माध्यम से या कुछ ऐसी ताकतों के माध्यम से कानून को खत्म करके उन लोगों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं करते। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका राजनीतिककरण न किया जाए। हमारे सम्मानित नेता चाहे किसी दल के हों, किसी धर्म या जाति के हों, आपस में बैठकर आतंकवाद पर सही दिशा लेकर कार्य करें।

मेरे साथियों ने तमाम आंकड़े गिनाए हैं, वे मेरे पास भी लिखे हुए हैं। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। अक्षरधाम हो, रघुनाथ मंदिर हो या पार्लियामेंट हाउस हो, मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने पूरे देश के अंदर भारत बंद की कॉल, अयोध्या बंद की कॉल, प्रदेश बंद की कॉल की थी, जब हमले हुए, क्या तब इन्होंने एक भी कॉल दी थी। मुझे याद है जब जम्मू-कश्मीर में कोई घटना होती थी तो आज के माननीय विपक्षी दल के नेता जंतर-मंतर पर दस आदमी लेकर सरकार के विरोध में बैठ जाते थे। जब यह सत्ता में आए तो जंतर-मंतर को भूल गए। वहां के जो पंडित आज यहां शरणार्थी बने हुए हैं, ये उनके वायदे भी भूल गए। इसलिए आतंकवाद खत्म नहीं हो पा रहा है। यदि आतंकवाद को खत्म करना है तो निश्चित तौर पर तमाम दल के नेताओं को एक कमेटी में सहमति लेनी होगी, उसमें वोट के लिए राजनीति नहीं करनी होगी कि अगर हम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे तो हिन्दू हमारे साथ आ जाएंगे, मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे तो मुस्लिम हमारे साथ आ जाएंगे। हिन्दू और मुसलमान इस देश की जान हैं, एक शरीर हैं, उन्हें कदापि कोई अलग नहीं कर सकता।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल]

प्रभुनाथ सिंह जी पता नहीं कौन सी कलाकारी करते हैं। वे काफी पुराने सीनियर नेता हैं। हरेक को खुश करते हैं - बीजेपी को खुश और लालू जी के पास गए तो लालू जी को खुश और अभी मुलायम सिंह जी को खुश कर दिया, कहा कि रेल मंत्री जी का दायित्व था लेकिन मुलायम सिंह जी पहले पहुंच गए। मैं कहना चाहता हूं कि जो नजदीक है, पहले वही पहुंचेगा। मेरे पड़ोस में कोई रहता है, अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो पड़ोसी पहले आएगा, रिश्तेदार बाद में आएंगे। मुलायम सिंह जी वहां गए, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जो नजदीक होगा, वह पहले पहुंचेगा। वहां लालू जी भी गए थे और स्टेट मंत्री जी भी घटनास्थल पर गए थे। उन्होंने जो काम किया, वह मानवता है और जब हम राजनीति में हैं तो हमारा दायित्व भी बनता है कि जो भी जल्दी पहुंचे, वह उपचार करे।

मैं अंत में पुन: लखनऊ की सरकार को बधाई देता हूं कि हमारे जवानों ने आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया। अभी एक आरोप लगा था कि पाटील साहब जा सकते हैं, तो क्या मुख्य मंत्री नहीं जा सकते। यह उनका इंटरनल मामला है, इसका राजनीतिकरण क्यों करते हैं। बहुत से माफिया ऐसे हैं जो हर बात में राजनीतिकरण करने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। मैं पुन: मल्होत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। वे यहां एक तुर्रा छोड़कर भाग गए, उसके बाद सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे यहां आएं और उन्होंने जो बात कही है, उसे सुनने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

आज, हम अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि परिसर पर हमले सहित देश में आतंकवाद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा कर रहे हैं। देश दो दशकों से सीमा-पार से आतंकवाद का सामना कर रहा है। यह पहली बार नहीं है; दिनांक 5 जुलाई, 2005 को अयोध्या पर हमला इनमें सबसे अन्तिम घटना है। भारत की संसद, जम्मू और कश्मीर की विधान सभा पर, अक्षरधाम मंदिर और रघुनाथ मंदिर पर हमले जैसे बहुत से अन्य बड़े आतंकवादी हमले देश में हुए हैं। अत: ऐसे हमले हो रहे हैं।

हर बार, हमले के पश्चात् सरकार सभी राज्यों को हाई एलर्ट के केवल निर्देश जारी करती है और कुछ समय पश्चात् वे इसे भूल जाते हैं। यह मुसीबत हम दो दशकों से झेल रहे हैं। यह केवल इसी वर्ष नहीं है बल्कि हम दो दशकों से, विशेषकर, जम्मू और कश्मीर में इसका सामना कर रहे हैं।

वर्ष 1990 से, 61935 घटनाएं हुई और 12,542 नागरिक मारे गए तथा 4116 विशेष बल के कान्स्टेबल मारे गए। कुछ आतंकवादी भी मारे गए। लेकिन, जम्मू और कश्मीर और देश भर में कितने ही नागरिक मारे गए। यह कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बल्कि यह तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा है जो अमेरिका में हुआ और हाल ही में लन्दन में हुआ। यह वर्तमान सरकार के लिए उच्चतम वरीयता वाला कार्य है। यूपीए सरकार के 14 माह पूर्व सत्ता में आने के पश्चात् क्या हो रहा है? मैं किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं और मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं। भारत एक शान्तिप्रिय देश है। शान्तिपूर्ण माहौल को खराब करने का निर्लज्ज प्रयास किया जा रहा है था यही उनका प्रमुख उद्देश्य है। जनरल मुशर्रफ ने क्या कहा? उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह आश्वासन दिया था: "हमारी भूमि का प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा"। लेकिन, अब क्या हुआ? पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध कैसे हैं? हम यह सीमा-पार आतंकवाद नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम सभी के सामने ये मुद्दे हैं। हमें अपने देश में आतंकवाद को समाप्त करने के और अधिक प्रयास करने चाहिए। कोई भी राजनैतिक दल हो, समय की मांग है कि हम सब मिलकर आतंकवाद का सामना करें। इस समय यही सिद्धान्त होना चाहिए।

श्री वी.पी. सिंह की सरकार रही, वर्ष 1991 में कांग्रेस सत्ता में आई, तत्पश्चात् संयुक्त मोर्चा की सरकार सत्ता में आई और उसके पश्चात् एनडीए सत्ता में रही तथा इस समय यूपीए सत्ता में है। प्रत्येक सरकार के लिए यह मुद्दा समान रहा है। हमारे देश की प्रत्येक सरकार ने सीमा-पार आतंकवाद को नियंत्रित करना चाहा। इसके संबंध में दूसरी राय नहीं है। लेकिन, उस दिशा में कुछ खास नहीं हो रहा है। इसलिए, हमें इस के संबंध में सोचना चाहिए।

इसी सभा में, विगत दस वर्षों से, प्रत्येक सत्र में, हम इस तरह या अन्य प्रकार से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कुछ हमलों के बारे में चर्चा की और कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की तथा इस समय इस स्थिति पर विचार कर रहे हैं। 6 दिसम्बर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय मेरी पार्टी तेलगूदेशम ने इसकी निन्दा की थी। 5 जुलाई, 2005 को राम जन्म भूमि पर हमले की भी हमने निन्दा की है। इन सभी घटनाओं की निन्दा की जानी चाहिए। लेकिन अयोध्या में मन्दिर निर्माण कोई मुद्दा नहीं है। वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। किसी को इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? यह एनडीए सरकार तक की बात थी। वहां मंदिर निर्माण का किसी को अधिकार नहीं है। वह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हमें न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बीच, पीड़ित पक्ष एक साथ मिलकर, विचार करके कोई सर्वसम्मत निर्णय

कर सकते है। तथा एक समरूप विचार पेश कर सकते हैं और तत्पश्चात् मंदिर निर्माण किया जा सकता है। लेकिन इस समय यह मामला निर्णयाधीन है। इस समय, हमें राम मंदिर के निर्माण के संबंध में चर्चा नहीं करनी चाहिए। उससे मामला बढ़ेगा। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। हमें सभी धर्मों को प्यार-प्रेम के एक ही रास्ते पर रखना होगा तथा भिन्न-भिन्न समुदायों के बीच घृणा पैदा होने से रोकना होगा।

मेरे दल के विचारानुसार, सरकार को सीमा-पार आतंकवाद को नियंत्रित करने हेतु उपाय करने चाहिए तथा इस संबंध में तीन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो है- घुसपैठ को रोकना जो कि अति महत्वपूर्ण है। आज, हमारी सहयोगी कुमारी ममता बनर्जी ने भी यह मामला उठाया है। उन्होंने घुसपैठ के संबंध में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दिया है। नेपाल, बंगलादेश और भूटान से बहुत लोग घुसपैठ कर रहे है। नियंत्रण रेखा, आदि पर लोग आ रहे हैं तथा आतंकवादी घूसपैठ कर रहे हैं। पहला अति महत्वपूर्ण कार्य घूसपैठ को रोकना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना है। यह सबसे पहले होना चाहिए। हमें यह कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करना चाहिए। हम राशि स्वीकृत कर रहे हैं, लेकिन हम वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। हम कार्य यथासंभव जल्दी पूरा नहीं कर पा रहे है। हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ का कार्य युद्ध स्तर पर करना चाहिए तथा इससे हम भारत में आतंकवादियों की सीमा-पार घुसपैठ को कम कर सकते हैं।

तीसरा कार्य गुप्तचर क्षमता को बढ़ाना है। यह भी अति महत्वपूर्ण कार्य है। यदि भारत सरकार द्वारा इस तीन-सूत्रीय कार्यक्रम घुसपैठ रोकना, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना तथा गुप्तचर क्षमता बढ़ाना—तथा इन क्षेत्रों में सुधार करने पर अमल किया जाता है, तो हम अपनी धरती पर सीमा-पार आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। मैं वर्तमान सरकार को ये सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री राम कृपाल यादव अपना वक्तव्य देंगे। यदि आप बोलना चाहते हैं, आपको अपने स्थान पर जाना होगा। अथवा, आपको इस सीट से बोलने की अनुमति पीठ से प्राप्त करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मुझे यहीं से बोलने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय: आपके पास अपनी बात कहने के लिए केवल पांच मिनट हैं। कृपया इसी समय सीमा में अपनी बात कहिए।

श्री राम कृपाल यादव: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, आज सदन जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, वह है आतंकवाद का मुद्दा। यह आज केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और सभी लोग इस पर चिन्तित हैं। क्या वजह है कि आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है और लगभग हर देश इसकी लपेट में आ रहा है, खासतौर से हमारा देश। कई वर्षों से हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं, हमारे सैनिक और निर्दोष व्यक्ति मर रहे हैं। इस समस्या की तह में जाने की आवश्यकता है कि क्या वजह है कि भारतवर्ष में आज आतंकवाद बढ़ता ही जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों के लोग इसके लिए चिन्हित हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उसके बाद से देश में आतंकवाद का एक दौर चला है और वह दौर रूक नहीं रहा है। हमारा देश पूरी दुनिया के सामने उस समय शर्मसार हो गया था जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया था कि यह गलत काम किया गया है, चाहे इसे करने वाले लोग कोई भी रहे हों। जिन लोगों ने इसे किया है, वे सामने हैं, दोषी पाए गए हैं, आरोपित हैं और चार्जशीटेड है। मैं उनमें से किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन सभी जानते हैं कि श्री आडवाणी जी भी उसमें शरीक थे।

महोदय, मैं समझता हूं कि आतंकवाद की शुरूआत इसी घटना से हुई और इस देश में जब तक साम्प्रदायिक भावनाएं रहेंगी और दृष्टिकोण साफ नहीं होगा, तब तक देश में आतंकवाद रूकने वाली नहीं है। मैं इसे साफ तौर पर कहना चाहता हूं। आज उस पक्ष में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खास तौर पर एक समुदाय के ऊपर टारगेट करने का काम किया। क्या इस देश में रहने वाले हर मुसलमान को शक के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? क्या हर मस्जिद या मदरसे को शक के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है या टारगेट बनाया जा सकता है? अगर ऐसा होगा तो आतंकवाद कैसे रूक सकेगा? अगर इस देश की इतनी बड़ी आबादी पर, उसके चरित्र पर, उसकी देशभक्ति पर प्रश्नचिह्न लगाया जाएगा तो देश में आतंकवाद नहीं रूकेगा। यह वही देश है जहां राष्ट्रपति पद पर एक मुसलमान व्यक्ति पदासीन हैं। क्या उनको शक के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? यहां पर अब्दुल हमीद जैसे व्यक्ति ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और पाकिस्तान के टैंक को ध्वस्त करने का काम किया था। क्या वे मदरसे में नहीं पढ़े थे, क्या मस्जिद में कभी नमाज अदा करने नहीं गए थे? यह मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं, जो मुसलमानों को कटघरे में रखने का काम करते हैं। इस में करीब 17 करोड़ मुसलमान हैं। आजादी

[श्री राम कृपाल यादव]

के बाद अगर ये लोग चाहते तो पाकिस्तान जा सकते थे। उस समय टू-नेशन थ्योरी की बात चल रही थी। लेकिन इन सभी मुसलमानों ने हिन्दुस्तान की सरजमीं को अपना वतन समझा और उसकी सेवा करने का काम किया। आज भी ये लोग उसके विकास में, रक्षा में, सुरक्षा में राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। आपने कहा कि सभी मदरसे आईएसआई की गतिविधियों का अड्डा बन गए हैं और वहां आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आरएसएस द्वारा संचालित शिशु विद्या मंदिरों में ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या वहां कट्टरपंथियों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्या उससे देशभक्ति की भावना पैदा होती है इसलिए आपको यह दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। देशी हो या विदेशी हो, सबको एक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। आपको एक मापदंड रखना होगा। चाहे कोई हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगर वह आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो वह एक आतंकवादी है और उससे कड़ाई से निपटना होगा।

कई माननीय सदस्यों ने सदन में एक बात कही, मैं भी उससे सहमत हूं कि हमारे देश की सीमाएं जबर्दस्त रूप से सील होनी चाहिए। पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाने का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उससे कड़ाई से निपटने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस देश को इस मामले में अगुआ बनकर यह काम करना चाहिए और पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए कि वह इन प्रशिक्षण को बंद करे, क्योंकि एक-एक भारतीय अमन और चैन पसंद करने वाला है। जब तक देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न नहीं होगा, भाईचारे का माहौल पैदा नहीं होगा, आपसी संदेह के कटघरे में एक-दूसरे को खड़ा करते रहेंगे, तब तक देश में अमन-चैन नहीं बन पाएगा। आज स्थिति यह पैदा हो गई है कि हम लोग एक-दूसरे पर संदेह पैदा कर रहे हैं। इससे देश की एकता और अखंडता पर चोट हो रही है। आज चिंता का विषय है कि देश रहेगा या नहीं रहेगा।

आपकी सरकार छः-सात साल तक रही, तब कहां गई थीं आपकी नीतियां, कहां गया था आपका सिद्धांत? अब आप कह रहे हैं कि जो घुसपैठ हो रही है, तो उस समय आप इसे बंद करते। आपने मदरसों की चर्चा की, लेकिन आपने अपने शासन काल में एक भी मदरसे की जांच-पड़ताल नहीं की और यह नहीं कहा कि अमुक जगह आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं या अमुक मस्जिद में उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अगर उस समय आपने ऐसा कुछ किया होता, तो हम समझते कि वास्तव में आप अब ठीक कह रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और अब कह रहे हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके राज्य पंजाब में भी आतंकवाद था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब की जनता को कि उसने कड़ाई से उसका मुकाबला किया और वापस अपने राज्य में अमन-चैन बहाल करने का काम किया। मैं पंजाब के किसानों और मजदूरों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हर राजनीतिक दल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने सौहार्द की भावना का परिचय दिया।

जब तक इस देश में कट्टरपंथी राजनीतिक गतिविधियां रहेंगी, तब तक देश एक साथ नहीं हो सकेगा, आतंकवाद नहीं रोका जा सकेगा। आरएसएस जैसी संस्थाएं त्रिशूल लेकर लोगों को डराने-धमकाने का काम करेंगी, तो हम आतंकवाद नहीं रोक पाएंगे। इस देश में साम्प्रदायिकता का जो जहर फैला जा रहा है, उसे रोकना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी व सभी राजनैतिक दलों के लोगों के निवेदन करना चाहूंगा कि देश के विकास के लिए, देश में अमन व शांति के लिए कार्य करें और हमारे विपक्ष के लोग राजनैतिक गोटियां सेकना बंद करें, इतिहास को मिटाना बंद करें।

हमारे देश में सभी धर्मों, जातियों और भाषा के मानने वाले लोग रहते हैं और सभी को छूट है कि वे अपने-अपने धर्मों को मानें। इस देश में करोड़ों की संख्या में हिन्दू हैं लेकिन आपको मैनडेट नहीं मिला। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलें और भारत के संविधान को कलेजे से लगाएं और अपने मन को दूसरों के प्रति स्वच्छ रखें। सभी लोगों को इकट्ठा करने का काम करें और धर्म के नाम पर गंदी राजनीति न करें। गुजरात जैसी घटनाएं दुबारा न हों, तभी देश बचेगा। सभी राजनीतिक लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वे आज संकल्प लें कि मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे और उसे कंट्रोल करने का काम करेंगे।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण इश्यू पर बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी, आप इधर ध्यान दें, किताब बाद में पढ़ लेना।

माननीय उपाध्यक्ष जी, अयोध्या के बारे में माननीय आदित्यनाथ जी ने बड़े विस्तार से बात की है और मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं और ज्यादा डिटेल में न जाते हुए उस घटना की निंदा करता हूं। हमने पंजाब में 10 वर्षों तक आतंकवाद को झेला है। मैं उस समय एक विद्यार्थी था जब पंजाब में आतंकवाद शुरू हुआ था। मुझे एहसास है कि आतंकवाद क्या होता है। मुझे पता है कि आतंकवाद की भावना फैलनी शुरू हो जाए और केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार किसी विशेष समुदाय से भेदभाव करती है

तो वहां के लोगों के मन में स्टेट के प्रति और केन्द्र के प्रति कुछ न कुछ रोष पैदा होता है और पंजाब में ऐसा ही हुआ। कल हमारे भाई नवजोत जी बोल रहे थे और उनकी बात का सभी लोगों ने समर्थन किया कि अमृतसर के लिए एक स्पेशल इकोनोमिक जोन की घोषणा हुई लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधान मंत्री थे तब भटिंडा में रिफाइनरी दी गयी लेकिन अभी तक उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जब भी पंजाब को कुछ देने की बात होती है तो केन्द्र सरकार अपने हाथ खींच लेती है। पंजाब के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है लेकिन पंजाब के लोगों ने एकजुट होकर उस आतंकवाद का मुकाबला किया और आतंकवाद को वहां से उखाड़ फैंका। लेकिन दुख की बात है कि पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह जिनको लोगों ने प्यार दिया और कहा कि वे शांति के प्रतीक हैं, उनका कत्ल करने वाले आतंकवादी जो एक साल तक जेल में रहे, हाई-सिक्योरिटी जेल से भागकर अपने घर भी जाते थे और चंडीगढ़ के आसपास रहते थे, लेकिन सरकार उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। उसका क्या नतीजा हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि आतंकवादियों ने फिर से इकट्ठा होना शुरू किया और उस आग के ऊपर यहां के मुख्यमंत्री ने तेल डालने का काम किया। वह कैनेडा गए और उस जगह भाषण दिया, उस गुरुद्वारे में भाषण दिया, उस बैनर तले भाषण दिया जहां लिखा था कि "खालिस्तान जिन्दाबाद" जब पंजाब में लोगों ने आवाज उठायी तो क्या जवाब आया? मेरी अनशेडयूल्ड विजिट थी। एक मुख्य मंत्री जिसे जैड सिक्योरिटी मिली है, क्या वह अनशेडयूल्ड विजिट में जाएगा? फिर बयान आया, मैंने वह पढ़ा नहीं, लेकिन मैं जो बातें कहना चाहता हूं, मंत्री जी कृपया नोट करें। उनका वहां जाना और भाषण देना, इसके बाद दिल्ली के सिनेमा घरों में बम ब्लास्ट होना और पंजाब में मानव बम का पकड़े जाना, इन चीजों का क्या संबंध है? इसकी जानकारी और रिपोर्ट, जब माननीय गृह मंत्री मेरी बात का जवाब दें तो इसका जरूर जवाब दें क्योंकि सारा पंजाब यह जानना चाहता है कि इन बातों का क्या लिंक है? इतना ही नहीं, एक तरफ एक पार्टी के अध्यक्ष अमृतसर में भाषण देते हैं तो उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री खालिस्तान के बैनर नीचे भाषण देते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं किया जाता है। उसे सेफगार्ड करने के लिए केन्द्र आगे आता है, उसकी पार्टी आगे आती है। ये दोहरा मानदंड क्यों? इतना ही नहीं मुख्यमंत्री उन आतंकवादियों से कहते हैं कि वह बहुत जैंटलमैन हैं। आतंकवादी कहते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री जैसा कोई भी अच्छा आदमी नहीं है। इन बातों का क्या संबंध है?

अभी यादव जी कह रहे थे कि किसी समस्या की जड़ को पकड़ना चाहिए। जड़ यह है कि जब किसी राज्य के साथ अन्याय होगा, वहां के लोगों के साथ अन्याय होगा तो वहां विरोध की भावना पैदा होगी। महोदय, वहां की सरकार ने जब एसजीपीसी के अध्यक्ष के चुनाव थे तो बुरी तरह लोगों और एसजीपीसी के मैम्बर्स को डरा कर, उस संस्था पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन केन्द्र सरकार के दखल के कारण कामयाब नहीं हो सकी। अब भी धार्मिक संस्थाओं में दखल अन्दाजी देने का काम चल रहा है।

वहां एक एसएचओज जो थाने में तैनात हैं, अगर उनके पास से नाजायज हथियार मिलेंगे तो जो देश और लोगों की सुरक्षा करने के लिए हैं, वे भी नाजायज हथियार रखेंगे। ऐसी स्थिति में उस प्रदेश की सुरक्षा क्या होगी? आज तक इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

एक और बात पंजाब के लोगों के मन में है। जब पंजाब आतंकवाद को झेल रहा था तो देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने ऐलान किया था कि पंजाब के ऊपर 8500 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाता है। पंजाबियों ने उनको अपनी आंखों के ऊपर बैठाया। हमारी पार्टी के न होते हुए उनको वहां के चुनाव में जीत दिलवाई। उन्हें एक बड़े समारोह में सम्मानित किया लेकिन आज इस बात पर शंका व्यक्त की जा रही है कि वह लोन माफ हुआ या नहीं? मैं अनुरोध करूंगा कि मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में जो बात कही है, वहां की घटनाओं के बारे में जो बात कही है, उसका यहां जरूर जवाब दिया जाए। जब-जब केन्द्र ने पंजाब को कुछ दिया उसे आनर नहीं किया गया। वे कारण सदन को बताने होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवेसी (हैदराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद को आरम्भ करने वाले व्यक्ति ने कई मुद्दों पर बात की है। मैं यहां पढ़ना चाहूंगा कि इसी प्रकार की स्थिति में, भा.ज.पा. द्वारा अलग प्रतिक्रिया की गई थी। यह तत्कालीन गृह मंत्री तथा अब प्रतिपक्ष के नेता द्वारा की गई थी जब वे अक्तूबर 2002 में नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशक के वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। जिसे मैं उद्धृत करता हूं:-

> "आमतौर पर मैं व्यग्र हो जाता हूं जब प्रत्येक नई आतंकवादी घटना पर आलोचक हमसे पूछते हैं कि यह क्यों हुआ। मीडिया से कुछ लोग तुरंत या सामान्यत: रोजाना इस निर्णय पर पहुंच जाते है कि यह आसूचना तंत्र की विफलता का

[श्री असादुद्दीन ओवेसी]

एक अन्य उदाहरण है। मैं उनसे संयम बरतने का आग्रह करता हूं। इस प्रकार का अज्ञान तथा कभी-कभार प्रेरित आलोचना, आसूचना एजेंसियों तथा सुरक्षा बलों का उत्साह भंग कर देता है। यह आम लोगों के मन में भ्रम भी पैदा कर देता है। आलोचकों को यह भी पता नहीं होता है कि किन विपरीत परिस्थितियों में, कभी-कभी असंभव परिस्थितियों में हमारी एजेंसियों को सूचना प्राप्त करने तथा दोषियों का पता लगाने के लिए कार्य करना पड़ता है।''

तत्कालीन गृह मंत्री ने यह बताया था।

जब अयोध्या में दुर्घटना हुई, हम सबने इसकी निंदा की थी। मैंने विशेषरूप से इसकी निंदा की चूंकि यह एक मस्जिद पर हमला था। अब प्रतिपक्ष के नेता द्वारा दिया गया बयान यह था कि उपयुक्त उत्तर दिया जाना चाहिए था। जब वे गृह मंत्री थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में यह बताया था। अब जब वे प्रतिपक्ष के नेता हैं वे कहते हैं कि उपयुक्त का उत्तर (माकूल जवाब) दिया जाना चाहिए। वहीं जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, 26 सितम्बर, 2003 को भा.ज.पा. द्वारा एक संकल्प पारित किय गया था। संकल्प में यह कहा गया है कि:

''संकीर्ण राजनैतिक एवं पार्टिगत विचारधारा से ऊपर उठकर, राष्ट्र को दुश्मन के बुरे इरादों को नाकाम करने के प्रति सजग रहना होगा। आइये एकता और सामाजिक सौहार्द के मूल तत्व को इस कदर मजबूत करने के लिए हाथ मिलाएं ताकि कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत न कर सके। समय की मांग यह है कि एकता को बढ़ावा देने के लिए सोच में परिवर्तन किया जाए।''

जब अयोध्या पर हमला हुआ तो भा.ज.पा. ने क्या कहा? यह हिन्दू विश्वास पर हमला नहीं है। आतंकवादी हमलों में क्या फर्क है? एक आतंकवादी हमला केवल एक आतंकवादी हमला ही है। यह भा.ज.पा. तथा संघ परिवार के व्यवहार के दोहरेपन को दर्शाता है। जब वे सत्ता में होते हैं तो वे एक भाषा बोलते है तथा जब उनकी छद्मपूर्ण नीतियों के कारण उनसे सत्ता छिन जाती है तो इस प्रकार के हथकण्डे अपनाते है। अयोध्या पर हुआ हमला निंदा जनक है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक भारत के मुस्लिमों का संबंध है, हमने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा हम उसका सम्मान करेंगे चाहे वह हमारे पक्ष में हो अथवा प्रतिपक्षी पार्टियों के पक्ष में जाएं। हम पूर्ण रूप से इसका पालन करेंगे। इन पार्टियों ने इस वक्रोन्ति का यह कहते हुए उपयोग किया है कि अयोध्या पर हमले के लिए मुस्लिम उत्तरदायी है। यह हमारे हित में कैसे होगा? वहां पहले ही यथास्थिति है. अस्थायी मंदिर के संबंध में उच्चतम न्यायालय का एक आदेश भी है। संघ परिवार की द्वेषपूर्ण भावना थी कि वहां एक स्थायी मंदिर बनाया जाए। इसलिए, हमारी मांग है कि गृह विभाग द्वारा उपयुक्त जांच की जाए। सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है क्योंकि राज्य सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी। एक उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया जाए क्योंकि जहां तक मुस्लिमों का संबंध है अस्थायी मंदिर को नुकसान पहुंचाना उनके हित में नहीं है। वहां पहले ही यथास्थिति है। अब छह से आठ माह के समय में न्यायालय द्वारा संपूर्ण निर्णय दे दिया जाएगा।

इसके अलावा, मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री, जब वे उत्तर देंगे वह देखें कि उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया जाए। हम यह भी जानना चाहते हैं कि हमलावरों को 18 घंटों के भीतर ही क्यों दफना दिया गया। यदि वे मुस्लिम थे, तो उनकी लाशों, मुस्लिमों के अंतिम संस्कार के मुताबिक धोये जाने (स्नान कराने के लिए) क्यों नहीं दी गई? उन्हें कफन क्यों नहीं दिया गया? उन्हें दफनाने के लिए सुबह 4.30 बजे ले जाया गया। उन्हें न केवल मुस्लिमों बल्कि वहां मौजूद पुलिस कर्मियों द्वारा भी दफनाया गया। पुरी घटना की उपयुक्त जांच की जानी चाहिए तथा एक उच्चस्तरीय जांच का भी आदेश दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीआरपीएफ को आदेश दिया जाना चाहिए। आपके माध्यम से, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि बाहरी घेरे को केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल अथवा सीआईएसएफ या आईटीबी को सौंप दिया जाना चाहिए। इसका श्रेय सीआरपीएफ को जाना चाहिए।

सच बात यह है कि सरकार को विश्व हिन्दू परिषद तथा संघ परिवार की गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। वे मांग कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के इर्द-गिर्द 100 मीटर का क्षेत्र उन्हें दे दिया जाए। इस अस्थायी मंदिर के 100 मंदिर के क्षेत्र में आठ से दस घर है जहां अब भी मुस्लिम निवास कर रहे हैं।

रात्रि 8.00 बजे

उन्हें हमेशा डराया धमकाया जाता है, ताकि एक बार उन्हें वहां से हटा दिया जाए, तो वे अपनी योजनाओं को चालू रख सकते हैं अथवा जो भी वे चाहें कर सकते हैं। परन्तु इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

दूसरे, महोदय, प्रो. मल्होत्रा ने हुरियत नेताओं के दौरे के बारे में बात की। मैं हुरियत नेताओं की वकालत नहीं करता हूं। प्रो. मल्होत्रा ने कहा कि वे वहां गए थे। लेकिन मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि जब उनके स्वयं के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी से यह पूछा गया था कि क्या हुरियत नेताओं से हमारे भारतीय संविधान के दायरे में बातचीत होगी, तो उन्होंने कहा था कि 'इन्सानियत के दायरे में बात होगी।'

मैं भा.ज.पा. के अपने दोस्तों से यह जानना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने संविधान को बनाए रखने/पालन करने की सत्यनिष्ठा से शपथ ली थी, तो यह इन्सानियत के दायरे की बात कहां से आ गई? यह उनकी नीति का दोहरापन दर्शाती है।

तीसरी बात मदरसों के बारे में है, मैं भा.ज.पा. के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम मदरसे और मस्जिद बनाते रहेंगे, सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में। वे हमें रोक नहीं सकते। लेकिन मैं इन सभी लोगों को अपने साथ आने का तथा यह देखने का निमंत्रण देता हूं। वे किसी भी मदरसे को ले सकते हैं तथा किसी भी समय अनियत तौर पर किसी भी मदरसे को चुन सकते हैं, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। वे स्वयं देख सकते हैं कि वहां क्या पढ़ाया जा रहा है। वे हमें बता सकते हैं कि किस मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है।

महोदय, भारत और पाकिस्तान के मदरसों में अंतर है, यह सुस्पष्ट है। भारत का कोई भी मदरसा घृणा की शिक्षा नहीं देता है। हम वहां किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं? वहां जो शिक्षा दी जा रही वह उन्हें अच्छा इंसान बनाना, अच्छा नागरिक बनाने के लिए दी जाती है।

वर्ष 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई किसके द्वारा आरम्भ की गई थी? यह इन मदरसों के फतवे द्वारा शुरू की गई थी। अलामा फजालिया केराबादी कौन थे? वे आलिम थे। वे ही थे, जिन्होंने इन ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ने के लिए फतवा जारी किया था। लेकिन महोदय, प्रतिपक्ष के मेरे मित्र स्वतंत्रता संग्राम में मदरसों की भूमिका को भूल गए हैं। वे उस समय अस्तित्व में नहीं थे। उस समय उनकी विचारधारा भी अस्तित्व में नहीं थी। इनकी पैदाइश आजादी के बाद की है। स्वतंत्रता की लड़ाई उन सभी लोगों ने लड़ी थी न कि इन्होंने।

अंत में महोदय, उग्रवाद एक खतरा है। यह वैश्विक समस्या है, इसे स्वीकार करें। इसका मुकाबला करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सामाजिक-आर्थिक कदम उठाए जाएं। जी हां, यह एक सच्चाई है कि मुस्लिमों में बेरोजगारी तथा निरक्षरता की दर ऊंची है। सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है? जी हां, मदरसों का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है। मानव संसाधन विकास की एक योजना पहले ही मौजूद है। उनके अपने मंत्री, जो पिछला चुनाव हार चुके हैं, ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए बहुत धनराशि खर्च की। यह ऐसे कदम हैं जिनको लिए जाने की आवश्यकता है। सरकार को मानवीय नजरिये से इस समस्या को सुलझाना होगा। उन्हें पश्चिमी मीडिया अथवा संघ परिवार मीडिया द्वारा चलाए जा रहे दुष्प्रचार से भ्रमित नहीं होना चाहिए।

इसलिए, महोदय हमें उचित रूप से इसका सामना करना होगा। यह एक वैश्विक घटनाक्रम है। हमें इसका सामना करना पड़ेगा। यह सब करने के लिए, एक उचित नीति का पालन किए जाने की आवश्यकता है। एक समुदाय का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है वहां कुछ अप्रिय तत्व भी हों। लेकिन इसके लिए संपूर्ण समुदाय पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री शैलेन्द्र कुमार जी। आपको केवल पांच मिनट बोलना है। आप घड़ी देख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अयोध्या और देश में आतंकवाद के बारे में बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां विपक्ष कोई सुनने वाला नहीं है और किसे सुनायें क्योंकि उन लोगों के पास सुनने की क्षमता नहीं है। जब बी.जे.पी. के लोगों का भाषण हो रहा था, ऐसा लगता था कि हिन्दुओं के ठेकेदार वही हैं। भगवान राम उन्हीं के हैं और वे असली हिन्दू हैं और हम नकली हिन्दू हैं। हमारे राम हमारे दिल में हैं जबकि उनके राम साम्प्रदायिक वोटों में हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और श्री मुलायम सिंह जी वहां के मुख्य मंत्री थे, तो इन लोगों ने वहां चढ़ाई की थी। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि वहां परिन्दा भी पर नहीं मार सकता, तब एक ईंट का भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद चुनाव हुआ तो वे लोग कह रहे थे कि मुलायम सिंह जी की सरकार चली जायेगी। चूंकि प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा होता है, इसलिये श्री मुलायम सिंह जी ने राजधर्म का पालन किया। ये लोग बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, *...

उपाध्यक्ष महोदय: यह शब्द रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री शैलेन्द्र कुमार: उपाध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी थे। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दिया था कि वे उसकी हिफाजत करेंगे लेकिन उनके समय में विवादित ढांचा गिराया गया।*...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इन शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: *बी.जे.पी. के लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इससे भी बड़ी-बड़ी घटनाएं मंदिरों में हुई हैं, लेकिन क्या कारण हैं कि केवल अयोध्या का ही नाम लिया जाता है। अभी मित्रसेन यादव जी ने कहा कि वहां अमन-चैन और शांति है, यह बात सत्य है। वहां मंदिर के इर्द-गिर्द जितनी भी दुकानें लगी हैं, उनमें हमारे मुसलमान भाई चुन्नी तथा प्रसाद के आइटम्स बेचते हैं, उनका कारोबार करते हैं। उनसे ये लोग यह सामान क्यों खरीदते हैं। इतना ही नहीं, उनसे प्रसाद आदि खरीदकर दर्शन करते हैं, वैसे कहते हैं कि हम बहुत बड़े कट्टरवादी हैं। मैं इस बात को कंडैम करता हूं।

इसके अतिरिक्त अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसे टैकल करने के लिए मैं प्रदेश सरकार और अपने मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया। उस वक्त हमारे सदन के पूर्व केन्द्रीय मंत्री, श्री बलराम सिंह यादव की अंत्येष्टि हो रही थी, मुख्य मंत्री जी वहां पर मौजूद थे, तभी अयोध्या में हमला हुआ था। उन्होंने वहां की घटना पर निगरानी रखते हुए आतंकियों को आधा घंटे के अंदर मार गिराने का काम किया था, कोई कैजुअल्टी नहीं हुई तथा पब्लिक का कोई आदमी भी नहीं मारा गया। इसके लिए उन्हें बधाई देनी चाहिए, लेकिन ये लोग कंडैम करते हैं कि वे वहां नहीं गये।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रमजीवी एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई, उसकी चर्चा इन्होंने की। वहां मानवता मारी जा रही थी। बेकसूर और निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, इसलिए वहां पर मुख्य मंत्री का जाना आवश्यक था। अभी यहां पोटा की बात कही गई। पोटा इन्होंने लागू किया था। इन्होंने पोटा आतंकवाद के लिए लागू नहीं किया था, राजनैतिक विद्वेष की भावना से इन्होंने पोटा लगाया था। और विरोधियों को परेशान करने का काम किया था। एक जाति, समुदाय को अलगाववाद से जोड़ने की बात ये लोग कहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश की आजादी में किन लोगों ने कुर्बानी की थी। अभी हमारे साथियों ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद गाजीपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तानी पैटन टैंकों के छक्के छुड़ा दिये थे। देश की आजादी में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी सभी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए इस देश में सभी को रहने का अधिकार है, सबको खाने, कमाने का अधिकार है। ये लोग केवल हिन्दुओं के ठेकेदार बनकर एक जाति, समुदाय को लेकर अलगाववाद की बात करते हैं। इस बात की मैं पुरजोर भर्त्सना करता हूं।

महोदय, आरक्षण के नाम पर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिन्दू भी पढ़ते हैं और मुस्लिम भी पढ़ते हैं। अगर कमजोर और गरीब मुसलमानों को वहां कोई आरक्षण देने की बात कही गई है तो इन्हें मलाल क्यों होता है। इसके अलावा मदरसों के बारे में उल्टा-सीधा कहा जाता है, बार-बार मदरसों का नाम लिया जाता है। मैं कहता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में अगर एक भी मदरसे में कहीं कुछ गलत काम होता है तो ये नाम बतायें। ये मदरसों की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जगह-जगह पर सरस्वती शिशु मंदिर खोले हैं, उन सबकी जांच कराई जाए कि वहां ये लोग क्या पढ़ाते हैं। उनमें से ये हिन्दुओं के छोटे-छोटे बच्चों को भड़काने का काम करते है हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच होनी चाहिए।

अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि रायबरेली में जो बाबरी मस्जिद या राम मंदिर है, हम लोग उसे विवादित ढांचा कहते हैं, हम लोग कभी बाबरी मस्जिद या राम मंदिर का नाम नहीं लेते हैं, हम उसे विवादित ढांचा कहते हैं। वहां बी.जे.पी. के तमाम बड़े नेता*... गये और वे कोर्ट की नजर में दोषी पाये गये। वहां इन्होंने पब्लिक मीटिंग में यह कहा है कि मंदिर वहीं बनेगा। आज यदि देखा जाए तो पूरे हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिकता और आतंकवाद को बढ़ावा देने का कोई काम कर रहा है तो बी.जे.पी. के लोग ये काम कर रहे हैं, इनके संगठन के लोग ये काम कर रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं अधिक कुछ न कहकर यहीं पर अपना भाषण समाप्त करता हूं। चूंकि आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, मैं उसी समय के अंदर अपनी बात समाप्त करते हुए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: जो हाउस के मैम्बर नहीं है, उनके नाम रिकार्ड पर नहीं जायेंगे।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): आनरेबल डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपका मश्कूर हूं कि आपने मुझे डा. विजय कुमार मल्होत्रा जी द्वारा धारा 193 के तहत उठाई गई चर्चा, जो हाउस में साढ़े चार घंटे से चल रही है, उस पर बोलने का मौका दिया। इस देश में दहशतगर्दी और राम जन्मभूमि पर पिछले दिनों जो हमला हुआ, उस पर हमारे बहुत ही मौअज्जिज मैम्बरान ने अपने-अपने ख्यालात का इजहार किया है। दहशतगर्दी क्या है, उसका सबसे पहले तर्जुबा आनरेबल डिप्टी स्पीकार साहब को है क्योंकि सबसे पहले पंजाब दस साल तक दहशतगर्दी की चपेट में रहा है। मैं इस हाउस का एक ऐसा बदकिस्मत मैम्बर हूं जो रियासत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं और पिछले 15 सालों से सबसे ज्यादा

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

दहशतगर्दी रियासत जम्मू-कश्मीर में रही है जिसकी वजह से सारा देश चिन्तित है।

आज सुबह मल्होत्रा जी ने जब बात शुरू की तो मुझे दुख हुआ क्योंकि सही मायनों में अगर दहशतगर्दी के खिलाफ इस हाउस में बहस करनी थी तो पूरी ईमानदारी, दियानतदारी, और वतनपरस्ती का जज्बा रखकर करनी चाहिए थी। उन्होंने वह बात कम की और सियासत ज्यादा की। उन्होंने इस तरफ इशारा करके इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस और यूपीए सरकार पर डाली। यह एक ऐसी मिसाल है कि जिस पार्टी ने सालों साल की जद्दोजहद के बाद इस मुल्क हिन्दुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया, जिस पार्टी ने एक योजनाबद्ध तरीके से पांच साला मंसूबे के तहत इस मुल्क की 45 साल खिद्मत की, तरक्की की, और कितने ही लोगों ने उसके लिए कुर्बानियां दीं, आज उस पार्टी पर उग्रवाद की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो दिल को ठेस पहुंचती है। देश के लोग सुनते होंगे कि ये क्या कह रहे हैं। अगर किसी प्रैस कानफ्रैन्स में वे यह बात कहते, किसी पब्लिक जलसे में कहते तो वह सारे देश में नहीं जाती, लेकिन उन्होंने एक बात आखिर में कह दी, जब वह कनक्लूड कर रहे थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आप लोगों को समय मिला और इस मुल्क हिन्दुस्तान पर आपने आठ वर्ष हुकूमत की, तब यह मुद्दा आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब आपका सारा जनाधार, आपकी मकबूलियत सारे देश में कम हो रही है तो आज फिर आपको महसूस हो रहा है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जज्बाती भी हैं, जो मजहबी बातों को ज्यादा सुनते हैं,- इलाकाई बातों के भड़कावे में आते हैं। जात-पात के चक्कर में आकार वे कहीं भी वोट देते हैं। आज ये महसूस करते हैं कि अपनी इस बात के जरिये वे कई स्टेटों में आने वाले इलैक्शनों में इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि हमारा मुल्क देवी-देवताओं की धरती है, एक सेक्यूलर मुल्क है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी मुख्तलिफ भाषा बोलने वाले लोग रहते हों। इस देश की 108 करोड़ की आबादी में जहां न हमारा खाना मिलता है, न लिबास मिलता है, न भाषा मिलती है, न कल्चर मिलता है, फिर भी मैं कहता हूं कि जिस किस्म के इनके बेहुदा हरकात हैं, सियासी वकाफत के लिए जो हथियार ये इस्तेमाल करते हैं, हमारी डोगरी भाषा में कहा जाता है कि इस देश की किश्ती को लोहे और लकड़ी की चादर से बांधा हुआ है लेकिन हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे इसमें छेद करने की। सही मायनों में अगर हम सेक्यूलर हैं और इस देश में अमन और एकता चाहते हैं तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ईमानदारी की बात करो, सियासत की बात मत करो, वोटों की राजनीति मत करो और उन लोगों पर भी रहम करो जो लोग 15 सालों से मुश्किल में हैं, जिनके हर घर के एक इंसान की जान उसमें तलब हुई है। हमारे बावर्दी लोगों की, चाहे वे बीएसएफ, सीआरपीएफ या दूसरी पैरामिलेट्री फोर्सेज में हैं, दर्जनों लाशें आज मुल्क में कश्मीर से आती हैं। अगर आपको इस बात की जरा भी चिंता है और आप फिकरमंद हैं, इस देश की सलामती और एकता को कायम रखने का जज्बा रखते हैं तो हमें ईमानदारी से पार्टीबाजी और पालिटिक्स से ऊपर उठकर एकमन बना लेना चाहिए। जो भी आज उस तरफ बैठे हैं, वे भी इस तरफ आ सकते हैं। हम सियासत भी कर सकते हैं, यह देश भी तरक्की कर सकता है, इस देश की बेरोजगारी भी दूर हो सकती है, गुर्बत भी दूर हो सकती है। जो पालिटिक्स में पार्टियों की जिम्मेदारियां होती हैं, जो वायदे और बातें करके हम आते हैं, उन्हें हमें पूरा करना चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा सदन है। उसके अंदर हम इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देश के लोग हमें देखते हैं और सुनते हैं-वे क्या कहेंगे? हम क्या कह रहे हैं? वे सोचेंगे कि इस देश के जिम्मेदार लोग, हमारे द्वारा चुने हुए नुमाइंदे इस किस्म की फिरकापरस्त बातें करते हैं, जो देशद्रोही भी नहीं करते। ऐसी बातें अगर हम यहां पर करेंगे, तो कैसे एक अच्छा सिग्नल अपनी जनता को दे सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, दो-तीन बातों का जिक्र करके मैं आपसे रुखसत चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आज इन्होंने आंकड़े दिए हैं, यहां कोई रेस लगी हुई है। मैं उस बात का जवाब नहीं दे रहा हूं कि इनके वक्त में, जब ये छः वर्ष के लिए बरसर-ए-इक्तिदार थे, इन्होंने देश के ऊपर हुकूमत की। उस वक्त के आंकड़े क्या कहते हैं, कितने हादसे हुए, कौन-कौन से मंदिर पर हमला हुआ ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप आठ मिनट से बोल रहे हैं।

श्री मदन लाल शर्मा: कौन सी असेम्बली के ऊपर हमला हुआ, इस संसद पर हमला हुआ, मैं उस बारे में नहीं कहूंगा कि कितने लोग इनके वक्त में मारे गए, लेकिन पिछले एक वर्ष से जब हमारी यूपीए की सरकार बरसर-ए-इक्तिदार आयी, आज कितने हादसे हो रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। यह राजग और यूपीए के आंकड़ों में कंपटीशन नहीं है। हम कोई अच्छी बातें यहां नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें चिंता होनी चाहिए कि यह सारा कुछ कैसे बंद हो सकता है। मुझे एक फिरकापरस्ती की बू आई। उस तरफ बैठे हुए लोगों ने अपनी तकरीर दी है और कहते हैं कि दोस्त बदलते हैं, पड़ोसी नहीं बदलते। जब इस मुल्क हिन्दुस्तान के अंदर अट्ठारह करोड़ मुसलमान रहते हैं, वे कोई दूसका मुल्क नहीं बनाने जा रहे हैं। वे पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। वोटों की राजनीति करके अपने पड़ोसियों के दिल पर, उनके जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं। मैं यहां रहता हूं और अकेला हूं, मेरा भाई जम्मू-कश्मीर में रहता है। अगर मुझे तकलीफ

[श्री मदन लाल शर्मा]

होगी, तो सबसे पहले मेरा पड़ोसी ही काम आएगा, मेरा भाई तो दूसरे दिन पहुंचेगा। जब ये बातें हम सोचकर चलेंगे, तभी हम अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आज इन सारे लोगों ने यही बाते कहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और निंदा करता हूं कि जो हादसा हो गया, राम जन्मभूमि पर हमला हो गया, उसकी मैं मजम्मत करता हूं और जिन लोगों ने बरबरियत कार्यवाही करके, जो बहुत बड़ा खून खराबा इस देश के अंदर होने वाला था, उसे रोक दिया, पैरामिलेट्री फोर्सेज के लोगों ने, राज्य पुलिस के लोगों ने, उन सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। लेकिन इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपने न सिर्फ इस घटना को हवा देनी चाही, मैं पढ़ रहा था कि इनके एक मुख्यमंत्री ने बाई आर्डर एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी और खुद जयपुर शहर के अंदर बंद कराने की कोशिश की और मैं समझता हूं कि दंगा करवाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिर में, अगर आप समय देते तो मैं दो बातें और कहना चाहता था और आंकड़े भी पेश कर देता। मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे इस डिबेट में हिस्सा लेने का मौका दिया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इस वाद-विवाद का उत्तर सरकार द्वारा कल अथवा सरकारी काम-काज के अनुसार किसी अन्य दिवस को दिया जाएगा।

अब, सदन अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाएगा।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान-अनुपस्थित

श्री अनंत गुढ़े-अनुपस्थित

श्री प्रभुनाथ सिंह-अनुपस्थित

श्री राजेन्द्र कुमार-अनुपस्थित

श्री बसुदेव आचार्य-अनुपस्थित

श्री डी.वी. सदानन्द गौडा (मंगलोर): महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मुद्दा उठाना चाहूंगा। यह कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कुछ सहायता मांगने के संबंध में है। केवल एक सप्ताह पूर्व हमने मुंबई तथा अन्य स्थानों पर भारी वर्षा से हुई तबाही की चर्चा की। इसी प्रकार, हाल ही में संपूर्ण कर्नाटक में भारी बारिश तथा बाढ़ आई थी। पिछले एक सप्ताह में भारी बारिश तथा बाढ़ आई थी। पिछले एक सप्ताह के दौरान भारी वर्षा तथा बाढ़ के कारण कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ा, कोडागु, उदुपी, बेलगाम तथा उत्तर कन्नड़ जिलों में लगभग 10,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। अब भी वर्षा ऋतु चल रही है। यह बताया गया है कि कर्नाटक के लगभग 300 गांव डूब गए हैं। लोगों को समुचित रूप से गांवों से निकाला नहीं गया है। लगभग 200 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है।

पिछले 48 घण्टों के दौरान तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई। कर्नाटक में लगभग सभी जलाशयों में भारी वर्षा के चलते तेजी से पानी भर रहा है तथा अधिकतम स्तर ग्रहण कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा कोई उचित बचाव कार्य नहीं किया गया है। इस मामले में राज्य सरकार किसी भी प्रकार से गंभीर नहीं है। राज्य में बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर इस क्षेत्र में स्कूल तथा कालेज ने छुट्टी बढ़ा दी है। गांव निवासी खाद्य तथा आश्रय संबंधी समाधानों का सामना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप की अत्यंत आवश्यकता है चूंकि राज्य सरकार राहत कार्य प्रदान करने में पूरी तरह से असफल हुई है। इसलिए मैं, यह मुद्दा उठा रहा हूं।

इसलिए मैं, केन्द्र सरकार से अत्यावश्यक राहत कार्यों हेतु तत्काल कम से कम 100 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं देश के डाक कर्मचारियों की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि उनकी समस्याएं बहुत दिनों से लम्बित चली आ रही है। अभी मार्च में पूरे डाक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। हड़ताल खत्म करने का आह्वान करते हुए डाक सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे 21 दिन में उनकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे, लेकिन चार महीने हो गए हैं, अभी तक उनकी समस्याओं का कोई निराकरण नहीं हुआ है।

महोदय, मैं अभी उनके परिसंघ में गया था। मैंने इलाहाबाद में कर्मचारियों और उनके संघ के पदाधिकारियों से बात की थी। उनसे बात करने के बाद मुझे उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग जो लगी वह यह कि कर्मचारियों के छठे वेतन आयोग का गठन कर के उन्हें वेतन दिया जाए। दूसरी बात यह है कि बोनस के लिए वेतन की समय-सीमा समाप्त की जाए और डाक विभाग में जो अस्थाई कर्मचारी हैं उन्हें तत्काल नियमित किया जाए। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं और ये ग्रामीण डाक सेवकों के परिवार हैं जो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं। उनके वेतन में कम से कम 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का विलय किया जाए ताकि उनका वेतन इतना हो सके कि वे अपने जीवन की गुजर-बसर कर सकें और अपने जीवन को सुधार सकें और अपने परिवार की देखभाल कर सकें।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं डाक कर्मचारियों की इन महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि डाक कर्मचारी हमारे दैनिक जीवन के कम्यूनिकेशन को बनाए रखने के महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसलिए सरकार उनकी तरफ विशेष ध्यान दे और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: डा. धीरेन्द्र अग्रवाल-अनुपस्थित

श्री चन्द्र शेखर दूबे-अनुपस्थित

श्री वीरेन्द्र कुमार-अनुपस्थित

श्री के. फ्रांसिस जार्ज-अनुपस्थित

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, मुझे तो इतना ही निवेदन करना है कि मैं इन्तजार कर रहा था, सारे भाषण मैंने सुने। ...*(व्यवधान)* मैंने अपनी गाड़ी में सुन लिए और और आपने हमें जो गालियां दीं, वे भी मैंने सुन लीं। गालियां भी मैंने ध्यानपूर्वक सुनी हैं। उनका उत्तर देने का मेरी पार्टी यदि मुझे कभी मौका देगी तो मैं जरूर दूंगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। वहां से एक गाड़ी हरिद्वार जानी बहुत आवश्यक है। हरिद्वार इसलिए कि हजारों-लाखों लोग रोजाना जब उनके मां-बाप मर जाते हैं, रिश्तेदार मर जाते हैं तो वे हरिद्वार जाने की कोशिश करते हैं। उनका वहां जाना जरूरी है। वह धार्मिक स्थान है और गंगा जी और हर की पौड़ी पर वे अस्थियों को प्रवाहित करना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि शनिवार की प्रात: तीन बजे हर शनिवार को हरिद्वार के लिए गाड़ी चलती है, उससे लोगों का कष्ट बहुत बढ़ रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि हरिद्वार एक धार्मिक स्थान है और राजस्थान के लोग, विशेषकर जयपुर शहर के लोग भी हरिद्वार नित्य-प्रति जाते हैं, इसलिए इस गाड़ी को नियमित किया जाये और हरिद्वार वह गाड़ी जाये तो वहां लोग सब प्रकार के क्रिया-कर्म करके लौट सकेंगे।

इसलिए मेरी मांग है कि, रेल मंत्री जी, यह मानवीय समस्या है और हिन्दुओं को और सब प्रकार के तीर्थ यात्रियों की समस्या हरिद्वार के लिए गाड़ी नियमित रूप से की जानी चाहिए। यह मेरी रेल मंत्री जी से मांग है और मैं बार-बार रेल मंत्रालय में एक मैम्बर होने के नाते बार-बार लालू प्रसाद जी से मैंने निवेदन किया है कि हरिद्वार की गाड़ी निश्चित रूप से चले और नियमित चले।

आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ-अनुपस्थित।

श्री सुरेश चन्देल-अनुपस्थित।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी वसाकत से सरकार के नोटिस में एक अहम मामला लाना चाहता हूं। आठ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अन्दर रियासते जम्मू-कश्मीर में मजमुई तौर पर और खासकर सूबा जम्मू में जो 50 वर्षों से वहां टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया गया और सूबा जम्मू के लोगों में एक बहुत बड़ा रोष था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहां दौरा करके अपने पैकेज के अन्दर 6 टूरिज्म डवलपमेंट एथारिटीज कायम करने का वायदा किया। उसमें पूंछ, राजौरी, लखनपुर, बसौली, भद्रवाह और किश्तवाड़ हैं, लेकिन 8-9 महीने गुजर जाने के बाद अभी तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ, न मरकजी सरकार ने कोई फंड्स रिलीज किये। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस्तकदुआ करना चाहता हूं कि उन टूरिज्म डवलप एथारिटीज को फौरी तौर पर एस्टेब्लिश किया जाये और फंड्स को जल्दी से जल्दी बारोजगार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस-अनुपस्थित।

प्रो. रासा सिंह रावत-अनुपस्थित।

श्री राम कृपाल यादव-अनुपस्थित।

श्री वाई.जी. महाजन-अनुपस्थित।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में बंजारा समाज बसा है। जहां बंजारा समाज की बस्ती होती है, उसको तांडा, नगरा या डेरा कहा जाता है। यह मुख्य गांव से एक, दो या तीन किलोमीटर के अन्दर से होते हैं। ये जो बस्तियां हैं, इन बस्तियों को अलग रेवेन्यू विलेज का दर्जा नहीं दिया गया। आज तक बहुत सारी बस्तियां हैं और ये मुख्य गांव की घट ग्राम पंचायत के नाम से जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि जब भी कोई स्कीम गांव में जाता है तो वह गांव में ही रह जाता है। इन तांडा, नगला और डेरों में वह नहीं जाती हैं, इससे इन लोगों का विकास रूक गया है। जहां पारदी समाज है, आपने सुना होगा कि जिनको बेड़ा कहा जाता है। हमारे यहां कोलाम समाज है,

[श्री हरिभाऊ राठौड़]

उसको बोड़ कहा जाता है, गोंडवाना कहा जाता है, जब भी बिजली, रोड, पानी, स्कूल आदि सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं तो ये सारी सुविधाएं गांवों में चली जाती हैं। पहले तो सरपंच उनका ही होता है, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक टांडा डवलपमेंट स्कीम बनाई है। टांडा सुधार योजना के तहत बजट में प्रवाधान भी किया है, यदि केन्द्र सरकार भी इसे करेगी तो यह पूरे देश में लागू हो जाएगा। आपके माध्यम से वित्त आयोग से मेरा निवेदन है कि इसके बारे में प्रावधान जरूर करें।

दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार ने पांच सौ लोगों की बस्तियों को अलग से रेवेन्यू दर्जा दिया है। हमने जब उत्तर प्रदेश सरकार से इस तरह की मांग की तो मुलायम सिंह जी ने अपने उत्तर में लिखा कि हम किसी जाति विशेष को अलग से रेवेन्यू नहीं दे सकते। यह सोचने वाली बात है कि जैसे सिक्खों की बस्ती है, क्या हम उसको अलग रेवेन्यू दर्जा नहीं दे सकते हैं। यह किसी जाति का नाम नहीं है। यह किसी भी जाति का एक ग्रुप हो सकता है, जिसे गांव कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से एक निर्देश जाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, किसी भी जाति विशेष को रेवेन्यू का दर्जा देना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसी समाज के लिए नेशनल डिनोटिफाइड एण्ड नोमेडिक ट्राइब कमीशन बनाया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे दबा दिया है। मेरी यह मांग है कि इसे फिर से उजागर किया जाए। धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पंजाब ने बहुत से खिलाड़ी पैदा किए हैं, जिन्होंने देश और विदेश में, एशियन और कामनवैल्थ, आदि गेम्स में मैडल जीते हैं। खिलाड़ियों की परफार्मेंस में कोचेज का बहुत बड़ा योगदान होता है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब के दर्जनों कोचेज का तबालदला पंजाब से बाहर कर दिया गया है। इससे खिलाड़ियों और उनके प्रशंसकों में बड़ा रोष है। उनके गुस्से का पता इस घटना से चलता है कि जब मैं गाड़ी से आ रहा था तो उन लोगों ने मुझे रोककर अपना रोष प्रकट किया और यह कहा था कि अगर ये कोचेज पंजाब से चले गए तो पंजाब खिलाड़ियों को पैदा करने से वंचित हो जाएगा। आपके माध्यम से मेरा खेल मंत्री जी से और चूंकि यह मंत्रालय प्रधान मंत्री जी के पास है, इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि जो तबादले किए गए हैं, उनको रोका जाए। यदि किसी कारण से तबादले करने भी हैं, तो पहले वहां कोई कोच भेजिए, ताकि जो खिलाड़ी मैडल लेकर आए हैं, वे अपनी परफार्मेंस आगे भी उसी प्रकार से दे सकें। उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा क्योंकि आप भी लुधियाना से आते हैं। वहां के दो दर्जन कोचेज, जैसे टेबिल टेनिस, जूडो, टेनिस इत्यादि को बदल दिया गया है।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, आपके माध्यम से मैं पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान अलेप्पी के लोगों की इस मांग की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें अलेप्पी की जनता द्वारा पुन्नामाड़ा, मुल्लकल, अलेप्पी स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 में 'अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल' की निर्माण स्थली को अन्यत्र स्थापित करने की मांग पर पुनर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना की प्रस्तावित निर्माण स्थली, प्रसिद्ध नेहरू ट्राफी नौका रेस, जो कि पुन्नामाडा झील में 1952 में आयोजित की जा रही है, का अंतिम चरण स्थल है। यह हाउस बोट का आश्रय स्थल भी है तथा अलेप्पी के ब्रैकवाटर्स के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने तथा उसे हृदयगम करने के लिए देशी तथा विदेशी पर्यटकों का एकत्रण स्थल है। ऐसा अनुमान है कि हाऊस बोट तथा अन्य पर्यटक माध्यमों से लगभग 20,000 लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। वास्तव में पर्यटन के माध्यम से अलेप्पी के विकास हेतु यह एक आशा अन्तरीय है।

एथलीटो को जल क्रीड़ाओं में प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण पुन्नामाड़ी झील का उपयोग कर रहा है। केन्द्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से पुन्नामाड़ी झील के किनारे पर एक वाटर स्टेडियम तथा पेविलियन का निर्माण कर रहे हैं ताकि नौका दौड़ को अधिक आकर्षक बनाया जा सके। तथापि, यह शहर अपने प्राकृतिक सौंदर्य तथा विश्वविख्यात नेहरू ट्राफी बोट रेस के साथ-साथ अलेप्पी के ब्रैकवाटर में हाऊस बोट पर्यटन के माध्यम से पर्यटन के विस्तार की कोशिश कर रहा है।

यदि प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वित हो जाती है तो यह न केवल नेहरू ट्राफी बोट रेस का अंत कर देगा बल्कि हाऊस-बोट पर्यटन के माध्यम से अलेप्पी के विकास की संभावनाएं तथा हाऊस बोट पर्यटन को भी जड़ से खत्म कर देगा। इससे सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्रस्तावित परियोजना की स्थिति लोक निर्माण विभाग के ड्राईडाक तथा जल परिवहन विभाग के डाक तथा साथ ही केएसआरटी बस स्टैण्ड के अत्यंत समीप है। इसके अतिरिक्त यह जिला सिविल स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, न्यायालय तथा नगर निगम से बमुश्किल तीन किलोमीटर की दूरी पर है। मौजूदा सड़कें बहुत संकरी हैं तथा परियोजना की संस्थापना के साथ ही भारी यातायात इस अवस्थापना के शांतिपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा।

इन सभी तथ्यों के मद्देनजर, केरल सरकार ने एक वैकल्पिक स्थान देने की सिफारिश की थी तथा मंत्रालय से अनुरोध किया कि इस परियोजना को एक अधिक उपयुक्त स्थान, पालाथुरूथी पर स्थानांतरित करे।

उपरोक्त परिस्थितियों में, मैं मंत्री महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर उपयुक्त रूप से विचार करे तथा निदेश दिए जाएं कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाए तथा इस परियोजना को पालाथुरूथी अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का मार्ग खोजा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी-अनुपस्थित।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य अंत तक बैठे, उन्हें बोलने के लिए अधिक समय दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले नोटिस तो दीजिए। नोटिस देंगे तो देखेंगे कि क्या करना है।

[अनुवाद]

अब सभा कल दिनांक 5 अगस्त, 2005 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.36 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 5 अगस्त, 2005/14 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री पवन कुमार बंसल	161
2.	डा. के.एस. मनोज श्री सुरेश कुरूप	162
3.	डा. अरूण कुमार शर्मा	163
4.	श्री ब्रजेश पाठक श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	164
5.	श्री बीर सिंह महतो श्री एम. अंजनकुमार यादव	165
6.	श्री जीवाभाई ए. पटेल डा. चिन्ता मोहन	166
7.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री शिवराज सिंह चौहान	167
8.	मोहम्मद शाहिद प्रो. महादेवराव शिवनकर	168
9.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	169
10.	श्री सुब्रत बोस श्री अजीत जोगी	170
11.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	171
12.	श्री लक्ष्मण सेठ	172
13.	श्री देविदास पिंगले श्री संजय धोत्रे	173
14.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	174
15.	डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	175
16.	श्री काशीराम राणा श्री गिरिधारी यादव	176
17.	श्री के.एस. खारवेनथन	177
18.	श्री बाडिगा रामकृष्णा	178
19.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	179
20.	श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण श्री रामदास आठवले	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	1812
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	1713, 1754
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1681, 1768, 1850, 1866
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1684, 1711, 1816
5.	अप्पादुरई, श्री एम.	1699, 1777
6.	आठवले, श्री रामदास	1680, 1701, 1724
7.	बंसल, श्री पवन कुमार	1783, 1828
8.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	1812
9.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	1770, 1837, 1858, 1874
10.	बर्मन, श्री हितेन	1733, 1794, 1809
11.	बखला, श्री जोवाकिम	1746, 1853
12.	भडाना, श्री अतवार सिंह	1755, 1853
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	1767
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1716
15.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1710, 1792, 1835
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1687, 1772
17.	बोस, श्री सुब्रत	1794
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1722, 1731, 1841, 1865
19.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	1701, 1853
20.	चन्देल, श्री सुरेश	1694
21.	चन्द्र कुमार, प्रो.	1765, 1878
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	1719
23.	चटर्जी, श्री सांताश्री	1839
24.	चौरे, श्री बापू हरी	1722, 1803, 1839, 1841

1	2	3
25.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	1788, 1797
26.	चिन्ता मोहन, डा.	1791, 1834
27.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	1882
28.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	1789, 1831, 1833
29.	चौधरी, श्री पंकज	1806, 1844
30.	चौधरी, श्री अधीर	1712
31.	चर्चील, श्री अलीमाऊ	1764
32.	धनराजू, डा. के.	1730, 1807
33.	धोत्रे, डा. संजय	1743
34.	डोम, डा. रामचन्द्र	1853
35.	दूबे, श्री चन्द्र शेखर	1704
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	1708
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	1735, 1745, 1815
38.	गांधी, श्री प्रदीप	1753, 1763, 1823, 1889
39.	गंगवार, श्री संतोष	1692, 1785, 1858
40.	गाव, श्री तापिर	1737
41.	गिल, श्री आत्मा सिंह	1762
42.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	1715, 1798, 1799, 1840, 1878
43.	जय प्रकाश, श्री	1674, 1711, 1774, 1826
44.	जगन्नाथ, डा. एम.	1701, 1721, 1802, 1879
45.	झा, श्री रघुनाथ	1688, 1819
46.	जोशी, श्री प्रहलाद	1883
47.	कामत, श्री गुरुदास	1697, 1822
48.	कनोडीया, श्री महेश	1701
49.	करूणाकरन, श्री पी.	1758, 1854, 1871
50.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	1676
51.	खन्ना, श्री अविनाश राय	1725, 1841
52.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1771, 1825, 1859, 1892
53.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1683
54.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	1750, 1792, 1878
55.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1758, 1760
56.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	1703, 1747, 1824, 1853, 1868
57.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	1736, 1791
58.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	1766
59.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	1711
60.	महाजन, श्री वाई.जी.	1865
61.	महतो, श्री बीर सिंह	1787
62.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1714, 1797
63.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1678, 1731
64.	महताब, श्री भर्तृहरि	1707, 1790
65.	माझी, श्री परसुराम	1695
66.	मंडल, श्री सनत कुमार	1717, 1800, 1839, 1851, 1861
67.	माने, श्रीमती निवेदिता	1735, 1820, 1839
68.	मनोज कुमार, श्री	1679
69.	मनोज, डा, के.एस.	1784, 1829, 1854, 1871
70.	मेघवाल, श्री कैलाश	1690, 1750, 1884
71.	मैन्या, डा, टोकचोम	1759
72.	मिश्रा, डा. राजेश	1755, 1812
73.	मोदी, श्री सुशील कुमार	1757, 1818, 1852, 1886

1	2	3
74.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	1724
75.	मो. ताहिर, श्री	1703, 1747, 1793, 1815, 1824
76.	मोहित, श्री सुबोध	1691, 1773
77.	मोल्लाह, श्री हन्नान	1701, 1853
78.	मूर्ति, श्री ए.के.	1689, 1760
79.	मुन्शी राम, श्री	1703, 1747, 1815, 1824, 1836
80.	मुर्मू, श्री हेमलाल	1789, 1831, 1833
81.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	1709
82.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	1728, 1835
83.	नायक, श्री अनन्त	1700
84.	नायक, श्रीमती अर्चना	1727
85.	निखिल कुमार, श्री	1712
86.	ओराम, श्री जुएल	1739, 1812, 1815, 1846, 1885
87.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	1675, 1812, 1817, 1851, 1869
88.	पलनिसामी, श्री के.सी.	1677, 1779
89.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1723, 1839
90.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	1693, 1821, 1833
91.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	1788, 1832
92.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	1750, 1843, 1862
93.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1831
94.	पाठक, श्री ब्रजेश	1831, 1856, 1872
95.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	1705, 1726, 1810, 1887
96.	पिंगले, श्री देविदास	1769
97.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	1701, 1799, 1838, 1863
98.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1787, 1872, 1880
99.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1756
100.	राजेन्द्रन, श्री पी.	1744
101.	रामदास, प्रो. एम.	1782
102.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1799, 1838, 1860, 1893
103.	राणा, श्री काशीराम	1796
104.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1702, 1782, 1847, 1863, 1890
105.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	1678, 1706, 1722, 1865
106.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	1685, 1711, 1780, 1845, 1870
107.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	1719
108.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1796, 1881
109.	साई प्रताप, श्री ए.	1865
110.	सज्जन कुमार, श्री	1735
111.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1831, 1853, 1891
112.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	1778, 1830, 1855
113.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	1734
114.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	1871
115.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	1738, 1799, 1811
116.	सेठ, श्री लक्ष्मण	1795, 1853
117.	शाहिद, मोहम्मद	1793, 1836, 1857, 1873
118.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	1698, 1730
119.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1742, 1813, 1815, 1850, 1876

1	2	3
120.	शिवन्ना, श्री एम.	1761
121.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1703, 1747, 1793, 1815
122.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1711, 1752
123.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	1751, 1866
124.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	1714, 1832
125.	सिंह, श्री रामसेवक	1718, 1801
126.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1732, 1808
127.	सिंह, श्री दुष्यंत	1792, 1812, 1878, 1884
128.	सिंह, श्री गणेश	1742, 1815, 1848, 1875, 1888
129.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1735, 1745, 1748, 1815, 1820
130.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	1696, 1804, 1842, 1867, 1877
131.	सिंह, श्री राकेश	1713
132.	सिंह, श्री रेवती रमन	1713, 1869
133.	सिंह, श्री सुग्रीव	1750, 1805, 1843, 1862
134.	सिंह, श्री उदय	1701
135.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	1682, 1865
136.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	1701
137.	सुमन, श्री रामजीलाल	1736, 1834
138.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	1686, 1781
139.	थामस, श्री पी.सी.	1749
140.	ठुम्मर, श्री वी.के.	1796
141.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1866
142.	रिक्त 1.8.2005	1729
143.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	1741, 1814, 1849, 1865, 1891
144.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1706
145.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1796
146.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	1776, 1827
147.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	1740, 1813, 1848, 1864
148.	वाघमारे, श्री सुरेश	1775
149.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	1748, 1815, 1820
150.	यादव, श्री भाल चन्द्र	1831
151.	यादव, श्री मित्रसेन	1720
152.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	1876

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	173, 176
संस्कृति	:	172
रक्षा	:	162, 175
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	167, 178
पंचायती राज	:	179
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	163, 165, 166, 170, 180
रेल	:	164, 168, 169, 171, 174, 177
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	161

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	1708, 1710, 1716, 1719, 1722, 1725, 1731, 1732, 1736, 1740, 1741, 1765, 1784, 1796, 1802, 1811, 1812, 1832, 1840, 1842, 1851, 1860, 1861, 1875, 1884
संस्कृति	:	1677, 1693, 1695, 1707, 1711, 1753, 1763, 1769, 1780, 1816, 1837, 1856, 1864, 1877, 1883, 1888, 1889, 1891, 1892
रक्षा	:	1674, 1675, 1678, 1681, 1694, 1701, 1703, 1713, 1734, 1815, 1817, 1824, 1852, 1853, 1859, 1863, 1865, 1867, 1869, 1873, 1876
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	1679, 1702, 1705, 1720, 1729, 1735, 1748, 1756, 1799, 1838
सूचना और प्रसारण	:	1676, 1680, 1685, 1704, 1714, 1724, 1727, 1746, 1752, 1764, 1766, 1767, 1783, 1785, 1786, 1804, 1820, 1822, 1823, 1826, 1828, 1831, 1847, 1855, 1874, 1886, 1893
पंचायती राज	:	1794, 1808, 1843, 1848
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1688, 1689, 1692, 1697, 1698, 1712, 1717, 1728, 1730, 1738, 1739, 1742, 1750, 1751, 1759, 1761, 1781, 1782, 1789, 1791, 1803, 1805, 1810, 1814, 1819, 1825, 1829, 1830, 1834, 1836, 1844, 1845, 1846, 1857
रेल	:	1683, 1684, 1686, 1687, 1690, 1691, 1696, 1700, 1706, 1709, 1718, 1723, 1726, 1733, 1737, 1743, 1744, 1745, 1747, 1649, 1754, 1755, 1757, 1758, 1762, 1768, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 1787, 1788, 1790, 1792, 1793, 1795, 1797, 1801, 1807 1809, 1818, 1821, 1827, 1835, 1839, 1841, 1849, 1850, 1854, 1858, 1868, 1871, 1872, 1879, 1880, 1881, 1882, 1885, 1887, 1890
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	1682, 1699, 1715, 1721, 1760, 1777, 1798, 1800, 1806, 1813, 1833, 1862, 1866, 1870, 1878.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/11/9/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज प्रिंटर्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/11/9/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज प्रिंटर्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।